दश माला, खंड 13, अंक 22

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2000

28 अग्रहायण, 1922 (शक)

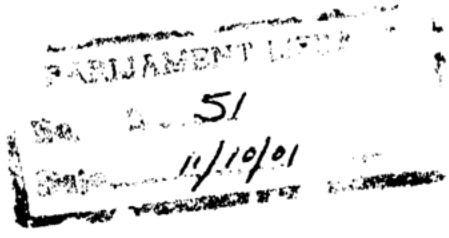
लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)





(खण्ड 13 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्

गुरदीप चन्द [illegible] लहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

[illegible]करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। [illegible]द प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड–13 पांचवा, सत्र, 2000/1922 (शक)

[अंक 22, मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2000/28 अग्रहायण, 1922 (शक)]

विषय		*कॉलम*
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	421 से 424	1-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	425 से 440	34-53
अतारांक़ित प्रश्न संख्या	4554 से 4783	53-335
सभा पटल पर रखे गए पत्र	... ...	335-346
लोक लेखा समिति		
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	... ...	346-347
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन		347
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
पांचवां प्रतिवेदन		347
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति		
सातवें से नौंवा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	...	347-348
रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षण योजनाओं के बारे में दिनांक 21 नवंबर, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य		
डा. मुरली मनोहर जोशी		348-349
वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक, 2000 ...		386
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	386-393
(एक) राजस्थान के अजमेर जिले में पेयजल की भीषण समस्या के समाधान हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
प्रो. रासासिंह रावत	... ...	386-387

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए इस क्षेत्र के जिलों की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री बिक्रम केशरी देव ...	387
(तीन)	बिहार में बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ...	387-388
(चार)	हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों पर बकाया पथकर को माफ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश चन्देल	388-389
(पांच)	विशेष संघटक योजना के अंतर्गत, विशेषकर पंजाब में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु पर्याप्त धनराशि व्यय करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती संतोष चौधरी ...	389
(छह)	पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अधीर चौधरी	389-390
(सात)	बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से हो रहे जल भराव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	390
(आठ)	बडागरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंदनकाबु में केरल सरकार की वस्त्र परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सावधि ऋण मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. ए. के. प्रेमाजम ...	390-391
(नौ)	दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत निजामाबाद मुदुखेड़ और जनकमपेट–बोधन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी. गंगा रेड्डी...	391
(दस)	उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मैनपुरी रेलवे क्रासिंग पर एक निचले पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	391-392

विषय		कॉलम
(ग्यारह)	देश में चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर चौकीदार रखने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बालकृष्ण चौहान	392
(बारह)	नासिक हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री उत्तमराव ढिकले	392-393
(तेरह)	कन्याकुमारी से दिल्ली तथा तंजावूर के लिए सीधी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता	
	डा. ए. डी. के. जयशीलन	393
नियम 193 के अधीन चर्चा	... ...	393-424
	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	
	श्री बसुदेव आचार्य	393-406
	डा. विजय कुमार मल्होत्रा	406-413
	श्री कमलनाथ	413-420
	श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति	421-422
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2000-2001		
और		
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2000		424-518
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	424
	श्री यशवन्त सिन्हा	424-428, 502-518
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी ...	428-438
	श्री किरीट सोमैया ...	438-445
	श्री रूपचन्द पाल	445-454
	श्री टी.टी.वी. दिनाकरन	454-456
	डा. बी.बी. रमैया ...	457-464
	श्री खारबेल स्वाइं	464-467
	श्री ए.सी. जोस	467-473
	श्री त्रिलोचन कानूनगो	473-477
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ...	477-481
	डा. नीतिश सेनगुप्ता	481-487

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह 487-489
श्री लाल मुनी चौबे 489-495
कुंवर अखिलेश सिंह 496-499
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 499-501
श्री बसुदेव आचार्य 501-502

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक - पुरःस्थापित ... 518

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 518

खंड 2 और 3 तथा 1 519

पारित करने के लिए प्रस्ताव 519

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2000

विचार करने के लिए प्रस्ताव ... 520

खंड 2 से 5 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव ... 520

श्री यशवन्त सिन्हा 520

लोक सभा

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2000/ 28 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी

+

***421. श्री भर्तृहरि महताब :**

श्री जय प्रकाश :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में गरीबी समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है।

विवरण

योजना आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का प्रतिशत 1973–74 के 56.44 प्रतिशत से घटकर 1993–94 में 37.27 प्रतिशत हो गया है। योजना आयोग द्वारा "गरीबी के अनुमान" राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोक्ता खर्च के संबंध में किए गए व्यापक नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर लगाए जाते हैं। पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता खर्च के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने जुलाई, 1999 से जून, 2000 की अवधि के दौरान अपने 55वें दौर में उपभोक्ता खर्च के बारे में व्यापक नमूना सर्वेक्षण किया है, जिसके पूरे परिणाम अभी उपलब्ध नहीं है।

3. गरीबी घटाने के उपायों में आर्थिक विकास की गति को तेज करना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषाहार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आदिवासी तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के कार्यक्रम कार्यान्वित करता है, जैसे स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। यद्यपि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सब्सिडी और ऋण के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना है लेकिन सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत गैर–कृषि मौसम के दौरान जरूरतमंदों को सीधे मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे का सृजन करना है तथा इसके अंतर्गत मजदूरी रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि भारत के गरीबी हटाओ कार्यक्रम को मुख्यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वह भारत सरकार के कुल बजटीय व्यय का 6 से 7 प्रतिशत अथवा सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत होता है।

महोदय, गरीबी हटाओ कार्यक्रम के मुख्यतः तीन प्रकार हैं नामतः ग्रामीण कार्य योजना, स्वरोजगार और खाद्य राज सहायता। ग्रामीण कार्य योजना पर गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली धनराशि का लगभग एक तिहाई खर्च होता है। इस ग्रामीण कार्य योजना के अंतर्गत तीन मुख्य योजनाएं हैं। एक सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस); दूसरी जवाहर रोजगार योजना, अब इसका नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) कर दिया गया है और तीसरी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) है।

महोदय, जवाहर रोजगार योजना रोजगार का सृजन करने वाली योजना है जबकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्णरूपेण ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती है और अब इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास

करना है। जवाहर रोजगार योजना टिकाऊ परिसम्पत्तियों का विकास करने में असफल हो रही थी और घटिया लक्ष्य निर्धारित करने और इसके दुरूपयोग के कारण। .....

अध्यक्ष महोदय : श्री महताब यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न भी पूछना है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत समय ले रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं केवल यह स्पष्ट कर रहा हूं कि नया कार्यक्रम शुरू करने के बाद गत दो वर्षों में इसमें किस तरह बदलाव आया है।

अध्यक्ष महोदय : आप से सूचना देना अपेक्षित नहीं है। यह मंत्री की ड्यूटी है। आपको मंत्री से सूचना लेनी है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं।

महोदय, जबकि बेहतर ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना की आवश्यकता पर कोई भी बहस नहीं कर सकता, फिर भी गरीबी हटाओ कार्यक्रम को पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता वास्तव में है, मेरा प्रश्न यह है। इसके लीकेज और दुरुपयोग को रोकने तथा पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार गरीबी हटाओ कार्यक्रम में राज्य और स्थानीय सरकारों की भागीदारी को सशर्त बनाएगी अर्थात् उनकी भागीदारी को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर तय करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न राज्यों और स्थानीय निकायों की भागीदारी के बारे में है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, इन सभी कार्यक्रमों को केवल राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हम यहां कार्यक्रम तैयार करते हैं और फिर आबंटन करते हैं। इन्हें राज्यों के माध्यम से स्थानीय निकायों डी. आर. डी. ए. और कभी कभार ग्राम पंचायतों द्वारा भी क्रियान्वित किया जाता है।

महोदय, पारदर्शिता के बारे में जिसे लेकर माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, मैं यहां जोर देना चाहता हूं और मेरी भी यही राय है कि राज्य–वार आबंटन के जिला–वार आबंटन और कार्यक्रम–वार आबंटन के ब्यौरों को राज्य जिला और तहसील मुख्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मैं उस पर कार्य कर रहा हूं। इन योजनाओं की पारदर्शिता के संबंध में हम जो कुछ वास्तव में कर रहे हैं। उससे संबंधित ब्यौरों के साथ मैं सभा में आने में समर्थ होऊंगा। जानकारी के अभाव के कारण ऐसा होता है कि अनेक लोग इन योजनाओं का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा महसूस किया जाता था। मैं भी इसे समझता हूं और माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं। हम इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह था। क्या इसे राज्य के अच्छे कार्य निष्पादन से जोड़ा जाएगा ? जो राज्य गरीबी उन्मूलन के संबंध में अच्छा कार्य निष्पादन दर्शा रहे हैं, क्या उन्हें अधिक धनराशि प्रदान की जाएगी और जो राज्य अच्छा कार्य निष्पादन नहीं दर्शा रहे हैं क्या उन्हें यह धनराशि नहीं प्रदान की जाएगी ? यह मेरा पहला अनुपूरक था। मैं अब दूसरे अनुपूरक प्रश्न की बात करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए खेती से इतर रोजगार महत्वपूर्ण साधन है। क्या सरकार का विचार ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और उसकी व्यापक वृद्धि में सहायता देने के लिए विरूपता को दूर करने और बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने तथा सामाजिक क्षेत्र को सुविधा देने और स्थानीय ढांचे को सहायता देने का है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : अपने पहले अनुपूरक प्रश्न में सदस्य ने निष्पादक राज्यों और गैर निष्पादक राज्यों के बारे में पूछा है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति नहीं बनती, राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती और वे निश्चित दिशानिर्देश नहीं बनाते एवं इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होती तब तक राज्यों को प्रोत्साहन एवं प्रोत्साहन न देने से संबंधित विभाग द्वारा एकपक्षीय निर्णय लेने से समस्याएं पैदा होगीं। सदस्य ने जो कहा उसमें मुझे तथ्य दिखते हैं। ठीक इसी समय, इस पर राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। इस मामले में, मैं राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिशा–निर्देशों का इंतजार करूंगा।

सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों की जहां तक बात है तो उनको मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गैर कृषि क्षेत्र में भी ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार सृजन के कार्यक्रम लक्षित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम, विशेषकर एस. जी. एस. वाई. गैर कृषि क्षेत्र के लोगों के लिए हैं। उन्हें भी वांछित परिणाम मिल रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट कुल का लगभग दो प्रतिशत है, भारत सरकार के कुल बजट का केवल दो प्रतिशत है या माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से हमें यह आश्वासन मिल सकता है कि चालू बजट निर्माण प्रक्रिया के क्रम में वे अपने मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए आबंटन में वृद्धि करने हेतु वित्त मंत्री पर दबाव डालेंगे? क्या हम लोग इन विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आबंटन हेतु स्वयं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमान

लगाना शुरू कर दें ? इसका मतलब यह है कि ग्रामीण निर्धन लोगों पर भारत सरकार के बजट के वर्तमान दो प्रतिशत के स्तर से भारत सरकार के बजट का 10 प्रतिशत तक व्यय बढ़ाना।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मेरी बातों का समर्थन करने के लिए मैं सदस्य का आभारी हूं। मैं वित्त मंत्री और योजना आयोग पर धनराशि आबंटन बढ़ाने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी समय, मैं सदस्य को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल आबंटन सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही नहीं किया जाता। हमारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, लघु उद्योग क्षेत्र है, और अन्य कार्यक्रम भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा, संचार एवं इसके साथ ही विद्युत उपलब्ध कराने के लिए विद्यमान हैं। ये सब चीजें विभिन्न विभागों के अंतर्गत हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में धनराशि व्यय की जाती है। हमारी प्रतिबद्धता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा राशि व्यय की जाए। जो भी हो, मैं अधिक आबंटन किए जाने की आवश्यकता पर सदस्य से सहमत हूं, मैं इस संबंध में वित्त मंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में, इस समय, राज्यों के विधायक राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और संसद सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रत्येक राज्य में योजना आयोग के आदेश से निचले स्तर पर जिला योजना समितियों को शामिल कर योजना बनायी जाती है। क्या मंत्री इस बात से अवगत हैं कि लोक सभा सदस्य जो अपने चुनाव क्षेत्र की जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, को नहीं शामिल किया जाता है, एवं आवश्यक दिशानिर्देश द्वारा जिले में बनाई गई जवाहर समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में जिला योजना समिति में जिला योजना बनाए जाने के क्रम में संसद सदस्यों की सहमति नहीं ली जाती? क्या माननीय मंत्री, राज्य सरकारों से संपर्क करने के बाद आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए ठोस निर्णय लेंगे कि इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला एवं चुनाव क्षेत्र में संसद सदस्यों की निश्चित रूप से सहमति ली जाए और यह सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया जाए कि संसद सदस्य द्वारा प्रदत्त राशि लक्षित लोगों तक पहुंच सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न सभी संसद सदस्यों की तरफ से पूछा गया है।

.....*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मैं इस बात से भी अवगत हूं कि कई संसद सदस्यों ने इस संबंध में मुझसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर बातचीत की है। वे अपना विचार व्यक्त करते रहे हैं कि योजना बनाने, लाभान्वितों की पहचान करने एवं कार्य चयन के समय उनके द्वारा व्यक्त विचारों पर विचार नहीं किया जाता। यह सभी संसद सदस्यों का मत है। लेकिन हम इस तथ्य से भी अवगत है कि संसद सदस्य जिलों में डी.आर.डी.ए. के सदस्य हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय नहीं, यह संबंधित राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है.....*(व्यवधान)*

श्री एम. ओ. एच. फारूक : सबसे पहले संसद सदस्यों के लिए कुछ विशेष दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर कृपया अपनी सीट पर बैठें, पहले उन्हें अपनी बात पूरा करने दें।

.....*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, जैसी सूचना मेरे पास उपलब्ध है, संसद सदस्य जहां भी वे हैं डी. आर. डी. ए. के सरकारी निकाय के सदस्य हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह प्रत्येक राज्य की इच्छा पर निर्भर है। औपचारिक रूप से ऐसा नहीं है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : यदि कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, संसद सदस्य जिला परिषद के भी सदस्य हैं.....*(व्यवधान)*.

अनेक माननीय सदस्य : नहीं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, आप क्यों इतना जोर से बोल रहे हैं?

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, संबंधित राज्यों में 1 जनवरी, 2000 से डी. आर. डी. ए. की संकल्पना बदल गई है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, उन्होंने अभी अपना जवाब पूरा नहीं किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह जिला योजना समिति (डी.पी.सी) है जो अभी प्रमुख निकाय है। अभी भी संसद सदस्यों के लिए कोई आवश्यक दिशानिर्देश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। पहले उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

.....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : डी.आर.डी.ए. कार्य नहीं कर रही है।. .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया उन्हें बोलने दें।

.....*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : यह मामला केरल और कुछ अन्य राज्यों से संबंधित हो सकता है लेकिन अधिकांश राज्य डी. आर. डी. ए. की संकल्पना पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो मैं सदस्यों की भावनाएं समझता हूं.....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, संसद सदस्यों को जिला, परिषद् का सदस्य बनने की अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के जवाब के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, प्रत्येक जिले के स्तर पर एक सतर्कता और निगरानी समिति भी है। कुछ राज्यों में इस समिति का सभापति मंडल आयुक्त होता है। वर्तमान में सभी संसद सदस्य और विधायक इन सतर्कता और निगरानी समिति के सदस्य हैं.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नही करना है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को उनका उत्तर पूरा करने दें।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रत्येक जिले के स्तर पर एक सर्तकता और निगरानी समिति है। मंडल आयुक्त इस समिति का सभापति और जिला न्यायाधीश इसका सदस्य सचिव होता है।

इसमें इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठन का भी एक प्रतिनिधि होता है। इस समिति में शिक्षा, सामाजिक कार्यों और समाज विज्ञान के क्षेत्र के भी दो पेशेवर होते हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं ? उन्हें पूरी बात करने दीजिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, प्रखंड स्तर पर उप–जिला न्यायाधीश इसका सभापति और बी. डी. ओ. इसका सचिव होता है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता–प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के सभी सदस्य भी इस समिति के सदस्य होते हैं। सतर्कता और निगरानी समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उनके क्षेत्र विशेष में क्रियान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, सर्तकता और निगरानी रखती है।

महोदय, मैं सदन की भावना को समझ सकता हूं। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बहुत से स्थानों पर पाया गया है कि ये व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही है।

महोदय, मुझे इस सदन से दिशानिर्देश और संसद सदस्यों से सुझाव मिलते रहते हैं। मैं एक बात इस सदन के साथ बांटना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय ने हाल ही में आश्वासन दिया था, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस महीने की आठ और नौ तारीख को सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी जिससे कि संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास गतिविधियों में कैसे सम्मिलित किया जाए और कैसे निगरानी कार्यों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा यह क्या है? आप बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री एम. वैंकय्या नायडू : जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बैठक का आयोजन किया तो दुर्भाग्यवश कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों के नेता विभिन्न कारणों से इसमें सम्मिलित नहीं हो सके। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री जी से इस मामले पर चर्चा करने हेतु सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध करने पर विचार कर रहा हूं... ...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री जाधव, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : यह एक बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें राज्य सम्मिलित हैं; स्थानीय निकाय सम्मिलित हैं; इस संबंध में तिहत्तरवां संविधान संशोधन भी प्रभावी है। इसलिए हमें इस पर विचारशील दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। हमें इस पर सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। केवल इसी तरीके से हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अन्यथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। स्थानीय निकायों के भी कुछ अलग विचार हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी के विचार से सहमत हूं कि लोगों द्वारा चुने गए संसद सदस्यों को इन योजनाओं की निगरानी से संबंधित काम सौंपा जाए क्योंकि हम वहां बहुत सा पैसा खर्च कर रहे हैं.....*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उन्हें योजनाओं को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मैं इससे सहमत हूं कि उन्हें योजनाओं को बनाने और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन यदि इसके लिए बड़े पैमाने पर सहमति की आवश्यकता है, केवल मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी कर देने से यह होना संभव नहीं है। इसलिए मैं इस मामले में पहल करके यह देखूंगा कि सभी राजनैतिक दलों की एक और बैठक बुलाई जाए। हम वहां माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले सुझावों पर चर्चा कर सकते हैं।

एक माननीय संसद सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि सांसदों को निगरानी समिति का सभापति या सह–सभापति बनाया जाना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर सुनने के इच्छुक नहीं हैं?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, प्रत्येक जिले में या कम से कम कुछ जिलों में दो या तीन संसद सदस्य हैं। इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ मामलों में वहां से राज्य सभा के सदस्य भी हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें योजना बनाने और साथ ही उसके क्रियान्वयन में उनके सुझावों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। मेरी राय में प्रश्न–काल के दौरान इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि संसद सदस्यों की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसे कैसे किया जाना है हम उस पर चर्चा करके कोई निर्णय निकालेंगे।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, मैं इसे दोहराना नहीं चाहता।

जब मैंने पूर्ववर्ती मंत्री, श्री सुन्दर लाल पटवा जी, से प्रश्न पूछा था तो उन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि डी. आर. डी ए. के अंतर्गत और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं में संसद सदस्यों को इन समितियों का सभापति बनाया जाएगा। आश्वासन दिया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : वह आश्वासन इस पर केवल विचार करने का था। कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे सभी राजनैतिक दलों के समर्थन की आवश्यकता है। मुझे राज्य सरकारों के विचार भी जानने हैं.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उनके इस प्रस्ताव को पूरे सदन का सपोर्ट हैं.....*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में सभी पार्टियों के नेता उपस्थित हैं और माननीय मंत्री महोदय के इस प्रस्ताव को सभी पार्टियों के नेताओं का समर्थन प्राप्त है, फिर वे इसे क्यों लागू नहीं करते, यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं।.....*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था हम जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और राज्यों के साथ वार्ता करेंगे; और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लेंगे। मैं इस चर्चा की मूल भावना को भी ध्यान में रखना चाहूंगा।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, इस देश में गरीबी उपशमन के बारे में विभिन्न उपायों का उल्लेख किए जाने के बावजूद, अभी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि देश में सुधारों की प्रक्रिया का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा और जबकि इन सुधारों का जोर केवल गरीबी उपशमन पर होना चाहिए। लेकिन हमें लगा है कि ये केवल बातें हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। उड़ीसा जैसे राज्यों से प्रतिदिन भूख से मौतें होने की सूचनाएं मिलती हैं। मैंने केवल उड़ीसा का उल्लेख

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए किया है क्योंकि उस ओर से एक माननीय सदस्य ने इस सदन में यह कहा कि वहां भूख से मौतें हो रही हैं।

गरीब विद्यार्थी विद्यालय छोड़ रहे हैं। गरीबी और भोजन न मिलने के कारण, बड़ी संख्या में परिवारों के पुरुष सदस्य मर रहे हैं। पुरुष सदस्य गांवों को छोड़ रहे हैं। क्या मैं, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य को और देश में सुधारों की प्रक्रिया में गरीबों की उपेक्षा और गरीबों द्वारा उनके गांव छोड़ने व भूख से मौतें होने की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इसके लिए क्या आपातकालीन कदम उठाए जाने का विचार है ?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : सभी कार्यक्रमों, विशेषतः ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन कम करने का है। माननीय सदस्य की टिप्पणी अतिशयोक्तिपूर्ण है और मैं इस मुद्दे पर उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री रूपचंद पाल : परन्तु, यह रिकार्ड में है। यह सभा के रिकार्ड में है। उस तरफ के एक माननीय सदस्य ने जोर-जोर से कहा कि भूख से मौतें हो रही हैं और गरीब लोग बड़ी संख्या में अपने गांव छोड़ रहे हैं। ऐसा उड़ीसा में ही नहीं, बल्कि देश के कई आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : योजना आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की गरीबी का स्तर समय-समय पर नीचे आ रहा है। हमारी सरकार पिछले दो वर्ष से है, इससे पहले दूसरी सरकारें थीं।

श्री रूपचंद पाल : मैं दिया गया जवाब पढ़कर सुनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें पूरा करने दें।

श्री रूपचंद पाल : यह कहा गया था कि उपभोक्ता व्यय संबंधी प्रतिदर्श सर्वेक्षण नहीं हुआ है और पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : वर्ष 1983 में गरीबी स्तर के आंकड़े 45.65 प्रतिशत पर थे। वर्ष 1987 में गिरकर यह प्रतिशत 39.09 और 1993-94 में 39.37 प्रतिशत पर आ गया। अतः प्रतिशत में गिरावट आई है। यह जानकारी योजना आयोग ने दी है।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : यह जानकारी भ्रामक है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : सभी कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। वे बहुत बड़ी-बड़ी राशियां खर्च कर रहे हैं। अतः यदि कोई कहता है कि गरीबी का स्तर ऊपर उठ रहा है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके अलावा, वैज्ञानिक ढंग से किया गया योजना आयोग का सर्वेक्षण मेरे समक्ष है। उन्होंने ब्यौरे दिए हैं। ब्यौरे दर्शाते हैं कि पिछली सरकारों के समय में भी गरीबी स्तर में गिरावट आ रही थी।

प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु : प्रश्न में माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषतः देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी है।

विभिन्न राज्यों में गरीबी स्तरों के आंकड़ों का मूल्यांकन हेतु आंकड़ों की गणना से यह आम धारणा बनती है कि डाटा संग्रहण और आंकड़ों की संगणना में सही तस्वीर पेश नहीं का जा रही है। अधिकांश राज्यों में राजसहायता कार्यक्रम मौजूद हैं। ये कार्यक्रम गरीबी के रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के लिए हैं। चावल या अन्य ऐसी ही मदों पर राजसहायता पाकर लोगों का जीवन स्तर या आय स्तर नहीं बढ़ा है। सरकार द्वारा प्रदान की गई राजसहायता को आय के एक भाग रूप में करके आंकड़ों की संगणना करके विभिन्न राज्यों में गरीबी स्तर निर्धारित किए जाते हैं। यह विवाद पहले लखड़वाला आयोग में भी था। वस्तुतः क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या मैं जान सकता हूं कि गरीबी स्तरों का निर्धारण करते समय डाटा संगणना में सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राजसहायताओं का ध्यान भी रखा जाएगा? राज्य सरकारें राजसहायता प्रदान करने में पैसा लगा रही हैं और भारत सरकार यह राशि मुहैया नहीं करा रही है। यह दोहरी प्रतिकूल स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को हम 25 मिनट दे चुके हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि इन सब चीजों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया बताएं कि गरीबी स्तरों की संगणना के लिए कौन-कौन से घटकों को शामिल किया जाएगा और क्या वह उन राज्यों के साथ न्याय करने के लिए लखड़वाला आयोग की सिफारिशों की पुनरीक्ष करेंगे क्योंकि राज्य इसकी वजह से पहले ही पैसा गंवा चुके हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : इस मुद्दे पर अनेक बार चर्चा हो चुकी। योजना आयोग को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली आबादी का प्रतिशत बदलने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों ने राजकोष से वित्तपोषित खाद्य राजसहायता के मूल्य मंदी के प्रभाव को समाप्त कर गरीबी उन्मूलन हेतु भी अभ्यावेदन किया है।

बाद में, आंध्र प्रदेश सरकार इससे यह कहते हुए कुछ पीछे हट गई कि वह कृतिक बल प्रणाली का कार्यान्वयन चाहते हैं। लखड़वाला आयोग की सिफारिशों और राज्यों के सभी परवर्ती अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा गया। 10 मार्च, 1997 को तत्कालीन प्रधान मंत्री के नेतृत्व में आयोजित योजना आयोग की बैठक में राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर गरीबी के आकलन के लिए लखड़वाला आयोग की रिपोर्ट में निहित कार्यप्रणाली से काम किये जाने की बात कही गई। बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधान मंत्री ने की। श्री वेंकटेस्वरलु भी शायद तत्कालीन सरकार में थे। मैं जिम्मेदारी टालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। जब एक बार निर्णय ले लिया गया है और वह कार्यान्वयनाधीन है, तो मैं नहीं समझता कि वर्ष के बीचों बीच अपनाई जा रही कार्य प्रणाली को बदलने के लिए कोई संभावना बची है। हालांकि, आंध्र प्रदेश से अभ्यावेदन आने के बाद योजना आयोग ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधीन खाद्यान्नों के आबंटन हेतु राज्य द्वारा प्रायोजित खाद्य राजसहायता योजना के लिए राज्य में गरीबी का अनुपात 22.19 प्रतिशत से बढ़ाकर 25.68 प्रतिशत कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों को भी कुछ सीमा तक व्यय का वहन करना पड़ता है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : भविष्य में इसका ध्यान रखना होगा।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मैं आपको कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता। निर्णय लिया जा चुका है। हमें देखना है कि भविष्य में क्या होता है।

श्री पी. एच. पांडियन : भारत में मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में नहीं लाई जा रही काफी बड़ी श्रम शक्ति और मानव संसाधन हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना है। इसी आधार पर उन दिनों तालाबों की सफाई और ग्रामीण सड़कें बनाने के कार्य युवाओं को दिए गए थे। उसी आधार पर आकलन किए गए थे। तालाबों की सफाई के लिए मजदूरी पर लगभग 5 लाख रुपये की लागत का आकलन किया गया था। इस कार्य में ठेकेदारों के प्रवेश के कारण जेसीबी और ट्रैक्टर के उपयोग के बावजूद यही व्यय राशि जारी है। क्या सरकार नदियों और तालाबों की सफाई के लिए दरों के संशोधन का निर्णय लेगी? क्या सरकार गरीबी हटाने के उद्देश्य से युवा मजदूरों को रोजगार देगी ?

अभी–अभी सदस्यगणों ने कहा कि इन ठेकेदारों के प्रवेश के कारण गरीबी की दर बढ़ी है। क्या सरकार तालाबों और नदियों की राफाई की अनुमानित दरों के संशोधन का निर्णय जेसीबी या ठेकेदार के आधार पर न लेकर मजदूरों के आधार पर लेगी ?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : सबसे पहले, मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि गरीबी स्तरों में गिरावट आई है। दूसरे, मशीनों की अपेक्षा लोगों को काम देने संबंधी उनके सुझाव के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरे दिमाग में है और यह मेरे ग्रामीण रोजगार संबंधी सभी कार्यक्रमों का हिस्सा है। यह आवश्यक है कि मशीनों का नहीं बल्कि मजदूरों की सेवाओं का उपयोग किया जाए।

तालाबों की सफाई के संबंध में मेरे पास एक योजना है। मैं इसे बड़े पैमाने पर चलाने के लिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि तालाब काफी पहले बनाए गए थे। इनमें से अधिकांश में गाद इकट्ठी हो चुकी है। मैं इन्हें प्रत्येक राज्य में तालाबों की सफाई के राष्ट्रीय कार्यक्रम में लाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री जस कौर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि गरीबी उन्मूलन के लिए पिछड़े या जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय की कपार्ट संस्था के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की मूलभूत सुविधाएं प्रदाप करने के लिए पिछले तीन वर्षों में कितना धन दिया गया है और कौन–कौन सी संस्थाओं को दिया है? सवाई माधोपुर में किस संस्था को काम दिया है?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : इसके लिए जानकारी एकत्र करनी होगी। मैं जानकारी माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा के साथ-साथ सुरक्षा गलियारा

+

***422. श्री रामजी लाल सुमन :**

श्री जोरा सिंह मान :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार अन्धाधुन्ध गोलीबारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत–पाक सीमा के साथ–साथ सुरक्षा गलियारे के निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सीमापार से होने वाली गोलीबारी से हमारे देश को हो रही क्षति को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) भारत पाक सीमा के साथ–साथ सुरक्षा गलियारा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सीमा पार से बेवजह और अंधा–धुंध गोलीबारी, जम्मू और कश्मीर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा तक ही सीमित है।

जम्मू तथा कश्मीर में सीमा पार से लगातार अंधाधुंध गोलीबारी/गोलाबारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं।

(i) जब कभी पाकिस्तान की ओर से बेवजह गोलीबारी/गोलाबारी की जाती है तो भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल द्वारा पर्याप्त स्तर की जवाबी कार्रवाई की जाती है।

(ii) सीमा सुरक्षा बल और डी.जी.एम.ओ., द्वारा सीमा पार से बेवजह और अंधाधुंध गोलीबारी/गोलाबारी के मुद्दे को क्रमशः अपनी सावधिक बैठकों में और टेलीफोन पर साप्ताहिक बातचीत के जरिए अपने पाकिस्तानी प्रतिपक्ष के साथ उठाया जाता है।

(iii) नियंत्रण रेखा के साथ–साथ रह रहे लोगों को सीमा पार से होने वाली गोलीबारी/गोलाबारी से बचाने के लिए बंकरों का निर्माण करने के लिए जम्मू तथा कश्मीर सरकार को केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसका मेरे प्रश्न से कोई संबंध ही नहीं है। मेरा सवाल था कि भारत–पाक सीमा के साथ क्या कोई स्थाई सुरक्षा गलियारा बनाए जाने का सरकार का इरादा है? मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया है कि जब कभी पाकिस्तान की ओर से बेवजह गोलाबारी की जाती है, तो भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल पर्याप्त स्तर की जवाबी कार्रवाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई कार्रवाई होती है, तभी हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। इससे लगता है कि भारत सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किया है। इस कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। 5.3 की चोटी का सवाल था, उसके अलावा पांच और चोटियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। इसी तरह से हमारी दस हजार एकड़ जमीन नेपाल ने अपने कब्जे में कर रखी हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि चीनी सेना नियंत्रण सीमा को बार–बार पार करती है और दीवांग जिला में कोयरा दर्रे के निकट खच्चर मार्ग बन गया है। हमारे देश से लगे हुए जो दूसरे देश हैं, वहां हमारी सीमा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई स्थाई सुरक्षा गलियारा बनाए जाने का सरकार का विचार है ?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी होना एक नियमित रूप से होने वाला कार्य है। पाकिस्तान आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने के लिए और उन्हें घुसपैठ के लिए उकसाने के लिए लगातार गोलीबारी करता रहता है। वह हमारे सैनिकों की हत्याएं कर रहा है। वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष जम्मू और कश्मीर को इस तरह से उजागर करना चाहता है कि इसके लिए तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप आवश्यक है। यह पाकिस्तान का षडयंत्र है। जब कभी भी पाकिस्तान इस तरह की गोलीबारी का सहारा लेता है तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा तो सीमा सुरक्षा बल और हमारी सेना जवाबी कार्रवाई करती है।

लेकिन जहां तक गलियारे के निर्माण का संबंध है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जिसे उठा रहे हैं वह जनसंख्या विहीन क्षेत्र में है, उसका निर्माण संभव नहीं है। सीमा क्षेत्रों में हमें कई परिवारों को दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानातंरित करना पड़ता है। हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है। जहां पर हम उनका स्थानांतरण करते हैं, वहां पर अपनी आजीविका आसानी से चलाना उनके लिए संभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त, उन्हें रोजगार भी प्राप्त नहीं होता। तथापि, सीमा प्रबंधन संबंधी कृतिक बल ने केवल इस बात की सिफारिश की है कि बाड़ लगाये जाने वाले क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में रिहायशी क्षेत्र नहीं होने चाहिए। राजस्थान और पंजाब राज्य में सीमा क्षेत्र और बाड़ लगे क्षेत्र के बीच कृषि भूमि के अलावा किसी प्रकार की रिहायश नहीं है। जम्मू और कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ–साथ लगायी गयी बाड़ के मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बाड़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के परे कोई गांव स्थित न हो। वस्तुतः गांवों को बाड़ की भीतर लाने का प्रस्ताव है। सुरक्षा गलियारे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का पुनर्वास किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इसके आस–पास कृषि योग्य भूमि का अभाव है। यहां यह बताया जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार उन 33 गांवों को, अन्यत्र बसाने में कठिनाई अनुभव कर रही है जिन्हें सेना ने नियंत्रण रेखा में बेहतर देखरेख के लिए और घुसपैठ को रोकने के लिए

चुना था। सुरक्षा गलियारे और जनसंख्या विहीन क्षेत्र का निर्माण संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सवाल को घुमाने का काम रह रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की सीमा के साथ, बल्कि म्यांमार के साथ भी हमारी सीमा सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका से लिट्टे का आना–जाना लगा रहता है। भारत और चीन की सरकारें स्वयं स्वीकार करती हैं कि नेपाल मार्ग से चीन का सामान हमारे यहां आ रहा है। यह बहुत गंभीर सवाल है कि जब पाकिस्तान गोलाबारी करता है तो हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कोई स्थाई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। कारगिल युद्ध के बाद गठित सुब्रमण्यम कमेटी ने भी स्वीकार किया है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में काफी कमियां रही हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कोई मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था करने के बारे में सरकार क्या प्रयास कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीमा की सुरक्षा का सवाल है, उसकी मुकम्मल सुरक्षा का प्रबंध कई प्रकार से है लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या भारत–पाक सीमा पर सुरक्षा गलियारा बनाने का क्या कोई प्रस्ताव है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध का सवाल नहीं है और यह कोई नेपाल और म्यांमार का सवाल नहीं है। आपने पाकिस्तान सीमा के साथ सुरक्षा गलियारा बनाने की बात पूछी है और उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सुरक्षा गलियारे की कल्पना इस बात से जुड़ी है कि सीमा पर जितने गांव हैं, उनको हटाया जाये और एक प्रकार से नो–पोपुलेशन जोन क्रिएट किया जाये। उसकी दिक्कतें बहुत ज्यादा है। यद्यपि सेना ने भी कहा है कि जम्मू–कश्मीर की सीमा पर हमें कुछ गांवों को हटाना चाहिए लेकिन उसमें भी कठिनाई आ रही है। एक गांव को एक्सपेरीमेंटल तौर पर हम हटाने का निर्णय कर चुके हैं और उसका प्रबंध भी किया गया है। आपका जो मूल सवाल है, वह सिक्योरिटी कारीडोर के बारे में हैं लेकिन जहां तक सुरक्षा प्रबंध का सवाल है, उसके बारे में यह सोचना कि सुरक्षा की व्यवस्था समुचित नहीं है, यह उचित नहीं होगा। पूरी सीमा पर सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया गया है।

श्री जोरा सिंह मान (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि हमारे देश की सीमा कई देशों से मिलती है? अगर हां तो हमारी सीमा कौन–कौन से देशों से मिलती है और हरेक देश से मिलती हुई कितने प्रतिशत सीमा की सुरक्षा का काम रेगुलर आर्म्ड फोर्सेज की चौकसी के अंदर हैं और वह क्षेत्र कितना है जहां अभी भी नियमित रूप से निगरानी नहीं की जा रही है? क्या सरकार ने उन सीमा क्षेत्रों की पहचान की है? देश में तस्करी और इल्लीगल घुसपैठ करके पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी देश को नुकसान पहुंचाने में लगी है। मैं जानना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा सीमा के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव : इस प्रश्न का संबंध केवल सुरक्षा गलियारे से है। यदि माननीय सदस्य कोई दूसरा विस्तृत प्रश्न करें तो विभिन्न मुद्दों से संबंधित एक विस्तृत उत्तर दिया जा सकता है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान मैं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब हम सुरक्षा गलियारे के बारे में बात करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो सेना की तैनाती और सीमा सुरक्षा बल की तैनाती और दूसरा बाड़ लगाना तथा फ्लड लाईट लगाना। यह कार्य जम्मू और कश्मीर से लेकर, गुजरात और निःसंदेह पंजाब तक होना है। सुरक्षा बाड़ लगा दी गई है। लेकिन कुछ स्थान छूटे हुए हैं विशेषकर राजस्थान के रेगिस्तान में। बालू के टिब्बों के जगह बदलने की वजह से ऐसा हो सकता है। ये बहुत ही गरीब स्थान हैं। अतः इतना कार्य करने के बावजूद अब आई.एस.आई. पश्चिम राजस्थान में बहुत सक्रिय होने का प्रयास कर रही है।

अतः मेरा यह तर्क है कि जो भी स्थान छूटे हुए हैं उन पर सुरक्षा बाड़ लगायी जानी चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन छूटे स्थानों पर कब तक बाड़ लगा दी जायेगी क्योंकि वर्ष 2002 तक हमें बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करना है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : पंजाब और राजस्थान में जहां तक बाड़ लगाने का प्रश्न है, सीमा पार से आने वाले भाड़े के सैनिको, आतंकवादियों और नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले लोगों की घुसपैठ और वापसी रोकने के उद्देश्य से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर प्रभावी बाड़ लगाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गयी रणनीति के रूप में पंजाब और राजस्थान राज्यों की भारत–पाक सीमा पर बाड़ लगाने और फ्लडलाइट लगाने का कार्य वर्ष 1988 के बाद से किया जा रहा है। नदी तटीय क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण पंजाब क्षेत्र में क्रमशः 451 कि.मी. लम्बी बाड़ और 465 कि.मी. लम्बी फ्लडलाइट लगाने के कार्य को पूरा कर लिया गया है। राजस्थान क्षेत्र में 1048 कि.मी. लम्बी बाड़ और 1023 कि. मी. लम्बी फ्लडलाइट लगाने के कार्य को पूरा कर लिया गया है। जहां तक गुजरात का संबंध है, सरकार ने बाड़ लगाने के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी है।.....*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मेरा प्रश्न अलग है। पहले छोड़ दिये गये स्थानों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अनुपूरक प्रश्न साधारण है। पहले छोड़ दिये गये स्थानों का क्या होगा? आप इन्हें कब पूरा करेंगे?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : ये स्थान बालू के टिब्बों के स्थान बदलने के कारण हुए हैं। छूटे हुए स्थानों पर एक तार वाली बाड़ का प्रस्ताव किया जा रहा है। निःसंदेह, फ्लडलाइटें भी लगायी जायेंगी।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : इसमें कितना समय लगेगा? आप इसे कब तक पूरा कर लेंगे? बात केवल इतनी है कि इस सदन के दस दरवाजे हैं, और आप नौं दरवाजें बंद कर लें और एक दरवाजा खुला रखेंगे, तो क्या इससे उद्देश्य पूरा हो जायेगा? .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : प्रक्रिया चल रही है। यथाशीघ्र इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा। हम इसे यथाशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कार्य जारी है।

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सीमा पर तार लगाने में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में आपस में सहमति हैं? अगर सहमति नहीं है, तो उसके क्या कारण है? प्रश्न का दूसरा भाग है कि सीमा पर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद पाकिस्तान से कितने घुसपैठिए देश के अंदर आए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : जहां तक परामर्श करने का संबंध है, परामर्श किया जा रहा है और आपस में सहमति भी बनाई जा रही है। आपस में कोई मतभेद नहीं है। जहां तक घुसपैठ की घटनाओं की संख्या के बारे में बात है, वह एक अलग मुद्दा है। माननीय सदस्य इस हेतु अलग से प्रश्न रखें।

श्री एस. बंगारप्पा : प्रश्न इस संबंध में है कि सीमा पर, हमारे देश और पाकिस्तान के बीच, और अधिक सुरक्षा बारादरियां रखी जाएं अथवा उन्हें बना लिया जाए। बेशक, हम त्रिपक्षीय वार्ता के पक्ष में नहीं है। हम द्विपक्षीय वार्ता के पक्ष में है। हमने एकपक्षीय तौर पर ही युद्धविराम की घोषणा की है। वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। यद्यपि इस बात से प्रश्न का कोई सीधा संबंध नहीं, तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि सीमा पार से भी थोड़ी शांति का व्यवहार किया गया है, मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि इस युद्ध–विराम की अवधि के दौरान – जो मात्र एकाध महीने का ही है– क्या और अधिक सुरक्षा–बारादरियां बनाने की आवश्यकता है भी ? और यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं कि चिंता का दायरा उससे कहीं अधिक है जितना हम पहले सोचते थे, तो क्या आप यह महसूस करते हैं कि इस युद्ध–विराम को – जो हमारी सरकार ने एकपक्षीय रूप से ही घोषित कर दिया – आगे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती? मैं इस बारे में जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से किस प्रकार संबंधित है? कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

श्री एस. बंगारप्पा : महोदय, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।

पुलिस संचार हेतु नेटवर्क

***423. श्री विनोद खन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खराब संचार नेटवर्क से पुलिस बलों के कार्य–निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुलिस के संचार नेटवर्क में सुधार करने हेतु क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) इस आशय के कोई संकेत नहीं हैं कि किसी भी राज्य में संचार तंत्र की वर्तमान स्थिति से उस राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को, 1969–70 से लागू राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत उनके पुलिस ढांचे में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) चल रहे आधुनिकीकरण प्रयासों के एक भाग के रूप में और देश में पुलिस संचार प्रणाली के व्यापक विस्तारण के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने पोलनेट नामक एक सेटेलाइट आधारित परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के दिसम्बर, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। यह राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानियों के साथ जोड़ेगी और जिला मुख्यालयों/पुलिस स्टेशन स्तर तक इसके सम्पर्क का आगे विस्तारण किया जाएगा। इससे, प्रत्येक पुलिस स्टेशन देश में किसी अन्य पुलिस स्टेशन के साथ–साथ जिला मुख्यालयों या राज्य की राजधानियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकेगा।

श्री विनोद खन्ना : अध्यक्ष महोदय, यह जानना बहुत सुखद है कि अंततः केन्द्र सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने में संचार–क्षेत्र की भूमिका पर ध्यान दिया। 'पोलनेट' नामक एक उपग्रह–आधारित परियोजना लगाई जा रही है। इस परियोजना के दिसम्बर, 2001 तक पूरा हो जाने का अनुमान है। यह राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानियों के संपर्क में बनाए रखेगा और इस संयोजन को आगे भी बहाल रखते हुए, जिला मुख्यालयों या पुलिस–थानों तक इस संजाल को फैला दिया जाएगा। यह सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है। किंतु, जनता के साथ पुलिस–अभिकरण जिस संचार–सूत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वह है – दूरभाष संख्या 100। कुछेक महानगरों को छोड़कर सामान्यतया इस नम्बर पर बात नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग पुलिस की सहायता नहीं ले पा रहे हैं। मेरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रकार है। क्या राज्यों के पुलिस बलों को और अधिक आधार संरचना और उपस्कर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से, उक्त सुविधा में सुधार करने का सरकार का कोई विचार है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : वास्तव में, पुलिस का आधुनिकीकरण करने की एक योजना है। काफी धनराशि दी जा रही है..... *(व्यवधान)* पुलिस बल के विकासार्थ केन्द्र सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें संचार प्रणाली, बेतार प्रणाली उपस्कर, वाहनादि हरेक चीज के लिए व्यवस्था रखी गई है।

जहां तक पूर्वोत्तर के राज्यों का संबंध है, हम शत–प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं। लेकिन अन्य राज्यों के मामले में, 50 प्रतिशत अनुदान–सहायता और 50 प्रतिशत मृदु ऋण दिया जा रहा है, माननीय सदस्य ने 'पोलनेट' के बारे में पूछा है। यह कहना गलत है कि संचार प्रणाली का स्तरोन्नयन नहीं किया गया था उसमें सुधार नहीं किया गया। संचार–प्रणाली में सुधार किया गया है। अपितु, गांवों तक में भी, सभी पुलिस–थानों को बेतार उपकरणों के माध्यम से जोड़ा गया है।

लेकिन 'पोलनेट' के आ जाने से सभी पुलिस थाने जिला मुख्यालयों से जुड़े रहेंगे, जिला मुख्यालय राज्य मुख्यालयों से और वे राजधानी से जुड़े रहेंगे। इससे संचार–प्रणाली में और अधिक सुधार होगा, तथा कानून और व्यवस्था के लिए यह बहुत लाभप्रद आदान होगा। यह कहना सही नहीं है कि चूंकि टेलीफोन नंबर 100 काम नहीं करता, तो कानून और व्यवस्था भी खराब है। ऐसा नहीं है। पुलिस–थानों को बेतार संचार केन्द्रों, जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों से भी जोड़ा गया है। 'पोलनेट' के आ जाने से, स्थिति और भी सुधरेगी। लक्ष्य के अनुसार, 2001 तक हम ऐसा कर पायेंगे।

श्री विनोद खन्ना : अध्यक्ष महोदय, अब जबकि संचार–प्रणाली को विश्वभर में अपराध–नियंत्रण के मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अधिमान्यता मिल गई है, तो इस क्षेत्र को कितना महत्व प्रदान किया गया है तथा इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा क्या इस वास्ते पुलिस कर्मियों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा? साथ ही, क्या सरकार संचार–प्रौद्योगिकियों में हो रही उन्नति के कारण इस क्षेत्र में उपस्थित चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वर्तमान में पुलिस बल के पास जो प्रौद्योगिकी और संचार–प्रणालियां है, वे अप्रचलित होकर अप्रभावी सिद्ध हो जाएं ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : माननीय सदस्य की व्यग्रता उचित है। संचार–प्रणाली को स्तरोन्नत किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अपराधी भी आज अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण रखने लगे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए आबंटन को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया है। सभी प्रकार के अत्याधुनिक उपकरणों को उपलब्ध कराया जा रहा है और इस प्रकार से संचार प्रणाली को उन्नत किया जा सकेगा।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय मंत्री ने कहा कि संचार–प्रणाली को स्तरोन्नत बनाने के क्रम में, पूर्वोत्तर में पर्याप्त सावधानी बरती गई है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कहीं आतंकवादी गतिविधियां संचालित ने होने लगें यह तर्क देकर आपने पूर्वोत्तर में सेल्यूलर फोन रखने तक की अनुमति नहीं दी है उसमें भी आपत्ति है। हमने इस निर्णय को चुनौती नहीं दी, यह सोचकर कि सरकार स्थिति को संभाव्यता कहीं बेहतर जानती है। लेकिन यह सच है कि सीमा क्षेत्र की चौकियों और बाहरी क्षेत्र की पुलिस चौकियों पर कोई भी आधुनिक संचार–प्रणाली नहीं है। मेरे क्षेत्र में बैठा हुआ कोई आतंकवादी 100 किमी. दूर तेजपुर इलाके से कोई सूचना प्राप्त करने में समर्थ होता है। मुझे यह बात मालूम है। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे यह बताया। लेकिन हमारे पास ऐसी प्रणालियां नहीं हैं। इस तथ्य के चलते, निश्चित ही कोई कार्यवाही की जानी होगी। सीमावर्ती क्षेत्र कितने सुरक्षित और सुसंपृक्त हैं ? मणिपुर और नागालैंड में आपकी सभी गतिविधियों के कारण ये सभी उग्रवादी असम आ रहे हैं, जो एक समय शांतिपूर्ण था। इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण है।

गृह मंत्री जी, मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने शिलांग–सिल्चर सड़क मार्ग पर चल पुलिस लगा दी है। अब वहां अपहरण की घटनायें नहीं होती हैं, रात में कारों और बसों को रोका नहीं जाता है। इसी प्रकार आप पहचान कीजिए हम भी गृह मंत्रालय में थे। हमें मालूम है कि सीमावर्ती क्षेत्र संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में

इस संचार–प्रणाली को लागू करने के लिये कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती ? ऐसा कितनी जल्दी हो पायेगा ? ऐसा नहीं किया गया है। आपने धन दिया होगा। मैं इस बात पर कोई विवाद नहीं करता हूं। लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। धन को किसी और मद में लगा दिया गया होगा। आप इस पर अध्ययन कराइये और कुछ कीजिए।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य की चिंता बाजिव है और पूर्वोत्तर में मोबाइल फोन की अनुमति न दिये जाने के बारे में जो बात उन्होंने उठायी है वह भी जरूरी है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि पहले लिये गये इस फैसले की समीक्षा की जा रही है क्योंकि हर कोण से सोचने पर कुछ क्षेत्रों में मोबाईल फोनों के प्रयोग पर रोक से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ही हो, जरूरी नहीं कि सही फैसला हो।

जहां तक उनके द्वारा उठाये गये दूसरे मुद्दे का संबंध है, मैं सभा को आश्वास्त कर सकता हूं कि उन्हें केवल धन ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हम यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के संपर्क में है कि संचार प्रणालियां सुव्यवस्थित हैं और ठीक से उनकी देखभाल की जा रही है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि पोलनेट प्रणाली को वर्ष 2001 तक पूरी किए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानी से जोड़ेगा और जिला मुख्यालयों और पुलिस थाना स्तर पर भी संपर्क स्थापित होगा और विभिन्न पुलिस थानों के बीच भी संचार स्थापित होने में सहायता मिलेगी।

महोदय, राज्य सरकारें हमेशा कहती हैं कि उनकी स्वायत्तता को चुनौती दी जा रही हैं और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। जहां तक इस संचार प्रणाली का संबंध है। क्या केन्द्र सरकार को इस अच्छी परियोजना को लागू करने से पहले राज्य सरकारों की अनुमति की जरूरत है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, यह बहुत आसान है। असल में यह परियोजना राज्यों के कानून–व्यवस्था तंत्र की ओर उनकी संचार प्रणाली को सहायता देने हेतु शुरू की गयी है। राज्यों के पास इंटरनेट प्रणाली और वे अपनी संचार प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तथा हम उनका वित्त पोषित कर रहे हैं। हम 50 प्रतिशत राशि ऋण और बाकी 50 प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में दे रहे हैं। यह उसी दिशा में किया जा रहा है। राज्यों की सहायता हेतु पोलनेट प्रणाली के बारे में सोचा गया है ताकि पुलिस स्टेशनों से राजधानी की संचार प्रणाली बेहतर हो सके। ऐसा नहीं है कि उनकी कार्य प्रणाली में कोई हस्तक्षेप है। अगर वे केन्द्र को कुछ संप्रेषित करना चाहें, तो यह अच्छा है और उनके लिये लाभदायक है।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में एक बात कही गई है कि 1969–70 में लागू राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि जिस तरह देश में नए–नए किस्म के अपराध होने लगे हैं, क्या उसे देखते हुए आप इस स्कीम को पर्याप्त मानते हैं? थानों में पुराने वायरलैस सैट होने के कारण और अपराधियों द्वारा सैटेलाइट, इंटरनैट और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने के कारण अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपने पोलनेट नामक सैटेलाइट परियोजना बनाई है। यह परियोजना कब स्वीकृत की गई? आपने 2001 में इस परियोजना को पूरा करने की बात कही है, 2001 में इसके पूरा होने की संभावना को देखते हुए आप जिला स्तर पर पुलिस स्टेशन स्तर तक इसके पूरा करने की बात कह रहे हैं– इसमें कितना समय लगेगा ?

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : जहां तक सुधार के संबंध में प्रश्न है क्या हम संतुष्ट हैं या नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि संतुष्टि व्यक्तिनिष्ठ चीज है और हमें कहीं संतुष्ट नहीं होना चाहिये। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें सभी उपकरण, वाहन और पुलिस संचार प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश निश्चित करनी है और हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक पोलनेट प्रणाली का संबंध है, इसे 1999 में अंतिम रूप दिया गया था। यह बहुत जटिल प्रणाली है। जिसके बारे में अब विचार किया जा रहा है और इसलिये इसे पूरा करने में कुछ समय लगेगा लेकिन हमने 2001 तक का समय लिया है। एक प्रौद्योगिकी अध्ययन कराया जायेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस परियोजना में सलाहकार है और हमने दूसरों के वैज्ञानिकों को विश्वास में लिया है। इस आधार पर तकनीकी समिति ने कुछ निविदाओं को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है लेकिन यह दूसरे और तीसरे चरण में जायेगा। इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन निविदा खोलने के बाद हमें उम्मीद है कि क्रयादेश दिये जाने के बाद हम इसे 6 महीने में पूरा कर लेंगे।

श्री राजकुमार वंग्चा : अध्यक्ष महोदय, अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में जहां उग्रवाद की समस्या है, वहां संचार नेटवर्क प्रणाली नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सभी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में समुचित संचार नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार क्या कदम उठायेगी।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है और भारतीय गृहमंत्री ने भी कहा है, हम पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क में है और सुरक्षा संबंधी व्यय को पूरा करने के लिये उन्हें 100 प्रतिशत धन दिया जा रहा है। उनकी संचार प्रणाली को बेहतर बनाया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वास्त कर सकता हूं कि जो की संभव होगा किया जायेगा और चीजें सुधरेंगी।

डा. वी. वी. रमैया : अध्यक्ष महोदय, अपने जवाब में माननीय मंत्री ने सुधरी हुई संचार विधियों के द्वारा विभिन्न पुलिस थानों को जोड़ने के लिये उपग्रह आधारित पोलनेट प्रणाली के बारे में कहा है। आंध्र प्रदेश में कई क्षेत्र नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं और राज्य सरकार ने नक्सलवाद पर नियंत्रण हेतु कई प्रस्ताव भेजे हैं।

केन्द्र सरकार ने किस सीमा तक सहायता दी है? पूर्वोत्तर राज्यों में उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने 100 प्रतिशत सहायता दी है और अन्य राज्यों में केवल 50 प्रतिशत सहायता दी गयी है। जरूरी है कि भारत सरकार को इस क्षेत्र के लिये समूचे खर्च का वहन करना चाहिये।

इसके साथ, मैं माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहता हूं कि सुरंग पहचान करने वाले यंत्र बहुत जरूरी हैं। ये देश के वास्ते सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहे है। आंध्र प्रदेश में राज्य के पूर्व गृह मंत्री की मृत्यु हुई और कई अन्य मामले भी सामने आये हैं। अतः इस प्रणाली के साथ भारत सरकार द्वारा सुरंग पहचान वाले यंत्र भी मुहैया कराये जाने चाहिये। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार या माननीय मंत्री इस मामले में कुछ विशेष कदम उठायेंगे।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, कुल मिलाकर ये सुझाव हैं और मैं इसके लिये माननीय सदस्य का आभारी हूं। हम निश्चित रूप से इन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। लेकिन जहां तक आंध्र प्रदेश, बिहार आदि जैसे 5 राज्यों का संबंध है, हम पहले से ही 50 प्रतिशत सहायता अनुदान दे रहे हैं और यह केवल दुहराव है।

जहां तक सुरंगों का संबंध है, यह केवल एक सुझाव है और हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

***424. श्री किरीट सोमैया** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उर्वरक संयंत्रों की संयंत्र–वार मौजूदा उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ये सभी संयंत्र अपनी पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र–वार, विशेषतः राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स संयंत्र के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की वर्तमान उत्पादन क्षमता अनुबंध–I में दी गयी है।

(ख) और (ग) जी नहीं। फीड स्टॉक के अभाव, अव्यवहार्यता, वित्तीय अड़चनों या सुरक्षा कारणों से 11 संयंत्रों में उत्पादन बन्द कर दिया गया है। ये संयंत्र एफसीआई (गोरखपुर, रामगुण्डम और तलचर), एचएफसी (नामरुप I और II, दुर्गापुर और बरौनी), आरसीएफ (ट्राम्बे I का यूरिया एकक), एचसीएल (खेतड़ी) और पीपीसीएल, (अमझोर और सलादीपुरा) के हैं। अन्य संयंत्र 128 प्रतिशत तक के भिन्न–भिन्न क्षमता उपयोग स्तर पर कार्य कर रहे हैं जैसा कि अनुबंध–II में दर्शाया गया है :–

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापित क्षमता के निम्न–उपयोग के प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	अप्रैल नवम्बर 2000 के दौरान उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण
1	2	3
1.	एफसीआई, सिन्दरी (यूरिया संयंत्र)	यह देश में सर्वाधिक पुराना यूरिया संयंत्र है एवं इसका प्रारम्भण 1951 में हुआ था। इसमें संयंत्र व मशीनरी के पुराने–पन के कारण बार–बार उपकरण खराबियां होती हैं।
2.	एचएफसी : नामरूप III (यूरिया संयंत्र)	संयंत्र का पुनरुद्धार 350 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। इसके मई 2001 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसने उत्पादन को प्रभावित किया है।

1	2	3
3.	एनएफएल नांगल–I (सीएएन संयंत्र)	सीएएन उत्पादन, निम्न–बाजार मांग विशेषकर तम्बाकू फसल अवकाश के कारण घटाया गया था।
4.	एनएफएल नांगल–II (सीएएन संयंत्र)	मई 2000 में, संयंत्र को प्रतिरक्षण के कारण बंद करना पड़ा। जून में बीएफडब्ल्यू इनजैक्सन लाइन में रिसाव था, एवं नए प्रिलिंग टॉवर के प्रांरभण से उत्पादन प्रभावित हुआ।
5.	एनएफएल : भटिंडा (यूरिया संयंत्र)	आक्सीजन कम्प्रेसर की ट्रिपिंग एवं विद्युत समस्या इत्यादि के कारण उपकरण समस्याएं उत्पन्न हुईं।
6.	एनएफएल : पानीपत (यूरिया संयंत्र)	पावर एवं उपकरण ब्रेकडाउन एवं रखरखाव कार्य इत्यादि के लिए वार्षिक टर्न एराउंड के लिए वार्षिक शट डाऊन।
7.	एनएफएल : विजयपुर–I (यूरिया संयंत्र)	पावर एवं उपकरण समस्याओं के अतिरिक्त वार्षिक रखरखाव के लिए शट डाउन।
8.	फैक्ट : कोचीन–I (यूरिया संयंत्र)	सीओ 2 कम्प्रेसर के ओटो ट्रांसफार्मर की विफलता के कारण स्ट्रीम में शट डाउन एवं कामगारों द्वारा अचानक हड़ताल। यद्यपि हड़ताल एक दिन के लिए थी परन्तु इसने संयंत्र के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाला।
9.	आरसीएफ : ट्राम्बे IV (मिश्रित उर्वरक संयंत्र)	गैस आपूर्ति में कमी (जो फीड स्टॉक है) एवं उपकरण ब्रेकड़ाउन ने उत्पादन को प्रभावित किया।
10.	आरसीएफ : ट्राम्बे V (यूरिया संयंत्र)	सिन्थिसिस गैस कम्प्रेसर की विफलता एवं आरसी बॉयलर रिसाव के कारण अमोनिया का अभाव।
11.	आरसीएफ : थाल (यूरिया संयंत्र)	पूरे वर्ष में प्राकृतिक गैस अभाव एवं निम्न कैलोरी गैसों ने उत्पादन को प्रभावित किया।
12.	सेल, राउरकेला (सीएएन संयंत्र)	तम्बाकू फसल अवकाश के कारण सीएएन की निम्न बाजार मांग के साथ साथ पावर एवं उपकरण समस्याएं।
13.	एन एल सी : नवेली (यूरिया संयंत्र)	यूरिया उत्पादन निम्न था क्योंकि पुनरुद्धार के लिए दीर्घकालीन शट डाउन के बाद अमोनिया संयंत्र स्थिर था। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर उपकरण ब्रेकडाउन एवं यूरिया केसेल हुक अप कार्यक्रम के चलाने एवं निम्न अमोनिया उपलब्धता के अतिरिक्त उच्च दक्षता ट्रे को प्रारम्भ करने के लिए और आगे शट डाऊन।
14.	पीपीएल : पारादीप (डीएपी संयंत्र)	विद्युत समस्याएं, फास्फेटिक एसिड, एचडीपीई बैगों की कमी।

अनुबंध-I

अप्रैल–नवम्बर, 2000 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की यूरिया और अन्य उर्वरकों की संयंत्र–वार और उत्पाद–वार वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता नीचे दी गई है :

संयंत्र/एकक का नाम	यूरिया स्थापित क्षमता (000 मी.टन में)	अन्य उर्वरक @ स्थापित क्षमता (000 मी.टन में)
1	2	3
एफसीआई, सिंदरी	330.0	–

1	2	3
एफसीआई, गोरखरपुर	285.0 *	–
एफसीआई, रामागुण्डम	330.0 *	–
एफसीआई, तालचर	330.0 *	–
एचएफसी, नामरुप–I	–	100.0 *
एचएफसी, नामरुप–II	190.0 *	–
एचएफसी, नामरुप–III	385.0	–
एचएफसी, दुर्गापुर	173.0 *	–
एचएफसी, बरौनी	184.0 *	–
एनएफएल, नांगल–I	–	320.0
एनएफएल, नांगल–II	330.0	–
एनएफएल, भटिण्डा	511.5	–
एनएफएल, पानीपत	511.5	–
एनएफएल, विजयपुर–I	853.4	–
एनएफएल, विजयपुर विस्तार	853.4	–
फैक्ट–उद्योगमण्डल	–	373.5
फैक्ट–चैन्नई–I	330.0	–
फैक्ट–चैन्नई–II	–	485.0
आरसीएफ–ट्राम्बे	99.0 *	300.0
आरसीएफ–ट्राम्बे–II	–	361.0
आरसीएफ–ट्राम्बे–I	330.0	–
आरसीएफ–थाल	1485.0	–
एमएफएल–चैन्नई	292.0	840.0
सेल–राउरकेला	–	480.0
एनएलसी–नवेली	153.0	–
पीपीएल–पारादीप	–	720.0
एचसीएल–खेतड़ी	–	188.0 *
पीपीसीएल–अमझौर	–	264.0 *
पीपीसीएल–सलादीपुरा	–	99.0 *

@ अन्य उर्वरकों में पोषक के रूप में डाई–अमोनियम फास्फेट (डीएपी), अमोनियम सल्फेट (ए/एस), अमोनियम क्लोराइड (ए/सी), कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेड (सीएएन), काम्पलेक्स एवं सिंगल सूपर फास्फेट (एसएसपी) शामिल हैं।

* वे संयंत्र जिनका उत्पादन फीड स्टाक अभाव, अनुपलब्धता, वित्तीय कठिनाईयों या सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था।

अनुबंध-II

अप्रैल–नवंबर, 2000 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचलनाधीन उर्वरक संयंत्रों की संयंत्र और उत्पाद–वार वर्तमान क्षमता

संयंत्र/एकक का नाम	यूरिया	अन्य उर्वरक ●
	प्रतिशत क्षमता उपयोग	पोषक के रूप में प्रतिशत क्षमता उपयोग *
एससीआई–सिंदरी	68.6	–
एचएफसी–नामरूप–III	47.3	–
एनएफएल–नांगल–I	–	35.6
एनएफएल–नांगल–II	76.7	–
एलएफएल–भटिंडा	86.6	–
एनएफएल–पानीपत	88.7	–
एनएफएल–विजयपुर–I	93.1	–
एनएफएल–विजयपुर विस्तार	101.9	–
फैक्ट–उद्योगमंडल	–	121.9
फैक्ट–चैन्नई–I	70.2	–
फैक्ट–चैन्नई–II	–	128.4
आरसीएफ–ट्राम्बे	–	123.0
आरसीएफ–ट्राम्बे–II	–	77.1
आरसीएफ–ट्राम्बे–I	93.8	–
आरसीएफ–थाल	88.6	–
एमएफएल–चैन्नई	106.7	99.2
सेल–राउरकेला	–	2.4
एनएलसी–नवेली	58.4	–
पीपीएल–पारादीप	–	80.0

● अन्य उर्वरकों में पोषक के रूप में डाई–अमोनियम फास्फेट (डीएपी), अमोनियम सल्फेट (ए/एस), अमोनियम कलोराइड (ए/सी), केल्शियम अमोनियम नाइट्रेड (सीएएन), काम्पलेक्स एवं सिंगल सूपर फास्फेट (एसएसपी) शामिल हैं।

* चूंकि डी.ए.पी. एवं मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन अन्तः परिवर्तनीय है इसलिये पोषक तत्व के रूप में प्रतिशत क्षमता उपयोग निकाला गया है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सौमैया : महोदय, चैम्बूर स्थित आरपीएफ को ओएनजीसी और गैल से कच्चे पदार्थ यानि गैस की कम सप्लाई की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार गैल या निजी स्त्रोतों से या एनरोन से सप्लाई में वृद्धि किए जाने का है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : स्पीकर साहब, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहां गैस की प्रॉब्लम है। हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, हमारी गेल से बात चली है, लेकिन अकेले गैस की नहीं, उसकी क्वालिटी की भी शिकायत है। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से भी इंटरेक्शन किया है और उसे नेफ्था में चेंज करने का हमारा

प्रोपोजल है। इसके अलावा टाटा से भी बात चल रही है कि वह हमें गैस दे। हम देख रहे हैं कि क्या वह नेफ्था से चल सकता है। उसका जो मार्जिन होगा वह भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी किसी फैसले पर हम नहीं पहुंचे हैं।

श्री किरीट सोमैया : एनरोन के बारे में बताइये।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : एनरोन से भी हमारी बात चल रही है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : महोदय, उत्तर में कहा गया है कि

[हिन्दी]

टोटल 29 कारखाने हैं और उनमें से 11 बंद हो चुके हैं। 13 कारखाने सौ प्रतिशत से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं, सिर्फ पांच यूनिट सौ प्रतिशत से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। उन्हें पुनः एक्टिव करने के लिए क्या किया जायेगा और इससे सरकार को टोटल कितना लॉस हो रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि इम्पोर्ट काफी सस्ता है जिसके कारण ऐसा हो रहा है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि एक साल तक कोई यूरिया इम्पोर्ट नहीं हुआ। हमारे पास पूरा स्टाक है। यूरिया खाद का कोई इम्पोर्ट इस साल नहीं हुआ। हमारी जितनी डिमांड्स हैं वे पूरी हुई है और स्टाक में भी पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो 11 प्लांट्स बंद हैं, उन्हें रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमारी स्कीम है, जो कई स्टेजिज पर है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कारखाने बंद हैं, उन्हें रीस्ट्रक्चरिंग करके चलाने की कोशिश की जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एफ.सी.आई. सिन्दरी और नामरूप दोनों यूनिट्स का जिक्र अपने उत्तर में किया है। एक्सपर्ट कमेटी ने दोनों के एक साथ पुनर्वास के लिए अनुशंसा की थी। लेकिन नामरूप में पुनर्वास के लिए अनुशंसा लागू की गई और एफ.सी.आई. सिन्दरी के लिए लागू नहीं की गई, इसका क्या औचित्य है। एफ.सी.आई. नामरूप की तरह सिन्दरी यूनिट के लिए सरकार रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम कब तक लागू करेगी?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो यूनिट्स बंद है उन सभी की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मि. अखिलेश, यह ठीक नहीं है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : कृभको के साथ भी हमारी बात चल रही है। आपकी कृभको वाली बात ठीक है। वह भी हमारी स्कीम है, लेकिन कृभको पीछे हट गया था। उसे दोबारा कह रहे हैं कि यदि आप इसे चला सकते हैं तो आप ही चलाइये, लेकिन कृभको ने स्वयं कहा है कि हम नहीं चला सकते।

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो 11 उर्वरक केन्द्र आपके मंत्रालय के बंद पड़े हैं, उनमें से एक इकाई गोरखपुर में भी है। गोरखपुर स्थित उस इकाई को चलाने के लिए कृभको ने रुचि दिखाई थी और पब्लिक इनवैस्टमेंट बोर्ड ने अपनी सहमति देकर एक योजना आपके मंत्रालय में भेजी हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों से आपके मंत्रालय में वह फाइल पड़ी हुई है, कब तक उस फाइल को स्वीकृति मिल जाएगी और कब तक कृभको को गोरखपुर में नया केन्द्र लगाने के लिए आपका मंत्रालय स्वीकृति देगा?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि कृभको ने पहले रुचि दिखाई थी लेकिन वह बाद में पीछे हट गया। उनको दोबारा हम कह रहे हैं कि यदि वह लेना चाहे तो हम तैयार हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जाली पासपोर्ट/वीसा घोटाला

***425. श्री रामशेठ ठाकुर :**

श्री पी. आर. खूंटे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में जाली पासपोर्ट और वीसा के अनेक घोटालों का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और उन घोटालों के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आप्रवासी अधिकारी यात्रा दस्तावेजों में जालसाजी की अनेक घटनाओं का पता लगाने में सफल हुए थे।

(ख) प्रमुख पारगमन स्थलों के वर्ष–वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अपराध का पता लगाना, उसकी रोकथाम करना, पंजीकरण करना तथा जांच–पड़ताल करना, मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना, केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

तथापि, सरकार यात्रा दस्तावेजों को जहाँ तक संभव हो सके टैम्पर प्रूफ बनाने की आवश्यकता से अवगत है और भारतीय पासपोर्ट की सुरक्षा विशेषताओं और वीजा स्टिकरों में सतत् आधार पर सुधार किया जाता है। पासपोर्ट में समय–समय पर नई सुरक्षा विशेषताएं भी शामिल की जाती हैं। चूंकि, पासपोर्ट कार्यालय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही वैध पासपोर्ट जारी करते हैं, इसलिए विदेश मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी पुलिस सत्यापन रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हो, राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को लिखा है।

विवरण

वर्ष 1997 से अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के दौरान जाली दस्तावेजों पर यात्रा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की हवाई अड्डा–वार संख्या

वर्ष	दिल्ली	मुम्बई	कलकत्ता	चेन्नै	अमृतसर	त्रिवेन्द्रम	जोड़
1997	420	1483	198	223	70	59	2453
1998	553	1328	217	269	42	57	2466
1999	534	1086	82	175	59	43	1979

वीरप्पन गिरोह

*426. **श्री विजय गोयल :**

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुख्यात चन्दन तस्कर वीरप्पन ने हाल में प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म कलाकार का अपहरण किया था और दक्षिणी राज्यों में उसकी लूटमार जारी है;

(ख) यदि हां, तो अर्धसैनिक बलों की सहायता से इस अपराधी को गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने वीरप्पन और उसके गिरोह के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अर्धसैनिक बलों की सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जाने–माने कन्नड़ अभिनेता डॉ. राजकुमार का अपहरण वीरप्पन द्वारा 30 जुलाई, 2000 की रात को किया गया था और उन्हें 15 नवम्बर, 2000 को रिहा किया गया। डॉ. राजकुमार की रिहाई के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाई है तथा एस.टी.एफ. आपरेशन्स को पुनः सक्रिय किया है। दोनों राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से वीरप्पन और उसके गिरोह के खिलाफ आपरेशन चलाने और अपने संसाधनों को बेहतर बनाने और उनमें मदद देने हेतु सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध के अनुसार, केन्द्र सरकार ने अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती करके, हथियारों और उपस्कारों की आपूर्ति इत्यादि करके आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है।

[हिन्दी]

बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा

*427. **चौधरी तेजवीर सिंह :**

श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों और विश्वविद्यालयों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और इस योजना के अन्तर्गत छात्राओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) "शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति" नामक योजना को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रस्तावित योजना प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक समग्र कार्यक्रम है। इसके तहत आवश्यक आधारभूत सुविधाओं, अध्ययन–अध्यापन सामग्री, प्रोत्साहनों तथा सामुदायिक संचेतना की व्यवस्था जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।

प्रस्तावित योजना के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर कतिपय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अलावा स्नातक स्तर तक शिक्षण

शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा मुक्त अध्ययन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रावधान किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली में पंचायतों को शक्तियां

***428. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली ग्राम पंचायत (संशोधन) विनियम, 1994 की द्वितीय और तृतीय अनुसूची के अनुसार जिला पंचायतों को क्या शक्तियां और कृत्य सौंपे जाएंगे;

(ख) क्या दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कतिपय पदों के सृजन के कुछ प्रस्ताव सन् 1995 से सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) क्या उक्त संघ राज्य क्षेत्रों की पंचायतों को दी जाने वाली वित्तीय शक्तियों के बारे में ग्यारहवें वित्त आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–जी के अनुसार राज्यों के विधानमंडलों को पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार सौंपने के लिए कानून बनाने की शक्तियां सौंपी गई हैं जिससे कि वे स्व–शासन की संस्था के रूप में काम करने में समर्थ हो सकें। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में पंचायतों को अधिकार और कृत्य सौंपें। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपने–अपने पंचायती राज विनियमनों की अनुसूची–2 और 3 के अनुसार जिला पंचायतों को शक्तियां सौंपी हैं।

2. उपर्युक्त दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिला तथा ग्राम स्तरों पर चुनाव आयुक्त कार्यालय (यू.टी.)/पंचायत निदेशालय के लिए तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए कतिपय पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा केंद्र सरकार द्वारा इसे आस्थगित रखा गया था क्योंकि पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

3. ग्यारहवें वित्त आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय शक्तियां देने के बारे में सिफारिशें नहीं की हैं क्योंकि इसे आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं किया गया था।

जम्मू और कश्मीर में युद्धविराम

***429. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में युद्धविराम की घोषणा के पश्चात् मौके की स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी खबरें हैं कि कुछ उग्रवादी ग्रुपों ने घाटी में अपनी हिंसक गतिविधियों में वृद्धि कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके पश्चात् हुई हिंसक घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। रमजान के दौरान प्रधान मंत्री की शान्ति पहल का जम्मू और कश्मीर के लोगों के विभिन्न वर्गों द्वारा स्वागत किया गया है और इससे राज्य में शान्ति की वापसी की संभावनाएं बहुत बढ़ी है। लगभग सभी प्रमुख राजनैतिक दलों और स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग के साथ–साथ मीडिया आदि ने शान्ति पहल की प्रशंसा की है।

तथापि, आतंकवादी गुटों ने पहल को अस्वीकार किया है और उग्रवादी आपरेशन बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आधारित यूनाईटिड जेहाद कौंसिल ने उग्रवादी तंजीमों से अपनी हिंसक कार्रवाईयां जारी रखने को कहा है। यद्यपि, शान्ति पहल 28 नवम्बर, 2000 से लागू हो गई थी, आतंकवादी ग्रुप हिंसक कार्रवाईयां जारी रखे हुए हैं हालांकि जम्मू और कश्मीर में घटनाओं की कुल संख्या में कमी दर्ज हुई है।

28 नवम्बर, 2000 से सुरक्षा बलों द्वारा आक्रमक संघर्ष अभियान रोकने के पश्चात् प्रथम पन्द्रह दिनों में जम्मू और कश्मीर में हिंसा संबंधी उग्रवाद से यह पता चलता है कि 28.11.2000 से पहले 15 दिनों की तुलना में शान्ति पहल के प्रथम 15 दिनों के दौरान समग्र आतंकवादी हिंसा में लगभग 35 प्रतिशत की कमी आई है। मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों और उग्रवादियों की स्थिति में भी पर्याप्त कमी आई है/तथापि, शान्ति पहल से पहले के पन्द्रह दिनों की तुलना में शान्ति पहल के प्रथम 15 दिनों के दौरान जख्मी हुए सिविलियनों

और सुरक्षा बलों की संख्या दोगुनी से अधिक हुई है। इसका मुख्य कारण उग्रवादियों द्वारा आत्मसर्मपण कर चुके उग्रवादियों सहित सार्वजनिक स्थानों पर आई.ई.डी. और ग्रेनेडों का बड़े पैमाने पर प्रयोग, सुरक्षा बलों और आसान लक्ष्यों को निशाना बनाना है।

(ङ) सुरक्षा बलों ने, शान्ति पहल लागू रहने की अवधि के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति तैयार की है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियान जारी रखना, अल्पसंख्यकों, छितरी हुई और सुदूर आबादी की सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षा कैम्पों आदि की सुरक्षा के साथ-साथ भीतरी प्रदेशों में संघर्ष अभियान नहीं चलाना शामिल है। अपराध के साथ-साथ कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर वर्तमान कानूनों के अनुसार कार्रवाई करना भी जारी है।

सुरक्षा परिदृश्य का निरन्तर प्रबोधन किया जा रहा है तथा रमजान शान्ति पहल की अवधि के दौरान उग्रवादियों की किसी भी आक्रमक कार्रवाई पर सुरक्षा बलों को समुचित कार्रवाई करने के लिए पूर्णत सतर्क रहने के अनुदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

***430. श्री राम सिंह कस्वां :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और आज तक राज्य-वार कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार हताहतों की संख्या कितनी थी;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य-वार मृत श्रमिकों के आश्रितों और घायल श्रमिकों को कितनी राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(च) सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए/किए जा रहे नए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) से (च) कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में 1997, 1998, 1999 तथा 2000 (नवम्बर, 2000 तक) के दौरान हुई सांघातिक दुर्घटनाओं की संख्या, उसमें हुई मौतें तथा अदा की गई मुआवजे की राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	मद	असम	बिहार	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
1997	दुर्घटनाएं	1	44	4	24	7	1	18
	मौतें	1	51	4	25	7	2	21
	मुआवजा	189560	7853873	577030	2781693	863503	372600	3006319
1998	दुर्घटनाएं	2	35	12	17	5	0	20
	मौतें	2	40	13	19	8	0	22
	मुआवजा	338122	6185220	2040162	3061832	1433667	0	2880438
1999	दुर्घटनाएं	1	36	7	25	7	0	13
	मौतें	1	38	7	28	7	0	22
	मुआवजा	149670	5617740	1179465	4704963	1041732	0	3131902
2000	दुर्घटनाएं	1	23	7	22	1	2	15
(नव.	मौतें	1	31	16	24	1	2	16
तक)	मुआवजा	15000*	3853886	2741999	3519300	197060	30000*	2299498

टिप्पणी : वर्ष 2000 के दुर्घटनाओं/मौतों के आंकड़े डी.जी.एम.एस. के साथ मिलान के अध्यधीन हैं।

* अनुग्रहपूर्वक प्रदत्त मुआवजे पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रत्येक सांघातिक दुर्घटना की कंपनी के आतंरिक सुरक्षा संगठन (आई एस ओ) तथा खान सुरक्षा महानिदेशक (डी.जी.एम.एस.) के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।

प्रत्येक सांघातिक दुर्घटना के कारण और परिस्थितियां तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले आवश्यक निवारण उपाय आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कोल इंडिया लि. के कोयला खनन कार्यों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित नए उपाय शुरू किए गए हैं :

1. रॉक–मॉस–रेटिंग अध्ययनों पर आधारित वैज्ञानिक अवलम्ब प्रणालियों द्वारा भूमिगत खानों में विकास कार्यों में छत अवलम्ब प्रणाली का डिजाइन।
2. भूमिगत खानों में इस्पात अवलम्ब का क्रमिक उपयोग।
3. भूमिगत खानों में विकास कार्यों में अवलम्ब हेतु जल्दी सैट होने वाले सीमेंट कैप्सूल रुफ बोल्टों का अधिक इस्तेमाल करना।
4. जमीन से नीचे वाली खानों में लोडिंग संबंधी कार्यों के यंत्रीकरण द्वारा एस.डी.एल.एस. एवं एल.एच.डी.एस. का उपयोग बढ़ाकर कार्मिकों को खानों संबंधी खतरों से बचाना।
5. भूमिगत खानों में जहां कामगार स्किन–टू–स्किन इस्पात की छत संबंधी अवलम्ब के अंतर्गत कार्य करते हैं, वहां शक्तिशाली अवलम्ब सहित पूंजीगत दृष्टि से उपयुक्त यांत्रिक लांगवाल माइनिंग के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
6. श्रमिकों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए श्रमिकों, पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण पुर्नप्रशिक्षण पर जोर देना।
7. ओपनकास्ट खानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य–योजना तैयार की गई है।

कोल इंडिया लि. की खानों में डी.जी.एम.एस. द्वारा निरूपित सुरक्षा मानदंडों/नियमों को क्रियान्वित किया जाता है। कोल इंडिया में सुरक्षा बोर्ड की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं जिसमें डी.जी.एम. एस. का प्रतिनिधित्व भी होता है। मैनेजमेंट, डी.जी.एम.एस. तथा ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठकें सहायक कंपनी स्तर पर वर्ष में दो बार तथा कोलियरी/यूनिट स्तर पर वर्ष में एक बार होती है। इसी प्रकार, प्रभारी मंत्री (कोयला) की अध्यक्षता वाली सुरक्षा स्थायी समिति की बैठकें, कोयला मंत्रालय में, वर्ष में दो बार होती है, जिसमें खान सुरक्षा महानिदेशक तथा श्रम मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

[अनुवाद]

भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास

***431. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :**

श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है और उनका पुनर्वास कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुआवजे हेतु 10,29,431 दावे दायर किए गए थे, जिनमें से 30.11.2000 तक 10,22,670 मामले निपटा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दावेदारों के हाजिर न होने के कारण जो मामले पहले अस्वीकृत कर दिए गए थे, उनकी बहाली के लिए 18,883 आवेदन लंबित हैं। अतः कुल 25,644 मामले लंबित हैं।

मध्य प्रदेश सरकार भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें उनके लिए अस्पताल, गृहों का निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम की सभी योजनाएं पूरी नहीं की गई हैं। चिकित्सा पुनर्वास से संबंधित योजनाओं में विलम्ब अस्पताल उपकरणों हेतु तकनीकी और वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ है। यह कार्य योजना दिसम्बर, 2000 तक पूरी कर लेने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है।

विश्वविद्यालयों में सभी धर्मों के बारे में पाठ्यक्रम

***432. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी देशों के धर्मों और नीति शास्त्रों का संकाय था;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार प्रत्येक धर्म की अच्छाइयों को दर्शाने वाले सभी धर्मों के पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न धर्मों से संबंधित पाठ्यक्रम पहले ही बहुत–से विश्वविद्यालय चला रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों और उनके द्वारा इस विषय पर चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी प्रस्ताव जब भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त होंगे तो उन पर विचार किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न विश्वविद्यालयों में धार्मिक अध्ययन पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम/विषय
1	2
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	इस्लाम धर्म अध्ययन, शिया धर्म शास्त्र और सुन्नी धर्म शास्त्र
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	बौद्ध धर्म अध्ययन, धर्म शास्त्र, वेद
कलकत्ता विश्वविद्यालय	इस्लाम धर्म इतिहास और संस्कृति
दिल्ली विश्वविद्यालय	बौद्ध धर्म अध्ययन
गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	गुरू नानक वाणी अध्ययन
जामिया मिलिया इस्लामिया	इस्लाम धर्म अध्ययन
जम्मू विश्वविद्यालय	बौद्ध धर्म
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	धर्म शास्त्र, वेद
कर्नाटक विश्वविद्यालय	जैन धर्म
मद्रास विश्वविद्यालय	ईसाई धर्म अध्ययन, शैव सिद्धान्त, वैष्णव मत
मगध विश्वविद्यालय	बौद्ध धर्म अध्ययन
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय	वैदिक विज्ञान
मैसूर विश्वविद्यालय	ईसाई धर्म, जैन धर्म
नागार्जुन विश्वविद्यालय	बौद्ध धर्म अध्ययन
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	गुरूनानक सिक्ख अध्ययन, वैदिक अध्ययन
पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	गुरू गोविन्द सिंह धार्मिक अध्ययन
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	तुलनात्मक धर्म और दर्शन
संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	धर्म शास्त्र, वेद विभाग, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन
श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	धर्म शास्त्र

1	2
विश्व भारती, शांति निकेतन	दर्शन एवं धर्म
सम-विश्वविद्यालय	
जैन विश्व भारती संस्थान	जैन धर्म एवं तुलनात्मक धार्मिक दर्शन
जामिया हमदर्द	इस्लाम धर्म अध्ययन
गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	योग शिक्षा
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	वेदान्त

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों और पंचायतों की भागीदारी

*433. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे क्षेत्र कौन से हैं जिन पर ग्रामीण विकास के लिए बल दिया गया है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु गैर–सरकारी संगठनों और पंचायतों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य–वार इस हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है जिनमें पंचायती राज संस्थाओं के जरिए मूलभूत सुविधा एवं पर्यावास विकास, गरीबी उपशमन, भूमि संसाधन प्रबन्ध तथा लोगों की अधिकारिता पर बल दिया जाता है। कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस), इंदिरा आवास योजना और ग्रामीण आवास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी), केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी आर एस पी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी डी पी) और समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी) शामिल हैं।

2. ये योजनाएं 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठित की गई थीं ताकि उन पर अधिक ध्यान दिया जा सके और कारगर बनाया जा सके। पुनर्गठित कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों में लोगों की सक्रिय भागीदारी और विकेन्द्रित लोकतांत्रिक प्रशासन की परिकल्पना की गई है और इसलिए इनमें पंचायती राज संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठनों की अधिक भागीदारी का प्रावधान है। योजना के विस्तृत दिशा–निर्देशों को मंत्रालय के बेवसाइट में डाल दिया गया है जिसका पता डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.रूरल.निक.इन है।

3. हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पर्क (ग्रामीण सड़क), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और पोषाहार आते हैं।

4. गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए दी जाने वाली निधियां सामान्यतः ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली एक पंजीकृत सोसाइटी–कपार्ट के जरिए दी जाती हैं। निधियों को राज्यवार आबंटित नहीं किया जाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए कपार्ट ने वर्ष 1997–98 के दौरान 39.04 करोड़ रुपए, 1998–99 के दौरान 23.13 करोड़ रुपए और वर्ष 1999–2000 के दौरान 28.77 करोड़ रुपए खर्च किए। पंचायती राज संस्थाएं और गैर–सरकारी संगठनों को राज्यों के प्राधिकारियों द्वारा वाटरशेड कार्यक्रमों के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में काम पर लगाया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को अन्य ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन में भी शामिल किया जाता है और चयनित पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से निभाने में सहायता देने के लिए क्षमता निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रौद्योगिकी की भागीदारी

*434. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 2000 के 'दि स्टेट्समैन' में "एम.एन. सीज नॉट कीन टू शेयर टेक्नोलॉजी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सरकार के साथ प्रौद्योगिकी में भागीदारी करने से इन्कार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने और उनमें अद्यतन अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियो को अपनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। अब तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एमएनसीज) ने प्रौद्योगिकी की लाइसेंसिंग की सामान्यतया आयातों पर अधिक टैरिफ तथा परिमाणात्मक प्रतिबंधों पर आश्रित बाजारों में पहुंच बनाने के साधन के रूप में लाभ उठाया। तथापि, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आविर्भाव से परिमाणात्मक प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है तथा आयातों पर टैरिफ कम हुआ है। अतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लाईसेंसित उत्पादन के माध्यम की अपेक्षा बाजार में सीधी पहुंच बनाने का प्रयास कर रही हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। आधुनिकीकरण एक सतत् गतिविधि है और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए सरकार संसाधनों का विशेष रूप से आबंटन कर रही है। प्रयोग-शालाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संयोजी रसायन, प्रकार्यात्मक जीनोमिक्स, द्रुत आदिप्ररूपण इत्यादि जैसे नवीनतम अनुसंधान एवं विकास कियाकलापों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2000 में प्रधान मंत्री ने 87वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में यह घोषणा की थी कि अगले पांच वर्षों में अनुसंधान एवं विकास में राष्ट्रीय निवेश सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) के दो प्रतिशत तक बढ़ा दिए जाएंगे। तदनन्तर केन्द्रीय बजट 2000 में देश में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50-50 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली नई सहस्त्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) तथा 'दूरदृष्टि' प्रौद्योगिकी परियोजनाएं नामक दो नई योजनाओं की घोषणा की गई।

[हिन्दी]

औषधियों के मूल्य

***435. श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों के दौरान औषधियों के अनुसंधान पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सस्ती/उचित दरों पर औषधियां उपलब्ध कराने और औषधि विक्रेताओं को अनुचित मुनाफा कमाने से रोकने के लिए उन पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की औषधियां सस्ती/उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) दवाइयों के अनुसंधान एवं विकास हेतु संसाधन अधिकांशतः निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा स्वयं वहन किए जाते हैं। कंपनियां सरकारी प्रयोगशालाओं आदि या उनके पास परियोजनाओं संबंधी सहयोगपरक कार्य में उपलब्ध अनुसंधान के लाभ पाने के लिए स्वतंत्र हैं। देश में दवाइयों पर अनुसंधान के संबंध में खर्च की गई धनराशि के वर्षवार आंकड़ों का रखरखाव सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। देश में भेषज उद्योग की अनुसंधान एवं विकास क्षमता को सुदृढ़ करने और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास करने के लिए भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा अपेक्षित सहायता का पता लगाने के लिए उपायों सिफारिश करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सी एस आई आर के महा निदेशक, डा. आर. ए. माशेलकर की अध्यक्षता में गठित भेषजीय अनुसंधान एवं विकास समिति (पी आर डी सी) ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ देश में भेषज उद्योग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भेषजीय अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पी आर डी एस एफ) स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) वर्तमान औषध नीति में उचित मूल्यों पर गुणवत्ता के औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने का निदेश दिया गया है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध 74 प्रपुंज औषधों एवं उनके सूत्रयोगों के मूल्य इस आदेश के उपबंधों के अन्तर्गत निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों पर खुदरा व्यापारियों के लिए कारोबार लाभ (मार्जिन) उत्पाद शुल्क को छोड़ कर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) का 16 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यदि कोई अधिक वसूली की जाती है तो अधिक वसूली गई धनराशि को वसूलने के लिए चूककर्ता के खिलाफ डीपीसीओ के पैरा 13 के तहत कार्रवाई की जाती है। डीपीसीओ, 95 के पैरा 14(4) और पैरा 15(3) के अनुसार प्रत्येक खुदरा व्यापारी और डीलर (खरीद-फरोख्त करने वाले) द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित करना भी अपेक्षित है। डीपीसीओ, 95 गैर अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के संबंध में कोई कारोबार लाभ निर्धारित नहीं करता है। दवाइयों में गुणवत्ता और मानकों का प्रवर्तन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के उपबंधों के जरिए किया जाता है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

*436. **कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठों को सम–विश्व–विद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा संगठनों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों में भर्ती हेतु इन सम–विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की गई डिग्रियों के समकक्ष माने जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत केवल दो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठों को 1987 में सम विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ख) श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति।

(ग) से (ङ) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ द्वारा जारी किए गए डिग्री प्रमाणपत्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय जिसने अभी तक विद्यापीठ की आचार्य डिग्री को (एम.ए. के समकक्ष) मान्यता प्रदान नहीं की है, को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के डिग्री प्रमाण पत्रों के समकक्ष मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के डिग्री प्रमाणपत्र इस समय 27 विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त हैं। दोनों राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठों और केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों द्वारा जारी किए गए डिग्री प्रमाण पत्र रोजगार के प्रयोजन तथा सभी रक्षा प्रतिष्ठानों के धार्मिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इन विद्यापीठों के डिग्री प्रमाण पत्रों को सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से मान्यता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती तथा समकक्षता के प्रयोजनार्थ प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कोयला हेतु रायल्टी का नया ढांचा

*437. **श्री जी.एस. बसवराज** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता ढांचे पर आधारित ऊष्मीय मूल्य के अनुरूप कोयले के लिए रायल्टी का एक नया ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) रायल्टी के ढांचे में पिछली बार किस तारीख को संशोधन किया गया था ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोयले पर रायल्टी की दरें पिछली बार 11.10.1994 को संशोधित की गई थीं।

अरब सागर के निकट रासायनिक प्रदूषण

*438. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने अरब सागर तट के निकट कुछ क्षेत्रों में रासायनिक प्रदूषण के बड़े स्त्रोतों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संस्थान पूर्वी तट पर ऐसे रासायनिक प्रदूषण के बारे में सतर्क नहीं रहा है;

(घ) इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो संस्थान द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में रासायनिक प्रदूषण के स्तर पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) महासागर विकास विभाग, तटीय समुद्र मानीटरी एवं पूर्वानुमान प्रणाली (कोमैप्स) के अन्तर्गत 1991 से भारत के तटीय सागर में समुद्री प्रदूषण की मानीटरी कर रहा है। 25 प्रदूषण एवं संबंधित प्राचलों पर आंकड़े समुद्र में 25 किलोमीटर तक 85 स्थानों पर तट के किनारे एकत्र किए जाते हैं। इसके परिणाम संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे

जाते है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रासायनिक एवं अन्य प्रदूषण के स्त्रोंतों का पता लगाने एवं नियमानुसार आगे कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है।

कोमैप्स कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान केरल में कोच्चि से गुजरात में ओखा तक अरब सागर तट में समुद्री प्रदूषण के स्तरों की मानीटरी कर रहा है। पिछले दस वर्षों के दौरान प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि रासायनिक प्रदूषण का स्तर, माहीम, थाणे, उल्हास एवं वरसोवा की तरह मुम्बई में एवं इसके आस पास कुछ सकरी खाड़ियों में अधिक पाया गया है।

कोमैप्स कार्यक्रम के अन्तर्गत, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पूर्वी तट पर कृष्णापतनम से कलिंगपतनम तक भी समुद्री प्रदूषण की मानीटरी कर रहा है। प्राप्त परिणामों से किसी शोचनीय स्तर के रासायनिक प्रदूषण का पता नहीं चलता है।

भारत के तटीय समुद्रों में रासायनिक एवं अन्य प्रदूषकों को मानीटर करने के लिए वर्तमान कोमैप्स कार्यक्रम जारी रहेगा।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

***439. श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को चलाने हेतु कितना वार्षिक आबंटन किया गया है;

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के पास कितने पेटेंट हैं और कितने पेटेन्टों का व्यावसायिक दोहन किया गया है और उनसे कितनी धनराशि अर्जित की गई है;

(ग) क्या उक्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थानों से उद्योग को लाभ मिल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं पर सख्त वित्तीय अनुशासन लागू करने का है जो परिणाम दिखाने में असफल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1999–2000 में सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को चलाने हेतु सरकार द्वारा 799 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया।

(ख) नवम्बर, 2000 तक सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के पास 636 भारतीय और 169 विदेशी पेटेन्ट थे। तिरासी भारतीय और ग्यारह विदेशी पेटेन्टों का लाईसेंसिंग/असाइनमैंट्स के माध्यम से व्यावसायिक दोहन किया गया। जबकि पेटेन्ट जानकारी/प्रौद्योगिकी का मात्र एक अंग हो सकते हैं, वर्ष 1999–2000 में संविदागत अनुसंधान एवं विकास, परामर्श तथा प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग से 240 करोड़ रुपये की बाह्य आय हुई।

(ग) जी हां। सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं उद्योग को प्रौद्योगिकी विकास तथा उन्नयन, आयात प्रतिस्थापन, लागत में कमी, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण प्रशमन, समस्या निदान इत्यादि जैसे विविध तरीकों से सहायता उपलब्ध कराती हैं। सीएसआईआर की जानकारी के आधार पर वर्ष 1999–2000 में औद्योगिक उत्पादन 4400 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ) सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से राजकोषीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) संस्था द्वारा इसका आवधिक अनुवीक्षण किया जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

***440. श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट, 2000 में यह सिफारिश की है कि अर्ध सैनिक बलों और सेना को भी मृत्यु अथवा बलात्कार की किसी भी घटना, जो उनकी हिरासत में होती है के संबंध में सीधे आयोग को सूचना देनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 1998–99 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 1997–98 तथा वर्ष 1996–97 की अपनी रिपोर्टों में भी यह सिफारिश की है कि अर्ध–सैनिक बलों और सेना को भी उनकी हिरासत के दौरान होने वाली मृत्यु या बलात्कार की किसी भी घटना को सीधे मानवाधिकार आयोग को सूचित करना चाहिए।

सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 19 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मानवाधिकार आयेग या तो अपने प्रस्ताव पर अथवा कोई याचिका प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मंगा सकता है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, वह, या तो शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं

करेगा अथवा जैसा भी मामला होगा, सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए उक्त प्रकिया अपनाई जा रही है।

जगदीश सागर समिति की रिपोर्ट

4554. श्री एस. पी. लेपचा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह–उद्योग संबंधी जगदीश सागर समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या–क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली के औद्योगिक कामगारों ने सरकार से इस समिति की रिपोर्ट को लागू करने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जगदीश सागर समिति की सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। समिति की सिफारिशों के संदर्भ में सरकार प्रदूषण मानकों बाबत सुरक्षा उपायों के अनुपालन की शर्त पर घरेलू उद्योगों को पुनः परिभाषित करने के लिए सिद्धान्ततः सहमत हो गई है।

विवरण

घरेलू उद्योगों के बारे में जगदीश सागर समिति की सिफारिशों का सारांश समिति सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है :–

(i) घरेलू उद्योगों की सूची को मास्टर प्लान में पूर्ववत स्थान दिया जायेगा क्योंकि यह सूची सामान्य पथदर्शक प्रयोजन का निर्वाह करती है। यह सूची संशोधित की जायेगी तथा उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित विस्तृत सूची के आधार पर उसका विस्तार किया जाएगा। तथापि, मास्टर प्लान में शामिल सूची को व्यापक सूची की बजाय उद्योगों की व्यंजनात्मक (सजेस्टिव) सूची माना जाएगा और मास्टर प्लान में इसका स्पष्ट उललेख किया जाएगा।

(ii) यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि ऐसे किसी भी घरेलू उद्योग को जो (क) प्रदूषण बाबत किसी सांविधिक मानक का उल्लंघन करता है अथवा (ख) किसी ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री का लाइसेंस प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना भण्डारण करता है तो उसे चलाये रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लाइसेंस प्राधिकारी (i) भंडारण किए जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों (ii) भण्डारण के स्थान और वहां अभिरक्षण उपायों तथा (iii) भण्डारण की जाने वाली सामग्री की मात्रा के बारे में दिल्ली अग्निशमन सेवा का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(iii) एक घरेलू उद्योग में कामगारों की अधिकतम संख्या यथावत पांच रखी जाएगी।

(iv) घरेलू उद्योगों के लिए विद्युत लोड प्रतिबंध सिंगल फेस कनेक्शन के साथ बढ़ाकर पांच किलोवाट किया जाएगा, आगे यह भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि औद्योगिक प्रयोजनों और घरेलू कार्यों के लिए अलग–अलग कनेक्शन लेने होंगे।

(v) घरेलू उद्योग को रिहायशी मकान के 25 प्रतिशत फर्शी स्थान या 30 वर्ग मीटर जो भी कम हो, तक सीमित रखने का वर्तमान प्रतिबंध बनाए रखा जाएगा। परन्तु किसी घरेलू उद्योग को केवल भूतल तक ही प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा अपितु उसे अन्य संगत प्रतिबंधों की अनुरूपता के साथ किसी भी तल पर चलाए जाने की अनुमति दी जाएगी।

फॉस्फेटिक उर्वकर संयंत्र पारादीप का पुनरुद्धार

4555. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा ने पारादीप स्थित फॉस्फेटिक उर्वरक संयंत्र (पी.एफ.पी.) के पुनरुद्धार के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से कुछ राहतों एवम् रियायतों के अतिरिक्त सरकार सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की दोनों स्ट्रीमों के पुनरुद्धार और पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र हेतु महत्वपूर्ण उपस्कर की खरीद के लिए नियमित योजना बद्ध सहायता प्रदान कर रही है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कम्पनी लिमिटेड

4556. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कम्पनी लिमिटेड के कामगारों को उनकी बकाया 135 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह भुगतान कब तक किया जाएगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) एच.एस.सी.एल. को व्यवहार्य बनाने के लिए आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) ने 6 जुलाई, 1999 को एक पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन प्रस्ताव अनुमोदित किया था। सी सी ई ए द्वारा स्वीकृत विभिन्न राहतों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस पैकेज की एक मुख्य विशेषता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से 6000 कर्मचारियों को पृथक करना है। 6,000 कर्मचारियों को पृथक करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से 318.36 करोड रुपए की ऋण राशि जुटाने के लिए सरकार ने एच एस सी एल को प्रत्याभूति तथा पूरी राजकीय सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त पैकेज के कार्यान्वयन तथा विशेष रूप से काफी कम की गई जनशक्ति से, ऐसी आशा है कि कंपनी की लाभप्रदता में सुधार होगा तथा यह अपने कर्मचारियों को वेतन तथा मजदूरी और अन्य सांविधिक देयताओं को पूरा करने में समर्थ होगी।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस

4557. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली पुलिस से बर्खास्त किए गए कर्मियों को दिल्ली तथा उसके लगे राज्यों में असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए;

(ग) क्या इन कर्मियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने कोई ठोस योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां। अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा इस बारे में उठाए गए कदमों में बरखास्त किए गए पुलिस कार्मिकों के बारे में आसूचना एकत्र करना और इस प्रकार की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी रखना और पड़ोसी राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संपर्क रखा जाना शामिल है।

विवरण

क.सं.	बरखास्त किए गए पुलिस कार्मिक का नाम और पता	रैंक	मामले जिनमें संलिप्त हैं	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	जोगिन्दर सिंह उर्फ जग्गा पुत्र श्री होशियार सिंह निवासी ग्राम पोस्ट आफिस पूठकलां, दिल्ली	कांस्टेबल	1. एक्स अधिनियम की धारा 61/1/14 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 235 दिनांक 9.7.97 पुलिस थाना अलीपुर 2. भारतीय दंड संहिता की धारा 411 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 682 दिनांक 7.7.97 पुलिस थाना एस.एस.पुरी	मर चुका है
2.	दिनेश पुत्र ईश्वर सिंह निवासी देवी दुर्गा मन्दिर, 3–हकीकत नगर, दिल्ली	कांस्टेबल	भा.दं.सं. की धारा 342/323/506क के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 365 दिनांक 6/12/98 पुलिस थाना, मुखर्जी नगर	विचारणाधीन

1	2	3	4	5
3.	जगमाल सिंह	सहायक उप निरीक्षक (आई.जी.आई. ए. से बरखास्त)	भा.दं.सं. की धारा 498क/406 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245 दिनांक 16.11.99 पुलिस थाना द्वारका, नई दिल्ली	मामला रद्द कर दिया गया है।
4.	चन्दर सेन	सहायक उप–निरीक्षक (पुलिस थाना मालवीय नगर)	भा.दं.सं. की द्वारा 304/325/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं 224 दिनांक 14.11.99 पुलिस थाना कापसहेड़ा; दिल्ली	विचारणाधीन
5.	बलवान सिंह पुत्र हुकम चंद निवासी गांव बवाना, दिल्ली	(डी.वी.आर) कांस्टेबल	भा.दं.सं. की धारा 379/411/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 321 दिनांक 1.10.99 पुलिस थाना एन.आई.ए	विचारणाधीन
6.	जगवीर सिंह सं. 1556/डी.ए.पी.	कांस्टेबल	भा.दं.सं. की धारा 341/323/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141 दिनांक 9.11.99 पुलिस थाना जे.पी.कलां, नई दिल्ली	विचारणाधीन
7.	जगवीर उर्फ जग्गो पुत्र भीम सिंह गांव मुण्डका दिल्ली	कांस्टेबल	भा.दं.सं. की धारा 302/307/377/ 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1019/99 पुलिस थाना नांगलोई, दिल्ली	
8.	सतबीर सिंह पुत्र मनफूल सिंह निवासी एच–33, पी.सी. मॉडल टाउन, दिल्ली	हेड कांस्टेबल	भा.दं.सं. की धारा 451/506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 176 दिनांक 17.5.2000 पुलिस थाना, मुखर्जी नगर, दिल्ली	विचारणाधीन
9.	नलवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय कर्ण सिंह, निवासी गांव जोन्टी, दिल्ली	कांस्टेबल	भा.दं.सं. की धारा 307/34,25/27/ 54/59 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 71 दिनांक 13.4.2000 पुलिस थाना कंझावला	विचारणाधीन
10.	दिलीप कुमार पुत्र मुंशी राम निवासी गांव और डाकखाना–बादशाहपुर, गुडगांव	कांस्टेबल	भा.दं.सं. की धारा 364-क के अंतर्गत सूचना रिपोर्ट संख्या 937/2000 दिनांक 13.10.2000 पुलिस थाना मालवीय नगर, दिल्ली।	विचारणाधीन

[अनुवाद]

आपद्-शमन स्थिति

4558. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि आंध्र प्रदेश सरकार विश्व–बैंक से सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश आपद्–शमन तथा चक्रवात संबंधी आपात–कालीन समुत्थान परियोजना के अन्तर्गत् आपद्–शमन संबंधी अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दोनों अध्ययनों में वर्षा, आंधी, तूफान की तीव्रता, चक्रवात के मार्ग, भू–स्खलन, बाढ़ की पूर्व सूचना तथा दूर संचार चेतावनी इत्यादि का बिल्कुल ठीक पूर्वानुमान करने के लिए मापांको को विकसित करने की परिकल्पना की गई है जिससे कि जिला–प्रशासन को इस जानकारी के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सचेत करके होने वाले जान–माल के नुकसान से बचा जा सके;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ए.पी.एस.आर.ए.एस. के जरिए बंधित मानचित्रों के "डेजिटाइजेशन" (मापांकन) हेतु आवश्यक संसाधनों के नियोजन की मंजूरी देने का अनुरोध किया है ताकि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की परिधि के भीतर कार्य को संपन्न किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विद्यावाहिनी नेटवर्क

4559. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश को विश्व नेटवर्क–शिक्षा की अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए 'विद्यावाहिनी नेटवर्क' (टी.वी. नेटवर्क) बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ, निजी इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी पूंजी–निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'विद्यावाहिनी नेटवर्क' का प्रथम चरण कब से क्रियान्वित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (घ) जी, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मानव संसाधन विकास क्षेत्र के लिये सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल की रिपोर्ट के भाग–3 में उच्च गतिमान राष्ट्रीय नेटवर्क बेक बोन के रूप में विद्यावाहिनी का प्रस्ताव किया गया था। पिछले 6-8 महीनों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में सरकार द्वारा की गयी विभिन्न पहलों को ध्यान में रखते कार्यबल की इस सिफारिश के अनुपालन का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एच.ओ.सी.एल. का विलय

4560. श्री पी.सी.थामस : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल.) की कोचीन स्थित इकाई का बी.पी.सी.एल. अथवा कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड में विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच.ओ.सी.एल. की कोचीन इकाई में कार्य कर रहे कार्मिकों को इस प्रकार के विलय के फलस्वरूप कोई लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में, एच.ओ.सी.एल. को अन्य और कौन–कौन से लाभ होंगे;

(च) क्या ऐसे विलय की स्थिति में, कार्मिकों के वेतनमान संशोधन पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो एच.ओ.सी.एल. के कार्मिकों का वेतनमान शीघ्र संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) कंपनी की कोचिन इकाई की कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ विलय के लिए कोचिन इकाई की एच ओ सी एल संयुक्त कार्रवाई परिषद तथा अन्यों से प्राप्त हुए एक प्रस्ताव पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और विनिवेश विभाग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। उक्त प्रस्ताव पर अंतिम रूप से दृष्टिकोण अभी लिया जाना है।

(ग) से (ङ) इस संबंध में एच ओ सी एल या इसके कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना समय पूर्व होगा।

(च) और (छ) कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर विचार सरकार के नीतिगत मानदंडों के दायरे में किया जाएगा।

"इस्को" का कुल्टी वर्क्स

4561. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) का कुल्टी वर्क्स क्रयादेश न मिलने के कारण बन्द हो जाने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश में लगातार कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के बन्द हो जाने की स्थिति में कुल्टी वर्क्स से जुड़े 3500 कामगारों के पुनर्वासन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) इस्को के कुल्टी वर्क्स की क्रयादेश स्थिति में धीरे–धीरे गिरावट आयी है। इस्को का कुल्टी वर्क्स मुख्यतः कॉस्ट आयरन स्पन पाइपों और ढलाई वस्तुओं का उत्पादन करता है। कॉस्ट आयरन स्पन पाइपों के अन्य उत्पादकों ने कालान्तर में डक्टाइल आयरन पाइपों जोकि बढिया गुणवत्ता के हैं और जिन्हें प्रयोग कर्त्ताओं द्वारा तरजीह दी जाती है, को अपना लिया है। तथापि, कुल्टी वर्क्स ने धनराशि की कमी के कारण इस प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया है। इसके अतिरिक्त, सतत् ढलाई प्रौद्योगिकी की शुरूआत से बोकारो और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में इस्पात बनाने की इनगाट कास्टिंग रूट को समाप्त करने से कुल्टी द्वारा उत्पादित ढलाई वस्तुओं की आवश्यकता भी अत्यधिक कम हो गई है।

इस्को के कुल्टी वर्क्स को बन्द करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचायतों द्वारा कर-संग्रहण

4562. श्री सुबोध मोहिते : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंचायतों को कतिपय करों की वसूली करने का अधिकार देने का विचार है, ताकि वे अपनी वित्तीय संसाधनों की स्थिति को मजबूत कर सकें,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य वित्तीय आयोगों ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) संविधान का अनुच्छेद 243 (ज) यह प्रावधान करता है कि राज्य की विधायिका कानून बनाकर पंचायतों को प्रक्रिया के अनुसार और निर्धारित की गई सीमा तक उपयुक्त कर, महसूल, पथकर और शुल्क उगहाने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

पंचायतों द्वारा कुछ करों के एकत्र करने के संबंध में राज्य वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) केन्द्र सरकार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए कहती रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	करों को एकत्र करने के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें यथा :–
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	मकान कर, वाहन कर, विशेष उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि पर कर और विज्ञापन कर।
2.	असम	ढांचों पर कर, व्यवसायों एवं पेशों पर कर, मनोरंजन और जल दरों पर अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क।
3.	गुजरात	भूमि पर कर, पशुओं और सामान पर चुंगी, यात्री कर मेलों, त्यौहारों और अन्य

1	2	3
		मनोरंजनों पर कर, सवारी के लिए नावों अथवा पशुओं पर कर, वाहनों और पशुओं पर कर, कुत्तों पर कर, सामान्य स्वच्छता संबंधी उपकर और राजस्व पर उपकर।
4.	हिमाचल प्रदेश	मकान कर, भूमि संबंधी स्थानीय दरें, जल की दरें, सामुदायिक सेवाओं पर विशेष कर, व्यवसाय कर और मुद्रांक शुल्क पर अतिरिक्त भार।
5.	कर्नाटक	भवन एवं भूमि पर कर, जल कर दरें, चल चित्रण के अतिरिक्त मनोरंजन पर कर, गैर मोटर वाले वाहनों पर कर, विज्ञापनों और होर्डिंग पर कर।
6.	केरल	भवन कर, व्यवसाय कर, रुपांतरण उपकर और भू–उपकर।
7.	मध्य प्रदेश	भू–राजस्व पर उपकर, भूमि अथवा भवन अथवा दोनों पर संपत्ति कर, व्यक्तिगत शौचालयों पर कर, प्रकाश कर, व्यवसाय कर, पशुओं और वाहनों पर कर और जल की दरें।
8.	महाराष्ट्र	भवन और भूमि पर कर, भूमि पर उन्नयन प्रभार, जल की दरें और चुंगी।
9.	मणिपुर	भूमि और भवन पर कर, प्रकाश कर, मल व्ययन संबंधी दरें।
10.	उड़ीसा	वाहनों पर कर, मल व्ययन कर, प्रकाश कर और नाली निकास कर
11.	पंजाब	भूमि और भवनों पर कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन पर अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क, जन की दरें, प्रकाश दरें, मल व्ययन दरें, जन उपयोगी कार्यों पर विशेष कर।
12.	राजस्थान	भवन पर कर, पशुओं अथवा सामान पर चुंगी, वाहन कर, यात्री कर, जल कर, व्यवसायिक फसलों पर कर, सामुदायिक सेवाओं पर विशेष कर।
13.	तमिलनाडु	मकान कर, वाहन कर, पथकर, और कृषि भूमि पर कर।
14.	त्रिपुरा	भूमि एवं भवन पर कर, अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क, मनोरंजन कर, जल की दरें, प्रकाश दरें, मल व्ययन दरें तथा पथ कर।
15.	उत्तर प्रदेश	भू–राजस्व पर अतिरिक्त प्रभार, मनोरंजन कर, पशुओं और वाहनों पर कर, व्यक्तियों पर कर, जल की दरें और अन्य नागरिक सुविधाओं पर कर।
16.	पश्चिम बंगाल	भूमि एवं भवनों पर कर, अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क, मनोरंजन पर अतिरिक्त महसूल, जल की दरें, प्रकाश दरें, मल व्ययन दरें, नाली निकास दरें और पथ कर।

संतुष्टि वाणिज्यिक-परिसर

4563. श्री के. येरननायडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतुष्टि वाणिज्यिक–परिसर प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि ये उनके सरकारी आवास के बिल्कुल बगल में स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परिसर के निकट वाहनों की पार्किंग, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न होता है, को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) संतुष्टि वाणिज्यिक परिसर, प्रधान मंत्री के सरकारी आवास के समीप स्थित है। तथापि, प्रधान मंत्री की आवाजाही के दौरान तथा इस परिसर के निकट वाहनों की पार्किंग से उत्पन्न सुरक्षा जोखिम के प्रति एहतियात बरते जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खुला विद्यालय

4564. श्री अमर रायप्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय खुला विद्यालय की संपूर्ण प्रणाली में आमूल सुधार करने और वर्तमान प्रणाली को सुकर बनाकर उसकी विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की जानकारी में लायी गयी कमियां कौन–कौन सी हैं; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए अब तक जो निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ कमियां सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

(ग) इस अभ्यावेदन पर कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रलेखन केन्द्र के खिलाफ केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच

4565. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रलेखन केन्द्र (आई.एन.एस.डी.ओ.सी.) जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) का एक संघटक प्रतिष्ठान है, के वर्तमान कार्यकारी निदेशक के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, इस जांच–कार्य के दौरान मांगी गई सारी जानकारी को अविलम्ब मुहैया करा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं, तथापि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से जांच के लिए एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेईमान वकील

4566. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री 15 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7440 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) चूंकि दाण्डिक विधि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है अतः विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट की सिफारिशों की राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार–विमर्श करके जांच की जा रही है।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन-चालकों को दण्डित करना

4567. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहन–चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें दण्डित करने के लिए दिल्ली में सहायक उप–निरीक्षकों के साथ नियुक्त किए गए मातहत कर्मचारी, घटनास्थल पर ही जुर्माना करने जिससे कि अदालती कार्यवाही से बचा जा सके के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाहन–चालकों द्वारा यातायात–नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में उन्हें दण्डित करने की प्रकिया से इन मातहत कर्मचारियों को पृथक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) सहायक उप–निरीक्षक और उसके ऊपर के रैंक के अधीनस्थ अधिकारियों को दिल्ली में घटनास्थल पर ही यातायात से संबंधित अपराधों का फैसला करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

ग्रामीण निर्माण केन्द्रों को धनराशि

4568. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण निर्माण केन्द्र योजना के लागू होने के बाद से इसके लिए राज्यवार् कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या धनराशि जारी करने संबंधी कुछ प्रस्ताव, विशेषकर कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी;

(ङ) क्या "हडको" ने देश में निर्माण केन्द्र स्थापित किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ये केन्द्र तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के जुटाने के लिए प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) ग्रामीण निर्मित केंद्र योजना के लागू होने के बाद इसके लिए जारी की गई राज्यवार निधियां संलग्न विवरण–I में दी गई हैं।

(ख) से (घ) आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको) से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगलौर और मान्ड्या जिलों में ग्रामीण निर्मित केंद्र की स्थापना करने के लिए स्वीकृत दो परियोजनाओं के लिए निधियां अभी जारी की जानी हैं। जैसे ही कार्यान्वयन एजेंसियां विधिवत हस्तांतरित अनुदान संबंधी अनुबंध प्रस्तुत करेंगी उन्हें इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी कर दी जाएंगी।

(ङ) और (च) जी, हां, पूरे देश में हडको द्वारा स्थापित किए गए 418 चालू ग्रामीण निर्मिति केंद्र हैं। इनका राज्यवार वितरण संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(छ) और (ज) जी, हां। व्यक्तिगत मकानों और सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का प्रचार–प्रसार करने में ये निर्मिति केंद्र बहुत कारगर रहे हैं। कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके निर्मित केंद्रों के नेटवर्क के जरिए सात सौ करोड़ रुपए की लागत का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, इन निर्मित केंद्रों ने कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुए विभिन्न ट्रेडों में 2 लाख से ज्यादा कारीगरों को प्रशिक्षण दिया है।

विवरण-I

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	जारी की गई राशि
1.	आंध प्रदेश	6.00
2.	हिमाचल प्रदेश	6.00
3.	मध्य प्रदेश	5.60
4.	उड़ीसा	30.00
5.	तमिलनाडु	6.00
	कुल	53.00

विवरण-II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हडकों द्वारा स्थापित निर्मिति केन्द्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालू ग्रामीण निर्मिति केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	45
2.	बिहार	33
3.	गोवा	0
4.	गुजरात	9
5.	हरियाणा	7
6.	कर्नाटक	29
7.	केरल	28
8.	मध्य प्रदेश	38
9.	महाराष्ट्र	16
10.	उड़ीसा	36
11.	पंजाब	6
12.	राजस्थान	34
13.	तमिलनाडु	33
14.	उत्तर प्रदेश	27
15.	पश्चिम बंगाल	17

1	2	3
16.	अरुणाचल प्रदेश	2
17.	असम	17
18.	हिमाचल प्रदेश	5
19.	जम्मू और कश्मीर	5
20.	मणिपुर	6
21.	मेघालय	5
22.	मिजोरम	2
23.	नागालैंड	4
24.	सिक्किम	1
25.	त्रिपुरा	4
26.	दिल्ली	4
27.	पांडिचेरी	2
28.	अंडमान व निको, द्वीप समूह	1
29.	चंडीगढ़	0
30.	दादरा व नगर हवेली	0
31.	लक्षद्वीप	0
32.	दमन व दीव	0
	कुल	418

महासागर विकास के लिए योजनाएं

4569. श्री टी. गोविन्दन : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन विशाल तटवर्ती क्षेत्रों वाले विभिन्न राज्यों में महासागर–विकास संबंधी गतिविधियों हेतु लक्षित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजनार्थ इन राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या इस संबंध में इन राज्यों को धनराशि आंबटित किए जाने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) महासागर विकास विभाग समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाला एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। इस विभाग के पास किसी तटीय राज्य को सीधी वित्तीय सहायता देने के लिए कोई विशिष्ट विकास योजना नही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ई.सी.एल. द्वारा झारखण्ड में अधिग्रहीत भूमि

4570. श्री सुबोध राय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., (ई.सी.एल.) द्वारा उसकी राजमहल परियोजना हेतु झारखण्ड में अधिगृहीत भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या भूमि–धारकों के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना में कुल कितने कर्मचारी हैं और अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगाार उपलब्ध कराया गया है; और

(ङ) जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ई.सी.एल. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) राजमहल परियोजना के लिए 1.12.2000 की स्थिति के अनुसार कुल 885.85 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। जिला प्रशासन गोड्डा की मौजूदगी में भूमि वेदखलदारों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर सहमति हुई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

पैकेज	समझौते की तारीख	दिया गया रोजगार
बारा सिमरा पैकेज	27.10.1992	116
डकैता पैकेज	07.05.1997	32
तातारिया पैकेज	23.12.1991	45
बारा भोरई पैकेज	04.09.1999	86

बारा भोरई मौजा की भूमि के बदले रोजगार के लिए उपायुक्त गोड्डा की उपस्थिति में भू–स्वामियों के प्रतिनिधियों के साथ एक

समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है। कंपनी के मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक दो एकड़ भूमि के लिए रोजगार दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) 176 कार्यकारी अधिकारियों को छोड़कर परियोजना की सूची में 2412 व्यक्ति हैं जिनमें से 1128 भू–वंचित (01.12. 2000 के अनुसार) हैं। भू–स्वामियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ पैकेज डील के अनुसार वार्ता की जा रही है। खनन के प्रयोजन हेतु जब कभी आवश्यक होता है, भूमि अधिग्रहीत की जाती है। भूमि का वास्तविक तौर पर कब्जा हो जाने के पश्चात् समझौता ज्ञापन के अनुसार रोजगार दिया जाता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

पेयजल परियोजनाएं

4571. श्री पुष्प जैन : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री 22 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 4472 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र कर लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जानी है जिन्हें फील्ड स्तर से इसे संकलित करना पड़ सकता है। हालांकि सूचना संकलित करने की प्रक्रिया को तीव्र करने के प्रयास किये गये हैं लेकिन इस बात का सही–सही मूल्यांकन करना कठिन है कि कब तक सारी सूचना उपलब्ध हो सकेगी।

[अनुवाद]

जनजातियों का उत्थान

4572. श्री अनन्त नायक : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों से इन राज्यों में जनजातियों के उत्थान हेतु अलग योजनाएं बनाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी/अस्वीकार किया गया/जो लंबित हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का भण्डार

4573. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोकिंग और गैर–कोकिंग कोयले के पर्याप्त भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस स्थिति से निपटने के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की है जब पहले से ही विद्यमान कोयला भण्डार समाप्त हो जाएगें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) 1.1.2000 के अनुसार, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा अनुमानित देश में कोयले का कुल भंडार 211.59 बिलियन टन है जिसमें से 38.94 प्रतिशत "प्रमाणित" श्रेणी, 42.30 प्रतिशत "निर्दिष्ट" श्रेणी और 18.76 प्रतिशत "अनुमानित" श्रेणी के अंतर्गत है।

भंडारों का किस्मदार ब्यौरा इस प्रकार है :

टाइप	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
प्राइम कोककर	4.61	0.70	–	5.31
मिडियम कोककर	11.27	11.13	1.11	23.51
सेमी कोककर	0.48	0.91	0.22	1.61
उप–जोड़ कोककर	16.36	12.74	1.33	30.43
अकोककर	66.03	76.76	38.37	181.16
कुल (कोककर और अकोककर)	82.39	89.50	39.70	211.59

(ग) सीआईएल द्वारा 2006–07 के दौरान तथा उसके बाद कोयले की उत्पादन दर 350 मिलियन टन मानते हुए, 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार प्रमाणित भंडारों से कोयला प्राप्त होने योग्य मियाद 85 वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है। बहरहाल, सीएमपी

डीआईएल द्वारा विस्तृत अन्वेषण के परिणामस्वरूप वार्षिक आधार पर लगभग 3 से 4 बिलियन टन प्रमाणित भंडारों की कमी हो रही है जिसके फलस्वरूप प्रतिलभ्य भंडारों और उनकी मियाद में वृद्धि हुई। उपर्युक्त को देखते हुए कोई आकस्मिक योजना तैयार नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

सिप्ला द्वारा अत्यधिक अधिमूल्य लिया जाना

4574. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिप्ला द्वारा लिए गए 2000 करोड़ रुपये के अधिमूल्य की वसूली कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि केडीला फार्मा द्वारा एन.पी.पी.ए. को अधिमूल्य के रूप में 6 करोड़ रुपये देने हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने प्रपुंज औषध सालबुटामोल, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लोक्सासिलिन, सेफाड्रोक्साइल और ट्रिमेथोप्रिम + सल्फा–मोथेक्साजोल पर आधारित सूत्रयोगों के लिए अधिक वसूल की गई 207.73 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि को जमा करने के लिए कंपनी को निदेश देते हुए मै. सिपला को अगस्त, 2000 और सितम्बर, 2000 में नोटिस जारी किए हैं। मै. सिपला ने एन.पी.पी.ए. के नोटिसों के उत्तर दे दिए हैं। परन्तु प्रपुंज औषध सालबूटामोल, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और क्लोक्सासिलीन को औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1995 की प्रथम अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर और अन्य समादेश याचिकाएं दायर करके बम्बई उच्च न्यायालय में मै. सिप्ला लि. द्वारा चुनौती दी गई है।

(ग) और (घ) एन.पी.पी.ए. ने प्रपुंज औषध क्लोक्सासिलिन, सिप्रफ्लोक्साासिन और नारफ्लोक्सासिन पर आधारित सूत्रयोगों की बिक्री में अधिक वसूली गई 5.69 करोड़ रु. की अनुमानित धनराशि को जमा करने के लिए कंपनी को निर्देश देते हुए मै. केडिला फार्मास्युटिकल्स लि. ने अगस्त, 2000 और सितम्बर, 2000 में नोटिस जारी किए हैं। मै. केडिला ने एन पी पी ए के नोटिसों के उत्तर दिए हैं।

ऑन-लाइन शिक्षा

4575. श्री साहिब सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ऑन–लाइन शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसे कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की संशोधित योजना के तहत चुने गए सौ स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी को विस्तृत रूप से शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया का आधार बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, चुने गए 1000 स्कूलों में कम्प्यूटरों को शिक्षण और अध्ययन के उपकरण के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रस्तावित संशोधित योजना तैयारी के अन्तिम चरण में हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में पानी की कमी

4576. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत कोकिंग कोल लि. की धर्माबांध कोयला खान के पानी का उपयोग कर इस क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चन्नोवाडीह, कुजामा और दक्षिणी झरिया कोयला खानों के पानी के उपयोग से ऐसी योजनाएं संभव हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या भारत कोकिंग कोल लि. की खानों के भूमिगत जल और सतह पर इसके प्रयोग के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) बी.सी.सी.एल. मैनेजमेंट गोविंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत धर्माबांध कोलियरी में बी.सी.सी.एल. के सिनीडीह जल उपचार संयंत्र में "पिट वाटर" पहुंचाकर पहले ही "माइन वाटर" का उपयोग

कर रहा है और बी.सी.सी.एल. के 730 क्वार्टरों में प्रतिदिन 0.55 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा, धर्माबांध कोलियरी से बी.सी.सी.एल के 450 क्वार्टरों को "माइन वाटर" की सीधे आपूर्ति की जा रही है।

(ग) जी, हां। दक्षिण झरिया कोलियरी को छोड़ कर जहां पूरे वर्ष "माइन वाटर" उपलब्ध नहीं होता है, चन्नोवाडीह और कुजामा कोलियरियों में माइन वाटर का प्रयोग करते हुए ही ऐसी योजनाएं संभव हैं।

(घ) घानूडीह माइन वाटर का प्रयोग, बी.सी.सी.एल. के 745 क्वार्टरों को जल उपचार संयंत्र के माध्यम से फिल्टर किए गए जल की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है (जल आपूर्ति की प्रमात्रा 72,000 गैलन प्रतिदिन है)। इसके अलावा, बी.सी.सी.एल. के 982 क्वार्टरों को माइन वाटर की सीधे आपूर्ति की जाती है (आपूर्ति की प्रमात्रा 1,47,300 गैलन प्रतिदिन है)।

(ङ) और (च) जी, नहीं। बी.सी.सी.एल. कोलियरियों के लिए अभी तक ऐसा मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी, माइन वाटर का प्रयोग बी.सी.सी.एल. के कर्मचारियों के लिए तथा बी.सी.सी.एल. खानों के दूसरे औद्योगिक प्रयोजन के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है– (1) बी.सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. की अलग–अलग कोलियरियों के कर्मचारियों को पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए अपने जल उपचार संयंत्रों को प्रतिदिन 6 मिलियन गैलन माइन वाटर पहुंचा रहा है और (2) बी.सी.सी.एल. के कर्मचारियों के क्वार्टरो में पिट वाटर की आपूर्ति अन्य आवश्यकताओं और ओपनकास्ट खानों में पर्यावरणीय जोखिमों का सामना करने तथा वर्कशाप के लिए की जाती है।

मानवाधिकारों का हनन

4577. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की है कि उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार सेना और अर्द्ध–सैनिक बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के हनन के मामलों तक भी किया जाए,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1)(क) में संशोधन का सुझाव दिया है। ताकि आयोग, अर्द्धसैनिक बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच–पडताल करने में समर्थ हो सके। आयोग से प्राप्त प्रस्ताव की जांच–पड़ताल की जा रही है।

निचली लूनी बेसिन के भू-संसाधनों का विकास

4578. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में निचली लूनी बेसिन के भू–संसाधनों के विकास के संबध में कोई दृष्टिकोण पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस मुद्दे को विदेशी वित्त पोषी एजेंसियों अथवा विश्व बैंक के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जी, हां। भूमि संसाधन विभाग को राजस्थान में लूनी नदी के निचले बेसिन में 300 करोड़ रुपये की कुल लागत पर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने, प्रदूषण रोकने तथा पर्यावरण में सुधार लाने हेतु अक्तूबर, 1998 में राजस्थान सरकार से एक प्रस्ताव (एपरोच पेपर) प्राप्त हुआ था। इस परियोजना के मुख्य संघटकों में लूनी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि कटाव, के प्रतिकूल प्रभावों और भू–जल में लवणता आदि को कम करने की परिकल्पना की गई है। भूमि संसाधन विभाग ने प्रस्ताव की जांच करने के बाद इस प्रस्ताव को संबधित क्षेत्र में रुचि रखने वाली उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेंसी को प्रस्तुत करने हेतु दिसम्बर, 1998 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में भेज दिया था और संबंध में आगे कार्यवाई कर रहा है

महिलाओं विरुद्ध अपराध संबंधी प्रकोष्ठ

4579. श्री आर. एस. पाटिल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी प्रकोष्ठ खोले जाने के उदेश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पीड़ित महिलाओं के बीच इस प्रकोष्ठ की विश्वसनीयता दाव पर लगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) महिलाओं के प्रति अपराध एकक का गठन, वैवाहिक विवादों, दहेज की मांग, पति और ससुराल वालों द्वारा अत्याचार, दहेज की मांग के कारण महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु, बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध के किसी अन्य मामले से संबंधित शिकायतों को निपटने के लिए किया गया था। महिलाओं के प्रति अपराध एकक, पीड़ित महिलाओं को सकारात्मक रुख और सहयोग प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रहा है।

(घ) महिलाओं के प्रति अपराध एकक के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं :

(i) महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की जांच पड़ताल करने और पीडितों तथा प्रभावित पक्षों को परामर्श देने के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों, न्यायविदों, प्रोफेसरों और गैर सरकारी संगठनों को संबद्ध/आमंत्रित किया जाता है।

(ii) पीडितों के मन में सुरक्षा/विश्वास की भावना पैदा करने और महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए महिलाओं के प्रति अपराध एककों में 90 प्रतिशत अच्छी शिक्षा पृष्ठभूमि वाले महिला पुलिस अधिकारियों, को तैनात किया गया है।

(iii) महिलाओं के प्रति अपराध एकक के स्टाफ के लिए लिंग–भेद सुग्राही पाठयक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(iv) जिला स्तर पर इन शिकायतों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जहां तक सम्भव हो, दिल्ली के प्रत्येक पुलिस जिले में निरीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक के महिला पुलिस अधिकारी के पर्यवेक्षण में, महिलाओं के प्रति अपराध एककों की स्थापना भी की गई है।

(v) महिलाओं के प्रति अपराध एकक के कार्यकरण में सुधार लाने और महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में जांच–पड़ताल के नए तरीकें अपनाने पर विचार विमर्श करने के लिए नियमित बैठकें, विचार गोष्ठियां इत्यादि आयोजित की जाती हैं।

केरल की तटीय सामाजिक अवसंरचना का विकास

4580. श्री एस. अजय कुमार : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तटीय सामाजिक अवसंरचना के समेकित विकास के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सरकार को "समन्वित तटीय सामाजिक अवसंरचना विकास" का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केरल सरकार ने मात्स्यिकी के क्षेत्र में समन्वित तटीय सामाजिक अवसंरचना विकास का एक प्रस्ताव ग्यारहवें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। इससे संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

4581. डा. ए. डी. के. जयशीलन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को उन जिलों में लागू किया गया है जहां महिला साक्षरता कम है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) 18 राज्यों के 219 जिलों (अब कुछ जिलों के विभाजन/पुनर्गठन के बाद 248 जिले) को शामिल करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) का विस्तार किया गया है। केरल के 6 जिलों (कासरगोडे, मल्लापुरम, वायनाड, तिरूवनंतपुरम, इदुक्की तथा पालक्काड), तमिलनाडु के 5 जिलों (दक्षिण आरकोट–अब कुड्डालूर और विल्लूपुरम नामक दो जिलों में विभाजित, पुदुकोट्टाई, रामनाथपुरम तथा पेरंबलूर तिरूवल्लूवर) तथा महाराष्ट्र के 2 जिलों (औरंगाबाद और लातूर) को छोडकर डी.पी.ई.पी. के तहत शामिल सभी अन्य जिलों में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए राज्यों/जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डा.पी.ई.पी. के तहत शामिल राज्य और जिले

क्र.सं.	राज्य का नाम (शामिल जिलों की संख्या)	जिले का नाम
1	2	3
1	असम (9)	दारंग, धुर्वी, कार्वी आंगलोंग, मोरी गांव, कोकराझार, बोंगाई गांव, गोलपाड़ा, बरपेटा, सोनितपुर
2	हरियाणा (7)	हिसार, जिंद, कैथल, सिरसा, गुड़गांव, भिवानी, महेन्द्रगढ़
3	कर्नाटक (11)	बेलगाम, कोलार, मंड्या, रायचूर, बेल्लारी, बीदर, गुलबर्ग, मैसूर, बिजापुर, बंगलौर (देहात), धारवाड
4	केरल (6)	कांसरगोडे, मल्लापुरम, वायनाड, तिरूवनन्तपुरम, इदुकी, पालक्काड
5	मध्य प्रदेश (28)	बेतुल, छतरपुर, धार, गूना, मंदसौर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सतना, सिहोर, शहडोल, सिधी, टिकमगढ़, मंडला, सिवोनी, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, झबुआ, दतिया, खरगोन, देवास, साजापुर, खंडवा, दमोह
6	छत्तीसगढ़ (6)	विलासपुर, रायगढ़, राजनन्दगांव, सरगुजा, बस्तर, रायपुर
7	महाराष्ट्र (9)	औरंगाबाद, लातूर, नानडेड, उस्मानाबाद, परभनी, बीड, धुले, गडचिरौली, जालना
8	तमिलनाडु (6)	धरमपुरी, दक्षिण आरकोट, तिरूवन्नमलाई, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, पेरम्बलूर तिरूवल्लूवर
9	आंध्र प्रदेश (19)	करीमनगर, कुरनूल, नेल्लौर, वारंगल, विजयनगरम, अदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डप्पा, गुंटूर, खम्मम, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्नम
10	गुजरात (3)	बानसकंठा, दंग, पंचमहल
11	हिमाचल प्रदेश (4)	चम्बा, कुल्लू, लाहौल और स्पिती, सिरमौर
12	उड़ीसा (8)	बोलंगीर, धेनकनाल, कालाहांडी, रायागडा, गजपति, बारागढ़, संबलपुर, क्योंझर
13	पश्चिम बंगाल(10)	बांकुरा, बीरभूम, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, दक्षिण परगना, जलपाईगुड़ी, मालदा, पुरूलिया, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर
14	उत्तर प्रदेश (50)	महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बदायूं, खेरी, ललितपुर, पीलीभीत, बस्ती, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, हरदोई, बरेली, फिरोजाबाद, रामपुर, बहराइच, बाराबंकी, आगरा, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, गाजियाबाद, गौतमबद्ध नगर, गाजीपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पडरौना, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव

1	2	3
15	उत्तरांचल (6)	बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी
16	बिहार (20 राजस्व जिलों से बने 11 शैक्षिक जिले)	मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, रोहतास, कैमूर, वैशाली, दरभंगा, गया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका
17	झारखंड (7 राजस्व जिलों से बने 6 शैक्षिक जिले)	चतरा, दुमका, पश्चिम सिंहभूम (जमशेदपुर), हजारीबाग, कोडरमा, रांची, पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा)
18	राजस्थान (10)	अलवर, भिलवाड़ा, झालावाड़, झुनझुनू, कोटा, नागौर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक।

शामिल किए गए कुल जिले : 219 (कुछ जिलों के विभाजन/पुर्नगठन के बाद अब 248 जिले)

[हिन्दी]

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

4582. श्री नागमणि : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी शिक्षा प्रदान करने संबंधी केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत झारखंड में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में ऐसे संस्थानों को खोलने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस परिषद ने बेथेसदा महिला शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, रांची, लोयला शिक्षा कालेज, जमशेदपुर और उर्सुलाइन महिला शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, लोहरदगा को झारखंड में उच्च शिक्षा के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में मान्यता प्रदान की है।

राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार शिक्षक शिक्षा की पुनः संरचना तथा पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षक शिक्षा कालेज और उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

जैव-प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के संबंध में भारत-बेलारूस समझौता

4583. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बेलारूस ने जैव–प्रौद्योगिकी के संबंध में संयुक्त परियोजनाओं के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बेलारूस के सहयोग से आरम्भ किए जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं के कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत से उत्पादों और प्रसंस्करण के संबंध में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) संयुक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन, दौरों का आदान–प्रदान, कृषि जैवप्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, चिकित्सा जैवप्रौद्योगिकी, आण्विक जीवविज्ञान और जैवकृषि रसायन में मूलभूत अनुसंधान के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी बेलारूस ने जून 2000 के दौरान सहमत कार्य योजना के साथ सहयोग के प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं। वैज्ञानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की प्रगति को देखने के लिए एक भारत–बेलारूस संयुक्त जैवप्रौद्योगिकी पैनल का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2001 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 7 संयुक्त परियोजनाओं पर सहमति हुई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :– उच्च स्तर के एमिनो एसिड्स और रोग प्रतिरोध के लिए आलू,

बाजरे और गेहूं का आनुवंशिक रूपान्तरण, फ्लैक्स और इसके संबंधी पदार्थों का जीनोम विश्लेषण, नवीन जैवकीटनाशियों का विकास, क्लोरोफिल जैवसंश्लेषण पाथवे के विश्लेषण के लिए पराजीनी पादपों का प्रयोग और कीटनाशियों द्वारा प्रेरित आक्सीडेशन भार से प्रतिरोधक पादपों का आनुवंशिक परिचालन/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तौर तरीकों पर विचार किया जा रहा है, विशेषकर उन नैदानिकों के लिए जो पहले कुछ भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

आसूचना एजेन्सियों का कार्यकरण

4584. श्री सुरेश चन्देल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के तहत कार्यरत आसूचना एजेन्सियों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के सम्पूर्ण मसले की समीक्षा करने और विशेष रूप से कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया था। अपने कार्य को आसान बनाने के लिए मंत्रियों के इस ग्रुप ने चार कार्य बल गठित किए जिनमें से एक आसूचना तंत्र पर था। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मंत्रियों का ग्रुप इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है और विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद मामले पर अपनी सिफारिशें करेगा। मामले के संवेदनशील स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर और अधिक ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

उच्च शिक्षा पर राजसहायता

4585. डा. अशोक पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा पर से राजसहायता को घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में व्यापक विरोध के मद्देनजर इस मामले की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की आपूर्ति

4586. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक इंडियन पोटाश लिमिटेड, नेशनल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एफ.ए.सी.टी., कृभको और एस.पी.आई.सी. ने महाराष्ट्र को वर्षवार कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य को पोटाश और अन्य उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 2000–01 में 1.4.2000 से 30.11.2000 तक महाराष्ट्र को इंडियन पोटाश लिमिटेड, (आई.पी.एल.) नेशनल फटिलाइजर्स लिमिटेड, (एन.एफ.एल.), द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) और सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसी) द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत आबंटन द्वारा मांग पूरी की जाने वाले यूरिया को छोड़ कर पोटाश और अन्य सभी उर्वरक नियन्त्रण मुक्त और असारणीबद्ध हैं। इनकी उपलब्धता बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर तथा राज्यों के अनुरोध पर डाई–अमोनियम फास्फेट/म्यूरिएट ऑफ पोटाश की आपूर्ति बफर स्टॉक के माध्यम से बढ़ाई जाती है जो भारत सरकार की ओर से आईपीएल द्वारा चलाया जा रहा है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आई.पी.एल., एन.एफ.एल, फैक्ट, कृभको और एस.पी.आई.सी. द्वारा महाराष्ट्र को उर्वरकों की आपूर्ति

(मात्रा मी. टनों में)

आपूर्ति कर्ता का नाम	उत्पाद	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01 (1.4.2000 से 30.11.2000) (अनंतिम)
आईपीएल	म्यूरिएट आफ पोटास	72131	92924	96933	87899
	सल्फेट आफ पोटास	1740	1728	1766	1906
	डाई–अमोनिया फोस्फेट्	15872	7951	18679	7996
एन.एफएल	यूरिया	122160	202431	201403	163063
	कैलसियम अमोनियम नाईट्रेट	3493	5241	2041	शून्य
फैक्ट	अमोनियम सल्फेट	शून्य	शून्य	शून्य	2330
कृभको	यूरिया	279500	285501	260826	232410
एसपीआईसी	म्यूरिएट आफ पोटास	15251	35064	6212	2214

शैक्षिक संस्थाओं को भूमि का आबंटन

4587. श्री राजेश वर्मा : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत निर्धारित की गई भूमि की विभिन्न श्रेणियों का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) शैक्षिक संस्थाओं को भूमि के आबंटन के संबंध में केन्द्र सरकार की नीति क्या है;

(ग) पंचायती राज के आधिपत्य वाले राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं को भूमि के आबंटन संबंधी राज्यवार कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) इन मामलों का निपटान कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका एक सलाहकार और समन्वयक तक ही सीमित है। अतः शैक्षिक संस्थाओं के लिए भूमि का निर्धारण करना और आबंटन करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। इसके अलावा पंचायती राज के अधिपत्य वाले राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं को भूमि के आबंटन के संबंध में यह मंत्रालय न तो निगरानी रखता है और न ही इस संबंध में कोई सूचना एकत्र करता है।

[अनुवाद]

ट्रैफिक सिगनल

4588. श्री रामजी मांझी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई ट्रैफिक सिगनल बत्तियां कार्य नहीं करती और वहां पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी उपस्थित नहीं रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सिगनल बत्तियों को चालू हालत में रखने और उनके काम न करने की दशा में वहां पर यातायात पुलिस कर्मियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II में प्रविष्टि 2 के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय है। अतः इस संबंध में निर्णय लेना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

सॉफ्टवेयर संबंधी विनिर्देश

4589. श्री मोइनुल हसन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2000 के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक संघटक स्थापना निसकॉम के निदेशक ने सॉफ्टवेयर आवश्यकता संबंधी विनिर्देशों को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी;

(ख) क्या तत्कालीन माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा गठित तथ्यों का पता लगाने वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आरोपित कर्मचारी भी इस समिति में शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(घ) क्या परामर्शदाता सहित समिति के किसी सदस्य के पास कम्प्यूटर विज्ञान और इससे संबंधित क्षेत्र में कोई बुनियादी उपाधि है; और

(ङ) यदि हां, तो नियमों के इस उल्लंघन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, दो वैज्ञानिकों, जो उक्त समिति के सदस्य हैं, को आरोपित किया गया। इन मामलों में जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपनी सिफारिश भेज दी है।

(घ) जी नहीं। आवश्यकता के स्तर पर किसी सॉफ्टवेयर के उपभोगकर्ताओं के विनिर्देशन डोमेन ज्ञान की जरूरत होती है न कि कम्प्यूटर विज्ञान में अनिवार्य अर्हता की।

(ङ) नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

गुरूकुलों में कम्प्यूटर शिक्षा

4590. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुरूकुलों में विशेषकर कन्या गुरूकुल, खानपुर (हरियाणा) और गुरूकुल विद्यापीठ भैंसवाल कला में कम्प्यूटर शिक्षा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) जी नहीं। केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो भारत सरकार के स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की संघटक संस्थाएं हैं, में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं का उत्पादन

4591. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1999–2000 के दौरान और आज की तारीख तक विभिन्न रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं के उत्पादन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मात्रावार और किस्मवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइडों के उत्पादन दर्शाने वाले विवरण कमशः संलग्न विवरण–I और II पर दिए गए हैं।

वर्ष 1999–2000 के दौरान उर्वरकों एवं पेस्टिसाइडों का निर्यात बताने वाले विवरण कमशः संलग्न विवरण–III और IV पर दिए गए हैं।

वर्तमान वर्ष से संबंधित आंकड़े वर्ष के अंत में संकलित किए जा सकते हैं।

विवरण-I

1999–2000 के दौरान उर्वरक संघटकों का उत्पादन

उर्वरक संघटक	उत्पादन (लाख टन)
नाईट्रोजन	108.90
फॉस्फेट	33.49

विवरण II

1999–2000 के दौरान पेस्टिसाइडों का उत्पादन

(000' एम टी)

क्र.सं.	उद्योग	1999–2000 वास्तविक
1	2	3
	पेस्टिसाइड (तकनीकी)	
I.	**इंसेक्टिसाइड्स**	
1.	डी.डी.टी.	3.6
2.	मेलाथियोन	5.9
3.	पाराथियोन (मिथाइल)	1.9
4.	डीमेथोएट	1.4
5.	डी.डी.वी.पी.	2.5
6.	क्विनालफोस	2.2
7.	मोनो–क्रोटोफोस	9.5
8.	फोसफामिडोन	3.2
9.	फोरेट	6.1
10.	एथियोन	3.4
11.	इन्डोसुल्फान	8.3
12.	फेनवेलिरेट	1.4
13.	साइपरमेथ्रीन	3.7
14.	एनिलोफोस	0.9
15.	एसीफेट	2.9
16.	क्लोरपायरीफोस	7.5
17.	फोसालोन	0.5
18.	मेटासिसटोक्स	0.7
19.	एबेट	0.2
20.	फेनथियोन	0.2
21.	ट्रियाजोफोस	0.8
22.	लिन्डेन	1.1
23.	टीमीफॉस	नगण्य
24.	डेल्टामेथ्रीन	0.1
25.	अल्फामेथ्रीन	0.4
II.	**फफूंदनाशी**	
26.	और कैप्टन एंड कैप्टाफोल	1.1
27.		
28.	थीरम	–
29.	जीरम	0.2
30.	कारबेन्डाजिम	0.9
31.	केलाक्सिन	0.04
32.	मेंकोजेब	10.3
33.	कूपरोक्सीक्लोराइड	0.2
III.	**खरपतवारनाशी**	
34.	2,4 डी	1.3
35.	बूटाक्लोर	0.7
IV.	**अपतृणनाशी**	
36.	आइसोप्रोटूरान	4.6
37.	बासालिन	0
38.	ग्लाइफोसेट	1.7
39.	पाराक्विट	1.4
40.	डयूरान	0
41.	एट्राजिन	0.1
42.	फ्लूक्लोरालिन	0.15
V.	**कृन्तकनाशी**	
43.	जिंक फास्फाइड	0.5
VI.	**धूमक**	
44.	एल्यूमिनियम फास्फाइड	1.8
45.	मिथाइल ब्रोमाइड	0.1
46.	डीकोफाल	0.12
	कुल (पेस्टिसाइड्स)	93.7

विवरण-III

1999–2000 के दौरान निर्यात की गई वास्तविक मात्राएं

क्रम सं.	निर्यात किए गए प्रमुख उर्वरक	निर्यात की गई वास्तविक मात्रा (एमटी)
1.	यूरिया	23176
2.	काम्प्लेक्स (एनपीके)	40
3.	एमओपी	8413

विवरण-IV

वर्ष 1999–2000 में पेस्टिसाइडों का निर्यात (अनन्तिम)

क.सं.	विवरण	मात्रा (कि.ग्रा.)
1	2	3
1.	लिन्डेन के अलावा बेंजीन हेक्साक्लोर	20,000
2.	डी डी टी	49,2000
3.	एल्डरिन	42,9164
4.	एलुमूनियम फॉस्फाइड	65,4055
5.	केल्सियम सायनाइड	100
6.	क्लोरडेन	3000
7.	क्लोरो बेंजीलेट	200
8.	डी.डी.वी.पी. (डाई मिटायल–डाईक्लोरोविलायन फास्फेट)	18,3098
9.	डी डी टी (हेडिंग 2903,62 के डी डी टी को छोड़कर)	1000
10.	डायगीनल	7505
11.	लिन्डेन	28,9000
12.	पेराथियान मिथाइल	11,1550
13.	डाईमेथोएट तकनीकी	29,7712
14.	मेनाथियान	2,55,4831
15.	इंडोसल्फान तकनीकी	3308303
16.	क्वीनालफॉस	20,4700
17.	आइसोप्रोटयूरोन	1685969
18.	फेन्थियन	5000
19.	साइपरमेथ्रिन तकनीकी	3571335
20.	एलिट्रिन (इन्सेक्टिसाइड)	83380
21.	सिंथेटिक पाइरिथ्रम	10129
22.	अन्य	16327292
23.	मेनेब	354070
24.	सोडियम पेन्टा क्लोरोफिनेट थायराम (सेन्टोब्राइट)	494325
25.	थ्रिन (टेट्रामिथाइल थ्रिम डाइसल्फाइड)	11000
26.	जिनेब	8000
27.	अन्य	3988393
28.	क्लोरोमिथाइल फिनोक्सी एसिटिक एसिड	63971
29.	2:4 डाइक्लोरोपेहनोक्सी एसिटिकएसिड एवं इसके इस्टर्स	1922330
30.	जिबिरेलिक एसिड (जी ए एसिड)	1340
31.	अन्य अपतृणनाशी और अपतृणनाशक एजेंट्स	744931
32.	डिसइन्फेक्टेंट्स	1122637
33.	कीटों के लिए रिपेलेंट	372908
34.	अन्य	980757
	महायोग :	10056064347

कम्प्यूटर शिक्षा

4592. श्री राजैया मल्याला :

श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए प्रत्येक मंडल से कम से कम एक हाई स्कूल की दर

से 12.54 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध की क्या स्थिति है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, राज्य में सी.एम.सी. के समन्वय से पहले शुरू की गई "क्लास" परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। तथापि 'स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन' नामक योजना के तहत नया अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह योजना बंद कर दी गई है।

(ख) किसी भी बाहरी एजेंसी से इस योजना का औपचारिक मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शरणार्थी

4593. श्री समर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रियांग शरणार्थियों हेतु पुनर्वास की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा से मिजोरम वापस लाने के लिए क्रियान्वित योजना से हासिल की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) त्रिपुरा में स्थायी शिविरों में अपनी वापसी के लिए इस समय कितने शरणार्थी इंतजार कर रहे हैं; और

(घ) उनका पुनर्वास कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने रियांग शरणार्थियों के भरण–पोषण के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार को अब तक 27.25 करोड़ रुपये दिए हैं। केन्द्र सरकार, मिजोरम को प्रत्यावर्तित कर गए रियांगों के पुनर्वास के लिए मिजोरम सरकार को उपयुक्त धनराशि उपलब्ध कराने तथा मिजोरम सरकार को अपेक्षित सुरक्षा बल उपलब्ध करा कर विस्थापित रियांगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी सहमत हो गई है।

त्रिपुरा की सरकार ने अनुमान लगाया है कि त्रिपुरा में इस समय लगभग 32000 से अधिक रियांग शरणार्थी आश्रय लिए हुए हैं। अब तक किसी भी विस्थापित रियांग ने औपचारिक तौर पर मिजोरम में प्रत्यावर्तन नहीं किया है।

इस बारे में कोई निश्चित समय–सीमा बताना संभव नहीं है कि शरणार्थी कब तक मिजोरम में प्रत्यावर्तित हो जाएंगे। उनके शीघ्र प्रत्यावर्तन के मामले को मिजोरम सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में वर्षा

4594. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में दूसरी बार पुनः देश में सबसे कम वर्षा हुई है;

(ख) क्या वहां मौसम की मॉनीटरिंग करने और उक्त जिले में बारिश में वृद्धि करने के लिए वहां राडार स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में, वार्षिक अथवा दक्षिण–पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान, देश में दूसरी बार सबसे कम वर्षा नहीं हुई है। देश के विभिन्न भागों में ऐसे अन्य कई जिले हैं जहां सामान्य वार्षिक वर्षा अनन्तपुर जिले से कम हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रेजीडेंसी कॉलेज को समविश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना

4595. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कलकत्ता प्रेजीडेंसी कॉलेज से उसे समविश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस कॉलेज की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के चारों ओर तीसरे रिंग रोड का निर्माण

4596. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के चारों तरफ तीसरे रिंग रोड़ का निर्माण करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 1995 में तैयार और अनुमोदित परिवहन कार्यफलन योजना में क्षेत्र के अन्तर्गत आवागमन और माल व यात्रियों की ढुलाई में सुधार के लिए एक सुसंगत परिवहन तंत्र की संकल्पना की गई है। इसमें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सात एक्सप्रैस मार्गों के निर्माण का सुझाव दिया गया है। इन एक्सप्रैस मार्गों में से निम्नलिखित तीन एक्सप्रैस मार्ग, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से आने वाले, बाई–पास ट्रैफिक को प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाले और दिल्ली के चतुर्दिक एक तृतीय रिंग रोड होगा।

(i) **दिल्ली के पश्चिम में पेरीफेरियल एक्सप्रेस मार्ग** राष्ट्रीय राजमार्ग–1 रा. राजमार्ग–10, रा. राजमार्ग–8 तथा रा. राजमार्ग–2 को जोडने वाला होगा। यह उत्तर में रा. राजमार्ग–1 पर कुण्डली में उस स्थान से शुरू होता है जहां कुण्डली–गाजियाबाद एक्सप्रैस मार्ग आरंभ होता है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टिकरी कलां के निकट रा. राजमार्ग–10 को पार कर गुड़गांव के निकट दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रजोकरी के निकट रा. राजमार्ग–8 को पर करता है और अंत में फरीदाबाद–नोएडा–गाजियाबाद एक्सप्रैस मार्ग जंकशन पर फरीदाबाद–बल्लभगढ़, नियंत्रित क्षेत्र में गांव शाहपुर खुर्द के निकट रा. राजमार्ग–2 से मिलता है। (कुल लंबाई लगभग 85 किमी)

(ii) **फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) एक्सप्रैस मार्ग** रा. राजमार्ग–2 को फरीदाबाद से तथा रा. राजमार्ग–24 को गाजियाबाद में जोड़ता है। यह बल्लभगढ़ के निकट रा. राजमार्ग–2 पर 42.1 कि.मी. पत्थर से शुरू होकर हिंडन नदी पुल (नोएडा) के निकट दादरी रोड को पार करता है और गाजियाबाद में रेलवे लाइन के निकट रा. राजमार्ग–24 को पार करता है (कुल लम्बाई लगभग 56 कि.मी.)।

(iii) **कुण्डली-गाजियाबाद एक्सप्रेस मार्ग रा. राजमार्ग-2** को कुंडली में और रा. राजमार्ग–24 को गाजियाबाद में जोड़ता है। यह प्रस्तावित पेरीफेरल एक्सप्रैस मार्ग जंक्शन के निकट उत्तर में रा. राजमार्ग–1 पर कुंडली से शुरू होता है और एफ एन जी जंक्शन पर रा. राजमार्ग–24 पर गाजियाबाद से जुड़ने से पूर्व खेकड़ा, रातौल और ट्रोनिका सिटी सीमा से होता हुआ आता है (कुल लम्बाई लगभग 49 कि.मी.)।

इन कॉरीडोरों से तीसरी रिंग रोड बनाई जाएगी जो राजमार्ग–1 को रा. राजमार्ग–2 से जोड़ता हुआ दिल्ली के पूर्वी तरफ रा. राजमार्ग–24 व रा. राजमार्ग–58 से होता हुआ और दिल्ली के पश्चिमी तरफ रा. राजमार्ग–10 तथा रा. राजमार्ग–8 से होता हुआ जायेगा। ये प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में हैं और अभी कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली पुलिस के कार्मिक

4597. डा. बलिराम : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर स्तर तक के ऐसे कार्मिकों का ब्यौरा क्या है जो 3 से 5 अथवा पांच वर्षों से भी अधिक समय से एक ही जिले के विभिन्न स्कन्धों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन पुलिस कार्मिकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है ताकि पुलिस अपराधी साठ–गांठ स्थापित न हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) स्थायी अनुदेशों के अनुसार, किसी एक विशेष जिले/यूनिट में अधीनस्थ अधिकारियों के सामन्य कार्यकाल की अवधि 3 से 5 वर्ष होती है। तथापि, असाधारण मामलों में प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण अधिकारियों को सामान्य कार्यकाल के बाद भी उसी जिले में तैनात रहने की अनुमति दी जाती है।

विवरण

जिला	3–5 वर्ष					5 वर्षों से अधिक				
	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सह उप–निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सह उप–निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
पूर्व	5	37	7	168	348	2	7	7	31	300
पूर्वोत्तर	3	27	10	61	271	–	5	4	43	296
नई दिल्ली	–	43	27	60	307	2	26	2	18	220
उत्तर	5	27	24	161	615	1	5	7	28	224
उत्तर–पश्चिम	3	40	11	163	565	1	15	8	49	136
केन्द्रीय	3	57	22	120	559	–	32	4	23	335
दक्षिण	5	52	18	189	810	3	29	7	48	400
दक्षिण–पश्चिम	1	53	12	132	496	1	14	4	9	226
पश्चिम	3	43	14	188	487	–	9	3	35	183

[हिन्दी]

बिहार की योजनाएं

4598. श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री ब्रजमोहन राम :

मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से राज्य में साक्षरता कार्यक्रम को सुचारु बनाने, प्रत्येक गांव में प्राईमरी स्कूल खोलने, गांवों में प्राईमरी स्कूलों के उन्नयन हेतु भवनों की व्यवस्था करने तथा शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और कितने प्रस्ताव अभी लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बिहार राज्य सरकार से सर्वशिक्षा अभियान के तहत 14 जिलों में पूर्व–परियोजना कार्यकलाप हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के अधीन आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय इन प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों पर खर्च की गई धनराशि

4599. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों पर माहवार कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) क्या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह धनराशि पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस धनराशि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) अक्तूबर, 2000 में बढ़ाए गए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार नवोदय विद्यालय के प्रत्येक छात्र पर सीधे व्यय के लिए 6500/– रु. प्रति वर्ष की राशि आबंटित की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी. पाठ्यक्रम

4600. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे बी.एस.सी. (आनर्स), खाद्य प्रौद्योगिकी और बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) दो अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्य प्रौदयोगिकी में स्नातक करने के पश्चात् दिल्ली विश्वविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी. पाठ्यक्रम नहीं है जबकि बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) करने वालों के लिए खाद्य और पोषाहार में एम.एस.सी. पाठ्यक्रम है जिसके लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के स्नातक पात्र नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या खाद्य प्रौद्योगिकी के स्नातक जी.ए.टी.ई. और एन.डी.आर.आई., करनाल के लिए पात्र हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ङ) खाद्य प्रौद्योगिकी के स्नातकों जिनमें अधिकांश संख्या बालिकाओं की है को आगे अध्ययन में मदद करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) उक्त खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम चलाने वाले अन्य विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं और उनमें दाखिले के क्या मानदंड हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी में कोई एम.एस.सी. पाठ्यक्रम नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान नियमों के अनुसार खाद्य प्रौद्योगिकी के छात्र एम.एससी. गृहविज्ञान (खाद्य और पोषण) में प्रवेश लेने के पात्र नहीं हैं।

(ग) और (घ) जी.ए.टी.ई. परीक्षा कृषि इंजीनियरी सहित 20 विषयों में आयोजित की जाती है। खाद्य संरक्षण और इंजीनियरी, कृषि इंजीनियरी का एक भाग है। बी.एससी. खाद्य विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी और बी.ए.एससी. (खाद्य विज्ञान) के छात्र डेयरी, माइक्रोबायोलोजी डेयरी रसायन के निष्णात डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने के पात्र हैं।

(ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई ऐसे विश्व-विद्यालयों, जिनमें एम.एससी. खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा इस जैसे अन्य पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, की एक सूची और इन पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

क.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम/पात्रता मानदंड
1	2	3
1.	अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान और उच्चतर शिक्षा संस्थान	फूड सर्विस मैनेजमेन्ट एवं डाइटेटिक्स में एम.एससी./एम. फिल एवं पीएचडी/फूड साइंस न्यूट्रीशन एवं फूड क्वालिटी कंट्रोल/फूड प्रोसेसिंग एवं प्रीजरेवशन टेक्नोलोजी में बी.एससी./एम.एस.सी./पी.एचडी पात्रता: संबंधित या तत्संबंधी विषयों के साथ गृह विज्ञान में बी.एससी.
2.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि	बी.टेक, एम.टेक (एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एवं फूड इंजीनियरिंग/एम. एससी. (फूड साइंस एवं टेक्नोलोजी) पात्रता : ओजीपीए 2.25 (4.00) के आधार पर या 53 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एससी. गृह विज्ञान या कोई समकक्ष परीक्षा।
3.	एम.जी. चित्रबाउत ग्रामोदय	बी.टेक (फूड इंजीनियरिंग) पात्रता : विज्ञान और गणित के साथ इन्टरमीडिएट
4.	कुरूक्षेत्र	बी.एस.सी./बी.एच.एससी. (फूड एवं न्यूट्रीशन) पात्रता : 10 + 2

1	2	3
5.	जवाहर लाल नेहरू कृषि	एम.एससी. (फूड साइंस एवं टेक्नोलोजी) पात्रता : संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एससी.
6.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि	बी.टेक (फूड केमिस्ट्री/फूड इंजीनियरिंग/फूड एवं इण्डस्ट्रीयल माइक्रोबायोलोजी में डेयरी टेक्नोलोजी) पात्रता : 10.00 स्केल के तहत 7 ओजीपीए सहित बी.एससी. (गृह विज्ञान) + प्रवेश परीक्षा।
7.	आन्ध्र	एम.एससी. (कैमिस्ट्री एवं फूड ड्रग्स एवं जल एनालिसिस) पात्रता : संबंधित विषय में बी.एससी.
8.	गुरू जंबेश्वर	एम.एससी. (फूड प्रोसेसिंग एवं टेक्नोलोजी) पात्रता : कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एससी./बी.एससी. (एच) मेडिकल ग्रुप / एग्रीकल्चर / होम साइंस / फूड साइंस एवं टेक्नोलोजी / एप्लायड साइंस फूड टेक्नोलोजी।
9.	आई.आई.टी. खड़गपुर	एम.टेक (डेयरी एवं फूड इंजीनियरिंग) पात्रता : बी.टेक
10.	गुरू नानक देव	एम.एससी., एम. टेक (फूड साइंस एवं टेक्नोलोजी) पात्रता : 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में बी.एससी.।
11.	उत्तरी महाराष्ट्र	बी.टेक (फूड) पात्रता : अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित विषयों में 50 प्रतिशत अंकों के साथ एचएससी पास
12.	पंजाबी	एम.एससी (फूड एवं न्यूट्रीशन/माक्रोबियल फूड टेक्नोलोजी) पात्रता: संबंधित विषयों में बी.एस.सी. ऑनर्स
13.	सरदार पटेल	एम.एससी. (फूड एवं न्यूट्रीशन/फूड बायो टेक्नोलोजी) पी.एचडी (फूड एवं न्यूट्रीशन) पात्रता : फूड एवं न्यूट्रीशन मे बी.एससी. (होम साइंस)
14.	तमिलनाडु कृषि	बी.टेक (फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग) पात्रता : भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित में 60 प्रतिशत अंक + प्रवेश परीक्षा।
15.	पंजाब कृषि	एम.एससी./पी.एचडी (फूड एवं न्यूट्रीशन) पात्रता : 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एससी (कृषि)
16.	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	बी.एससी., एम.एससी (फूड एवं न्यूट्रीशन) पात्रता : 12 वर्षीय इन्टर कृषि/विज्ञान

1	2	3
17.	जादवपुर	बी.ई/एम.ई (फूड टेक्नोलोजी एवं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग)
		पात्रता: संबंधित विषय में बी.टेक
18.	राजस्थान कृषि	एम.ई. (प्रोसेसिंग एवं फूड टेक्नोलोजी)
		पात्रता : संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ई.
19.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	बी.एच.एससी./एम.एच.एससी (फूड एवं न्यूट्रीशन)
		पात्रता : प्रीयूनिवर्सिटी में 50 प्रतिशत अंक।

भू-संसाधन प्रबंधन संबंधी सम्मेलन

4601. श्री राममोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में खाद्य, रोजगार और पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु भू–संसाधन प्रबंधन संबंधी पांच दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) सोसाइटी अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत भारतीय भूमि संरक्षण सोसाइटी (सॉइल कन्जरवेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया) ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 9 से 13 नवम्बर, 2000 तक खाद्य, रोजगार और पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु भूमि संसाधन के प्रबंधन के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग इस सम्मेलन का सह–आयोजक था। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री ने भी भाग लिया था।

सरकार को अभी तक इस सम्मेलन की कार्यवाही और अन्तिम सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

"हुडको" द्वारा प्रदान किया गया ऋण

4602. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडको" द्वारा विभिन्न राज्यों की एजेंसियों को प्रदान किए जा रहे ऋण में प्रतिवर्ष कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य–वार अलग–अलग विभिन्न आवासीय एजेंसियों का "हुडकों" द्वारा कुल कितनी धनराशि का ऋण स्वीकृत और वितरित किया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत ऋणों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सामान्य आवास के लिए राज्यवार ऋण स्वीकृति

(करोड़ रु. में)

राज्य	1997–98	1998–99	1999–200
1 2	3	4	5
1. अंड. व निको. द्वीपसमूह	1.38	1.50	2.45
2. आंध्र प्रदेश	172.17	173.55	271.78
3. अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4. असम	16.23	85.50	106.31

1	2	3	4	5
5.	बिहार	4.65	19.40	12.33
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
8.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
9.	दिल्ली	0.00	3.50	10.46
10.	गोवा	13.34	0.00	0.00
11.	गुजरात	67.49	20.45	5.77
12.	हरियाणा	16.94	31.69	4.02
13.	हिमाचल प्रदेश	72.04	47.63	29.10
14.	जम्मू व कश्मीर	10.75	18.10	26.00
15.	कर्नाटक	108.78	165.62	140.98
16.	केरल	230.96	195.30	238.70
17.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	87.13	89.46	90.05
19.	महाराष्ट्र	116.22	397.80	79.80
20.	मणिपुर	22.20	23.77	1.00
21.	मेघालय	0.00	52.72	30.00
22.	मिजोरम	6.38	1.99	1.00
23.	नागालैंड	13.13	19.54	33.82
24.	उड़ीसा	53.21	13.50	160.85
25.	पांडिचेरी	0.95	4.87	0.00
26.	पंजाब	3.75	80.21	200.00
27.	राजस्थान	227.04	61.96	302.95
28.	सिक्किम	0.50	0.00	0.00
29.	तमिलनाडु	176.42	396.30	415.64
30.	त्रिपुरा	1.50	0.02	0.41
31.	उत्तर प्रदेश	83.56	61.60	61.34
32.	पश्चिम बंगाल	32.75	120.38	33.73
	कुल	1539.47	2086.36	2258.49

वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 के दौरान आवास स्कीमों के लिए जारी ऋण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	1.38	1.50	1.22
2.	आंध्र प्रदेश	146.21	216.95	166.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4.	असम	25.36	45.00	26.98
5.	बिहार	6.13	18.66	7.07
6.	चंडीगढ़	0.00	.00	.00
8.	दमन एवं दीव	0.00	.00	.00
7.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	.00	.00
9.	दिल्ली	3.57	.19	30.69
10.	गोवा	7.65	.00	.00
11.	गुजरात	41.68	51.04	36.36
12.	हिमाचल प्रदेश	49.85	58.73	17.77
13.	हरियाणा	2.20	11.73	18.61
14.	जम्मू व कश्मीर	8.92	8.97	8.88
15.	कर्नाटक	124.26	233.80	378.30
16.	केरल	216.89	343.27	350.05
17.	मध्य प्रदेश	57.11	61.65	46.26
18.	महाराष्ट्र	83.42	62.21	40.27
19.	मणिपुर	29.94	29.62	.00
20.	मेघालय	6.10	50.60	1.74
21.	मिजोरम	5.82	2.59	0.33
22.	नागालैंड	6.18	3.30	17.96
23.	उड़ीसा	27.44	31.00	91.24
24.	पांडिचेरी	0.27	3.39	1.69

1	2	3	4	5
25.	पंजाब	49.84	3.66	80.38
26.	राजस्थान	145.19	41.80	97.92
27.	सिक्किम	3.28	.00	.00
28.	तमिलनाडु	192.63	304.48	271.22
29.	त्रिपुरा	0.00	0.36	0.00
30.	उत्तर प्रदेश	110.57	108.03	29.16
31.	पश्चिम बंगाल	24.95	177.77	78.48
	कुल	1376.84	1810.30	1798.58

टिप्पणी : वर्ष 98–99 व 99-2000 के आंकडों में 20 लाख मकान कार्यक्रम के लिए जारी ऋण भी शामिल है।

20 लाख मकान कार्यक्रम (ग्रामीण श्रेणी) के अंतर्गत स्कीमों की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रु. में)

राज्य	1998–99			1999–2000		
	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्वीकृत इकाइयां	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्वीकृत इकाइयां
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	249.14	118.57	249378	139.74	114.70	139745
हिमाचल प्रदेश	17.59	13.97	10941	0.00	3.62	0
गुजरात	16.04	0.00	4011	0.00	1.31	0
कर्नाटक	149.81	56.14	149808	64.21	32.14	56711
केरल	182.54	108.93	96075	164.34	111.68	55200
उड़ीसा	29.45	7.80	11700	481.72	79.63	137688
तमिलनाडु	38.04	15.27	37725	33.38	13.23	33200
पश्चिम बंगाल	15.00	15.00	75000	50.49	30.00	231506
कुल	697.62	335.68	634638	933.88	386.31	654050

20 लाख मकान कार्यक्रम (शहरी श्रेणी) के अंतर्गत वार्षिक निष्पादन स्थिति

(करोड़ रु. में)

राज्य	1998–99			1999–2000		
	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्वीकृत रि.इ.	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्वीकृत रि.इ.
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	68.46	30.92	33063	84.28	2.99	34316
असम	87.02	7.00	26250	0.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	3.84	0.06	383	0.00	0.05	0
गुजरात	54.85	0.74	13976	104.81	14.53	21970
हरियाणा	14.05	0.00	2046	5.50	3.84	664
कर्नाटक	302.95	94.29	133708	139.75	108.03	55900
केरल	148.23	75.88	67568	236.39	102.72	64725
मध्य प्रदेश	171.00	0.00	50000	0.00	0.00	0
महाराष्ट्र	141.67	14.63	18713	3.50	0.95	343
उड़ीसा	30.00	4.98	12000	500.00	384.94	100000
तमिलनाडु	45.36	18.93	18142	56.20	20.90	30600
त्रिपुरा	0.00	0.00	0	8.68	0.00	1700
उत्तर प्रदेश	123.92	50.00	44550	0.00	0.00	0
पश्चिम बंगाल	2.00	2.00	10000	20.00	15.00	150000
कुल	1193.35	299.43	430399	1159.11	653.95	460218

रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन

4603. राशिद अलवी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उन कुछेक सदस्यों के नियंत्रण और प्रभाव में है जो सामान्यतः अवैध रूप से गेट लगाने और फेरीवालों को अनुमति प्रदान करने में अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें उनकी कालोनियों में होने वाले अतिक्रमण, पैदल चलने वालों पर प्रतिबंध और सार्वजनिक प्रयोग पर रोक लगाने संबंधी जानकारी सरकार को देने के लिए उत्तरदायी बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई विशेष सूचना न तो उपलब्ध है और न ही संकलित है। यदि रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जांच के बाद संगत अधिनियमों एवं नियमों के तहत स्थानीय निकायों/संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (घ) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि इन मुद्दों के भागीदारी स्कीम, जो उनके पास विचाराधीन है, में शामिल किए जाने की संभावना है। तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के जांच के अधीन नहीं है।

गोरखपुर का उर्वरक कारखाना

4604. श्री भालचन्द्र यादव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कृभको" द्वारा गोरखपुर के बन्द पड़े उर्वरक कारखाने को पुनः चलाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है लेकिन इसे सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको)

ने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एफसीआई के बन्द पड़े एकक के मौजूदा स्थल पर 1536 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 7.68 लाख मी. टन क्षमता का एक नया अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्धारित पद्धति के तहत निवेश अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया था। सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में प्रस्तावित अन्य तीन यूरिया परियोजनाओं के साथ इस प्रस्ताव को सरकार ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त पर अप्रैल 1999 में "सिद्धांतत" अनुमोदित कर दिया गया था। इस सभी परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन पीआईबी द्वारा जुलाई, 1999 में किया गया था। इन परियोजनाओं पर अन्तिम निवेश निर्णय लेने हेतु सरकार द्वारा जून 2000 में विचार किया गया था और इन्हें आस्थगित रखा गया था। यह प्रस्ताव, परियोजनाओं की व्यवहार्यता, सब्सिडी की आवर्ती को कम करने हेतु फीडस्टॉक के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने की वांछनीयता और सीमित मांग आपूर्ति भविष्यवाणियों के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को धीमा रखने की आवश्यकता के बारे में पीआईबी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे।

रसायन उत्पादों की डम्पिंग (पटाई)

4605. डा. सी. कृष्णन :

श्री वैको :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अप्रचलित, घटिया रसायन उत्पादों की डम्पिंग, पुरानी और घटिया प्रौद्योगिकी वाले रसायन संयंत्रों के विरुद्ध कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री" ने इस संबंध में कुछ देशों के विरुद्ध आरोप लगाया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने 'एसोचेम' द्वारा पहचान किए गए रसायनों और रासायनिक संयंत्र दोनों का पुनः निर्यात करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में रसायनों और संयंत्रों की डम्पिंग रोकने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार द्वारा नियुक्त पदनामित प्राधिकारी, भारत में सीमा शुल्क नियमावली, 1975 (पहचान, निर्धारण और डंप की गई वस्तु पर डंपिंग रोधी शुल्क और हानि के निर्धारण के लिए) यथा संशोधित 1995 की धारा 9क, 9ख, और 9ग के अन्तर्गत डंपिंग रोधी जांच करता है। जहां तक डंपिंग रोधी शुल्क का संबंध ा है, ऐसे शुल्क 1995-96 से 1999-2000 के दौरान सरकार द्वारा 22 विभिन्न रासायनिक उत्पादों पर लगाए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) डंपिंग रोधी शुल्क लगाना बड़े पैमाने पर रसायनों के डंपिंग रोकने का एक प्रमुख उपाय है। वाणिज्य मंत्रालय को, प्रभावित कंपनियों द्वारा डंपिंग रोधी याचिका दायर करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। अतः प्रभावित कंपनियों द्वारा डंपिंग रोधी याचिका दायर करने से देश में रसायनों और प्लाटों की डंपिंग रुकेगी।

[हिन्दी]

पुरस्कार योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध लेखक

4606. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष पुरस्कार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा विचारोपरांत चयनित हिन्दी पुस्तकों तथा सूचीबद्ध लेखकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मूल सूची में संशोधन किया गया है और मूल सूची में किन नियमों के अंतर्गत संशोधन किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा लेखकों की प्रमाणिक सूची तैयार करने तथा निदेशक की संदेहास्पद भूमिका की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) वर्ष 1999–2000 के लिए पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचार की गई पुस्तकों व लेखकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसे संशोधित नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक	विधा
1	2	3	4
		असमिया	
1.	मैं बेचता हूं दर्द	अनुपम कुमार	कविता
		तमिल	
1.	सलमा	टी.आर. वरदराजन	उपन्यास
2.	रांगेय राघव–एक अंतरंग परिचय	सुलोचना राघव	संस्मरण
3.	महाराष्ट्र की संस्कृतिक अस्मिता का उदय और विकास	डॉ. राजन नटराजन नेपल्लै	गद्य (अनुवाद)
		मराठी	
1.	ललित रामायण	डा. व.ज. हरिदास	कविता
2.	गीत कृष्णायण	–वही–	"
3.	पहचान (पांडुलिपि)	वासंती मिश्र	"
4.	मंगलौर और आस–पास जैसा मैने जाना	डा. स्मिता चिपलूणकर	सांस्कृतिक
5.	सूर्यास्त	सिंधु ज्ञानेश्वर भिंगारकर	निबंध
6.	गुप्तगू	नीर शबनम	कहानी
7.	बंजारा संस्कृति शोध	खिराजी लक्ष्मण नाइक	आलोचनात्मक
		डोगरी	
1.	मधुमक्खी पालन कब और कैसे	डा. धर्मपाल अबरोल	कृषि संबंधी
2.	कविता में सांस्कृतिक चेतना	डा. राजकुमार	आलोचना
3.	वेटिंग रूम	–वही–	कहानी
4.	जो घर फूंके आपनो	अनिता सिंह चाड़क	हास्य व्यंग्य
		कश्मीरी	
1.	पुष्प अंबार	सोमनाथ भट्ट "वीर"	कविता
		तेलुगु	
1.	काव्य सुरभि	श्रीमती बी. तुलसी राव	कविता
2.	विश्वेवर वर्णमाला (पांडु.)	श्रीमती शेषम्मा दक्षिणामूर्ति	"

1	2	3	4
3.	समाधान	जी.वी.एस.ए. पांडुरंगेय्या	उपन्यास
4.	श्री शारदा देवी	डा. टी.एस. ऊषाराणी	जीवनी
5.	श्री रामकृष्ण तथा विवेकानंद (पांडुलिपि)	प्रो. माधवराव रेगुलपाटी	जीवनी
6.	नई कविता–पुराख्यान और समकालीनता	डा. एस. सूर्यनारायण वर्मा	आलोचना
7.	आलोक	डा. वसंत चक्रवर्ती	"
8.	तुलसीकृत हनुमान घालीसा	के. शिव सत्यनारायण	"
9.	सुंदरकांड की सौंदर्य–मीमांसा	मल्लादि गोयल कृष्ण शर्मा	"
		बंगाली	
1.	अपने पास बहुत पास	श्रीमती स्निग्धा बेनर्जी	कविता
2.	भर अंजुरी	नीता बेनर्जी	"
3.	देवभूमि हिमालय	चंद्रशेखर भट्टाचार्य	यात्रावृत्त
4.	किसे पुकारूं (पांडुलिपि)	डा. रानु मुखर्जी	कहानी
5.	इंद्रधनुष	विकास तालुकदार	एकांकी नाटक
		पंजाबी	
1.	आपके सामने	ललिता अरोड़ा	कविता
2.	आम आदमी की कविता	डा. शशिकांत उत्पल	"
3.	देवव्रत भीष्म	सत्येंद्र प्रकाश नंदा	"
4.	एक लड़की पारूल	मलिक राजकुमार	"
5.	पहेली कौन औरत या समाज	चमन गुरूदासपुरी	उपन्यास
6.	बेवफा कौन	"	"
7.	हाशिए पर	राज बुद्धिराजा	संस्मरण
8.	पंजाब की युवतियों के लोकनृत्य	डा. जागीर सिंह नूर	सांस्कृतिक
9.	भारतीय संस्कृति जीव विज्ञान	गोकुल चंद कपूर	(लेख) सांस्कृतिक
10.	पारो खुश है	राज बुद्धिराजा	लघु कथा
11.	उत्तरोतर	"	आत्मकथा
12.	संत जोन	संतोष खन्ना	नाटक
13.	अंततः	कनु बहल, विभु पुरी	नाटक
14.	बदकिस्मत है वह नर	महेश	व्यंग्य/लघुकथा

1	2	3	4
15.	दिल्ली चढ़ी पहाड़	हरीश नवल	व्यंग्य
16.	निराला की आधुनिक मनस्सार्थकता	श्रीमती संतोष कुमार	
17.	डंक का डंक	डा. सरोजिनी प्रीतम	हास्य/कथा साहित्य
18.	गुरू गोविंद सिंह और उनकी अपनी कथा	सरला भारद्वाज	आलोचना
		उड़िया	
1.	अच्छाई	चरण नायक	वही
2.	उत्कल की महियसी नारियां	श्रीमती सस्मितानंद	निबंध संकलन जीवनियां
3.	उत्कल के वरपुत्र	डा. विष्णुचरण स्वाई	निबंध
4.	आर्या भारत	डा. भगवान पाण्डा	आलोचना
5.	श्री जगन्नाथ कल्चर (पांडुलिपि)	डा. अजित प्रसाद महापात्र	श्री जगन्नाथ साहित्य
		कन्नड	
1.	काव्य श्री	डा. के. एन. शेषाद्रि	कविता
2.	श्री रामायण दर्शनम्	डा. प्रधान गुरूदत्त	"
3.	अधूरे शब्द	डा. काशीनाथ अंबलगे	"
4.	महाक्षत्रिय	सु. कृष्णा	उपन्यास
5.	कर्नाटक की लोकसंस्कृति	नाजनीन बेगम	सांस्कृतिक
6.	कुछ वैज्ञानिक कहानियां	सुमंगला मुम्मिगट्टी	कहानी
7.	बंदायुग (पांडुलिपि)	राजीव हिरेमठ	काव्य नाटक
		मलयालम	
1.	सोचो फिर एक बार	श्रीमती कौसल्या अम्माल	कविता
2.	अवसान के पूर्व (पांडुलिपि)	प्रो. वेणुगोपाल कृष्ण	"
3.	केरल प्रसून	टी.एस. पोन्नम्मा	"
4.	बेडा पार करना है	डा. जी. कमलम्मा	"
5.	कल की बारिश	अशोक बी	उपन्यास
6.	केरल : दशा एवं दिशाएं	डा. विजय कुमारन सी.पी.सी.	निबंध
7.	सामाजिक प्रतिबद्धता और नववामपंथी कविता	डा. टी.ए. बाबू	आलोचना
8.	नैतिक मूल्य परख एवं सुझाव	डा. ए.जे. अब्राहम	आलोचना
		उर्दू	
1.	प्रलय सिंधु	याकूब यावर	उपन्यास

1	2	3	4
		गुजराती	
1.	चौराहों पर रुका सफर (पांडु.)	डा. कांतिलाल मोतीलाल शाह	कविता
2.	झरबेरी तथा अन्य कहानियां (वही)	गुलाबचंद नरसिंह भाई पटेल	कहानी
3.	झांसी की रानी सरस्वतीबाई (वही)	चंद्रिका पांडिया	हास्य व्यंग्य
4.	सार्थक समवाद (वही)	वही	
		सिंधी	
1.	विवृत	जयंत रेलवाणी	निबंध
2.	सिंधी भगति शैली	जेठो ललवाणी	कला संबंधी

[अनुवाद]

भूमि का अतिक्रमण

4607. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि और विकास कार्यालय द्वारा 1998 में किए गए पिछले सर्वेक्षण से पता चला था कि लगभग 100 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है और इसकी कीमत 930 करोड़ रुपए की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि और विकास कार्यालय एम.सी.डी. से उस 2.88 करोड़ रुपए की वसूली करने में भी असफल रहा जिसे उन्होंने दिल्ली में रिंग रोड़ और सत्य निकेतन के बीच नौ एकड़ की मूल्याकन जमीन की अप्राधिकृत नीलामी के जरिए फरवरी, 1995 में जुटाया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भूमि और विकास कार्यालय के कार्यकरण को चुस्त–दुरुस्त बनाने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) यह सच है कि 1998 के सर्वेक्षण में करीब 100 एकड़ भूमि पर झुग्गी झोपड़ी निवासियों व आबादकारों (स्क्वेटर्स) आदि द्वारा अतिक्रमण पाया गया था। इसमें से करीब 12.6 एकड़ भूमि, गोल मार्किट, बाबा खड़क सिंह मार्ग, रंजीत सिंह मार्ग, एन्ड्रयूजगंज और त्यागराज नगर में हाल ही में अतिक्रमण हटाकर तथा आबादकारों का स्थानांतरण करके मुक्त कराई गई है। अन्य स्थानों से शेष अतिक्रमणों को हटाना, स्थान/भूमि विशेष की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जरूरत की प्राथमिकता, आबादकारों के पुनर्वास के लिए भूमि व धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम द्वारा नीलाम की गई 1073.44 वर्ग मीटर भूमि, दिल्ली नगर निगम (स्लम व जे.जे. विंग) को आबंटित कर दी गई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुकदमे दायर करने की अनुमति

4608. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने राज्य सरकार से 2 अक्तूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग के मामले में आई.ए.एस. अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे दायर करने की अनुमति प्रदान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश सरकार से, 2.10.94 को रामपुर, तिराहा, मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड आन्दोलनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी के बारे में तथाकथित अपराध के लिए भा.पु. सेवा के एक अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया था, जो अक्तूबर, 1994 के दौरान मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट थे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भा.प्र. सेवा के उक्त अधिकारी पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने से मना कर दिया है।

कोयले का भण्डार

4609. श्री ब्रजमोहन राम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले के भंडार के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार झारखंड के गोधवा जिले के भंडारिया में नए कोयला क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) 1.1.2000 को भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए आकलन के अनुसार झारखंड राज्य के अंदर विभिन्न श्रेणी के तहत कोयले के कुल भंडार नीचे दिए गए हैं :–

प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
33793	28693	5631	69129*

* कोलफील्डवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गढ़वा जिले के भंडारिया के आसपास भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गये क्षेत्रीय अन्वेषण से कोयले के इस सीम के होने का पता चला है। यह क्षेत्र हरता तथा तिहारी के घने एवं संरक्षित वन से घिरा हुआ है और सीसीएल की खनन संबंधी वर्तमान आधारभूत सुविधाओं से दूर है। परिस्थितियों के अंतर्गत, सीआईएल का वर्तमान में इस क्षेत्र में खान खोलने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

1.1.2000 को झारखंड की विभिन्न कोलफील्डों में कोयले के भंडारों की सूची

राज्य/कोलफील्डों के नाम	भंडार (मि.ट.)			कुल भंडार (मि.ट.)
	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	
1	2	3	4	5
झारखंड				
रानीगंज कोलफील्ड (झारखंड का भाग)	409	548	90	2047
झरिया कोलफील्ड	15076	4352	0	19430
ईस्ट बोकारो कोलफील्ड	2866	3139	0	6005
वेस्ट बोकारो कोलफील्ड	3165	1551	43	4759
रामगढ़ कोलफील्ड	368	545	58	971
नार्थ करनपुरा कोलफील्ड	6679	5690	2028	14397
साउथ करनपुरा कोलफील्ड	2542	1963	1500	6014
औरंगा कोलफील्ड	9	2485	503	2998
हुतार कोलफील्ड	191	27	32	250
डालटनगंज कोलफील्ड	84	60	0	144
देवगढ़ कोलफील्ड	326	74	0	400
राजमहल कोलफील्ड	2078	8259	1377	11714
झारखंड हेतु कुल	33793	28693	5631	69129

[अनुवाद]

शिशुगृह और शिशु देखरेख केन्द्र

4610. डा. वी. सरोजा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में बड़ी संख्या में शिशु देखरेख केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बड़ी संख्या में शिशुगृह और बाल देखभाल केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी.डी.ए. में फालतू कर्मचारी

4611. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डी.डी.ए. में काम कर रहे फालतू कर्मचारियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो फालतू कर्मचारियों का श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उन्हें खपाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने संबंधी 700 मामले उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के लिए सरकार ने क्या उपचारी कार्यवाही की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक (एसआईयू) ने वर्ष 1986–1991 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न विभागों की जांच की और फालतू स्टाफ की पहचान की थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पहचान किए गए फालतू और समाप्त किए गए पदों को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्टाफ निरीक्षण एकक के अध्ययन के परिणामस्वरूप श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग' स्तरों पर फालतू स्टाफ को समायोजित कर दिया गया है सिवाय उन क्षेत्रों को जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्टाफ निरीक्षण एकक के अध्ययन को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया। दिल्ली विकास प्राधिकरण के केवल श्रेणी 'घ' स्तर पर और कार्य प्रभारित स्थापना (वर्क चार्जड इस्टेबलिशमेन्ट) में फालतू स्टाफ बचा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस फालतू स्टाफ की समस्या से पहले ही अवगत है। 1043 कार्य प्रभारित कर्मचारी दिल्ली नगर निगम को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में सीधी भर्ती पर रोक है। तथापि, 1.4.1995 से होने वाली 5 प्रतिशत सेवानिवृत्त रिक्तियां दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को दी जा रही हैं। हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियों के स्थान पर आरक्षित मूल्य पर दुकानें/किओस्क/स्टालों की भी पेशकश की है।

विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	फालतू घोषित पद	समाप्त पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	जन संपर्क सैल	9	9	
2.	मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय	60	60	
3.	निदेशक (भूमि लागत)	54	54	
4.	डी.डी.ए. के अधिकारियों का वैयक्तिक स्टाफ	637	637	
5.	लेखा शाखा (एनपीआरएस)	13	13	
6.	एच.यू.पी.डब्लयू (वास्तुकीय)	175	175	
7.	इलेक्ट्रीकल सर्किल–3 और इसके डिविजन	258	48	
8.	बागवानी खंड	2,545	2,545	
9.	सिविल सर्किल 4 एवं इसके डिविजन	156	113	
10.	आवास विभाग (प्रबंधन)	59	59	
11.	वित्त सलाहकार (आवास)	26	26	
12.	दिल्ली लाट्री	6	6	
13.	महाप्रबंधक (आईएसबीटी)	136	136	

1	2	3	4	5
14.	सतर्कता विभाग	19	–	सतर्कता विभाग भूमि विभाग, सिविल सर्किल
15.	भूमि विभाग	448	–	3, 8, 10, 13 एवं 17 के संबंध में
16.	सिविल सर्किल 3 और सिविल सर्किल 17 उनके डिविजन सहित	1,123	–	स्टाफ निरीक्षण एकक की रिपोर्ट डीडीए द्वारा कार्यान्वित नहीं की गई है।
17.	सिविल सर्किल 8 और 10 और उनके डिविजन	793	–	
18.	सिविल सर्किल 13 और इसके डिविजन	498	–	
	कुल	7,015	3,881	

[हिन्दी]

सीआईएल में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा परिवहन/ठेका कार्य

4612. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के भूतपूर्व सैनिकों को परिवहन कार्य और विभिन्न ठेका कार्यों में कुछ रियायत मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में ऐसे कितने ठेकेदार हैं और उन्हें कितनी रियायत दी गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अक्तूबर, 2000 तक प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा ऐसे ठेकेदारों को दिए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायिकाओं में माल ढुलाई कार्य में भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों को दी जाने वाली रियायतों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) महानिदेशक (पुनर्वास), रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों को बिना निविदा के आदर्शक दरों पर कोयला और संबद्ध कार्य के परिवहन का कार्य दिया जाता है, इन दरों में संबंधित सहायक बोर्ड द्वारा अनुमोदित वृद्धि घटक भी रहता है।

(ii) संविदा की प्रारंभिक अवधि 5 वर्ष तक वैध होती है जिसमें संतोषजनक कार्यनिष्पादन पर चार और वर्षों तक बढ़ाने का प्रावधान होता है।

(iii) सीआईएल तथा महानिदेशक (पुनर्वास) के बीच हुए समझौते ज्ञापन के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों के लिए प्रतिभूति जमा राशि अधिकतम 3.00 लाख रु. तक सीमित है जबकि प्राइवेट ठेकेदारों के लिए अधिकतम सीमा 10 लाख रु. है जो दिए गए कार्य के मूल्य पर निर्भर करता है।

सहायिकाओं में लगे ऐसे संविदाकारों की कंपनीवार संख्या निम्नानुसार है :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–	01
भारत कोकिंग कोल लि.	–	12
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	–	18
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–	12
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–	26
महानदी कोलफील्ड्स लि.	–	30

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में भूतपूर्व सैनिकों की कोई कंपनी कार्य नहीं कर रही है।

भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए कार्य मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत आते हैं :–

1. फेस टू सरफेस/कोल हैंडलिंग प्लांट/साइडिंग/वाशरी से कोयले की ढुलाई करना।
2. फेस पर टिप्परों की लौडिंग करना।
3. सरफेस टू सरफेस कोयले की लदाई और ढुलाई करना।

4. वैगनों की लदाई करना।

5. रिहैंडलिंग करना।

6. नदी घाटों से रेत बंकरों तथा रेत बंकरों से भूमिगत खानों में रेत की ढुलाई करना।

(घ) पिछले तीन वर्षों, अक्तूबर, 2000 तक, के दौरान किए गए कार्य की कुल मात्रा, सहायक कंपनीवार निम्नवत है:–

विवरण

(आंकड़े लाख टनों में)

सहायक कंपनियां	1998–99	99–2000	2000–01
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	19.69	22.73	12.35
भारत कोकिंग कोल लि.	98.65	115.43	129.20
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	240.67	283.31	151.57
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	97.68	96.05	68.61
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	805.89	870.43	487.67
महानदी कोलफील्ड्स लि.	507.10	530.8	274.5

(सितम्बर तक)

डब्ल्यू सीएल के मामले में रेत की ढुलाई का काम भी दिया गया, जिसका वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	ढुलाया गया रेत (लाख क्यूबिक मी.)
1998–99	9.91
1999–2000	4.10
2000–01 (अक्तूबर तक)	6.55

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों की सलाहकार समिति

4613. श्री अरूण कुमार : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय से संबद्ध वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) मंत्रिमंडल सचिवालय से संबद्ध कोई वैज्ञानिक सलाहकार समिति नहीं है। हालांकि, मंत्रिमंडल की एक वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति (एस ए सी सी) है, जिसके अध्यक्ष प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर दो अन्य समितियों अर्थात प्रख्यात तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकों का सलाहकार समूह और सरकारी विभागों एवं एजेन्सियों के सलाहकार समूह के भी अध्यक्ष हैं। इन समितियों/समूहों की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं विचार करने के लिए समय–समय पर बैठक होती है और वैज्ञानिक मामलों पर मंत्रियों के समूह को उनके विचारार्थ प्रस्ताव दिए जाते हैं। मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे/प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंध रखते हैं; भारत सहस्त्राब्दी मिशन 2020 तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकास हेतु कार्यक्रम; जड़ी–बूटी, एवं प्राकृतिक उत्पाद तथा पुष्पकृषि; विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक कार्य प्रणालियों का सरलीकरण; महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा उच्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में निजी क्षेत्र की पहल।

की गई सिफारिशें विचार–विमर्श के विभिन्न चरणों में है।

कपार्ट

4614. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में अलग लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कपार्ट का विकेन्द्रीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 1999–2000 के दौरान कपार्ट का कार्यकरण सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कपार्ट की कार्यप्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने के लिए अब तक अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, धारवाड, जयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ और पटना में नौ क्षेत्रीय समिति कार्यालय खोले गए हैं। बीस लाख रु. तक की पात्र परियोजनाएं अब इन क्षेत्रीय समितियों द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय समिति स्तर पर और भी योजनाओं को स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल पड़ी है।

1.4.1999 से कपार्ट ने केवल जन सहयोग (पी.पी.), लाभार्थियों का संगठन (ओ.बी.) और ग्रामीण प्रौद्योगिकी योजना का विकास (आट्र्स) नामक तीन क्षेत्रों तक ही वित्त पोषण सीमित कर दिया है। कपार्ट विकलांगता कार्य, वाटरशेड विकास, संकट निवारण एवं पुनर्वास कार्य में भी सहायता प्रदान करती है। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परियोजना तैयार करने में पारदर्शिता, लचीलेपन, अभिनव और समन्वित दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है।

मुख्यालय स्तर पर 1.00 करोड़ रु. तक की सभी परियोजनाओं को अब राष्ट्रीय स्थायी समितियां स्वीकृत करती हैं और 1.00 करोड़ रु. से अधिक की परियोजनाएं कार्यकारी समिति द्वारा ही स्वीकृत की जा सकती हैं। परियोजना को स्वीकृत करने से पहले वित्तपोषण–पूर्व मूल्यांकन एक अनिवार्य प्रावधान है। जनसहयोग और लाभार्थियों का संगठन योजनाओं के स्कोप को स्पष्ट करने के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं और अवधारणा एवं प्रकियाओं को स्वैच्छिक संगठनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

अनुबंध में विचलन

4615. डा. संजय पासवान :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं और कार्यपालक अभियंताओं के पास ए एच आर और ए एल आर मदों को छोड़कर अनुबंध में कमशः 10 प्रतिशत और 30 प्रतिशत विचलन को अनुमोदित करने की शक्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विचलन के प्रतिशत का आंकलन करते समय अतिरिक्त मदों/स्थानापन्न मदों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं और कार्यपालक अभियंताओं द्वारा ए एच आर और ए एल आर मदों का अनुमोदन करने वाली शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों तथा कार्यपालक इंजीनियरों को ए एच आर और ए एल आर मदों को छोड़कर अनुबंध में विचलन के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं–

(i) सहायक इंजीनियर–अनुबंध मद की 10 प्रतिशत अधिकतम 60.000/– रु.

(ii) कार्यपालक इंजीनियर–अनुबंध मद की 20 प्रतिशत अधिकतम 7 लाख रु.

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों तथा कार्यपालक इंजीनियरों की ए एच आर और ए एल-आर मदों के अनुमोदन के लिए शक्तियां इस प्रकार हैं –

(i) सहायक इंजीनियर/सहायक कार्यपालक इंजीनियर– 8000/– रु.

(ii) कार्यपालक इंजीनियर– 60,000/– रु.

उपर्युक्त शक्तियां कुरसी स्तर (प्लिंथ लेवल) से नीचे/ऊपर की मात्राओं के लिए कमशः 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बाहर है।

[हिन्दी]

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की रुग्ण इकाइयों में वेतन संशोधन

4616. योगी आदित्यनाथ : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की ऐसी रुग्ण इकाइयां कौन–कौन सी हैं जिनमें 1987 से वेतनमानों का संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने इन रुग्ण इकाइयों में वेतनमानों के संशोधन के संबंध में कोई निर्णय दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सिन्दरी, रामागुण्डम, तालचर कोरबा एवं जोधपुर स्थित 6 रुग्ण एककों को 1.1.1987 से कर्मचारियों के अन्तिम मजदूरी संशोधन की अनुमति प्रदान की गयी थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन

4617. श्री माधवराव सिंधिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 2000 में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त शिखर सम्मेलन में विश्व भर में महिलाओं के प्रति लगातार बढ रही हिंसा और भेदभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों का मुकाबला करने का संकल्प लिया गया था;

(ख) संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या–क्या चर्चा की गयी; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सर्व–सम्मति से स्वीकार की गई संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि घोषणा में निम्नलिखित संदर्भ शामिल हैं:

1. पैरा 20 में यह संकल्प अभिव्यक्त किया गया है कि 'निर्धनता, भुखमरी तथा बीमारियों का सामना करने एवं ऐसे विकास को प्रोत्साहित करने हेतु, जो वास्तव में स्थाई हो, कारगर उपाय के रूप में महिला–पुरुष समानता एवं महिला शक्ति–सम्पन्नता को बढ़ावा दिया जायेगा।'

2. 'मानवाधिकार प्रजातन्त्र तथा बेहतर शासन' के तहत पैरा 25 में यह संकल्प अभिव्यक्त किया गया है कि "महिलाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त किया जायेगा तथा महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन करने संबंधी कन्वेंशन का कार्यान्वयन किया जायेगा।"

(ख) भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कोई रिपोर्ट विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के लिए तैयार अथवा प्रस्तुत नहीं की गई।

(ग) भारत, 'महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन' में पहले से ही शामिल है। देश में कन्वेंशन के कार्यान्वयन पर भारत की प्रथम रिपोर्ट पर कन्वेंशन के तहत संयुक्त राष्ट्र समिति ने जनवरी, 2000 में विचार किया था।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत पेयजल

4618. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना कार्यान्वयन के बाद से इसके तहत कितने ग्रामीण व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है और नौवीं योजना अवधि के दौरान इसके तहत राज्य–वार कितने–कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : चालू वित्त वर्ष में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई पहल शुरू की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ग्रामीण पेयजल को एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण बसावटों में पेयजल का प्राधान, जलगुणवत्ता संबंधी समस्याओं का निदान करने और स्थायित्व संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं/योजनाओं को तैयार करने, उन्हें मंजूर करने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं और इसीलिए कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार भी राज्यों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों की हेराफेरी

4619. श्री तूफानी सरोज : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों द्वारा निधियों की हेराफेरी संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिकायतों के आधार पर इन गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक निधियों की हेराफेरी का संबंध है, साउथ एशियन नेटवर्क फार आल्टरनेटिव मीडिया नामक दिल्ली स्थित

एक गैर सरकारी संगठन के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच की गई और यह शिकायत सही पायी गई थी।

(ग) इस संगठन को किसी सरकारी विभाग से और अनुदान प्राप्त करने के लिए काली सूची में रख दिया गया है। सभी संबंधितों को इसकी विधिवत जानकारी दे दी गई है।

महिला कल्याण हेतु योजना

4620. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अकाल पीड़ित गांवों की महिलाओं के कल्याण हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस योजना के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या बोर्ड का विचार युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए राजस्थान में होस्टल खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में आई टी आई और आई टी सी

4621. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्र सरकार द्वारा कितने औद्योगिक तकनीकी संस्थान (आई टी आई) और औद्योगिक तकनीकी केन्द्र (आई टी सी) चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार छात्रों को वजीफे और प्रबंधन को अनुदान दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) केरल में "औद्योगिक तकनीकी संस्थान" और "औद्योगिक तकनीकी केन्द्र" के नाम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई संस्थान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मरुस्थल क्षेत्र का बढ़ना

4622. श्री हरिभाई चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर उत्तरी गुजरात में मरुस्थल क्षेत्र के बढ़ने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मरुस्थल क्षेत्र को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध महरिया) : (क) और (ख) जबकि राजस्थान सरकार द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के आस-पास मरुस्थल का फैलाव प्रति वर्ष आधे किलोमीटर की दर से हो रहा है, तथापि, उत्तर गुजरात, जो मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है, के संबंध में ऐसा कोई आकलन उपलब्ध नहीं है। उत्तर गुजरात में मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेवार कारण अनियमित वर्षा होना, पहले से ही कमजोर पारिस्थितिकीय प्रणाली पर मानव जनसंख्या और पशुधन का बढ़ता हुआ दबाव, बार-बार सूखा पड़ना, वायु द्वारा भू-क्षरण, सिंचाई और पीने के लिए भूमि से अत्यधिक पानी निकालना और वानस्पतिक आच्छादन में कमी आना है।

(ग) उत्तर गुजरात में मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा राज्य की इसी प्रकार की परियोजनाओं के तहत वाटरशेड विकास के जरिए सतत् आधार पर पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर गुजरात में वर्ष 1995-96 से 52.25 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 209 वाटरशेड विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के आरंभ किए जाने से लेकर उत्तर गुजरात में 36364 हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने हेतु 18.11 करोड़ रुपये की कुल लागत पर चार वाटरशेड परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

आई डी पी एल के कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान

4623. श्री भान सिंह भौरा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई डी पी एल के सभी संयंत्रों में मजदूरों और कर्मचारियों को सितम्बर, 2000 के बाद से उनकी मजदूरी और वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने वेतन के भुगतान के लिए क्या उपाय किए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) एस आई सी ए, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत आई डी पी एल, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित की गई कंपनी है। आई डी पी एल के भविष्य पर अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण, सरकार, कर्मचारियों के वेतन/भत्तों के भुगतान के लिए समय-समय पर धनराशि जारी करती रही है। बजट में प्रावधानों के अंतर्गत आई डी पी एल के कर्मचारियों तथा कामगारों को अगस्त, 2000 तक वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर दिया गया। सितम्बर, 2000 के आगे के वेतन/भत्तों के लिए धनराशि जारी करने के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जल-मल व्ययन परियोजनाएं

4624. श्री पद्मसेन चौधरी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में जल-मल व्ययन संबंधी परियोजनाओं के कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना-वार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के तकनीकी विंग, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन को उत्तर प्रदेश सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान सीवरेज और सीवेज निपटान के लिए दो प्रस्ताव मिले हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं। इस मंत्रालय के पास कोई सीवेज निपटान परियोजना लम्बित नहीं है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार को, गंगा कार्रवाई योजना चरण-II के अंतर्गत गंगा नदी के साथ-साथ बसे 22 कस्बों यमुना कार्रवाई योजना के अन्तर्गत यमुना नदी के साथ-साथ 8 कस्बों तथा गोमती कार्रवाई योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के साथ-साथ बसे 3 कस्बों में नदी प्रदूषण उपशमन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सहायता मुहैया करा रहा है। इन 33 कस्बों के नाम संलग्न विवरण-II में हैं। इन 33 कस्बों में शुरू किए जा रहे नदी प्रदूषण उपशमन कार्यों में सीवेज अवरोधन व विचलन की स्कीमें, कम लागत की सफाई की अन्य स्कीमों के अलावा सीवेज शोधन संयंत्रों को स्थापित करना, शवदाहगृह नदी मुहाने का विकास करना, वन रोपण आदि शामिल है। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त व अनुमोदित सीवरेज कार्यों संबंधी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में हैं। इनके अलावा कोई परियोजना प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लम्बित नहीं है।

आवास और नगर विकास निगम ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान उसे उत्तर प्रदेश के लिए एक सीवरेज (अर्थात् सीवेज पंपिंग स्टेशन, गोमती नगर, लखनऊ) और एक जल निकासी (अर्थात् बरसाती पानी की निकासी, शारदा नगर लखनऊ) स्कीम प्राप्त हुई है और अनुमोदित की गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 12.39 करोड़ रुपये और ऋण सहायता 8.70 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा विभिन्न नदी प्रदूषण उपशमन कार्यों (सीवरेज स्कीमों सहित) के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जारी धन के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने सूचित किया है कि पूर्व में अनुमोदित परियोजनाओं तथा साथ ही गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर धन जारी किए गए थे।

आवास और नगर विकास निगम ने सूचित किया है कि उनके द्वारा मंजूर परियोजनाओं के लिए उन्होंने 4.29 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से प्राप्त सीवरेज निपटान परियोजनाएं

1. इस मंत्रालय के तकनीकी विंग, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन द्वारा 2.2.2000 को 4805.00 लाख रु. की अनुमानित लागत पर ताज ट्रेपेजियम जोन फेज–I ताजगंज सीवरेज डिस्ट्रिकट के अंतर्गत आगरा में सीवरेज प्रणाली के सुधार स्कीम को मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम अभी तक शुरू नहीं की गई है।

2. 1998–99 के दौरान 15 कस्बों के लिए अनुमानित 2448.78 लाख रु. की जापान से सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राज्य सरकार को 4.7.2000 को लिखा है कि क्या वह नगरीय और पर्यावरणीय अवस्थापना सुविधा परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुमोदित लाइन आफ क्रेडिट पाने के विकल्प पर विचार करने की इच्छुक है। राज्य सरकार से अभी उत्तर नहीं मिला है।

विवरण-II

स्वीकृत 33 कस्बों के नाम

यमुना कार्रवाई योजना

1. सहारनपुर
2. मुजफ्फर नगर
3. गाजियाबाद
4. नोयडा
5. मथुरा
6. वृंदावन
7. आगरा
8. इटावा

गोमती कार्रवाई योजना

9. लखनऊ
10. जौनपुर
11. सुलतानपुर

गंगा कार्रवाई योजना चरण–II

12. हरिद्वार–ऋषिकेष
13. फर्रूखाबाद
14. कानपुर
15. इलाहाबाद
16. मिर्जापुर
17. वाराणसी
18. मुगलसराय
19. गाजीपुर
20. सैदपुर
21. गढ़ मुक्तेश्वर
22. बिजनौर
23. चुनार
24. अनुपशहर
25. रानीपुर–भेल
26. जोशीमठ
27. गोपेश्वर
28. कर्णप्रयाग
29. रूद्रप्रयाग
30. बद्रीनाथ
31. श्रीनगर
32. देवप्रयाग
33. उत्तरकाशी

विवरण-III

(करोड़ रु.)

क.सं.	मद	1997–98			1998–99			1999–2000		
		आर*	ए	पी*	आर*	ए	पी*	आर*	ए	पी*
1.	यमुना कार्रवाई योजना									
	(क) परियोजनाओं की संख्या	5	4	1	4	5	–	1	1	–
	(ख) अनुमोदित परियोजनाओं की लागत		14.32	2.83		8.13			0.29	
2.	गोमती कार्रवाई योजना									
	(क) परियोजनाओं की संख्या	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	(ख) अनुमोदित परियोजनाओं की लागत		2.24			–			–	
3.	गंगा कार्रवाई योजना चरण–II									
	(क) परियोजनाओं की संख्या	3	3	–	6	6	–	2	2	–
	(ख) अनुमोदित परियोजनाओं की लागत		2.48			9.46			9.69	

लेजेंड

आर : प्राप्त

ए : अनुमोदित

पी: लम्बित

* इसमें वे परियोजनाए शामिल नहीं है, जो राज्य सरकारों को संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस की गई हैं।

विवरण-IV

गत तीन वर्षों के दौरान जारी धन की ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क.सं.	नदी कार्रवाई योजना	1997–98	98–99	99–2000
1.	यमुना कार्रवाई योजना	55.00	47.00	54.10
2.	गोमती कार्रवाई योजना	1.81	–	1.18
3.	गंगा कार्रवाई योजना (चरण–II)	1.20	5.00	13.18

[अनुवाद]

बी.एस.एफ. की बटालियन

4625. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थान में केवल 35 बटालियनों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने संस्थान की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बी.एस.एफ. की अतिरिक्त बटालियनों को प्रशिक्षण देने की अनुमति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमति कब तक दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सीमा सुरक्षा बलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सीमा सुरक्षा बल में अनेक संस्थान हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान सीमा सुरक्षा बलों के कार्मिकों को विभिन्न विधाओं में बुनियादी प्रशिक्षण और विशिष्ट प्रशिक्षण, सेवा कालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, इत्यादि प्रदान करता है। सीमा सुरक्षा बल की वर्तमान आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रशिक्षण संस्थान पर्याप्त हैं। तथापि, अर्ध–सैनिक बलों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन करना, एक सतत् प्रक्रिया है तथा बलों की संख्या और आवश्यकताओं के आधार पर इन सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए समय–समय पर कदम उठाए जाते हैं। उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं;

i. पहचान सुदा संस्थानों को 'सैन्टर्स आफ एक्सलैंस' के रूप में विकसित करना।

ii. सभी केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण सुविधाओं को शेयर करना।

iii. केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के कार्मिकों को सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में विशिष्ट प्रशिक्षण देना, इत्यादि।

भूखंडों की खरीद

4626. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स (आई.पी.एल.) ने सार्वजनिक नीलामी में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम.एच.ए.डी.ए.) से मुम्बई के करसोवा क्षेत्र में दो भूखंड लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एम.एच.डी.ए. को इन भूखंडों का पूरा भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त भूखंडों पर निर्माण कार्य कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसके फलस्वरूप आई.पी.एल. को अनुमानतः कितनी हानि हो रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ.) भूमि पर कब्जा लेने के बाद, आई पी सी एल ने मसौदा लीज डीड/समझौता प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम.एच.ए.डी.ए.) से सम्पर्क किया था जिससे निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके। गहन अनुवर्ती कार्यवाही के बाद, एम एच ए डी द्वारा मार्च 1997 में ही आई पी सी एल को यह लीज डीड/समझौता को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किया गया था। व्यापार तथा विपणन परिदृश्य में परिवर्तन के कारण, आई पी सी एल को अपनी योजनागत और गैर योजनागत व्यय की समीक्षा और अधिक राशि के निवेश के लिए निर्णय करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। इस बीच, भारत सरकार ने आई पी सी एल में विनिवेश करने का निर्णय लिया। अतः अधिक पूंजीगत व्यय के सभी प्रस्तावों की पुनः समीक्षा की गई थी तथा निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ।

(च) क्योंकि मुम्बई जैसे शहर में सम्पत्ति का मूल्य निरंतर बढ़ता ही है, अतः इन भूखण्डों के अधिग्रहण में रुके धन से कोई वित्तीय हानि होने की आशा नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और संबद्ध संगठनों में प्रतिनियुक्ति

4627. श्री अशोक प्रधान : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसद फोरम ने भारत और विदेशों में संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे सम्बद्ध संगठनों के अधीन विदेशी कार्यों हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की तैनाती की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय और सम्बद्ध संगठनों से संयुक्त राष्ट्र संघ, इससे सम्बद्ध संगठनों/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में उक्त कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त, प्रायोजित किया गया/भेजा गया और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या थी और ऐसे कुल व्यक्तियों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या था; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन कार्यों के लिए कितने व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त/प्रायोजित किया गया/भेजा गया और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या थी और भरे गए कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या था?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का संबंध है, यद्यपि किसी भी अधिकारी को विदेश में तैनाती/विदेशी नियुक्त पर नहीं भेजा गया तथापि अन्तरसरकारी/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर तीन अधिकारियों की सेवाएं (अनु. जाति/अनु.जन. जाति के नहीं) उन्हें दी गई थीं।

रुग्ण लघु इकाइयां

4628. श्री मणिशंकर अय्यर : क्या **इस्पात** मंत्री 8 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या–2498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) श्री मानिक राव होडल्या गावित द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2000 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2498 के संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई थी और दिनांक 4.9.2000 को उसे संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया था। अपेक्षित जानकारी सहित आश्वासन पूर्ति विवरण की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय

13वीं लोक सभा का चौथा सत्र, 2000 आश्वासन पूर्ति की तारीख : 25.8.2000

इस्पात मंत्रालय

प्रश्न संख्या तथा तारीख	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	देरी के कारण
श्री माणिकराव होडल्या गावित द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2000 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या–2498	**लघु उद्योगों रुग्ण संयंत्र** पूछा गया कि : (क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु इस्पात संयंत्रों को रुग्ण घोषित किया गया है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और (ग) इन संयंत्रों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?	(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।	(क) और (ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा प्रेरण भट्टी आधारित लघु इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। उनके रुग्ण होने का मुख्य कारण वित्तीय कठिनाइयां हैं, (ग) विद्यमान औद्योगिक नीति के अंतर्गत, लोहा एवं इस्पात उद्योग का पूरी तरह से उदारीकरण कर दिया गया है। इसलिए बाजार परिस्थितियों के अनुसार किसी इकाई का भविष्य निर्धारित होता है। रुग्ण होने की स्थिति में सरकार पुनरुज्जीवन विकल्प पर विचार करने के लिए बी.आई.एफ.आर का संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराती है।	कोई देरी नहीं।

अधिप्रमाणित
(डी. काशिमा)
उप. औद्योगिक सलाहकार

विगत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण घोषित किए गए लघु प्रेरण भट्टी आधारित इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	इकाई का नाम	राज्य	ओ ए तथा आदेश की तारीख	बीआईएफआर में वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
वर्ष 1997				
1.	मैसर्स रवि हाई टेक लिमिटेड	बिहार	आई आई बी आई-16.5.2000	समापन नोटिस जारी कर दिया गया है।
2.	मैसर्स जालान इस्पात कंसटिंगस लिमि.	गुजरात	बी.ओ.बी.	जांच के अधीन
3.	मैसर्स सिंघल स्वरूप इस्पात लिमि.	महाराष्ट्र	आईडीबीआई	जांच के अधीन
वर्ष 1998				
4.	मैसर्स दीदार इस्पात कंपनी प्रा. लि.	पंजाब	आईएफसीआई 21.2.2000	धारा 18(4) के अंतर्गत पुनरुद्धार योजना मंजूर
5.	मैसर्स यूनिमेटल इस्पात लिमि.	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं -17.11.99	गैर–अनुरक्षण के कारण खारिज
6.	मैसर्स वोल्वों इस्पात लिमि.	गुजरात	उपलब्ध नहीं -27.3.2000	वही
7.	मैसर्स श्री रामकृष्ण स्टील इंडस्ट्री लि.	तमिलनाडु	आईडीबीआई -18.2.2000	समापन नोटिस जारी कर दिया गया
8.	मैसर्स गुजरात इलेक्ट्रोमेल्ट लिमि.	गुजरात	बी.ओ.आई.	जांच के अधीन
9.	मैसर्स पंजाब आयरन एंड स्टील लिमि.	पंजाब	आईएफसीआई	वही
10.	मैसर्स जी.के. स्टील एंड एलाइड इंड. लि.	तमिलनाडु	आईडीबीआई	वही
11.	मैसर्स रायगढ़ कास्टिंग्स लिमि.	महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	वही
12.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंडस्ट्रीस लिमि.	मध्य प्रदेश	बीओबी-1.11.99	वही
13.	मैसर्स स्वरूप स्टील लिमि.	महाराष्ट्र	सीबीआई	वही
14.	मैसर्स एलटैक्स सुपर कास्टिंगस लिमि.	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	वही
15.	मैसर्स जैनिथ एलाए एंड स्टील लिमि.	प. बंगाल	उपलब्ध नहीं	जांच के अधीन
वर्ष 1999				
16.	मैसर्स आर.के. कनकॉस्ट लिमि.	पंजाब	उपलब्ध नहीं -18.2.2000	गैर–अनुरक्षण के कारण खारिज
17.	मैसर्स गर्ग कनकॉस्ट पंजाब लिमि.	पंजाब	उपलब्ध नहीं -14.7.99	वही
18.	मैसर्स राजेस्ट मालेएबलस लिमि.	गुजरात	आईडीबीआई	जांच के अधीन
19.	मैसर्स वशिष्ठ इंडस्ट्री प्रोडक्शन लिमि.	पंजाब	उपलब्ध नहीं	वही
20.	मैसर्स साउदर्न फैरो लिमि.	कर्नाटक	आईडीबीआई	वही
21.	मैसर्स एल्फा कास्टिंग्स प्रा. लिमि.	उत्तर प्रदेश	पी.एन.बी.	वही
22.	मैसर्स अग्रवाल स्टील काम्पलैक्स	प. बंगाल	बीओआई	वही

1	2	3	4	5
23.	मैसर्स फ्रंटियर एलायज स्टील्स लिमि.	उत्तर प्रदेश	आईडीबीआई	वही
24.	मैसर्स कृष्ण इंजि. वर्क्स लिमि.	पंजाब	आईडीबीआई	वही
25.	मैसर्स मैट्रो कास्टिंग्स लिमि.	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	वही
वर्ष 2000				
26.	मैसर्स कुसुम एलायज लिमि.	कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	जांच के अधीन
27.	मैसर्स कनकधारा कास्टिंग्स प्रा. लि.	महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	जांच के अधीन

[हिन्दी]

नैप्था के मूल्य में वृद्धि

4629. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैप्था आधारित घरेलू उर्वरक इकाइयां नैप्था के लगातार बढ़ रहे मूल्यों के कारण प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू बाजार में डाई अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी) की बढ़ी हुई आपूर्ति के कारण यूरिया आधारित इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंद होने के कगार पर पहुंची घरेलू उर्वरक इकाइयों को बचाने के लिए आयातित डी. ए.पी. पर दी गई रियायत को वापिस लेने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) नेप्था प्रयोग मुख्यतः यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया का उत्पादन प्रतिधारण मूल्य–सह–राजसहायता योजना के तहत संचालित होता है। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक एकक के लिए प्रतिधारण मूल्य नेप्था जैसे परिवर्तनीय कच्चे मालों की वास्तविक लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है तथा नेप्था के मूल्य अन्ततः पूर्णरूपेण प्रतिपूरित की जाती है।

(ग) घरेलू बाजार में डाई–अमोनियम की आपूर्ति का यूरिया के उत्पादन पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खरीफ, 1999 की तुलना में खरीफ, 2000 में यूरिया और डीएपी की उपल्बधता नीचे दी गई है।

(लाख टन में)

वर्ष	यूरिया	डीएपी
खरीफ 2000	117.00	35.83
खरीफ 1999	120.10	41.44

यह दृष्टांत है कि खरीफ, 1999 की तुलना में खरीफ, 2000 में यूरिया की उपलब्धता में कमी इसी अवधि के दौरान डीएपी की उपलब्धता में कमी से कम है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में यद्यपि आयातित डीएपी पर रियायत वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी अप्रैल–नवम्बर, 2000 में डीएपी का आयात केवल 8.35 लाख टन था जो कि गत वर्ष की इसी अवधि में 29.99 लाख टन था।

[अनुवाद]

दिल्ली का मास्टर प्लान

4630. श्री शिवाजी माने :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर 2000 को "द हिन्दू में" डी.डी.ए. रोल इन रिलोकेशन मेस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली के मास्टर प्लान को संशोधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली के मास्टर प्लान के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(छ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा मास्टर प्लान को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ज) यदि नहीं, तो मास्टर प्लान को क्रियान्वित न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(झ) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) सरकार प्रश्नगत समाचार से अवगत है। दिल्ली के मास्टर प्लान–2021 के अनुसार 1553 हे. भूमि में 16 नए हल्के औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की सिफारिश की गई थी। उद्योगों के पुनर्वास या अन्यथा, हेतु औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का कार्य दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया जाना था। डीडीए ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान के अनुसार नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किसी नए औद्योगिक एस्टेट को विकसित न करने का अपना निर्णय मुख्य सचिव के दिनांक 17.9.91 के पत्र द्वारा सूचित किया था। तथापि, बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली के रिहायशी/गैर मंजूरशुदा क्षेत्रों में कार्य कर रहे उद्योगों के पुनर्वास के मुद्दे के आलोक में तथा उनके आदेशों के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु 1856 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर कब्जा लिया है। दिल्ली सरकार द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसी दिल्ली राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड है। इसी बीच रिहायशी/गैर मंजूरशुदा क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने का समूचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

(ग) से (झ) सरकारी दृष्टिकोण का उल्लेख शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री के दिनांक 24.11.2000 को लोक सभा में दिए गए वक्तव्य में किया गया है। वक्तव्य की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन न किये जाने से विभिन्न लघु और कुटीर उद्योगों को बन्द किये जाने और उसके फलस्वरूप कानून व व्यवस्था भंग होने के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस बाबत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में सर्वश्री मदन लाल खुराना, रामजी लाल सुमन, कमल नाथ, एम.वी.वी.एस. मूर्ति तथा पी.आर. दासमुंशी द्वारा लाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री श्री जग मोहन द्वारा दिनांक 24.11.2000 को लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय,

सर्वोच्च न्यायालय ने 14.11.2000 को निम्नलिखित आदेश जारी किया था :

"सर्वप्रथम, हम दिल्ली के मुख्य सचिव तथा दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस" जारी करते हैं कि **रिहायशी इलाकों में आबाद प्रदूषणकारी उद्योगों को बन्द करने के बारे में** इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.9.1999, 30.8.2000 तथा 12.9.2000 के आदेशों सहित 1996 से अब तक पारित विभिन्न आदेशों का अनुपालन न करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लगातार निष्क्रिय रहकर अदालत की अवमानना करने के लिए उन्हें दण्डित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।"

इसके बाद, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने रिहायशी इलाकों में प्रदूषणकारी और अन्य उद्योगों को सील करना शुरू कर दिया। इससे सड़कों पर रुकावटों के फलस्वरूप ट्रैफिक जाम, बसें जलाने आदि सहित उपद्रव फैल गया।

वर्तमान स्थिति को सही तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि 2 फरवरी, 1996, अर्थात् दिल्ली के रिहायशी इलाकों में उद्योगों को बन्द करने/हटाने के बारें में अदालत द्वारा आदेश पारित करना आरम्भ करने की तारीख से हुए घटनाक्रम पर गौर कर लिया जाए। 2 फरवरी, 1996 का आदेश इस प्रकार है:

> "विद्वान अधिवक्ता इस बात से सहमत थे कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनायी जाए जो इस बात की जांच पड़ताल करे कि किसी रिहायशी इलाके में किस प्रकार के उद्योगों को अनुमति दी जा सकती है। अतः हम दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वे एक समिति बनायें, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का एक–एक प्रतिनिधि सदस्य हो। समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधि होगा। यह समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव द्वारा उन्हें यह आदेश मिलने की तारीख से दो सप्ताह के अन्दर बनायी जाएगी।"

दिनांक 4.10.1996 को अदालत के ध्यान में आया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव ने अदालत द्वारा

गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की प्रगति सूचित करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था। उसमें यह कहा गया था कि प्राप्त 45,000 आवेदनों में से दोहरे आवेदनों को निकालने के पश्चात् 43,045 आवेदनों की जांच की गयी। इनमें से 39,166 आवेदन मास्टर प्लान के तहत आवश्यक अनुमति पाने के योग्य नहीं पाये गये। शेष बचे 3,879 यूनिटों/आवेदनों की जांच दिल्ली नगर निगम, उद्योग विभाग, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के प्रतिनिधियों से बनी एक समिति द्वारा की गयी। इस समिति ने केवल 376 यूनिटों को रिहायशी इलाकों में अपने उद्योगों को चलाते रहने की अनुमति देने के योग्य पाया।

18 दिसम्बर, 1996 को दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव ने उसी दिन दाखिल किये गये हलफनामे के माध्यम से अदालत को यह आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा 1300 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में लिया जाएगा तथा उसके आबंटन के फार्म उद्योगों को दिये जो रहे थे। अदालत ने 18 दिसम्बर, 1996 के अपने आदेश में यह अभिमत व्यक्त किया :

> हम पुनः आख्यान करते है कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन दिल्ली के रिहायशी/असंगत इलाकों में चल रहे उद्योगों के पुनर्स्थापन की परियोजना पर गंभीरता से अमल कर रहा है। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि उद्योग चलाने वाले भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। इस मामले का महत्व समझने और मामले पर अपनी पकड़ बनाने में यद्यपि दिल्ली प्रशासन को कुछ समय अवश्य लग गया है। अतः सरकार द्वारा इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिये जाने के बाद अब समय आ गया है कि अदालत फिलहाल इस मामले से हट जाए तथा सरकार अपनी योजना के अनुसार कार्रवाई करें और इस अदालत द्वारा बनायी गयी योजना के अनुसार उद्योगों को पुनर्स्थापना करें। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन हर तीसरे महीने प्रगति रिपोर्ट दाखिल करेगा।

तथापि, बाद में चूंकि कोई प्रगति अदालत के ध्यान में नहीं लायी गयी, इसलिए अदालत ने अपने आदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने के लिए प्रतिकूल टिप्पणियां करनी आरंभ कर दीं।

वर्तमान स्थिति इस कारण पैदा हुई है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बवाना एवं ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए प्लाट उपलब्ध करवाने में विफल रही है। इस बारे में यह रेखांकित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 फरवरी, 1996 से आदेश पारित करना शुरू किया था और 9 दिसम्बर, 1999 तक किसी ने भी मास्टर प्लान में संशोधन की बात नहीं की।

सरकार उन समस्याओं से भी अवगत है, जो रिहायशी इलाकों में चल रहें उद्योगों के साथ–साथ इन इलाकों में अपनी भूमि का आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग कर रहे मकान मालिकों एवं दखलदारों के सामने आ रही हैं। सरकार ऐसा हल ढूंढने के लिए उत्सुक है जो सभी संबंधित पक्षों के लिए न्यायोचित और हितकारी हो। सरकार इस बात से सिद्धान्ततः सहमत हो गयी है कि प्रदूषण मानको बाबत सुरक्षा उपायों के अनुपालन की शर्त पर जगदीश सागर समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के संदर्भ में घरेलू उद्योगों को पुनः पारिभाषित किया जाएं ये मानक घरेलू उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनके लिए स्वीकृत की जाने वाली बिजली तथा उपयोग में लाये जाने वाले रकबा इत्यादि से संबंधित हैं।

आवश्यक होने पर, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए और अधिक भूमि अधिगृहीत करने के लिए सरकार मास्टर प्लान को भी संशोधित करेगी।

सरकार उद्योगों के पुरर्स्थापन के लिए कुछ और समय देने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेगी। मामला इस समय सर्वोच्च न्यायालय में है।

मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान एक बड़े प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा; हम किस प्रकार की दिल्ली में रहना चाहते है। और हम अपनी भावी पीढ़ी तथा संतानों के लिए किस प्रकार की विरासत उत्तराधिकार में देना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा शहर अनधिकृत ढांचों का एक कबाड़–खाना बनकर रह जाए, जिसमें नागरिक और नैतक दुर्व्यवस्था दिखाई देती हो, अथवा हम उसे अपने उदीयमान गणतंत्र की सुव्यवस्थित और अनुशासन–बद्ध राजधानी बनाना चाहते हैं, जिसमें न्याय और ईमानदारी के मूल्य मूर्तिमान हों, जिनके आधार पर हमने प्रायः अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए परमश्रेष्ठ हैसियत का दावा किया है ?

इस समय हमारे शहरों में प्रदूषण के स्तरों में लगातार वृद्धि हो रही है तथा स्वास्थ्य की देखभाल काफी मंहगी होती जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 40,000 असामयिक मौतें होती हैं, 17 मिलियन लोग श्वास रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं तथा 1.2 बिलियन लोगों की दिनचर्या पंगु बनकर रह जाती है। इन मौतों में 44 प्रतिशत हिस्सेदारी तीन शहरों दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता की है। नित नये प्रकार के अनेकानेक विषाणु जन्य रोग प्रकट हो रहे हैं। वर्तमान अस्वास्थ्यकर दशाओं से हर साल करीब 30.5 मिलियन "अशक्तता जन्य जीवन वर्षो" (डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स) की हानि है, जो 30,000 करोड़ रुपए के बराबर है।

दिल्ली का पहले से ही विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में तीसरा स्थान है। प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन औद्योगिक प्रदूषित

पानी यमुना जल में मिल जाता है और आज यमुना में जो बहाव हमें देखते हैं, वह कुछ अन्य नहीं, अपितु सीवर और दूषित औद्योगिक पानी है। उदाहरण के लिए अकेले ओखला में ही मार्च–अप्रैल, 2000 में इस नदी पानी में लगभग 70 मिलीग्राम प्रति लीटर बायो केमिकल आक्सीजन अनुयोग (बी.ओ.डी.) स्तर पाया गया, जबकि मानक स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लिटर है, यह ग्राह्य सीमा से 25 गुना अधिक है।

यदि वर्तमान मनोभाव और आचरण इसी प्रकार जारी रहे, तो दिल्ली अगले कुछ वर्षों में 30 मिलियन लोगों का, गंदा, स्वास्थ्य विनाशक, कार्य के अयोग्य और जीवन यापन के अयोग्य शहर बनकर रह जाएगा। इस प्रक्रिया से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें 3 महत्वपूर्ण पड़ौसी राज्यों अर्थात् हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बड़ा भूभाग शामिल है, के विकास को भी भारी धक्का लगेगा।

इन कठोर वास्तविकताओं के संदर्भ में क्या हमें अपना दृष्टिकोण 'अल्पकालिकवाद' पर निर्भर कर लेना चाहिए? हमारे चिन्तकों को सदैव ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण रहा है। हमें सदैव ही यह सत्परामर्श मिला है कि हम हर कार्य 'तात्कालिकता' यानि क्षणिक लाभ पर न छोड़ें, अपितु चीजों को उनके समग्र रूप में देखें तथा अपनी दृष्टि हमेशा भविष्य पर टिकाये रखें।

[हिन्दी]

पेड़ लगाने के लिए किसानों को बंजर भूमि आबंटित करना

4631. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलदार पेड़ लगाने के लिए किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में बंजरभूमि आबंटित करने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय अव्यपगत पूल

4632. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय संसाधन अव्यपगत पूल के अतंर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त पूल के अंतर्गत आज की तारीख के अनुसार राज्य–वार और योजनावार संस्वीकृत और वितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) अव्यपगत संसाधन पूल के स्रोत से संस्तुत और मंजूर तथा जारी की गई राशि।

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	1999–2000		2000–2001	
		स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश					
1.	गांवों में प्राथमिक पूर्व वाले 275 सामुदायिक स्कूलों का आधारिक संरचनात्मक विकास	–	–	2.91	2.91
2.	रंगानादी ट्रांसमिशन	–	–	–	–
3.	ईटानगर नहरलागून जलापूर्ति	1.00	–	–	–
4.	एलांग में जलापूर्ति	–	–	1.50	–

1	2	3	4	5	6
5.	कथालगुड़ी देवमाली 220 कि.वा. ट्रांसमिशन लाईन	–	–	3.00	3.00
6.	एलांग में रामकृष्ण मिशन स्कूल	–	–	1.28	1.28
7.	बाढ़–नियंत्रण योजना (नं.6)	–	–	10.00	10.00
8.	बाढ़–नियंत्रण व कटाव–रोधी कार्य (सं. 6)	7.65	7.65	–	–
9.	तेजू में जलापूर्ति सुविधाओं का विशेष पुनः स्थापना	–	–	1.00	1.00
10.	पैदलमार्ग एवं झूला पुलों का रखरखाव	1.00	1.00	–	–
11.	नार्थ–ईस्टर्न इंस्टीट्यूट आफ सांईस एवं टैक्नोलाजी	10.00	–	–	–
12.	110 प्राथमिक एवं मिडिल विद्यालयों के लिए होस्टल भवन	–	–	11.00	11.00
13.	रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर	–	–	0.50	0.50
14.	सब–ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स			1.20	1.20
	(1) 2x5 मे.वा. सब–स्टेशन, नाहर लगून				
	(2) 2x3.15 मे.वा. सब–स्टेशन निरजुली			1.00	1.00
	(3) निरजुली से ईटानगर तक 33 कि.वा. की डी.सी. लाईन			1.50	1.50
	जोड़	19.65	8.65	34.89	34.89
असम					
1.	लघु सिंचाई योजनाएं	5.00	5.00		
2.	बाढ़–नियंत्रण प्रबंधन योजनाएं/ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के विभिन्न स्थान (संख्या में 25)	5.00	5.00		
3.	शंकरदेव नेत्रालय	1.00	–	1.00	1.00
4.	वानिकी में बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा करने की योजना	10.00			
5.	एक लाख शैलों ट्यूबवैल लगाना	10.00	10.00	20.00	20.00
6.	गुवाहाटी मैडिकल कालेज	8.00	8.00	–	–
7.	आई.आई.टी. गुवाहाटी	34.00	–	–	–
8.	असम विश्वविद्यालय	10.00	–	–	–
9.	तेजपुर विश्वविद्यालय	10,00	–	–	–
10.	असम वि.वि. का दीफू परिसर	3.00	–	–	–
11.	काटन कालेज में नया बुनियादी ढांचा तैयार करना	3.00	3.00	–	–
12.	एन.सी. हिल आटोनोमस काउंसिल, हाफलांग के लिए सड़क योजनाएं	5.00	5.00	–	–

1	2	3	4	5	6
13.	जैरीघाट से लक्खीछेड़ा तक सड़क	0.92	0.92	–	–
14.	हाटीछेडा–दुध पाटिल–मुरादनामुख तक सड़क	0.43	0.43	–	–
15.	सेंटर फार प्लाज्मा फिजिक्स, गुवाहाटी	1.51			
16.	पेयजल आपूर्ति योजना, गोसाई गांव	–	–	1.00	–
17.	सब–ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स				
	(i) चन्द्रपुर से नारेंगी तक 33 कि.वा. की 30 कि.मी. लाईन का निर्माण			2.00	2.00
	(ii) (क) 11/0.4 कि.वा. के वितरण का सब–स्टेशन, 11 कि.वा. लाईन तथा एल.टी. लाईन का निर्माण			1.00	1.00
	(ख) 100 कि.मी. की लाईट लाईन			1.00	1.00
	(ग) 11/0.4 कि.वा. का सब–स्टेशन (500 के.वी.ए. 10 संख्या 250 के.वी.ए. – 100 संख्या, 100 के.वी.ए. के 100 संख्या और 63 के.वी.ए. के 50 संख्या)			6.00	6.00
	जोड़	106.86	37.35	31.00	31.00
	मणिपुर				
1.	लिगाखांग हेवी फ्यूल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट	86.00	86.00	16.0	16.0
2.	राष्ट्रीय खेलों के लिए आधारिक संरचना सुविधा	66.00		16.00	
3.	इम्फाल सिटी फेज–I तक जलापूर्ति का संवर्धन	5.00	5.00		
4.	मोरे शहर में 2x5 एमवीए 33 केवी सब–स्टेशन की स्थापना	1.00	1.00		
5.	ए.सी.ए. बी.एम.एस. के लिए	16.00	16.00		
6.	सेनापति फलिबंग रोड (59 कि.मी.)	5.00	5.00		
7.	भवन विहीन 205 स्कूल भवनों के लिए दो कक्षा कमरों का निर्माण	0.80	0.80		
8.	172 राज्य सरकार सैंकेन्डी स्कूलों के लिए दो कक्षा कमरों का विस्तार	4.30	4.30		
9.	21 नव उन्नयन हायर सैकेन्डी स्कूलों सहित राज्य सरकार सैकेन्डरी स्कूलों के लिए दो कक्षा कमरों का विस्तार	2.50	2.50		
10.	मणिपुर (राज्य) से विश्वविद्यालय और 60 संबद्ध कालेज	2.50	2.50		
11.	सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क			0.72	0.72
	(i) यूरेमबम से मोंगसगाई तक 22 के.वी.डी./सी लाईन			1.49	1.49

1	2	3	4	5	6
	(ii) 33/1 के.वी.एस./एस. 2 x 1 एम.वी.ए.एस./एस.				
	कुल	187.67	121.67	34.21	18.21
मेघालय					
1.	'तर शिलांग जलापूर्ति स्कीम शिलांग	3.00	3.00	–	
2.	सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क				
	(1) शिलांग शहर में बिजली आपूर्ति में सुधार			4.00	4.00
	(2) तूरा शहर में बिजली आपूर्ति में सुधार			6.00	6.00
3.	बालजेक, तुरा में एयरपोर्ट का निर्माण			3.18	3.18
4.	प्राइमरी स्कूल भवन			7.20	
5.	अपर प्राईमरी स्कूल भवन			4.00	
	कुल	3.00	3.00	24.38	13.18
मिजोरम					
1.	आईजोल जलापूर्ति स्कीम (फेज–II)	20.0			
2.	राज्य रिफरल हस्पताल	10.00	10.00		
3.	चारा और चारा संसाधनों का संग्रहण और विकास	1.00	1.00		
4.	समेकित सूअर पालन विकास परियोजना	1.00	1.00		
5.	जवीनाम, जुबाक लेगपुई, फूरा में मत्स्य बीज फार्म की स्थापना	2.00	2.00		
6.	देश और विदेशों में मिजोरम के तुंग बीज एवं तेलों हेतु विपणन सुविधाएं एवं विपणन	0.50	0.50		
7.	पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय	7.74			
8.	बी.एम.एस. के लिए ए.सी.ए.	14.91	14.91		
9.	मार्किट भवनों का निर्माण	–	–	5.00	5.00
10.	वृहत्तर वम्फई जलापूर्ति स्कीम	5.00	5.00		
11.	स्कूल भवनों का निर्माण एवं नवीकरण	–		10.72	10.72
12.	उप–संचारण और संवितरण कार्य			1.00	1.00
	(i) आईजोल शहर के उपसंचारण और संवितरण नेटवर्क में सुधार				
	कुल	62.15	34.41	25.72	25.72

1	2	3	4	5	6
	नागालैंड				
1.	कोहिमा में अस्पताल	4.00	4.00		
2.	एच.ई.पी. लिकिम्रो	9.00	9.00		
3.	नागालैंड विश्वविद्यालय	4.03			
4.	दिमापुर में जलापूर्ति का संवर्धन	–		3.43	2.00
5.	दिमापुर में रेलवे ओवर ब्रिज	3.50	3.50		
6.	चान्गतोग्या–लोगलेन रोड (23 किलोमीटर)	3.00	3.00		
7.	दिमापुर नाइलैंड रोड़	1.50	1.50		
8.	दिमापुर जिला मुख्यालय चुमुकेदिना तक सड़क निर्माण	1.00	1.00		
9.	स्कूल भवनों का निर्माण	16.12	16.12		
10.	विज्ञान शिक्षा का सुधार	1.12	1.12		
11.	स्कूलों के कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूटर शिक्षा	0.81	0.81		
12.	दिमापुर शहर और विस्तारित कालोनियों को जल आपूर्ति का संवर्धन			1.43	1.43
13.	उप–संचारण और संवितरण कार्य			6.63	6.63
	(i) उप–संचारण और संवितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (दिमापुर में तन्त्र सुधार)				
	कुल	44.08	40.05	11.49	10.06
	सिक्किम				
1.	ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं	3.50	–	–	–
2.	मेजर ओवरहालिंग 2 x 6 एम डब्लू	3.00	3.00	–	–
3.	लोअर लैगयप हाइडल प्रोजेक्ट पर हाइडल जेनरेशन स्टेशन	3.00	–	–	–
4.	बाढ़ नियंत्रण ऊपरी नालियां कटाव–रोधीकार्य	2.50	2.50	2.50	2.50
5.	कारपेटिंग स्टेण्डर्ड डब्ल्यू बी एम रोड 9 सं.	5.21	5.21	–	–
6.	नई सड़कों का निर्माण (28 संख्या)	4.80	4.80	–	–
7.	देवराली से ताशिलिंग का रज्जू मार्ग	0.50	0.50	–	–
8.	कम्प्यूटर एवं संचार तकनीकी पालीटेक्नीक केन्द्र	3.50	3.50	–	–
9.	भू–स्खलन एवं कटाव रोधी कार्य	10.00	10.00	–	–
10.	स्कूल भवनों का निर्माण	–	–	11.71	11.71

1	2	3	4	5	6
11.	चार सम्बद्ध कालेज	–	–	2.50	2.50
12.	देवराली से ताशिलिंग तक रज्जू मार्ग	–	–	1.57	1.57
13.	सब–ट्रांसमिशन एवं वितरण कार्य				
	(i) रिफश्ल अस्पताल हेतु 1 x 5 एम	–	–	0.50	0.50
	वीए, 66/11 के वी ट्रांसफार्मर द्वारा ताडोंग पर एस/एस				
	क्षमता का आवर्धन				
	(ii) गंगटोक में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के परिसर का पावर आपूति	–	–	1.00	1.00
	कुल	36.01	28.51	19.78	19.78
त्रिपुरा					
1.	ट्रांसमिशन योजनाएं	5.00	5.00	6.85	–
2.	1x21 एम वी गैस ताप परियोजना (विस्तार) रोखिया (फेस–II)	5.00	–	–	–
3.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय का विकास	2.50	2.50	–	–
4.	अगरतला में न्यू कैपीटल काम्पलैक्स	10.00	10.00	–	–
5.	सब–ट्रांसमीशन एवं वितरण कार्य	–	–	5.41	5.41
	(i) 33 के वी एस/एस न्यू 62.6 एम वी ए				
	आवर्धन 5 एम वी ए				
	(ii) 33 के वी लाइन्सः न्यू: (191 सी के टी कि.मी.)	–	–	2.55	2.55
6.	रोखिया (फेस–I) में 1 x 21 एम डब्लयू गैस ताप परियोजना (विस्तार)	5.00	5.00	9.00	–
	कुल	27.50	22.50	23.81	7.96

[हिन्दी]

जापान की सहायता से पेयजल परियोजनाएं

4633. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जापान की सहायता से पेयजल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के बारे में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां। समय–समय पर भारत सरकार ने जापान की सहायता हेतु राज्य सरकारों से पेयजल से संबंधित प्रस्ताव मांगे हैं।

(ख) प्रस्तावों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) क्रम संख्या 17 पर दी गई परियोजना "ओ.ई.सी.एफ. की सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति परियोजना–आई.डी.पी.–123" ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फंड (ओ.ई.सी.एफ) जापान से सहायता हेतु अनुमोदित की गई है। क्रम संख्या 1 पर दी गई परियोजना "समेकित जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना–आंध्र प्रदेश तथा क्रम संख्या 10 पर दी गई ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना–पंजाब जापानी सहायता हेतु मंजूर नहीं की गयी क्योंकि जापानी सरकार ने पोखरन परीक्षण के बाद नई परियोजनाओं के लिए येन–ऋण कार्यक्रमों और अनुदान सहायता पर रोक लगा दी है। क्रम संख्या 15 पर दी गई परियोजना" उत्तरी 24 परगना के संखिया से प्रभावित क्षेत्रों में "आपातकालीन जल आपूर्ति परियोजना"को विचारार्थ जापान सरकार को भेज दिया गया है। अनुबंध में दी गई शेष परियोजनायें जापानी सहायता के लायक नहीं पायी गई।

विवरण

ओवरसीज इकॉनामिक कोआपरेशन फंड, जापान से वित्तीय सहायता के लिए राज्यों से भारत सरकार को प्राप्त पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वर्ष	प्रस्तावित परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	आंध्र प्रदेश	दिसम्बर, 98	183.00
2.	गुवाहाटी नगरपालिका कोआपरेटिव के क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति योजना	असम	अक्तूबर, 96	400.00 (मूल) 444.61 (संशोधित)
3.	गुवाहाटी मेट्रोपोलिटन एरिया स्टॉर्म ड्रेनिज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम	असम	अक्तूबर, 96	153.00 (मूल) 161.00 (संशोधित)
4.	कांडला गांधी धाम काम्पलेक्स के लिए माछू–2 जलाशय पर आधारित जल आपूर्ति योजना	गुजरात	अप्रैल, 97	182.83
5.	जल आपूर्ति और जल निकासी के लिए सूरत नगरपालिका का प्रस्ताव (ड्राफ्ट व्यवहार्यता रिपोर्ट)	गुजरात	अक्तूबर, 97	367.62
6.	ग्रेटर जम्मू मास्टर प्लान फेज–2 में जल आपूर्ति में वृद्धि और सुधार के लिए व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट	जम्मू व कश्मीर	जुलाई, 97	444.60
7.	कर्नाटक में 19 शहरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को तैयार करना	कर्नाटक	जून, 96	396.50
8.	जबलपुर जल आपूर्ति और जल निकासी परियोजना	मध्य प्रदेश	मार्च, 98	466.86
9.	पंजाब के 7 शहरों में जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणाली का विस्तार	पंजाब	सितम्बर, 96	288.30
10.	ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	पंजाब	–	1605.00
11.	जयपुर जल आपूर्ति और जल निकासी योजना	राजस्थान	जुलाई, 97	1295.00

1	2	3	4	5
12.	वर्ष 1998–99 के दौरान जापान से सहायता के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी और ठोस कूड़ा–करकट के प्रबंधन के वास्ते 15 शहरों से संबंधित परियोजना प्रस्ताव	उत्तर प्रदेश	जनवरी, 97	2448.78
13.	हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बांसबेरिया में जल शोधन संयंत्र की स्थापना	प. बंगाल	अगस्त, 97	40.89
14.	हुगली नदी के पश्चिमी तट पर भटपाड़ा में जल शोधन संयंत्र की स्थापना	प. बंगाल	दिसम्बर, 97	180.00
15.	उत्तरी 24 परगना के संखिया प्रभावित क्षेत्रों में आपात जल आपूर्ति योजना	प. बंगाल	फरवरी, 97	230.00
16.	दिल्ली में स्थायी जल और जल निकासी प्रबंधन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	अगस्त, 98	844.00
17.	ओ ई सी एफ से सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति परियोजना आई डी पी–123	केरल	फरवरी, 97	1787.45

[अनुवाद]

आई.एस.आई. की गतिविधियां

4634. श्री अधीर चौधरी :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 नवम्बर, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार आई.एस.आई. ने अब जम्मू–कश्मीर घाटी में विध्वंसक कार्रवाई करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा कर्मियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आई.एस.आई. सुन्दर लड़कियों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में आई.एस.आई. की कितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) इस आशय की कुछ आसूचना जानकारियां हैं जिनसे यह पता चलता है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने ,के लिए युवतियों की भर्ती की जा रही है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में नियोजित करने की संभावना है।

(ग) भारत सरकार ने जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार तथा सुरक्षा बलों को आवश्यक कार्रवाई करने और अत्यधिक सावधानी बरतने के प्रति चौकस कर दिया है।

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

यातायात संबंधी शिकायतें

4635. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक दिल्ली में यातायात से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों का स्वरूप कैसा था और उनके संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियंत्रण प्राणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (13.12.2000 तक) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा प्राप्त की गई इस तरह की शिकायतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। मोटर–वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 133 के तहत उन अपराधियों को नोटिस जारी किए जाते हैं जिनके खिलाफ परमिट की शर्तों, प्रदूषण, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, सार्वजनिक वाहन द्वारा इन्कार करने या अधिक भाड़ा वसूल करने, अनधिकृत पार्किंग तथा प्रवेश निषेध क्षेत्र का उल्लंघन करने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं। यातायात उपकरणों के रखरखाव, ट्रैफिक जैम, दुर्घटना और अतिक्रमण संबंधी शिकायतों को निर्धारित समयावधि के दौरान तुरन्त निपटाया जाता है।

(ख) दिल्ली में यातायात की स्थिति सुधारने के लिए किए गए उपायों में, चुनिंदा क्षेत्रों में अधुनातम यातायात नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना, कुछ क्षेत्रों में विभिन्न ट्रैफिक कारीडोरों में सिंक्रोनाईज्ड ट्रैफिक सिंगनल लगाना, स्लिप रोड, सैण्ट्रल वर्जज और बस बेज का निर्माण करना, रैड लाईट और स्पीड चैक कैमरा सिस्टम स्थापित करना, स्पीड–रडार गनों का प्रापण तथा चल गश्त के माध्यम से यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करना, अपराधियों का पता लगाना और वाहनों की निगरानी रखना शामिल है।

विवरण

शिकायत का स्वरूप	1998	1999	2000 (13-12-2000 तक)
1	2	3	4
ट्रैफिक जैम	476	1210	1274
परमिट शर्तों का उल्लघंन	197	81	96
दुर्घटना	89	234	121
प्रदूषण	20	15	6
लाल–बत्ती का काम न करना	178	224	155
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन	31	301	492
तिपहिया स्कूटरों/टैक्सी/बस द्वारा दुव्यर्वहार/मना करना/अधिक भाड़ा लेना	603	554	828
सुझाव	90	90	37
अनधिकृत पार्किंग/प्रवेश निषेध	361	346	254
सामान्य	89	144	222
पार्किंग समस्या	12	138	125
अतिक्रमण	38	43	35
स्पीड ब्रेकर	104	90	85
जोड़	2958	3470	3730

[अनुवाद]

रिक्ति आधारित रोस्टर

4636. श्रीमती रीना चौधरी : **क्या कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिक्ति आधारित रोस्टर केवल तब तक चालू रखा जा सकता है जब तक कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय और इसके अंतर्गत उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त/संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों में जहां सभी ग्रेड की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत पूरा हो चुका है और जिसकी वजह से वहां "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर" पद आधारित रोस्टर" तैयार किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी.षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के का.ज्ञा. संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षित) के अनुसार पद आधारित रोस्टरों को आरंभ किया गया है। कोयला मंत्रालय स्वायत्तशासी/अधीनस्थ संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है : –

(i) कोयला मंत्रालय में रोस्टर फिर से बनाये गये हैं और सभी ग्रेडों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियां आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गई हैं।

(ii) कलकत्ता स्थित अधीनस्थ कार्यालय, कोयला नियंत्रक संगठन में रोस्टर फिर से बनाये गए हैं और सभी ग्रेडों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियां, उच्च श्रेणी लिपिकों के पदोन्नति के तीन पदों को छोड़कर, निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गयी है।

(iii) कलकत्ता स्थिति भुगतान आयुक्त का कार्यालय, जो अधीनस्थ कार्यालय है, एक अस्थायी कार्यालय है और

इसका काम अधिकांशतः प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है।

(iv) कोल माइन्स भविष्य निधि संगठन जो एक स्वायत्तशासी निकाय है, में सभी ग्रेडों में पदों की कमियों/अधिकता की स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(v) कोल इंडिया लि. में रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टरों को आरंभ नहीं किया जा सका क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है।

(vi) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में रोस्टरों को फिर से बनाया गया है लेकिन भर्ती पर प्रतिबंध के कारण वर्तमान में किसी भी रिक्ति को भरने के लिए भर्ती नहीं की जा रही है। इसलिए, पता लगाई गई अधिकता/कमियों को भविष्य के समायोजन के लिए आधार के तौर पर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति सूची में भाड़ जाति शामिल करना

4637. श्री बब्बन राजभर : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची मे भाड़ जाति को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की जांच ऐसे दावों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार की गई है तथा उत्तर प्रदेश सरकार से निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव के समर्थन में विस्तृत सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

जनजाति कल्याण योजनाएं

4638. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में जनजाति कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग द्वारा राशि आबंटित करने से पूर्व सरकार से मांगी गई राशि का और केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें आबंटित धनराशि का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान और आज की तारीख तक राज्यवार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी संगठन

4639. श्री रूप चन्द मुर्मू : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों की सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) इस आशय की रिपोर्टें हैं कि पूर्वोत्तर में कुछ गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र में आतंकवादी गुटों की मदद कर रहे हैं।

मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

मानित विश्वविद्यालय

4640. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक कर्नाटक और दूसरे राज्यों के संस्थानों से मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के बारे में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने कि सभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग में कर्नाटक और अन्य राज्यों की संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इन प्रस्तावों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास जांच और उनकी सिफारिशों/टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। इसके लिए कोई नियत समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि संस्थाओं को सम विश्वविद्यालय घोषित करने के प्रकिया एक सांविधिक अपेक्षा है और तत्संबंधी कई प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक होगा।

विवरण

सम विश्वविद्यालय का सतर प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	संस्थाओं के नाम
1	2
	(कर्नाटक)
1.	कर्नाटक लिंगायत एज्युकेशन सोसायटी, बेलगांव
	(आंध्र प्रदेश)
2.	मोंटैसरी महिला कलाशाला, विजयवाडा
3.	टाइम्स (गैर सरकारी संगठन) अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश)
4.	नैशनल इन्स्टीच्यूट आफ स्माल इण्डस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग (एन.आई.एस.आई. ई.टी.) हैदराबाद
5.	राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद
	(गुजरात)
6.	अम्बानी प्रौद्योगिकी संस्थान (ए.आई.टी.), जामनगर
7.	सरदार बल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत
	(केरल)
8.	पी.एन. पणिक्कर मानव विकास केन्द्र
	(मध्य प्रदेश)
9.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर
	(महाराष्ट्र)
10.	भारतीय आयात एवं निर्यात प्रबंध संस्थान (आई.आई.ई.आई. एम.), मुम्बई
11.	मेडिकल इन्स्टीच्यूशन्स आफ प्रवर मेडिकल ट्रस्ट, लोनी
12.	पद्मश्री डा. डी.वाई. पाटील विद्यापीठ, मुम्बई
	(उड़ीसा)
13.	उड़ीसा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट
14.	राष्ट्रीय सामाजिक कार्य एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
	(तमिलनाडु)
15.	करूणा प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
16.	भारत उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, (तमिलनाडु)
17.	अमृता शैक्षिक संस्थान, कोयम्बटूर/कोच्ची (तमिलनाडु)
	(उत्तरांचल)
18.	गुरूकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, (हरिद्वार)
19.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून
	(उत्तर प्रदेश)
20.	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद
21.	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोयडा
	(पश्चिम बंगाल)
22.	भारतीय सामाजिक कल्याण एवं व्यापार प्रबंध संस्थान, कलकत्ता
23.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर
	(नई दिल्ली)
24.	इलेक्ट्रानिक एवं दूर–संचार इंजीनियर, संस्थान (नई दिल्ली)
25.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
26.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली
27.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

चिकित्सीय विधि मामले

4641. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अस्पतालों से सैकड़ों चिकित्सीय विधि मामले और शव–परीक्षण रिपोर्ट एकत्र नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप अदालतों में मुकदमों की सुनवाई में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) यह सूचना प्राप्त होने पर कि ये रिपोर्टें पूरी हो गई हैं, दिल्ली पुलिस ऐसी रिपोर्टों को तुरंत अस्पताल से एकत्र करती है।

(ग) और (घ) ये रिपोर्टें, यदि शीघ्रता से पूरी नहीं की जाती हैं तो इससे जांच–पड़ताल पूरी करने में विलम्ब होता है। दिल्ली पुलिस द्वारा एम.एल.सी./शव परीक्षा रिपोर्टों को तुरन्त एकत्र करने के लिए की गई कार्रवाई में, संबंधित पुलिस कार्मियों की नियमित रूप से ब्रीफिंग, पुलिस स्टेशन में एम.एल.सी. और मृत्यु समीक्षा के रजिस्टरों को अद्यतन करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन रजिस्टरों की नियमित जांच, और लापरवाही करते पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करना शामिल है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा भद्रावती स्थित सैन्ट्रल इंडिया पावर कंपनी को कोयले की बिक्री

4642. श्री नरेश पुगलिया : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने भद्रावती (महाराष्ट्र) स्थित सेन्ट्रल इंडिया पावर कंपनी को ई ग्रेड के कोयले की बिक्री के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कोयले के लिए प्रति टन कितना मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा इस समय दूसरी कंपनियों को दिए जाने वाले उक्त ग्रेड के कोयले का प्रति टन मूल्य क्या है; और

(ङ) सेन्ट्रल इंडिया पावर कंपनी, जिसकी महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को अपना पूरे उत्पादन की बिक्री करने की संभावना है, द्वारा इस मामले में उक्त कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) कोयले की सप्लाई के लिए सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सीआईपीओ) के साथ कोयला आपूर्ति समझौता पर वार्ता कर रही है। समझौता वार्ता स्तर पर है तथा कई वाणिज्यिक शर्तें अभी निर्धारित की जानी हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

एक श्रेणी ऊपर के सरकारी आवास का आबंटन

4643. श्री होल खोमांग हौकिप : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में वास्तविक पात्रता श्रेणी की तुलना में एक श्रेणी ऊपर के सरकारी आवास का आबंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजाति सूची में "टी ट्राइब्स" को शामिल करना

4644. श्री मुद्रागाड़ा पद्मानाभम् : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कतिपय "टी ट्राइब्स" से अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि उन्हें दूसरे राज्यों की इन जनजातियों को दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) असम राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में चाय–जनजातियों तथा पूर्व चाय–जनजातियों की अधिसूचना के लिए अनुरोध करते हुए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों पर ऐसे दावों का निश्चय करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

अफगान शरणार्थी संबंधी नीति

4645. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय मूल के उन अफगानी शरणार्थियों, के पुनर्वास के लिए जो अफगानिस्तान से भारत में बस गए हैं, कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उन शरणार्थियों की समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) अफगानिस्तान में 1980 से चल रहे लम्बे युद्ध और जातीय संघर्ष के कारण अफगानिस्तान राष्ट्रिक, जातीय और भारतीय मूल के, दोनों ही भारत आये।

वर्तमान नीति के अनुसार, जो अफगान राष्ट्रिक, वैध यात्रा दस्तावेजों/पासपोर्टों पर भारत आये थे, उन्हें देश में ठहरने के लिए 6 माह की समय बढ़ोत्तरी प्रदान की जा रही है। वर्तमान बढ़ोत्तरी 31 दिसम्बर, 2000 तक वैध है।

[हिन्दी]

उर्वरक दुकानें/केन्द्र खोलना

4646. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कृभको और इफको द्वारा स्थलवार कितनी-कितनी उर्वरक दुकानें/केन्द्र खोली/खोले गई/गए हैं;

(ख) राज्य में उक्त दुकानों को कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या कृभको और इफको ने किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कुछ नई योजनाएं तैयार की हैं;और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने महाराष्ट्र में कोई भी उर्वरक दुकान/केन्द्र नहीं खोले हैं। ये अपने उर्वरकों की बिक्री मुख्यतः राज्य सहकारी तन्त्र और महाराष्ट्र एग्रो-इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन अर्थात सरकारी संस्थान के माध्यम से करते हैं।

(ख) वर्तमान में कृभको और इफको की नई दुकान/केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) कृभको और इफको ने कृषकों के लिए उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए कोई भी नई योजना तैयार नहीं की है क्योंकि मौजूदा पद्धति से कृषको को उर्वरकों का वितरण कारगर ढंग से हो रहा है।

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा वनरोपण कार्य

4647. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि. ने खुले मुहाने वनरोपण क्षेत्र में बगान संबंधी कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार वनरोपण के अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ग) इस संबंध में विशेष रूप से उड़ीसा के अंगुल जिले के कोलफील्ड्स क्षेत्र पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) महानदी कोलफील्ड्स द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान वनरोपण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। 31.12.1999 के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लि. में वनरोपण के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र 651.13 हेक्टेयर है।

(ग) और (घ) 31.12.1999 के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स में वनरोपण कार्य में खर्च की गई राशि 7.79 करोड़ रु. और 31.12.1999 के अनुसार ही, अंगुल जिले के कोयला क्षेत्र के लिए यह राशि 3.70 करोड़ रु. है। महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा वर्ष 2000-01 और 2001-2002 में वनरोपण कार्य हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)
2000-2001	3,30,000
2001-2002	3,80,000

धार्मिक शिक्षा

4648. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवम्बर, 2000 के 'द हिन्दू' में "गवर्नमेंट ट्राइंग टू सैफ्फरोनाइज एजूकेशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के प्रारूप में धार्मिक शिक्षा को शामिल करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यचर्या विकास की अनवरत प्रक्रिया के अंग के रूप में स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य संरचना प्रकाशित की है। इस कार्य संरचना में नये सामाजिक और शैक्षणिक परिवर्तनों के प्रति ध्यान दिया गया है लेकिन यह 1986 में बनाई गई तथा 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मानकों के अन्तर्गत आती है। मूल्य परक शिक्षा (जिसमें विभिन्न धर्मों की शिक्षा देने की व्यवस्था शामिल है) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुवरत घटकों में से एक है। इसे शैक्षिक और सह–शैक्षिक क्षेत्रों के सभी अध्ययन विषयों के साथ मिलाया जाएगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में विकास निधि

4649. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में 'विकास निधि' नामक कोई निधि स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निधि की आवश्यकताएं, उपयोगिता और स्त्रोत क्या हैं; और

(ग) इसमें से व्यय को विनियमित करने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक तथा सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप चलाने, विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं का अनुरक्षण करने तथा अन्य विकास संबंधी खर्चों को वहन करने हेतु 1 अप्रैल, 2000 से छात्रों से प्राप्त पैसों से "विद्यालय विकास निधि" नामक एक निधि स्थापित की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अलग–अलग कार्यकारी समितियों के पर्यवेक्षण तथा दिशानिर्देश में इस निधि में से व्यय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

परती भूमि विकास के अंतर्गत लम्बित परियोजनाएं

4650. श्री दलपत सिंह परस्ते :

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में परती भूमि के विकास हेतु राज्यवार, विशेषकर मध्य प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के कितने प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(घ) क्या बेलगाम (कर्नाटक) में परती भूमि विकास कार्यक्रम हेतु धनराशि जारी करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य को धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, अवक्रमित भूमि/बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने हेतु समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों के साथ वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही परामर्श करके राज्य–वार प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है। तत्पश्चात् अलग–अलग परियोजनाओं के संबंध में वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों से उनकी अनुरूपता तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण आधार पर स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जाती है। विभाग के पास आज तक मध्य प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर सहित राज्य–वार समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लंबित पड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों से उनकी अनुरूपता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

14.12.2000 की स्थिति के अनुसार समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत लंबित परियोजना प्रस्तावों को दिखाने वाला विवरण

क.सं.	राज्यों के नाम	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत लम्बित पड़े प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	09
2.	असम	06
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
4.	बिहार	06
5.	छत्तीसगढ़	शून्य
6.	गुजरात	04
7.	गोवा	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	03
9.	हरियाणा	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
11.	झारखण्ड	शून्य
12.	कर्नाटक	07
13.	केरल	03
14.	महाराष्ट्र	06
15.	मध्य प्रदेश	06
16.	मणिपुर	08
17.	मेघालय	05
18.	मिजोरम	03
19.	नागालैंड	02
20.	उड़ीसा	03
21.	पंजाब	शून्य
22.	राजस्थान	04
23.	सिक्किम	04
24.	त्रिपुरा	शून्य
25.	तमिलनाडु	07
26.	उत्तर प्रदेश	08
27.	उत्तरांचल	01
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य
	योग	95

[हिन्दी]

भारत-रूस संयुक्त परिषद्

4651. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारत–रूस संयुक्त परिषद (आई एल टी पी) की योजनाओं और गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिकों को रूसी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक शुरू हो जाएगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का एकीकृत दीर्घावधि कार्यक्रम (आई एल टी पी) 3 अक्टूबर, 2000 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस करार में आई एल टी पी के लिए भारत–रूसी संयुक्त परिषद की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है जो द्विपक्षीय स्तर पर शीर्ष निकाय होगी और जिसके द्वारा कार्यक्रम को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संयुक्त परिषद द्वारा द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की पहचान, संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण आदि का विकास/अनुमोदन तथा उनको कार्यरूप देने के लिए वित्तीय शर्तों का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) इस करार में अन्य बातों के अलावा संयुक्त रूप से पहचान की गई परियोजनाओं के अन्तर्गत रूसी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्यों के संचालन का प्रावधान है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा नियुक्त जांच आयोग

4652. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1993 के बाद से अब तक नियुक्त जांच आयोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन जांच आयोगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी है;

(ग) प्रत्येक रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) प्रत्येक जांच आयोग पर कुल कितना व्यय हुआ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आयोगों की स्थापना की जाती है और इसलिए यह सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। सरकार द्वारा जांच आयोग की स्थापना, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले में जांच करने और अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए तभी की जाती है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जांच आयोग की रिपोर्ट भी, उस पर की गयी कार्रवाई के ज्ञापन सहित, सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना अपेक्षित है। अतः सरकार द्वारा सूचना नियमित रूप से समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती है।

अनुसंधान और विकास हेतु प्रोत्साहन

4653. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक इकाइयों/निगमित फर्मों के अनुसंधान और विकास की कुशलता की जांच हेतु क्या व्यवस्था अपनाई गई है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य हेतु इन औद्योगिक इकाइयों/निगमित फर्मों को उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों का कम उपयोग किए जाने के कोई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वैज्ञानिक ओर औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) एक स्कीम-'उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास' चला रहा है जिसमें संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता दी जाती है। यह मान्यता, एक अंतर्विभागीय जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर दी जाती है और इकाई के अनुसंधान और विकास ढांचे, अनुसंधान और विकास हेतु जनशक्ति की उपलब्धता और क्षमता, चलाई जा रही अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और भविष्य में चलाई जाने वाली परियोजनाओं के स्वरूप, अनुसंधान और विकास पर व्यय के स्तर आदि के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, जहां आवश्यक हो विचार-विमर्श और/अथवा दौरों के माध्यम से दी जाती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की मान्यता अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। मान्यता प्राप्त इकाइयों को उनके अनुसंधान और विकास कार्य की प्रगति दर्शाते हुए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने होते हैं और मान्यता के नवीकरण के लिए वैध मान्यता समाप्त होने से तीन महीने पहले आवेदन करना पड़ता है। इकाइयों के नवीकरण के आवेदनों के साथ उन्हें अपने अनुसंधान और विकास ढांचे, अनुसंधान और विकास हेतु जनशक्ति, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, अनुसंधान और विकास व्यय के स्तर और मान्यता की अवधि के दौरान अनुसंधान और विकास की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा देना होता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा आगे अधिकतम तीन और वर्षों के लिए मान्यता का नवीकरण करने से पूर्व उनके अनुसंधान और विकास कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। यदि किसी मान्यता प्राप्त इकाई का अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य-निष्पादन संतोषप्रद नहीं है तो मान्यता का नवीकरण नहीं किया जाता है और उस इकाई को मान्यता के लिए विभाग में पुनः आवेदन देने से पहले अपने ढांचे को उन्नत करने और/अथवा अपने अनुसंधान और विकास कार्य में तेजी लोने के लिए विशिष्ट उपाय करने की सलाह दी जाती है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को ऐसे अनुसंधान और विकास के लिए औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा मुहैया कराए जा रहे प्रोत्साहनों का कम उपयोग किए जाने के किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग को आयकर अधिनियम की धारा 35(2 क ख) के अंतर्गत भारित कर कटौती को प्राप्त करने के लिए अनुमोदन हेतु अभी तक 60 औद्योगिक इकाइयों ने आवेदन दिया है। आशा की जाती है कि और अधिक औद्योगिक इकाइयां अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन, जैसे आयकर अधिनियम की धारा 35 (2 क ख) के अंतर्गत भारित कर कटौती और आयकर नियमों के नियम 5 (2) के अंतर्गत वर्धित मूल्य ह्रास लाभ, पाने लगेंगी।

(घ) अनुसंधान और विकास के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न प्रोत्साहनों और समर्थन उपायों का, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तिमाही नयूज लैटर, 'उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास–एक सिंघावलोकन', जैसे प्रकाशनों के माध्यम से और सम्मेलनों/सेमिनारों तथा औद्योगिक इकाइयों के दौरे/विचार–विमर्श के दौरान उनसे परस्पर चर्चाओं के जरिए व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है।

मेगा पावर प्रोजेक्ट्स

4654. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेगा पावर प्रोजेक्टस को इस्पात के शुल्क मुक्त आयात को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए इस्पात की अनुमानित मांग कितनी है, और

(ग) इस प्रकार बड़ी मात्रा में इस्पात के आयात से घरेलू इस्पात विनिर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी हां। कुछ विशिष्ट मेगा पावर परियोजनाओं को इस्पात सहित अन्य माल का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(ख) इन परियोजनाओं से इस्पात की मांग 30 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) मेगा पावर परियोजनाओं द्वारा इस्पात का शुल्क मुक्त आयात करने के फलस्वरूप स्वदेशी इस्पात उद्योग इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से बनाए जाने वाले इस्पात की अतिरिक्त मांग के लाभ से वंचित हो जाएगा।

"एम.सी.एल." द्वारा "एन.ई.एस.पी." में निवेश

4655. श्री प्रसन्न आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) का यंत्रीकृत लदान/उतराई सुविधाओं वाले दो कोयला स्थलों के निर्माण हेतु तमिलनाडु के "न्यू एन्नूर सैटेलाइट पोर्ट" (एन.ई.एस.पी.) में करीब 700 करोड़ रु. के निवेश का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयातित कोयले के मिश्रण हेतु "एन.ई.एस.पी." में एक कोयला मिश्रण संयंत्र की स्थापना की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस हेतु कोई विस्तृत प्रौद्योगिक–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में तमिलनाडु के "एन.ई.एस.पी." के समान उड़ीसा में पारादीप पत्तन का व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) ने न्यू एन्नूर सैटेलाइट पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के बहुत नजदीक है, में प्रतिवर्ष 18 मिलियन टन कोयले के भंडारण और मिश्रण की सुविधाओं वाले दो गृहीत (कैप्टिव) कोयला स्थलों के निर्माण हेतु दो चरणों में लगभग 682 करोड़ रु. निवेश करने के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इस मामले पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) कोयले का मिश्रण ऐच्छिक होगा जिसे किसी भी चरण में प्रणाली के अनुरूप बनाया जा सकता है।

(ङ) और (च) मेकॉन लि. ने प्रौद्योगिक–आर्थिक विश्लेषण संबंधी कार्य किया है और अपनी रिपोर्ट एमसीएल को प्रस्तुत कर दी है।

(छ) और (ज) उड़ीसा में पारादीप पत्तन दक्षिणी राज्यों को कोयले के प्रेषणों के लिए लोडिंग पत्तन है। एमसीएल ने बंकरेज बनाने और आयातित कोयले के साथ स्वदेशी कोयले का मिश्रण पारादीप पोर्ट में ही करने और मिश्रित कोयले को एन्नूर भेजने के विकल्प पर विचार किया है। बाद में, एन्नूर से कोयले को आगे भेजने के लिए रेलवे वैगनों में लादा जाएगा। इस तरह के विकल्प पर लगभग 300 करोड़ रु. का अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा और इससे गंतव्य स्थान में एमसीएल का कोयला अधिक महंगा होगा। अतः, एमसीएल द्वारा यह विकल्प व्यवहार्य नहीं पाया गया।

'पी.सी.' आधारित रोबोट

4656. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

श्री के. येरननायडू :

श्री गंटा श्रीनिवास राव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 'पी.सी.' आधारित रोबोट विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपयोगिता दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदान स्वीकृत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, हां। आन्ध्र विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा एक पी.सी. आधारित रोबोट विकसित किया गया है।

(ख) यह रोबोट वैज्ञानिकों द्वारा आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में आयोजित अनुसंधान परियोजना के एक नतीजे के तहत् विकसित किया गया है। यह रोबोट खतरनाक सामग्रियों को दूर से पकड़ने और समुद्र–वैज्ञानिक जांच कार्यों में पानी के अन्दर उन कार्यों को करने में सक्षम है, जिन्हें हाथों से या पारम्परिक तरीकों से करना काफी मुश्किल होता है। फोर फिंगर्ड रोबोटिक हैण्ड तथा नियंत्रक पी.सी. के माध्यम से मिलकर रोबोटिक हैण्ड बनाते हैं जिसका उपयोग रोबोटिक्स, रोबोट गतिविज्ञान एवं रोबोट नियंत्रण कार्यक्रमों से जुड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में भी किया जा सकता है।

(ग) जी हां। भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत् इस प्रयोजन हेतु अनुदान स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) अप्रैल, 1997 में आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम के लिए "डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फोर–फिंगर्ड रोबोटिक हैण्ड" नाम की एक अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना अब पूरी हो चुकी है और इसके फलस्वरूप एक पी.सी. आधारित रोबोट का विकास किया गया है। उपरोक्त परियोजना हेतु कुल 1164750 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

ग्रामीण विकास योजनाएं

4657. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :

श्री राजो सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू–कश्मीर सरकार और बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास की कोई योजना स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से दोनों राज्यों के लिए पृथकतः कितनी स्कूल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(घ) शेष स्कूलों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों में ग्रामीण विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रसायन उद्योग हेतु आधुनिकीकरण परियोजना

4658. श्री तिरूनावकरसू : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की सहायता से रसायन उद्योग आधुनिकीकरण परियोजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना में कुल कितनी लागत लगी है, और इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिन्दी में ई-मेल

4659. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी सहित सभी भाषाओं में ई–मेल सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हेतु 'फान्ट' का मानकीकरण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) वेब मेल सुविधा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हिन्दी के तीन और अन्य भारतीय भाषाओं का एक–एक फान्ट व्यापक प्रयोग के लिए पब्लिक डोमाइन में उपलब्ध कराये गये हैं।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी

4660. श्री खारवेल स्वाइं : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की आशा है;

(ख) सरकार ने इन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास उपलब्ध कराने हेतु क्या पहल की है; और

(ग) जैव प्रौद्योगिकी का कोई दुरुपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकीय अनुसंधान से महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की आशा है।

(ख) वैज्ञानिक अभिकरण और विभाग जैसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) शुरू से ही जीवविज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य को सहायता प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना द्वारा एक कमबद्ध प्रोत्साहन मिला और बाद में 1986 में एक अलग से बायोटेक्नोलॉजी विभाग बनाया गया। विगत वर्षों के दौरान, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान, अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सृजित करना, मानव संसाधन विकास और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन ने स्पष्ट प्रभाव के साथ सफलतापूर्वक परिणाम दिए हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान, कोशिका विज्ञान, मस्तिष्क, पादप जीनोम अनुसंधान और डी एन ए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिकी के क्षेत्रों में स्वायत्त संस्थानों की स्थापना की गई है। केवल बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा पता लगाए गए क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष लगभग 200 परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान में शामिल होने के लिए युवा विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के वास्ते कई प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाओं को शुरू किया गया है।

(ग) विभाग ने जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान की जैवसुरक्षा और जैवनीति को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियां बनाई हैं। आगे अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की रक्षा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी संबंधी पेटेन्ट फाइल करने के बारे में वैज्ञानिकों को बढावा देने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग और अन्य वैज्ञानिक विभागों ने पेटेन्ट सुविधा सेलों की स्थापना की है। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यू आई पी ओ) और अन्य वैज्ञानिक एजेन्सियों के साथ परामर्श करके आई पी आर मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

'पी.पी.एल. लिमिटेड' का निजीकरण

4661. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में पाराद्वीप स्थित पी. पी.एल. लिमिटेड का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के बाद फैक्ट्री के नियमित और नैमित्तिक कर्मचारियों के भविष्य सहित फैक्ट्री का कुल संचित घाटा कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर–महत्वपूर्ण उपक्रमों (पीएसयू) में अपनी साम्य पूंजी को घटाकर 26 प्रतिशत या इससे कम करने की सरकार की घोषित नीति के तहत सरकार ने पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, (पीपीएल) में अपनी 100 प्रतिशत धारिता में से 74 प्रतिशत का विनिवेश प्रबन्ध नियंत्रण हस्तांतरण सहित एक अनुकूल क्रेता के पक्ष में करने का फैसला किया है। विनिवेश प्रक्रिया प्रगति पर है। विनिवेश की नीति एक सोची समझी नीति है जिसमें कामगारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा शामिल है। 31.3.2000 को पीपीएल में संचित हानि लगभग 420 करोड़ रुपये की है।

"कपार्ट" के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

4662. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को ग्रामीण प्रौद्योगिकी, विपणन,

ग्राम, श्रीमेला, प्रचार–माध्यम और पुस्तकालय योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु मानदंड क्या हैं;

(ख) उन गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा और कानूनी स्थिति क्या है जिनको ग्रामीण प्रौद्योगिकी योजना आरंभ होने के बाद से अब तक इसके अंतर्गत उक्त परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ग) क्या गैर–सरकारी संगठनों का मूल्यांकन/निरीक्षण किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना–वार इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा सड़कों का उपयोग

4663. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जनहित याचिका के संदर्भ में सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिल्ली में सड़कों के उपयोग का कोई विशेष अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय को दिये गए आश्वासन के संबंध में न्यायालय ने कोई दिशानिर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में कार्यों की रूपरेखा कब तक तैयार की जाएगी और उसका अनुपालन कब तक किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) डा. श्रीकान्त गुप्ता और अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका संख्या 4693/99 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गृह मंत्रालय द्वारा दायर किए गए हलफनामे में कहा गया था कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों में भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री और भारत के दौरे पर आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के आने–जाने के लिए यातायात रोकने का प्रावधान है। ऐसा उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है तथा यह नितांत अनिवार्य समझा गया है। इसके अतिरिक्त, अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सड़कों को प्रयोग करने का कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। वास्तव में, इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए व्यापक "डूज एण्ड डोन्ट्स" संरक्षित व्यक्तियों को अपने सुरक्षा कर्मियों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए न कहने की सलाह देते हैं। इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट दिशा–निर्देश नहीं दिए गए थे।

उर्वरक इकाइयां

4664. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उर्वरक इकाइयां अपनी क्षमता को कम करके दर्शाती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों की क्षमता और गुणवत्ता का पुनः आकलन करने हेतु कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ड.) सरकार को कुछ यूरिया विनिर्माता एककों द्वारा क्षमता को कम बताने के मामले की जानकारी है। सरकार ने क्षमताओं के आकलन के सम्पूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए डा. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। संबंधित एककों का विवरण डा. अलघ समिति की रिपोर्ट एवं उस पर सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। तथापि, डा. अलघ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर सरकार के निर्णय के लम्बित रहने तक सरकार ने एक अन्तरिम उपाय के रूप में दिनांक 1.4.2000 से उच्च क्षमता वाले 15 यूरिया एककों की क्षमता में उद्गामी संशोधन किया है।

गांधीवादी संस्थान

4665. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गांधीवादी संस्थाएं इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने साबरमती जेल और राजकोट स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के विक्रय का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गांधीवादी संस्थाओं को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) गुजरात सरकार के अनुसार ऐसा नहीं है।

(ख) और (ग) शिक्षा विभाग, गुजरात ने यह सूचना दी है कि मोहनदास गांधी हाई स्कूल, राजकोट के मरम्मत कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 15.00 लाख रु. दिये गये हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं हेतु पृथक निधि

4666. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के उत्थान हेतु एक पृथक निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक स्थलों को गंदा करने वाले व्यक्तियों को दण्ड

4667. श्री जय प्रकाश : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों को गंदा करते पाए गए व्यक्तियों को दण्डित करने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को निर्देश दिये जाने के बाद से इन संगठनों ने अब तक कितने व्यक्तियों को दण्डित किया है;

(ख) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने अपने क्षेत्रों में कितने मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में विद्यमान स्थिति को देखते हुए मजिस्ट्रेटों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त तथा 30 नवम्बर, 2000 तक, दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में स्थलों को गन्दा करते पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ 47,650 चालान जारी किए। इसी तरह, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ 17 नवम्बर, 2000 तक 9945 चालान जारी किए।

(ख) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्राधिकार अधीन क्षेत्र में 10 म्युनिसीपल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है। इसके अलावा, प्रत्येक जोन के सफाई अधीक्षकों को कूड़ा–कचरा बिखेरते हुए पाए गए व्यक्तियों पर, प्रत्येक मामले में, 50/– रुपये तक रिमूवल चार्जेज अधिरोपित करने का अधिकार है। इसी प्रकार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 26 व्यक्तियों को तत्काल स्थल पर ही चालान करने की शक्ति समेत नामोदिष्ट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गयी जनशक्ति पर्याप्त समझी गयी है।

[अनुवाद]

सरकारी मकानों में बालकनी को कवर करना

4668. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा खतरे और सी.पी.डब्ल्यू.डी. के नागरिक चार्टर को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राजधानी में विशेषकर सरोजिनी नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सरकारी मकानों के प्रथम तल की बालकनी को 'कवर' करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेजीडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन ने कभी इस संबंध में मांग की है अथवा स्वयं सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने इस संबंध में प्राक्कलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया; और

(च) इस मांग को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकारी दिशानिर्देशों

के अनुसार आबंटी द्वारा कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत का भुगतान करने पर ऊपरी तलों की बालकनियों को ग्लेजिंग से ढकने की अनुमति है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आबंटियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर परिवर्द्धन/परिवर्तन की अनुमत्य मदों में बालकनियां ढंकना शामिल करने का निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया गया।

(ङ) उपर्युक्त (क), (ख) व (घ) के उत्तर अनुसार।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भूकम्प संभावित क्षेत्र में दिल्ली

4669. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्टर पैमाने पर दिल्ली में भूकम्प की संभावना आठ तक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भूकम्प सुरक्षा मानदण्ड क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) क्या विशेषरूप से विद्यालयों, अस्पतालों, पानी की टंकियों और बिजलीघरों की वर्तमान इमारतों की भूकंप रोधी क्षमता का उन्नयन करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सभी इमारतों पर लागू होने वाले भूकम्प सुरक्षा संबंधी मानदण्ड बनाने हेतु कानून बनाये जाने की तत्काल आवश्यकता है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) महोदय, देश की भूकम्पीयता मण्डलन मानचित्र के अनुसार दिल्ली भूकम्पीयता अंचल IV में स्थित है जिसमें संशोधित मेरकाली पैमाने पर VIII तीव्रता का भूकम्प आने की सम्भावना है।

(ख) शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय बी.एम.टी.पी.सी. (भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन परिषद्) के माध्यम से कार्यरत वास्तुकारों, डिजाइन इंजीनियरों, भवन निर्माताओं इत्यादि में इसके बारे में जागरूकता पैदा करने, जानकारी का प्रचार–प्रसार करने तथा आपदा रोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने (भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देशों के अनुसार) के लिए कई तरह से पहल कर रहा है ताकि भूकम्प रोधी निर्माण कार्यों के बारे में भारतीय मानक संहिता तथा दिशानिर्देशों में सुझाए गए उपायों पर नए भवनों का डिजाइन तैयार करने तथा निर्माण करते समय व्यापक रूप से विचार किया जा सके।

(ग) दिल्ली में विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा निर्मित भवनों का डिजाइन आमतौर पर भारतीय मानक तथा व्यवहार संहिता के अनुसार तैयार किया जाता है और उन्हें सुरक्षित माना जाता है। शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के कुछ समय पहले देश में भूकम्पों, चक्रवातों तथा बाढ़ के सन्दर्भ में अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन किया था। विशेषज्ञ दल ने भारत की एक अतिसंवेदनशीलता सम्बन्धी मानचित्रावली तैयार की है और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में आवासीय तथा अन्य भवनों को होने वाले नुकसान को रोकने व उसमें कमी करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रतिपादित की हैं। शहरी विकास मंत्रालय तथा बी.एम.टी.पी.सी. ने सलाह दी है कि इन सिफारिशों की अनुपालना की जानी चाहिए।

(घ) उपरोक्त के मद्देनजर ऐसी कार्यवाही करना अपेक्षित है।

भूमिगत मार्गों और उपरिपुलों का निर्माण

4670. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए इंडिया गेट के आसपास भूमिगत मार्गों और उपरिपुलों के निर्माण हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कस्तूरबा गांधी मार्ग, तिलक मार्ग और शाहजहां रोड के चौराहों पर तीन भूमिगत मार्गों के निर्माण का निर्णय किया है।

खनन कार्य

4671. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयनगर मिनरल्स को स्टील प्लेटों के लिए "फिन्स" के उत्पादन हेतु खनन कार्य शुरू करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कंपनी ने दो चरणों में 1.8 मिलियन टन "फिन्स" और "लम्प" का उत्पादन करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश राज्य और कंपनी के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) खान मंत्रालय, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि के रिकॉर्डों को रखने हेतु कम्प्यूटरों की खरीद के लिए धनराशि

4672. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्य सरकारों को संशोधित दिशा–निर्देश परिचालित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात प्रत्येक राज्य विशेषकर कर्नाटक को कम्प्यूटर खरीदने हेतु आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने उपायुक्त कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 10.20 लाख रुपये जारी करने का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उक्त धनराशि कब तक राज्य को जारी कर दी जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) जी, हां। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ–साथ तहसील/तालुक/खण्ड स्तर पर डाटा एन्ट्री कार्य, स्थल तैयारी तथा कम्प्यूटरों और अन्य सहायक सामग्री की खरीद करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को शत प्रतिशत अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है।

(ग) इस योजना के तहत निधियों राज्यों को आबंटित नहीं की जाती हैं परन्तु परियोजना दर परियोजना आधार पर जारी की जाती हैं। इस योजना के आरंभ किए जाने से लेकर भारत सरकार ने कर्नाटक की राज्य सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1815.03 लाख रुपये की राशि जारी की है। जिसमें से 672.60 लाख रुपये की राशि राज्य के 177 तालुकों के लिए कम्प्यूटर, साफ्टवेयर और अन्य सहायक साम्रगी खरीदने हेतु जारी किए गए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों को दिखने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां। भूमि रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जिला स्तर पर कम्प्यूटरों की आपूर्ति करना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने सूचित किया है कि राज्य के सभी 27 जिलों में कम्प्यूटरों की आपूर्ति की जा चुकी है।

(ङ) और (च) प्रश्न के भाग (घ) के संबंध में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जारी निधियां (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1989–93 के बीच	वर्ष 1993–94 के दौरान	वर्ष 1994–95 के दौरान	वर्ष 1995–96 के दौरान	वर्ष 1996–97 के दौरान	वर्ष 1997–98 के दौरान	वर्ष 1998–99 के दौरान	वर्ष 1999–2000 के दौरान	वर्ष 2000–2001 के दौरान	अब तक जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	78.00	105.00	210.00	15.00	0.00	829.90	174.05	0.00	1436.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30	75.30
3.	असम	25.00	33.00	50.00	50.00	80.00	97.50	0.00	0.00	0.00	335.50
4	बिहार	20.00	30.00	100.00	0.00	0.00	367.50	30.50	0.00	0.00	548.00
5	गुजरात	25.00	10.00	10.00	120.00	0.00	75.00	24.61	79.68	0.00	344.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	गोवा	0.00	15.00	5.00	0.00	20.00	0.00	0.00	63.50	12.30	115.80
7.	हरियाणा	21.00	19.00	55.00	180.00	0.00	19.00	15.00	56.00	0.00	365.00
8.	हिमाचल प्रदेश	25.00	15.00	50.00	55.00	60.00	0.00	6.60	28.60	0.00	240.20
9.	जम्मू और कश्मीर	25.00	4.00	20.00	0.00	0.00	30.00	189.00	18.00	0.00	286.00
10.	कर्नाटक	25.00	43.00	28.00	120.00	95.00	69.20	342.50	501.88	590.45	1815.03
11.	केरल	25.00	40.00	30.00	200.00	30.00	69.00	79.50	102.75	0.00	576.25
12.	मध्य प्रदेश	33.00	45.00	90.00	75.00	45.00	485.50	237.82	666.38	513.88	2193.58
13.	महाराष्ट्र	25.00	60.00	95.00	195.00	241.00	197.50	108.59	791.17	455.00	2168.26
14.	मणिपुर	25.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	38.35	0.00	188.23
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
16.	मिजोरम	0.00	15.00	10.00	0.00	60.00	0.00	50.00	37.78	80.00	252.78
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15	0.00	25.15
18.	उड़ीसा	32.50	55.00	30.00	135.00	270.00	0.00	20.50	171.12	387.70	1101.82
19.	पंजाब	25.00	53.62	45.00	0.00	75.00	52.50	0.00	31.50	0.00	282.62
20.	राजस्थान	25.00	50.00	68.00	150.00	210.00	0.00	43.60	0.00	683.27	1229.87
21.	सिक्किम	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	22.40	12.80	0.00	67.20
22.	तमिलनाडु	25.00	83.00	45.00	90.00	210.00	60.00	30.98	237.29	447.02	1228.29
23.	त्रिपुरा	25.00	40.00	20.00	0.00	15.00	75.80	0.00	38.00	0.00	213.80
24.	उत्तर प्रदेश	25.00	75.00	129.00	165.00	270.00	247.50	142.50	0.00	30.00	1084.00
25.	पश्चिम बंगाल	25.00	85.00	65.00	235.00	180.00	173.00	300.78	110.00	457.40	1631.18
26.	दादरा और नगर हवेली	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38
27.	दिल्ली	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
28.	पांडिचेरी	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	23.55	62.10
29.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	योग	501.53	876.00	1050.00	2000.00	2015.88	2019.00	2474.78	3223.55	3755.87	17916.61

[हिन्दी]

पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा

4673. श्री सुबोध राय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुस्तकालय विज्ञान के उन्नयन के संबंध में सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा को बढावा देने हेतु निदेशालय स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जे. एन. यू. और आदर्श विश्वविद्यालय

4674. श्री अनन्त नायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू विश्व–विद्यालय को एक आदर्श और माडल विश्वविद्यालय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना उत्कृष्टता के आदर्श केन्द्र के रूप में की गई है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और इसे अध्यापन और अनुसंधान के लिए देश तथा विदेश दोनों में ही उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है। सरकार सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विकास और रख–रखाव कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान करती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रह रहे विदेशी नागरिक

4675. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने विदेशी नागरिक रह रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ के नाम मतदाता सूचियों में भी दर्ज हैं, और

(ग) यदि हां, तो इनके नाम मतदाता सूचियों में से कब तक निकाल दिए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) दिल्ली में इस समय 51,892 विदेशी राष्ट्रिक रह रहे हैं।

(ख) और (ग) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली, को मतदाता सूचियों में सम्मिलित किए हुए कुछेक व्यक्तियों के नाम प्राप्त हुए हैं, जो विदेशी राष्ट्रिक बताये जाते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद ही इस प्रकार के नाम मतदाता सूचियों से हटाये जा सकते हैं।

कपार्ट द्वारा संगठनों को वित्तीय सहायता

4676. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए कापार्ट (सी.ए.पी.ए.आर.टी.) द्वारा किन–किन संगठनों को धनराशि दी गई;

(ख) इनमें से कितने संगठनों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऊपर उठाने के लिए धनराशि ली है; और

(ग) उन्होंने इन लोगों को किस प्रकार लाभान्वित किया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) चालू वित्त वर्ष में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए कपार्ट के मार्फत सहायता प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्वैच्छिक संगठनों के नाम, उनको स्वीकृत राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कपार्ट द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनु. जातियों/अनु. जनजातियों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। हाल ही में स्वीकृत की गई परियोजनाओं से मिलने वाले लाभों का मूल्यांकन उनके पूरा होने के बाद ही किया जा सकेगा।

विवरण

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पता
1.	गांधी सेवा आश्रम, विनोबा नगर, डाकघर मुंगेली, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़
2.	समाज प्रगति सहयोग, गढ़ी, बागली, जिला–देवास, मध्य प्रदेश
3.	धरती ग्रामोत्थान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति, ग्राम व डाकघर–डिमनी, जिला–मुरैना (मध्य प्रदेश)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय इस्पात नीति

4677. श्री सुबोध मोहिते : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक समेकित राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने सुधार, पुनर्गठन और वैश्वीकरण की दूसरी पीढी के संदर्भ में लोहा और इस्पात उद्योग के हेतु रूप–रेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति निरूपित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति का गठन किया गया है। यह नीति इस्पात क्षेत्र के इस्पात और कच्चे माल के उत्पादकों की विभिन्न एसोसिएशनों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके बनायी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में अनुसंधान संस्थान

4678. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र सरकार के अधीन किन–किन स्थानों पर कौन–कौन से अनुसंधान संस्थान/संस्था/निकाय कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इनमें से प्रत्येक निकाय को कितना बजटीय आबंटन किया गया;

(ग) क्या इनमें से बहुत से संस्थान/निकाय/संस्थाओं ने आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जब तक आंबटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग न हो जाए तब तक आगे और धनराशि जारी न करने की शर्त रखने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुलिस द्वारा अत्याचार

4679. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस और अर्ध–सैनिक बलों द्वारा किये अत्याचारों के कितने मामलों की जांच की है;

(ख) ऐसे कितने मामलों में आयोग ने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है और राज्यवार कुल कितनी धनराशि की अनुशंसा की गई है;

(ग) आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) दर्ज किए गए ऐसे कितने मामलों में आयोग ने दोषी पुलिस और अर्ध–सैनिक कार्मिकों के विरुद्ध अनुशंसा की है; और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान और 30.9.2000 तथा 30.11.2000 तक, राष्ट्रीय मानवाधिकर आयोग द्वारा क्रमशः पुलिस और अर्ध–सैनिक बलों की कथित घोर ज्यादतियों के जांच किए गए मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाले दो विवरण–I और II संलग्न हैं।

(ख) ऐसे मामलों जिनमें आयोग ने पीड़ितों को मुआवजे की सिफारिश की है, की संख्या और राज्य–वार संस्तुत की गई कुल धनराशि दर्शाने वाले चार विवरण III, IV, V, और VI संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें समुचित कार्रवाई हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों को सीधे भेजी जाती हैं।

आयोग ने 143 मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की है और इनमें से 34 मामलों में आयोग ने दोषी पुलिस कर्मचारियों के अभियोजन की सिफारिश की है।

आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान और 30.9.2000 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस की कथित घोर ज्यादतियों के जांच किए गए मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01 (30.9.00तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	170	206	196	152
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	12	12	3
3.	असम	70	63	61	40
4.	बिहार	722	1026	1080	603
5.	गोवा	13	8	17	10

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	117	127	186	111
7.	हरियाणा	513	601	776	565
8.	हिमाचल प्रदेश	43	57	43	21
9.	जम्मू–कश्मीर	111	104	91	85
10.	कर्नाटक	83	151	182	109
11.	केरल	159	172	88	32
12.	मध्य प्रदेश	633	719	665	491
13.	महाराष्ट्र	354	297	510	299
14.	मणिपुर	22	15	30	6
15.	मेघालय	3	5	7	1
16.	मिजोरम	1	8	0	1
17.	नागालैंड	10	4	15	1
18.	उड़ीसा	146	126	115	58
19.	पंजाब	266	262	407	203
20.	राजस्थान	668	717	719	410
21.	सिक्किम	3	0	0	0
22.	तमिलनाडु	341	419	418	250
23.	त्रिपुरा	9	7	11	9
24.	उत्तर प्रदेश	8015	11880	15410	9104
25.	पश्चिम बंगाल	127	136	160	66
26.	अं.नि.द्वीपसमूह	1	1	4	2
27.	चंडीगढ़	15	16	11	13
28.	दादरा और ना. हवेली	0	2	7	1
29.	दमण और दीव	0	1	1	0
30.	दिल्ली	853	1056	1556	1025
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	12	4	6	3
33.	छत्तीसगढ़	67	67	49	27
34.	झारखंड	193	263	258	135
35.	उत्तरांचल	409	715	760	436

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान और 30.11.2000 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की कथित घोर ज्यादतियों के जांच किए गए मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 97–98	98–99	99–2000	2000–01 (30.11.00 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	1	–	8	6
4.	बिहार	1	–	4	4
5.	गोवा	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	1
7.	हरियाणा	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
9.	जम्मू–कश्मीर	7	6	5	16
10.	कर्नाटक	–	–	–	–
11.	केरल	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	1
13.	महाराष्ट्र	–	1	–	1
14.	मणिपुर	–	3	1	5
15.	मेघालय	–	–	1	1
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	–	–	1
19.	पंजाब	–	–	–	3

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	–	1	1	4
21.	सिक्किम	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	1	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	1
25.	पश्चिम बंगाल	–	4	5	6
26.	अं.नि.द्वीपसमूह	–	–	–	12
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–
28.	दादरा और ना. हवेली	–	–	–	–
29.	दमण और दीव	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	15
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–

विवरण-III

उन मामलों की संख्या जहां वर्ष 1997–98 के दौरान आयोग द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	कुल संस्तुत धनराशि (रुपयों में)
1.	उत्तर प्रदेश	1	265000
2.	राजस्थान	1	40000
3.	पंजाब	1	10000
4.	मणिपुर	1	115000
5.	महाराष्ट्र	1	200000
6.	केरल	1	50000

विवरण-IV

उन मामलों की संख्या जहां वर्ष 1998–99 के दौरान आयोग द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	कुल संस्तुत धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	बिहार	5	765000
2.	गुजरात	2	300000
3.	हरियाणा	2	230000
4.	महाराष्ट्र	1	200000
5.	पंजाब	3	1200000
6.	राजस्थान	3	550000

विवरण-V

उन मामलों की संख्या जहां वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोग द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	कुल संस्तुत धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	3	375000
2.	राजस्थान	10	790000
3.	मणिपुर	1	15000
4.	मेघालय	1	200000
5.	नागालैंड	1	50000
6.	पंजाब	7	820000
7.	जम्मू और कश्मीर	1	100000
8.	कर्नाटक	6	1175000
9.	केरल	3	650000
10.	मध्य प्रदेश	4	425000
11.	महाराष्ट्र	4	790000
12.	गोवा	1	25000
13.	गुजरात	4	355000
14.	हरियाणा	1	20000
15.	बिहार	9	2240000
16.	आन्ध्र प्रदेश	9	1240000

विवरण-VI

उन मामलों की संख्या जहां वर्ष 2000 (30.9.2000 तक) आयोग द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	कुल संस्तुत धनराशि (रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1245000
2.	असम	1	200000
3.	बिहार	1	5000
4.	हरियाणा	4	315000
5.	महाराष्ट्र	2	105000
6.	पंजाब	1	30000

दमन और दीव हेतु परियोजनाएं

4680. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री ये बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दमन और दीव में जल मल और भारी वर्षा के जल की निकासी प्रणाली तथा पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति करने हेतु क्रियान्वयनाधीन/तैयार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत शामिल किये जाने वाले क्षेत्र और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष परियोजना–वार इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दमन के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दमन जिले के मोती दमन साइड में भूमिगत जल की निकासी स्कीमों का 3.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की अन्तिम प्रारूप रिपोर्ट इस मंत्रालय के तकनीकी खण्ड, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी पी एच ई ई ओ) को तकनीकी मंजूरी हेतु जुलाई, 2000 में भेजी थी। सी.पी.एच.ई.ई. ओ. ने उनकी जांच की और टिप्पणियां दमन संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीक्षण इंजीनियर को अनुपालन हेतु सितम्बर 2000 को भेज दी गई थी।

(ख) दायरे में आने वाले क्षेत्र और लाभार्थी व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है :–

क्षेत्र	लाभार्थी होने वाले व्यक्ति	
	(वर्ष 2018 में)	(वर्ष 2033 में)
नेनी दमन	39,444	56,167
मोती दमन	10,715	14,770
कुल	50,159	70,937

(ग) योजना आयोग ने सूचित किया है कि दमन और दीव हेतु जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्र (ग्रामीण और शहरी) हेतु निम्नलिखित परिव्यय मंजूर किया गया था :–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूर परिव्यय
1997–98	1.91
1998–99	2.94
1999–2000	2.82

बी.सी.सी.एल. में श्रमशक्ति की हानि

4681. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बी.सी.सी.एल. में वर्षवार एक्जिक्यूटिव तथा गैर एक्जिक्यूटिव की श्रमशक्ति क्या रही है;

(ख) इसी अवधि में बी.सी.सी.एल. को कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या श्रमशक्ति में लगातार गिरावट के साथ–साथ लगातार घाटा भी बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बी.सी.सी.एल. में वर्ष–वार एक्जिक्यूटिव तथा गैर एक्जिक्यूटिव की श्रमशक्ति नीचे दी गई है :–

वर्ष	एक्जिक्यूटिव	गैर एक्जिक्यूटिव	कुल
1.4.1997 के अनुसार	3377	139059	142436
1997–1998	3172	132365	135535
1998–1999	3101	124119	127220
1999–2000	3067	116911	119978

(ख) गत तीन वर्षों में बी.सी.सी.एल. को हुई हानि निम्नानुसार है:–

(करोड रु. में)

वर्ष	बी.सी.सी.एल. की हानि
1997–98	141.91
1998–99	442.34
1999–2000 (अनंतिम)	692.32

(ग) और (घ) बी.सी.सी.एल. में हो रही हानि में वृद्धि का संबंध प्रत्यक्ष रूप से श्रमशक्ति में गिरावट से नहीं है। बी.सी.सी.एल. द्वारा उठाई गई हानि का कारण मुख्यतः कोयले के उत्पादन की लागत में वृद्धि, कर्मचारियों के वेतन इत्यादि में वृद्धि का होना है।

[हिन्दी]

मदरसे

4682. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार कितने मदरसे हैं;

(ख) मदरसों से संबंधित जिन परियोजनाओं को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रतिवर्ष सहायता दी है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मदरसों में कम्प्यूटरीकरण हेतु और सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मदरसों से संबंधित योजनाएं जिनके लिए केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की, के ब्यौरे निम्नवत हैं:

1. मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारें के माध्यम से वित्तीय सहायता।
2. मदरसों में अरबी और फारसी के अल्पकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद द्वारा वित्तीय सहायता।
3. शैक्षिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना।
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा मदरसों को वित्तीय सहायता।
5. राष्ट्रीय उर्दू संबंर्धन परिषद की कंप्यूटर सुलेख प्रशिक्षण केन्द्र की योजना सिर्फ मदरसों तक ही सीमित नहीं है। फिर भी, इस योजना के अन्तर्गत कुछ गिने चुने मदरसों को कुछ धनराशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे के लोग

4683. श्री रामजी मांझी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कैग" (सी.ए.कजी.) की वर्ष 1998–99 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उनके स्तर को ऊपर उठाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य ने क्या उपलब्धि हासिल की है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) वर्ष 1998–99 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या 1992–93 के 65.67 लाख से बढ़कर 1998–99 में 93.99 लाख हो गई है। लेकिन बी पी एल गणना डेटा से स्पष्ट है कि प्रतिशत के रूप में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 1992–93 (आठवीं योजना) में 54.42 प्रतिशत से घटकर 1998–99 (नौवीं योजना) में 49.64 प्रतिशत हो गई है, जो एक उपलब्धि है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इस अवधि के दौरान कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं इस प्रकार थीं:– समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इससे सम्बद्ध कार्यक्रम (ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत

औजारों किट की सप्लाई, गंगा कल्याण योजना) तथा दस लाख कुओं की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर रोजगार योजना।

(i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्वरोजगार कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए आयोत्पादक परिसंपत्तियां अर्जित करने में ग्रामीण गरीबों की सहायता करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। आई आर डी पी के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। 1992–99 की अवधि में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में कुल 1708247 परिवारों को सहायता दी गई थी।

(ii) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को गैर–कृषि मौसम के दौरान मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना वर्ष 1993–94 के दौरान शुरू की गई थी और 31.3. 1999 तक यह मांग आधारित थी। इस अवधि तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 1993–99 के दौरान बिहार में 1625.43 लाख श्रमदिन का रोजगार मुहैया कराया गया।

(iii) 1998–99 तक जवाहर रोजगार योजना भी ग्राम स्तर पर एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था। 1996–99 वर्षों के लिए बिहार के संबंध में जवाहर रोजगार योजना के तहत लक्ष्य और उपलब्धियां क्रमशः 1724 लाख श्रमदिन और 1583.24 लाख श्रमदिन थे।

जैव-प्रौद्योगिकी पार्क

4684. श्री राजैया मल्याला : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आई.सी.आई.सी. आई नॉलिज पार्क और जैव–प्रौद्योगिकी पार्क के प्रबन्धन को विभिन्न कानूनों और नियमों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां देने पर विचार करने के अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है कि राज्य में आई.सी.आई सी.आई नॉलेज पार्क तथा जैवप्रौद्योगिकी पार्क संबंधी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति तथा अनुमोदन के लिए आवश्यक सहायता और जैवप्रौद्योगिकी उत्पाद एवं प्रक्रियाएं बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। विभिन्न स्वीकृतियों/संस्वीकृतियों संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजन से बाहर हैं क्योंकि वे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के दायरे में आती हैं। तथापि प्रभावकारी समन्वयन कार्य–विधि के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाएगा। अभी तक किसी उत्पाद या सामग्री हेतु किसी भी प्रकार की स्वीकृति के लिए कोई औपचारिक मांग प्राप्त नहीं हुई है।

एन.सी.ई.आर.टी. की भूमिका

4685. प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विद्यालयों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एन.सी.ई.आर.टी. की भूमिका की समीक्षा करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान परिदृश्य में एन.सी.ई.आर.टी. की उपयोगिता का सावधानीपूर्वक आकलन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार को सलाह और सहायता देना है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की भूमिका की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं

आवासों का आबंटन

4686. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को तदर्थ आधार पर सरकारी आवासों को आबंटित करने की शर्तें और विनियमन क्या हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को तदर्थ आधार पर आवास आबंटन बाबत शर्तों तथा विनियमनों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

1. मौजूदा दिशनिर्देशों के अनुसार सामान्य पूल आवास आंबटित किसी सरकारी कर्मचारी, की सेवानिवृत्ति के

समय उसका पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी पात्रता के आधार पर आवास के नियमितिकरण/आबंटन के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वह सरकारी कर्मचारी के रूप में सामान्य पूल से आवास के आबंटन के लिए पात्र हों तथा वे सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले से निरंतर उसके साथ रह रहे हों। तथापि, यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व तीन वर्ष की अवधि में ही सरकारी सेवा में नियुक्त हुआ हो अथवा पूर्व तीन वर्ष में ही किसी समय में सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर स्थानांतरित हुआ हो, तो उसकी इस नियुक्ति/स्थानांतरण की तारीख ही इस प्रयोजनार्थ गिनी जाएगी।

2. तथापि, पात्र आवास के नियमितिकरण/आबंटन की रियायत उन मामलों में नहीं दी जाएगी जिनमें सेवानिवृत होने वाले अधिकारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों के पास तैनाती के स्थान पर अपना स्वयं का मकान हो अथवा पात्र पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी ने उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अवधि के लिए मकान किराया भत्ता लिया हो।

3. सेवानिवृत्ति होने वाले आबंटिती के कब्जे वाले परिसर (जिसे खाली न किया गया हो) के संबंध में बकाया देयराशि का निपटान पात्र आवेदक के आबंटन पर विचार करने के लिए अनिवार्य शर्त होगी।

4. पात्र कोटि के वास टाइप के निर्धारण के प्रयोजन से सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी द्वारा आंबटन वर्ष की निर्णायक तारीख/अंतिम तारीख को ली गई परिलब्धियों को हिसाब में लिया जाएगा।

5. नियमितिकरण/आबंटन के लिए आवेदन पत्र पूर्व आबंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख से 2 महीने पहले प्रस्तुत करना होगा।

6. वैकल्पिक आवास के नियमितिकरण/आबंटन की सुविधा की ऐसे मामलों में अनुमति नहीं होगी जहां आबंटिती के पास सामान्य पूल आवास का कब्जा होगा किन्तु उसका पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी सामान्य पूल से आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा, और/या इसके विपरीत स्थिति होगी।

दहेज हत्या के मामले

4687. श्री चन्दनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दहेज हत्या के मामलों के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) दहेज संबंधी मामलों में दुल्हे के परिवार के सदस्यों का अवैध रूप से उत्पीड़न करने के लिए दिल्ली पुलिस के विरुद्ध जांच हेतु सरकार के पास कितनी शिकायतें लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उत्पीड़न रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दहेज संबंधी मौतों के मामलों में दिल्ली पुलिस को हाल ही में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रकार के मामलों से निपटते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई सामान्य अभियुक्तियों को अत्यंत सावधानी के साथ पालन किया जाता है।

(ग) दिल्ली पुलिस को चालू वर्ष के दौरान 30 नवम्बर, 2000 तक ऐसी 15 शिकायतें मिलीं परन्तु इनमें से कोई भी शिकायत प्रमाणित नहीं हो सकी।

(घ) पुलिस कार्मिकों के खिलाफ प्राप्त, पीड़ितों को परेशान करने संबंधी, शिकायतों की शीघ्रता से जांच की जाती है और दोषी अधिकारी, यदि कोई हो, तो उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

4688. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल बंद कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब बंद किया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्लेट मिल के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम, यदि कोई हैं उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा

4689. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कम्प्यूटर शिक्षा केंद्र और उच्च शिक्षा केन्द्र, आदि खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास ग्रामीण क्षेत्रों में इंजीनियरी कॉलेजों, कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्रों तथा उच्च शिक्षा केन्द्रों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थानों सहित तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इसके द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा मानकों के आधार पर प्रस्तावों पर विचार करती है।

[अनुवाद]

भारत-अमरीका विद्यार्थी विनिमय योजना

4690. श्री के. येरननायडू : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई कालेज में भारत–अमरीका विद्यार्थी विनिमय योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी, विशेषकर आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के संबंध में इस विनिमय योजना का विस्तार करने हेतु क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बताया है कि उनका ऐसा कोई विनिमय कार्यक्रम नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की भर्ती

4691. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में हाल ही में सिपाहियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तैयार पैनल को रद्द करने और प्रक्रियानुसार दुबारा परीक्षा आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची में कुछ विसंगतियां ध्यान में आई थीं जिन्हें बाद में सुधार लिया गया था और चुने गए उम्मीदवारों की संशोधित सूची प्रकाशित की गई थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

4692. श्री सुनील खां : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत आने वाली आंध्र ग्राम कोलियरी में उत्पादन बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कोलियरी को पुनः शुरु कराने हेतु क्या कदम गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। अर्धग्राम ओपनकास्ट कोलियरी में, भू–वंचितों की कंपनी के निर्धारित मानदंडों के बाहर असंगत मांगों और उनके उग्र आन्दोलन को जारी रखने के कारण, कोयले के उत्पादन को आस्थगित रखा गया है।

(ग) ई.सी.एल. 29.12.1995 को गठित त्रिपक्षीय समिति की, जिसमें भू–वंचितों, स्थानीय पंचायत तथा ई.सी.एल. शामिल है, सिफारिशों की सीमा के भीतर भू–स्वामियों के साथ वार्ता कर रही है। ई.सी.एल. खान के शेष भंडार को निकालना चाहती है।

[हिन्दी]

सी.आई.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. जवानों को निम्न स्तरीय वर्दी की आपूर्ति

4693. डा. बलिराम : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.आई.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. के जवानों को पिछले कई वर्षों से निम्न स्तरीय वर्दी की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनको अच्छी गुणवत्ता की वर्दी की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) इन केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों को यूनिफार्म सामग्री की आपूर्ति, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा पुनरीक्षित मानदण्डों के अनुसार, कड़ाई से की जाती है। इन मदों को इन बलों को भेजने से पूर्व इनका निरीक्षण, प्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से सप्लाई की गई कोई सामग्री यदि प्राप्त करने वाले बल द्वारा घटिया किस्म की पाई जाती है तो उसे रद्द कर दिया जाता है तथा उसके स्थान पर उचित गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योगों को वित्तीय सहायता

4694. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के उर्वरक उद्योगों को कोई विभिन्न पदार्थों की आपूर्ति रियायती दर पर की जा रही है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनको वर्ष–वार कितनी सहायता राशि प्रदान की गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में स्थित उर्वरक उद्योगों सहित उर्वरक उद्योगों को रियायती दरों पर कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करती है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता है।

गरीबी उपशमन हेतु नीति दस्तावेज

4695. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गरीबी उपशमन हेतु कुछ भावी दस्तावेज तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति बनाने हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) इस नीति से क्या उद्देश्य हासिल होने की संभावना है;

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग इस नीति से लाभान्वित होंगे; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) देश में गरीबी उपशमन हेतु भावी नीति दस्तावेज तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

शिक्षा संस्थानों में ब्रिटिश विद्यार्थी

4696. डा. अशोक पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार इस बात से सहमत हो गयी है कि इसके विद्यार्थी प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में अध्ययन हेतु भारत की यात्रा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एजेंसी के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालयों में भर्ती

4697. श्री एन. एन. कृष्णदास :

श्री पवन कुमार बंसल :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षण और शिक्षणेत्तर पदों के लिए सीधी भर्ती का कार्य मंत्रालय के तहत कार्यरत एक एजेंसी को सौंप दिया था;

(ख) क्या भर्ती प्रकिया में अनियमितताओं की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) शिक्षकों की भर्ती का कार्य केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष के अनुमोदन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एजुकेशनल कन्सलटेंट्स ऑफ इंडिया लि. को सौंपा गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सुपर विज्ञान

4698. श्री पी.सी. थामस : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नूतन गणितीय प्रणाली पर कार्य कर रहे गणितज्ञों या वैज्ञानिकों के एक दल ने सुपर विज्ञान नामक एक विज्ञान का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई अध्ययन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सुपर विज्ञान के प्रवर्तकों द्वारा वैज्ञानिक उपलब्धियों संबंधी किए गए दावों और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (च) 'सुपर विज्ञान' नामक दर्शनशास्त्रीय संकल्पना के विकास करने का दावा कर रहे व्यक्तियों के एक समूह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त समूह द्वारा दावा किए गए कार्य की प्रकृति के बारे में अपर्याप्त ब्यौरा उपलब्ध है।

किए गए दावों का उनके वर्तमान स्वरूप में, अध्ययन अथवा प्रमाणन करना, वैज्ञानिक जांच की उपलब्ध प्रक्रियाओं से संभव नहीं है।

पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग

4699. श्री आर.एस. पाटिल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयुक्त प्रणाली की शुरूआत के बाद से दिल्ली पुलिस ने अत्याधिक बल प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुरानी पुलिस प्रणाली को पुनः लागू करने का है जो आयुक्त प्रणाली की शुरूआत से पूर्व चल रही थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली कारगर रूप से कार्य कर रही है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

झारखंड में क्षेत्रों का शामिल किया जाना

4700. श्री नागमणि : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतरा संसदीय चुनाव क्षेत्र के तीन–तीन विधान सभा चुनाव क्षेत्रों को बिहार और झारखंड में विभाजित कर दिया गया है;

(ख) क्या इससे उक्त क्षेत्र के ग्रामीण लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है;

(ग) क्या बिहार में पड़ने वाले इमामगंज, फतेहपुर और बाड़ाचट्टी के ग्रामीण लोग इन क्षेत्रों को झारखंड राज्य में शामिल किए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं;

(घ) उक्त क्षेत्रों को झारखंड राज्य में कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) नये झारखंड राज्य में वे 18 जिले शामिल हैं जिनकी

सीमा झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद के क्षेत्राधीन क्षेत्रों के साथ लगती थी। झारखंड के 18 जिलों के बाहर पड़ने वाले चतरा संसदीय क्षेत्र के तीन विधान सभा क्षेत्र बिहार के उत्तरवर्ती राज्य का भाग हैं। इससे लोगों के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

(ग) इमामगंज, फतेहपुर और बाडाचट्टी विधान सभा क्षेत्रों को झारखंड राज्य में सम्मिलित किए जाने की मांग है।

(घ) और (ङ) झारखंड और बिहार राज्य की मौजूदा सीमाओं का पुनर्स्थापन करने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

'वरशिपिंग फाल्ज गॉड' नामक पुस्तक

4701. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री अरूण शौरी द्वारा लिखित पुस्तक "वरशिपिंग फाल्ज गॉड" में बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के विरुद्ध आपत्तिजनक लेखों/शब्दों का प्रयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विभिन्न सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों से इन लेखों/शब्दों को हटा दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों और समाचार पत्रों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई। पुस्तक को प्रतिबन्धित करना या जब्त करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

[अनुवाद]

निगरानी और रखवाली योजना

4702. श्री रामजी मांझी :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगरानी और रखवाली योजना आरम्भ करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निगरानी और रखवाली योजना के अंतर्गत ठेकेदारों को कई करोड़ रु. का अनियमित भुगतान किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितना भुगतान किया;

(घ) उन फ्लैटों का स्थानवार ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त योजना के अंतर्गत ठेकेदारों को भुगतान किए गए हैं;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण उन कालोनियों के संबंध में भी भुगतान कर रहा है जहां शत-प्रतिशत रिहायश है;

(च) यदि हां, तो स्थलवार उक्त के नाम दर्शाते हुए इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ठेकेदारों से धन की वसूली हेतु इन योजनाओं को दुबारा आरम्भ किया है; और

(ज) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इस संबंध में कितने मामले जांच हेतु लंबित हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आबंटी को कब्जा सौंपने तक पूरा होने के बाद खाली पड़े/अनाबंटित आवास यूनिटों/पाकेटों को अंतिम फिनिशिंग, शीशे लगाना, फिटिंग्स और फिक्सचर्स आदि मुहैया नहीं कराये जाते हैं चूंकि इस अवधि के दौरान इनकी चोरी, क्षति हो सकती है। यह आवास यूनिटें बिजली कनेक्शन न मिलने और जल आपूर्ति न होने के कारण भी खाली पड़े रहते हैं। इस स्थिति का सामना करने और ठेकेदारों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की क्षति से बचने और प्राइवेट एजेंसियों को रखने से बचने के लिए अनुपूरक करार के प्रावधानों के अंतर्गत फ्लैटों का कब्जा सौंपने तक संविदा को सक्रिय और जारी रखा जाता है। बीच की अवधि के लिए जहां कोई अनुपूरक करार मौजूद नहीं है ठेकेदारों को कुछ शर्तों के अध्यधीन निगरानी और रखवाली के लिए भुगतान करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग) डीडीए द्वारा, फ्लैटों के पूर्ण होने के बाद आबंटियों को कब्जा सौंपने तक आवासीय इकाइयों/पाकेटों की निगरानी और देखभाल के लिए अनुपूरक करार में उल्लिखित प्रावधानों अथवा जिन मामलों में अनुपूरक करार नहीं किया गया उनमें निर्देशों के अनुसार ठेकेदारों को भुगतान करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। तथापि, डीडीए की आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा

विशेष लेखा परीक्षा के दौरान भुगतान में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है जिनके ब्यौरों की जानकारी जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही लग सकती है।

(घ) फ्लैटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के आलोक में लागू नहीं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त (छ) के आलोक में लागू नहीं।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	की गई अदायगी
1	2	3
	नोर्थ जोन	
1.	मार्फत 672, एम आई जी, रिहायशी इकाईयां सै. बी–4, नरेला पाकेट में एस एचः मार्फत 336/338 एम आई जी, ग्रुप–1 में रिहायशी इकाईयां	7,02,492 रुपये
2.	मार्फत 184 एल आई जी और 64 एम आई जी मकान, ग्रेड–1, पाकेट–3 में सै. 9, नरेला	3,14,379 रुपये
3.	मार्फत 96 एल आई जी तथा 120 एम आई जी, पाकेट–4, ग्रेड–1 सै. 9, नरेला	2,94,759 रुपये
4.	मार्फत 672 (वास्तविक 315), एम आई जी इनक्रीमेंटल मकानों सहित डब्ल्यू/एस तथा एस/आई और ग्रेड–I में आन्तरिक विकास कार्य	5,38,000 रुपये
5.	मार्फत 672 (वास्तविक 336), एम आई जी इनक्रीमेंट मकानों सहित डब्ल्यू/एस तथा एस/आई और ग्रेड–II में आन्तरिक विकास कार्य	5,57,000 रुपये
6.	मार्फत 160 एल आई जी, 32 एम आई जी मकान पाकेट–6, सैक्टर ए–10, नरेला, ग्रेड–III	2,53,000 रुपये
7.	मार्फत पाकेट–1, सैक्टर ए–6, ग्रेड–I, नरेला में 330 एल आई जी (इनक्रीमेंटल) मकान	4,80,000 रुपये
8.	मार्फत पाकेट–1, सैक्टर ए–6, ग्रेड–II, नरेला में 330 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान	4,81,000 रुपये
9.	ग्रेड–II, पाकेट–4, सैक्टर ए–10, नरेला में 120 एल आई जी, 96 एम आई जी मकान	3,03,000 रुपये
10.	मार्फत सैक्टर ए–10, नरेला ग्रेड–I, 112 एल आई जी तथा 96 एम आई जी मकान	2,97,000 रुपये
11.	मार्फत पाकेट–2, ग्रेड–III, सैक्टर ए–10, नरेला में 160 एल आई जी, 32 एम आई जी मकान	2,72,000 रुपये
12.	मार्फत पाकेट–2, ग्रेड–II सैक्टर ए–10, नरेला में 144 एल आई जी तथा 128 एम आई जी मकान	3,48,000 रुपये
	साउथ-वेस्ट जोन	
13.	मार्फत जी एच–13, पश्चिम विहार में 1140 एस जी एस मकान, एस एचः मार्फत ग्रेड–8 में 160 एस एफ एस मकान	5,72,880 रुपये
14.	मार्फत जी एच–13, पश्चिम विहार में 1140 एस एफ एस मकान एस एचः मार्फत ग्रेड–6 में 180 एस एफ एस मकान	4,71,900 रुपये

1	2	3
15.	ग्रेड–II, पाकेट–1, जी एच–4 (जी–17 एरिया), पश्चिम विहार में 356 एस एफ एस मकान, एस एच: मार्फत ग्रेड–III में 108 एस एफ एस मकान	1,78,200 रूपये
	रोहिणी जोन	
16.	मार्फत श्रेणी–II, पाकेट 10 सेक्टर 11 एक्सटेंशन, रोहिणी, ग्रेड–I में 192 एस.एफ.एस. रिहायशी इकाईयां	2,84,601 रुपये
17.	पाकेट–10, सैक्टर 11 (एक्स.),रोहिणी, (श्रेणी–II में 152 एस एफ एस रिहायशी इकाईयां, (श्रेणी–II)	2,48,669 रुपये
18.	पाकेट–10, सैक्टर 11 (एक्स.), ग्रेड–III में 136 एस एफ एस रिहायशी इकाईयां, श्रेणी–II	2,50,312 रुपये
19.	मार्फत ब्लाक सी तथा डी, सैक्टर 18, रोहिणी में 520/770 एम आई मकान	1,22,266 रुपये
20.	मार्फत पाकेट ब–5 तथा सी–1, सैक्टर 11, रोहिणी, फेज–2 में 832 ई डब्ल्यू एस रिहायशी इकाईयां (बालकोनी कार्य)	17,34,700 रुपये
21.	मार्फत 296 एम आई जी रिहायशी इकाई, पाकेट डी और ई, सैक्टर 15, रोहिणी एस एच: मार्फत 288 एम आई जी रिहायशी इकाई, पाकेट–डी–2 में सैक्टर 15	9,30,600 रुपये
22.	मार्फत 5324 मकान सैक्टर 20 से 25 रोहिणी चरण–III, एस एच: मार्फत 144 एम आई जी रिहायशी इकाई, पाकेट–3, सैक्टर 23 में रोहिणी ग्रेड–I	2,45,542 रुपये
23.	मार्फत 5324 मकान सैक्टर 20 से 25 रोहिणी 92–93 चरण–III एस एच: मार्फत 144 एम आई जी रिहायशी एकक पाकेट–3 सेक्टर 23 में रोहिणी ग्रेड–II	3,36,600 रुपये
24.	मार्फत 144 एम आई जी रिहायशी इकाई, पाकेट–7 में सैक्टर 23, रोहिणी, श्रेणी–II	1,12,200 रुपये
25.	मार्फत 144 एम आई जी रिहाशी इकाई, पाकेट–7 में, सैक्टर 23, रोहिणी, ग्रेड–I	1,21,781 रुपये
26.	मार्फत 135 एम आई जी रिहायशी इकाई, पाकेट–7 में सैक्टर 21, रोहिणी ग्रेड–I	1,19,652 रुपये
27.	मार्फत 135 एम आई जी रिहायशी इकाई, पाकेट–7, में सैक्टर 21, रोहिणी, ग्रेड–II	1,19,652 रुपये
28.	मार्फत 5354 मकान, सैक्टर 20 से 25, में रोहिणी, चरण–III, एस एच: मार्फत 144 एम आई जी रिहायशी एकक, पाकेट–24 में सैक्टर 24, रोहिणी, ग्रेड–I	2,97,000 रुपये
29.	मार्फत 144 एम आई जी रिहायशी इकाई, पाकेट–24 में सैक्टर 24, रोहिणी, ग्रेड–II	2,97,000 रुपये
30.	एस एच: मार्फत 144 एम आई जी रिहायशी इकाईयां, पाकेट–1 में, सैक्टर 23, रोहिणी, ग्रेड–I	3,30,000 रुपये
31.	एस एच: मार्फत 144 एम आई जी रिहायशी इकाईयां, पाकेट–1, सैक्टर 23, रोहिणी, ग्रेड–II	3,36,600 रुपये
32.	मार्फत 448 एस एफ एस आवास, ई ब्लाक, सैक्टर–18, रोहिणी मार्फत 192 एस एफ एस आवास, ई ब्लाक, सैक्टर–18, रोहिणी, ग्रेड–I	4,22,400 रुपये
33.	मार्फत 128, एस एफ एस मकान, ई ब्लाक में सैक्टर–18, ग्रेड–II	3,89,400 रुपये
34.	मार्फत 128 एस एफ एस मकान, ई ब्लाक, सैक्टर 18 ग्रेड–III	4,09,200 रुपये
35.	एम/ओ. पूरी की गई स्कीम एस एच: मार्फत 176, इनक्रीमेंटल एल आई जी पाकेट–12, सैक्टर 22, रोहिणी	2,90,400 रुपये
36.	–वही–	3,54,198 रुपये

1	2	3
	एस एचः मार्फत 282 (286 वास्तविक), एल आई जी, इन्क्रीमेंटल मकान, पाकेट–1, सैक्टर 25, रोहिणी, फेज–III	
37.	एस एचः मार्फत 176, एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–1, सैक्टर 24, रोहिणी, फेज–III	2,79,332 रुपये
38	–वही– एस एचः मार्फत 176 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–15, रोहिणी, फेज–III	2,81,028 रुपये
39.	–वही– एस एचः मार्फत 126 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–8, सैक्टर 25, रोहिणी, फेज–III	3,22,548 रुपये
40.	–वही– एस एचः मार्फत 126 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–9, सैक्टर 25, रोहिणी, फेज–III	3,16,800 रुपये
41.	–वही– एस एचः मार्फत 136 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–17, सैक्टर 22, रोहिणी, फेज–III	3,36,600 रुपये
42.	–वही– एस एचः मार्फत 240 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान पाकेट–4, सैक्टर–21 रोहिणी, फेज–III	4,26,360 रुपये
43.	–वही– एस एचः मार्फत 176 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–25, सैक्टर 24, रोहिणी, फेज–III	2,64,396 रुपये
44.	–वही– एस एचः मार्फत 176 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–25, सैक्टर 24 रोहिणी, फेज–III	2,90,400 रुपये
45.	–वही– एस एचः मार्फत 176 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–13, सैक्टर 24, रोहिणी, फेज–III	3,10,200 रुपये
46.	मार्फत 1000/960 एल आई जी रिहायशी इकाई, फेज–III, रोहिणी एस एचः 192 एल आई जी, पाकेट–13, सैक्टर 3	3,83,400 रुपये
47.	एस एचः मार्फत 192 एल आई जी, पाकेट–14, सैक्टर 1,	3,96,000 रुपये
48.	एस एचः मार्फत 135 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–4, सैक्टर 24, ग्रेड–II (90 रि.इ. वास्तविक)	3,03,600 रुपये
49.	मार्फत 5324 रि.ई., सैक्टर 20 से 25, रोहिणी, एस एचः मार्फत 135 एम आई जी पाकेट–23, सैक्टर 24, ग्रेड–I	3,16,800 रुपये
50.	मार्फत 105 एम आई जी, पाकेट–23, सैक्टर 24, ग्रेड–II, (वास्तविक 135 रि.ई.)	2,83,800 रुपये
51.	मार्फत 135 एम आई जी, पाकेट–23, सैक्टर 24 ग्रेड–I	2,83,800 रुपये
52.	मार्फत 828 एम आई जी, सैक्टर 24, पाकेट–4, 23 और 24 एस एचः मार्फत 45/270 एम आई जी, पाकेट–4, सैक्टर 24	2,04,600 रुपये
53.	मार्फत 1440 एम आई जी रि.ई., सैक्टर 23, पाकेट–1, 2, 3, 6 और 7, रोहिणी एस एचः मार्फत 144 एम आई जी, पाकेट–7, सैक्टर 23, ग्रेड–I	1,00,916 रुपये

1	2	3
	द्वारका जोन	
54.	मार्फत 192 एस एफ एस मकान, पाकेट–2, सैक्टर 19, द्वारका, फेज–1, ग्रेड–V	2,15,600 रुपये
55.	मार्फत 296 एम आई जी मकान, पाकेट–3, सैक्टर 19, द्वारका, फेज–1, ग्रेड–II	2,04,600 रुपये
56.	मार्फत 128 रि.ई. (96 एम आई जी और 32 एल आई जी) मकान, पाकेट–6, साइट–2, नसीरपुर द्वारका, फेज–I, ग्रेड–II	1,98,000 रुपये
57.	मार्फत 184 एम आई जी मकान, पाकेट–6, साइट–1, नसीरपुर द्वारका, फेज–I	2,26,600 रुपये
58.	मार्फत 80 एम आई जी और 106 एल आई जी मकान, पाकेट–2, सैक्टर 2, द्वारका	3,08,000 रुपये
59.	मार्फत 55 एल आई जी और 224 जनता मकान आई/सी आन्तरिक भूमि विकास, पाकेट–10, नसीरपुर के पास (पी पी के) द्वारका	3,87,200 रुपये
60.	मार्फत 456 मकान, (342 एम आई जी एवं 114 एल आई जी), सैक्टर 6, पाकेट–2, द्वारका, फेज–I, एस एचः मार्फत 126 (32 एम आई जी एवं 96 एल आई जी) ग्रेड–III, सैक्टर 6	2,44,200 रुपये
61.	मार्फत 567 इन्क्रीमेंटल मकान एवं 520 एम आई जी, पाकेट–3, सैक्टर 19, द्वारका, फेज–I एस एचः मार्फत 52 इन्क्रीमेंटल एम आई जी + 79 इनक्रीमेंटल एल आई जी मकान, ग्रुप–4	4,35,600 रुपये
62.	एस एचः मार्फत 77 एम आई जी इनक्रीमेंटल एवं 119 एल आई जी मकान, ग्रेड–IV	3,96,000 रुपये
63.	मार्फत 720 एस एफ एस मकान, सैक्टर 19, द्वारका, फेज–I, एस एचः मार्फत 136 एस एफ एस मकान, ग्रेड–IV	2,17,800 रुपये
64.	मार्फत 2693/2714 ई डब्ल्यू एस एवं 358/376 मकान, बिन्दापुर एच एचः मार्फत 278 ई डब्ल्यू एस एवं 40 एल आई जी मकान, ब्लाक–डी, पाकेट–1	5,28,000 रुपये
65.	एस एचः मार्फत 255 ई डब्ल्यू एस एवं 45 एल आई जी, ब्लाक–ई, पाकेट–2	5,28,000 रुपये
66.	मार्फत अतिरिक्त 103 रि.ई. (25 एम आई जी एवं 30 एल आई जी इनक्रीमेंटल एवं 48 एम आई जी चारमंजिला, पाकेट–3, सैक्टर 19 द्वारका	1,84,800 रुपये
67.	मार्फत 14 एल आई जी एवं 42 एम आई जी मकान, पाकेट–3, सैक्टर 1, द्वारका	2,24,400 रुपये
68.	मार्फत 540 एस एफ एस मकान, पाकेट–2, सैक्टर 9, द्वारका मार्फत 192 एस एफ एस मकान, पाकेट–2, सैक्टर 9, द्वारका	2,15,000 रुपये
69.	मार्फत 268 ई डब्ल्यू एस एवं 36 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, ब्लाक–8, बिन्दापुर	5,69,800 रुपये
70.	मार्फत 202 ई डब्ल्यू एस एवं 24 एल आई जी इनक्रीमेंटल मकान, पाकेट–3, बिन्दापुर	4,48,800 रुपये
71.	मार्फत 260 ई डब्ल्यू एस एवं 38 एल आई जी मकान, पाकेट–3, ब्लाक, बिन्दापुर	5,35,700 रुपये
72.	मार्फत 284 ई डब्ल्यू एस एवं 36 एल आई जी मकान, पाकेट–3, ब्लाक–बी, बिन्दापुर	5,53,300 रुपये
73.	मार्फत 309 ई डब्ल्यू एस एवं 32 एल आई जी मकान, पाकेट–3, ब्लाक–ए, बिन्दापुर	5,90,614 रुपये
74.	मार्फत 184 एस एफ एस मकान, सैक्टर 9, पाकेट–3, ग्रेड–II, फेज–I, द्वारका	2,14,500 रुपये
75.	मार्फत 176 एस एफ एस मकान, सैक्टर 13, द्वारका	1,59,875 रुपये
76.	मार्फत 57 एम आई जी एवं 119 एल आई जी मकान, सैक्टर 13, फेज–I	1,25,400 रुपये

1	2	3
77.	मार्फत 61 एम आई जी एवं 104 एल आई जी, सैक्टर 13, फेज–I, द्वारका	1,51,800 रुपये
78.	मार्फत 164 एस एफ एस मकान (84 श्रेणी–II एवं 84 श्रेणी–III), सैक्टर 9	65,700 रुपये
79.	मार्फत 136 रि.ई. सैक्टर 10, द्वारका	2,83,800 रुपये
80.	मार्फत 128 एम आई जी एवं 224 एल आई जी इनक्रीमेंटल और 48 जनता मकान इनक्रीमेंटल सैक्टर 7, द्वारका	2,86,924 रुपये
81.	मार्फत 136 एस एफ एस मकान, श्रेणी–III, पाकेट–1, सैक्टर 2, द्वारका	3,23,400 रुपये
82.	मार्फत 384 एस एफ एस मकान, सैक्टर द्वारका फेज–I एस एचः 192 एस एफ एस मकान ग्रेड–I	1,95,520 रुपये
83.	एस एचः मार्फत 192 एस एफ एस मकान, ग्रेड–II	1,95,520 रुपये
84.	मार्फत 608 रिहा ई. पाकेट–16 एच एसः मार्फत 192 रिहा. ई. (144 एम आई जी 48 एल आई जी) पाकेट–16, सैक्टर 3, द्वारका	2,78,240 रुपये
	(ख) –वही– इलैक्ट्रीकल	23,100 रुपये
85.	–वही–एस एचः आई ई आई 224 रिहा. ई. (168 एम आई जी एवं 56 एल आई जी) मकानों और 168 स्कूटर गैराजों, जिनमें ग्रुप–1 का आन्तरिक विकास शामिल है।	23,100 रुपये
86.	–वही–एस एचः 192 रिहा. ई. का आई ई आई (144 एम आई जी एवं 48 एल आई जी) मकानों और 144 स्कूटर गैराजों, जिनमें ग्रुप–2 का आन्तरिक विकास शामिल है	23,100 रुपये
87.	मार्फत 182 एम आई जी मकान, सैक्टर 12, पाकेट–2, द्वारका, फेज–I एस एचः आई ई आई	23,100 रुपये
88.	मार्फत 151 एस एफ एस, श्रेणी–III, मकान, स्कूटर गैराज, सैक्टर 12, पाकेट–12 द्वारका, फेज–I, एस एचः आई ई आई	19,800 रुपये
89.	मार्फत 198 एम आई जी मकान और 150 स्कूटर गैराज, पाकेट–2, सैक्टर 2, द्वारका, फेज–I	69,300 रुपये
90.	मार्फत 312 एस एफ एस मकान (116 श्रेणी–III, 166 श्रेणी–II) और 312 स्कूटर गैराज, 78 कार गैराज, एस एचः आई ई आई 88 एस एफ एस मकान, (44 श्रेणी–III, 44 श्रेणी–II) 88 स्कूटर गैराज, 22 कार गैराज, ग्रेड–III	59,400 रुपये
91.	–वही– एस एचः आई ई आई 88 एस एफ एस मकान, 939 श्रेणी–III, 82 श्रेणी–II एवं 88 स्कूटर गैराज, ग्रेड–II	59,400 रुपये
92.	–वही–एस एचः आई ई आई 136 एस एफ एस मकान (66 श्रेणी–III, 70 श्रेणी–II), 136 स्कूटर गैराज एवं 34 कार गैराज, ग्रुप–1	59,400 रुपये
93.	मार्फत 198 एम आई जी मकान एवं 150 स्कूटर गैराज आई/सी, भूमि विकास, पाकेट–3, सैक्टर 2, द्वारका, फेज–I, एस एचः आई ई आई	69,300 रुपये

पार्किंग शुल्क

4703. डा. सी कृष्णन :

श्री राशिद अलवी :

श्री वैको :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की पार्किंग शुल्क को दो गुना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक पार्किंग मीटर लगाने, शुल्क कम करने और इन कार्यों को कमजोर वर्गों और विकलांग युवकों को देकर रोजगार सृजन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) पार्किंग क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं मुहैया करने, कुछ अभिनामित (डेजिगनेटेड) क्षेत्रों में पार्किंग को प्रोत्साहित करने आदि की जरूरत जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग शुल्क को बढ़ाने और संबंधित मामलों के प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) सूचनानुसार ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

इंसुलिन की कीमत में वृद्धि

4704. श्री रामजी लाल सुमन :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले आठ वर्षों के दौरान जीवन रक्षक दवा इंसुलिन की कीमत में कई गुणा वृद्धि की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी कीमत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) देश में प्रपुंज औषध इंसुलिन का उत्पादन पहले मेसर्स नॉल फार्मा द्वारा, किया जाता था, जिसने अब इसका उत्पादन बंद कर दिया है तथा इस समय यह औषध प्रपुंज औषध् इंसुलिन क्रिस्टल तथा तैयार खुराक के रूप में आयात की जाती है। संगत औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबन्धों के तहत समय–समय पर यथा निर्धारित बोविन इंसुलिन सूत्रयोगों की अधिसूचित/अनुमोदित कीमतें (रुपए में) संलग्न विवरण में दी गई हैं।

पोर्सिन + बोविन इंसुलिन का मूल्य 10 मि.ली. वायल के लिए 110.14 रु. से 129.02 रुपए है तथा ह्यूमन इंसुलिन का मूल्य 10 मि.ली. वायल के लिए 185.00 रु. से 203.00 रुपए है।

मूल्य में वृद्धि के मुख्य कारण देश में प्रपुंज औषध का उत्पादन बंद होना, सी आई एफ मूल्य में वृद्धि, भारतीय रुपए का मूल्यह्रास होना इत्यादि है।

इंसुलिन के अधिक मूल्य से रोगियों पर पड़ रहे भार को देखते हुए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण इंसुलिन सूत्रयोग के उत्पादकों/आयातकर्ताओं के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित करते हैं जिनमें उन्हें इसे चिकित्सा संस्थानों तथा हस्पतालों के जरिए कम मूल्य में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण

इंसुलिन का प्रकार	यूनिट	1990	1995	1996 (फरवरी)	1996 (अगस्त)	2000
1	2	3	4	5	6	7
इंसुलिन इंजेक्शन 40 आई यू/एम एल	10 एम एल वायल	12.44	12.44	32.28	50.34*	72.34*
इंसुलिन इंजेक्शन 80 आई यू/एम एल	10 एम एल वायल	22.90	22.90	56.44	–	–
आईसोफेन इंसुलिन 40 आई यू/एम एल	10 एम एल वायल	12.49	12.49	32.60	50.12*	72.28*
इंसुलिन जिंक सस्पें. 40 आई यू/एम एल	10 एम एल वायल	12.43	12.43	32.28	50.24*	72.48*

1	2	3	4	5	6	7
इंसुलिन जिंक सस्पें. 80 आई यू/एम एल	10 एम एल वायल	22.89	22.89	56.44	–	–
इंसुलिन प्रोटामीन जिंक इंजेक्शन 40 आई यू/एम एल	10 एम एल वायल	12.58	12.58	32.60	–	–

नोट : 1990 से फरवरी 96 तक के मूल्य अधिकतम मूल्य हैं। (*) निशान के साथ दिखाए गए मूल्य आयातित इंसुलिन क्रिस्टल के आधार पर अनधिकतम मूल्य हैं।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज-सहायता

4705. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज–सहायता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज–सहायता और इसी तरह विशेष केन्द्रीय सहायता बढ़ाने हेतु राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) इस संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा

4706. श्री किरीट सोमैया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को आरंभ करने हेतु विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अद्यतन बनाए जाने के संबंध में रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई ने अपने परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को शामिल किए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो शिक्षण संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) सरकार इंजीनियरी कॉलेजों में नए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की शुरूआत करने तथा विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में दाखिले में वृद्धि करने को प्रोत्साहन दे रही है। वर्तमान वर्ष के दौरान ही, सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में डिग्री स्तर पर 30,001 सीटें, डिप्लोमा स्तर पर 11,169 सीटें तथा एम.सी.ए. में 5217 सीटें बढ़ाई गईं।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में राज्यवार की गई दाखिले में वृद्धि/नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2000–2001 में दाखिले/अतिरिक्त दाखिले में वृद्धि

राज्य	डिग्री		डिप्लोमा		एम.सी.ए.
	अतिरिक्त दाखिले	दाखिले में वृद्धि	अतिरिक्त दाखिले	दाखिले में वृद्धि	दाखिले में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	1720	5696	00	1490	1850

1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1270	3730	00	280	1255
पांडिचेरी	60	60	00	00	30
हरियाणा	240	1080	00	120	150
राजस्थान	280	180	60	00	20
पंजाब	290	260	180	100	60
चंडीगढ़	30	00	00	00	00
जम्मू व कश्मीर	00	00	150	85	00
हिमाचल प्रदेश	00	00	60	00	00
दिल्ली	00	140	00	00	50
मध्य प्रदेश	1010	795	715	270	330
उडीसा	400	240	270	30	150
पश्चिम बंगाल	670	360	30	30	00
सिक्किम	00	60	00	00	00
असम	00	00	30	00	00
कर्नाटक	1200	1595	1360	1144	342
केरल	100	260	00	240	00
महाराष्ट्र	2770	2170	1950	580	280
गुजरात	360	405	830	300	90
गोवा	00	70	00	10	00
उत्तर प्रदेश	450	1545	30	00	550
बिहार	355	150	450	365	560
जोड़	11205	18796	6115	5044	5217

[हिन्दी]

रेल डिब्बों और रेल इंजनों का आयात

4707. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का विचार विदेशों से यात्री रेल डिब्बों और रेल इंजन का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेल दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की मांग के अनुरूप यात्री रेल डब्बों एवं रेल इंजनों का निर्माण करने में सक्षम है; और

(घ) यदि हां, तो कारपोरेशन द्वारा इनका आयात किए जाने का क्या औचित्य है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) परियोजना हेतु कुल जरूरत के 240 रेल के डिब्बों में से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) द्वारा 60 रेल के डिब्बों का आयात करने का प्रस्ताव है। शेष 180 रेल के डिब्बों का देश में उत्तरोत्तर स्वदेशी अंश से विनिर्माण करने का प्रस्ताव है। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि उनके पास बुनियादी अवस्थापना उपलब्ध है और कुछ आवर्धन करने से डी.एम.आर.सी. लिमिटेड के लिए मेट्रो रेल के डिब्बों का उत्पादन किया जा सकता है। कुछ अन्तरराष्ट्रीय विनिर्माताओं ने पहले ही रेलवे चेन्नई में इन्टीग्रल कोच फैक्टरी और कपूरथला में रेल कोच फैक्टरी में स्वदेशी रूप से मेट्रो रेल के डिब्बों के विनिर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए संपर्क किया है। रेल के इंजनों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के धन का दुरुपयोग

4708. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत जारी किए गए धन के दुरुपयोग का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और यह धनराशि कितनी है;

(ग) इसमें लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) जरूरतमंद परिवारों तक लाभ सुनिश्चित रूप से पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) जी, हां। अभी तक महाराष्ट्र सरकार के संज्ञान में दुर्विनियोग के दो मामले लाए गए हैं।

(ख) पुणे जिले के पुरन्धर तहसील में दिनांक 27.8.1998 को 63455 रु. का दुर्विनियोग हुआ और उसी जिले के एक और तहसील भोर में 15.5.1997 से 18.6.1997 तक की अवधि में 60,600 रु. का दुर्विनियोग हुआ।

(ग) प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरन्धर तहसील में संबंधित अधिकारी से राशि की वसूली कर ली गयी है और भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत शिकायत दर्ज हो गयी है। भोर तहसील के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 आदि के तहत शिकायत दर्ज करायी गयी। ऐसी सूचना है कि गबन की गयी राशि को वसूल कर लिया गया है और लाभार्थियों को भुगतान कर दिया गया। इस समय यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(घ) योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना सिद्धांत के तौर पर राज्य सरकार का दायित्व है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिले, केन्द्र सरकार ने दिशा–निर्देश बनाए हैं जिनमें राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को कहा गया है कि वह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का व्यापक और निरंतर प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करे, यह भी सुनिश्चित करें कि अभ्यावेदन फार्म स्थानीय भाषाओं में सर्वत्र मिल सके, अभ्यावेदनों के सत्यापन की प्रकिया शीघ्र और सरल हो और उनकी स्वीकृति जल्दी से मिल सके। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि इनके वितरण में होने वाले विलंब और दुराचार को खत्म करें और लेखा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि कार्योत्तर लेखा परीक्षा समुचित रूप से हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले दिशा–निर्देशों में इस प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समिति की स्थापना करने का भी प्रावधान है। कार्यान्वयन संबंधी नॉडल जिम्मेदारी जिला कलेक्टर/जिला परिषदों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को दी गयी है। दिशा–निर्देशों में यह भी सुझाव है कि ये लाभ ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों को क्रमशः ग्राम सभा और नेबरहुड समिति की बैठकों में वितरित करने की प्राथमिकता दी जाए। पहचान करने, वितरण करने आदि में पंचायतों/नगरपालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार किया गया है। यदि किसी मामले में पात्रता संबंधी गलत अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर भुगतान हो गया है तो स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को इस तरह हुए भुगतान की वसूली करने का अधिकार होगा।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड

4709. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कंपनी देश के पश्चिमी घाटों में किए जा रहे खनन कार्यों के कारण गहरे संकट में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कंपनी के वर्तमान कार्यों को जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात मंत्री द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान के.आई.ओ. सी.एल. के वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड को प्रदान की गई कार्य करने की अवधि को 25 जुलाई, 2000 से एक वर्ष के लिए और बढा दिया गया है ताकि कंपनी अपना प्रवालन जारी रख सके।

सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों को प्रशिक्षण दिया जाना

4710. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों को देश के दक्षिणी राज्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के सभी राज्यों में कम्प्यूटर में प्रवीणता प्राप्त विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) यह सच है कि पिछले दो दशकों में तकनीकी संस्थाएं शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर निजी पहले दक्षिणी राज्यों से हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप सर्वाधिक संस्थाएं देश के दक्षिणी राज्यों में स्थित हैं।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद समय-समय पर न्यासों/सोसाइटियों/सरकार/विश्वविद्यालयों से संस्थाओं की स्थापना के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती हैं और इन आवेदन पत्रों पर विनियमों तथा मानदण्डों के अनुसार कार्रवाई करती है। संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधिक विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकारी कालोनियों में बाजारों का निर्माण

4711. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय ने सभी सरकारी कालोनियों में बाजारों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई मानदंड निर्धारित किया गया है जिससे कि निवासियों को रोजमर्रे की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकें;

(ग) क्या सभी सरकारी कालोनियों में विद्युत संबंधी एवं घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने वाली दुकानें मौजूद नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सुविधाओं को निवासियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारी कालोनियों में स्थित दुकानें, कालोनियों के निवासियों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर आबंटित की गई थी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र

4712. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफको ने कभी तमिलनाडु में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह राज्य विभिन्न राज्यों और विदेशी देशों में निर्मित उर्वरकों का प्रमुख खरीददार है;

(घ) यदि हां, तो इसके मद्देनजर, क्या सरकार का विचार इस राज्य में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सामान्यतः उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार

के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत्त शक्तियों से परे ऐसे पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तमिलनाडु में नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव उनसे सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

नागरिक पुनर्जागरण आंदोलन

4713. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 22 सितम्बर, 2000 को विभिन्न शहरों के मेयरों द्वारा अपने–अपने शहरों में नागरिक पुनर्जागरण आंदोलन आरंभ करने और ईमानदारी, प्रतिबद्धता और परिणामोन्मुखता का माहौल बनाने के लिए उनसे मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) हडको और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 21 और 22 सितम्बर, 2000 को स्वस्थ नगरों पर दो दिवसीय महापौर सम्मेलन आयोजित किया था। माननीय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत सरकार के कार्यक्रमों को गंभीरता से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया। उनके अनुसार अपने नागरिकों को समान, स्वच्छ तथा स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना राज्यों का दायित्व है और साथ ही लोगों को भी अपनी सहायता स्वयं करने और इस प्रयास की तरफ अपना योगदान देने के लिए आगे आना चाहिए।

(ग) स्थानीय सरकार राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार अवस्थापना विकास और स्वच्छ तथा स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराने हेतु मेगा सिटी योजना, छोटे एवं मझौले कस्बों का समेकित विकास (आई डीएसएमटी) कम लागत स्वच्छता और सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति (एलसीएस), त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ पर रहने वालों के लिए आश्रय तथा स्वच्छता सुविधाएं (एसएसएफडीयूए) जैसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के द्वारा राज्यों को सहायता उपलब्ध करा रही है।

[हिन्दी]

स्वापकों की तस्करी

4714. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापकों की तस्करी की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस के पास अलग से कोई विभाग/तंत्र/क्रियाविधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कार्यरत पुलिस अधिकारियों/कर्मिकों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1990 में एक अलग नारकोटिक क्राइम प्रीवेंशन विंग की स्थापना की गई थी जिसका प्रमुख पुलिस उपायुक्त होता है।

(ग) और (घ) इस समय नारकोटिक क्राइम प्रीवेंशन विंग में 22 पुलिस अधिकारी कार्यरत हैं।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को बन्द किया जाना

4715. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रयोगशालाएं कौन–कौन सी हैं और उनकी उत्पादकता और उपयोगिता के संबंध में उनको कौन–कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है;

(ख) क्या अनुत्पादक प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नियंत्रणाधीन वाली कुछ प्रयोगशालाओं को बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन प्रयोगशालाओं को उनकी उत्पादकता के अनुसार धन आबंटित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन प्रयोगशालाओं का उनकी उत्पादकता और उपयोगिता के आधार पर कोई श्रेणीकरण नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जी हां। सीएसआईआर गाजियाबाद स्थित अपने घटक संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एसईआरसी) को बंद करने की प्रक्रिया में है क्योंकि इसका चेन्नई में पहले से ही एक संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अग्रणी प्रयोगशाला बन गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अपने विशिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों और विषयों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम/क्रियाकलाप करती हैं। तदनुसार, निधियों का आबंटन उन प्रयोगशालाओं की प्रस्तावित योजना की जांच के आधार पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा भावी प्रत्याशाओं के मद्देनजर किया जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रूड़की–247667

जीव रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीबीटी), दिल्ली–110007

कोशिकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र (सीसीएमबी), हैदराबाद–500007

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), लखनऊ–226001

केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सीईसीआरआई), कराईकुड़ी–623006

केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीरी), पिलानी–333031

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएफआरआई), धनबाद–828108

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर–570013

केन्द्रीय कांच और सिरैमिक अनुसंधान संस्थान (सीजीसीआरआई), कलकत्ता–700032

केन्द्रीय औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान (सिमैप), लखनऊ–226015

केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), मद्रास–600020

केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई), दुर्गापुर–713209

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सीएमआरआई), धनबाद–826001

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), नई दिल्ली–110020

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईओ), चण्डीगढ़–160020

केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई), भावनगर–364002

भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान (आईआईसीबी), कलकत्ता–700032

भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद–500007

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून–248005

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र (इन्सडॉक), नई दिल्ली–110067

औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आईटीआरसी), लखनऊ–226001

हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएचबीटी), पालमपुर–176061

सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमटी), चण्डीगढ़–160014

राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एनएएल), बंगलूर–560017

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ–226001

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे–411008

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर–440020

राष्ट्रीय भू–भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद–500007

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा–403004

राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम), नई दिल्ली–110012

राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (निस्टैड्स), नई दिल्ली–110012

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर–831007

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली–110012

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल–भो), भोपाल–462026

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल–भु), भुवनेश्वर–751013

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल–जम्मू), जम्मू–तवी–180001

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल–जोर), जोरहाट–785006

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल–तिरू), तिरूअनंतपुरम्–695019

संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एसइआरसी–जी), गाजियाबाद–201001

संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एसइआरसी–म), मद्रास–600113

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दौरा

4716. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशकल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न स्थानों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दौरों के क्या परिणाम निकले;

(घ) इन दौरों पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन राज्यों जिन्होंने अपने मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया है, में अपने कार्यालय खोले हैं; और

(च) वर्ष 2000–2001 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच. आर.सी.) के अध्यक्ष और इसके सदस्यों द्वारा दौरा किए गए विभिन्न स्थानों का ब्यौरा दर्शाने वाला दिवरण संलग्न है।

(ग) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के दौरे जनता में सामान्य तौर पर जागरूकता और विश्वास पैदा करने के साथ–साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन की समस्याओं पर विचार करने हेतु संबंधित प्राधिकरणों के प्रयासों को सुग्राही बनाने और समर्थन देने में मदद करते हैं।

(घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इन दौरों के दौरान केवल 5,46,673/– रुपये खर्च किए गए।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) आयोग को गृह मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता–अनुदान मिल रहा है। वर्ष 2000–2001 के लिए आयोग को 6.65 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

विवरण

पिछले एक वर्ष, दिसम्बर, 1999 से नवम्बर, 2000 तक के दौरान आयोग द्वारा किए गए दौरे

क्र.सं.	अध्यक्ष/सदस्य	राज्य
1.	न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा, अध्यक्ष	इन्दौर, कोयम्बटूर, बंगलौर, हैदराबाद, वाराणसी, मद्रास, भोपाल, कलकत्ता, पुणे, मुम्बई, जबलपुर और भुवनेश्वर, मैसूर, चण्डीगढ़, देहरादून, मसूरी और सूरत।
2.	श्री वीरेन्द्र दयाल, सदस्य	मुम्बई और कलकत्ता।
3.	डा. न्यायमूर्ति के.आर. रामास्वामी, सदस्य	मद्रास, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर, महाबलीपुरम, बंगलौर, महबूबनगर, अहमदाबाद, माउण्ट–आबू, वाराणसी, बदोही और मिर्जापुर
4.	श्री सुदर्शन अग्रवाल, सदस्य	जयपुर, अहमदाबाद।

दिल्ली यातायात पुलिस

4717. श्री शिवाजी माने : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के उन विद्यालयों, जहां अन्य विद्यालयों की तुलना में दुर्घटना होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, की पहचान हेतु कोई अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) दिल्ली यातायात पुलिस ने 227 सड़कों और बस स्टॉपों की पहचान की है जिनका उपयोग व्यापक रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा किया जाता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन महत्वपूर्ण स्थानों पर 181 यातायात पुलिस कार्मिकों को तैनात किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने स्कूल के छात्रों और अध्यापकों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए अनेक कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।

एनइसी के अन्तर्गत अम्ब्रेला योजनाएं

4718. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनइसी द्वारा प्रदेश में कार्यान्वित अम्ब्रेला योजनाओं का परियोजनावार, एजेन्सीवार एवं राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को संस्वीकृत योजना और अब तक इन पर खर्च होने वाली धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न एजेन्सियों को अम्ब्रेला योजना हेतु क्या दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औषधियों के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद

4719. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में थोक औषधियों और भेषज हेतु एक स्वतंत्र निर्यात संवर्द्धन परिषद का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इस तथ्य के मद्देनजर कि हैदराबाद इस क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्यातक है, इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) सरकार ने औषधों तथा भेषजों के लिए अलग निर्यात संवर्द्धन परिषद स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनियमित भुगतान

4720. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों का आबंटन बहाल करने के मामले में आवास विभाग द्वारा किए गए अनियमित भुगतान के 118 मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि धोखाधड़ी के 700 से भी ज्यादा ऐसे मामले हो सकते हैं जिनका अभी तक पता लगाया जाना बाकी है;

(घ) यदि हां, तो क्या घोटाले में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और सिर्फ कनिष्ठ स्तर के कार्मिकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) शेष मामलों की जांच कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फ्लैटों का आबंटन बहाल करने के कई मामलों समेत अग्रिम की वापसी में अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्टों/शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच की गई थी। प्रारम्भिक जांच हेतु लिए गए 118 मामलों में 20 मामलों की व्यापक रूप से जांच की गई तथा अनियमितताएं पाई गईं। इसके मद्देनजर सभी 118 मामले उपराज्यपाल दिल्ली के आदेश पर जांच हेतु दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सुपुर्द कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1.4.1999 से अब तक आबंटन बहाल करने के कुल 768 मामले हैं। तथापि, धन की वापसी में की गई अनियमितताओं के मामलों की ठीक संख्या बताना संभव नहीं है। जब कभी ऐसे किसी मामले में कोई अनियमितता पायी जाएगी तब कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्रारम्भिक जांच के आधार पर 8 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अंतिम जांच पूरी होने के बाद आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

4721. श्री अरूण कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों में से कितने पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं;

(ख) अनुबंध/अंशकालीन आधार पर अल्पकालीन नियुक्ति प्राप्तकर्त्ताओं में से कितने अध्यापकों को नियमित किया गया है;

(ग) क्या इन अल्पकालीन नियुक्तियों को केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियमित नियुक्तियों के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) नियमों में अनुबंध/अंशकालिक आधार पर अल्पकालिक नियुक्त व्यक्तियों की सेवा को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें खुला विज्ञापन जब भी प्रकाशित हो तो आवेदन करना होगा।

(ग) और (घ) नियमित व अनुबंध/अंशकालिक आधार पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास पद हेतु निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए। नियमित आधार पर, अल्पकालीन अनुबंध आधार पर तथा अनुबंध अंशकालिक आधार पर नियुक्ति को शासित करने के नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं :–

नियमित नियुक्ति

नियमित पदों को भरने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन निकालता है। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के आधार पर चयन पैनल तैयार किया जाता है तथा

जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु सिफारिश की जाती है उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। वे 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहते हैं। परिवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर उन्हें स्थायी किया जाता है।

अल्पकालिक अनुबंध आधार पर

इस प्रकार की नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं की जाती। तथापि, नियुक्त व्यक्तियों को मकान किराया भत्ता/नगर भत्ते सहित पूरा वेतन दिया जाता है।

अनुबंध अंशकालिक आधार

1. अध्यापकों को एक दिन में चार से अधिक पीरियडों के लिए नहीं लगाया जाता।

2. उन्हें xi और xii, vi से ix तथा i से v तक कक्षा पढ़ाने के लिए क्रमशः 70/– रु. 60/– रु. और 50/– रु. प्रतिदिन दिए जाते हैं। भुगतान वास्तव में लिए गए पीरियड के आधार पर किया जाता है।

अल्पकालीन अनुबंध आधार पर तथा अनुबंध अंशकालिक आधार पर नियुक्तियां संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य करते हैं।

[हिन्दी]

पेट्रो रसायन उद्योग

4722. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश पेट्रोरसायन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोरसायन के उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पेट्रोरसायन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) मुख्य पेट्रो–रसायनों जिनमें पालिमर, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर तथा सर्फेक्टेंट्स शामिल हैं, का उत्पादन 1999–2000 के दौरान 4959 किलो टन की अनुमानित मांग के मुकाबले 4578 किलो टन हुआ। चालू वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, चालू वर्ष, यानि 2000–01 में मांग तथा आपूर्ति के बीच अन्तर कम होने की आशा है।

(ग) 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान पेट्रो–रसायनों का उत्पादन तथा उपयोगिता संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार ने विभिन्न प्रवर्तकों को आशय पत्र जारी करके स्वदेशी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पेट्रो रसायन संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार भी उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रही है जिससे प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो सकें।

विवरण

पेट्रो रसायनों का उत्पादन तथा उपयोगिता

(आंकड़े किलो टन में)

उत्पाद	1997–98*		1998–99*		1999–2000*	
	उत्पादन	उपयोगिता	उत्पादन	उपयोगिता	उत्पादन	उपयोगिता**
1	2	3	4	5	6	7
सिंथेटिक फाईबर						
ए एफ	80	114	79	110	95	120
एन एफ वाई	30	31	29	30	26	31
एन आई वाई/टी सी	47	50	49	51	50	54
पी एफ वाई	662	612	710	699	777	810

1	2	3	4	5	6	7
पी एस एफ	431	452	519	518	547	490
कुल	1250	1259	1386	1408	1495	1505
फाईबर मध्यवर्तियां						
एक्रीलोनाइट्राइल	28	85	27	100	18	116
केप्रोलेक्टम	99	94	105	97	115	97
डी एम टी	191	196	211	214	180	185
पी टी ए	684	833	983	1079	1152	1175
एम इ जी	364	445	446	479	481	526
कुल	1366	1653	1772	1969	1946	2101
पालिमर्स						
एल डी पी ई	187	237	180	249	184	255
एल एल डी पी ई	162	216	178	228	254	307
एच डी पी ई	366	516	406	599	572	672
पी पी	501	615	544	762	797	887
पी वी सी	680	687	739	749	739	750
पी एस	120	127	143	152	161	165
कुल	2016	2398	2190	2739	2707	3036
इलास्टोमर्स						
एस बीआर	32	51	22	53	13	41
पी बी आर	34	54	37	58	37	52
कुल	66	105	59	111	50	103
सर्फेक्टेंट्स						
एल ए बी	251	244	282	259	326	315
कुल	251	244	282	259	326	315
फाईबर मध्यवर्तियों को छोड़कर सभी पेट्रो रसायन	3583	4006	3917	4517	4578	4959

* वास्तविक

** अनुमानित

[अनुवाद]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

4723. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किया गया धन बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त रहा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में धन पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; और

(घ) कार्यक्रम हेतु निर्धारित धन के बेहतर और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में परियोजनाओं की एक श्रृंखला होती है तथा इन परियोजनाओं की अवधि 5 से 7 वर्ष होती है। अर्पित की गई धनराशि को परियोजना अवधि में खर्च करना होता है। संबंधित परियोजना राज्यों में यह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। जिन राज्यों में व्यय अनुमानित से कम है उनके नाम हैं- बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश का परियोजना III चरण। इन राज्यों में व्यय के कम होने के मुख्य कारण हैं- जिला/उप-जिला स्तर पर प्रबंध ढांचो के गठन से जुड़ी विभिन्न प्रकियाओं को पूरा होने, मुख्य परियोजना कार्मिकों की तैनाती, शिक्षक रिक्तियों को भरने में विलंब, सिविल निर्माण की धीमी प्रगति, आदि।

(घ) कार्यक्रम के तहत निधियों का बेहतर और कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाता है तथा जरूरत पड़ने पर स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर से उपयुक्त तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना पैरामीटरों की पृष्ठभूमि में भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का संयुक्त समीक्षा मिशनों के दौरों, परियोजना प्रबंध सूचना प्रणाली (पी.एम.आई.एस.), कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भागीदारी, आंतरिक पर्यवेक्षण मिशन भेजकर तथा समय-समय पर राज्य सरकारों/राज्य कार्यान्वयन समितियों के अधिकारियों के साथ विशेष बैठकें आयोजित करके, आदि के माध्यम से समय-समय पर अनुवीक्षण किया जाता है।

दिल्ली पुलिस बल को धन दिए जाने के संबंध में रिपोर्ट

4724. श्री नरेश पुगलिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली पुलिस बल और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कार्यकरण को सुचारु करने संबंधी रिपोर्ट का संकलन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो को हाल ही में दिल्ली पुलिस की जनशक्ति और आधुनिकीकरण की आवश्यकता का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने का कार्य दिया गया था। ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल को भेजा गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए धन

4725. श्री जी.एस. बसवराज :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) योजना के अंतर्गत केन्द्र ने कुल खर्च का 85 प्रतिशत दिया है जबकि शेष 15 प्रतिशत राज्यों को वहन करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष के लिए कर्नाटक के हिस्से की धनराशि जारी कर दी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने बेलगांव, कोलार, मांड्या और रायचूर जिलों के लिए इस कार्यक्रम के चरण-I के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना के तहत परियोजना लागत का 85 प्रतिशत भारत

सरकार द्वारा वहन किया जाता है जिसका स्रोत विदेशी निधियन है तथा शेष 15 प्रतिशत भाग संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) वर्ष 1999–2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा परियोजना के चरण–I और II के लिए कर्नाटक को क्रमशः 8.10 करोड़ रु. तथा 26.00 करोड़ जारी किए गए हैं। निधियों का जारी किया जाना अनुमोदित कार्य योजना और बजट तथा व्यय की प्रगति पर निर्भर होता है।

(ग) और (घ) कर्नाटक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर चरण–I के जिलों– बेलगांव, कोलार, मांड्या और रायचूर में डी.पी.ई.पी. के कार्यान्वयन के लिए सिद्धांत रूप में 35.24 करोड़ रु. के अतिरिक्त परिव्यय पर सहमति हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रम चरण–I के तहत 15 करोड़ रु. तथा चरण–II के तहत 50 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति तथा व्यय की रूझान के आधार पर अगली धनराशि जारी करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण कानून

4726. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला और बाल कल्याण विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.) ने हाल में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उसने स्वीकार किया कि अभी भी ऐसे कानून मौजूद हैं, जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में उन कानूनों में यथाशीघ्र संशोधन के लिए बल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में उन कानूनों में अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस रिपोर्ट की सिफारिशों के कियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग ने नौंवी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के 'महिला सबलीकरण और बाल विकास' विषय पर अध्याय के प्रारूप पर हाल ही में अपनी टिप्पणियां योजना आयोग को भेजी थीं। उसमें कुछ ऐसे केन्द्रीय कानूनों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया गया था, जिनकी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण उपबन्धों को हटाने के लिए समीक्षा की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रकार अभिनिर्धारित केन्द्रीय कानूनों में की गई सिफारिशों का सार देते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

विवरण

महिलाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न केन्द्रीय कानूनों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन

क्र.सं.	अधिनियम का नाम	अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का सार	अधिनियम से संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालय का नाम
1	2	3	4
1.	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	(i) अधिनियम की धारा 3 (सती का प्रयास में संशोधन, जिससे न्यायालय यह मान ले कि सती होने वाली महिला दोषी न होकर परिस्थितियों की शिकार है। (ii) सती के निवारण के प्रयास करने के बजाए जो व्यक्ति सती प्रथा को दुष्प्रेरित करते हैं उन्हें कवर करने के लिए अधिनियम के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना।	महिला एवं बाल विकास विभाग

1	2	3	4
		(iii) अधिनियम को और अधिक कड़ा बनाने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए सजा की मात्रा को बढ़ाना। (iv) अपराधों को सक्षम न्यायाधिकार की मौजूदा अदालतों के न्यायाधिकार के अन्तर्गत लाना, न केवल विशेष अदालतों में।	
2.	स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986	(i) अधिनियम के शीर्षक में संशोधन करके उसका नाम 'स्त्री अनादरपूर्ण और अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम' रखना। (ii) धारा 2 (क) में संशोधन करना (विज्ञापन) शब्द में संशोधन करके इसमें इलैक्ट्रोनिक तथा अन्य प्रचार माध्यमों को शामिल करना) (3) धारा 2 (छ) (वेब सेवाओं को शामिल करने के लिए 'प्रकाशन' शब्द की परिभाषा) जोड़ना। (iii) धारा 4 क (शिकायतों के लिए अधिसूचित स्वैच्छिक संगठनों को सशक्त बनाना) को जोड़ना। (iv) धारा 6 (इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए सजा बढ़ाना) को संशोधित करना।	महिला एवं बाल विकास विभाग
3.	बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम, 1929	धारा 3,4,5 तथा 6 के अन्तर्गत सजा बढ़ाना। धारा 7 में संशोधन के माध्यम से अपराधों को संज्ञेय बनाना, धारा 13 में संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा बाल विवाह निवारण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान तथा अधिनियम की धारा 14 में तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अपहरण से संबंधित धारा 361, भगाकर ले जाने से संबंधित धारा 362 तथा वेश्यावृत्ति इत्यादि के प्रयोजन से	विधायी विभाग

1	2	3	4
		अवयस्कों को खरीदने से संबंधित धारा 373) तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में भी परिणामस्वरूप संशोधन करना।	
4.	संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890	स्त्रियों तथा पुरुषों को शामिल करने के लिए अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए धारा 10 (i) (ख), 19 (क) एवं (ख) तथा 21 (क) एवं (ख) को संशोधित करना।	विधायी विभाग
5.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	धारा 22 (i) (क) में 'माता' शब्द को शामिल करना, धारा 22 (i) (ख) में पिता के बजाय 'माता–पिता' शब्द का प्रयोग, तथा धारा 60 में पिता के अलावा 'माता' शब्द का प्रयोग।	विधायी विभाग
6.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	मृतक संहदायिक की पुत्री को पुत्र के समतुल्य सहदायिकी सम्पत्ति के समान अधिकार देने के लिए अधिनियम की धारा 6 में संशोधन।	विधायी विभाग
7.	आपराधिक प्रक्रिया संहित, 1973	अखिल भारतीय आधार पर एक समान रूप से मासिक अनुरक्षण भत्ते की राशि को बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने के लिए संहिता की धारा 125 का संशोधन।	गृह मंत्रालय

राजस्थान के जोधपुर में जलापूर्ति

4727. श्री पुष्प जैन : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के पाली जिले के जवाई बांध से पाइप लाइन के माध्यम से जोधपुर को जलापूर्ति हेतु केंद्र सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस योजना पर काम कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) चूंकि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेय जल आपूर्ति की योजनाएं बनाने, स्वीकृत करने और उन्हें कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित कर दी गयी हैं इसलिए राजस्थान सरकार को ऐसी परियोजनाएं भारत सरकार को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

4728. श्री साहिब सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान हैं जो वित्तीय संकट के कगार पर हैं;

(ख) देश में ऐसे सभी शिक्षा संस्थानों का वित्तपोषण करने के पैटर्न और इनकी आवश्यकताएं क्या हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तपोषण करने का वर्तमान पैटर्न संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) पात्र विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को वितरण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए जाने वाले योजनागत तथा योजनेत्तर आबंटनों में कुछ वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 8वीं योजना के दौरान दिए गए योजनागत आबंटन के अंतर्गत 922.22 करोड़ रुपये तथा योजनेत्तर आबंटन के अंतर्गत 1906.45 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 9वीं योजना के दौरान योजनागत आबंटन के अंतर्गत 2000.00 करोड़ रुपये और योजनेत्तर आबंटन के अंतर्गत 4696.68 करोड रुपये (लगभग) आबंटित किए गए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों को घाटा

4729. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) कोल इंडिया लि. की तीन सहायक कंपनियां नामतः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल), भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) घाटे में चल रही हैं। इन कंपनियों को गत तीन वर्षों में हुआ घाटा निम्नानुसार है:–

	1997–98	1998–99	1999–2000
ईसीएल	(–) 541.89	(–) 472.47	(–) 728.23
बीसीसीएल	(–) 140.91	(–) 442.34	(–) 692.32
सीसीएल	(–) 85.67	(–) 149.35	(–) 121.24

(ख) इन कंपनियों को घाटा होने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :–

(i) छोटी–छोटी भूमिगत खानों का बहुतायत में होना जिनमें से अधिकांश को राष्ट्रीयकरण के समय अधिकार में लिया गया था और उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के लिए अब उनका परिचालन सहज नहीं है;

(ii) कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्तों में उतरोत्तर वृद्धि की तुलना में भूमिगत खानों की उत्पादकता कम होना,

(iii) अधिशेष (सरप्लस) श्रमशक्ति; और

(iv) प्रतिकूल भू–खनन स्थितियां और भूमि अधिग्रहण तथा भू–विस्थापितों के पुनर्वास की समस्याएं कुछ बड़ी कोयला खानों के उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं।

(ग) फरवरी, 1996 में सरकार द्वारा सीआईएल के पूंजीगत पुनर्संचरना का पैकेज अनुमोदित किया गया था जिससे सीआईएल की 2228.57 करोड़ रु. की बकाया देनदारी का, ब्याज के बकाया राशि को समाप्त करने, अंशतः अधिमानी इक्विटी द्वारा अंशतः पुनरः अदायगी तथा उद्भूत ब्याज पर मोनेटोरियम द्वारा निपटारा किया गया था। इसका फायदा घाटा उठाने वाली सहायिकाओं जैसे ईसीएल और बीसीसीएल को दिया गया था इसके अलावा ईसीएल तथा बीसीसीएल के घाटा उठाने वाली कंपनियों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के उद्देश्य से सीआईएल ने अपनी सहायक कंपनियों की इक्विटी और ऋण ढांचे की आंतरिक पुनर्संरचना की जिसके द्वारा ईसीएल में 994 करोड़ रु. के ऋण को तथा बीसीसीएल में 1180.70 करोड़ रु. के ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित किया गया। घाटे में चलने वाली कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय करने के बावजूद इन कंपनियों का घाटा जारी है इसलिए, कोल इंडिया लि., होल्डिंग कंपनी ने इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आईसीआईसीआई) को ईसीएल तथा बीसीसीएल के पुनरुत्थान के उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को सीसीएल के पुनरुत्थान के उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया है।

[अनुवाद]

भारतीय लौह और इस्पात कंपनी का निजीकरण

4730. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बर्नपुर स्थित भारतीय लौह और इस्पात कंपनी (इस्को) का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस रुग्ण इस्पात संयंत्र की परिसंपत्तियां कितनी हैं;

(घ) क्या इस्पात संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिये किसी वैकल्पिक रोजगार/मुआवजे पर निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के सम्पूर्ण स्वामित्व में एक राहायक कंपनी है। यह असंतोषप्रद निष्पादन करने वाला रुग्ण संयंत्र है और यह जून, 1994 से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन है। इस्को पुरानी परिसंपत्तियों तथा अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अत्यधिक परिवर्तनशील उत्पादन लागत और अधिक श्रमशक्ति लागत आदि के चलते अधिक लागत, जो लाभप्रदता को प्रभावित करती है, के कारण प्रारंभ से ही अप्रतिस्पर्धी रही है।

इस्को के पुनरुद्धार और इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए यथेष्ट निवेश करके व्यापक आधुनिकीकरण और क्षमता का विस्तार किया जाना अपेक्षित है। अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण सेल ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने इस्को के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण हेतु नीतिपरक साझेदार द्वारा नए निवेश को आसान बनाने की दृष्टि से सेल की अल्प शेयर धारिता सहित इसकी संयुक्त उद्यम बनाने के लिए मंजूरी दे दी है।

(ग) इस्को की प्रमुख परिसंपत्तियां निम्नानुसार हैं :–

1. बर्नपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र और बस्ती
2. कुल्टी वर्क्स
3. लौह अयस्क खानें (i) गुआ अयस्क खानें, गुआ
   (ii) मनोहरपुर अयस्क खानें, चिरिआ
4. कोयला खानें (i) चासनाला
   (ii) जितपुर
   (iii) रामनागोर
5. चासनाला में कोयला धोवनशाला

(घ) और (ङ) इस्को के लिए संयुक्त उद्यम बनाने के लिए मंजूरी देते समय सरकार ने मौजूदा कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा की शर्त लगाई है।

कारों/स्कूटरों के लिए अस्थायी शेड्स

4731. श्री शीशराम सिंह रवि :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास के आबंटी अपने खर्चे पर कार/स्कूटर आदि के लिए अस्थायी शेड नहीं बना सकते और प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को 100 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करके ही इनका निर्माण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रावधान के पीछे क्या तर्क है और आबंटियों पर प्रतिबंध लगाने का क्या औचित्य है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आबंटियों द्वारा शेड/कमरों का निर्माण करने के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये;

(घ) क्या कतिपय आबंटियों को उक्त कार्य के लिए नोटिस दिए गए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष आबंटियों को नोटिस न देने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार मौजूदा विनियमनों की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि सभी निर्माण कार्य के लिए स्थानीय निकायों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है इसलिए क्वार्टरों से लगी हुई भूमि का मालिकाना हक सरकार के पास होने के कारण केवल सरकार ही निर्माण कार्य के अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकती है।

(ग) से (ङ) जब कभी के.लो.नि.वि. द्वारा संपदा निदेशालय को सामान्य पूल वासों में अनाधिकृत शेडों/कमरों का निर्माण सहित किसी अनाधिकृत निर्माण की सूचना दी जाती है, आबंटी को अनधिकृत निर्माण हटाने की नोटिस दी जाती है एवं उसके न हटने पर आबंटन रद्द कर दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा ऐसे नोटिस देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातियों और एन.आई.टी.ए. के लिए आयोग का गठन।

4732. डा. वी. सरोजा :

श्री तिरूनावक्करसू :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों और राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक ग्यारह सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय उप–योजना नीति की समीक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक उपाय सुझाना है।

सरकार एक राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान (एनआईटीए) की स्थापना करने के बारे में भी विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य एक से अधिक राज्य को शामिल करते हुए जनजातीय समुदायों के विकास संबंधी सामान्य नीतियों को शामिल करने वाले मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन शुरू करना, राज्यों में 14 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कार्यों का समन्वय करना तथा उन्हें दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना और नीति तैयार करने के संबंध में इस मंत्रालय के लिए एक निवेश के रूप में कार्य करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सस्ते आवासों का निर्माण

4733. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में सस्ते आवासों के निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु अफ्रीकी–राष्ट्रों सहित अन्य देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने आवास बनाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) किफायती मकानों को बढ़ावा देने हेतु अन्य देशों के साथ सहयोग कार्यक्रमों के तहत आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और उपेक्षित लोगों हेतु विभिन्न आवास कार्यक्रमों के वित्तपोषण का कार्य किया है। आवास कार्यक्रमों का कार्य क्रेडिटेन्सटाल्ट फर वीडराफबाऊ (के.एफ.डब्ल्यू.) या बैंक ऑफ रीकन्सट्रंक्शन, जर्मनी द्वारा हडको को दी गई वित्तीय सहायता से किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासों के निर्माण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रेडिटेक्सटाल्ट फर वीडसफबाऊ (के एफ डब्ल्यू) से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्माण किए जाने वाले राज्यवार प्रस्तावित आवासीय मकान

क.सं.	राज्य	कुल आवासीय मकान
1.	आन्ध्र प्रदेश *	70575
2.	हरियाणा	2012
3.	कर्नाटक	272
4.	केरल	30838
5.	महाराष्ट्र **	1319
6.	पंजाब	2325
7.	राजस्थान	1742
8.	तमिलनाडु	109884
9.	उत्तर प्रदेश	24564
	कुल	243531

* इसमें चक्रवात प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु 56325 आवासीय मकान शामिल हैं।

** सभी 1319 आवासीय मकान अक्टूबर, 1993 के लातूर भूकम्प प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए हैं।

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी जिले

4734. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्तशासी जिलों के नाम क्या है;

(ख) क्या कुछ और स्वायत्त शासी जिलों का गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित किए गए स्वायत्तशासी जिलों/स्वायत्तशासी परिषदों के नाम निम्न प्रकार है:

राज्य	अनुसूचित क्षेत्र	
असम	(i)	उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद
	(ii)	कार्बी अंग्लोंग स्वायत्त परिषद
मेघालय	(i)	खासी पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद
	(ii	जैनतिया पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद
	(iii	गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद
मिजोरम	(i)	चकमा स्वायत्त जिला परिषद
	(ii)	मारा स्वायत्त जिला परिषद
	(iii)	लाई स्वायत्त जिला परिषद
त्रिपुरा	(i)	त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद

(ख) केन्द्र सरकार को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्तशासी जिला परिषद के गठन हेतु राज्य सरकारों से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

उर्दू शिक्षक और अनुवादक

4735. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली में उर्दू जानने वाले लोगों के लिए रोजगार सृजित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में उर्दू माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के लिए कोई उर्दू बोर्ड और उर्दू कॉलेज खोलने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (च) इस समय लागू त्रिभाषा सूत्र में किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देना राज्यों के हाथ में है और बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि जैसे कुछ राज्यों ने इसे दर्जा प्रदान कर दिया है। भारत सरकार ने उर्दू के विकास और प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना की है। केन्द्रीय सरकार ने उर्दू माध्यम से शिक्षा (दूरस्थ शिक्षा सहित) प्रदान करने के लिए हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है।

उत्कृष्ट आंकड़ा प्रबंधन योजना के अंतर्गत धन

4736. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में उत्कृष्ट आंकड़ा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के लिए धन जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि राज्य को कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में वी.एस.ए.टी. लगाने के लिए निधियां जारी करने हेतु अप्रैल, 2000 में एक प्रस्ताव भेजा था। विभिन्न राज्यों की 15 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में वी.एस.ए. टी. आधारित संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। प्रायोगिक परियोजना की सफलता की समीक्षा करने के बाद ही देश के अन्य जिलों में सुविधा का विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

4737. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री राजो सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों व पर्यवेक्षकों तथा इनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा आरम्भ किए गए मुख्य प्रस्ताव क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के शुरू करने के पीछे सरकार की नीति क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य में इस नीति के वांछित उद्देश्य पूरे किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आंगनवाड़ी के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा कर्मचारी, परियोजना अधिकारी तथा कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक कार्यकर्ता हैं। ये राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारी हैं तथा इनके वेतनमान संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छः महत्वपूर्ण सेवाएं, नामतः, रोग–प्रतिरोधन, पूरक पोषाहार, स्कूल–पूर्व शिक्षा, पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाएं, उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं तथा बच्चों के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु देखभाल करने वालों की मार्फत सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना है।

(घ) जी, हां। विभिन्न अध्ययनों द्वारा पूरे देश में इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर, आदि में कमी आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सेवाओं की अदायगी में सुधार लाने हेतु हाल ही में विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिनमें स्कूल पूर्व सामग्री, सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण किटें एवं दवा किटें उपलब्ध कराना शामिल हैं। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पोषाहार घटक के तहत 6–36 माह के आयु–वर्ग के बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए एक विशेष पूरक पोषाहार कार्यक्रम शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

मौसम विज्ञान वेधशाला

4738. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1875 में जबलपुर में मौसम विज्ञान वेधशाला की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई थी;

(ख) क्या जबलपुर मौसम विज्ञान वेधशाला के भौगोलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसमें रेडियो सोनेड और रेडियोवेव प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का विचार, जबलपुर में एक बाढ़ पूर्वानुमान तथा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान सूचना केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, नहीं। ऊपरी वायु प्रेक्षणों को रिकार्ड करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1928 में जबलपुर में एक पायलट बैलून वेधशाला की स्थापना की गई तथा यह तभी से कार्यरत है।

(ख) इस वेधशाला को रेडियो सोनडे/रेडियो विंड आब्जर्वेटर के रूप में उच्चस्तरीकृत करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि रायपुर, नागपुर और भोपाल में मौजूदा रेडियो सोनडे/रेडियो विंड स्टेशन इस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पहले ही भोपाल में एक बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग की स्थापना की गई है जो इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। जबलपुर में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान संबंधी सूचना केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भोपाल में एक पूर्ण रूप से विकसित मौसम विज्ञान संबंधी केन्द्र की स्थापना की गई है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मौसम विज्ञान संबंधी सूचना से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई निविदा

4739. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने कोयला उत्खनन के लिए कुछ ब्लाकों को आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने कोयले के रक्षित उत्खनन के लिए ज्वाइंट डेवलेपमेंट पार्टनर के चयन हेतु विश्वव्यापी निविदा भी जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने दिनांक 7.3.2000 के पत्र में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से निम्नलिखित ब्लाकों को उनके द्वारा गठित किये जाने वाले संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा कोयले के खदान के लिए आरक्षित करने का अनुरोध किया है।

1. मानोरा (दीप)
2. हारडोल
3. हन्द–नान–एलेसुर
4. मरकारधोकडा
5. घोन्सा–बोर्डा
6. भन्डक
7. अगरजारी
8. वारोरा

उसी पत्र में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अक्षत (वर्जिन) ब्लाकों से कोयले के खदान के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को पास कर दिया है। संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन के लिए निविदा प्रकाशित की गई थी और संयुक्त उद्यम भागीदार की चयन संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के माध्यम से कोयले के गृहीत खनन कार्य करने के लिए संयुक्त विकास भागीदार के चयन के लिए प्रकाशित बोली प्रलेख के जवाब में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्डस लि. ने अप्रैल, 2000 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से बोली प्रलेख में उल्लिखित ब्लाकों के नाम हटाने का अनुरोध किया था क्योंकि ये ब्लाक वेस्टर्न कोलफील्डस द्वारा IX, X तथा Xवीं योजना में बाद के लिए भी तैयार किये गए विस्तृत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत थे। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को लिखे 28/29.8.2000 के अपने पत्र में आगे यह सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ब्लाकों की पहचान करना चाहेगी, यदि हां तो डब्ल्यूसीएल और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड सरकार के मार्गनिर्देशों के अध्याधीन तथा लागत जमा आधार पर कोयले को मूल्य – निर्धारण की सहमति पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित कर सकते हैं।

अनधिकृत निर्माण/कब्जे

4740. श्री चन्दनाथ सिंह :

श्री पुन्नू लाल मोहले :

श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री रामानन्द सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में वेलकम, सीलमपुर, न्यू सीलमपुर में दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आस–पास असामाजिक तत्वों ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर लिया है और अनधिकृत दुकानों, गोदामों और फैक्ट्रियों का निर्माण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनधिकृत निर्माण को गिराए जाने और अतिक्रमण हटाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) स्लम व झुग्गी झोपड़ी विभाग (दि.न.नि.) ने सूचित किया है कि न्यू सीलमपुर में बड़ी संख्या में भूतल/झुग्गी झोपड़ी टेनमेन्टों ने अनुषंगी (एपर्टीनेंट) भूमि पर अतिक्रमण किया है।

(ग) से (छ) दिल्ली नगर निगम का स्लम विंग मामले से अवगत है। इस बारे में इस मंत्रालय द्वारा संबंधित एजेंसियों को कारगर कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

विद्यालयों में समेकित जल एवं स्वच्छता परियोजना

4741. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री राजैया मल्याला :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने डी.एफ.आई.डी. द्वारा राज्य के विद्यालयों में "समेकित जल एवं स्वच्छता परियोजना" के कार्यान्वयन के लिए दिए गए 'टी.सी. फंड' के उपयोग हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर मंजूर करने और डी.एफ.आई.डी. के परामर्श से डी. पी.ई.पी. परियोजना के परियोजना ज्ञापन के पैरा 13.2 में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 'आन्ध्र प्रदेश के स्कूलों में समेकित जल और स्वच्छता परियोजना' नामक योजना के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण तथा स्वच्छता के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत डी.एफ.आई.डी. के तकनीकी सहयोग निधि का उपयोग किया जाना है। राज्य सरकार ने आवश्यक होने पर आन्ध्र प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के परियोजना ज्ञापन के पैरा 13.2 में संशोधन का सुझाव दिया था।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है।

आईसीएसएसआर की गतिविधियां

4742. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा चलाई गई अनुसंधान परियोजनाएं, अनुसंधान अनुदान, आंकड़ा संग्रह आयोजित किए गए सेमिनार और वर्कशॉपों, प्रकाशन आदि सहित उसकी अन्य गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आईसीएसएसआर के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अध्ययन और अन्य कार्यक्रमों के लिए एक केंद्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उन्होंने पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रस्तावों की पात्रता के आधार पर अल्पसंख्यकों से संबंधित 9 अनुसंधान परियोजनाओं, 11 अध्येतावृत्तियों, 8 अध्ययन अनुदानों, 6 ग्रन्थसूचीओं, 6 प्रकाशन अनुदानों, और 5 सेमिनार अनुदानों का अनुमोदन किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में अर्ध-सैनिक बलों की और अधिक कम्पनियां

4743. श्री राजैया मल्याला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों की 50 कम्पनियां तैनात करने संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश की सरकार राज्य में अतिरिक्त बलों की तैनाती की मांग करती रही है। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती समग्र सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव हो सके, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की आंध्र प्रदेश में तैनाती की गई है।

जैव-प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

4744. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों के दौरान जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से निर्मित उत्पादों से 10 बिलियन करोड़ रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है ताकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का 'ब्लूप्रिन्ट' है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) आने वाले 5 वर्षों में अनुमान यह है कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद 10 बिलियन रुपये मूल्य के होंगे।

(ख) और (ग) सरकार ने देश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में मजबूत अवसंरचना सृजित की है। बायोटेक्नोलॉजी के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें भी बायोटेक पार्कों की स्थापना करने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं।

(घ) और (ङ) छोटे और मध्यम उद्यमियों से निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने स्वदेश में विकसित जैवप्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों की सूची को बड़े पैमाने पर परिचालित किया है और उस पर प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ आई आई ए) की स्थापना की है जिसके लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक फास्ट ट्रैक समिति बनाई है जो 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक की लागत की सभी जैवप्रौद्योगिकी आधारित बड़ी परियोजनाओं को एकल खिड़की स्वीकृति प्रदान करती है। इससे बायोटेक क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को सुविधा मिलेगी।

[हिन्दी]

कॉलेजों का पंजीकरण

4745. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेजों के पंजीकरण के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न कॉलेजों से उनको पंजीकृत कराये जाने संबंधी राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) राज्यवार कितने कॉलेज पंजीकृत किये गये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोग संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (च) के तहत किसी संस्था को उस स्थिति में मान्यता प्रदान कर सकता है, यदि :–

(i) वह किसी विश्वविद्यालय स्थापना से संबद्ध हो, अथवा उसका संघटक सदस्य हो, अथवा उसके द्वारा विश्वविद्यालय कालेज के रूप में प्रत्यक्ष रूप से संचालित हो अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था हो अथवा वह किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई संविधियों और विनियमों द्वारा अथवा उनके अधीन निगमित हो अथवा सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित हो।

(ii) वह स्नातक डिग्री तक या, स्नातकोत्तर डिग्री तक या केवल स्नातकोत्तर डिग्री तक शिक्षा प्रदान करता हो या कम से कम शैक्षिक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा हो तथा जिसमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री हो; तथा

(iii) वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी हो या कोई निगमित निकाय हो, जिसकी स्थापना या निगमन तत्समय प्रवृत्त किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के तहत किया गया हो या न्यास हो जिसके न्यासियों को नियुक्त किया जाता हो और जिन्हें कानूनी अधिकार या दायित्व प्राप्त हो। बशर्ते इस खण्ड की अपेक्षाएं सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होंगी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मकानों का आबंटन

4746. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजनैतिक दलों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, स्वतन्त्रता सेनानियों और अन्य श्रेणियों हेतु मकानों के आबंटन के लिए मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक उपरोक्त श्रेणियों को आबंटित किये गये मकानों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सामान्य पूल आवास के विवेकाधीन आबंटन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 17.11.97 के नीति कार्यालय ज्ञापन और बाद के उपांतरण दिनांक 28.7.2000 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए हैं। राजनैतिक पार्टियों के बारे में नीति दिशानिर्देश दिनांक 20.7.2000 और दिनांक 22.9.2000 को जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों की प्रतियां इस उत्तर के साथ विवरण–I से IV के रूप में संलग्न है। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत 1.1.2000 से किए गए आबंटनों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i)	चिकित्सा आधार	25
(ii)	कार्यात्मक आधार	87
(iii)	राजनैतिक पार्टियां	06
(iv)	स्वतंत्रता सेनानी	03

विवरण-I

सं. 12035/2/97–नीति–II (खंड–II)
भारत सरकार
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
संपदा निदेशालय,

नई दिल्ली, दिनांक 17.11.1997

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिल्ली में साधारण पूल रिहायशी आवास के विवेकाधीन आबंटन हेतु दिशानिर्देश।

अनु. नि. 317–ख–25 के उपबंधों के तहत सरकारी रिहायशी आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 में, लिखित रूप में कारण रिकार्ड करते हुए, सरकार किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के वर्ग अथवा रिहायश के टाइप के मामले में आबंटन नियमों के किसी एक अथवा सभी उपबंधों में ढ़ील दे सकती है। इन उपबंधों के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रत्येक मामले के गुण–दोषों के आधार पर पहले भी नियमों में छूट देकर आबंटन किए गए है। हालांकि, बिना बारी के आबंटनों की बढ़ती हुई बहुत अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में एक रिट याचिका (सिविल) सं. 505/94 (शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ) दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23.12.96 के अपने अंतिम आदेश में सरकार को निर्देश दिया कि विवेकाधीन/बिना बारी के आबंटनों को नियंत्रित करने तथा उनमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस संबंध में उचित नियम बनाए जाएं तथा उन्हें विधिवत रूप से अधिसूचित किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विवेकाधीन आबंटनों की अधिकतम सीमा उस वर्ष में रिक्त होने वाले प्रत्येक टाइप के आवासों की कुल संख्या का 5 प्रतिशत हो।

2. तद्नुसार, मामले पर सरकार ने विचार किया और यह निर्णय लिया कि विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जाएं जो भविष्य में सरकारी आवास के विवेकाधीन आबंटनों को नियंत्रित करेंगे। विवेकाधीन आबंटनों की अनुमति सेवारत सरकारी कर्मचारियों को केवल चिकित्सा, सुरक्षा तथा कार्यात्मक आधार पर दी जायेगी। चिकित्सा, सुरक्षा तथा कार्यात्मक आधारों पर ऐसे आबंटन जो सामान्य नीति निर्देशों (अनुबंध–III) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से गठित अधिकारियों की दो समितियों के माध्यम से किया जायेगा, जो प्रत्येक अनुरोध पर निर्धारित नीति मार्गदर्शनों के तहत विचार करेगीं। समितियों का गठन निम्नानुसार होगा :–

(क) टाइप–4 (विशिष्ठ) एवं इससे ऊपर वाले आवासों के टाइप (होस्टल सहित)

(1)	सचिव, शहरी विकास	अध्यक्ष
(2)	सचिव, कार्मिक (जहां प्रस्ताव अपर सचिव एवं समकक्ष या इससे ऊपर के अधिकारियों से सम्बन्धित हो)	सदस्य
	या	
	स्थापना अधिकारी (जहां प्रस्ताव उप सचिव/निदेशक, संयुक्त सचिव तथा समकक्ष या सांवधिक पूल अधिकारी से सम्बन्धित हो)	
(3)	संयुक्त/अपर सचिव (संपदा मामलों का प्रभारी)	सदस्य
(4)	दो चिकित्सा विशेषज्ञ (केवल चिकित्सा मामलों के लिए)	सदस्य

(5)	एक सचिव/अवर सचिव स्तर का अन्य मंत्रालयों से सहयोजित अधिकारी	सदस्य
(6)	संपदा निदेशक	सदस्य सचिव

(ख) टाइप–4 या उससे निचले टाइप के आवासों का आबंटन

(1)	संयुक्त सचिव (विषय से संबंधित)	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त सचिव (स्टाफ कल्याण) (कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय)	सदस्य
(3)	दो चिकित्सा विशेषज्ञ (केवल चिकित्सा मामलों हेतु)	सदस्य
(4)	संपदा निदेशक	सदस्य
(5)	एक संयुक्त सचिव स्तर का अन्य मंत्रालयों के सहयोजित अधिकारी	सदस्य
(6)	अपर संपदा निदेशक/संपदा निदेशक–II	सदस्य–सचिव

नोट : शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय या कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य किसी मंत्रालय से सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, भारत सरकार यथोचित रैंक का कोई अधिकारी विशिष्ठ रूप से आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा आमंत्रण देते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव बैठक की कार्यसूची में है उनमें से किसी के प्रतिनिधि को आमंत्रित न किया जाए। ऐसा सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से सहयोजित होगा तथा रोटेशन के सिद्धान्त पर बुलाया जाएगा।

3. समिति द्वारा अपनाये जाने वाले मार्गदर्शन/कार्य प्रणाली

1. समिति उचित माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी। उप–सचिवों और उससे ऊपर के मामलों में अनुरोध संबंधित विभाग के सचिव और अन्य सभी मामलों में विभाग के अध्यक्ष/संयुक्त सचिव (प्रशा.) द्वारा विशेष रूप से अनुसंशित की जानी चाहिए।

2. समिति विवेकाधीन आबंटनों के मामले में संबंधित अधिकारी की पात्रता वाले टाइप से एक टाइप निचली श्रेणी में आबंटन हेतु विचार करेगी।

3. सक्षम प्राधिकारी (अर्थात प्रभारी मंत्री) को आबंटन की सिफारिश करते समय समिति प्रत्येक मामले में विवेकाधीन आबंटन प्रदान किए जाने के विशिष्ट कारणों को बताते हुए लिखित सिफारिश करेगी। जहां मंत्री की राय समिति की सिफारिशों से भिन्न होगी, वहां वह भी कारणों को लिखित में रिकार्ड करेगा।

4. चिकित्सा आधारों पर सरकारी आवास के प्राथमिक रूप से आबंटन किए जाने संबंधित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत, जो कि (सभी टाइपों से विवेकाधीन आबंटन) एक वर्ष में उपलब्ध होने वाले प्रत्येक टाइप में रिक्तियों के 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत है उन्हें अनुबंध–I में दर्शाया गया है।

5. सुरक्षा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन अनुबंध–II में दी गई शर्तों को पूरा करने पर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के तहत किए जायेगें।

6. कार्यात्मक आधारों पर प्राथमिकता रूप में आबंटन, जैसा कि अनुबंध–III में दर्शाया गया है, संपदा निदेशालय द्वारा गणमान्य व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के तहत उपर्युक्त पैरा 2 में गठित समितियों को प्रस्तुत किए बिना किए जाएगें क्योंकि इन मामलों में कोई विवेकाधिकार निहित नहीं हैं जो कि सम्पूर्ण आबंटनों को 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के तहत होगें।

7. समितियों कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के किसी अन्य मामले पर भी जो उपरोक्त किसी श्रेणी के तहत नहीं आता है, विशेष अनुकम्पा आधार पर रिहायशी आवास का आबंटन करने हेतु विचार कर सकते हैं तथा सिफारिश कर सकती है हालांकि ऐसे आबंटन प्रत्येक टाइप में एक वर्ष में (टाइप–1 से टाइप–5 तक केवल) कुल 5 आवासों से अधिक नहीं होगें और जो एक वर्ष में प्रत्येक ऐसे टाइप में सम्पूर्ण आबंटनों की 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होगें।

4. गैर-सरकारी व्यक्तियों/गैर-सरकारी संगठनों हेतु आबंटन।

गैर सरकारी व्यक्तियों जैसे सुविख्यात कलाकारों, राष्ट्रीय स्तर के कार्यों में लगे हुए प्रसिद्धि प्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों या विज्ञान, खेलकूद या सामाजिक सेवाओं के योग में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं तथा गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों को प्रदान किए गए केवल आबंटन चालू आबंटन वर्ष की समाप्ति तक ही वैद्य होगें। गैर सरकारी संगठन सरकारी रिहायशी आवास के लिए पात्र नहीं होगें और न ही आबंटन की अवधि को बढ़ाए जाने से सम्बन्धित इसी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा सिवाय उन मामलों के जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हित

निहित होगें और इन्हें मंत्रीमंडल की आवास समिति के अनुमोदन पर दिया जायेगा। इसी प्रकार गैर–सरकारी व्यक्तियों/प्राइवेट व्यक्तियों जिनमें स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल है, को विवेकाधीन आबंटन केवल सी.सी.ए. के अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रदान किये जाएगें यदि ऐसा करना राष्ट्रीय हित या अर्न्तराष्ट्रीय उत्तरदायित्वो को पूरा करने के लिए आवश्यक समझा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को आबंटियों की मृत्यु होने के उपरान्त केवल छः महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास रिटेन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

5. उपरोक्त श्रेणियों के सभी विवेकाधीन आबंटनों को सरकार द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में आवासों के प्रत्येक टाइप में उपलब्ध होने वाली सम्पूर्ण रिक्तियों के अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा के तहत प्रदान किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में ऐसे आबंटन इस सीमा से अधिक नहीं होगें।

6. ऐसे सभी आबंटियों की सूची संपदा निदेशालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की जाएगी तथा ऐसे आबंटियों की एक वार्षिक सूची संसद के प्रत्येक सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निदेश है।

7. ये आदेश, सरकार द्वारा चिकित्सा, कार्यात्मक तथा सुरक्षा आधारों पर बिना बारी/तदर्थ/विवेकाधीन आबंटनों से सम्बंधित तथा गैर सरकारी व्यक्तियों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों, विख्यात कलाकारों, समाज सेवकों आदि गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों के संबंध में जारी किए गए पुराने सभी आदेशों पर अधिमान्य होगें (उन्हें सुपरसीड करेगें)।

8 ये आदेश तुरन्त प्रभावी होगें।

(रत्न देव सहाय)
संपदा उपनिदेशक (नीति)

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संपदा निदेशालय के सभी अनुभाग तथा अधिकारी।
3. संपदा निदेशालय के सभी प्रादेशिक कार्यालय।
4. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. राज्य मंत्री, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के निजी सचिव।
2. सचिव (शहरी विकास) के प्रमुख वैयक्तिक सचिव।
3. अपर सचिव (शहरी विकास) के वैयक्तिक सचिव।
4. संयुक्त सचिव, शहरी विकास/संपदा निदेशक/संपदा निदेशक–II के वैयक्तिक सचिव।

(महेन्द्र सिंह)
संपदा सहायक निदेशक (नीति–2)

अनुबंध-I

कार्यालय ज्ञापन सं. 12035/2/97–नीति–II (खंड–II) दिनांक 17.11.97 के अनुच्छेद 3(4) में निर्दिष्टित अनुबंध।

चिकित्सा आधार

चिकित्सा आधार पर भूतल/केन्द्रीय इलाके सहित आबंटन सरकारी कर्मचारी और उनके पति/पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता–पिता को निम्न बीमारियों से पीड़ित होने की दशा में किया जायेगा।

(ए) **क्षय रोग** : फुफ्फुसीय क्षय रोग (केवल गम्भीर मामलो में)

(बी) **कैंसर के मामले** : विषाणु नीओप्लैज्म।

(सी) **हृदय रोग** : अति गंभीर प्रकृति के रोग और जिनमें शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता हो।

(डी) **विकलांग व्यक्ति** :

(1) **दृष्टिहीन** : वे व्यक्ति जो निम्न में से किसी एक से ग्रस्त हो :

1. पूर्ण दृष्टि निहीनता;
2. बेहतर आंख में करेक्टिंग लैंसों के साथ दृष्टि की तीक्षणता 6/90 अथवा 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो;
3. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा का कोण 20 डिग्री या उससे खराब हो।

(2) **वधिर** : बेहतर कान में 90 डेसीबल से अधिक ध्वनि का ह्रास होना (अत्याधिक क्षीण होना) अथवा दोनों कानों में सुनाई न देना।

(3) **अस्थि संबंधी विकलांगता** : 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता।

(4) **मानसिक विकलांग/सपास्टिक आश्रित**

नोट :–

(1) चिकित्सा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन के लिए ऊपर दी गई बीमारियों की सूची सम्पूर्ण नहीं है। विवेकाधीन आबंटन करने हेतु समितियां अन्य जीवन–घाती बीमारियों अथवा अन्य गंभीर विकलांगताओं जो कि स्थायी तौर पर क्षीण कर देती है, को आधार बना सकती है।

(2) जिन प्रस्तावों में विकलांग आश्रित माता–पिता ही केवल विवेकाधीन आबंटन प्राप्त करने के आधार है, ये समितियों को अपनी सिफारिश करने से पूर्व प्रत्येक प्रस्ताव के तथ्यों और परिस्थितियों और गुणों–अवगुणों की सावधानी पूर्ण जांच करनी चाहिए।

अनुबंध-II

कार्यालय ज्ञापन सं. 12035/2/97–नीति–II (खंड–II) दिनांक 17.11.97 के अनुच्छेद 3(5) में निर्दिष्टत अनुबंध।

सुरक्षा आधार :

सुरक्षा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन निम्न शर्तों के आधार पर किए जायेगें।

(1) सामान्य पूल के आवास केल जेड+ (जैड प्लस) अथवा उससे ऊंची सुरक्षा श्रेणी धारक व्यक्तियों को आबंटित किए जाएगें।

(2) ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पूल आवास के आबंटन के औचित्य हेतु इसका जनहित से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। गृह मंत्रालय प्रत्येक मामले में जांच करेगा कि जैड+ तथा उच्चतर सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति को सरकारी आवास का आबंटन जनहित में है तथा पूर्व में उसके द्वारा अपने सरकारी पदों पर की गई ड्यूटी के कारण उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। गृह मंत्रालय यह मत भी व्यक्त करेगा कि संबंधित व्यक्ति को दिल्ली में आवास उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है।

(3) संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा आधार पर सरकारी आवास के आबंटन का अनुरोध प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय यह पता लगाएगा कि क्या जैड+ सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति का स्वयं का अथवा उसके पति/पत्नी के नाम दिल्ली में कोई आवास है और क्या उसी आवास में सुरक्षा प्रबंध किए जा सकते हैं।

(4) सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति को दिल्ली में सरकारी आवास उपलब्ध कराने की आगे की कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर संपदा निदेशालय द्वारा की जाएगी। आबंटन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे खतरे की आशंका, जिसकी गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा करेगा, के आधार पर अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पर सी.सी.ए. के संतुष्ट होने पर, एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) सुरक्षा पाने वाले इन व्यक्तियों को टाइप–6 से उच्चतर टाइप का आवास नहीं दिया जायेगा, वरन् प्रत्येक मामले में खतरे की आशंका के आधार पर यह निम्नतर भी हो सकता है।

(6) आवेदक अग्रिम रूप से बाजार दर/विशेष लाईसैंस फीस का भुगतान करने की अपनी इच्छा/क्षमता की पुष्टि करेगा तथा लगातार तीन माह अथवा अधिक बार भुगतान में चूक होने पर उन्हें बेदखल किया जा सकेगा।

(7) सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को आबंटित सरकारी आवास के लिए बाजार दर पर लाईसैंस फीस प्रभारित की जायेगी। यदि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का दिल्ली में मकान है तो वह उस मकान को सरकारी आवास के अपने दखल की अवधि के दौरान सरकार को समिर्पित करेगा। ऐसे मामले में सरकारी आवास के दखल की अवधि के लिए बाजार दर के स्थान पर विशेष लाईसैंस फीस प्रभारित की जाएं।

अनुबंध-III

का.ज्ञा.सं. 12035/2/97–नीति–II (खंड–II) दिनांक 17.11.97 के पैरा 3(4) के संदर्भ में अनुबंध।

(3) कार्यात्मक आधार :

मंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, के साथ काम करने वाले निजी स्टाफ को संबंधित आबंटन वर्ष की क्रुशियल तारीख को उनकी परिलब्धियों के आधार पर उनकी पात्रता से एक टाइप नीचे के आवास का आबंटन किया जायेगा। हालांकि, मंत्रियों/प्रधान मंत्री के वैयक्तिक सचिव क्रुशियल तारीख पर यदि उपलब्ध हो तो अपनी पात्रता के सरकारी आवास का आबंटन पाने के हकदार होगें। विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के निजी स्टाफ को आवास का आबंटन एक वर्ष में प्रत्येक टाइप के आवासों से संबंधित होने वाली रिक्तियों की पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्दर के अन्दर किये जायेगें। निम्नलिखित प्राधिकारियों के निजी स्टाफ उपरोक्त प्राथमिकता आबंटनों के लिए पात्र होगें :–

(1) प्रधान मंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण कार्मिक जिनके बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय के कम से कम प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव स्तर की सिफारिश होगी।

(2) मंत्रियों के साथ कार्यरत निजी स्टाफ

1. **केबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री** : निजी स्टाफ के तीन सदस्य (ग्रुप 'डी' के अलावा) तथा एक जमादार/चपरासी/इसके अतिरिक्त, एक ग्रुप 'डी' कर्मचारी को मंत्री महोदय की सिफारिश पर आवास की बदली दे दी जाए।

2. **उपमंत्री/संसदीय सचिव** : निजी स्टाफ के दो व्यक्ति (ग्रुप 'डी' के अतिरिक्त) तथा एक जमादार/चपरासी/इसके अतिरिक्त एक ग्रुप 'डी' कर्मचारी को मंत्री महोदय की सिफारिश पर आवास की बदली दे दी जाए।

ऐसे आबंटनों को निम्नलिखित शर्तों के तहत किया जाएगा :

(क) निजी स्टाफ को मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव की सिफारिश पर ऐसे प्राथमिकता आबंटन पहले न किये गये हों;

(ख) मंत्री महोदय के विभाग में परिवर्तन आदि हो जाने से ऐसे आबंटन के लिए कोई नई स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी, यदि स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें उपरोक्त आधार पर उनकी सिफारिश पर साधारण पूल क्वार्टरों का आबंटन किया गया हो, उनके साथ कार्यतर हो।

(ग) नए मंत्री के मामले में यदि उनकी सिफारिश पर उनके निजी स्टाफ के किसी भी सदस्य को आवास आबंटित नहीं किया गया है तो इस बात के होते हुएं भी उनके निजी स्टाफ के कुछ सदरयों के पास साधारण पूल आवास है, उनकी सिफारिश पर उपरोक्त निर्धारित सीमित संख्या में प्राथमिकता आबंटन प्रदान कर दिऐ जाएं।

(घ) यदि मंत्री का विभाग परिवर्तित हो जाता है या मंत्री कार्यालय त्याग देते हैं और उसके बाद उसी मंत्रालय या अन्य मंत्रालय में मंत्री नियुक्त हो जाते हैं, यदि उनके निजी स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें पहले उनकी सिफारिश के आधार पर साधारण पूल आवास से प्राथमिकता आधार पर आबंटित किए गए थे और वे उनके निजी स्टाफ में बने रहते है तथा उपरोक्त कोटा पूरा हो जाता है तो आगे और कोई प्राथमिकता आबंटन या आबंटन की बदली न दी जाए।

(3) मंत्रिमंडल सचिवालय में पदों पर कार्यरत अधिकारी :

मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च पदों पर कार्यरत वे अधिकारी जिनकी मंत्रिमंडल के कागजातों को जांचने की और बैठक हेतु प्रबंध करने की सीधी जिम्मेदारी है और जैसा मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव नें अनुशंसित किया है, आबंटन हेतु पात्र है।

(4) लोक सभा/राज्य सभा में विपक्ष के नेता :

निजी स्टाफ के तीन व्यक्ति (ग्रुप 'डी' को छोड़ कर) तथा एक जमादार/चपरासी।

(5) राज्य सभा के सभापित/उपसभापति/लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/भारत के मुख्य न्यायाधीश/योजना आयोग के उपाध्यक्ष :

निजी स्टाफ के तीन व्यक्ति (ग्रुप 'डी' को छोड़ कर) तथा जमादार/चपरासी के लिए एक मकान।

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिशों/योजना आयोग के सदस्यों :

निजी स्टाफ के लिए दो मकान (ग्रुप 'डी' को छोड़ कर) तथा जमादार/चपरासी के लिए एक मकान।

(7) मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्तों/भारत सरकार के सचिवों को :

निजी स्टाफ के सदस्यों को दो मकान (ग्रुप 'डी' को छोड़ कर) तथा जमादार/चपरासी को एक मकान।

(8) पूर्व राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री प्रत्येक के निजी स्टाफ के दो व्यक्तियों को ही सामान्य पूल से विवेकाधीन अधिकार द्वारा रिहायशी आबंटन प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि वे गणमान्य व्यक्ति दिल्ली में रह रहे हों।

जहां तक व्यवहारिक हो आवास का आबंटन केन्द्रीय क्षेत्र में किया जाए। हालांकि कोई निजी स्टाफ एक से अधिक बदली लेने का हकदार नहीं होगा, अन्यथा उसका आवेदन अपनी बारी पर परिवर्तन का हिस्सा बन जायेगा। जिसे परिवर्तन प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध करके निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जायेगा।

विवरण-II

सं. 12035/2/97–नीति–II

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28.7.2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिल्ली में सामान्य पूल रिहायशी आवास के विवेकाधीन आबंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य पूल रिहायशी आवास के विवेकाधीन आबंटन से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को इस निदेशालय के दिनांक 17.11.1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा परिचालित किया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनरीक्षण किया गया है तथा अब निम्नलिखित निर्णय लिये गए हैं :–

(1) विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से संबद्ध सभी श्रेणियों के निजी स्टाफ को उनकी पात्रता से एक टाइप नीचे का आवास आबंटित किया जाएगा। प्राथमिकता आबंटन स्वीकृति की तारीख के आधार पर बनाई गई प्रतीक्षा सूची के अनुसार किया जाएगा।

(2) उपरोक्त (I) के तहत ग्रुप में पूर्विकता के अधिकमण के विनिर्दिष्ट मामलों का निर्णय सी.सी.ए. द्वारा किया जाएगा।

(3) प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के लिए प्राथमिकता आबंटन हेतु 20 रिहायशी यूनिटों का वार्षिक कोटा चिन्हित किया जाएगा। ये यूनिट प्रधानमंत्री से संबद्ध निजी स्टाफ को आबंटित यूनिटों के अतिरिक्त होगें।

(4) मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्यरत मुख्य कार्मिकों को आबंटित करने के लिए 10 रिहायशी यूनिटों का एक कोटा उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी समय यह संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) उपराष्ट्रपति सचिवालय में कार्यरत मुख्य कार्मिकों को प्राथमिकता आधार पर आबंटित करने के लिए 15 रिहायशी यूनिटों को कोटा चिन्हित किया जाए।

(6) भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में विवेकाधीन कोटे को विद्यमान 4 यूनिटों के कोटे से बढ़ाकर 7 यूनिटों का कर दिया जाए।

(7) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के अटार्नी जनरल अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग तथा मुख्य सतर्कता आयुक्त से संबद्ध निजी स्टाफ के लिए दो यूनिट (ग्रुप 'डी' के अतिरिक्त) तथा जमादार/चपरासी के लिए एक यूनिट को प्राथमिकता आबंटन की अनुमति दी जाए।

(8) कार्यात्मक आधार पर प्राथमिकता आबंटन के लिए पात्र निजी स्टाफ/मुख्य कार्मिक कुल निर्धारित सीमा के भीतर दो निचली श्रेणी के आवास को स्वीकार करने के पात्र होगें तथा फिर भी एक निचली श्रेणी के प्राथमिकता आबंटन के लिए विचारार्थ रहेगें।

2. दिनांक 17.11.1997 के नीति कार्यालय ज्ञापन की अन्य शर्तें एवं निबन्धन वही रहेंगी।

(महेन्द्र सिंह)
संपदा उप–निदेशक (नीति)
दूरभाष : 3017354

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संपदा निदेशालय के सभी अनुभाग एवं अधिकारी।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय।
4. उप–राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. शहरी विकास मंत्री/शहरी विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।
2. सचिव (श.वि.)/अपर सचिव((श.वि) के प्रधान वैयक्तिक सचिव।
3. संपदा निदेशक/संपदा निदेशक–II के वैयक्तिक सचिव।

(महेन्द्र सिंह)
संपदा उप–निदेशक (नीति)

विवरण-III

राजनैतिक दलों को सामान्य पूल से सरकारी रिहायशी वास के आबंटन हेतु संशोधित दिशानिर्देश के बारे में सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के 20 जुलाई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/96–नीति–II की प्रतिलिपि

हस्ताक्षरकर्त्ता को निदेशानुसार यह कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) स्टे 585/94 में दिनांक 23.12.96 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों को सरकारी आवास के आबंटन हेतु परिशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाएं। तदनुसार सरकार द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्त अनुमोदित किए गए :

(i) राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी गयी है उन्हें मू.नि. 45–क के तहत लाइसेंस फीस अर्थात् सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर अपने कार्यालय प्रयोग हेतु दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवासीय इकाई रखे रहने/आबंटन प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

(ii) उक्त आवास तीन वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध कराया जाएगा जिसके दौरान पार्टी किसी सांस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड अर्जित कर लेगी और पार्टी कार्यालय हेतु स्वयं का आवास निर्मित करा लेगी।

(iii) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष का एक रिहायशी आवास आबंटित/रखे रहने की अनुमति दी जाएगी, यदि अध्यक्ष के पास दिल्ली में स्वयं का, अन्यथा किसी अन्य हैसियत से सरकार द्वारा उन्हें दिया गया आवास नहीं है।

(iv) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तर के दलों को भी कार्यालय आवास की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि मंत्रिमण्डल की आवास समिति के मतानुसार संसद में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तथा मामला उसके गुणावगुण आधार पर आबंटन हेतु सी सी ए द्वारा अनुमोदित हो।

(v) किसी अन्य राजनीतिक दल को आबंटित अन्य भवन मंसूख कर दिए गए हैं। तथापि, पार्टी को वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा सरकारी आवास खाली करने के लिए छः माह अथवा वह अवधि जब तक के लिए आबंटन किया गया है, इनमें से जो भी पहले हो, तक का समय दिया जाएगा।

2. सभी आबंटन अनुभागों से तदनुसार आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

3. ये मार्गदर्शी सिद्धान्त 22.02.2000 से लागू होंगे।

4. ये आदेश इस निदेशालय के दिनांक 24.10.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं0 12016/2/80–नीति–II (खंड–III) (xviii) का अधिक्रमण करते हुए जारी किए गए हैं।

ह./–
(महेन्द्र सिंह)
संपदा उप निदेशक

विवरण-IV

संसद के दोनों सदनों में संसदीय दलों के स्टाफ को विट्ठलभाई पटेल हाऊस में आवास आबंटन बाबत सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के 22 सितम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12035/16/2000–नीति–II की प्रतिलिपि

संसद के दोनों सदनों में पार्टी के संसदीय दल को सहायता मुहैया कराने के लिए नियोजित स्टाफ को आवास देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे स्टाफ को वास आबंटन निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार शासित होगा :

1) उन संसदीय पार्टियों को, जिनकी संसद में सदस्य संख्या 200 से अधिक है एक कमरे वाले 8 स्यूटों को अलाट किया जाएंगे/रखने की अनुमति दी जाएगी।

2) जिन संसदीय पार्टियों की संसद में सदस्य संख्या 200 या इससे कम किन्तु 150 से अधिक है, उन्हें 1 कमरे वाले 6 स्यूट अथवा 2 कमरे वाले 2 स्यूट और 1 कमरे वाले 2 स्यूट आबंटित करने/रखने पर विचार किया जाएगा।

3) जिन पार्टियों की संसद में सदस्य संख्या 150 से कम किन्तु 50 से अधिक है, वे भविष्य में विट्ठलभाई पटेल हाऊस में एक कमरे वाले 2 स्यूटों के पात्र होंगे।

अपर सम्पदा निदेशक (समन्वय)/सम्पर्क अधिकारी (सांसद) से अनुरोध है कि वे संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार विट्ठलभाई पटेल हाऊस में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों को किए गए आबंटन की समीक्षा करें और इसकी सूचना नीति प्रभाग को दें।

ह./–
(वी.पी. गुप्ता)
संपदा उप निदेशक

फार्म हाउस

4747. श्री राम सागर रावत : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 1 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1326 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उनके मंत्रालय द्वारा गठित मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा एकत्रित सूचना का ब्यौरा क्या है; तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। रिपोर्ट सौंपने की समय–सीमा 28.02.2001 तक बढ़ा दी गई है। तथापि, अपेक्षित सूचना को शीघ्र एकत्र करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अर्द्ध सैनिक बल

4748. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **गृह** मंत्री अर्द्ध सैनिक बल के बारे में 08.08.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2569 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के सिविलियन संवर्ग में

रिक्तियों, इस सेवा में सिविलियन संवर्ग के कर्मिकों को दी गई पदोन्नति और आज की तारीख में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इनके कारण क्या है;

(ख) क्या रिक्तियां होने के बावजूद भी सिविलियन संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति नहीं दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण है; और

(घ) बलों के सिविलियन संवर्ग में इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रभाव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) निम्नलिखित तालिका में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में सिविलियन संवर्गों और वर्तमान रिक्तियों के ब्यौरे दर्शाए गए हैं :

बल का नाम	सिविलियन पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	सहायक निदेशक (लेखा)	2
	सहायक निदेशक (विधिक)	1
	संयुक्त सहायक निदेशक (विधिक)	4
	लेखा अधिकारी (अनुभाग अधिकारी)	2
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	उच्च श्रेणी लिपिक	10
	अवर श्रेणी लिपिक	15
	आशुलिपिक ग्रेड–III	6
असम राइफल्स	उप वित्त सलाहकार	1
	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	5
	वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी	1
	हिन्दी अधिकारी	2
	हिन्दी अनुवादक ग्रेड–I	5
	हिन्दी अनुवादक ग्रेड–II	8
	हिन्दी टाइपिस्ट	8
	उप–वरिष्ठ लेखाकार	1
	उप–प्रधान सहायक	1
	उच्च श्रेणी लेखाकार	35
	वरिष्ठ अध्यापक	2
	हिन्दी अध्यापक	4
	कनिष्ठ अध्यापक	3
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	अनुभाग अधिकारी	2
	लेखाकार	5
	अवर श्रेणी लिपिक	11

1	2	3
सीमा सुरक्षा बल	आशुलिपिक ग्रेड–III	15
	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड–III	2
	अवर श्रेणी लिपिक	26
	फराश	1
	चपरासी	2
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में नियुक्तियां पूर्ण रूप से प्रतिनियुक्ति पर की जाती हैं और इसका अपना कोई संवर्ग नहीं है।	

(ख) और (ग) ये रिक्तियां, पदोन्नति के लिए पात्र सिविलियन अधिकारियों की अनुपलब्धता, भर्ती नियमों में संशोधन, भविष्य में सीधी भर्ती कॉम्बेटाइस्ड रैंकों आदि में किए जाने के कारण हैं।

केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के सिविलियन संवर्गों में सामान्य पदोन्नति चैनलों में होने वाली रिक्तियां पदोन्नत द्वारा भरी जाती हैं बशर्ते कि पात्र अधिकारी उपलब्ध हों और भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति की जाती है।

(घ) सरकार की सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नयन योजना गतिरोध को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

राष्ट्रीय खुला विद्यालय

4749. श्री अमर राय प्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खुला विद्यालय की विवरणिका 2000–2001 में प्रकाशित आवेदन प्रपत्र को भरने के निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को अपना आवेदन प्रपत्र केवल अंग्रेजी में भरने के लिए बाध्य किया गया है और उन्हें इन प्रपत्रों को हिन्दी में भरने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए प्रास्पेक्टस हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन हिन्दी में भरे गए आवेदन पत्रों की प्रकमणन संबंधी सुविधाओं के अभाव में छात्रों को आवेदन पत्र सिर्फ अंग्रेजी में भरने की हिदायत दी जाती है।

(ग) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय हिन्दी में भरे गए आवेदन पत्रों के प्रक्रमणन की सुविधाओं को अवस्थित करके उनका प्रयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

भूइंया समुदाय को मुआवजा

4750. श्री अनन्त नायक : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूइंया समुदाय के अनंत आदिवासियों को उड़ीसा के क्योंझर जिले में बप्धाधरा परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बप्धाधरा परियोजना के कियान्वयन के कारण कितने भूइंया आदिवासी लोग प्रभावित हुए हैं;

(ग) प्रत्येक आदिवासी से कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है; और

(घ) भूइंया समुदाय को उचित मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उद्योगों का स्थानान्तरण

4751. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजधानी (दिल्ली) के आवासीय इलाकों से खतरनाक और निर्धारित मानदण्डों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इकाइयां कितनी हैं और किन–किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) ये इकाइयां कितनी खतरनाक हैं;

(घ) इनके स्थानान्तरण हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और इनका क्या परिणाम रहा;

(ङ) क्या इसी प्रक्रिया और इन्हीं नियमों को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक विस्तृत और लागू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बताया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार दिल्ली में 1328 खतरनाक उद्योगों को बंद करवा दिया गया है। जिन 118 खतरनाक उद्योगों का बाद में पता लगा है, उन्हें भी बंद करवा दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि उन्होंने नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 1,865 एकड़ भूमि अर्जित की है और कब्जा लिया है जहां रिहायशी/गैर मंजूरशुदा क्षेत्रों (नॉन कन्फोर्मिंग क्षेत्रों) में चल रही प्रदूषण फैलाने वाली और अन्य औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। योजना कार्यान्वित करने वाली एजेंसी दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. ने ऐसी करीब 14,700 इकाइयों को आबंटन किया है जिन्होंने वैकल्पिक औद्योगिक परिसर के लिए आवेदन किया है और जिन्हें उक्त क्षेत्र में पुनर्वास योजना के तहत पात्र पाया गया है। अन्य करीब 1400 इकाइयों को झिलमिल, पटपड़गंज, बादली तथा नरेला स्थित विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध प्लाटबद्ध/फ्लैटबद्ध फैक्टरियां आबंटित की गई हैं।

(ङ) और (च) एन.सी.आर. के पड़ोसी राज्यों यथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपक्षेत्रों में पड़ने वाले इलाकों में औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति संबंधित राज्य सरकारों के मास्टर प्लान के प्रावधानों तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है।

एलएमटीपीए परियोजना प्रस्ताव

4752. श्री सुनील खां : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनिट मैनेजमेंट आफिसर्स ऐसोसिएशन और सीआईटीइएस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए 3 एलएमटीपीए के उत्पादन को सुनिश्चित करने वाले 399 करोड़ रुपये के एक पुनरुद्धार प्रस्ताव में "डयुअल फीड ऑप्शन्स" के प्रावधान पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना अब भी सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पुरानी इकाइयों को फिर से चालू करने के अतिरिक्त कम–से–कम 7.26 एलएमटीपीए यूरिया बनाने वाले कम्पलेक्स की एक "ब्राडन फिल्ड" परियोजना स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) लगभग 399 करोड़ रुपये के निवेश से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड के दुर्गापुर एकक के पुररुद्धार का एक प्रस्ताव दुर्गापुर एकक के अधिकारी संघ और यूनियनों से प्राप्त हुआ है। सरकार और दुर्गापुर एकक के प्रतिनिधियों के बीच प्रारम्भिक दौर का विचार–विमर्श 14.11.2000 को हो चुका है। इस एकक का प्रचालन अन्य बातों के साथ–साथ उत्पादन की उच्च एवं अलाभप्रद लागत के कारण बन्द कर दिया गया था। इस एकक का पुनर्वास बीआईएफआर के समक्ष लम्बित प्रक्रियाओं के अन्तिम परिणाम पर निर्भर करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय पीठ

4753. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रमुख ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारत पीठों का सृजन करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी कोष का सृजन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) प्रमुख ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय पीठों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

तथापि, विदेश मंत्रालय ने ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम के ओरियंटल स्टडीज फेकल्टी में भारतीय अध्ययन में एक पीठ प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा दिये गये 18 लाख पौंड की स्थायी निधि के जरिये इस पीठ का वित्तपोषण किया जाएगा।

[हिन्दी]

विश्व बैंक के दल द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन

4754. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल का विचार मध्य प्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए भारत का दौरा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

4755. श्री जय प्रकाश : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अगस्त, 2000 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में 'गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर माइनारिटीज हैवन्ट ट्रिकल्ड डाउन–एन.सी.डब्ल्यू' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) निचले स्तरों से अल्पसंख्यकों, विशेषकर महिलाओं को उनसे संबंधित कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक बनाने और साथ ही इन योजनाओं के संबंध में प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। यह समाचार "वाइस ऑफ व्याइसलेस" शीर्षक से भारत में मुसलमान महिलाओं के दर्जे पर मार्च, 2000 में प्रकाशित रिपोर्ट से संबंधित है जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग की तत्कालीन सदस्या सुश्री सैदा सैयीदीन हमीद द्वारा लिखा गया है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल है – प्रासंगिक योजनाओं के बारे में पुस्तिकाओं का प्रकाशन जिसमें उनके सार तथा प्रपत्र होते हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यकों से जुड़ी विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए राज्य सरकारों को समय–समय पर हिदायत दी गई है।

विश्वविद्यालय का निजी स्वामित्व

4756. श्री सुनील खां : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ विश्वविद्यालय निजी स्वामित्व में सौंपे जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुरी भाषा में संविधान का प्रकाशन

4757. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुरी भाषा में संविधान के प्रकाशन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस भाषा में संविधान का अधिकाधिक पाठ पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है; और

(घ) संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में संविधान को प्रकाशित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां। मणिपुर की सरकार द्वारा संविधान का मणिपुरी भाषा में अनुवाद पूरा कर लिया गया है और यह संवीक्षा की अन्तिम अवस्थाओं में है।

(ग) जिन भाषाओं में भारतीय संविधान पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है वे इस प्रकार है :–

1.	असमी	3.	गुजराती
2.	बंगाली	4.	हिन्दी

5.	उड़िया	11.	संस्कृत
6.	पंजाबी	12.	सिन्धी
7.	कन्नड़	13.	तमिल
8.	मलयालम	14.	तेलगु
9.	मराठी	15.	उर्दू
10.	नेपाली		

उपयुक्त अनुवादों में से, केवल हिन्दी पाठ ही प्राधिकृत है– संविधान के शेष अनुवाद, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

(घ) आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 18 भाषाओं में से, मणिपुरी, कोंकणी और कश्मीरी को छोड़कर सभी भाषाओं में संविधान प्रकाशित करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। जबकि कश्मीरी भाषा में संविधान के अनुवाद के लिए कदम उठाए जा चुके हैं, कोंकणी पाठ मुद्रणाधीन है और मणिपुरी भाषा में अनुवाद संवीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

शिक्षा का स्तर

4758. श्री राजेश वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए मुहैया कराई जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सामाजिक संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने राज्य में स्वयं के खर्च से शैक्षिक संस्थाएं खोलने का प्रस्ताव किया है;

(ग) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो पिछले एक वर्ष से मंजूरी हेतु लंबित पड़े हैं; और

(घ) उपर्युक्त शैक्षिक संस्थाओं के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) राजस्थान वयस्क शिक्षा संघ के अधीन कार्यरत गैर–सरकारी संगठन "रिसोर्स सेन्टर" को 2000–2001 के दौरान 57.00 लाख रुपये की राशि दिए जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने 3962 उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापन शिक्षण उपस्कर खरीदे जाने हेतु 15,84,80,000/– रु. दिए जाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत एक प्रस्ताव पेश किया है। इसके अतिरिक्त डीपीईपी राजस्थान को देने के लिए 14.00 करोड़ रुपये की रकम तय की गई है। वास्तव में दी जाने वाली धन राशि वर्ष में होने वाले व्यय पर निर्भर होगी। मंत्रालय केवल उन गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा रखती है जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून

4759. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) मौजूदा कानून में सुधार हेतु क्या उपाय किये गये हैं और लापरवाही बरतने और सांठगांठ करने के लिए कितने अधिकारियों की खिंचाई की गई है;

(घ) देश में विशेषकर बिहार में भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के कितने पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इनके मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस राज्य का विषय है। अतः वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत, गलती करने वाले पुलिस कार्मिक के विरुद्ध, समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भूखण्डों का आबंटन

4760. डा. बलिराम :

डा. संजय पासवान :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शैक्षिक संस्थाओं/विद्यालयों और न्यासों को केन्द्र सरकार द्वारा जो भूखण्ड आबंटित किए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है तथा इस भूमि की कीमत कितनी है;

(ख) इन संस्थाओं और न्यासों को रियायती दरों पर भूखण्ड आबंटित करने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं;

(ग) क्या इन शर्तों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश प्रदान करने का प्रावधान रखना भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में शैक्षिक संस्थाओं, स्कूलों तथा ट्रस्टों को आबंटित प्लाटों की सूची विवरण–I में है। शैक्षिक संस्थाओं, स्कूलों तथा ट्रस्टों को इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणी की संस्थाओं के लिए समय–समय पर अधिसूचित दरों पर आबंटन किया जाता है।

(ख) संस्थाओं तथा ट्रस्टों को रिआयती दरों पर प्लाट आबंटित करने की मानक शर्तें व निबंधन विवरण–II में है। ये आबंटन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/दिल्ली सरकार से विशेष सिफारिशें प्राप्त करके किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान शैक्षिक संस्थाओं/ट्रस्टों को किए गए आबंटनों की सूची

क्र.सं.	सोसायटी का नाम	परियोजना	वर्ष
1.	श्री दशमेश खालसा स्कूल, मालवीय नगर	प्राथमिक विद्यालय	1996
2.	राम कृष्ण एण्ड सन्स चेरिटेबल ट्रस्ट, लोधी रोड	विद्यालय	1996
3.	आन्ध्र एजूकेशन सोसायटी, पुष्प विहार	विद्यालय	1997
4.	समर्थ शिक्षा समिति, नेहरू नगर	खेल का मैदान	1999
5.	डी ए वी मैनजिंग कमेटी	वैकल्पिक स्थल	1999
6.	शिव निकेतन एजूकेशन सोसायटी, डी आई जैड एरिया	विद्यालय	1999
7.	समर्थ शिक्षा समिति, सरस्वती बाल मंदिर अमर कालोनी, लाजपत नगर	विद्यालय	2000
8.	टैगोर एजूकेशन सोसायटी, आर.के.पुरम	विद्यालय	2000
9.	तमन्ना स्पेशल स्कूल फार डिसेबल्ड	विद्यालय	2000
10.	शिव निकेतन एजूकेशन सोसायटी, डी.आई.जैड. एरिया	विद्यालय	2000
11.	आई.पी. गर्ल्स हायर सैकेंडरी स्कूल	विद्यालय	2000

विवरण-II

रजिस्टर्ड एडी

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

भूमि तथा विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं.एल एंड डीओ/एल–V दिनांक:

सेवा में,

विषय: .....नई दिल्ली में स्कूल के निर्माण के लिए..... .....को भूमि का आबंटन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि राष्ट्रपति की ओर से स्कूल निर्माण के लिए.....स्कूल के नाम.....नई दिल्ली में .....भूमि (भूमि तथा विकास कार्यालय के प्लान संख्या. .....जो लाल रेखा द्वारा दिखाई गई है) के आबंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. आबंटन, करार और शाश्वत पट्टा ज्ञापन में उल्लिखित निबंधन व शर्तों की शर्त पर होगा, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल होगीं :–

(i) सोसायटी को भूमि के लिए.....लाख रु. प्रति एकड़ की दर से बतौर प्रीमियम + उसका..... प्रतिशत बतौर भूमि किराया अदा करना होगा।

(ii) भूमि का उपयोग, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

(iii) कोई भी निर्माण करने से पहले स्थानीय निकायों/भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा निर्माण प्रस्ताव का अनुमोदन कराया जायेगा।

(iv) संस्थान को, आबंटन की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर परिवेश क्षेत्र के अनुरूप भूमि पर निर्माण पूरा करना होगा।

(v) यह माना जायेगा कि आबंटित क्षेत्र प्रस्तावित निर्माण के मानदण्डों के अनुरूप है।

(vi) संस्था निःशुल्क अथवा केवल अपनी दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए मामूली फीस लेकर किसी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के भेदभाव के बिना सेवायें मुहैया करायेगी।

(vii) यह आबंटन संस्था द्वारा आबंटन की किसी भी निबंधन एवं शर्त का उल्लंघन करने अथवा धोखाधड़ी से आबंटन लेने या गलत तथ्य प्रस्तुत करने के मामले में पट्टाकर्त्ता द्वारा भूमि वापस लिए जाने की शर्त के अधीन होगा।

(viii) संस्था, पट्टाकर्त्ता के अनुमति के बिना भूमि को बिक्री अथवा उपहार आदि के जरिए हस्तांतरित नहीं करेगा जिसमें पट्टाकर्त्ता का नए निबंधन एवं शर्तें रखने का अधिकार होगा।

(ix) संस्था, संस्था के प्रबंधन बोर्ड में सरकार के दो प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था करेगी। दो प्रतिनिधियों में से एक संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की तरफ से और दूसरा पट्टाकर्त्ता की तरफ से होगा।

(x) पट्टे के लिए करार में यह प्रावधान सम्मलित होगा कि संस्था के भंग होने की स्थिति में आबंटित भूमि और उस पर बनाई गई परिसंपत्तियां ऐसी संस्था को हस्तांतरित की जायेंगी जिनके समान उद्देश्य और लक्ष्य होंगे तथा इसके लिए पट्टाकर्त्ता द्वारा, यथा निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर केन्द्र सरकार का अनुमोदन लिया जायेगा।

(xi) स्क्वेटर्स, यदि कोई हो, को हटाने का दायित्व आंबटी संस्थान को होगा।

(xii) भूमि पर केयर टेकर अथवा चौकीदार के निमित्त बने निर्माण के अलावा किसी रिहायशी मकान के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में रिहायशी मकान का कुर्सी क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।

(xiii) निर्माण प्रस्ताव यथा, अपेक्षा डीडीए/डीयूएसी से अनुमोदित कराया जायेगा।

(xiv) स्कूल में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी सहमति के बिना किसी भी धार्मिक उपदेश अथवा किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेना अपेक्षित नहीं होगा और धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या ऐसे किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के परिवेश पर रोक नहीं होगी।

(xv) किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कूल की मान्यता समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पट्टेदार को आन्तरिक भूमि के लिए मान्यता समाप्त किए जाने की तारीख को प्रचलित बाजार दर पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा और ऐसा ना करने पर भूमि और उस पर बड़े–बड़े ढांचे (भवन), जुड़नारें, फिटिंग आदि सरकार द्वारा यथा निर्धारित क्षतिपूर्ति देकर बाद में अपने कब्जे में ले ली जाएंगी।

(xvi) प्रारंभ में भूमि करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके लाइसेंस आधार पर दी जायेगी और करार निष्पादन के लिए उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दर के हिसाब से जमा धनराशि को प्रतिभूति और लाइसेंस शुल्क माना जायेगा और निर्धारित समय के भीतर करार ज्ञापन के निबंधनों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर भूमि पट्टे पर दी जायेगी और सिक्योरिटी राशि प्रीमियम होगी तथा लाइसेंस शुल्क भूमि किराया हो जायेगा।

(xvii) यह पेशकश इस पत्र की तारीख से 45 दिन की अवधि के लिए मान्य होगी। यदि 45 दिन के अन्दर यह पेशकश स्वीकार नहीं की जाती है तो यह स्वतः ही वापस ले ली जायेगी और रद्द कर दी जायेगी।

(xviii) यदि 45 दिन के अंदर यह पेशकश स्वीकार कर ली जाती है तो उस वर्ष का प्रारंभिक भूमि किराया देना होगा और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भूमि का कब्जा सोसायटी को सौंप दिया जाएगा। इस पत्र की तारीख ही आबंटन की तारीख मानी जायेगी और इसी तारीख से सारा भुगतान देय होगा।

(xix) संस्था सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लिए बिना ट्यूशन फीस की दर में वृद्धि नहीं करेगी और यह दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम/नियमावली, 1973 के प्रावधानों तथा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(xx) ट्यूशन फीस के निःशुल्क के प्रतिशत का निर्धारण शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन/शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा। संस्था कमजोर वर्गों के कम से कम 25 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देगी तथा उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।

(xxi) 1. यह लीज़ सरकारी अनुदान अधिनियम के अंतर्गत शासित होगी।

2. उल्लंघन/दुरुपयोग होने पर भूमि किराए की स्वीकृति का उपयोग अधित्याग (वेवर) के रूप में नहीं किया जायेगा।

3. संस्था करार ज्ञापन और लीज़ संबंधी व्यय स्वयं वहन करेगी।

4. संबंधित भूमि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में होगी।

(xxii) यदि उपर्युक्त शर्तें तथा निबंधन, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, संस्था को स्वीकार है तो कृपया इसकी स्वीकृति सूचित की जाए:–

कुल क्षेत्र

प्रीमियम

भूमि किराया :

करार ज्ञापन तैयार करने की लागत खर्च:

जोड़

3. अपेक्षित राशि का भुगतान इस पत्र की प्राप्ति के 45 दिन के अंदर भूमि तथा विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली के नाम पर अपरकाम्य डिमांड ड्राफ्ट भेजकर किया जायेगा, ऐसा न होने पर यह मान लिया जायेगा कि आप आबंटन के इच्छुक नहीं है और इस संबंध में किसी और सूचना के बिना आबंटन रद्द कर दिया जायेगा।

4. अनुरोध है कि स्वीकृति और भुगतान के साथ संस्था के अंत नियमों की पांच प्रतियां इस कार्यालय को भेज दी जाएं। सामान्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोयायटी को भूमि का कब्जा सौंपा जाएगा।

5. कृपया भविष्य में होने वाले सभी पत्राचार में इस पत्र के बायें कोने में दिए गए फाइल नं. का उल्लेख करें।

भवदीय,

(अशोक अरोड़ा)

उप भूमि तथा विकास अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. मुख्य वास्तुक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नक्शे की दो प्रतियों सहित।
2. वित्त प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय।
3. उपाध्यक्ष डीडीए, विकास सदन, नई दिल्ली को नक्शे की प्रति सहित।
4. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली को नक्शे के साथ।
5. लेखा अनुभाग।
6. नक्शा अनुभाग।
7. आबंटन रजिस्टर।
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय।
9. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, आर्थिक तथा सेवा मंत्रालय, ए जी सी आर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
10. मुख्य इंजीनियर न.दि.अं–III के.लो.नि.वि., नई दिल्ली

उप भूमि तथा विकास अधिकारी

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस

4761. श्री राजेश वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में कार्यरत कितने हेड कांस्टेबलों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली;

(ख) क्या सरकार को कुछ हेड कांस्टेबल के खिलाफ इस आशय की शिकायतें मिलीं कि उन्होंने हिन्दु विवाह अधिनियम का उल्लंघन करके दो शदियां की हैं;

(ग) यदि हां, तो इन कांस्टेबलों के विरुद्ध दो शादी करने की लिखित शिकायतें मिलने के बावजूद, उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस विसंगति के लिए जिम्मेवार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस में 59 हैड कांस्टेबलों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, जिनमें से एक हैड कांस्टेबल के खिलाफ द्विविवाह के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी

4762. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी मासिक पेंशन निकालने के लिए विश्वविद्यालय जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवास के निकट राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में यह सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां। तथापि, दिल्ली से बाहर रह रहे पेंशनधारियों के लिए चैक से भी पेंशन का वितरण किया जाता है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय समूचे देश में पेंशनधारियों की पेंशन के वितरण का मामला पहले ही भारतीय स्टेट बैंक के साथ उठा चुका है।

(ग) जी, हां।

(घ) पेंशनधारियों को असुविधा से बचाने के लिए पहले ही उपाय किए जा चुके हैं।

अर्द्धसैनिक बलों में पितृत्व अवकाश

4763. श्री टी. गोविन्दन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्द्धसैनिक कर्मचारियों/कार्मिको के लिए पितृत्व अवकाश कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अर्द्धसैनिक बलों में इन सुविधाओं को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) पितृत्व अवकाश की स्वीकार्यता के संबंध में सरकारी आदेश अर्द्ध सैनिक कर्मचारियों/कार्मिकों पर लागू होते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

कोयले के उत्पादन में नई तकनीक

4764. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला के उत्पादन की नई तकनीक शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन कोयला संस्थानों ने इस तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है; और

(घ) इस तकनीक के प्रयोग से कितनी अतिरिक्त कोयले के उत्पादन की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित बाल विकास परियोजना

4765. श्री जय प्रकाश : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के किन–किन स्थानों पर इस समय समेकित बाल विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना का विस्तार कर इसे उक्त जिले के सभी प्रखण्डों में कार्यान्वित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) ब्लाकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) अगली पंचवर्षीय योजना में राशि की उपलब्धता के आधार पर शेष ब्लाकों को शामिल किया जाएगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	आई.सी.डी.एस. की कवरेज वाले हरदोई जिले में ब्लाकों के नाम	किस्म
1	2	3
1.	कचोना	ग्रामीण
2.	पिहानी	"
3.	अहिरोरी	"
4.	तादियां	"
5.	माधोगंज	"
6.	टोडरपुर	"
7.	[illegible]ग्राम	"
8.	बावान	"
9.	भरवान	ग्रामीण
10.	शाहबाद	"
11.	सूरशा	"
12.	भनदेड	"
13.	कोथवा	"
14.	हरियां	"
15.	संदलिया	"
16.	मल्लवां	"

[अनुवाद]

भूमितल और चारदीवारी के उपयोग

4766. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवासीय क्षेत्रों में भूमितल और चारदीवारी के उपयोग के संबंध में संशोधित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में विशेषकर दक्षिण दिल्ली में कतिपय भवनों और भूमितलों की पहचान की है जिन्हें सभी प्रकार के व्यावसायिक उद्देश्यों जैसे शापिंग काम्प्लेक्स, व्यायामशालाओं, नर्सिंग होमों, कार्यालयों, इत्यादि के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम ने ऐसे भवनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दक्षिण दिल्ली विशेषकर ग्रेटर कैलाश जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदर्श कालोनी के रूप में वादित किया गया है के भारी व्यावसायिकरण को रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भूमितलों और चारदिवारी का उपयोग करने के मानदण्डों मे संशोधन नहीं किया गया है। भवन निर्माण उप–नियमों और मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार रिहायशी भवनों की भूमितलों का उपयोग घरेलू तथा अन्य अज्वलनशील सामग्री रखने हेतु सेवा कार्यों और पार्किंग के लिए किया जा सकता है। जहां तक चारदिवारी का प्रश्न है यह सूचित किया जाता है कि

चारदीवारी प्लाट के क्षेत्रफल की पहचान करने हेतु निर्मित की जाती हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ग्रेटर कैलाश–I में ऐसे 65 भवन तथा भूमि तल हैं जिनका वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे शॉपिंग काम्पलेक्स, व्यायामशालाएं, नर्सिंग होम, कार्यालय इत्यादि के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उप–नियमों का उल्लंघन किये जाने पर दिल्ली नगर निगम नियमानुसार परिसरों को तोड़ने, सील करने, अभियोजन करने आदि की कार्रवाई करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का विपणन

4767. प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के विपणन हेतु एक राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के गठन का विशेष उद्देश्य क्या है और इस कार्य के लिए समिति ने कौन–कौन से क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ग) इस अभियान को कहां तक सफलता मिली हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जहानाबाद में सी. आर. पी. एफ. कैम्प

4768. श्री अरूण कुमार : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जहानाबाद में सीआरपीएफ कैम्प खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थायी स्थापनाएं पहले ही विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गयी हैं। इस समय नयी स्थापना सृजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पालिका बाजार में भूमिगत पार्किंग

4769. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अग्नि शमन सेवा अनिवार्य या बाध्यकारी है;

(ख) क्या यह सेवा लाइसेंसधारी नई दिल्ली पालिका परिषद द्वारा निर्मित भूमिगत पार्किंग बी–1 में यह लागू होती है;

(ग) क्या लाइसेंसधारी नई दिल्ली पालिका परिषद और दिल्ली अग्नि सेवा स्थापित अग्नि शमन आवश्यकता को वापस ले सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किस आधार पर इसकी मदद ली जा सकती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) बाध्यकारी।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) जी नहीं।। बी–1, पालिका पार्किंग परिसर में किए गए अग्नि शमन प्रबन्धों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं हटाया गया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में आई.डी.पी.एल. संयंत्र

4770. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हैदराबाद स्थित आई.डी.पी.एल. संयंत्र और इस संगठन से संबद्ध संपत्तियां आंध्र प्रदेश में 891 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की भूमि पर स्थित हैं जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक है;

(ख) यह हां, तो क्या इस संयंत्र की लागत का अवमूल्यन करके इसे 83 करोड़ रुपए रखा गया है और कई अन्य बातों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) हैदराबाद स्थित आई.डी.पी.एल. संयंत्र का कुल क्षेत्रफल 891 एकड़ से अधिक है, परंतु इसका अनुमानित मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की तैनाती

4771. श्री शमशेर सिंह दूलो :

श्री अशोक प्रधान :

श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों ने 17.12.1996, 1.9.1997 और 23.7.1998 को प्रधान मंत्री को दिए अभ्यावेदनों में यह मांग की थी कि सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकायों/सम्बद्ध कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों के प्रबन्धन बोर्डों/शासी परिषदों में मुख्य कार्यकारी, कार्यकारी निदेशक सरकारी/गैर–सरकारी सदस्य जैसे पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को नामित/ नियुक्त/नियोजित/ तैनात किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिल्ली शहरी कला आयोग सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और राष्ट्रीय शहरी कला आयोग, सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान में उक्त पदों पर कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त/तैनात किया गया; और

(ङ) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने लोग थे और कुल व्यक्तियों की तुलना में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या थी ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन प्रतिवेदनों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मुद्दे थे और तदनुसार प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा इन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया।

(घ) और (ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

संगठन	1997			1998			1999		
	नियुक्ति तैनाती	अ.जा./ अ.ज.जा.	अ.जा./ अ.ज. जा. का प्रतिशत	नियुक्ति/ तैनाती	अ.जा./ अ.ज.जा.	अ.जा./ अ.ज.जा. का प्रतिशत	नियुक्ति/ तैनाती	अ.जा./ अ.ज.जा.	अ.जा./ अ.ज.जा. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी)	1	–	–	–	–	–	1	–	–
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम									
आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको)	5	–	–	1	–	–	3	1	33.3 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिन्दुस्तान प्रीफैब लि. (एचपीएल)	2	–	–	–	–	–	–	–	–
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. (एनबीसीसी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए)	2	–	–	2	–	–	1	–	–

[हिन्दी]

पेयजल की आपूर्ति

4772. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान देश के सभी ग्रामीण को पेयजल प्रदान करने हेतु आबंटन बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो कौन–से राज्य प्रदूषित जल की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया गया है; और

(ग) उक्त योजना का कार्य कब तक शुरू किए जाने/पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु केन्द्रीय परिव्यय प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहा है। सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुविधायें उपलब्ध करा दिये जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र भू–जल स्त्रोतों में रासायनिक संदूषण की समस्या का सामना कर रहें हैं।

(ग) पेयजल राज्यों का विषय होने की वजह से ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजनायें राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। राज्य सरकारें गुणवत्ता समस्या से निपटने के लिए उप–मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों की 20 प्रतिशत राशि इस्तेमाल कर सकती है। ग्रामीण जल आपूर्ति की योजनायें बनाने, स्वीकृत करने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दी गई हैं। तदनुसार, राज्य स्तर पर योजना वार ब्यौरे रखे जाते हैं। तथापि, सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार की गई वृहत कार्य – योजना के अनुसार निधियों की उपलब्धता के आधार पर पांच वर्षों में देश की सभी ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रदूषण-रोधी उपकरण

4773. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनिक उद्योग विभिन्न प्रदूषण रोधी उपकरणों के चरम विस्तार और वृद्धि के कारण खतरे का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत में निश्चित प्रदूषण रोधी उपकरणों सहित रसायनिक उद्योगों और उनके विस्तार का संरक्षण करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) 7वीं, 8वीं और 9वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में रसायनिक उद्योगों में हो रही वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) प्रदूषण रोधी उपायों की जरूरत पर्यावरण संबंधी नियमों को सुनिश्चित करना है और इसके साथ-साथ रासायनिक उद्योग के स्वस्थ्य विकास को भी सुनिश्चित करना है।

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 7 वीं, 8वीं, 9वीं योजना के दौरान रासायनिक उद्योगों की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

रसायनिक उद्योगों की संख्या

राज्य	7वीं योजना (1985-90)		8वीं योजना (1992-97)		9वीं योजना (1997-2002)
	85-86	89-90	92-93	96-97	97-98
गुजरात	1036	115	1323	1178	1721
कर्नाटक	374	356	338	363	400
महाराष्ट्र	1235	1183	1419	1752	1921
तमिलनाडु	997	1088	1400	1547	1648

रसायनिक उद्योगों द्वारा सृजित सकल उत्पाद (लाख रुपए)

राज्य	85-86	89-90	92-93	96-97	97-98
गुजरात	359090	613460	1229160	2470408	3691924
कर्नाटक	43088	61792	107542	253707	229470
महाराष्ट्र	443843	961889	1505840	3362771	3253585
तमिलनाडु	152966	228858	368229	716608	772134

राज्यों को स्वायत्तता

4774. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विशेषकर राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के संदर्भ में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु नए प्रयास करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन दिनांक 28.5.1990 के राष्ट्रपति के आदेश के तहत गठित अन्तर-राज्यीय परिषद, सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों में केन्द्र-राज्य के सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने तथा राज्यों को अधिक वित्तीय, प्रशासनिक और वैधानिक अधिकार देने की बात कही गई है। परिषद ने अब तक छह बैठकें की हैं तथा केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों में से 171 सिफारिशों पर निर्णय लिए हैं। सरकारिया आयोग की उन सिफारिशों, जिन पर अन्तर-राज्यीय परिषद ने अन्तिम निर्णय ले लिया है, को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयन हेतु भेज दिया गया है। जबकि 171 सिफारिशों में से 76 सिफारिशों को चरणों में कार्यान्वित कर दिया गया है। 80 सिफारिशें कियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। 15 सिफारिशें रद्द कर दी गई हैं। सरकारिया आयोग की शेष 76 सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु स्थाई समिति/अन्तर-राज्यीय परिषद द्वारा अभी विचार किया जाना है।

2. सरकार, राज्यों को ऐसी शक्तियों, जो प्रशासनिक दक्षता, विकास तेज करने तथा हमारे सभी वर्गों के लोगों की सृजनात्मक शक्ति का पूरी तरह उपयोग करने में सहायक होंगी, का हस्तांतरण करने के कदमों के कार्यान्वयन पर व्यापक मतैक्य प्राप्त करने के प्रयास जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है।

काश्तकारी संबंधी सुधार

4775. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काश्तकारों और फसल बटाईदारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए काश्तकारी संबंधी सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका एक सलाहकार और समन्वयक तक ही सीमित है। अधिकांश राज्य सरकारों ने काश्तकारों और बटाईदारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए कानून बनाए हैं। राज्य

सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 124.22 लाख काश्तकारों को 156.30 लाख एकड़ ऐसी भूमि उपलब्ध कराई गई है जिसके संबंध में काश्तकारों/बटाईदारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए हैं अथवा भू–स्वामी की इच्छानुसार भूमि से बेदखल न होने संबंधी उनके अधिकारों की सुरक्षा की गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्ति

4776. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 सितम्बर 2000 के 'द पायनियर' में "एढोसिज्म रूल्स द रूट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय में ऐसे कितने अध्यापक हैं और वे कब से तदर्थ नियुक्ति पर कार्य कर रहें हैं; और

(ग) उन्हें नियमित न करने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक नियमित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, लगभग 80 विभागों जिनमें संकाय क्षमता 1000 शिक्षकों की हैं, में इस समय चार महीने की अवधि के लिए लगभग बीस व्यक्ति तदर्थ आधार पर कार्य कर रहें है। कालेजों में तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले शिक्षकों की संख्या; अल्पकालिक/दीर्घकालिक अवकाश जिसमें प्रसूति अवकाश भी शामिल है पर जाने वाले शिक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है।

(ग) सभी तदर्थ नियुक्तियां चार महीने की अवधि के लिए की जाती हैं लेकिन उन्हें तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक नियमित पदधारी ड्यूटी पर वापस नहीं आ जाता अथवा जब तक रिक्त पद को विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसरण में नियमित आधार पर भरा नहीं जाता।

जनजातीय भूमि को पट्टे पर देना

4777. श्री चिंतामन वनगा :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी.एस. बसवराज :

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय लोगों ने संबंधित राज्यों और संघ राज्य द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को निजी पार्टियों को पट्टे में दिये जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनजातीय क्षेत्रों के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र–वार नाम क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित जनजातीय और सरकारी भूमि को गैर सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरण किए जाने को सुगम बनाए जाने हेतु जनजातीय अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) जनजातीय अधिनियमों में किए जाने वाले संशोधनों से जनजातीय लोगों को कितना लाभ पहुंचेगा;

(च) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कि राज्य सरकारों के किसी भी निर्णय से जनजातीय लोगों की जीवन शैली को कोई खतरा न पहुंचे, केन्द्र सरकार का विचार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ज) मंत्रालय ने इस मुद्दे पर आन्ध्र प्रदेश से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं। इस मामले को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया गया। उन्होंने अब सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियम, 1959 तथा खान और खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित संशोधनों को उनके द्वारा आस्थागित रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों को समता मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संगत उद्धरण परिचालित भी किए और उनसे न्यायालय के निर्णय का पूर्ण रूप से अनुपालन करने का अनुरोध किया है।

"एच आर" उत्पादों का निर्यात

4778. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 के दौरान अमरीका को निर्यात किए गए और वर्ष 2000–2001 में निर्यात किए जाने वाले 'एच आर' उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन उत्पादों के तुलनात्मक निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्य में अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1999–2000 में भारत से अमरीका को 541973 निवल टन एच आर उत्पादों का निर्यात किए जाने का अनुमान लगाया गया है। 2000–01 के लिए निर्यात का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि ये मांग और आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, पृथक–पृथक उत्पादकों की निर्यात एवं उत्पादन योजनाओं की संचालन संबंधी ताकतों द्वारा शासित होते हैं।

(ख) और (ग) इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्य विशिष्ट ग्रेडों, मोटाई और उनके गठन के आधार पर भिन्न–भिन्न होते हैं तथा ये शुल्क, लेवी, कर और विदेशी विनियम दरों के प्रभाव पर भी निर्भर करते हैं। ये घटक गतिशील होते हैं और निरन्तर बदलते रहते हैं। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बाजार ताकतों के पारस्परिक प्रभाव द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती।

भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

4779. श्री अनादि साहू : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का विचार 13 मीटर लंबी रेलों के बदले 39 मीटर लंबी रेलों के उत्पादन हेतु अपने भिलाई संयंत्र को आधुनिक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इसमें कितनी धनराशि का निवेश किये जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) इस समय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भिलाई इस्पात संयंत्र की रेल मिल का 39 मीटर लंबी रेलों का उत्पादन करने के लिए आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नवोदय केन्द्रीय विद्यालय

4780. श्री महेश्वर सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार किन–किन जिलों में अभी तक नवोदय/केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु मंजूरी प्रदान नहीं की गयी है;

(ख) किन–किन स्थानों में मंजूरी प्रदान कर दी गयी है लेकिन विद्यालय अभी तक नहीं खोले गये हैं;

(ग) इन विद्यालयों को अब तक न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष में इन विद्यालयों को कहां–कहां खोले जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) **केन्द्रीय विद्यालय**– केन्द्रीय विद्यालय जिलावार नहीं खोले जाते हैं। इस समय नए केन्द्रीय विद्यालय अत्यधिक बजटीय कठिनाई के कारण सिविल/रक्षा क्षेत्र में देश में कहीं पर नहीं खोले जा रहे हैं। तथापि संगठन ने 26 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

नवोदय विद्यालय– जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य सरकार द्वारा लगभग 30 एकड़ निःशुल्क उपयुक्त भूमि की व्यवस्था पर निर्भर करती है और साथ ही संबंधित राज्य सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रारंभिक स्थापना के लिये किराया मुक्त उपयुक्त अस्थायी आवास की तब तक व्यवस्था करे जब तक समिति स्थायी स्थल पर अपने विद्यालय परिसर का निर्माण नहीं करा लेती है तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो जाते।

सामान्यतया किसी विशेष वर्ष में संस्वीकृत कोई जवाहर नवोदय विद्यालय संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने तथा आवश्यक सुविधाएं जुटाने के पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष में संचालित किया जाता है। 1999–2000 तक संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालय महासमुन्द (म.प्र.), पुणे (महाराष्ट्र), महाराजगंज (उ.प्र.), उदयपुर (राजस्थान) हैं जिन्होंने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है। महासमुन्द (म.प्र.) तथा महाराजगंज (उ.प्र.) के मामले में अस्थायी आवास का वायदा किया गया था लेकिन उसे उपलब्ध नहीं कराया गया। पुणे (महाराष्ट्र) तथा उदयपुर (राजस्थान) के मामले में यह सहमति हुई थी कि प्रदान की जाने वाली भूमि पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा अस्थाई आवास का निर्माण कराया जाएगा। तथापि, पुणे (महाराष्ट्र) तथा उदयपुर (राजस्थान) के मामले में जिस भूमि को अंतरित करने का वायदा किया गया था, उसे हाल में अंतरित किया गया है।

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन जिलों के नाम विवरण में दिये गये है जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिये संस्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गई

है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शामिल न किए गए जिलों में 30 नए जवाहर नवोदय संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है जो राज्य सरकारों से समिति के मानदण्डों को पूरा करने वाले उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

विवरण

30 नवम्बर, 2000 की स्थिति अनुसार नवोदय विद्यालय योजना के अधीन अभी शामिल किए जाने–वाले जिलों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	हैदराबाद
	अरुणाचल प्रदेश
2.	पूर्वी सियांग
3.	पश्चिम कामंग
4.	ईटानगर
5.	अपर सियांग
	असम
6.	धुबरी
7.	नौगांव
8.	उत्तरी कछार पर्वत
	बिहार (झारखंड सहित)
9.	धनबाद
10.	पूर्वी सिंहभूम
11.	रोहतास
12.	शिवहर
13.	लखीसराय
14.	पंकुर
15.	कोदर्मा
	दिल्ली
16.	दक्षिण दिल्ली
17.	पूर्वी दिल्ली
18.	केन्द्रीय दिल्ली
19.	दिल्ली पूर्व
20.	नई दिल्ली
21.	उत्तर
22.	उत्तर पूर्व
23.	उत्तर पश्चिम
24.	दक्षिण
25.	दक्षिण पश्चिम
	गुजरात
26.	अहमदाबाद
27.	वलसाद
28.	द डेंग
29.	अमरेली
30.	पतन
31.	दोहाद
32.	आनंद
33.	नर्मदा
34.	नवसरी
	हरियाणा
35.	यमुनानगर
36.	अम्बाला
37.	फतेहाबाद
38.	झज्जर
	हिमाचल प्रदेश
39.	कुल्लु
	कर्नाटक
40.	मैसूर
41.	बगलकोट
	केरल
42.	वायनाड
	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)
43.	उमरिया
44.	कोरिया

1	2
45.	जशपुर
46.	कोरबा
47.	जांगीर
48.	धमतरी
49.	कांकेर
50.	कावर्धा
51.	दिनदोरी
52.	कतनी
53.	बदवानी
54.	मंदसौर
55.	हर्दा
56.	बस्तर
	महाराष्ट्र
57.	मुम्बई
58.	मुम्बई
59.	मुम्बई
60.	ग्रेटर मुम्बई
61.	मुम्बई
62.	मुम्बई सुबारबन
63.	अकोला
64.	धुले
65.	परभानी
66.	भंडारा
	मणिपुर
67.	इम्फाल
	मेघालय
68.	री–भोई
	मिजोरम
69.	ऐजवाल पश्चिम
70.	ऐजवाल पूर्व
71.	ऐजवाल उत्तरी
72.	छिमतुईपुई पूर्व

1	2
	नागालैंड
73.	मॉन
74.	मॉकोकचुंग
75.	जूनेहबतू
76.	दीमापुर
	उड़ीसा
77.	बारगढ़
78.	भद्रक
79.	बोध
80.	देवगढ़
81.	गजपति
82.	जगतसिंहपुर
83.	जजपुर
84.	झारसुगुदा
85.	खुर्दा
86.	मलकनगिरी
87.	नोवारापुर
88.	नयागढ़
89.	राजागुड़ा
90.	सोनपुर
	पंजाब
91.	लुधियाना
92.	फरीदकोट
93.	मोगा
94.	होशियारपुर
	राजस्थान
95.	हनुमानगढ़
96.	करोली
	सिक्किम
97.	पूर्वी सिक्किम
	त्रिपुरा
98.	उत्तरी त्रिपुरा

1	2
	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)
99.	बांदा
100.	देहरादून
101.	लखीमपुर खेरी
102.	ओरीया
103.	मुरादाबाद
104.	पोढ़ी गढ़वाल
105.	रामपुर
106.	बलरामपुर
107.	सोनभद्र
108.	वाराणसी
109.	माहोबा
110.	कोशाम्बी
111.	कन्नोज
112.	अम्बेडकर नगर
113.	देवरिया
114.	गाजियाबाद
115.	शारावस्ती
116.	नैनीताल
117.	बागेश्वर
118.	पिथौरागढ़
119.	चंदौली
120.	संत कबीर नगर
121.	छत्रपति साहुजी महाराज नगर

[अनुवाद]

शिकायतें दर्ज करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

4781. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरोजिनी नगर और उसके समीपवर्ती मुख्य क्षेत्रों के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के पूछताछ कार्यालयों में आबंटियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कितने ड्यूटी क्लर्क और टेलीफोन प्रदान किये गये हैं;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में आबंटियों की संख्या को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान उक्त क्षेत्रों के निवासियों/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा इस ओर आकर्षित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में निवासियों की शिकायतों को दूर करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (छ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	सेवा केन्द्र	तैनाती डयूटी क्लर्कों की सं.	लगाये गये टेलीफोन की सं.
1.	सरोजिनी नगर ए–ब्लाक,	शून्य	1
	जी–1 ब्लॉक	शून्य	1
2.	लक्ष्मीबाई नगर	शून्य	1
3.	नेताजी नगर	शून्य	1
4.	चाणक्यपुरी	शून्य	1

[हिन्दी]

दिल्ली का विकास/सौन्दर्यकरण

4782. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली के विकास/सौन्दर्यकरण पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गैर सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता

4783. श्री दिन्शा पटेल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी वित्तीय योगदान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की निगरानी के संबंध में केन्द्र सरकार और सहायता देने वाले देशों की भूमिका क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों ने विदेशी सहायता (नियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वर्ष 1997-98 के दौरान 937.51 लाख रु. और वर्ष 1998-99 के दौरान 1609.98 लाख रु. की विदेशी सहायता प्राप्त करने की सूचना दी है। वर्ष 1999-2000 के आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है।

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संगठनों को उनके द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता व उसके उपयोग की जानकारी, जो किसी चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट द्वारा समुचित रूप से सत्यापित की गई हो, वार्षिक आधार पर गृह मंत्रालय को देनी होती है। विदेशी सहायता की निगरानी ऐसे संगठनों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के जरिए की जाती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2922/2000]

(2) (एक) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2923/2000]

(3) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार औयोग के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2924/2000]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2925/2000]

(2) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2926/2000]

(4) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2927/2000]

(5) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल एंड टैक्नालाजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मैटीरियल एंड टैक्नालाजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2928/2000]

(6) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2929/2000]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2930/2000]

(ख) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2931/2000]

(2) (एक) कन्सलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2932/2000]

(3) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेस, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेस, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-2933/2000]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओशन टैक्नोलाजी, चैन्नई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओशन टैक्नोलाजी, चैन्नई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2934/2000]

(5) (एक) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2935/2000]

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7(क) के अंतर्गत कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना, 2000 जो 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2936/2000]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बृज किशोर त्रिपाठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2937/2000]

(ख) (एक) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2938/2000]

(ग) (एक) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2939/2000]

(घ) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2940/2000]

(ङ) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2941/2000]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2942/2000]

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेज संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2943/2000]

(3) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवासीय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवासीय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2944/2000]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2945/2000]

(3) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2946/2000]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2947/2000]

(ख) (एक) बंगाल कैमीकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमीकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2948/2000]

(ग) (एक) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, वदोदरा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, वदोदरा का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2949/2000]

(2) (एक) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टीसाइड फारमूलेशन टैक्नोलाजी, गुडगांव के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टीसाइड फारमूलेशन टैक्नोलाजी, गुडगांव के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2950/2000]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फार एडवांस्ड साइन्टीफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फार एडवांस्ड साइन्टीफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2951/2000]

(2) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2952/2000]

(3) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जिओलाजी, देहरादून के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जिओलाजी, देहरादून के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2953/2000]

(4) (एक) इंडियन एसोसियेशन फार द कल्टीवेशन आफ साइन्स, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसियेशन फार द कल्टीवेशन आफ साइन्स, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2954/2000]

(5) (एक) सेंटर फार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डाइग्नोस्टिक्स हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डाइग्नोस्टिकस हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2955/2000]

(6) (एक) नेशनल सेंटर फार सैल साइंस, पुणे के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार सैल साइंस, पुणे के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2956/2000]

(7) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2957/2000]

(8) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियल, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियल, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2958/2000]

(9) (एक) टैक्नोलॉजी इंफार्मेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट कांउसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टैक्नोलॉजी इंफार्मेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट कांउसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2959/2000]

(10) (एक) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टैस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लैबोरेट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टैस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लैबोरेट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2960/2000]

(11) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2961/2000]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : मैं श्री आई. डी. स्वामी की ओर से अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 901 (अ), जो 29 नवबंर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 23 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 7/23/2000– एम एंड जी का शुद्धि पत्र अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2962/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं 'सोलर फोटो वोल्टिक पेनलस्' की खरीद के बारे में नौवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा)

के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री राम सजीवन (बांदा) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

सातवां से नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(एक) उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000–2001) के संबंध में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(दो) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000–2001) के संबंध में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(तीन) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000–2001) के संबंध में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षण योजनाओं के बारे में दिनांक 21 नवम्बर, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षण योजनाओं के बारे में राजो सिंह, संसद सदस्य और कुंवर अखिलेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 21 के बारे में (एक) 21 नवम्बर, 2000 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

कृपया निम्नलिखित संशोधन किया जाए :

(1) अंग्रेजी उत्तर के प्रथम पैरा में कोई त्रुटि नहीं है अपितु हिन्दी उत्तर के पहले पैरा में "प्रौढ़ साक्षरों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से 'जन शिक्षण संस्थान' योजना के द्वारा अनेक योजनाएं चला रही हैं" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए –

"प्रौढ़ साक्षरों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 'जन शिक्षण संस्थान' की योजना के माध्यम से और कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनेक योजनाएं चला रही है।"

(2) उत्तर के दूसरे पैरा में "58 जन शिक्षण संस्थाएं प्रौढ़ साक्षरों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्थापित की गई हैं और उन्हें गैर सरकारी संगठनों की सहायता से संचालित किया जा रहा है" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"प्रौढ़ साक्षरों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 91 जन शिक्षण संस्थानों द्वारा 17 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। जन शिक्षण संस्थान गैर सरकार संगठनों की मदद से चलाए जाते हैं।"

चूंकि अशुद्धि की जानकारी बाद में मिली इसलिए उत्तर को सही करने में विलंब हुआ।

.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, मारूति उद्योग के मजदूरों और छोटे कर्मचारियों का लगातार गत डेढ़ वर्ष से मारूति उद्योग के प्रबंधतंत्र द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। वे अपनी मांगों को लेकर न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस महीने की 13 तारीख से इस कड़ाके की सर्दी में, खुले आसमान के नीचे, उद्योग भवन के सामने धरना दे रहे हैं। चार मजदूरों ने कल से 18.12.2000 से ही अनिश्चितकालीन अनशन प्रारम्भ किया है। मामूली सी बात थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।

अध्यक्ष महोदय, यह समस्या प्रबंधक तंत्र द्वारा समय पर सुलझायी जा सकती थी। कई बार सदन का ध्यान आकर्षित किया गया। परन्तु सरकार ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया। प्रबंधक तंत्र लगातार उनका शोषण और उत्पीड़न कर रहा है। वहां के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का सदन के सभी दलों के नेताओं ने, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी ने समर्थन किया है। उनके पक्ष में कुछ बातें कही हैं, अखबारों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली है। कुछ विपक्ष के नेताओं ने मिलकर सरकार से बातचीत भी की है। लेकिन मालूम नहीं सरकार की क्या जिद है और क्यों सरकार प्रबंधक तंत्र से मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं और अभी तक इस बारे में सरकार ने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई है और न ही संवेदनशीलता उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण मसले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रति दिन इस सदन में कोई न कोई सवाल या विशेष उल्लेख के रूप में मारूति उद्योग लि. के कर्मचारियों का मामला उठता रहा है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए महोदय अब आपसे ही मेरा निवेदन है कि आप ही हस्तक्षेप कीजिए जिससे मंत्री महोदय सदन में आकर एक वक्तव्य दें और मजदूरों की मांगों का समाधान करें।

अध्यक्ष महोदय, सरकार और मंत्री को जिद नहीं करनी चाहिए। अगर वहां सर्दी में ठिठुरकर किसी मजदूर की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। मालूम नहीं सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसका सरकार हल नहीं निकाल सके। यदि सरकार हस्तक्षेप करे तो सरकार प्रबंधकतंत्र और मजदूर मिलकर समाधान निकाल सकते हैं तथा हड़ताल समाप्त हो सकती है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पुनः उनकी मांगों की ओर आकर्षित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि वे सदन में उपस्थित हैं, वे स्वयं इस बारे में वक्तव्य दें अथवा भारी उद्योग मंत्री जी को सदन में बुलाकर उनसे आज ही अभी वक्तव्य दिलवाएं जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा अभिव्यक्त विचारों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं नहीं जानता कि सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों हैं। चार हजार कामगार इसमें काम करते हैं। लगभग 92 कामगारों को या तो निलम्बित अथवा मुअत्तल कर दिया गया है। उनसे सख्ती से अच्छे व्यवहार का परिवचन देने के लिए कहा गया है। मुझे आशा है कि किसी दिन संसद सदस्यों को भी इस प्रकार का परिवचन देना होगा। लेकिन हम उन पर इस चीज को थोपने के बारे में ज्यादा इच्छुक हैं। यह एक प्रकार की दासता है जो लोगों पर थोपी जा रही है। इसके अलावा वास्तव में कतिपय न्यूनतम प्रोत्साहनों को देने से इंकार कर दिया गया है। वे धरने पर बैठे हैं। सभा के लगभग सभी वर्गों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।

मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री यहां होंगे। कल, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे उत्तर देने के लिए सभा में उपस्थित रहेंगे। कल आपने कहा था कि मामले पर विधिवत् ध्यान नहीं किया गया था। लेकिन आज हमें आशा थी वे सभा में होंगे। इसलिए, संबंधित मंत्री को जानकारी देने की बजाय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले में कुछ दिलचस्पी लेनी चाहिए।

महोदय, इन न्यूनतम मांगों को स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई आ रही है? श्रमिक वर्गों को कब तक सताया जाता रहेगा? सरकार श्रमिक वर्ग पर ऐस्मा लागू कर रही है और अन्य अत्याचारी तथा दमनकारी कदम उठा रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मैं सरकार से मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड के कामगारों की उचित मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करता हूं.... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मारूति उद्योग के सिलसिले में अभी श्री मुलायम सिंह और सोमनाथ चटर्जी ने जो बात कही है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। इस मामले को मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं उन कर्मचारियों की मीटिंग में गया था और मैंने उद्योग मंत्री जी से भी इस सिलसिले में बात की थी। मामला केवल यही था कि अगर उद्योग के प्रबंधक लोग उस

अंडरटेकिंग्स को वापस ले लें तो कर्मचारी वहां पर काम पर वापिस जाने के लिए तैयार हैं। उद्योग मंत्री ने मुझसे कहा था कि अगर इतने पर ही मामले का हल निकलता है तो वे इसमें कोई सुलह–समझौता करा देंगे लेकिन अचानक मैनेजमैंट के एटीच्यूट में कुछ बदलाव आ गया और उन्होंने उतना भी करना स्वीकार नहीं किया। जैसे अभी सोमनाथ जी ने कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें कुछ ट्रेड यूनियन के अधिकार मिले हुए हैं और उन्हें अपमान–जनक तरीके से किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए विवश करना सही बात नहीं। मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री ने जो शुरू में रुख अपनाया था, उसी रुख को मनवाने के लिए वहां के प्रबंधन पर जोर डालना चाहिए और सरकार को इस बारे में आश्वासन देना चाहिए कि कर्मचारियों के जो अधिकार हैं, उनको उनसे वंचित नहीं किया जायेगा। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की तरफ से कुछ कहना है?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। ....*(व्यवधान)* कानून बनने के बाद भी उस पर अमल नहीं हो रहा है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बोलने के लिए बाद में बुलायेंगे।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मारूति उद्योग के संबंध में बोलना है ?

....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं इस मुददे पर बोलना चाहता हूं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी क्या आप भी उसी मुददे पर बोलना चाहते हैं?

....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : जी, हां।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि मारूति उद्योग लिमिटेड में सरकार की पचास प्रतिशत इक्विटी है। प्रबंध निदेशक का सरकार का नामित व्यक्ति माना जाता है और मंत्री को जवाबदेह ठहराया जा सकता है....*(व्यवधान)* यह दूसरी बात है कि प्रबंध निदेशक सुजुकी लिमिटेड का आज्ञाकारी एजेंट है। लेकिन तकनीकी रूप से वह सरकार की तरफ से नामित व्यक्ति माना जाता है। सरकार श्रमिकों को अनुचित और अत्याचार पूर्ण प्रथाओं का समर्थन नहीं कर सकती। अच्छा आचरण प्रमाणपत्र की यह मांग अत्याचार पूर्ण श्रमिक व्यवहार है। सरकार को इस पर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए भारी उद्योग मंत्री को पहले ही अपने चेम्बर में बुलाया था। कृपया कुछ समय इंतजार करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री मारूति उद्योग लिमिटेड के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, श्री मोहन रावले ने इस मुददे पर नोटिस दिया है। उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए....*(व्यवधान)* उनका नोटिस वहां है। अनेक सदस्य जिन्होंने नोटिस नहीं दी है, बोल रहे हैं। उन्होंने तो कम से कम नोटिस तो दी है। ....*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मारूति उद्योग के संबंध में जब यहां कालिंग अटैंशन पर बहस हुई तब आदरणीय मंत्री महोदय ने मजदूरों के बारे में हमदर्दी जताई थी लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। उनके एम.डी. श्री जगदीश खट्टर ने कहा "कि सभी कर्मचारियों को कारखाना परिसर में प्रवेश करने से पहले अच्छा आचरण संबंधी वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने चाहिए"। मजदूरों के दिल में यह डर था कि छोटे–छोटे बहाने बनाकर उनको निकाला जा सकता है। इसलिए मजदूर अंदर जाने के लिए डर रहे थे। अभी भी 91 लोगों को बाहर निकाला गया है। सरकार ने कहा है कि हम इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या करना चाहती है।

दूसरी बात, इसका डिसइन्वैस्मेंट हो रहा है या नहीं, इसके बारे में सदन को जानकारी मिलनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप भी श्री मोहन रावले की बात का समर्थन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : वहां के चार हजार वर्कर्स जो उद्योग भवन के पास बैठे हैं, मुलायम सिंह जी ने जो बताया, वह ठीक है कि ठंड लगने से उनको और तकलीफ होगी तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके डिसइन्वैस्टमैंट के बारे में क्या प्रपोजल हैं। डिसइन्वैस्टमैंट के बारे में जो प्रक्रिया मैनेजमेंट ने शुरू की है, वह गलत तरीके से की है। वहां चार हजार लोग बर्बाद होने वाले हैं। मारूति कार की अभी भी जनता में डिमांड है। क्या इस उद्योग को खत्म करने की कोई साजिश हो रही है, यह मैं जानना चाहता हूं? उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय देना चाहिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं ....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, आदरणीय चन्द्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी और सोमनाथ जी जैसे वरिष्ठ सदस्य जब विषय उठाते हैं....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैंने भी कहा है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं तो समझा कि आपके लिए मैंने अलग मंत्री लाकर रखा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जयपाल जी ने भी कहा है।

श्री प्रमोद महाजन : जयपाल जी का नाम मैं भूल गया और आपका नाम तो मैं हर विषय के साथ ले सकता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं जानता हूं कि आप यही कहेंगे। मैंने कहा कि मंत्री जी को बुला कर, स्पीकर साहब के चैम्बर में बैठ कर आज ही फैसला करना चाहिए। स्पीकर साहब ने मान लिया।

श्री प्रमोद महाजन : जहां तक आपका संबंध है, हर विषय में आप हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ....*(व्यवधान)* सुरेश जादव जी, मोहन रावले जी भी हैं। कल यह विषय शून्य काल में आ रहा था और आपने कहा था कि इसलिए भारी उद्योग मंत्री यहां आकर उत्तर देने के लिए बैठे थे। लेकिन कल वह किसी कारण नहीं आ सका।....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे कल आए थे।

श्री प्रमोद महाजन : कल वे आए थे लेकिन विषय नहीं आया था, आज विषय आया है और वे नहीं आए।....*(व्यवधान)* आपने अभी कहा है कि आप उन्हें अपने चैम्बर में बुलाने वाले हैं तो मैं उनको तुरंत यह संदेश देता हूं और जो 5–7 वरिष्ठ सदस्य हैं, उनमें से जो चाहें, वे बैठें और इसका कोई न कोई रास्ता निकालने के लिए सरकार प्रयास करेगी।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह।

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, 1997 में .... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, आप एक मिनट रुकिए। इन्होंने पहले नोटिस दिया है। आप इनके बाद बोलिए।

....*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : मैंने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

मैं आपसे सुबह भी मिला था। मैंने तीन दिन पहले नोटिस दिया था। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बुलाएंगे। इन्होंने पहले नोटिस दिया है।

सरदार बूटा सिंह : मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास नहीं है। आपको इनके बाद बुलाएंगे।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : यह ठीक बात नहीं है महोदय। आपने पहले मुझे पुकारा है। आपको मुझे भी मौका देना चाहिए। ....*(व्यवधान)* आपने पहले मुझे बुलाया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बाद में बुलाएंगे।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : महोदय हमने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है। वहां गैर सरकारी सदस्यों का एक विधेयक भी था। वह भी नहीं था। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब शून्य काल का कार्य शुरू कर रही है न कि ध्यानाकर्षण का कार्य।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष गहोदय : जिन सदस्यों ने बोलने के लिए नोटिस दिए हैं बोल सकते हैं। आपका नोटिस नहीं है फिर भी आपको बुलायेंगे।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

अपराह्न 12.20 बजे

इस समय श्री सुशील कुमार शिंदे, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और अन्य माननीय सदस्य आए सभा पटल के नजदीक खड़े हो गए।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नागर कुरनूल) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया हमें भी अनुमति दें....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.20½ बजे

इस समय, श्री राजैया मल्याला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के नजदीक खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में एक प्रोसीजर होता है, इस तरह वैल में आना ठीक नहीं है। आप अपनी सीट्स पर जाएं, मैं आपको बुलाऊंगा।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप सुनिए, बूटा सिंह जी का हमारे पास नोटिस नहीं है, फिर भी हम उनको मौका देंगे।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लगता है कि आपका मैटर पर कोई इंटरैस्ट नहीं है। मैंने कहा है कि बूटा सिंह जी को बुलाऊंगा, पहले कैसे बुला सकता हूं। उसके लिए नोटिस देना होता है और इनका कोई नोटिस नही है।

....*(व्यवधान)*

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.22 बजे

इस समय श्री सुशील कुमार शिंदे, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अपराह्न 12.22½ बजे

इस समय श्री राजैया मल्याला और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापिस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री थावरचन्द गेहलोत के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी आप सीनियर मेम्बर है, आपको प्रोसिजर के बारे में सब मालूम है। आपको थावर चंद गेहलोत जी के बाद मौका देंगे, जबकि आपका नोटिस इसमें नहीं है। इसलिए मैंने पहले उनको बोलने के लिए कहा है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, 1997 में तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में देशभर के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा उपलब्ध थी, उस पर रोक लगा दी। इसी प्रकार से प्रमोशन में भी रोक लगा दी....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी मैंने कहा है कि आपका नोटिस लिस्ट में नहीं है, दस बजे के बाद आया है, फिर भी हम आपको मौका देंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत : तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में सारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को नौकरी में जो आरक्षण दिया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी प्रकार जो प्रमोशन में भी आरक्षण की सुविधा इन लोगों को थी, उस पर भी रोक लगा दी।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है, उसको मैंने एडमिट नहीं किया। उसका एक प्रोसीजर होता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : वर्तमान सरकार ने पिछले सत्र में विधेयक पारित करके जो रोक लगाई गई थी, वापस आरक्षण की सुविधा को बहाल करने का काम किया और संविधान में संशोधन

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, किंतु आज तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि तत्कालीन सरकार ने जो रोक लगाई थी, वर्तमान सरकार उस रोक को हटाकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा दें। पिछले पांच वर्षों से जो भर्ती पर रोक लगी हुई है, उसके कारण लगभग 75 प्रतिशत से ज्यादा स्थान रिक्त पड़े हैं। इसलिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर उन पदों को भरा जाए।....*(व्यवधान)* मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने इस संबंध में विधयेक पारित किया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन भर्ती करने की कार्यवाही शीघ्र की जाए। सरकार इस संबंध में हमें आश्वासन दे कि वे कितने समय में विशेष भर्ती अभियान चलाएगी और रिक्त पड़े स्थानों को भरने का काम करेगी।

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, हम माननीय सदस्य श्री थावरचन्द की बात का समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर नोटिस दिए हैं वे श्री थावरचंद गेहलोत की बात का समर्थन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मुझे खेद है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप सीनियर मेम्बर हैं। आपका नोटिस नहीं है।

....*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, हमने कॉलिंग अटेंशन का नोटिस दिया था।....*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि आपको सबसे पहले बुलाएंगे और आपने आते ही हमें बुलाया। .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने आपका कॉलिंग अटेंशन एडमिट नहीं किया। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको यह बताने के लिए बुलाया कि आपका नोटिस नहीं है।

....*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सबसे ज्यादा दलितों और मजदूरों के सक्षम नेता हैं। आप जानते हैं कि दलितों और आदिवासियों की रिजर्वेशन नीति का....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, मेरा भी नोटिस है। प्रवीण राष्ट्रपाल जी का भी नोटिस है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वैकवर्ड क्लासेज और आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो आरक्षण की नीति हमारे देश में चल रही थी.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : वह आरक्षण की नीति 1997 में भारत सरकार के पांच ऑफिशियल मेमोरेंडम की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तब से पूरा सदन, सभी पार्टीज और सभी माननीय सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग एक स्वर होकर, एकमत होकर सदन में बराबर इस बात को बोलते रहे हैं कि भारत सरकार को वे पांच ऑफिशियल मेमोरेंडम वापस लेने चाहिए और हमें खुशी थी कि इसी सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन देकर कांस्टीट्यूशन में दो अमेंडमेंट की लेकिन वे दोनो अमेंडमेंटस डीओपीडी की तरफ से सभी विभागों को अभी तक नहीं भेजे गये हैं। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां के सरकारी कर्मचारी सैकड़ों हजारों की तादाद में हमारे पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि जो अमेंडमेंट हुए हैं, उनके ऊपर कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है।....*(व्यवधान)* जो दो अमेंडमेंट हुए हैं, उनके ऊपर अभी तक इम्पलीमेंटेशन बाकी हैं। इसमें हम सब एकमत थे। इस तरफ के सभी माननीय सदस्य और उस तरफ के सभी माननीय सदस्य इस बारे में एक स्वर होकर इस बात को कहते रहे है कि भारत सरकार को वे पांच ऑफिशियल मेमोरेंडम वापस लेने चाहिए।

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ऑल इंडिया रिजर्वेशन एक्ट जो हैं, सुशील शिंदे जी, राष्ट्रपाल जी, वर्मा जी और हमारे दूसरे साथियों ने जो नोटिस इस संबंध में दिया हुआ है, इस सदन में इसे पेश करके ऑल इंडिया एक्ट फार रिजर्वेशन बनना चाहिए जिसमें एससीएसटी और बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। यही बाकी नहीं है, पूरे देश में राज्य सरकारों में रिजर्वेशन की नीति खत्म हो चुकी है। सभी राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के तथाकथित फैसले के नीचे आदिवासियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने नोटिस दिए हैं मैं उनके नाम पुकार रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, यह तो मुझे पूरे प्वांइटस कहने पड़ेंगे क्योंकि यह मसला बहुत गंभीर है।....*(व्यवधान)* यह भी मांग की जा रही है कि जितनी पब्लिक अंडरटेकिंग्स को सरकार रात–दिन प्राइवेटाइज करती चली जा रही है और जिनमें करोड़ों अरबों रुपया भारत सरकार का लगा हुआ है, उनमें भी आरक्षण नीति होनी चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर में जो भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है, उनमें भी आरक्षण होना चाहिए। 12 दिसम्बर को कंफैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एससीएसटी एम्पलाईज की एक महा रैली हुई थी जिसमें लाखों लोग आये। जिन्होंने जुडिशियरी में रिजर्वेशन के बारे में प्रस्ताव पारित करके मांग की है कि जुडिशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। सरकार ने बाबासाहिब अम्बेडकर फाउन्डेशन बंद कर दिया, वह फाउन्डेशन चालू करना चाहिए। सरकार ने नेशनल सफाई मजदूर कमीशन बंद कर दिया, उसको भी चालू करना चाहिए। इन मुद्दों के ऊपर हमारा एससी एसटी एमपीज फोरम है, इसकी मीटिंग हुई है। इस फोरम में भी प्रस्ताव पारित हुआ है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, अगर आप हमें बोलने के लिए मौका नहीं देंगे, तो हमें सदन के बाहर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि यहां अन्य नोटिस भी हैं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : हमारे फोरम में सबकी राय है कि इस पर अमल होना चाहिए। पांचों मेमोरेंडम वापिस होने चाहिए। जुडिशियरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकारों को भी लिखा जाना चाहिए, ताकि वे रिजर्वेशन बंद न करें।....*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, हम भी इस का समर्थन करना चाहते हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री प्रमोद महाजन : यह उनकी सीट नहीं है। इसलिए वे सीट पर नहीं बैठ रहे हैं।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय हम ए. आई. ए. डी. एम. के. पार्टी की ओर से माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपने आपको उनकी भावनाओं से जोड़ने के लिए आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय ये मामले सभा में भिन्न–भिन्न अनुपात में आए हैं। इन चीजों के बारे में कोई व्यक्ति पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता है।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, श्री थावर चंद गहलोत और अन्य सभी माननीय सदस्यों ने एक ऐसा विषय उठाया है, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि पूरा सदन सहमत होगा। इसलिए जो माननीय सदस्य बोले हैं, वे भी इसके साथ सहमत हैं।.... *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : जो बोले हैं, उनके नाम नहीं लिए जा सकते हैं? ....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : जो माननीय सदस्य बोले हैं, उनमें बूटा सिंह जी, सुशील कुमार शिंदे जी, आठवले जी, जगन्नाथ जी और इधर से भी माननीय सदस्य बोले हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : नाम मत लीजिए, लेकिन काम करिए। मंत्री जी इस मामले में संपूर्ण सदन आपके साथ है.... *(व्यवधान)* यह मुददा अनेक वर्षों से चल रहा है।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, बाहर सब प्राइवटाइजेशन हो रहा है। जीआरएस योजना सरकार की शुरू हो रही है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मैं नाम न लूं, तो बूटा सिंह जी को आपत्ति है और नाम लेता हूं, तो शिन्दे जी को आपत्ति है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसमें क्या करूं। इसलिए मैंने एक नाम लिया था। मैंने कहा कि सदन के केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही नहीं, बाकी जो सदस्य बैठे हैं, वे सभी इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण नीति कागज पर बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उसके कार्यान्वयन में हमेशा कोई–न–कोई त्रुटि रही है और उस त्रुटि की पूर्ति करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : रिजर्वेशन एक्ट लाइए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, बूटा सिंह जी ने शुरू में ठीक कहा, 1997 में जो पांच शासकीय अधिसूचनायें निकलीं थीं, उसके कारण आरक्षण नीति में बाधायें आई। आप सबके सहयोग से, जिसमें आप सभी ने सहयोग किया, संविधान में संशोधन भी किया गया। उसके कारण आरक्षण में जो रोक लगी थी, उसको हटाया गया। पदोन्नति में जो रोक लगी थी, वह भी हट गई और कानूनी कामकाज पूरा हुआ। इससे संबंधित जो अधिसूचना निकलनी थी, वह भी सरकार ने निकाली। यह जरूर शिकायत है और उस शिकायत में स्वाभाविक रूप से वजन होगा।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अधिसूचना राज्य सरकारों को नहीं गई।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने जितना कहा है, उतना तो ठीक है.. ..*(व्यवधान)* अधिसूचना निकाली है, लेकिन इस पर सदस्यों को शिकायत है। इसके बाद केन्द्रीय सरकार के स्तर पर जो कार्यान्वयन होना चाहिए, राज्य सरकारों के स्तर पर, विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर, जो संसद ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार काम करें। इस क्रियान्वयन में कार्मिक विभाग हो या अन्य राज्य सरकारें हों, इसमें किसी न किसी प्रकार की कमी और त्रुटि है। आप सब ने जो बात कही है, उससे मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं।....*(व्यवधान)*

आपने दूसरी बात यह भी ठीक कही है कि जब हम निजीकरण में जाते हैं तो सरकारीकरण में, चूंकि आरक्षण सरकारीकरण में लागू होता है और जैसे ही कोई व्यवसाय सरकारीकरण से निजीकरण में जाता है तो आरक्षण की नीति स्वाभाविक रूप से उस पर लागू नहीं होती है, इससे भी कुछ समस्याएं निर्मित हो रही हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो उद्योग के अवसर थे, वे उद्योग भी अपने आप में थोड़े कम हो रहे हैं। इस पर भी स्वाभाविक रूप से सदन, सरकार और हम सब को ध्यान देना पड़ेगा। आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, सबसे पहले मैं उनसे अपने आपको जोड़ता हूं। मैं समझता हूं कि यहां किसी दल का संबंध नहीं है, हम सब लोग, केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के नहीं, बाकी लोग भी इसमें जोड़ता हूं। सदन ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं प्रधान मंत्री जी को उनसे अवगत कराऊंगा।

सरकार यह पूरा प्रयास करेगी कि केन्द्र सरकार के स्तर पर आरक्षण नीति का ढंग से क्रियान्वयन हो। अगर राज्य सरकारों तक आदेश न गया हो तो वह तुरंत उन तक जाए, इस प्रकार का भी प्रयास किया जाएगा।....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, स्पेशल ड्राइव, एम्लायमेंट के बारे में प्रधान मंत्री जी ने एश्योरेंस दिया था, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपने प्राइवेट एंटरप्राईजिज में रिजर्वेशन देने का आश्वासन दिया है। आपने मेरा बिल प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड नहीं किया, वह डिसकस नहीं हुआ। मैं सरकार को ध न्यवाद इसलिए देता हूं, क्योंकि आप समझ गए हैं, लेकिन आप स्पेशल ड्राइव के बारे में कह दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इस विषय के बारे में भी प्रधान मंत्री जी को कह दूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा और माननीय योजना मंत्री श्री अरूण शौरी, जो कि इस समय यहां उपस्थित हैं का ध्यान एक बहुत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

नक्सलाइट आंदोलन – जो पूरे देश में राजनीतिक, क्रांतिकारी और अतिवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है – का जन्म नक्सलवाड़ी नामक स्थान में हुआ था और यह उत्तरी बंगाल में मेरे चुनाव क्षेत्र से मात्र दस किमी की दूरी पर अवस्थित है। उत्तरी बंगाल का पूरा क्षेत्र तीन मुद्दों से जूझ रहा है। आंतकवादी संगठनों की गतिविधियां भूटान, नेपाल और असम से चलाई जा रही हैं जो

जातीय मांग और राजबोंगशी नाम की अनुसूचित जाति के लोगों की स्थानीय समस्याओं से उत्पन्न स्थिति का दोहन करने के लिए उत्तरी बंगाल में भी घर कर गई हैं।

आप सभी को याद होगा जब श्री बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे दार्जिलिंग की पहाडियों में बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय पृथक पहाड़ी राज्य की मांग की गई थी, यह राजीव गांधी और ज्योति बसु की बुद्धिमत्ता ही थी जिसके कारण इस मुद्दे का समाधान निकाला गया था और वहां शांति बहाल की गई थी। पिछले एक वर्षों में, विशेषकर पिछले छः महीनों में, उस क्षेत्र को पूरी तरह से उपेक्षित रखे जाने के कारण बुनियादी सुविधाओं में उपेक्षा, उद्योग में उपेक्षा, ग्रामीण सड़कों में उपेक्षा, बाढ़ प्रबंधन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की उपेक्षा के कारण उत्तरी बंगाल में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हिमालय के पर्वत पाद अब गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र के शांति प्रिय लोग यह सोचने लगे हैं कि यदि मतपत्र से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उन्हें गोली का सहारा लेना पड़ेगा।

जन प्रतिनिधि के रूप में हम उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं और देश के सबसे ऊंचे योजना निकाय योजना आयोग से यह निवेदन कर रहे हैं कि क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से दो बार मिला। मैंने पत्र लिखे। मैं प्रधान मंत्री से भी दो बार मिला और इस पर एक विस्तृत नोट बनाकर उन्हें दिया। मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री के. सी. पंत को कई पत्र लिखे, और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। यदि इसे राज्य का विषय बताते हुए विचित्र नौकरशाही की तरह इस मुद्दे को किनारे कर दिया गया तो मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा संसद इस क्षेत्र के भाग्य पर चिंतित होगा। यह पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार है। यह गंगटोक का प्रवेश द्वार है। यह सीमांत देश नेपाल और बंगलादेश का प्रवेश द्वार है। वहां स्थिति बड़ी गंभीर है।

इसलिए, महोदय, हम लोग दलगत भावना को भुलाकर माननीय योजना मंत्री से निवेदन करते हैं कि वे कृपया अपने योग्य डेल्थ अधिकारियों को स्थानीय जातीय समूह राजबंशी से राज्य सरकार को शामिल कर बातचीत करने हेतु सलाह दें– मैं उनकी भाषा का क्षेत्रीय बोली के विवाद की बात नहीं कर रहा हूं– और उनकी समस्याओं का समाधान करें।

दूसरी बात, महोदय, योजनागत कार्यक्रम में गंभीर विषमता को भी दूर करने का कार्य एक ही साथ किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया यह समझने की कोशिश करें कि आज 'शून्य काल' में 43 सूचनाओं पर चर्चा करनी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

वहां की स्थिति बहुत खराब है। यदि हम अभी कुछ नहीं करते, तो मुझे आशंका है कि संसद के अगले सत्र में हमें कुछ बुरी खबर सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं स्थिति को भली भांति जानता हूं। हम सभी जानते हैं कि जलपाइगुड़ी में कैसी सी.पी.एम कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई और कुछ अन्य लोगों का अपहरण कर लिया गया। यहां तक कि अस्पतालों से भी रोगियों का अपहरण कर लिया गया।

इसलिए मुझे यह लगता है कि माननीय योजना मंत्री नौंवी योजना में पूरे उत्तरी बंगाल की क्षेत्रीय विषमता के इस मुद्दे का राज्य सरकार के साथ मिलकर शीघ्र समाधान के लिए उपाय करें। मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान मत पत्र (बैलट) द्वारा ही किया जा सकता है, नहीं तो यह गोली की दिशा में भी बढ़ सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की तरफ से इस पर कुछ कहा जाना है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने यहां उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई महीनों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर मुझे इस मुद्दे की जानकारी दी है और इस समस्या के प्रति केन्द्र सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

महोदय, मैं इस पर सिर्फ तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करूंगा। उत्तरी बंगाल में बढ़ रही आतंकवादी हिंसा के संबंध में सरकार– जैसा कि आप जानते हैं, गृहमंत्री ने कई बार इस पर स्पष्टीकरण दिया है। और नेपाल और भूटान सरकार से गंभीर चर्चा करते रहे हैं क्योंकि उल्फा ओर अन्य कई संगठन वहां शरण लेते हैं और वहीं से अपनी गतिविधि का विस्तार करते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें खुफिया सूचना और विदेश मंत्रालय शामिल हैं। लेकिन विषय पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, दूसरी बात, जिस पर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित कराया है वह गंभीर क्षेत्रीय आर्थिक विषमता है। इस बारे में कहना मेरे लिए दुःख की बात है। उन्होंने उत्तरी बंगाल में असैनिक से जहर फैलने एवं अन्य चीजों के बारे में लिखा था। प्रत्येक अवसर

पर, मैंने व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था और यह कहने में मुझे दुःख हो रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने उन पत्रों की पावती भेजने की भी औपचारिकता नहीं निभायी....(*व्यवधान*)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह बिल्कुल अस्वीकार्य है क्योंकि माननीय गृह मंत्री ने ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

....(*व्यवधान*)

श्री रूपचन्द पाल : हम जानते हैं कि सहायता के मामले में इस सरकार ने पश्चिम बंगाल को किस प्रकार वंचित रखा है।.... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

....(*व्यवधान*) *

श्री अरूण शौरी : महोदय, हमने हाल ही में पश्चिम बंगाल के सभी संसद सदस्यों के साथ कलकत्ता में एक बैठक की थी जिसमें माननीय सदस्यों और अन्य ने ध्यान दिलाया था कि ....(*व्यवधान*) जब मैं वहां गया था तो माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने उत्तरी बंगाल की इन्हीं समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। वहां हमारे साथ उस क्षेत्र के सभी अधिकारी सचिवालय के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और उस क्षेत्र के जिलाधीशों ने भी कहा था कि वे इन समस्याओं पर ध्यान देंगे।

लेकिन, महोदय मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद, तत्संबंधी जानकारी के रूप में उन्हें जो हमें सूचना भेजनी थी और जो कदम उन्हें उठाने थे, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन, मैं माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले में आगे तत्काल कार्यवाही करूंगा और हर संभव कदम उठाऊंगा।

....(*व्यवधान*)

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : क्या केन्द्र सरकार मास्टर प्लान के बारे में विचार कर रही है?

श्री अरूण शौरी : मैं उसी पर आ रहा ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप कुछ नहीं सुन रहे हैं। यह क्या है?

....(*व्यवधान*)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उन्होंने एक पैसा भी आबंटित नहीं किया है। ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री जी उत्तर देने को तैयार हैं तो आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। यही समस्या है।

....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा ही है तो मैं नहीं चाहूंगा कि 'शून्य काल' के दौरान कोई भी मंत्री सभा में उपस्थित रहे।

....(*व्यवधान*)

श्री अनिल बसु : वे चुनाव के समय उत्तरी बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य कई बार माननीय मंत्रियों को सदन में बुलाना चाहते हैं वे ही मंत्री जी की बात नहीं सुनना चाहते हैं।

....(*व्यवधान*)

श्री अरूण शौरी : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत प्रत्येक समूह को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बनाए रखने का पूरा अधिकार है....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के कथन के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाना चाहिए।

....(*व्यवधान*) *

श्री अरूण शौरी : उस कार्य के लिए मैं माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं इस पर योजना आयोग के साथ बातचीत करूंगा। मैं उस क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ किया जा सकता है उस पर उनके साथ एक समन्वित योजना पर बातचीत करूंगा....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जनाब स्पीकर साहब,

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन्फार्मेशन एंड ब्रोडकास्टिंग मिनिस्ट्र उर्दू के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। डी.ए.वी.पी. की जानिब से उर्दू अखबारात को दिये जाने वाले सरकारी इश्तहारात में बराबर कमी होती चली जा रही है। 1998–99 में डी.ए.वी.पी. के कुल इश्तहारात में उर्दू का हिस्सा 3.66 परसेंट या फीसदी था। पिछले साल 1999–2000 में यह हिस्सा गठकर 2.94 प्रतिशत या फीसदी रह गया। कुछ विजारतों ने पहले यह वायदा किया था कि उर्दू इश्तहारात के लिए तो वह कोटा भी मुकर्रर करेंगे। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने विजारते शहरी हवाबाजी ने ऐलान किया था कि उर्दू के लिए 10 फीसदी कोटा मुकर्रर होगा। इस पर भी किसी किस्म का अमल नहीं किया गया है। एक तरफ तो यह है कि मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें हैं जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मुख्तलिफ दूसरी रियासती हुकूमतें हैं, वो उर्दू इश्तिहारात का उर्दू अखबरात जराइद और मैगजीन का जो दिया जाता है, उसमें कमी करती चली जा रही है। सर, उर्दू अखराबात का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं एक और बात की तरफ तवज्जह दिलाऊं कि हमारी सरकार के जानिब से दो उर्दू मैगजीन निकलती हैं – एक योजना और दूसरा उर्दू वीकली समाचार। इतलाह यह है कि इन्फोर्मेशन एंड ब्रोडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें भी बंद किया जा रहा है। यह हरगिज न हो। आखिर उर्दू वालों को मुलाजिमत के बारे में, रोजगार के बारे में जो सरकारी कामकाज और योजना के बारे में इत्तिलात मिलती हैं, उससे उन्हें क्यों महरूम किया जाए।

सर, आखिरी बात कहकर मैं इस अहम् मजमून को मुकम्मिल करूं और वह यह है कि दूरदर्शन के 11 चैनल्स....*(व्यवधान)*

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): محترم اسپیکر صاحب، انفارمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ منسٹری اردو کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ ڈی۔اے۔وی۔پی۔ کی جانب سے اردو اخبارات کو دیئے جانے والے سرکاری اشتہارات میں برابر کمی ہوتی جارہی ہے۔ 1998-99 میں ڈی۔اے۔وی۔پی۔ کے کل اشتہارات میں اردو کا حصہ 3.66 فیصد تھا۔ پچھلے سال 1999-2000 میں یہ حصہ گھٹ کر 2.94 فیصد رہ گیا۔ کچھ وزارتوں نے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ اردو اشتہارات کے لیے تو وہ کوٹا بھی مقرر کریں گے۔ لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کیا۔ وزارت شہری ہوابازی نے اعلان کیا تھا کہ اردو کے لیے 10 فیصدی کوٹا مقرر ہوگا۔ اس پر بھی کسی قسم کا عمل نہیں کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ مختلف ریاستی حکومتیں ہیں جیسے اُتر پردیش، گجرات، مہاراشٹر، راجستھان اور مختلف دوسری ریاستی حکومتیں ہیں، ان پر بھی اردو اشتہارات کا اردو اخبارات، جرائد اور میگزین کا جو دیا جاتا ہے، اس میں کمی ہوتی چلی جارہی ہے۔ سر، اردو اخبارات کا مستقبل خطرے میں ہے۔ میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ ہماری سرکار کی جانب سے دو اردو میگزین نکلتی ہیں۔ ایک 'یوجنا' اور دوسرا 'اردو ویکلی سماچار'۔ اطلاع یہ ہے کہ انفارمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ منسٹری کی طرف سے انہیں بند کیا جارہا ہے۔ یہ ہرگز نہ ہو۔ آخر اردو والوں کو ملازمت کے بارے میں، روزگار کے بارے میں جو سرکاری کام کاج اور یوجنا کے بارے میں اطلاع ملتی ہیں، اس سے انہیں کیوں محروم کیا جائے۔

جناب، آخری بات کہہ کر میں اس اہم مضمون کو مکمل کروں اور وہ یہ ہے کہ دوردرشن کے 11 چینل...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी कुछ अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। कभी–कभी कुछ वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ संसद सदस्यों को बोलने नहीं देते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 53 सूचनाएं हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे सबको समय दे पाऊंगा।

....(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि अन्य मामले महत्वपूर्ण नहीं हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं केवल श्री जी. एम. बनातवाला के साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला : दूरदर्शन के 11 चैनल्स मुख्तलिफ लैंग्वेज के हैं, लेकिन उर्दू का एक भी चैनल नहीं है और जब यह सवाल किया जाता है तो हमें कहा जाता है कि उनके पास सरमाया नहीं है, उनके पास फंड नहीं है। लिहाजा यह जरूरी है कि उर्दू का भी एक चैनल जारी किया जाए।....*(व्यवधान)*

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): دوردرشن کے 11 چینلس مختلف لینگویج کے ہیں، لیکن اردو کا ایک بھی چینل نہیں ہے اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس فنڈ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اردو کا بھی ایک چینل شروع کیا جائے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने मामले उठाने हेतु सूचनाएं दी हैं। यह वाद–विवाद नहीं है। यह 'शून्य काल है।

....(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : मेरी नोटिस में यह है *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक हैं लेकिन इस मामले को उठाने के लिए आप कितना समय लेना चाहते हैं। यह 'शून्य काल' है।

....(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : लेकिन कृपया अन्य सदस्यों द्वारा लिए गए समय को भी देखिए*....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जब हम यहां उर्दू का इंसाफ मांगने के लिए खड़े हुए हैं तो वक्त तक नहीं मिल रहा है। यह तो बहुत ज्यादा जुल्म होगा। लेकिन मैं जोर से कहना चाहूंगा कि उर्दू के साथ इन्फॉर्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री पूरे–पूरे तौर पर इंसाफ करे।*....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

اب یہاں اردو انصاف مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو وقت تک نہیں مل رہا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ظلم ہوگا۔ لیکن میں زور سے کہنا چاہوں گا کہ اردو کے ساتھ انفارمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ منسٹری پورے پورے طور پر انساف کرے۔۔۔(مداخلت)

अध्यक्ष महोदय : आप इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप यहां की प्रक्रिया से भली–भांति परिचित हैं।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मुझे भी सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर कार्य करने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि डा. मुरली मनोहर जोशी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने को तैयार हैं। मैंने एक प्रतिबद्धता की थी। विज्ञापन के मामले में उर्दू पत्रकारिता में गिरावट की प्रवृति बहुत बुरी बात है। इसे रोकने के लिए आपको कुछ करना चाहिए।*....(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैं श्री बनातवाला द्वारा व्यक्त की गई भावना से सहमत हूं।*....(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं भी इस मुद्दे से सहमत हूं।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और श्री रूपचंद पाल इस मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

....(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मलयालम भाषा भी उपेक्षित है। *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उर्दू के संबंध में है, मलयालम के संबंध में नहीं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों ने उर्दू के संबंध में अपनी चिंताएं प्रकट की हैं। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : संविधान के तहत सभी भाषाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आज आपको क्या हो गया है? कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : उर्दू भाषा के तौर पर उसके विकास और उसकी प्रगति की जिम्मेदारी हमारे शिक्षा विभाग के पास है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बराबर हर साल उर्दू शिक्षा के लिए और उर्दू की प्रगति के लिए जो काउंसिल है, उसके बजट में निरंतर वृद्धि की है और आज चार–पांच गुना वृद्धि हम पिछले दो सालों में कर चुके हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने उर्दू में खताती के लिए कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग सेन्टर्स चलाए हैं जिनकी संख्या देश में 54 है। इसके जरिये उर्दू में काम करने वाले लड़के–लड़कियों के लिए काफी मात्रा में रोज़गार के साधन सुलभ हुए हैं। 6000 से अधिक लड़के और लड़कियों ने इन कंप्यूटर्स से पिछले साल तक शिक्षा ग्रहण की थी और इस साल हम 25 की संख्या बढ़ाएंगे और धीरे–धीरे 100 सेन्टर्स कर करने जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि उर्दू में कंप्यूटर खताती और डिज़ाइनिंग के

प्रोग्राम की वजह से बहुत से बच्चे जिनकी भाषा उर्दू नहीं थी, उन्होंने उर्दू सीखी। अभी जब उनका हमने दीक्षांत किया था, सर्टिफिकेट लेने के लिए वे आए थे तो हमने देखा और अच्छा लगा कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे थे जिनकी भाषा उर्दू नहीं थी, उर्दू उन्होंने पढ़ी नहीं थी, लेकिन उस कंप्यूटर से चूंकि रोजगार के साधन सुलभ होते हैं, उन्होंने वह भाषा सीखी। इसके अलावा हमने मदरसों में कंप्यूटर्स और साइन्स टीचर्स के लिए स्कीम में पैसा भी बढ़ाया है। 850 से अधिक मदरसों में साइन्स टीचर्स और कंप्यूटर्स दिये हैं और जो भी मदरसा इस मामले में आगे आता है, हम उसकी मदद करते हैं साइन्स टीचर्स और कंप्यूटर्स देने के लिए।

जहां तक ऐडवर्टाइज़मेंट का सवाल है, मैं आपकी चिन्ता को डी.ए.वी.पी. के मंत्री के सामने रखूंगा।....*(व्यवधान)*

श्री जी.एम.बनातवाला : मैगज़ीन बंद कर दी है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जी हां, मुझे मालूम है। उन दोनों बातों के बारे में मैं उनको बताऊंगा लेकिन बार-बार यह कहने की कोशिश की जाती है कि जैसे इस सरकार ने उर्दू के लिए कुछ किया नहीं। मैं बहुत विनम्रता से सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि पिछले 20-25 सालों में उर्दू के लिए जो हुआ और पिछले ढाई सालों में जो हुआ, उसकी तुलना आप करेंगे तो पता लगेगा कि हमने उर्दू भाषा की प्रगति के लिए कितना काम किया हैं। हमने यह भी कहा है कि उर्दू का साहित्य जो बहुत अच्छे लेखकों, कवियों और अदीबों का है, उसको देवनागरी में छापा जाए। वह स्कीम भी हम लागू कर रहे हैं जिससे उसका बाज़ार बने और लोगों को पता चले कि उर्दू में कितना अच्छा साहित्य है और लोग उसको पढ़ें।

हमने यह भी कहा है कि उर्दू में इनफॉरमेशन टैक्नोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का इंतज़ाम किया जाए और हमारी सरकार की तरफ से इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत सी-डैक पुणे से हमने कहा है और भारत की सभी भाषाओं में इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर बनाने का काम वे कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहीं पर मैं किसी के यह कहने की कोई जरूरत नहीं समझता कि सरकार ने उर्दू के साथ भेदभाव किया है। सरकार उर्दू को भारत की एक भाषा मानती है और उसी हिसाब से उसकी तरक्की के लिए काम कर रही है।

श्री जी.एम.बनातवाला : मिस्टर स्पीकर सर, मिनिस्टर साहब से जितनी बातें मैंने पूछी उनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : मैं एक ऐसे मामले को उठाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे राष्ट्र से संबंधित है।...*(व्यवधान)* सभा को याद होगा है कि भोपाल गैस त्रासदी को हुए सोलह से अधिक वर्ष हो चुके हैं। विश्व की इस भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना में पांच हजार से अधिक लोग मारे गए थे और पचास हजार से अधिक लोग स्थाई रूप से विकलांग हो गए या घायल हो गए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल ने यूनियन कार्बाइड़ के अध्यक्ष वारेन एंडरसन को अपराधी और भगोड़ा घोषित किया था। उसका प्रत्यर्पण इसलिए नहीं हो सका क्योंकि भारत सरकार ने अमरीका के साथ 1997 नई प्रत्यर्पण संधि की थी। हमने समिति में इस मामले की जांच की है। सभापति भी अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। हमने इस मामले की जांच की थी। पिछली सरकार की तरह ही इस सरकार की ओर से भी भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया के प्रति अनिच्छा दिखाई गई है। यह इस बात को दिखाने का एक शानदार उदाहरण है कि यह सरकार और इससे पूर्व की सरकार किस तरह से महाशक्ति (सुपर पावर) के साथ समझौता करने की कोशिश करती रही है, उनका कहना है कि अन्तोगत्वा हमें अमरीकी अटोर्नी जनरल से राय लेनी पड़ेगी और एटोर्नी जनरल ने कहा है कि उन्हें इस बारे में पूरे प्लाट के सुरक्षा प्रबन्धन संबंधी रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, पिछले 16 सालों से भी अधिक समय से यह चला आ रहा है।

लेकिन कुछ गैर-सरकारी संगठन, जो कि राष्ट्र भक्त हैं, और जिन्हें पीड़ितों की दशा की चिंता है अमरीकी न्यायालय में गए हैं। श्री शर्मा, जो कि एटोर्नी ऑफ लॉ हैं, ने भारत सरकार से इस मामले का संक्षिप्त ब्यौरा, जिसमें भारत सरकार की इस आशय की राय का वक्तव्य भी शामिल है, कि वह इस मामले का समर्थन करती है और इसका अनुमोदन करती है, न्यायालय के सहयोगी को उपलब्ध करवाए। इस मामले में पहले ही देर हो चुकी है और कई वर्ष बीत गए हैं, यह भारत सरकार की ओर से अक्षम्य विलम्ब, ढीला-ढाला रवैया और टाल-मटोल हैं। लेकिन अन्त में यह मौका आ ही गया, बल्कि यह भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय देने का अंतिम मौका है, इन कागजातों को उपलब्ध करवाने की निर्धारित तिथि 20 दिसम्बर है, आज 19 दिसम्बर है और कल आखिरी तारीख है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज 'शून्य काल' अपराह्न 1.30 बजे होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : महोदय, मैने एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अल्वी, आपका नोटिस उचित नहीं हैं। आप उचित नोटिस दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : यह बहुत गभीर विषय है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री रूपचन्द पाल : सरकार को जबाब देने दीजिए.*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार के पास कोई जबाब है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कानूनगो को बुलाया है, आप अन्य सदस्यों को भी बाधित कर रहे हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठे जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : महोदय, आप जानते है कि पुरी पर्यटकों और तीर्थों का स्थान है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, सदस्यों ने एक मुद्दा उठाया है। इसके बारे में मैं संबंधित मंत्री जी को बताऊंगा।

श्री राशिद अलवी : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की जाए। मैं नोटिस दे चुका हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस उचित रूप में नहीं आया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। अन्य सदस्यों ने उचित नोटिस दिये हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, वह पार्टी सरकार की सहयोगी पार्टियों में से एक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे सदस्यों को नहीं बोलने दे रहे हैं। आपको उचित रूप में नोटिस देना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत तो हूं किन्तु आपको उचित नोटिस देना होगा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : पुरी में देश के विभिन्न भागों से प्रतिदिन हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। अब पुरी शहर में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। तीन लाख से अधिक की जनसंख्या वाला पुरी शहर पेयजल के संकट का सामना कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पुरी समुद्र के किनारे बसा हुआ है और परिणामस्वरूप मीठा पेयजल वहां पर उपलब्ध नहीं है। फिर भी पुरी के बाहरी भाग में बलिया पांडा एक स्थान है जहां पर मीठे जल के पर्याप्त भंडार हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बार–बार ऐसा मत करिये। हम सबको बुलायेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास नोटिस हैं और उसी के अनुसार हम बुला रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो : अब वह क्षेत्र भी कंकरीट से भर जायेगा क्योंकि भारत पेट्रोलियम वहां पर एक विशाल गोदाम बनाने जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महीनों में पुरी के लोगों तथा पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को पेयजल उपलब्ध नहीं

होगा। एक पर्यावरणविद् ने एक पत्र लिखा है। वह भूतपूर्व संसद सदस्य और भूतपूर्व मंत्री भी है। श्री बांके बिहारी दास जी ने माननीय पेट्रोल मंत्री जी को इस निर्माण कार्य को रोकने का आग्रह किया है। आपके माध्यम से, मैं सरकार से इसे ध्यान में रखने का आग्रह करता हूं और पेट्रोलियम मंत्रालय से वहां गोदाम के निर्माण को बंद करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी यहां आये हुए हैं।...*(व्यवधान)* जब हमने मामला उठाया था तब मंत्री जी नहीं थे।...*(व्यवधान)* अब मंत्री जी बैठे हुए हैं। अगर वह जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में न कहकर चैम्बर में जाकर बात करिये।

...(व्यवधान)

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी यह प्रार्थना कर चुका हूं कि हमारी डोगरी भाषा को लगभग एक करोड़ लोग बोलते हैं और समझते हैं। इसके अलावा डोगरी भाषा को साहित्यिक अकादमी ने मान्यता दी है और उन्होंने कई अवॉर्ड भी जीते हैं। आज जम्मू–कश्मीर गवर्नमैंट की सारी यूनीवर्सिटीज में डोगरी भाषा पढ़ाई जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि ऐट्थ शैडयूल में डोगरी भाषा को इन्कलूड करके इसको प्रोत्साहन देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको इसके बाद बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम एक–एक को बुला रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहूंगा और वह मुद्दा एनरॉन विद्युत परियोजना से संबंधित है। इस बारे में देशभर में बातचीत हो रही है। महोदय, भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया अपनायी। अब हम इस देश में निजीकरण और उदारीकरण से होने वाले परिणामों को महसूस कर रहे हैं। महोदय, मैं समझौते की विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन वर्ष 1983 में किये गये एक समझौते के विरुद्ध न्यायालय के अन्दर और बाहर दोनों स्थानों पर आंदोलन किया गया। उस समय हमारे साथ न्यायालय में लड़ने वाले सभी लोग लड़ाई हार गये। लेकिन हमने सड़क की लड़ाई जीत ली और उसके बाद सरकार गिर गयी। 1995 में एक नयी सरकार बनी। महाराष्ट्र के लोग यह आशा कर रहे थे कि नयी सरकार पिछली सरकार के कार्यों को बदल देगी। लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए यह सरकार एक कदम और आगे गयी और इसने न केवल पिछली सरकार की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया बल्कि इस समझौते से जुड़ी एक सबसे कड़ी शर्त को भी मान लिया।

एनरॉन द्वारा स्थापित दाभोल विद्युत कंपनी अब प्रति इकाई लगभग 9 रुपये वसूल रही है और इसी कारण राज्य सरकार के सामने अभाव की समस्या है। राज्य विद्युत बोर्ड पहले भी दिवालियापन के कगार पर है और राज्य सरकार भी दिवालियापन के कगार पर है।

दूसरा चरण जनवरी या फरवरी अथवा मार्च महीने में आरम्भ होगा। उस समय राज्य सरकार और राज्य विद्युत बोर्ड भी दिवालिया हो जाएंगे और उस समय प्रति गारंटी भी आरंभ हो जाएगी। मैं प्रति गारंटी आरंभ होने के बाद होने वाली स्थिति के बारे में यहां अटकलें नहीं लगाऊंगा। राज्य सरकार को एनरॉन कंपनी से विद्युत खरीदने के लिए लगभग 10,000 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा।

यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समझौता किस प्रकार हुआ। एनरॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन की ग्लोबल फाइनेंस कंपनी के उस समय के उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रमाण को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा.....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इन दस्तावेजों को प्रमाणित कर रहे हैं?

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : जी हां, महोदय। मैं इन दस्तावेजों को प्रमाणित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो, आप इसे सभा पटल पर रख सकते है। *

* चूंकि बाद में अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक–अनुमति प्रदान नहीं की दस्तावेज को सभापटल पर रखा गया नहीं माना गया।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : जिस प्रकार यह समझौता हुआ वह बहुत रोचक है। मैं आपके समक्ष अमेरिकी गृह मामलों की उप–समिति में की हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के समक्ष उन्होंने जो कहा था उसे पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं क्योंकि इन सभी चीजों को पढ़ना आवश्यक नहीं हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं सभा के हित के लिए केवल एक वाक्य पढ़ूंगा। उन्होंने कहा "इस विकास प्रक्रिया में हमारा कंपनी ने शिक्षा के लिए 20 मिलियन रुपये की भारी राशि खर्च की है।"

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : इसे किसी भी परियोजना में शामिल नहीं किया है। अब इसके विरुद्ध कार्यवाई करने का समय आ गया है। कतिपय फर्जी तरीकों से इस समझौते को किया गया और इस समझौते के कार्यान्वयन से राज्य सरकार ही नहीं अपितु केन्द्र सरकार भी संकट में पड़ गयी क्योंकि इस परियोजना के लिए प्रति गारन्टी केन्द्र सरकार ने ही दी थी।

अब, राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इस पूरी विद्युत परियोजना को खरीदने का अनुरोध कर रही है जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि केन्द्र सरकार इसे नहीं मान रही है। यह कार्य 1996 की सरकार ने 13 दिन में ही किया। क्या मैं सरकार से इस दस्तावेज को अपने अधीन लेने का अनुरोध कर सकता हूं? क्या वह परियोजना के संबंध में इस दस्तावेज पर पुनर्विचार करेगी? क्या वह उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जो राज्य और देश को ही बेचने में लगे हैं ?

[हिन्दी]

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट) : मेरे संसदीय क्षेत्र के गांव माइकन, जिला रायगढ़ा, उड़ीसा में 16 दिसम्बर को एक दुखद घटना घटी है जिसमें पुलिस फायरिंग से तीन स्थानीय आदिवासियों की मृत्यु हो गई और 41 लोग घायल हुए हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करती हूं कि किस कारण 19 राउंड फायरिंग किया गया जिससे 41 लोग घायल हुए और तीन लोगों की मृत्यु हुई।...*(व्यवधान)* उस क्षेत्र में प्रस्तावित ऐल्यूमिनियम प्लांट है जो निर्धारित क्षेत्र में है। क्या इस निर्धारित क्षेत्र में उद्योग नीति लागू की गई है? क्या सरकार द्वारा इस घटना की जांच कराई गई है ? उपचार हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं? नैल्को भारत सरकार के अधीन एक एल्यूमीनियम प्लांट है और प्रस्तावित हिण्डलक इंडाल्को और एल. एंड टी. से 20 किलोमीटर दूरी पर है। नाल्को विस्तार योजना प्रगति पर है। इसलिए इस क्षेत्र के प्रभावित स्थानीय आदिवासियों की मनोभावना को ध्यान में रखना आवश्यक है। मैं भारत सरकार से मांग करती हूं कि जो 41 लोग घायल हुए हैं, उनको एक–एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और मृतकों के परिवार वालों को पांच लाख रुपए मुआवजा तथा परिवार के सदस्य को नौकरी पर लिया जाए।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : अध्यक्ष जी, मैं शून्य काल में बड़ा गम्भीर मुद्दा उठा रहा हूं। इस सवाल पर भारत सरकार ने 25.1.2000 और अगस्त, 2000 में पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दिए थे। गंगा का कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि गंगा के कछार पर सैंकड़ों गांव जो बसे हुए हैं उनकी मिट्टी वगैरह गंगा में जा रही थी, लेकिन अब वे गांव ही गंगा की गोद में समा रहे हैं। जो सुरक्षित तटबंध बने थे, वे भी खत्म हो गए हैं। इस कारण स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। भारत सरकार ने इसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और उसमें से 39.5 करोड़ रुपए बिहार राज्य के लिए स्वीकार किए गए हैं। वह रुपया किसी कारण से बिहार राज्य को नहीं दिया गया। गंगा पर कटाव नियंत्रण का काम बाढ़ के बाद शुरू होता है। सरकार दो–दो एफिडेविट दाखिल कर चुकी है। इसलिए मैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर बयान दें कि कब तक स्वीकृत राशि बिहार सरकार को दे दी जाएगी, जिससे जो गांव डूब रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो सके।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : मैं भी अपने को इस विषय के साथ एसोसिएट करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेनु कुमारी, यदि आपका विषय भी यही हो तो आप श्री राम प्रसाद सिंह के साथ ही स्वयं को सम्बद्ध कर सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात उठा रही हूं, उनका अपना अलग मामला है। बिहार प्रदेश के जिला भागलपुर में गंगा के कटाव से भयंकर तबाही मची हुई है। भागलपुर जिला के उत्तरी क्षेत्र गंगा नदी के उत्तर पार नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में इसमाइलपुर प्रखंड के इतमादतपुर, कमला कुंड, फुलकिया एवम् गोपालपुर प्रखंड के बाबुटोला कमला कुंड, बुधुचक, विन्द टोला, अरारी नितटंगा, शैदपुर ग्राम तथा कटिहार जिला के बरारी प्रखंड में काढ़ा गोला, जरलाही, जौनियां तथा मनीहारी प्रखंड के कई गांव एवम् हजारों एकड़ कृषि भूमि गंगा के उत्तरी किनारे में भयंकर कटाव से तबाही मची हुई है।

कोसी नदी से खगड़िया जिले में भयंकर कटाव हुआ है। कुछ गांव पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और कुछ गांव बचे हुए हैं। मैंने पिछले सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था और आज फिर उठा रही हूं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। बिहार सरकार बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए वहां एक केन्द्रीय जांच दल को भेजा जाए, जो कटाव से हुई क्षति का आकलन करे। मुझे मालूम हुआ है कि केन्द्र सरकार ने कटाव रोधी कार्य के लिए 17 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। केन्द्र सरकार बिहार सरकार को भी लिखे कि इस ओर क्यों नहीं काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप आपने माध्यम से सीमा सड़क संगठन के माध्यम से कटाव–रोधी कार्य करने का काम करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार राज्य में नए नेशनल हाईवे बनें, इसके लिए बराबर प्रयास कर रही है, किंतु मुझे भारत सरकार से थोड़ी शिकायत है कि वह इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो नेशनल हाईवे राज्य में बने हुए हैं, उनकी हालत जीर्णशीर्ण है। अतः केन्द्र सरकार उनकी मरम्मत के लिए यहां धन दे।

अध्यक्ष महोदय : ज़ीरो ऑवर में दो–दो मिनट लेना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय के स्वास्थ मंत्री श्री राज नारायण जी ने 1000 की आबादी पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक रखने का फैसला किया था और ये जो जन स्वास्थ्य रक्षक रखे गये थे, वे एक हजार की आबादी पर रखे गये थे। 23 साल पहले पचास रुपये के मानदेय पर उन्हें रखा गया था लेकिन आज 23 साल बाद भी उनको पचास रुपया मानदेय दिया जा रहा है। 1997 में सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी और इस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई और सरकार ने इन स्वास्थ्य रक्षकों को यह कहा था कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, उसे आप विदड्रॉ कर लीजिए, सरकार आपके साथ इंसाफ करेगी। सरकार की बात मानकर जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन ने वह मुकदमा भी वापस ले लिया लेकिन अब सरकार यह कहती है कि मामला कानून मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है। यह इन लोगों के साथ मजाक है क्योंकि आज की परिस्थिति में पचास रुपया प्रतिमाह का मानदेय किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है और 23 साल बाद भी इस पचास रुपया मानदेय के संबंध में सरकार अविलम्ब निर्णय करके उन लोगों को विश्वास में ले ताकि उन लोगों को न्याय मिले। 14 तारीख को जंतर मंतर पर इन जन स्वास्थ्य रक्षकों ने प्रदर्शन किया था और निर्माण भवन में ये जन स्वास्थ्य रक्षक बड़ी संख्या में अभी तक वहां पड़े हुए हैं। भारत सरकार इसको गंभीरता से ले और इनका मानदेय तत्काल बढ़ाया जाये।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बड़े गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे देश में आईएसआई की गतिविधियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले दिनों मेरे यहां भी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले को वहां दिल्ली पुलिस ने जाकर पकड़ा और वह आईएसआई का एजेंट निकला। अब आईएसआई एजेंटों के पैर दिल्ली के दरवाजे तक खटखटाने लगे हैं क्योंकि अभी कल का मामला है कि नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय में वंदे मातरम् नहीं होने दिया गया और अगले दिन भी नहीं होने दिया गया। वहां की पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की और वहां तनाव की स्थिति है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आईएसआई एजेंट्स को खोज–खोजकर बंद किया जाये और पाकिस्तान भेजा जाये। जो लोग आईएसआई के एजेंट पाये जाते हैं, उन्हें तथा उनके मेम्बर्स को एनएसए मे बंद किया जाये। दिल्ली में ही नगर निगम के एक स्कूल में वंदे मातरम् को लगातार दो दिन तक न होने देना सही मायनों में इस देश में बड़े शर्म की बात है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह कठोर से कठोर कदम इस दिशा में उठाये।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि रबी की फसल सारे देश में बोई जा चुकी है। देश का किसान चिंतित है कि कब भाव मिलेगा, कितना मिलेगा? सारे देशों के किसानों में निराशा है और शुरु से ही पचास साल से उनकी एक मांग रही है कि जो भी फसल आए, जो भाव सरकार दे, काश्त होने से पहले बता दे ताकि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक फसल काश्त कर सके। इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। यह कोई बजट का मामला भी नहीं है, यह पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी तैयार की जाये ताकि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक फसल बो सकें और फायदा ले सकें तथा भंडारण की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। धान के बारे में सभी प्रांतों के सदस्यों ने अपनी समस्याएं रखी। हरियाणा कि स्थिति भी ऐसी है कि वहां धान का बुरा हाल रहा है। पंजाब को पैकेज दे दिया गया। पंजाब में बिजली और पानी फ्री है। वहां एडवांस में प्रोक्योरमेंट शुरु हो गई लेकिन हरियाणा में लेट शुरु हुई। यहां के किसान का बुरा हाल है। हरियाणा के किसान को सरकार के आश्वासन के बावजूद भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसलिए हरियाणा के किसानों को भी मुआवजा दिया जाए।

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल

एक मिनट का समय लूंगा। मैं सम्मानित सदन का ध्यान एक ऐसे नवीनतम् दृष्टान्त की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो यह बताता है कि कैसे पंजाब के किसानों से धोखाधड़ी की गई। केन्द्र सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए 350 करोड़ रु. के एक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आज तक, पंजाब सरकार को एक पैसा भी नहीं मिला है। किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते समय यह कहा गया कि पंजाब के किसानों को राहत मिली है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि पंजाब के किसानों के साथ कैसा भद्दा मज़ाक किया गया है। कल ही यह बताया गया कि पंजाब सरकार के वित्त विभाग को किसानों में बांटने के लिए एक पैसा भी नहीं मिला है।

महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा की धान की खरीद की विनिर्दिष्टियों में छूट देने के प्रति, केन्द्र सरकार द्वारा 250 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन आज तक राज्य सरकार के पास एक पैसा भी नहीं पहुंचा। अब, आप उन किसानों की व्यथा समझ सकते हैं जो औने–पौने दामों में अपना माल बेच रहे हैं। 350 करोड़ रु. का पैकेज, जिसे बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया था, पंजाब के किसानों तक आज भी नहीं पहुंचा है। अतः, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर अपना उत्तर दे और बताए कि क्या यह धनराशि पंजाब सरकार तक पहुंचेगी भी या नहीं।...*(व्यवधान)* महोदय, यह 350 करोड़ रु. जैसी बड़ी धनराशि से संबधित मामला है। इसलिए, सरकार की तरफ से किसी को इस बारे में जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल संबंधित मंत्री से ही पूछ सकते हैं, लेकिन वह अभी मौजूद नहीं हैं।

श्री जे. एस. बराड़ : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री यहां उपस्थित है। वह ही इसका उत्तरदे दें।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि पंजाब के किसानों को सहायता नहीं मिली है. इसके बारे में मैं संबंधित मंत्री को अवगत कराऊंगा और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : महोदय, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला सूखे की चपेट में है। राजस्थान के कोटा बैराज की चम्बल दाहिनी से पानी, मध्य प्रदेश में आता था, उस नहर में अब पानी नहीं है। इस नहर से पहले 3900 क्यूसैक पानी आता था, जो घट कर 1500 क्यूसैक पानी रह गया है। पूरा जिला सूखे की चपेट में होने के कारण सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है और न ही राहत कार्य शुरू किए गए हैं। इसी के कारण वहां डाकू समस्या पनप रही है और गरीब लोगों का अपहरण हो रहा है। राज्य सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो गई है। रात में लोग लूट लिए जाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार को स्पेशल निर्देश दिए जायें कि वे सूखे की स्थिति पर विशेष ध्यान दे। पहले 1972 में चम्बल घाटी से 400 लोगों ने सरन्डर किया था, लेकिन अब डाकुओं की संख्या बढ़ गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल सदन में उठाना चाहता हूं। मैंने पहले भी प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और विदेश मंत्री जी का ध्यान डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इन्टरनेशनल द्वारा भारत के गलत मानचित्र के प्रकाशन की ओर दिलाया था। मुझे यह बताने में बड़ा दुःख हो रहा है कि सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इन्टरनेशनल ने भी उस त्रुटि को स्वीकार किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जब डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इन्टरनेशनल ने इस गलती को स्वीकार किया है, तो उन्हें लिखित रूप से खेद व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने भारत का गलत नक्शा प्रकाशित किया है और उसके स्थान पर ठीक नक्शा प्रकाशित करना चाहिए। इसी कारण डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इन्टरनेशनल के भारत के महानिदेशक को पद से हटाया गया और उनके स्थान पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, वह देश का रहने वाला नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, सदन में माननीय जोशी जी उपस्थित हैं, कि सरकार इस बात को गम्भीरता से लेकर उनसे खेद व्यक्त करवाये। इसके साथ ही डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इन्टरनेशनल का यहां जो पुनर्गठन है, संगठन है, उसमें हस्तक्षेप करे। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, आप इस मामले के विषय में रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदान–मांगों पर चर्चा के दौरान बात कर सकते है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हो सकता है कि उस समय मेरी पार्टी मुझे बोलने की अनुमति न दे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं आधे मिनट से भी कम समय लूंगा। बिहार के बंटवारे के बाद केन्द्र सरकार ने कहा था कि एक फाइनेंशियल पैकेज जाएगा। उसी के तहत मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि गंगा के ऊपर पटना और सोनपुर, यानी उत्तर–बिहार और मध्य–बिहार को जोड़ने के लिए गंगा पर पुल बनाने का प्रस्ताव पिछले 40 वर्षों से है। पूर्व प्रधान मंत्री, देवेगोड़ा जी उसका शिलान्यास भी करके आए।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि गंगा के ऊपर पटना, सोनपुर, छपरा और उत्तर–बिहार के बीच में रेल पुल का निर्माण किया जाए।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र फूलपुर और हडिया तहसील के अंतर्गत गांव ढोकरी, लालापुर, बुजुर्गपुर, संग्रामपट्टी, मलखानपुर आदि गंगा के किनारे बसे हुए हैं। वहां किसान सिंचाई के लिए जब बोरिंग करता है तो वहां 70–80 फीट पाइप जाने के बाद पाइप से गैस निकलने लगती है, जो 36–36 घंटे जलती रहती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्री का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि गंगा के किनारे स्थित इन गांवों के आस–पास व्यापक सर्वे कराया जाए। वहां गैस और कोयले का भंडार मिलने की संभावना है। यदि वहां गैस का भंडार नहीं है तो किसानों की पाइप से गैस क्यों निकल रही है, इसका पता लगाया जाए, जिससे कि किसान की बोरिंग सफल हो वह अपने खेतों की सिंचाई कर सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, संबंधित विषय को 14.12.2002 को उठाया गया था।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, यह रबर–उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में है।

मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक रबर के आयात पर से प्रतिबंन्ध उठाने के लिए गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। एस. टी. सी. के बारे में यह झूठा प्रकार किया जा रहा है कि वह, देश के रबर–उद्योगों के पर्याप्त मात्रा में रबर उपलब्ध करने की स्थिति में नहीं है। 'केपिक्सिल' जैसी एजेंसी सभी ग्रेड की, सभी किस्मों की प्राकृतिक रबर का आयात करने की अनुमति चाहती है।

मैं भारत सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्राकृतिक रबर के आयात पर से प्रतिबंध को किसी भी स्थिति में नहीं उठाया जाना चाहिए। सम्माननीय सभा को यह ज्ञात होगा कि लगभग दस लाख रबर–उत्पादक और उनके परिवार, रबर की अस्थिर तथा कम कीमतों की वजह से संत्रस्त हैं और, केन्द्र सरकार पर प्राकृतिक रबर के आयात पर से प्रतिबंध उठा लेने के लिए काफी दवाब पड रहा है। यह बिलकुल भी न्यायसंगत नहीं है। अतएव, मैं पुनः भारत सरकार के माननीय वाणिज्य मंत्री से देश के रबर–उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, शताब्दियों से भारत को दूध और शहद की धरती माना जाता रहा है, क्योंकि भारत में विश्वभर के सर्वाधिक दुग्ध–उपभोगकर्त्ता हैं। लेकिन अब स्थिति यह है भारत में दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति 240 ग्राम के पोषण मापदण्ड से भी कम है।

महोदय, सरकार वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में–जिन्होंने 'श्वेत क्रांति' का लक्ष्य रखा था–हमने नई ऊंचाइयां तय कीं। लेकिन, मैं सरकार से लाखों दुग्ध–उत्पादकों की जीविका सुनिश्चित करने का आग्रह करना चाहूंगा। हमें डेयरी–क्षेत्र को भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कमीशन के विरूपणों, जैसे सफाई संबधी उपायों की बन्धनकारी बाध्यताओं तथा संहिताबद्ध आहार–संबंधी मार्गनिदेशों इत्यादि, से भी बचाना पड़ेगा।

हमारे देश में दुग्ध की आवश्यकता है और हमने 'अमूल' का एक उदाहरण भी देखा है। यदि सामर्थ्यपूर्ण प्रयासों सहित 'अमूल' की प्रतिकृति ही तैयार की जाए, तो भारत स्वयं को दुग्ध–क्षेत्र में एक बड़ा स्थान बना सकता है। अतएव, मैं सरकार से भारत के दुग्ध–उत्पादनकर्ताओं के हितों का ध्यान रखने तथा उनका संरक्षण करने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के अधीन न्यूनतम् बाजार–अभिगम्यता के प्रावधानों के अनुसार, भारत को आयात की अनुमति देनी ही पड़ेगी।

विश्व व्यापार संगठन के अधीन न्यूनतम् बाजार–अभिगम्यता के प्रावधानों के अनुसार भारत, अपनी कुल दुग्ध–खपत की तीन प्रतिशत मात्रा के बराबर दुग्ध–उत्पादों के आयात की अनुमति देने पर बाध्य है। लेकिन, अब यह मात्रा 1.1 प्रतिशत के आसपास टिकी हुई है अतएव, मैं सरकार से एस.एम. पी. की शून्य–शुल्क बंधित पर पुनर्विचार करनें का अनुरोध करूंगा और यह भी, कि अन्य दुग्ध–उत्पादों की बंधित दरों को, प्रतिपूर्ति के बतौर, घटा दिया जाए।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। यहां अनेक ऐतिहासिक महापुरुषों के खंडहर,

किले और पुराने स्मारक विद्यमान हैं। यहां राय पिथौरा नाम का स्थान है जहां पृथ्वीराज सम्राट का पुराना किला है। देश की एकता अखंडता और देश की नई पीढ़ी को शौर्य और वीरता का परिचय देने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा राय पिथौरा किले के पास स्थापित की जाए। देश के करोड़ो लोगों, सामाजिक संगठनों और कई जन प्रतिनिधियों ने इस संबंध में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को ज्ञापन दिए। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री यहां बैठे हैं। यह मामला बहुत समय से चल रहा है। कई बार सरकार ने मान लिया कि हम पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। इसके बारे में मंत्री जी कुछ शब्द एक मिनट के लिए कहने का कष्ट करें।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया, उसके बारे में एक प्रपोजल है। किला राय पिथौरा को हम रिडेवलप कर रहे हैं। वहां पृथ्वीराज चौहान का स्टैच्यू लगाया जाएगा। इन्होंने मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई है कि उस एरिया में डी.डी.ए. ने गोल्फ कोर्स बना दिया है। मैं इसे देखूंगा जिससे उस एरिया को ठीक–ठाक कर दिया जाए। किला राय पिथौरा बड़ी ऐन्शन्ट जगह है। फर्स्ट दिल्ली जिसे कहते हैं, लाल कोट वह है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसे डैवलप कराऊंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में चिड़िया घर है। वह रियासत के जमाने से चला आ रहा है। जंगली जानवर जंगलों में कम होते हैं। लोगों को देखने के लिए वे इन पिंजरों में मिलते हैं। किन्तु जन्तु प्राधिकरण ने प्रॉपर मापदंड न होने के कारण उसे बंद करने का नोटिस दे दिया है। इसरो मेरे क्षेत्र की जनता और स्कूलों के बच्चे उद्वेलित हैं। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय प्राधिकरण उसे ठीक मापदंडों के अनुसार बनाने के लिए कुछ समय दे। हम स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि वह इसके लिए पांच एकड़ जमीन और दे ताकि बड़े पिंजरे बन सकें, जगह पर्याप्त हो सके और वे बंद न हों अन्यथा उस क्षेत्र में व्याप्त असंतोष भयंकर रूप ग्रहण कर सकता है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शेष सूचनाओं को कल लिया जाएगा।

अपराह्न 1.32 बजे

वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक, 2000

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिकागो में 7 दिसम्बर, 1999 को हस्ताक्षरों के लिए बुलाए गए अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन से संबंधित अभिसमय के अनुसरण में, अन्य देशों के साथ भारत द्वारा किए गए करारों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि शिकागो में 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षरों के लिए बुलाए गए अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन से संबंधित अभिसमय के अनुसरण में, अन्य देशों के साथ भारत द्वारा किए गए करारों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. चमनलाल गुप्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समेवत होने तक के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 1.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा भोजनावकाश के बाद 2 बजकर 11 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*)

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

अपराह्न 2.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान के अजमेर जिले में पेयजल की भीषण समस्या के समाधान हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : महोदया, राजस्थान के अजमेर जिले में इस वर्ष भी घोर अकाल की स्थिति उत्पन्न होने

तथा लगातार विगत तीन वर्षों से सूखे तथा अकाल की स्थिति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। पूर्व में कई गांवों के पानी का सर्वेक्षण और परीक्षण भी किया गया तो इस जल को पेयजल की दृष्टि से सर्वथा हानिकारक पाया गया। तीन–चार वर्ष पूर्व सरकार ने अजमेर जिले के तीन सौ गांवों में पेयजल सुलभ कराने तथा बीसलपुर योजना का पानी, कमी वाले गांवो में पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाईं और केन्द्र सरकार को भेजी गईं। उनकी स्वीकृति भी हो गई परन्तु धन के अभाव में अभी तक भी उन पेयजल योजनाओं की क्रियान्विती हेतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पेयजल के अभाव में पशुधन की स्थिति और भी बदतर हो गई है। जीवित रहने के लिए पानी मूलभूत आवश्यकता है।

अतः भारत सरकार से आग्रहपूर्वक विशेष अनुरोध है कि अजमेर जिले के ग्रामीण अंचलों में व्याप्त भयंकर पेयजल संकट निवारण हेतु आपातकालीन योजना बनाकर एवं पूर्व स्वीकृत योजनाओं के लिए धन मुहैया करवाकर हैण्ड पम्प, ट्यूबवैल तथा बीसलपुर योजना का पानी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई अविलम्ब प्रारंभ करवाई जाए।

(दो) उड़ीसा के के. बी. के. क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए इस क्षेत्र के जिलों की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं उड़ीसा राज्य और विशेषकर के. बी. के. जिलों के क्षेत्र में सूखे की गंभीर स्थिति की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां पेयजल की अभूतपूर्व कमी है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा है और विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये धन की कमी है। मेरी मांग है कि के. बी. के. क्षेत्र के लिये दीर्घकालिक कार्य योजना को पूर्णरूप से शीघ्र क्रियान्वित किया जाये। वहां पर कथित रूप से भुखमरी से मृत्यु हुई है, जिसकी गंभीरता पूर्वक जांच की जाये और ऐसे कदम उठाये जायें कि भुखमरी के कारण मृत्यु होने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सी डब्ल्यू सी और योजना आयोग लंबित पड़ी सभी सिंचाई परियोजनाओं को तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें ताकि काफी समय से लंबित परियोजनायें शुरू हो सकें। के. बी. के. क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाये, जिनकी वहां पर्याप्त संभावनायें हैं, केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव को मंजूरी दी जाये और संबंधित जिलों के कलैक्टरों को सीधे धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

(तीन) बिहार में बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदय, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का 'ए' प्लांट प्रदूषण नियंत्रण मशीन नहीं लगने के कारण एकाएक प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके कारण प्लांट को प्रत्येक माह करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और 600 मजदूर प्रभावित हैं। यद्यपि इस प्लांट में प्रदूषण नियंत्रक मशीन लगाने का निर्णय दो वर्ष पूर्व लिया गया था, परंतु दामोदर घाटी निगम ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। यदि समय पर निर्णय लिया गया होता तो प्लांट को अब तक करीब 18 करोड़ रुपये की हानि नहीं होती। इसके बावजूद भी प्लांट कब तक बंद रहेगा और घाटे की राशि कितनी बढ़ेगी, यह प्लांट के प्रबंधकों और डी.वी.सी. पर निर्भर करेगा।

इसी प्रकार बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के 'बी' संयंत्र के राख के टैंक में दरार आ जाने के कारण बॉटम राख का रिसाव हुआ। इसके मरम्मत पर बड़ी धनराशि का व्यय हुआ और प्रदूषण फैला, परन्तु प्रबंधन ऐसी घटना से इनकार करती है।

अतः सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और वित्तीय अनियमितताएं और मजदूर विरोधी कार्यों में संलग्न प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

(चार) हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों पर बकाया पथ कर को माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले ट्रांसपोर्टरों के नैशनल परमिट के रोड टैक्स को बढ़ा दिया गया और पूरे देश में वह लागू किया गया, किन्तु हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू–कश्मीर के ट्रांसपोर्टर उसके विरोध में न्यायालय में गए और न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया। पिछले आठ–नौ वर्षों से उन ट्रांसपोर्टरों ने वह टैक्स अदा नहीं किया। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद वह शेष रोड टैक्स देना पड़ेगा और वह टैक्स इतना बन रहा है कि ट्रांसपोर्टर यदि अपने ट्रक बेच दें, तो भी वह टैक्स पूरा नहीं चुकाया जा सकता। इसके कारण हिमाचल प्रदेश में एक विकट स्थिति पैदा हो गई है।

माननीय प्रधान मंत्री जी जब मनाली गए थे, तो ट्रांसपोर्टर उनसे मिले थे और प्रधान मंत्री जी ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया था कि वे इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया और न ही ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान की गई है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं प्रधान मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे छोटे ट्रांसपोर्टरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पुराने शेष टैक्स को माफ करें और आगे से बढ़ा हुआ टैक्स सरकार ले ताकि ट्रांसपोर्टर दिवालिया होने से बच सकें और अपनी जीविका कमा सकें।

[अनुवाद]

(पांच) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत विशेष कर पंजाब में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु पर्याप्त धनराशि व्यय करना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : महोदया, भारत सरकार की तरफ से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु कल्याणकारी योजनाओं के लिये अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। इसका नाम विशेष संघटक योजना है। भारत सरकार की ओर से कड़े दिशा–निर्देश हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुरूप उनके कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु बजट में धनराशि का वही प्रतिशत आबंटित किया जाये। लगातार तीन प्रधानमंत्रियों ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे अर्ध शासकीय पत्रों में इस बात पर बल दिया है। 1991 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में कुल जनसंख्या 28.31% है और इस वर्ष तक जनसंख्या 31% बढ़ गयी है। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा इस योजना के तहत आबंटित धनराशि केवल 7% है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर गौर करे।

(छह) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदया, पर्यटन को विश्व मे धुआंहरित और पर्यावरण अनुकूल उद्योग माना जाता है। पश्चिम बंगाल में मेरा जिला मुर्शिदाबाद इतिहास और विरासत का खजाना है। पर्यटन महत्व के कई स्थान जिले भर में फैले हुये हैं। भारत में ब्रिटिश राजनैतिक आधिपत्य 23 जून, 1757 को गंगा नदी के किनारे पर सिराजुद्दौला और क्लाइव लॉयड वाटसन के बीच हुई पलासी की लड़ाई के फलस्वरूप स्थापित हुआ था। मेरा जिला तत्कालीन बंगला, बिहार तथा उड़ीसा की राजधानी के रूप में विख्यात है। किसी समय विश्व पर से व्यापारी मुर्शिदाबाद की प्रसिद्ध सिल्क, हाथी दांत का काम, मसालों से आकर्षित हुये थे और यहीं बस गए थे और इस प्रकार यहां पर इतिहास और संस्कृति की विरासत छोड़ी। राजा शशांक की पूर्व राजधानी की खुदाई कर्ण सुबर्णा में की गई थी। अब वह स्थान हमारी नासमझी की वजह से शौच स्थान बन गया है।

मेरा संबद्ध मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस जिले के गौरव को कायम रखने और इसे एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये विशेष उपाय करें।

(सात) बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से हो रहे जल भराव की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, बिहार में लगभग 10 लाख हैक्टर भूमि जल जमाव की समस्या से पीड़ित है। जल जमाव का टाल क्षेत्र लगभग डेढ़ लाख हैक्टर में फैला है जो कि गंगा नदी के दक्षिणी तट में पटना जिले के फतुहा से लेकर शेखपुरा, लखीसराय, सूर्यगढ़ा तथा गनगनियां से कहलगांव तक फैला हुआ है। इस टाल क्षेत्र को विशेष केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है जिससे इसकी उपजाऊ भूमि से दुगुनी उपज ली जा सके। दूसरी ओर उत्तरी बिहार के प्रायः सभी जिलों के चौर क्षेत्रों में लगभग नौ लाख हैक्टर भूमि जल मग्न रहती है। इस जल मग्नता का कारण अत्याधिक वर्षा, जल निकासी का अभाव, प्रमुख नदियों का अधिक जल स्तर और इन नदियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में गाद इकट्ठा होना आदि है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि इन क्षेत्रों की समस्याओं का शीघ्र निदान कराया जाये।

[अनुवाद]

(आठ) बडागरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंदनकाबु में केरल सरकार की वस्त्र परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सावधि ऋण मंजूर किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : केरल सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र बडागरा के पेरमवरा विधान सभा क्षेत्र में मंदनकाबु में 33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बड़ी वस्त्र परियोजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना के तहत इस उद्योग के तीन भागों अर्थात् बुनना, प्रसंस्करण, वस्त्र बनाना जैसे कार्यों का समायोजन किया गया है। और इसके तहत रोजगार की काफी संभावना है। केरल सरकार ने इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया है और अपने योगदान के रूप में 4.50 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस परियोजना का पहला चरण बुनकर इकाई है। जिसकी क्षमता 300 करघे होगी और इसके साथ साईजिंग प्लांट भी होगा। इस भाग पर 9.63 करोड़

रुपये खर्च होंगे जिसमें से 7.22 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित किये जायेंगे।

केरल सरकार ने पत्र संख्या 1306/जी 2/2000/1डी दिनांक 15.3.2000 के माध्यम से 7.22 करोड़ रुपये ऋण जारी करने का अनुरोध करते हुये परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास भेजा है। केरल राज्य सहकारी वस्त्र परिसंघ लिमिटेड क्रियान्वयन एजेंसी है। मामला अब भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास लंबित है।

अतः मैं भारत सरकार और विशेषकर माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को निर्देश दें कि वह सावधि ऋण को यथाशीघ्र मंजूरी प्रदान करे, ताकि यह परियोजना बिना किसी और देरी के क्रियान्वित की जा सके।

[अनुवाद]

(नौ) दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत निजामाबाद - मुड़खेड तथा जनकमपेट - बोधन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. गंगा रेड्डी (निजामाबाद) : रेल मंत्री ने अपने दिनांक 16.9.2000 के पत्र के तहत् दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद –मुडखेड तथा जनकमपेट–बोधन खंड के चरणबद्ध आमान परिवर्तन का आश्वासन दिया था। निजामाबाद–मुडखेड़ के बीच पहले चरण का कार्य चल रहा है और जमीनी कार्य और पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता है ताकि वर्ष 2001–2002 के दौरान मुडखेड से हो कर निजामाबाद से मुंबई तक रेल चलाई जा सके जिसके लिए माननीय मंत्री ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि उपर्युक्त आमान परिवर्तन संबंधी कार्य के लिए आगामी बजट में 40 करोड़ रुपए की राशि और आबंटित किए जाने की आवश्यकता होगी।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को जुलाई 2001 तक पूरा करने के लिए वर्ष 2001–2002 के बजट में उपर्युक्त राशि मंजूर करें क्योंकि इसके साथ तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र के विकास के हित जुड़े हैं।

(दस) उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मैनपुरी रेलवे क्रासिंग पर एक निचले पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : सभापति महोदय, सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उत्तर–प्रदेश के इटावा जिले में मैनपुरी रेलवे क्रासिंग पर आज से 10 वर्ष पूर्व कार्य प्रारंभ किया गया था किन्तु आज तक कार्य ज्यों का त्यों पडा हुआ है। इस अण्डर ग्राउण्ड ब्रिज का निर्माण नहीं होने से आज नागरिकों को काफी संकट का सामना करना पड़ता है। कभी–कभी बड़े हादसे भी होने की संभावना बनी रहती है।

अस्तु जनहित में इस पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

(ग्यारह) देश में चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर चौकीदार रखने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान रेल मंत्रालय की एक जनोपयोगी योजना, जो मानव विहीन समपारों पर एम. पी. लैड्स के फंड द्वारा चौकीदार नियुक्त करने के संदर्भ में है, कि ओर दिलाना चाहता हूं। देश के कई रेल मार्गों पर ऐसे स्थान हैं जहां रेल मार्ग के दोनों ओर सड़क मार्ग बन चुके हैं लेकिन समपारों एवं धन के अभाव में उनका जनहित में कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र घोसी जनपद मऊ के अन्तर्गत मऊ बलिया रेल मार्ग पर हलधरपुर रेलवे स्टेशन के पास दोनों ओर पिच मार्ग कई वर्षों से बनकर तैयार है लेकिन समपार के अभाव में उसका यातायात के लिए कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। कई माननीय सदस्यों ने नए समपारों के लिए भी एम. पी. लैड्स फंड देने की पेशकश की है। इसलिए कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एम. पी. लैड्स लाइन में संशोधन आवश्यक है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि नए समपारों के लिए एम. पी. लैड्स फंड देने हेतु भी दिशा निर्देश जारी करें।

[अनुवाद]

(बारह) नासिक हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, नासिक एक विकासशील शहर है। इसकी आबादी 15 लाख से अधिक है। महाराष्ट्र के बड़े शहरों में यह चौथे स्थान पर है। तथापि वहां कोई हवाई अड्डा नहीं है। अतः लोगों को उड़ान भरने के लिए औरंगाबाद जाना पड़ता है। इस समय वहां पर मिलिट्री का एक हवाई अड्डा है लेकिन उसे इस समय उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। यह सुझाव है कि मिलिट्री हवाई अड्डे का सिविल प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाना चाहिए। हवाई अड्डे पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर उसे आधुनिक बनाया जा सकता है।

नासिक हवाई अड्डे से मुम्बई, पुणे, नई दिल्ली और अन्य गंतव्य स्थलों के लिए उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। इंडियन एयरलाइंस नासिक से प्याज, फल और अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए कार्गो काम्पलैक्स शुरू करने पर भी विचार कर सकती है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : महोदया, नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 2.00 बजे शुरू की जानी थी। लेकिन अब तो पहले ही 2.30 बज चुके हैं। इसलिए, तद्नुसार चर्चा का समय भी कल या आज, जैसी भी स्थिति हो, बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका सुझाव नोट कर लिया गया है।

(तेरह) कन्याकुमारी से दिल्ली तथा तंजावूर के लिए सीधी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

डा. ए. डी. के. जयशीलन (तिरूचेंदूर) : महोदय, कन्याकुमारी एक महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र है। यह देश के एक छोर पर है। विख्यात विवेकानंद रॉक और प्रसिद्ध तमिल संत तिरूवल्लुवर की प्रतिमा यहीं स्थित है। देश–विदेश से हजारों पर्यटक प्रतिदिन यहां आते हैं। तथापि कन्याकुमारी में पर्याप्त रेल सुविधाएं नहीं हैं। इस समय कन्याकुमारी और नई दिल्ली के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है।

दिल्ली के लोग कन्याकुमारी और कन्याकुमारी के लोग दिल्ली प्रायः आते–जाते रहते हैं। यदि एक सीधी रेलगाड़ी शुरू की जाये तो तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। इसी तरह कन्याकुमारी और तंजावुर के बीच भी एक सीधी रेलगाड़ी होनी चाहिए।

मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कन्याकुमारी और नई दिल्ली के बीच तथा कन्याकुमारी से तंजावुर के लिए सीधी रेलगाड़ियां शुरू करें।

अपराह्न 2.29 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

सभापति महोदय : अब सभा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के बारे में चर्चा की जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदया, यह तीसरा अवसर है कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर चर्चा आरंभ कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप भाग्यशाली हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : पिछली बार बहस का जवाब देते हुए मंत्री महोदय, श्री अरूण शौरी ने कहा था:

"मैंने सार्वजनिक तौर पर और दूसरे सदन में, जहां मुझे इन मुद्दों पर बोलने का अवसर मिला है, कई बार कहा है कि सरकार की नीति में निरंतरता कायम है।" हम भी यही मानते हैं कि सरकार की नीति में निरंतरता होनी चाहिए। मंत्री जी ने आगे कहा है।

"मैं ऐसा इस बात का बचाव करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि हम वही कर रहे हैं जो दूसरों ने किया। मेरा उद्देश्य यह नहीं है। बल्कि मैं इसे भारतीय राजनैतिक वर्ग और समय–समय पर सत्ता में आने वाले वर्ग की परिपक्वता के संकेत के रूप में देखता हूं। 90 के दशक की शुरूआत से अब तक यह पांचवीं या छठी सरकार है, लेकिन आर्थिक नीति की मुख्य दिशा एक ही रही है।"

महोदया, मंत्री महोदय ने एक दस्तावेज परिचालित किया था जिसे सभी संसद सदस्यों को परिचालित न करके केवल भा. ज. पा. या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों के बीच ही परिचालित किया गया। इसमें 1991–92 में श्री चंद्रशेखर की सरकार, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की शुरूआत की थी, से अब तक की पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों का उल्लेख किया गया है।

वक्तव्य के अनुसार :

"यह निर्णय लिया गया है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के म्युचुमल और वित्तीय अथवा निवेश संस्थानों के पक्ष में चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपने इक्विटी का 20 प्रतिशत् तक विनिवेश करेगी। इस विनिवेश से इक्विटी को व्यापक आधार मिलेगा प्रबंधन में सुधार होगा, उद्यमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होगी और वर्ष 1991–92 में राजकोष में 2,500 करोड़ रुपए अर्जित होने की संभावना है।"

यह स्थिति श्री चन्द्रशेखर जी की सरकार के बारे में थी।

जब कांग्रेस सभा में आई तो उसने लगभग उन्हीं विशेषताओं वाली विनिवेश नीति की घोषणा की। इसके अनुसार :

"चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्षेत्र के 20 प्रतिशत् इक्विटी को सरकारी क्षेत्र में म्यूचुअल फंडों और निवेश

[श्री वसुदेव आचार्य]

संस्थानों में और इन इकाइयों के कामगारों को भी संसाधन जुटाने, व्यापक रूप से भागीदारिता और बेहतर उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव देना।"

यह स्थिति कांग्रेस नीति की है जिसकी घोषणा वर्ष 1991 में की गई थी।

इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार आई। मेरे पास संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अपनाए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक उद्धरण है जिसमें विनिवेश नीति के संबंध निम्न व्यक्त किया गया है।

"संयुक्त मोर्चा सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को और प्रतियोगी बनाने में सहायता करेगी। यह सर्वज्ञात् है कि सरकारी क्षेत्र में सुधार किए जाने और उसको पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त मोर्चा सरकार सरकारी क्षेत्र के तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान करेगी और उनको विश्व स्तर की कंपनी बनाने के अभियान में उनकी सहायता करेगी। सरकारी क्षेत्र की अन्य लाभ अर्जित करने वाली और सक्षम सरकारी कंपनियों को सुदृढ़ किया जाएगा और उनके प्रबंधन को व्यवसायीकृत किया जाएगा और इन कंपनियों में कामगारों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।. ....."

".....रुग्ण और रुग्ण होने की संभावना वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का विकल्पों की सूची के अनुसार पुनर्वास किया जाएगा जिसमें प्रबंधन को व्यवसायिक समूहों अथवा कामगारों के सहकारी संगठनों को सौपा जाना शामिल होगा। गैर–महत्वपूर्ण और गैर–अनुकूल क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हटाए जाने के प्रश्न की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। तथापि, पुर्नप्रशिक्षण और पुनर्नियुक्ति हेतु वैकल्पिक अवसरों में रोजगार संबंधी सुरक्षा हेतु कामगारों और कर्मचारियों को आश्वासन देने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार इन कदमों पर सरकार को सुझाव देने के लिए विनिवेश आयोग स्थापित करेगी – जिसका कि अब विघटन कर दिया गया है। विनिवेश संबंधी कोई भी निर्णय पारदर्शी तरीके से लिया और कार्यान्वित किया जाएगा।"

महोदया, सरकार की वर्तमान नीति, जिसका कि इस दस्तावेज में विवरण दिया गया है, और जिसकी घोषणा माननीय वित्तमंत्री द्वारा उनके वर्ष 1998–99 के बजट भाषण में की गई थी, के अनुसार:

"सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ज्यादातर मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की अंशधारिता को 26 प्रतिशत तक नीचे घटा दिया जाएगा। समाजिक महत्व वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार आधे से अधिक अंशधारिता को अपने पास रखेगी। कामगारों के हितो की रक्षा की जाएगी।"

महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विनिवेश नीति 1991 में कांग्रेस सरकार के द्वारा और फिर संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की निरंतरता में है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार द्वारा उसी नीति की पुनरावृत्ति की गयी है? किसी भी पुरानी नीतियों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कहीं भी चर्चा नहीं थी। परन्तु यहां इस नीति में वर्तमान सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के शेयर को 26 प्रतिशत और उससे भी कम का दिया जाएगा। इसे नीचे लाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2000–01 में पुनः अपनी नीति में संशोधन किया, और बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने वक्तव्य दिया कि सरकारी क्षेत्र के गैर सभी महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26 या और भी कम और आदि आवश्यक हुआ तो पूरा बेंच दिया जाएगा।

अध्यक्षा महोदया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे द्वारा अपनाई गई सरकारी क्षेत्र की अवधारणा समाजवाद की दिशा में उठाया गया कदम नहीं था क्योंकि जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उस समय हमारे यहां बड़े उद्योग धंधे नहीं थे। वर्ष 1948 में पहली बार भारत सरकार ने औद्योगीकरण के संबंध में नीति की घोषणा की। तत्पश्चात् फिर वर्ष 1956 में औद्योगीकरण नीति की घोषणा की गई। परन्तु उस नीति का आधार क्या था? यह आत्म–निर्भरता की नीति थी। आत्म–निर्भरता की इस नीति को पूरा करने के लिए हमने सरकारी क्षेत्र की अवधारणा को अपनाया कि कुछ क्षेत्रों को सरकार के नियंत्रण में सरकारी क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

अध्यक्षा महोदया, उस समय ऐसा कोई उद्योगपति नहीं था जो सामने आता। उस समय हमारे देश में दो बड़े इस्पात उद्योग थे– एक टाटानगर में और दूसरा मानपुर में। इस प्रकार आत्म–निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र की अवधारणा को अपनाया गया था।

आज सरकारी क्षेत्र के संबंध में कैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ? जैसे कि सरकारी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है और यह कि सरकारी क्षेत्र ने हमारे विकास की दिशा में कुछ भी योगदान नहीं किया है। पिछले 53 वर्षों में क्या उपलब्धि हासिल की गई है? सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने क्या योगदान किया है?

ऐसा कई बार कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में काफी बड़ी राशि फंसी पड़ी है और यह कि इसे सामाजिक क्षेत्र के लिए,

स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास हेतु जारी किया जाना है। ऐसा कैसे किया जा सकता है? ऐसा कम कीमत पर या साधारण मूल्यों पर शेयरों को बेचकर किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सर्वेक्षण के अनुसार, प्रारंभ किए जाने के बाद से अब तक सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 2,30,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ है। वर्ष 1999 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त इक्विटी 77.66 रुपए थी और उक्त वर्ष में निवेश की राशि 64.68 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार, ऋण के रूप में बची हुई कुल राशि 1,49,779 करोड़ रुपए के बराबर थी। यह कहा जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र के 246 उपक्रमों में विशाल राशि फंसी पड़ी है परन्तु यह सही नहीं है।

यदि हम निजी क्षेत्र में फंसी हुई राशि को देखते हैं तो यह राशि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फंसी रकम से कहीं ज्यादा है। इसे निजी क्षेत्र कहना उचित नहीं होगा क्योंकि निजी क्षेत्र वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों पर आश्रित होता है। निजी क्षेत्र में भी जनता का ही धन लगा होता है। इसलिए, इसे निजी क्षेत्र का नाम देना गलत होगा है। इसमें 62,000 करोड़ रुपए से कम धन नहीं फंसा हैं। माननीय वित्तमंत्री ने गैर–निष्पादनकारी संपत्तियों के संबंध में एक प्रश्न का जवाब के दौरान कहा कि गैर–निष्पादनकारी संपत्तियों का मूल्य 58,000 करोड़ रुपया होता है। अब यह राशि 62,000 करोड़ रुपया है। यदि हम 62,000 रुपए के इन दोनों आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि निजी क्षेत्र में कुल 1,24,000 करोड़ रुपए फंसे पड़े हैं। इस प्रकार निजी क्षेत्र में जितना धन फंसा पड़ा है वह सरकारी क्षेत्र में फंसी हुई राशि से बहुत ज्यादा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का क्या योगदान है? वर्ष 1991–92 में लाभांशों, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्कों और अन्य शुल्कों के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने केन्द्रीय राजकोष में 9,520 करोड़ रुपए का योगदान किया था। वर्ष 1992–93, में यह राशि 19,721 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1993–94 में यह 22,449 करोड़ रुपए था। वर्ष 1995-96 में यह 27,472 करोड़ रुपए था। वर्ष 1996–97 में यह 30,878 करोड़ रुपए था। मेरे पास वर्ष 1997–98 तक के आंकड़े हैं जब यह 37,447 करोड़ रुपए था। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र को शुरू किए जाने से लेकर अब तक इस क्षेत्र ने केन्द्रीय राजकोष में विशाल राशि का योगदान किया है। सरकार ऐसा क्यों कहती है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था का शोषक है? बहुत बड़ी राशि फंसी हुई है। इसे मुक्त किया जाना है। इस राशि को सामाजिक क्षेत्र में लगाया जाना है। इस राशि को सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

मेरे पास वर्ष 2000–2001 के बजट का संक्षिप्त भाग है। शहरी एवं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री अनंत गंगाराम गीते यहां मौजूद है। वे भी यह स्वीकार करेंगे कि आबंटित राशि को इस वर्ष 9760 करोड़ रुपए से घटाकर 9751 कर दिया गया है। यदि हम 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई लागत को जोड़ें तो वह विगत वर्ष के लिए आबंटित राशि से बहुत ही कम होगा। यही बात शिक्षा के साथ भी है। चालू वर्ष के बजट में कोई विशेष वृद्धि नहीं की गई है। यही बात स्वास्थ्य के मामले में भी है। कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं की गई। जो हर वर्ष किया जाता है वही इस वर्ष भी किया गया है। जो कार्य पहले हुआ था यहां तक कि 1991 से पूर्व जबकि यह विनिवेश की नीति प्रारम्भ हुई थी, वही कार्य आज भी किया जा रहा है। दो प्रतिशत या तीन प्रतिशत या पांच प्रतिशत अथवा दस प्रतिशत की थोड़ी सी वृद्धि की गई है। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार वृद्धि हो रही है। कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हैं।

सरकार का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए किया जाएगा। परन्तु यह सच नहीं है। फिर धन कहां जाता है। विनिवेश आयोग की एक विशिष्ट सिफारिश है। विनिवेश आयोग ने सिफारिश की थी कि एक अलग कोष होना चाहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि से बनाया जाएगा। परन्तु वह सिफारिश अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है। पैसे का उपयोग राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किया जा रहा है। परन्तु जब 1991 में विनिवेश नीति अपनायी गई थी तो इसका यह उद्देश्य नहीं था। जब 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने विनिवेश नीति अपनाई थी, तो भी यह उद्देश्य नहीं था। परन्तु वर्तमान सरकार का ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य राजकोषीय घाटे को पाटने का है।

मैं जानता हूं कि भारत सरकार क्या उत्तर देगी। यदि मेरा अनुमान सही है तो वे कहेंगे कि उन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए अभी तक 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कितनी राशि है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : 23 पुनरुद्धार पैकेजों के लिए 34,000 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए की राशि और खर्च की जा रही है। इसलिए यह

[श्री बसुदेव आचार्य]

कुल 35,500 करोड़ रुपए होती है। परन्तु अभी तक एक भी इकाई का पुनरुद्धार नहीं किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने उनका उत्तर तथा उनका विशेष साक्षात्कार भी देखा है। वे मेरे पास हैं। उन्होंने कहा है कि भारी ऋण देने के बावजूद भी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का पुनरुद्धार नहीं किया जा सका। उन्होंने एच सी सी एल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जे सोप इत्यादि के उदाहरण दिए हैं। मैंने यह उनके साक्षात्कार में देखा है। वह अलग चीज है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु कुछ नहीं किया गया है। क्या मंत्री जी हमें बता सकते हैं कि विनिवेश की आय में से कितना खर्च किया गया है? क्या उनके पास ये आंकड़े है? उनके पास ये आंकड़े नहीं है। वे हमे ये आंकड़े नहीं बता सकते कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए कितना खर्च किया गया है। उन्होंने शिक्षा पर कितना खर्च किया है ? सारा पैसा राजकोषीय घाटा पूरा करने हेतु खर्च किया जाने वाला है।

महोदया, इस वर्ष सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निधारित किया है। उपलब्धि कितनी है? उपलब्धि 10,000 करोड़ रुपए से कम होगी। इससे क्या प्रतीत होता है ? इसके माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश यह है कि सरकार हडबडी में बेचना चाहती है। मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया है? क्या कोई पारदर्शिता है? यह प्रश्न पिछली बार भी उठाया गया था। यह अभी तक अनुत्तरित है। हमने एक श्वेत–पत्र की मांग की है दूसरी सभा में मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि श्वेत–पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

महोदया, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है। माडर्न फूडस् का मामला लें। इसे 105 करोड़ में बेचा गया था। क्या उचित मूल्याकंन किया गया था। कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी ? 1998–99 के अन्त में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निवल नियत परिसम्पति 2,24,173 करोड़ रुपए थी। नियत परिसम्पत्तियों की ऐतिहासिक कीमत में से मंदी को घटाकर कीमत तय की जाती हैं। क्या इस आंकड़े से आज के बाजार मूल्य पर परिसम्पत्ति की वास्तविक कीमत का पता चलता है ? जब चालीस वर्ष पूर्व उद्योग स्थापित किया गया था तो भूमि का मूल्य कितना था? आज भूमि का मूल्य कितना है? वस्त्र मंत्रालय में एक प्रस्ताव था श्री काशीराम राणा जी को उसका पता है। 1995 में एक पैकेज स्वीकृत हुआ था। उस पैकेज के अनुसार केवल महाराष्ट्र की राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की अतिरिक्त भूमि को बेचकर ही सभी 119 मिलों का पुनरुद्धार किया जा सकता था। उस समय श्री मनोहर जोशी मुख्य मंत्री थे। हम वहां गए और वस्त्र मंत्री के साथ उनसे मिले थे। वे उस पर सहमत नहीं हुए। राजकोषीय दक्षता पैरामीटर के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 234 उपक्रमों में से 119 उपक्रमों के लिए सर्वेक्षण किया गया था। उनमें से केवल 69 ही पचास प्रतिशत उपयोग स्तर से कम निकले।

आप तुलना इसकी निजी क्षेत्र से करें। निजीकरण ही एकमात्र रामबाण नहीं है। यह सरकार क्या बताना चाहती है? इसका कहना है कि यदि आप निजीकरण करते हैं तो इन्हें दक्षतापूर्वक चलाया जाएगा। उन्होंने माडर्न फूड्स का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं उनके सामने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का उदाहरण पेश कर सकता हूं। 1985 में भारत सरकार स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को बंद करना चाहती थी। हमने विरोध किया था। तब सरकार ने अपनी नीति वापस ली। आज यह इकाई एक घाटे में चलने वाली इकाई के स्थान पर लाभ कमाने वाली इकाई बन गई है। अब आप इस इकाई में भी विनिवेश करना चाहते हैं?

श्री अरूण शौरी : केवल एक छोटी सी बात। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ के कर्मचारियों के प्रत्येक घटक के प्रतिनिधि दो बार मुझसे मिले और आग्रह किया कि यह विनिवेश बहुत तेजी से होना चाहिए। वे सभी प्रकार के कामगारों तथा प्रबंधन का प्रतिनिधत्व करते हैं। इसलिए मैं केवल यह तथ्य आपको बताना चाहता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : क्या इसे घाटे में चलने वाली इकाई से लाभ कमाने वाली इकाई बना दिया गया है? कृपया उनके द्वारा कही गई बात की पुष्टि करें।

श्री अरूण शौरी : मैं उसकी बात भी करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानता हूं कि 1985 में भी सभा में था जब यह मामला सभा में उठाया गया था और उस समय सरकार ने उस नीति को वापस ले लिया था और उन्होंने उस इकाई का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया था। यदि सरकार की किसी इकाई का पुनरुद्धार करने की इच्छा है तो यह उस इकाई का पुनरुद्धार कर सकती है। श्री काशीराम राणा ने सभा में स्पष्ट रूप से बताया था कि वे बहुत सी मिलें को बंद करना नहीं चाहते थे। उन्होंने इकाई–बार अध्ययन कराने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने बी आई एफ आर को भी सूचित किया है। श्री राणा, क्या यह सच है?...*(व्यवधान)*

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : हां, आप कहते रहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : उनका बहुत सकारात्मक रुख है। जब

भी मैं उनसे मिला उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वे किसी भी मिल को बंद नहीं करना चाहते।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गैर–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अधिक कार्य–कुशल है। 1997 में सरकार ने "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 'नवरत्नों' के रूप में पहचान की थी। सरकार ने उनकी नवरत्नों के रूप में पहचान क्यों की? उन्होंने उनकी इस आधार पर पहचान की थी कि उनमें अपने निष्पादन के आकार, कार्यों की प्रकृति और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित बड़ा खिलाड़ी बनने की तुलनात्मक रूप से अधिक सभांवना है। ये 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं– भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, गैस आथरिटी ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन आयल कम्पनी, आई पी सी एल, मैं इस पर बाद में आता हूं– एम टी एन एल, एन टी पी सी, ओ एन जी सी और भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो कि उनके शासन के दौरान रुग्ण हो गए। श्री त्रिपाठी यहां हैं। पिछले दो वर्षों में दस विशाल उपक्रम ने घाटा उठाना प्रारम्भ कर दिया। ऐसा क्यों है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी घाटा उठाना शुरू कर दिया। आपने पिछले दो वर्षों से अपने द्वार क्यों खोल दिए ?

आप इस्पात के आयात की अनुमति दे रहे हैं। चीन में कोई संकट नहीं है। परन्तु हमारे देश में संकट क्यों है? हमारा देश कितने इस्पात का उत्पादन कर रहा है ?

हम मात्र 24 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। चीन 80–85 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है, उन्होंने चीन में निजी क्षेत्र को सौपें गए लोक–उद्यमों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत की है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने विशेषकर चीन से संबंधित सूची ही प्रस्तुत की है, मैं चीन से संबंधित विषय पर बाद में चर्चा करूंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

मेरे पास इटली और ग्रेट ब्रिटेन में किए गए निजीकरण से सम्बंधित आंकड़े भी हैं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने ही इस चर्चा को आरम्भ किया है इसलिए मैं कुछ और समय लूंगा।

सभापति महोदय : यहां आपके बाद बोलने और आपके दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कई महत्वपूर्ण वक्ता हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इस बात को जानता हूं, कल आप भी भाषण देंगी क्योंकि यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

महोदया, सरकारी क्षेत्र के इन 11 उपक्रमों में से 10 उपक्रम 1998–99 में लाभ अर्जित कर रहे थे और इन 11 उपक्रमों में से केवल एक को ही विनिवेश सूची में नहीं रखा गया है और यह उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, शेष सरकारी क्षेत्र के 10 उपक्रमों को विनिवेश सूची में रख दिया गया है। उनके 48 से 50 प्रतिशत शेयरों का पहले ही विनिवेश किया जा चुका है। यह सरकार लाभ में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश क्यों कर रही है?

यहां दो प्रकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और श्री काशीराम राणा उसके बारे में जानते हैं। सभी सरकरी क्षेत्र के उपक्रम आरम्भ से ही सरकारी क्षेत्र के अर्न्तगत नहीं थे। कई उपक्रम पहले निजी प्रबंधन के तहत कार्यरत थे, ये उपक्रम बंद हो गए थे और वहां के कामकारों और उद्योग को बचाने के लिए भारत सरकार आगे आई और उनका अधिग्रहण किया। सरकार ने बाद में उनका राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अर्न्तगत आने वाली सभी मिलें अब रुग्ण अवस्था में हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कामगार जिम्मेदार हैं या संबंधित मिलों का प्रबंधन।

सरकारी क्षेत्र के ऐसे बड़े उपक्रम भी हैं जो कि हजारों करोड़ रुपये का लाभ अर्जन कर रहे हैं, इसलिए लाभ में चल रहे सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के लिए सरकार की नीति क्या है? राज्य सभा में यह कहा गया कि इसके लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है, सरकार उन्हें धनाभाव के कारण बेच रही है, सरकार को पैसे की जरूरत है, इसलिए वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को बेचना चाहते हैं, मारूति उद्योग लिमिटेड के मामले में सरकार के पास इसके 50 प्रतिशत शेयर अभी भी हैं लेकिन इस एकक पर पूरा नियंत्रण सुजुकी मोटर कारपोरेशन के पास है, इसलिए सरकार यहां लाचार है।

श्री अरूण शौरी : ऐसा 1992 में किए गए समझौते के कारण है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, इसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूर्व भा.ज.पा. सरकार द्वारा 1998 में किया गया था परन्तु उस समय प्रतिपक्ष ने इसका प्रतिरोध भी किया था, इस

[श्री बसुदेव आचार्य]

सभा में इस मामले पर चर्चा भी हुई थी, सन 1998 में सरकार के उस निर्णय के कारण सरकार अब लाचार है। पिछले कई दिनों से श्रमिक धरने पर बैठे हैं, सैकड़ों श्रमिकों को निलम्बित किया गया है और बर्खास्त किया गया है, लेकिन सरकार मारूति उद्योग में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए इसके प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं कर सकती है क्योंकि अब सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं रहा है सरकार अब बाकी के 50 प्रतिशत शेयरों को भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को बेचकर इसका पूर्ण विनिवेश करने की योजना बना रही है। इसके लिए आगे कौन आ रहा है? आज मैंने देखा कि इंडियन एयरलाइंस के लिए वीडियोकोन बोली कर्ताओं में से एक है और मारूति के लिए रिलायेन्स आगे आ रहा है, 'सेल्फ रिलायेन्स' की नीति के स्थान पर सरकार ने 'रिलायेन्स' की नीति को अपना लिया है।

अब, इन्डियन ऑयल लिमिटेड ने ऐसे एककों में से बड़ौदा एकक को अपने जिम्मे ले लिया है। नागरथन और गंधार एकक का क्या होगा? पहले उन्होंने इसे रिलायेन्स को देने का निर्णय लिया था कि रिलायेन्स इनमें 25 प्रतिशत शेयर खरीदेगा और इनके प्रबंधन के ऊपर इसका ही पूर्ण नियंत्रण रहेगा, इसलिए, पेट्रोकेमिक्ल क्षेत्र में रिलायेन्स का एकाधिकार हो जाएगा, यह बात विनिवेश आयोग की सिफारिशों के विपरीत है।

विनिवेश आयोग ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सरकार को विनिवेश करते समय सावधानीपूर्वक इस बात को देखना चाहिए कि इससे किसी विशेष क्षेत्र में किसी का एकाधिकार न हो जाए। जब सरकार ने रिलायेन्स के बारे में निर्णय लिया था तो उस समय आई पी सी एल के शेयर का मूल्य 550 रुपये था और सरकार ने इसके शेयर को 265 रुपये जो कि बाजार मूल्य से बहुत कम है पर बेचने की पेशकश का निर्णय लिया।

सभापति महोदय : मैं आपको पांच मिनट का समय देती हूं और इस प्रकार आपका समय 45 मिनट का हो जाएगा–

श्री बसुदेव आचार्य : अभी, मैं उन कागजातों पर नहीं आया जिन्हें परिचालित किया गया था लेकिन हमें नहीं दिया गया, मैंने इसे राज्य सभा के एक सदस्य से लिया है, माननीय मंत्री जी ने इसे श्री दीपांकर मुखर्जी को दिया था।

श्री अरूण शौरी : जिस किसी ने भी इसे मांगा है उसे यह सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। श्री दीपांकर मुखर्जी अपनी पार्टी के लिए इसकी छह प्रतियां चाहते थे मैंने उन्हें छह प्रतियां दी थीं।

सभापति महोदय : आप इस बात का उत्तर वाद–विवाद के अंत में दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने उद्योगों की लम्बी सूची दी है और विशेषकर चीन के उद्योगों की, अपने साक्षात्कार में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि वामपंथी लगातार उनकी विनिवेश नीति का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने श्री प्रणव मुखर्जी जैसे कुछ कांग्रेसी नेताओं के नामों का भी उल्लेख किया है, हम डा. मनमोहन का दृष्टिकोण जानते हैं, उन्होंने अपने साक्षात्कार में श्री माधवराव सिंधिया के नाम का भी उल्लेख किया था कि वे इसका समर्थन करते हैं।

लेकिन श्री मणि शंकर अय्यर इसका विरोध कर रहे हैं, श्री मणि शंकर अय्यर हमारे साथ हैं और वे हमारा समर्थन कर रहे है, उन्होंने उनकी नीति पर बहुत अच्छा लेख लिखा है, मैंने इसे पढ़ा है।

सभापति महोदय : प्रत्येक ने इसे पढ़ा है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने पाया कि ये सभी लघु उद्योग हैं, उन्होंने चीन का जिक्र क्यों किया ?

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने लगभग 2500 उद्योगों का जिक्र किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने लघु उद्योगों का जिक्र किया है, उन्होंने इन उद्योगों से संबंधित एक सूची तैयार की है और मैंने इसे पढ़ा है, मैंने पता लगाया कि चीन ने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं, 1947 में हमारा कुल कोयला उत्पादन 30 मिलियन टन था। 1949 में जब चीन में क्रान्ति हुई, उनका उप्पादन भी लगभग इतना ही था, यह 35 मिलियन टन था, आज हमारा कोयला उत्पादन 300 मिलियन टन है जबकि उनका उत्पादन 1300 मिलियन टन है, यह भूमिगत खनन को बन्द कर दे रहे हैं, और चीन में तो भूमिगत खनन कार्य 80 प्रतिशत होता है।

यही तो अंतर है। हमारा माल ढुलाई 400 मिलियन टन है। इस साल हमारा लक्ष्य 470 मिलियन टन का है। चीन में, यह 1000 मिलियन टन से भी अधिक है। आप चीन से तुलना ले रहे हैं, देखिए उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्या किया है। आप कामगारों को निकाल दे रहे हैं। आपने यह बताने के लिए आंकड़े दिए हैं कि आप कामगारों का ध्यान रख रहे हैं और उनके हितों का संरक्षण किया जायेगा। आप कामगारों के हितों का संरक्षण करेंगे कैसे? 1991–92 में बीस लाख से अधिक कामगार काम पर थे। उनकी संख्या बढ़ने के बजाय, घटती ही गई है। डा. विजय कुमार मल्होत्रा आप सरकार उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति

हैं। मैं भी कुछ समय तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री बसुदेव आचार्य : 1998–99 में, यह संख्या घटकर 19 लाख रह गई। आप कहते हैं कि आप कामगारों के हितों का संरक्षण कर रहे हैं। कैसे? उनकी संख्या में तो कमी आई है।

आप अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा–पत्र में एक अंतिम बात यह शामिल की है कि एक करोड़ रोजगार सृजित की जायेंगी।

लेकिन, हर साल आप रोजगार सभावना कम करते जा रहे हैं। पांच लाख से अधिक लोगों की नौकरी छिन गई, और आप कहते हैं कि कामगारों के हितों का संरक्षण किया जायेगा।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आपको मालूम है कि कामगारों को प्रदेय कानूनी देनदारी कितनी है? कानूनी देनदारी का अर्थ है, उनकी भविष्य निधि तथा उपदान। यह राशि है– 2,500 करोड़ रुपये। सरकार के पास पैसा नहीं है। श्री त्रिपाठी को मालूम है कि हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में, कितने महीनों से कामगारों को उनका वेतन नहीं मिला है।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : 18 महीनों से।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री सुनील खां का कहना है कि 18 महीनों से। 'एन. पी. सी. सी.' में– बीस महीनों से नहीं मिला है हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं ? 'बर्न्स स्टैण्डर्ड' में कितने महीने से वेतन नहीं मिल रहा है? 'जे सोप' में कितने महीने से वेतन नहीं मिल रहा है? यह तो 215 वर्ष पुराना उद्योग है। कितने महीने हो गए हैं ? आप तो कह रहे है कि आप कामगारों के हितों का संरक्षण कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। कुछ दूसरे सदस्यों को बोलने के लिए भी तो छोड़िए।

बसुदेव आचार्य : ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं।

सभापति महोदय : कई सदस्य अपनी बात कहने के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं। उनके लिए कुछ मुददे तो छोड़िए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, इनकी नीति में कोई पारदर्शिता नहीं है। इनकी नीति तो यह है कि किसी भी कीमत पर, कम्पनी को धनाभाव पर बेच दो। इन्होंने यह नहीं बताया कि शेयर का मूल्य निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है, क्या तंत्र है। लाभ कमा रहीं इकाइयों के संबंध में कोई नीति ही नहीं है। मुझे इटली, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और तत्कालीन समाजवादी देशों का अनुभव है। ये उनकी या रूस, पौलेंड अथवा अन्य देशों का उल्लेख करेंगे। उनकी अर्थव्यवस्थाओं की क्या हालत हुई ?

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरी मांग है कि विखंडता की इस नीति को–यह मात्र विनिवेश की नीति ही नहीं है– समीक्षा की जानी चाहिए। यह सरकार पूर्ववर्ती सरकार की नीति का अनुपालन नहीं कर रही है। इन्होंने उसे पलटा दिया है।

श्री मणि शंकर अय्यर : ये उसे बाबरी मस्जिद की तरह खंडित कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह वाक्य कहकर समाप्त कर रहा हूं। 1952 में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के सरकारी क्षेत्र के प्रथम उपक्रम, अर्थात् सिंदरी उर्वरक इकाई, का उद्घाटन करते समय कहा था, "आज मैं किसी उर्वरक कारखाने का उद्घाटन नहीं कर रहा हूं। बल्कि मैं भारत के एक मन्दिर का उद्घाटन कर रहा हूं।" इन्होंने न केवल मस्जिद को ढहा दिया, बल्कि ये मन्दिर समान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी ढहा रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इस नीति को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिएं। यदि विनिवेश करना ही है, तो उसे पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए और हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सशक्त बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, अभी आचार्य जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि वे तीसरी बार इस डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि यह कर्मकाण्ड बन गया और लगातार हर सत्र में इस विषय पर बहस होती है। वही पाइंट्स दोहराये जाते हैं, उनके भाषण में कोई नया पाइंट नहीं आता। उन्होंने जो पिछली बार कहा था, वही सब कुछ इस बार बता रहे हैं जिसमें कोई नया पाइंट नहीं है। जिस तरह हर बार माइनौरटीज, अयोध्या पर बहस शुरु की जाती है, उसी प्रकार डिसइन्वैस्टमेंट पर बहस की शुरुआत की जाती है। मुझे इस बात पर बडी हैरानी होती है कि सी.पी.एम. का मैरिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने एक डाई–हार्ड एटीट्यूड लिया हुआ है और उसके

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

मुताबिक बोलते जाना है। दुनिया के सारे देशों से साम्यवादी समाप्त हो गया है और यहां तक कि रूस से भी चला गया है।. ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवधान मत उत्पन्न कीजिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह अब एक मृत सिद्धान्त है।

[हिन्दी]

पर हमारे दोस्त उससे चिपके बैठे हैं। उन्होंने चीन का जिक्र किया और उसकी बड़ी भारी वकालत करनी शुरु कर दी। एक जगह वे चीन के बारे में जिक्र कर रहे थे....*(व्यवधान)* चीन में जितनी गरीबी है उससे लगता है कि एक आदमी को 50–100 रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। जो सस्ता माल बेचा जा रहा है, वह इसलिये है कि मजदूर का शोषण किया जाता है और हड़ताल करने वाले को फांसी दी जाती है। ये चीन के बारे में क्या बात करते हैं ?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आप उन्हें संबोधित क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : 1978 से चीन की जो पॉलिसी है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेशकों को विभिन्न संरचनागत क्षेत्रों और उपयोगिता व्यवसायों, जिसमें रेल, चुंगी शुदा सड़कें, पत्तन तथा विद्युत संयंत्र इत्यादि शामिल है, में निवेश करने की अनुमति दी गई। पन्द्रहवीं पार्टी–कांग्रेस बैठक के समय, वहां के केन्द्रीय नेतृत्व ने, तीन वर्षीय एक कार्यक्रम के तहत, राज्य के स्वामित्व वाले लगभग 35 लाख उपक्रमों के आधारभूत पुनर्गठन को प्रोत्साहित करने का निर्णय किया।

[हिन्दी]

उसी में डिसइन्वैस्टमेंट है, उसी में बेचते हैं, उसके अंदर प्राइवेटाइज करना, उसके अंदर कारपोरेटाइज करना – ये सब उन्होंने शुरू किया है। वहां पर एफ. डी. आई में 45 बिलियन डालर प्रतिवर्ष है जबकि यह हिन्दुस्तान में 2–3 बिलियन डालर होता है तो हाहाकार मच जाता है, देश को बेचने की बात बार–बार दोहराई जाती है। चीन में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 159 बिलियन डालर है और हमारे यहां 35 बिलियन डालर है। फिर भी कहा जाता है कि विदेशी पूंजी को यहां लाने की कोशिश की जा रही है। मैं इन लोगों से चीन की नीति छोड़ देने की बात कहता हूं। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? वहां जिस तरीके से ग्रेट ईस्टर्न होटल को बेचा गया और बेशरमी से फ्रांस की एक कम्पनी के हाथ बेच दिया गया। मुझे इस बात का जवाब चाहिये। मेरे पास कागज़ात है जिनके अनुसार श्री ज्योति बसु ने आखिरी कैबिनेट की मीटिंग प्रीजाइड की और फिर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ग्रेट ईस्टर्न होटल कैसे बेच दिया। वहां की यूनियन ने कहा कि इस बारे में कोई ट्रांसपीरेंसी नहीं रही है, किसी को बुलाया नहीं गया, कोई टैंडर नहीं किया गया। उसके बाद सीटू और इंटक के नेताओं ने कहा कि इस होटल को बेचने का काम किस प्रकार से किया गया है। इसके अलावा एकोर–एशिया पैसेफिक कम्पनी ने तय किया कि 45 साल से ऊपर के हर आदमी को स्वेच्छा से या फोर्स्ड रिटायर कर दिया जाये। उसमें 70 प्रतिशत एम्पलाइज निकाल दिये जायेंगे। यूनियन्स ने लगातार कहा है:

[अनुवाद]

"आखिर एक जनसमर्थक, कामगार समर्थक सरकार इतने लोगों और उनके परिवारों के मृत्युपत्र पर कैसे हस्ताक्षर कर सकती है? सीटू सदैव स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के खिलाफ रही है। और हम आज भी यही कहते हैं लेकिन निविदा प्रदान करने की प्रक्रिया गुप्त थी तथा कत्तर को, अन्य होटल समूहों की प्रतिस्पर्धी बोलियों पर विचार किए बैगर ही अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए"।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, ये अगर होटल बेच दें तो प्रो–वर्कर हैं, देश को बचा रहे हैं, अगर हम अशोका होटल को बेचने की बात करें तो कहते हैं कि देश को बेचा जा रहा है। अशोका होटल बेचने की बात करें तो कहा जाता है कि इन्होंने वर्कर्स से दुश्मनी कर दी, इन्होंने सारी दुनिया के सामने बेच दिया। इंटरनेशनल टेंडर्स किये जा रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में खुले टेंडर्स हैं, कोई उसके लिए बिड करे, यहां उसकी तरह से तो नहीं किया गया है। मेरे पास कुछ तथ्य हैं, इन्हें आप पढकर देखें – ग्रेट ईस्टर्न होटल में इन्होंने क्या–क्या किया कलकत्ता पहला शहर है जिसके अंदर इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया गया। लेकिन जब दिल्ली में प्राइवेटाइज करने की बात आई तो सी.पी. एम. ने यहां जुलूस निकला। कोई भी चीज प्राइवेटाइज करने की

बात आये तो दूसरी जगहों पर जुलूस निकालते हैं। कलकत्ता में दस साल से बिजली प्राइवेटाइज है, एक आदमी के हाथ में है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : वह पहले से ही प्राइवेट के अंडर थी, हमारे आने से पहले ही थी।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप तो वहां 27 साल से राज कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आचार्य जी, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, जब आप बोल रहे थे, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप वहां 1977 से पावर में हैं, आपने उसका सरकारीकरण क्यों नहीं किया। मेरे पास कागज हैं, बिवेन्डी मे क्यैन्च हावड़ा थर्स्ट, हावड़ा के लिए पानी देने का काम बिवेन्डी की फर्म के हाथ में दिया जा रहा है। मेरे पास कागज हैं। वैस्ट बंगाल की सरकार ने वहां इश्तिहार निकाला और वह इश्तिहार पेपर्स में दिये हैं श्री सोमनाथ उसके चेयरमैन रहे हैं, उन्होने एडवरटाइजमैंट निकाला है, उसमें कौन-कौन सी सिलेक्टेड फॉरेन कम्पनीज हैं जिन्हें इनवैस्टमैंट, टैकनालोजी और मशीनरी प्रोवाइड की गई, यू.एस.ए. की पचास कम्पनीज हैं जैसे जनरल इलैक्ट्रोनिक्स, इंटरनेशनल आई. बी. एम., पैप्सी, कोका कोला, डेल्टा कारपोरेशन आदि। यह इनका अपना एडवरटाइजमैंट है, जिसमें यू.एस.ए. की इतनी कम्पनियां हैं और इनके साथ यू. के. की इतनी कम्पनियां तथा दुनिया भर की सारी की सारी कम्पनीज हैं। इन्होंने कहा कि हमारे यहां इतनी ज्यादा कम्पनीज लगी हुई हैं।...*(व्यवधान)* हल्दिया पैट्रोकैमीकल्स की मैनेजमैंट का काम आपने किसको दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमैंट अमरीका की कम्पनी के हाथ में आपने दिया, हल्दिया पैट्रोकैमीकल्स इनकी कम्पनी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। मि. मल्होत्रा आपकी समस्या यह है कि आप चेयर को एड्रैस नहीं कर रहे हैं। आप इस तरफ देखकर बात करिये, आप उन्हें क्यों रिप्लाई करते रहते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि सिर्फ मैं आपकी तरफ देखूं, बजाय इसके कि मैं इनकी तरफ देखूं लेकिन यह बीच में न बोलें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा क्या आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करने में कोई परेशानी है? कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करने में हिचकिए मत। उन्हें कहते रहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे सी.पी.एम. का दोमुंहापन, दोरुखापन इसमें दिखाई देता है कि यहां आकर लगातार अपोज करना और वैस्ट बंगाल में दूसरे तरीके से काम करना। वहां श्री ज्योति बसु जी हर साल इंग्लैंड क्या करने के लिए जाते हैं... *(व्यवधान)* हर साल विदेश में क्या करने के लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

वहां विदेशी निवेश का अनुरोध करने के लिए जाते रहे हैं। वहां वह राज्य के स्वामित्व वाले विभाग में भाग लेने हेतु पश्चिम बंगाल आने के लिए जाते रहे हैं।

[हिन्दी]

उनके अंदर हिस्सा लेने के लिए जाते रहते हैं और हर साल जाते रहे और लगातार वहां से लाने की बात करते रहे हैं और जब डिसइनवैस्टमैंट की बात आये तो यहां आकर अपोज करना मुनासिब नहीं है।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी आजकल बड़ी दुविधा में है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएं। इधर जाएं या उधर जाएं। मनमोहन सिंह जी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मेरे खिलाफ चुनाव में जब उनको खड़ा किया गया तो कहा गया कि वह प्राइम मिनिस्टीरियल कैन्डीडेट हैं। उस समय घोषणा की गई थी कि प्रधान मंत्री के स्तर के वे हैं। तब कहा गया कि उन्होंने जितनी पॉलिसीज बनाई हैं उन्हीं पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चुनाव में उनकी हार हो गई। हारने के बाद उनको लगा कि अब क्या रास्ता अपनाएं। फिर पैण्डुलम की तरह कभी इधर कभी उधर घूमने लगे। सवाल पैदा होता है कि नीति कौन तय करे-मनमोहन जी तय करें, प्रणब जी करें या यहां बैठे हुए हमारे साथी करें। संस्कृत में एक कहावत है, 'संशयात्मा विनशयन्ति'। अर्थात् जो आदमी संशय में पड़ा रहता है उसका नाश होता है। जैसे कहा गया है कि एक खरगोश जो जंगल के रास्ते से गुजरता है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वह आगे भागता है कि बच निकलूं। जब उसे दिखता है कि नहीं बचूंगा तो फिर पीछे भागता है और अंत में मर जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस दुविधा में है कि इधर जाएं या उधर जाएं। इसी चक्कर में एक साल से वह अपनी नीति तय नहीं कर सकी। सोनिया जी फिक्की की मीटिंग में गईं और कहा कि हम सुधारों

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम सुधारों के साथ चल रहे हैं परन्तु यहां आती हैं और बैंकों में इक्विटी कम करने की बात आ जाए तो हाउस में कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। इतना जबर्दस्त विरोध किया जाता है कि डिविजन मांगा जाता है। उनको खुद समझ में नहीं आता कि क्या पूरा शीर्षासन करें, पूरी तरह से उलट जाएं या थोड़ी बहुत इधर–उधर की बात रखें। कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहिए। आप हमें डब्लू.टी.ओ. में ले गए, आप गैट में ले गए और तब मैंने कहा था कि इसके अंदर जाना आसान है। यह ऐसी गुफा है जिसमें आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते और आज बाहर आने का रास्ता बंद है। चीन उसके अंदर जाने के लिए तड़प रहा है, कोशिश कर रहा है अंदर जाने के लिए। बाहर निकल नहीं सकते। आगे आप जाना नहीं चाहते। अगर वहीं खड़े रहेंगे तो मर जाएं, समाप्त हो जाएं, राजनीतिक आर्थिक तौर पर मृत्यु हो जाए, क्या स्थिति आप बनाना चाहते हैं? या तो आगे चलिये, रास्ता पीछे जाने का नहीं है। आप वहां ले गए थे आपने वहां पर जाकर ये शर्तें लगाई थीं, आपने वहां जाकर इन बातों को किया था।

अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग्ज को क्यों बेच रहे हैं। बहुत अच्छा काम कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कर रही हैं परंतु जब सवाल आता है प्रॉफिट मेकिंग का, तो कहते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग है, इसलिए न बेचो। घाटे वाली यूनिट्स में घाटा है इसलिए न बेचो, घाटे वाली का कोई पैसा नहीं देगा। मुझे मालूम है कि हर बार कहा जाता है कि घाटे वाली को पहले ठीक करो, वायेबल बनाओ और जब प्रॉफिट मेकिंग हो जाए तब बेचेंगे, नहीं तो वैल्यू नहीं मिलेगी। उस तरह न घाटे वाली बेची जाए, न मुनाफे वाली बेची जाए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार के खजाने में पहला अधिकार किसका होना चाहिए। सरकार के खजाने पर पहला अधिकार सबसे पिछड़े का, दलित का, सबसे गरीब का होना चाहिए। पांच लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है। सरकारी खजाने का पैसा उसमें लगना चाहिए।

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

अपराह्न 3.28 बजे

50 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, पांच करोड़ बच्चे स्कूलों में नही जाते हैं। क्या उनका पैसा निकालकर उन घाटे वाली अंडरटेकिंग्ज में डाल दिया जाए? क्या रुपया उनके ऊपर खर्च कर दिया जाए? कया हवाई जहाज चलाने के लिए, पांच सितारा होटल बनाने के लिए और इस तरह की जो बड़ी–बड़ी चीजें हैं, इन पर रुपया लगा दिया जाए? सामाजिक कारणों के लिए रुपया नहीं है तो सामाजिक कारणों में रुपया लगेगा या नहीं और उसके लिए घाटे में चलने वालों पर घाटा डालते जाओ, उन्हीं को चलाते जाओ? दो–तीन परसेंट लोग भी नहीं हैं जो जहाजों में चढ़ते हैं। एयरपोर्ट पर जाने वाले कितने लोग हैं और उनके इनफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च होता है क्या कभी हिसाब लगाया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटीज पूरे देश में बनानी हैं, उसके लिए 50 हजार करोड़ रुपया चाहिए, अगर पोर्ट्स ठीक करने हैं तो 50–60 हजार करोड़ रुपया चाहिए। 2000 किलोमीटर सड़क बनानी है तो एक लाख करोड़ रुपया चाहिए। अगर हमें ऊर्जा पैदा करनी है तो दो–तीन लाख करोड़ रुपया चाहिए। कहां से रुपया आएगा? क्या गरीब का पैसा यहां लगा दिया जाए? तीन रास्ते हैं। एक रास्ता यह कि कर्ज़ा लिया जाए। कर्जा लेकर लगाएंगे तो पहले ही कर्जे में भारत इतनी बुरी तरह से डूबा हुआ है। आपकी वजह से डूबा हुआ है। आपने हिन्दुस्तान को कर्ज़दार बनाकर जितना हमारा ऐवेन्यू है उससे ज्यादा हमारा डैट क्लियरेन्स स्कीम में पैसा जाता है। कर्ज़े और सूद में रेवेन्यू से ज्यादा पैसा जाता है तो कर्ज़ा जब और लेंगे तो हिन्दुस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा।

सभापति महोदय, दूसरा रास्ता यह है कि वहां पर उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, कुछ न किया जाए। धीरे–धीरे बीमार होने वाले उद्योग अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं और वहां से मजदूरों को निकल दिया जाए। तीसरा रास्ता यह है कि डिसइनवैस्टमेंट किया जाए और इन्हें निजी क्षेत्र द्वारा चलाने दिया जाए। सरकार का काम होटल चलाना नहीं हैं। सरकार अपने पैसे को गरीबों के उद्धार हेतु उपयोग में लाए, यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए तीसरा रास्ता डिसइनवैस्टमेंट का चुना गया और निर्णय किया गया कि इस काम को किया जाए।

सभापति महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि कर्मचारियों की छंटनी न की जाए। कर्मचारियों को कोई नुकसान न हो और जैसा बसुदेव आचार्य जी ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि ट्रांसपरेंसी होनी चाहिए और सबको खुले तौर पर बोली में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, मैं उनकी उस बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसमें शेयर वैल्यू, डिसकाउंट वैल्यू पर रीयल वैल्यू न रखी जाए, बल्कि रीयल वैल्यू देखी जाए, जो मार्केट में है। उन्होंने मॉडर्न बेकरी का जिक्र किया। यदि उसकी जगह को कामर्शियल या इंडस्ट्रियल परपज के लिए यूज किया जाए, तो उसमें से बहुत रुपया आ सकता है। यह उनका कहना था और मैं भी यही समझता था और यदि वालंटिरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत कर्मचारियों को निकाल दिया जाए और उस जगह पर मकान बना दिए जाएं या इंडस्ट्रियल हाउसेस बना दिए जाएं, तो

उससे बहुत पैसा आ सकता है, लेकिन यदि वहां बेकरी चलानी है और मजदूरों को काम देना है, तो वहां से इतना पैसा नहीं आ सकता है। फिर तो उस स्थान पर बेकरी ही चलेगी और डी.टी.सी. का शैड ही रहेगा। इसलिए उसकी कीमत नहीं है और कामर्शियल, रेजीडेंश्यल या इंडस्ट्रियल न होकर वह अंडरटेकिंग को चलाने का काम है। इसलिए वह ठीक है। अगर आप यह कहें कि ओपन बिड में 106 करोड रुपए से बढाकर कोई 150 करोड रुपए दे, तो उसे जरूर देना चाहिए। इसलिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ओपन बिड हो जिसमें सभी को मौका मिले और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो।

सभापति महोदय, दुनिया बदल गई, संसार बदल गया, लेकिन हमारे कम्युनिष्ट मित्र नहीं बदले, यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आज भी दकियानूसी, बैकवर्ड और यथास्थितिवादी हो सकते हैं, यह हैरानी की बात है। आज दुनिया बदलने के बाद भी वे इस बात को न समझ सकें, यह मेरी समझ से परे है। आज कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, देश के गरीब, पिछड़े, दलित एवं शोषित वर्ग के कल्याण के कार्यों के लिए रुपया उपलब्ध कराना सरकार का कार्य होना चाहिए और ऐसा करने के लिए डिसइनवैस्टमेंट किया जाना ही एकमात्र रास्ता बचा है और उसी तरह से भारत सरकार कर रही है। इससे देश को लाभ होगा, देश में रहने वाले मजदूरों, गरीबों, पिछड़ों एवं दलितों के कल्याण के कार्य होंगे और दुनिया भर में हमारा स्थान ऊंचा बनेगा। यहीं कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : सभापति महोदय, मैने अभी माननीय सदस्य डा. विजय कुमार मल्होत्रा को सुना है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि विनिवेश, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, का यह मुद्दा चर्चा से हटता जा रहा है और दल बनाम दल का मुद्दा बनता जा रहा है। मैंने माननीय मंत्री को भी कुछ वक्तव्य देते हुए भी सुना है और मुझे प्रसन्नता है कि मैं उन्हें यहां राजनीतिज्ञ और कभी-कभी एक अर्थशास्त्री के रूप में देख रहा हूं।

इसका श्रेय कांग्रेस को और सदन के इस पक्ष को दिया जाता है कि कांग्रेस ने ही सुधारों की नीति अपनाई और वे सुधार ही एक आवरण बन जाते हैं जिनके पीछे यह सरकार कभी-कभी आश्रय लेना चाहती है। विनिवेश आर्थिक सुधारों का घटक है और निःस्संदेह कांग्रेस पार्टी जिसमें मैं भी मंत्री था, ने वर्ष 1991 में, उस समय आर्थिक सुधार किए। इस बारे में बहुत सी चीजों को समझना जरूरी है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह उस समय की परिस्थितियों और भावनाओं को समझे।

यह ऐसा दृष्टिकोण नहीं था जिससे कांग्रेस पचास, साठ और सत्तर के दशक की अपनी नीतियों से पीछे हट रही थी। यह बात भी नहीं थी कि कांग्रेस ने अचानक अपने वैचारिक दृष्टिकोण को बदल लिया था।

महोदय, जिसकी शुरूआत हमने वर्ष 1991 में की थी, यह परिवर्तन उन्हीं नीतियों से निकला था जिनका कांग्रेस ने अनुसरण किया, जिनकी कांग्रेस ने 1950, 1960 और 1970 के दशक में घोषणा की। यह अपने दृष्टिकोण से मुकर जाने वाली बात नहीं थी और यह कुछ ऐसी बात है जिससे सुस्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। उस समय हमारे सामने चुनौती यह थी कि यह कार्य कैसे किया जाए। इसकी जिम्मेदारी हम पर थोपी जाती है अभी-अभी हमें आंकड़े दिए गए हैं। कोई चीन, कोई इटली और कोई इग्लैण्ड की बात कर रहा था। जब उस समय यह चुनौती हमें दी गई थी तो उस समय कोई मॉडल नहीं था। हमारे सामने ऐसा कोई माडल नहीं था जो भारत के अनुकूल हो। आर्थिक सुधारों के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में हमारे पास ऐसा कोई देश नहीं था जिसकी हम नकल कर सकते। उस समय विश्व बैंक भी ऐसी कोई तजबीज नहीं दे सका जो भारत की सामाजिक दशाओं, सामाजिक बाध्यताओं हमारे आर्थिक लक्ष्यों और आर्थिक बाध्यताओं के अनुकूल और उपयुक्त हो। हमारे सामने यही चुनौती थी।

जब हमने आर्थिक सुधार किए, विनिवेश जिनका एक घटक था, तो हमने एक भारत विशिष्ट मॉडल का अनुसरण किया। हम इसे समाप्त नहीं होने देना चाहते थे। ऐसा मैक्सिको और कुछ अन्य दक्षिणी अमेरीकी देशों में हुआ था। हम दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रतिमान का अनुसरण नहीं कर सके। चीन कोई उदाहरण नहीं है क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पूर्ण रूप से अलग अलग थे। यहां ये लोग जब भी विनिवेश का मुद्दा आता है तो हर बार वाद-विवाद में तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, औचित्य देने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रो. मल्होत्रा कह रहे थे कि कांग्रेस को पता नहीं है कि उसे कहां जाना है? कांग्रेस यह बात जानती है। इन्हीं लोगों को पता नहीं है कि कहां जाएं, इन्हीं लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं है और इन्हीं लोगों को रास्ते का पता नहीं है। जब हमने विनिवेश शुरू किया तो हमारे उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट थे। हमारे मन में कोई भ्रांति नहीं थी।

आज जब हम विनिवेश की बात करते हैं तो हमें यह जानना

[श्री कमल नाथ]

चाहिए कि विनिवेश और निजीकरण के बीच अन्तर है। आप निजीकरण के बिना विनिवेश कर सकते हैं। और आप चोरी–चोरी अथवा गुप्त रूप से विनिवेश के बिना निजीकरण कर सकते हैं। आप और शेयर निकालते हैं। और लोगों के पास जाकर इक्विटी को दो गुणा अथवा तीन गुणा करते हैं और फिर आप यह कहते हैं कि आपने विनिवेश नहीं किया है बल्कि आपने इसका निजीकरण किया है। अतः विनिवेश और निजीकरण के बीच खुद को भ्रम में न डालें।

जब हमने विनिवेश की बात की तो हमारे मन में कुछ उद्देश्य थे। हम इसके बाह्य रूप और मूलरूप में परिवर्तन नहीं कर रहे थे। जब हम विनिवेश की बात करते हैं तो हम एकाधिकार क्षेत्र को समाप्त करने की बात करते हैं, हमने सरकारी क्षेत्र को समाप्त करने की बात नहीं की। जो चुनौती हमें दी गई थी वह यह थी कि हम 'गैट' में शामिल हो गए। हम पिछले दशक में बनी हजारों करोड़ रुपए मूल्य की राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों की बात कर रहे हैं। वर्तमान सरकार को– यह वास्तव में वर्तमान सरकार है, यह सदा रहने वाली सरकार नहीं है– राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को सबसे पहले इस मुद्दे का अपने भीतर हल करने की आवश्यकता है।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनके अपने मंत्री महोदय ने अप्रैल में कहा कि निहित स्वार्थों द्वारा इतने जोरदार तरीके से गलत सूचना फैलाई गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम लोगों को तथ्यों की जानकारी है। मैं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की रिपोर्ट को पढ़कर सुना रहा हूं। इन्होंने अपने ही मंत्री को उद्धृत किया है जिन्होंने अप्रैल 2000 में, दुर्भाग्यवश वह 1 अप्रैल 2000 था, कहा कि मैं नहीं जानता कि यह उनका मजाक किया गया है या हमारा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हमारे देश के औद्योगिक विकास की जान हैं।

अतः महोदय जब हम सरकारी क्षेत्र की बात कहते हैं तो हम दशकों से स्थापित संस्थाओं की बात करते हैं। हम उन संस्थाओं की बात कर रहे हैं जो न सिर्फ हमारी आर्थिक नीतियों बल्कि हमारे आर्थिक ढांचे का आधार हैं।

महोदय, जब हम उन सभी संस्थाओं की बात करते हैं, तो ये संस्थाएं कार्यपालिका की किसी एक कार्यवाही से समाप्त नहीं की जा सकती। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है और इस तरह से आप इसे दलगत मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहें है। मैं दोहराता हूं कि यह कोई दलगत मामला नहीं है। हम पिछले कुछ दशकों और आगामी कुछ दशकों की बात कर रहे हैं। हम हजारों करोड़ रुपयों की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इस सरकार के वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में विनिवेश के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये जुटाए हों वह आपका मामला है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आपका मामला राष्ट्रीय मामला भी हो, अतः यह चिंता का विषय है, परन्तु मैं देख रहा हूं कि इस मामले को महत्वहीन बनाया जा रहा है। श्री मल्होत्रा श्री ज्योति बसु के बाहर जाने के बारे में कह रहे थे। वे कह रहे थे कि ग्रेट ईस्टर्न होटल बेचा जा रहा है। विनिवेश के इस मामले को बहुत बेतरतीव पूर्ण और महत्वहीन तरीके से निपटाया जा रहा है। हमें इस पर आपत्ति है सरकारी क्षेत्र से मतलब है वह क्षेत्र जिसका निर्माण गत पचास वर्षों के दौरान हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया गया है।

महोदय, श्री अरूण शौरी कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा कहा, वैसा कहा। लेकिन मुझे यह स्पष्ट कर लेने दीजिए कि कांग्रेस को विशेष राष्ट्रीय हित में विनिवेश करने या निजीकरण पर सिद्धान्त रूप से कोई आपत्ति नहीं है। श्री शौरी एक पत्रकार हैं। वे छुपे हुए अर्थ को पढ़ना, उसका विश्लेषण करना, उसे कम करना जानते हैं। वे ऐसा वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ आपत्तियां हैं और आजकल जिस प्रकार विनिवेश हो रहा है हम इस तरीके का विरोध करते हैं। यह बिना किसी सुविचारित योजना का विनिवेश कार्यक्रम है।

महोदय, हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर इस प्रकार के सैद्धान्तिक हमले और जिस प्रकार यह किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। यह कहा जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकार से पिछले बहुत से वर्षों से बहुत अधिक पैसा ले चुके हैं। आंकड़े दिए जा रहे हैं। बिना सोचे विचारे और बिना किसी सुनिश्चित नीति के यह सैद्धान्तिक हमला हो रहा है। यह नीति इस सरकार की संपत्ति नहीं है। यह नीति किसी राजनैतिक दल की संपत्ति भी नहीं है। संसद को भी इसका एक हिस्सा होना पड़ता है। हम यहां अपनी संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं और यह नीति संसद में रखी जानी चाहिए और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए। जब कांग्रेस 1950, 1960 और 1970 में हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्माण कर रही थी तो संसद इस नीति का एक हिस्सा थी। उनके निर्माण हेतु हमने जो राशि आबंटित की थी उसे संसद ने स्वीकृति प्रदान की थी। आज जब किसी नीति को पलटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो भी संसद को इसकी नीति तय करनी चाहिए। आज आपकी सरकार है। कल कोई अन्य सरकार होगी। मुझे नहीं लगाता कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहमति जुटाए बिना या सुस्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित किए बिना कांग्रेस वर्तमान सरकार की किसी विनिवेश नीति का समर्थन कर सकती है। विनिवेश नीति को न केवल संसद में रखा जाना

चाहिए बल्कि उस पर श्वेत–पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। हम इस मामले पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि विनिवेश पर श्वेत–पत्र जारी करने में इस सरकार को क्या परेशानी या हिचक हैं।

महोदय, हम विनिवेश पर एक स्थायी समिति का गठन करने की भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि, जब हम एक स्थायी समिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा मतलब है कि इससे देश के लोगों की बचत के हजारों करोड़ रुपयों के लेन–देन की जांच करने का मौका मिलेगा। मैं इससे सहमत हूं कि एक स्थायी समिति का गठन करना इस सरकार का विशेषाधिकार नहीं है। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया जाता है लेकिन मेरा विचार था कि सरकार हमारी मांग का समर्थन करेगी।

महोदय, यदि यह सरकार और माननीय मंत्री जी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो फिर वे विनिवेश पर श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते जिसमें यह नीति समाहित हो और इसे पारदर्शी स्वरूप प्रदान हो।

अपराह्न 3.45 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

सरकार विनिवेश संबंधी स्थायी समिति के गठन की मांग का समर्थन क्यों नहीं करती ? यह कहना कि विनिवेश संबंधी स्थायी समिति वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा होगी, भी इस मामले के महत्व को कम करना है। पहले कभी भी विनिवेश मंत्रालय का अस्तित्व नहीं रहा है। श्री शौरी पहले विनिवेश मंत्री हैं और यह उनका पहला काम होना चाहिए ....*(व्यवधान)* ठीक है, चाहे यह पहले मंत्री का दूसरा कार्यकाल है या दूसरे मंत्री का पहला, चाहे जैसे भी हो, वह अप्रासंगिक है। लेकिन मुद्दा यह है कि यदि वे बहुत पाक साफ हैं, यदि आज सरकार की सोच पारदर्शी है तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह सरकार और ये मंत्री विनिवेश संबंधी स्थायी समिति का गठन करने की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? यह सरकार और ये मंत्री श्वेत–पत्र लाने पर सहमत क्यों नहीं होते ? आइए सब इस पर चर्चा करें। न केवल इस पर इस सदन में चर्चा करें बल्कि इसपर एक राष्ट्रीय बहस भी कराएं। श्री शौरी के कहीं कहा है कि स्कूटर्स इंडिया के बहुत से कर्मचारी इनसे मिले और उन्होंने इसे शीघ्रातिशीघ्र करने को कहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की होगी। आइए इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा कराएं ताकि उन्हें सदन में खड़े होकर अपने कक्ष में जो भी चर्चा की उसके बारे में न बताना पड़े।

हम गत पचास वर्षों के दौरान स्थापित की गई संस्थाओं, वे संस्थाएं तो हमारे देश का गौरव हैं, वे संस्थाए तो हमारे देश के आर्थिक ढांचे का आधार हैं के बारे में बात कर रहे हैं। इसी आर्थिक ढांचे ने हमें मजबूती प्रदान की है। जब हम जी. डी. पी. या अपने बड़े आर्थिक आंकड़ों की चर्चा करते हैं तो इसमें सरकारी क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका है। अतः हम एक नीति चाहते हैं। हम लोग एक ऐसी नीति चाहते है जिससे इस देश को पता चले कि धनराशि का उपयोग किस तरह किया जाएगा। क्या यह धनराशि वर्तमान सरकार के लेखे–जोखे में है? क्या यह धनराशि राष्ट्रीय पूंजी निधि में जा रही है? क्या यह धनराशि राष्ट्रीय ऋण कम कर रही है? एक तरफ तो सरकार राष्ट्रीय ऋण की राशि में बढ़ोतरी कर रही है और दूसरी ओर वे राष्ट्रीय ऋण कम करने की बात कर रहे हैं। हमें इन निधियों का क्या करना है? क्या हम विनिवेश की बात कर रहें हैं या हम निजीकरण की बात कर रहे हैं ?

प्रत्येक इकाईयों को विशेष दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हमें उन इकाईयों पर नजर रखनी है जो लाभ में चल रही हैं और वे जो घाटे में चल रही हैं? यह भी देखना होगा कि ये घाटे अस्थायी हैं या निरंतर चलने वाले हैं। दोनों में कोई कैसे भेद कर सकता है? सरकार राष्ट्रीय महत्व के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका पर कैसे नजर रखेगी? इस पर सरकार का क्या रवैया रहने वाला है? सरकार इसका मूल्यांकन कैसे करेगी? वे केवल लेखा हेतु ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपितु ये वस्तुगत संमत्ति हैं। काश श्री मल्होत्रा यहां होते। जब आप किसी परिसम्पत्ति का मूल्यांकन करते हैं....*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : श्री मल्होत्रा हमेशा भाषण करने के बाद शीघ्र चले जाते हैं। यह छठी बार है जब मैंने ऐसा होते हुए देखा है। यह सभा के तौर तरीकों के खिलाफ है जैसा कि कई बार इसे वितरित कर बताया जाता है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप श्री मल्होत्रा जी को मर्यादित व्यवहार करने के लिए कहें।

श्री अरूण शौरी : उस सदस्य का नाम लिया गया जो अभी उपस्थित नहीं हैं? क्या मैं माननीय सदस्यों को स्थिति से अवगत करा सकता हूं ?

मुझे यह बताया गया था कि श्री मल्होत्रा को एक पूर्व निर्धारित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करना था इसलिए वे चले गए...*(व्यवधान)* कृपया अन्य व्यक्ति जो कह रहे हैं, उसे भी स्वीकार करें।

ऐसा नहीं होता यदि चर्चा विलंब से नहीं शुरू होती यह इसलिए विलंब से शुरू हुई क्योंकि एक सदस्य अपने नियम 377 के तहत् कोई मुद्दा उठाना चाहते थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं बता रहा था कि हम नीति पत्र और श्वेत पत्र में क्या देखना चाहते हैं। हम यह देखना चाहेंगे कि इन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किस तरह किया जा रहा है, मूल्यांकन वास्तविक और अवास्तविक दोनों तरह से होता है। कम्पनी मार्का एक मूल्य होता है जो परिसम्पत्तियों में प्रतिबिम्बित नहीं होता है।

हम इन सब चीजों में स्पष्टीकरण चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा है और मैं दुहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी विनिवेश और निजीकरण का विरोध नहीं करती। लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। हम एक श्वेत–पत्र चाहते हैं जिसमें यह शामिल होगा कि बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के दृष्टिकोण से सरकारी क्षेत्र की इकाईयों से आप किस तरह निपट रहे हैं। हम यह देखना चाहेंगे कि आप उन सरकारी क्षेत्र की इकाईयों से कैसे निपटेंगे जिन्हें निजी क्षेत्र द्वारा अपने अधिग्रहण में ले लिया गया था और जिन्हें सरकारी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। आप उनसे कैसे निपटेंगे?

इसलिए इसका एक विस्तृत दायरा है इसके समग्र पहलू पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते, मैं समझाता हूं, हम लोग भारी गलती करेंगे। हम सरकारी क्षेत्र के निगमीकरण का प्रस्ताव कैसे करते हैं? क्या हम निगम बनाने के बिना ही विनिवेश की बात कर रहे हैं? क्या इस तरह से हम प्रतिस्पर्धा के समान स्तर का निर्माण (लेवल–प्लेइंग फिल्ड) की बात कर रहे हैं ? इन सब पर विचार करना होगा। जिन बातों की चर्चा श्री बसुदेव आचार्य जी ने की उसमें मैं नहीं जाऊंगा। वे सब बातें ठीक हैं किन्तु मैं इस पर और ज्यादा जोर देना चाहता हूं। आपके पास सभी सामग्री है, आपके पास "स्कोप" (एस. सी. ओ. पी. ई.) के रिपोर्ट और आंकड़े हैं। मेरे मित्र इस मुद्दे पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब तक हम यह नहीं देख लेते हैं कि इस सरकार द्वारा शुरू की गई नीति पूरी तरह से पारदर्शी है तब हम आपकी सरकार की विनिवेश नीति का विरोध करते रहेंगे।

महोदय, इस सरकार ने बैंको के बारे में उल्लेख बहुत ही सामान्य ढंग से किया है। बैंकों का इस देश की जनता के साथ भावनात्मक संबंध हैं। क्या हुआ जब बैंकों में पहले ही कुछ विनिवेश किया गया। इससे कितना इक्विटी कम होगा? जब हम बैंकों के विनिवेश की बात करते हैं, तब वे कहते हैं कि हम भी विनिवेश चाहते थे, बिना यह कहे कि हम क्या कर रहे थे, क्या चाहते थे और कितना प्रतिशत कम हुआ। वे ऐसा नहीं कहेंगे। और इन आधी–अधूरी बातों को अन्यायपूर्ण तरीके से सरकार द्वारा न्यायोचित ठहराया जाता है।

इसलिए, हम लोग इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए हम लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय परिसम्पत्ति की बात कर रहे हैं। हम लोग अपने देश के एक बिलियन लोगों के बचत की बात कर रहे हैं। बैंक जो हमारे देश की आधारशिला हैं, जो हमारे 'गरीबी हटाओ" कार्यक्रम के प्रतीक हैं उसके हम निश्चित निजीकरण का हम समर्थन नहीं कर सकते या उन्हें निजी क्षेत्र के हाथों में नहीं सौंप सकते। आगे बढ़िए, हमारे बैंकों का आधुनिकीकरण कीजिए। वहां बेहतर कार्य संस्कृति का निर्माण कीजिए। इसमें हमलोग आपके साथ हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि वहां एक बेहतर कार्य संस्कृति होनी चाहिए। हम इस बात में भी विश्वास करते हैं कि बैंको को अपने आपको बदलना होगा। सरकार और संसद को इसका समर्थन करना होगा। हम इन बैंको का विरोधी न बनें जो विगत वर्षों में हमारे आर्थिक समृद्धि के प्रतीक हैं।

महोदय, मुझे यह लगता है कि इस सरकार के लिए विनिवेश ही इनका एकमात्र "मंत्र" बन गया है। हमने विनिवेश के बारे सरकार की तरफ से दिए गए कई सदस्यों के वक्तव्यों को सुना है। प्रत्येक दिन हम यह सुनते हैं कि "फलां–फलां एयरलाइन का विनिवेश किया जाने वाला है, फलां–फलां सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया जा रहा है।' क्या सरकार का केवल यही आर्थिक "मंत्र" है? ऐसा प्रतिदिन होने लगा है। उनके लिए विनिवेश भंडार खत्म करने के लिए की जाने वाली बिक्री की तरह है जो अपना दुकान बंद करना चाहती है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इसका विरोध करेंगे। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं, जो इस विनिवेश प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, कि हम इसका न केवल अभी विरोध करेंगे बल्कि भविष्य भी इसका विरोध करेंगे और जब तक इस सभा की स्वीकृति नहीं मिलती, इस सभा में श्वेत पत्र नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता, तब तक हम सरकार की इस त्रुटिपूर्ण नीति का विरोध करते रहेंगे। हम अभी इसका विरोध करते हैं और भविष्य में भी इसका विरोध करते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : आदेश पत्र में कहा गया था कि यह चर्चा दो बजे शुरू होगी लेकिन यह 35 मिनट देर से शुरू हुई। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा की कार्यवाही 35 मिनट और बढ़ायी जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हम उस पर कल चर्चा करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : हमें और आधा घंटा चाहिये।

सभापति महोदय : कल हम अधिक समय ले लेंगे। अब 4 बजे से सप्लीमेंटरी डिमांड्स को शुरू किया जाये।

श्री मणिशंकर अय्यर : सभापति जी, सिर्फ इस शर्त पर कि कल आधा घंटा इसमें जोड़ा जाये।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जो सलाह–मशविरा हुआ, उसमें यह तय किया गया था कि आज 2 बजे से 4 बजे तक और फिर कल 2 बजे से 4 बजे तक डिसइन्वैस्टमेंट मैटर पर चर्चा होगी क्योंकि इसके लिये 4 घंटे समय तय किया गया था आज यह बहस 2.35 बजे शुरु हुई, आधा घंटा निकल गया। आज 4 बजे सप्लीमेंटरी डिमांड्स आ गई। आप चाहें तो ये डिमांड्स हम 7–8–9 बजे तक बैठकर पूरा कर लेंगे। यदि डिसइन्वैस्टमेंट पर चर्चा 4.35 बजे तक जारी रहे तो भी सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इन लोगों की रिकवैस्ट मान लें तो यह बात बिलकुल ठीक होगी।

सभापति महोदय : जैसा श्री मणिशंकर जी ने कहा हम कल आधा घंटा ज्यादा ले लेंगे। अब सप्लीमेंटरी डिमांड्स 4 बजे ले लेते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : चेयरमेन साहब, तो कल आधा घंटा जोड़ दीजिये क्योंकि जो 35 मिनट आज गये हैं, उन्हें कल में जोड़ दें।

श्री अरूण शौरी : सभापति जी, अगर आप आधा घंटा कल जोड़ देते हैं तो यह भी देखते रहिये कि सब कितना समय ले रहे हैं। उस समय यह न हो कि जब मेरे जवाब देने का समय आये तब आप कहें कि 4.30 बज गये हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : शौरी जी, आप तो पत्रकार रहे हैं, वह लिखित रूप से जवाब देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अपने विचार व्यक्त करने के लिये सबको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्र का विचार यहां प्रदर्शित होना चाहिये।

आज हम राष्ट्रीय संपत्ति को बेचे जाने पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के बीज वास्तव में 1991 में बोये गये थे जब हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया था, जब हमने विदेशों से उद्योगों को आकर्षित करना और हमसे प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया था। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये अब और सुरक्षा नहीं थी। इस प्रकार धीरे–धीरे समस्या शुरू हुयी।

आइये मारूति उद्योग लिमिटेड का मामला लें। यहां तक कि दो साल पहले तक यह सबसे अच्छे उद्योगों में एक था। आज इसकी बिक्री घटी है और अन्य कंम्पनियों से इसकी प्रतिस्पर्धा में गिरावट हुयी है। अन्य कार उद्योगों ने बाजार में अपने लिये जगह बनाई है। जब तक कुछ कदम नहीं उठाये जाते, मारूति उद्योग लिमिटेड की स्थिति पहले जैसी नहीं रह सकती।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की अनुशंसा करने के लिये श्री जी. वी. रामाकृष्णा की अध्यक्षता में 1996 में एक विनिवेश आयोग का गठन किया था।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करता हूं कि वह मेरी बात सुनें।

श्री कमलनाथ : कौन मंत्री ?

श्री. एम. वी. वी. एस मूर्ति : मेरा अनुरोध वित्त मंत्री और विनिवेश मंत्री दोनों से है।

श्री कमलनाथ : महोदय कई मुद्दे जो मैंने उठाये है, वह विनिवेश मंत्री के उत्तर देने की सीमा के बाहर हैं। माननीय वित्तमंत्री जी यहां हैं। मैं माननीय विनिवेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया वह माननीय वित्त मंत्री को बतायें कि क्या ये उनकी परिधि से बाहर है ताकि माननीय वित्तमंत्री उन बातों का जवाब दे सकें।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री. एम. वी. वी. एस मूर्ति : मैं माननीय ससदीय कार्य मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कम से कम इस चर्चा में जल्दबाजी न करें। मैं पर्याप्त समय देने के लिये उनसे अनुरोध करता हूं कि क्योंकि इसमें राष्ट्रीय संपत्ति लगी हुई है। हर प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिये। कम से कम लोगों को आपकी हमारी सरकार के बारे में गलत न समझे....*(व्यवधान)* हम सरकार में नहीं हैं। सभा को पता है कि मेरा आशय क्या है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मूर्ति आप कल अपनी बात जारी रख सकते हैं। अब मुझे एक घोषणा करनी है।

माननीय सदस्यों इसके पहले कि सभा अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा शुरू करे, मुझे एक टिप्पणी करनी है। जैसा कि सभा को मालूम है, आज की कार्यसूची में कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2000 विचारार्थ और पारित होने के लिये अंतिम विषय के रूप में कार्य सूची में सूचीबद्ध है। यदि सभा सहमत हो, अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक दोनों को चर्चा के लिये एक साथ लिया जाये।

कई माननीय सदस्य : हां

सभापति महोदय : ठीक है।

....*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या मैं संसदीय कार्य मंत्री की बात मान लूं कि कल हम दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक इस पर चर्चा करेंगे?....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : वही चर्चा 2 बजे से 4 बजे तक होगी....*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : मंत्री जी की अनुपस्थिति में आज चर्चा 35 मिनट देर से शुरू हुई।...*(व्यवधान)* इसलिये हमने अध्यक्ष पीठ से अनुरोध की है कि कल हमें अतिरिक्त 35 मिनट दिये जाएं। कुछ सेकेण्ड पहले संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी सीट से संकेत दिया था कि सभा की कार्यवाही 6 बजे तक बढ़ाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : सभा में कई लोगों की तुलना में वह अधिक तार्किक है। इसी कारण हम इस प्रकार सहमत हो गये थे. ..*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कोई किसी बात पर सहमत नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : आप यहां उपस्थित नहीं थे। कृपया व्यवधान उत्पन्न न कीजिए। कृपया मेरी बात सुनिये...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मुझे दुख है।

श्री माधवराव सिंधिया : हममें इस बात पर सहमति बनी थी कि 2 बजे से 4 बजे तक विनिवेश पर और 4 बजे के बाद अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा शुरू होगी। सहमति हुयी थी कि सभा की कार्यवाही का समय बढ़ाया जा सकता है और यह आज ही पारित हो जायेगा। तथापि कल फिर 2 बजे से 4 बजे तक यह चर्चा फिर शुरू होगी। लेकिन अज्ञात कारणों से, जैसा कि हुआ, विनिवेश पर चर्चा 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू हुयी। इसने मूल्यवान समय को बेकार किया। आप मानेंगे कि 4 घंटे भी कम होगा। चूंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था और हमें सरकारी कार्य को भी समायोजित करना था। इसी कारण हम 4 घंटे की चर्चा के लिये सहमत हो गये। चूंकि 35 मिनट बढ़ाया गया है। इसलिए हमने इस समय को आज या कल जोड़ने के लिये अनुरोध किया था। हम अब भी अपने वचन पर कायम हैं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) और (रेल) पास हो जायेंगी। वह इस पर सहमत हो गये थे और मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यदि वह सहमत हो गये हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : तो यह इस मामले की समाप्ति है. ..*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यदि 35 मिनट उस तरीके से जाता है, तो मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से और बात कर लीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : हमारी नजर में एक ही है, चाहे आप आसीन हो, या स्पीकर साहब हों।

अपराह्न 4.04 बजे

[अनुवाद]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) *

और

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : ठीक है, अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों और कराधान विधि पर एक साथ चर्चा की जायेगी।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त अधिनियम, 2000 तथा आय कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1, 5, 8, 12, 13, 28, 30, 33, 39, 40, 41, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 69, 75, 77, 81, 84, 85, 87 और 88 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों; कतिपय और राशियों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनिधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000–2001 की दूसरी अनुदानों की पूरक मांगों (सामान्य) की सूची

संख्या और मांग का नाम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि		
1	2	3	4	5
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	300000	100000	400000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
5.	रसायन और पैट्रो–रसायन विभाग		986700000	986700000
1	2	3	4	5
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय				
8.	वाणिज्य विभाग	138100000		138100000
संचार मंत्रालय				
12.	दूर संचार विभाग	100000		100000
13.	दूर संचार सेवा विभाग		100000	100000
वित्त मंत्रालय				
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां		1000000000	1000000000
30.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	5000000000		5000000000
33.	व्यय विभाग	100000		100000
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
39.	सार्वजनिक वितरण विभाग	2000000000		2000000000
40.	उपभोक्ता मामले विभाग		30000000	30000000
41.	शर्करा और खाद्य तेल विभाग		450000000	450000000
गृह मंत्रालय				
47.	पुलिस	1500000000		1500000000
48.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	100000	133200000	133300000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
50.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	100000		100000
1	2	3	4	5

52. महिला और बाल विकास विभाग	100000		100000
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय			
54. भारी उद्योग विभाग	164200000	3003000000	3167200000
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
56. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		84200000	84200000
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
58. विधि और न्याय	28400000		28400000
विद्युत मंत्रालय			
69. विद्युत मंत्रालय	3143300000	52100000	3195400000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
75. जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	149200000		149200000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
77. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1846600000		1846600000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय			
81. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	200000		200000
शहरी विकास मंत्रालय			
84. शहरी विकास		100000	100000
85. लोक निर्माण कार्य		200000	200000
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
87. शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन		100000	100000
जल संसाधन मंत्रालय			
88. जल संसाधन मंत्रालय	200000	150000000	150200000
कुल जोड़	13971000000	5889800000	19860800000

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1, 5, 8, 12, 13, 28, 30, 33, 39, 40, 41, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 69, 75, 77, 81, 84, 85, 87 और 88 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों; कतिपय और राशियों, को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

"कि वित्त अधिनियम, 2000 तथा आय कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों से संबंधित चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ

हूं। ये चर्चाएं इसी प्रकार से होती हैं तथा दलगत विचारों से ऊपर उठकर प्रत्येक वित्त मंत्री अनुमानित बजट के अतिरिक्त तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन के लिए इसे सदन में प्रस्तुत करता है जिससे घाटा और बढ़ जाता है।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है। वित्त मंत्री जी के प्रति बिना किसी विद्वेष के मैं यह कहना चाहूंगा कि उनकी सरकार में देश की वर्तमान वास्तविकता के प्रति जागरूकता का अभाव है। उनकी सरकार को क्षेत्रीय वास्तविकताओं की कोई जानकारी नहीं है। उसे मजदूरों की और किसानों की दुर्दशा के बारे में जानकारी नहीं है।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि कामकाजी वर्ग, किसानों और विशेषकर इस देश के लघु क्षेत्र के उद्योगों का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि किस प्रकार इस सरकार ने अत्यन्त क्रूरतापूर्वक–मैं 'क्रूरतापूर्वक' शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा–वर्ष 1999–2000 के अपने लक्ष्यों और अपने बजट अनुमानों में कमी करके गरीबी उपशमन योजनाओं में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रदान की गयी सहायता के साथ समझौता कर लिया। इन लक्ष्यों और बजट अनुमानों पर हम पिछली बजट चर्चा में चर्चा कर चुके हैं। हमने यह आशा की थी कि यह सरकार इस पहलू पर पुनः चर्चा करेगी और इस कार्यक्रम के लिए अधिक धन का आबंटन करेगी। लेकिन हमारी आशाएं धूमिल हो गयीं। इस सरकार ने जल्दबाजी से काम किया; पारदार्शिता के बिना काम किया, दूरदर्शिता के बिना काम किया, और आधाभूत वास्तविकताओं को समझे बिना काम किया और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर, कामकाजी वर्ग पर और किसानों पर भारत के लोगों पर अवांछित भार डाल दिया।

पिछले कुछ दिनों में, दलगत मतभेदों को भूलकर इस सदन के प्रत्येक सदस्य ने तीन बातों पर किसानों का मुद्दा उठाया। प्रथमतः राजसहायता को वापस ले लिये जाने के परिणास्वरूप उत्पादन की लागत को उचित ठहराने के लिए मूल्य बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। दूसरे, उन्हें प्रदान की गयी भंडारण और अन्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के कई भागों में एम.एस.पी. के अन्तर्गत औने–पौने दामों में वसूली/खरीद अभियान ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। सरकार का स्थिति के प्रति रवैया अब तक निराशाजनक और नकारात्मक रहा है। निःसन्देह, सरकार का संतुलन बनाए रखने के लिए और तेलुगु देशम् पार्टी का समर्थन प्राप्त करने के लिए, सरकार ने बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्दशा को पूरी तरह से समझे बिना तेलुगु देशम पार्टी के मामले पर प्रतिक्रिया की।

वित्त मंत्री जी कहेंगे कि कांग्रेस को भा.ज.पा सरकार पर आरोप लगाने की आदत है, इसलिए मैं अपने शब्दों में सरकार के कार्यकरण के संबंध में प्रश्न नहीं करूंगा। मैं भा.ज.पा. के आदर्शवाद का उल्लेख करने का अधिकार चाहूंगा। श्री जय दुबाशी के शब्दों में मैं यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार यह सरकार अपना कार्य कर रही है। उनके अनुसारः

> मेरा विचार था कि वह दिन कभी नहीं आयेगा जब मुझे अपनी पार्टी की नीतियों की आलोचना करनी पड़ेगी। लेकिन यह अजीब समय है कि हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं।
>
> कुछ समय से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन सरकार यह मानने से इन्कार करती है...."

इसका अर्थ यह है कि श्री यशवन्त सिन्हा यह मानने से इंकार करते हैं। वित्त मंत्री जी ने इस सभा में एक हंगामापूर्ण स्थिति में यह बताया कि वह पुराने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं। वह आगे कहते हैं :

> "लेकिन तथ्य अलग ही कहानी कहते हैं। इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत की तुलना में पांच प्रतिशत के बराबर रहेगी और एक प्रतिष्ठित शौक्षिक संस्थान के अनुसार यह चार प्रतिशत तक जा सकती है।
>
> औद्योगिक विकास की दर छः प्रतिशत और मुद्रास्फीति की दर सात प्रतिशत है। आठ महीनों में स्टॉक मार्केट 2600 अंक नीचे अथवा 40 प्रतिशत नीचे आ गयी है। रुपये का मूल्य भी निरंतर कम होता जा रहा है। और कम से कम एक अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण एजेन्सी ने भारत के लिए रुपये के मूल्य में कमी कर दी है।
>
> जैसा कि वित्त मंत्री जी कहते हैं, प्रश्न नीचे या ऊपर के कुछ दशमलवों के अंतर का नहीं है
>
> जैसा कि वित्त मंत्री कहते हैं प्रश्न मात्र कुछ दशमलवों का नहीं है ताकि इनमें कुछ समय बाद स्थिति के अनुसार हेर–फेर किया जा सकें,
>
> सच यह है कि मंदी स्थायी नहीं है, अर्थव्यवस्था में पिछले चार वर्षों में गिरावट आती रही है और यह बिलकुल ठप्प होने की अवस्था में है"
>
> यह मेरा वक्तव्य नहीं है यह आपकी स्वयं की विचारधारा है,

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

वह आगे कहते हैं :

"हमारे आधुनिक क्षेत्र के विविध विनिर्माण उद्योग 1995–96 से उस समय से गिरता जा रहा है जब से कि 14 प्रतिशत् की वृद्धि प्राप्त हुई। पिछले वर्ष यह लगभग 6 प्रतिशत् था। यह कमी नहीं है बल्कि यह धीमी मृत्यु है।

"जब तक हम इसे नहीं पहचानते तब तक हम इस पर किसी प्रकार की कार्यवाई नहीं कर पायेंगे।"

अंत में वह कहते है :

"स्थिति विनाशकारी है। हमें सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत का या 20,000 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान भूमंडलीकरण के कारण हो रहा हैं। यह दुर्भाग्य है कि सरकार यह मानने को भी तैयार नहीं है कि वहां कोई समस्या है"

श्री जय दुबाशी अर्थशास्त्री और भा.ज.पा. के नीति निर्धारक हैं। उन्होंने अपने हस्ताक्षरित साक्षात्कार में कहा है।

"क्या वित्त मंत्री जी अर्थव्यवस्था की अत्याधिक आशावादी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं।"

उत्तर हैं –

"हां। अर्थव्यवस्था पतन की स्थिति में है।"

भा.ज.पा. की विचारधारा इस बात को स्वीकार करता है। देश इस स्थिति में आ गया है। मुझे राजनैतिक लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा केवल इसलिए नहीं मिल रही है। क्योंकि भा.ज.पा. नेता ने यह बात कही है। मैं यथार्थ के बारे में बात कर रहा हूं। क्या हुआ था? हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। उस समय मैं विद्यार्थियों का नेता था। मुझे इस बात की समझ है कि उस समय क्या हुआ था। लेकिन इस सरकार की मौजूदगी के बावजूद भारतीय बाजार में हाल ही में चीन का हमला बहुत तेज रहा है। अगर आप इसे महसूस करें तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं। भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं जैसे प्रेशर कुकर, पंखे, पेचकस, छोटी मशीनों के औजारों को चीन भारतीय बाजार में आधे से भी कम मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। एक नहीं वरन् दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की लघु उद्योग की चार लाख इकाइयां बंद हो गयी हैं। और इन मजदूरों की क्या दशा है, इसके संबंध में अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। यह दिल्ली में ही हो रहा है। वित्त मंत्री जी, आप जा सकते हैं और क्या हो रहा है, इसका पता लगा सकते हैं। प्रेशर कुकर, पंखे, छोटी मशीनों के औजार, सिलाई मशीनों का उत्पादन करने वाले उद्योग पतन के कगार पर हैं। वित्त मंत्री जी की विकास की संपूर्ण योजना चौपट हो गयी। यह चौपट ही नहीं हुई, वरन् अब यह समाप्त हो रही है।

क्या मैं बजट चर्चा के जवाब में आपके पूर्व भाषण से कुछ उद्धृत कर सकता हूं? वित्त मंत्री जी, अब आपके दृष्टिकोण क्या हैं? आपने कहा कि :

"मैंने ध्यान रखा है।"

आपने क्या ध्यान रखा है?

"अन्य प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। मैं ईमानदारीपूर्वक काम करना चाहता था। ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन की अब भी प्रतीक्षा है, इस तथ्य के बावजूद मैंने 11,000 करोड़ रुपये की राशि को अपने बजट अनुमान में शामिल किया है। यह 11,000 करोड़ रुपये की राशि कहां जा रही है? यह सारी राशि राज्यों को जा रही है। प्रत्येक राज्य इस धन से लाभान्वित होने वाला है। इस धन को वे अनुदान के रूप में प्राप्त करेंगे।"

तो जब आप वित्तीय घाटे पर दृष्टिपात करते हैं तो 11,000 करोड़ रुपये वित्तीय घाटे का ठीक–ठीक 0.5 प्रतिशत है। वित्तीय घाटे का यह 0.5 प्रतिशत अगले वर्ष के सरकारी बजट में जोड़ दिया गया है। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय वित्तीय घाटे का संबंध है, इस सीमा तक 0.5 प्रतिशत कम होगा। राज्य वित्तीय घाटे की यह स्थिति है।

महोदय, वित्त मंत्री जी के अनुसार, जहां तक राज्य वित्तीय घाटे का संबंध है, 0.5 प्रतिशत का वह भाग कम होगा। लेकिन अगर आप इसे जोड़ेंगे, तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? यह 35,000 करोड़ रुपये हो जाता है। इसमें व्यय की एक मद अर्थात् 10,000 रुपये का ब्याज भुगतान जोड़ दिया जाए तो यह 45,000 करोड़ रुपये हो जाता हैं। इस वर्ष के बजट में व्यय की इन्हीं मदों पर 45,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है।

आज इस मामले में आपके क्या विचार हैं ? सभी प्रयास विफल होते गये क्योंकि वित्त मंत्री जी ने इस बारे में अंदाजा नहीं लगाया कि आपकी लापरवाह नीति के कारण क्या होगा, समय–समय पर आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने की आपकी आकस्मिक नीति से क्या होगा। इससे आप दूसरे संकट में पड़ गये।

आपके द्वारा गैर निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली भी डांवाडोल है। आप कठोर उपायों आदि से गत एक वर्ष में गैर सम्पादनकारी आस्तियों की वसूली न कर सके। आपने क्या

वसूल किया है? अप्रैल से सिमम्बर, 2000 तक औद्योगिक विकास मात्र 5.5 प्रतिशत था जबकि इसका आठ प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान था।

यह सिर्फ कहानी नहीं है। यह विनाश है। इसलिए, सरकार को इस मामले पर काफी गंभीर रूप से विचार करना होगा। 4 नवम्बर, 2000 को समाप्त हुये सप्ताह की मुद्रास्फीति दर 7.30 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 1999 में इसी अवधि के दौरान यह दर 3.20 प्रतिशत थी। इस एक वर्ष की अवधि में क्या हुआ? 1999 में वित्त मंत्री जी ने यह दावा किया कि उनके पास कोई सकारात्मक शासनादेश नहीं है और उन्हें किसी न किसी तरह काम चलाना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आर्थिक सुधार के द्वार पूरी तरह नहीं खुले हैं और इस वर्ष के बजट में उन्होंने यह दावा किया कि सभी कुछ स्पष्ट है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मुद्रास्फीति दर बढ़कर 7.30 प्रतिशत हो गई है जोकि वर्ष 1999 में इसी अवधि के दौरान 3.20 प्रतिशत थी और यह अब 7.45 प्रतिशत है।

सितंबर, 2000 तक केवल 2.16 बिलियन अमरीकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया था। यदि खजाने में निवेश की यह दर आती है तो वह निवेश के क्षेत्र में भी विकास को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? इस संदर्भ में मैं एक विदेशी कंपनी का उदाहरण देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहीं है। अचानक एक दिन सुबह समूचे देश में सभी को प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में "लाफार्ज" नामक कंपनी का एक नया विज्ञापन पट दिखाई देता है। यह फ्रांस की एक सीमेंट कंपनी है। मैं उनकी विपणन शीलता की प्रशंसा करता हूं। 15 दिनों के अंदर हमें भारत के प्रत्येक जिले में इसके प्रचार के विज्ञापन पट दिखाई देते हैं। लेकिन 'लाफार्ज' ने क्या किया? उन्होंने दो–तीन रुग्ण एककों को बचाने का प्रयास किया और सीमेंट के दाम कम कर दिये जिससे अन्य एकक भी सीमेंट के दाम कम करने को विवश हो गये। क्या 'लाफार्ज' कंपनी उन एककों को खरीदते समय और उनका विस्तार करने का प्रयास करते समय भारत में पैसा लेकर आई थी? वित्त मंत्री जी को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दूसरी ओर 'लाफार्ज' ने यहां निवेश करने के लिए (पी एफ आई) से पैसा मांगा जबकि चीन में ऐसा नहीं है। चीन में विदेशी निवेशकों को स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वे उनके स्टॉक एक्सचेंजो से धन नहीं जुटा सकते और उन्हें अपना पैसा साथ लाना होगा। इसलिए वे चीन में वाकई काफी अधिक धन लेकर आये जबकि हमारे मामले में स्थिति बिल्कुल भिन्न है।

[अनुवाद]

महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज आजकल भारत का सबसे बड़ा जुआ घर है। इसका नियंत्रण छोटे निवेशकों की कीमत पर कुछ भारतीय उद्योग परिसंघों द्वारा किया जाता है। ये जुआघर प्रातःकाल में खुलते हैं और कुछ ही घंटों में लाखों छोटे निवेशकों के भाग्य का निर्णय कर डालते हैं और ऐसा बंद इलाका में कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा किया जाता है। परन्तु सरकार इसकी मूक दर्शक है। मैं इस प्रकार के कई उदाहरण दे सकता हूं परन्तु अभी पर्याप्त समय नहीं है। पिछले एक वर्ष के दौरान ही हमारे स्टॉक मार्केट में अत्याधिक अनिश्चित क्रियाकलापों के कारण छोटे निवेशकों को 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और इस नुकसान का 50 प्रतिशत लाभ के रूप में मुट्ठी भर भारतीय उद्योग परिसंघों को गया है। इनमें से ज्यादातर भारतीय उद्योग परिसंघो ने मारिशस का रास्ता कुछ इस प्रकार अपनाया है कि उन्हें भारी कर लाभ भी मिलता है।

सरकार की नीतियां केवल विदेशियों और बड़े व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाने वाली सोची समझी नीति है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज विदेशी खिलाड़ियों के लिए प्रमुख जुआघर बन गए हैं। स्टॉक मार्केट में बिना किसी आधार के अचानक उछाल आ गया था, परंतु यह मंत्रियों द्वारा बिना किसी संदर्भ के दिए गए सोचे समझे वक्तव्यों के कारण था जिससे कि किसी विशेष वर्ग को लाभ मिल सके और इससे स्टॉक मार्केट में कृत्रिम तेजी और मंदी में सरकार के शामिल होने के संबंध में कई प्रश्न उठे थे।

महोदय, विगत वर्ष के आम चुनावों से ठीक पहले, संवेदी सूचकांक में लगभग 1800 अंकों की अचानक तेजी की बात कहने का कोई कारण नहीं था। उस समय लगभग पूरी तरह से राजनीतिक अनिश्चितता थी, कारगिल का युद्ध चल रहा था और अर्थव्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण तेजी दर्ज नहीं की गई थी। हम सभी उस स्थिति को समझते हैं। यह आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों का युद्ध था और हम उन जवानों के आभारी हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश की रक्षा की। परन्तु प्रधान मंत्री के बिना किसी संदर्भ के दिए गए इस वक्तव्य कि भविष्य निधि को स्टॉक मार्केट में निवेश किए जाने की अनुमति दी जाएगी, से बाजार में तेजी आई। अब भविष्य निधि का स्टॉक मार्केट में निवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। इसलिए, विगत वर्ष के आम चुनावों से ठीक पहले स्टॉक मार्केट में अचानक आए उछाल के रुख और इसके बाद इसमें आई गिरावट की पूरी जांच किए जाने की आवश्यकता हैं। स्टॉक मार्केट में कृत्रिम तेजी के रुखों के बावजूद निवेशकों का स्टाफ मार्केट में विश्वास नहीं रहा है। यही

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

सब कुछ हुआ था। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। अतएव कुछ सकरात्मक नहीं हो रहा है। औद्योगिक वृद्धि में कमी क्यों नहीं आएगी? यदि भारत के अपने उद्यमी ऐसा महसूस करतें है, तो वे इस काम को कर सकते हैं।

मैं कलकत्ता की एक कंपनी का एक उदाहरण दूंगा। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय जी यहां मौजूद हैं और वे उस कंपनी से वाफिक हैं। इस कंपनी का नाम खेतान फैन कंपनी है। हम खेतान पंखे को देखते रहे हैं। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। उन्होंने चीन में एक मकान लिया। वहां से वह सभी चीजों को जोड़ रहे हैं और 'खेतान फैन मेड इन चाईना' की मोहर लगा रहे हैं। वे यहां के मुकाबले वहां आधी कीमत पर निर्माण कर रहे हैं और उसे भारतीय बाजार में डम्प कर रहे हैं। यह किसी अन्य इकाई की तरह है। एक के बाद एक इकाईयां ऐसे ही चल रहीं हैं।

माननीय मंत्री जी क्या करते हैं? सोच के आभाव के कारण वे रोजगार का सृजन नहीं कर पाते। वे रोजगार का संरक्षण नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कोई नीति नहीं है। वे निवेशकों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे भारतीय उद्योग परिसंघ के चगुल में हैं। वे वृद्धि को बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही अर्थव्यवस्था को धरातल पर पहुंचा दिया है। इसीलिए उनके नीति निर्धारक ने सही कहा है कि 'ऐसा नहीं है कि वह पंगु हुई है बल्कि यह धराशायी हो चुकी है।' और हम बर्बाद होने की स्थिति में हैं। मुझे डर है कि हमें दक्षिण कोरिया या मेक्सिको की स्थिति का सामना न करना पड़े।

मुझे अपने कामगारों के प्रति पूरा विश्वास है। आप किसी भी राज्य में जाएं, कामकाजी वर्ग सड़कों पर है, किसान दुःखी है, और केवल यशवंत सिन्हा जी चिरपरिचित मुस्कान लिए हुए हैं और यह मुस्कान, मैं हमेशा यह कामना करता हूं कि उनकी मुस्कान जीवंत हो मात्र एक सामान्य छाया चित्र नहीं। इसी वजह से हम देश में इस स्थिति का सामना कर रहें हैं।

महोदय, सरकार दोषियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर के सैकड़ों नामी चूककर्त्ता है। यदि इन्होंने उनमें से 25 प्रतिशत को भी पकड़े होते तो उनके अनुपूरक मांगों में काफी कमी आती। क्या उन्होंने उन्हें हुआ भी है? यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर के सैकड़ों चूककर्त्ताओं को पकड़ा गया होता तो सरकार को इस हद तक अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

महोदय, मैं आपको एक और आदर्श उदाहरण देता हूं और सम्पूर्ण सभा समझ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे उत्पाद शुल्क सृजन का एक महत्वपूर्ण संसाधन एक ऐसी वस्तु अर्थात् धूम्रपान है जिसका आप सब विरोध करते हैं, कम से कम मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। पूरा विश्व धूम्रपान के विरुद्ध अभियान चला रहा है। फिर भी आप पूछेंगे कि आंध्र प्रदेश में कृषक क्या उगाएंगे। आप पूछेंगे कि सिगरेट उद्योग के कामगार कहां जाएगें। क्यों? जब, तक आप पर्यावरण के व्यवस्थित अभियान के द्वारा चरणबद्ध रूप से समाप्त नहीं कर सकते तब तक और शुल्क लगाइये।

अब मैं आपको यहां इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। 'वर्तमान उत्पाद शुल्क ढांचा सिगरेट की लम्बाई से संबंधित हैं'। माननीय मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। वे मेरा आशय समझते हैं। एक कम्पनी का प्रबंध निदेशक 2.40 रुपए वाली 84 मि. मी. की सिगरेट पी रहा है, हम कह सकते हैं लम्बाई से संबंधित 0.80 पैसे का विशेष शुल्क। तब उसने राजकोष में 33 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया है। जबकि उसका ड्राइवर 1.20 रुपए वाली 84 मि. मी. की सिगरेट पीते हुए लम्बाई से संबंधित 0.80 पैसे का विशेष शुल्क अथवा 66 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करेगा। परन्तु यदि महंगे ब्रांड पर यथामूल्य शुल्क की विशिष्ट और उच्चतर दर और सस्ते ब्रांड पर कम यथामूल्य का संयोजन होगा तो ड्राइवर अपने प्रबंध निदेशक की तुलना में दुगना उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करेगा।

महोदय, यह वह लाभ है जो देश में एक बड़े घराने द्वारा उठाया जा रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता जो कि कई बार उत्पाद शिकंजे मे फंसे हैं और फिर भी सरकार उनको राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी करने दे रही है और वह दस मामले पर तटस्थ भाव से ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें इस प्रकार कैसे करने दिया जाना चाहिए।

महोदय, सिगरेट पर उत्पाद शुल्क ढांचा बहुत असामान्य है, सिगरेट की लम्बाई पर आधरित उत्पाद शुल्क दरें सस्ते ब्रांड का धूम्रपान करने वालों तथा महंगे ब्रांड का धूम्रपान करने वालों पर समान रूप से लगाई गई हैं।

दो केन्द्रीय बजटों के बीच में अधिकाशं सिगरेट कम्पनियों ने दो या तीन बार मूल्य वृद्धि की है। बढ़े हुए मूल्य से सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं होती। वित्त मंत्री महोदय, क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं ? मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। खेल आयोजक की अपनी निजी हैसियत से मुझे बहुत हानि होगी क्योंकि वे मेरे प्रायोजन से पीछे हट जाएगे। परन्तु देश के नागरिक तथा देश के एक देशभक्त नागरिक के तौर पर मुझे

उनका भंडाफोड़ करना चाहिए। वे राष्ट्र को लूट रहे हैं और राजकोष के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वे आपकी इच्छानुसार शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अतः आपको मामले की जांच करानी होगी और व्यापक जांच पड़ताल करानी होगी कि आपका मंत्रालय इस प्रकार की संरचना की कैसे अनुमति देगा। मैं उत्पाद शुल्क संबंधी मामलों पर अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने केवल सिगरेट क्षेत्र की ही बात की है।

अब मैं राज सहायता वापस लिए जाने की बात करता हूं। लाल किले पर 15 अगस्त की रैली में प्रधान मंत्री ने स्पष्ट किया था कि 'चाहे जो भी हो गरीबी के मामले को तथा गरीब लोगों के मामले को उच्च प्राथमिकता और सर्वोच्च ध्यान दिया जाना चाहिए।' भारतीय जनता पार्टी के नागपुर सत्र में कई प्रतिनिधियों ने कहा था कि चाहे जो भी हो हम गरीब लोगों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। मैंने उनकी कार्यवाही देखी है। ये सभी शब्द बहुत अच्छे है। मैं भा.ज.पा. का विरोधी सदस्य हो सकता हूं परन्तु जब मुझे लगता है कि ऐसे ही शब्द आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि गरीब लोगों की रक्षा हो रही है। आपका बजट प्रस्तुत किए जाने के दिन से आज तक क्या आपने किसी समय कम से कम खाद्य पदार्थों पर चरणबद्ध तरीके से राजसहायता पुनः प्रारम्भ करने पर विचार करने का प्रयास किया है ? नहीं। केवल पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि पर जब कुमारी ममता बनर्जी ने बहुत शोर मचाया और लगभग आपसे अलग होने का प्रयास किया तब अपनी सरकार बचाने के लिए आपको श्री राम नाईक के रूमाल से दो या तीन बार अपने आंसू पोंछने पड़े थे। आपने यहां–वहां कुछ देने का प्रयास किया।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। ऐसे रोगी को, जो कि समाप्ति तथा सम्मूर्च्छा की अवस्था में है जीवित करने के लिए काफी प्रयास किए जाने होते हैं। न केवल इंजेक्शन बल्कि एक प्रकार की मालिश भी आवश्यक होती है...(*व्यवधान*) मैं केवल दवा का ही प्रयोग नहीं कर रहा हूं। कुछ और भी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मुझे आशा है कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी स्वयं ढेर न हो जायें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं ढेर नहीं हुआ। यदि वित्त मंत्री जी अर्थव्यवस्था के इसी प्रतिमान के अनुसार कुछ करते हैं तो मैं भी ढेर हो जाऊंगा क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। इसलिए मुझे लगता है कि यह अनुपूरक अनुदानों की मांग उचित है। यह एक सामान्य बात है। सरकार को गरीब तथा गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, जो कि हमने बनाये थे, के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्या आपने कभी प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जवाहर समृद्धि योजना तथा ग्रामीण रोजगार के लिए राष्ट्रीय योजना पर विचार किया है? आप इसे एक तरफ रखें। यदि आप विकास दर से संबंधित सी एम एम आई की रिपोर्ट को लें तो निर्धन लोगों के लिए रोजगार सृजन के अवसरों में कमी हो रही है। यह एक सच्चाई मैं मंत्री जी को बता रहा हूं। यह मेरे स्रोत से नहीं है। मंत्री महोदय यदि मैं गलत हूं तो आप सुधार कर दें। 1997 तक ग्रामीण विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों में गांवों में प्रत्येक 100 में से 20 को पूरे वर्ष दैनिक मजदूरी, दैनिक कार्य अथवा किसी प्रकार का कार्य मिलता था। 1999–2000 से अब तक एक गांव में 100 में से 15 को वह कार्य मिल रहा है। इसलिए, आपने पांच लोगों का हक ले लिया है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो प्रत्येक 100 में से 12 को दैनिक मजदूरी कार्य मिलता रहेगा। अतः एक तरफ तो कामकाजी वर्ग की शहरी अव्यवस्था शुरू होगी दूसरी ओर ग्रामीण अव्यवस्था शुरू होगी। अतः आपके आदर्श जय दुबाशी ने ठीक ही कहा है। यदि आप अभी से भरोसा पैदा नहीं करते हैं और विश्वासपूर्वक तथा सावधानीपूर्वक अपने प्रस्ताव में संशोधन नहीं करते आर्थिक विध्वंस, आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति होगी जिससे आप बच नहीं सकते और राष्ट्र बच नहीं सकेगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप चुनाव हारते हैं अथवा मैं चुनाव हारता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि देश की अर्थव्यवस्था तथा स्थिति को बचाने के लिए सरकार को उचित मार्ग पर लाया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.29 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए*)

मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि गलत आशा और सपने दिखाये बिना सकारात्मक तरीके से उत्तर दें। हम रात्रि में अच्छे और बुरे सपने देख सकते हैं। परन्तु संसद में हमें वास्तविकता बतानी चाहिए। मैं केवल यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि वित्त मंत्री ने कहा है कि "राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से सवाल न करें। रा.ज.ग. एक चट्टान है।" यह एक चट्टान है। परन्तु जब जैक और जिल पहाड़ पर चढ़े तो चट्टान गिर पड़ी। कृपया ऐसा कुछ न करें जिससे कि चट्टान गिर पड़े और इसलिए और ढेर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तरपूर्व) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रियरंजन दासमुंशी जी को बधाई देना चाहता हूं

[श्री किरीट सोमैया]

कि वह अभी दो–चार दिन पहले फुटबाल एसोसिएशन के पुनः एक बार अध्यक्ष चुने गए। मैं हाउस की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने हाउस में फुटबाल खेलने का अच्छा प्रयत्न किया। अंतर इतना है कि आपने डिफेंस बहुत कमजोर रखा। उन्होंने अपने गोल को, डिफेंस को किस प्रकार सम्भालने का प्रयत्न किया, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने मेरे दिल की बात कही। स्माल इनवेस्टर्स के बारे में अभी कांग्रेस के लोगों के मन और हृदय में दर्द पैदा हो गया है, जो एक अच्छी शुरुआत है। मैं दासमुंशी जी को एक ही टेबल बताना चाहूंगा। यदि आपको छोटे निवेशकों की इतनी परवाह है तो उस समय आप कहां थे जब आपके वित्त मंत्री ने विनिवेश की शुरुआत की थी?

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिस पर स्माल इनवेस्टर और आम आदमी को सबसे ज्यादा श्रद्धा और विश्वास है। मैंने गत बार भी यहीं बताया था और मैं उसकी सच्चाई लेकर आपके–सामने आया हूं। बंगाईगांव रिफाइनरी, बीपीसीएल, भेल, भारत इलैक्ट्रोनिक, अर्थ मूवर्स, गेल, एचपीसीएल आदि का मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकता हूं। पांच साल की सरकार के दरम्यान आपने 3561 करोड़ रुपए, इन सब पब्लिक कम्पनियों के यूटीआई को शेयर्स दिए। यूटीआई से 3561 करोड़ रुपए ले लिए, जो छोटे इनवेस्टर्स का पैसा था। दासमुंशी जी, आज उसकी कीमत सिर्फ 1100 करोड़ रुपए रह गई है। आपने लाख–करोड़ रुपए लूटने की बात कही है, लेकिन 2400 करोड़ आपके खीसे में हैं, सबसे पहले वह निकालिए। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। आपके माननीय मंत्री जी बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट 51 प्रतिशत लाए थे। 51 प्रतिशत लाने के बाद आपने चार–पांच पब्लिक सैक्टर बैंक के शेयर मार्केट में बेचे, उसकी लिस्ट मैं यहां दे सकता हूं, जो बेचे उनमें से अधिकतर बहुत ही कम मूल्य पर बेचे गए।

इंडियन बैंक के शेयर केनरा बैंक ने परचेज किए, केनरा बैंक के बैंक ऑफ इंडिया ने परचेज किए और बैंक ऑफ इंडिया के देना बैंक ने परचेज किए। ये आंकड़ों की जगलरी केवल कांग्रेस कर सकती है। उन्हें परचेज किया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माथे बैंक के शेयर मारे और उसकी कीमत आज आधी हो गई है। स्माल इनवेस्टर्स के खाते में 7800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जो आपके खीसे में गए हैं। उन्हें छोटे इनवेस्टर्स को वापस करने की कृपा करें। स्माल इनवेस्टर्स के बारे में वित्त मंत्री जी का मैंने सबसे पहले अभिनन्दन किया था।

ये एक ऐसे वित्त मंत्री है जो छोटे निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हैं। स्माल इनवेस्टर्स की व्यथा, वेदना, यातना के बारे में मैं जानता हूं।

मैं आपका आभार मानूंगा कि पहली बार कम्पनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और स्माल इनवेस्टर्स के प्रतिनिधि को कम्पनी के डायरेक्टर में प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। उसकी सबसे पहले केबिनेट में हिमायत माननीय यशवंत सिन्हा जी ने की थी। उन्होंने इस बारे में काफी कुछ किया है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा। विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। जिस बात का महत्व है वह है सरकार की साख। महत्व किस चीज का होता है, महत्व होता है कि सरकार किस की है, कौन नेतृत्व कर रहा है? लोगों की उनके प्रति कितनी श्रद्धा है और वे कैसे नेशनल, इंटरनेशनल लेबल पर जान सकते हैं?

इंडिया रिसर्जेंट बांड्स जारी किए गए। सत्ता में आते ही उन्होंने इसे निकाला। परिणाम क्या रहा ? 4.2 करोड़ रुपए जमा हुए। आप कहेंगे कि वह ऐसे ही हो गया।

अभी तो आपने इकानमी दिखाई। टाइम्स आफ इंडिया के सैंटर पेज पर श्री दुभाषी जी का आर्टिकल पढ़ा लेकिन उसके एडीटर ने जो आर्टिकल लिखा, उसे आपने नहीं पढ़ा होगा। नटबाल में डिफेंस का ध्यान रखना चाहिये। यदि वे पढ़ेंगे तो जो भी दुभाषी जी ने बताया, उन्होंने उनसे दस गुना अच्छा चित्र खड़ा किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन मिलेनियम बांड निकाला। श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक अलग सूर्य नई दिशा की ओर नजर आया निकाला। उस समय आप क्या कर रहे थे? इस बार हम गर्व से कह सकते हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री के कार्यकाल में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक का सर्वाधिक है। यह भंडार 39 बिलियन डॉलर है। और 1990 में जब आपने श्री चन्द्र शेखर जी की सरकार को समर्थन दिया था, तब सोना गिरवी रखना पड़ा था। क्या उस समय आप सो रहे थे? आपने एन. पी. ए. और सिगरेट का मुद्दा उठाया है। मैं सिगरेट से शुरू करता हूं। आपने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। सिगरेट से प्राप्त होने वाला कुल उत्पाद शुल्क 8,183 रुपए प्रति माह है। आज यह हमारे पास है। यह सरकार की इज्जत है। आप सरकार का दिवाला निकाल सकते हैं लेकिन उस समय सरकार क्या कर रही थी ? अभी ग्रोथ क्यां होगा, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। माननीय वित्त मंत्री जी इसका ठीक से जवाब देंगे। मैं यह बात मानता हूं कि आपने कुछ मुद्दे बहुत अच्छे उठाये हैं और उन में से कुछ का मैं समर्थन भी करता हूं। आपको किसी भी प्रकार के उत्पाद शुल्क के भुगतान में पूरी छूट दी जाएगी। सबसे ज्यादा एक्साइज सिग्रेट से आता है। 1997 में आपकी सरकार ने कहा कि यदि नार्थ ईस्ट स्टेट्स में सिगरेट कम्पनी लगाओगे तो आपको एक्साइज में बैनिफिट दिया जायेगा। यदि आप कहें कि सिगरेट को छोटा साइज करने के बाद किया, उसे छोड़ दीजिये

कि इस में कितना पैसा जायेगा। यह बस काम नार्थ ईस्ट स्टेट्स में सिग्रेट कम्पनी लगाने के लिये कहा गया। आप जानना चाहते हैं, यह राशि 150 करोड़ से 180 करोड़ रुपए प्रतिमाह है। इसका भुगतान कौन करेगा, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री, वह सौदा जो इस सरकार ने किया और जिसकी शुरूआत आप लोगों ने की? इस कारण से सरकार की जेब से कितना पैसा जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं। प्रति वर्ष लगभग 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नार्थ ईस्ट स्टेट्स में किसने सिग्रेट कम्पनी लगायी है, मैं वह भी जानना चाहता हूं। मैं आंकड़े भी दे सकता हूं। वहां पर 16 यूनिट्स लगाये गये लेकिन सब कागजात पर रहे। उनमें से 15 सिग्रेट कम्पनीज ने एक भी पैकेट नहीं बनाया लगभग सभी यूनिट्स कागजों पर। इस बारे में किसने फैसला लिया, क्यों लिया? यदि इसके बदले नार्थ ईस्ट स्टेट्स का 100–50 करोड़ रुपये दे देते उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा केवल एक कम्पनी द्वारा किया जाता। मैं आपको नाम बताता हूं– नार्थ ईस्टर्न टोबैको कम्पनी लिमिटेड, गुवाहाटी। वहां सिग्रेट कम्पनी किसने लगाई? गोल्डन टोबैको, इंडियन टोबैको वज़ीर सुलतान, गोल्ड फ्लैक। इन चारों ने 16 यूनिट्स लगाये। इस गोल्डन टोबैका और निटलो कम्पनी का मालिक कौन है ? यह आप की सरकार ने किया था। वित्त मंत्री जी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वे गलती करने वाले का नाम बतायेंगे। जिस प्रकार का एरर या आब्जैक्टमेंट किया, यह विदड्रा करना चाहिये। सरकार को बैसिक एक्साइज में बेनेफिट नहीं देना पड़ेगा। यह फोर्जरी हुई है। मैं निटको कम्पनी के बारे में बता सकता हूं। कि उसका मालिक कौन हैं? कम्पनी ने असम सरकार और असम औद्योगिक विकास निगम के साथ समझौता किया था। पहली तिमाही में 93.51 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क प्रतिदाय के दावे किए गए।

आसाम इंडस्ट्रियल डेवलपमैंट कारपोरेशन, यह कम्पनी लॉस में गई। उसके बाद यह बी.आई.एफ.आर. में गई, बी.आई.एफ. आर. में जाने के बाद उस पर कितने केसिज चल रहे हैं – पहला 15 लाख का, दूसरा 40 लाख का, तीसरा 425 करोड़ का, चौथा 67 करोड़ का, पांचवा 28 करोड़ और छठा सात करोड़ का ये सब केसिज उस पर चल रहे हैं। उसके मालिक कौन है, जरा आप ही जानकारी कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने फुटबाल अच्छी खेलने का प्रयत्न किया है, लेकिन आपसे थोडी सी गलती हो गई, आपने गोलकीपर ठीक नहीं रखा था। आप एन.पी.ए. की बात कर रहे थे। एन.पी.ए. का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नॉन परफोर्मिंग असेट्स। नॉन परफोर्मिंग असेट्स कब डेवलप होती है, क्या एक साल में होती है। जब एन.डी.ए. की सरकार आई इसे आये हुए दो साल हुए हैं। मेरे ख्याल में दो साल में फाइनेन्स मिनिस्टर ने इतने सारे लोन्स दे दिये और वे डेढ़ साल में एन.पी.ए. हो गये। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चर्चाओं, बहस, प्रश्नकाल के दौरान हर कोई वित्त मंत्री और वर्तमान सरकार के खिलाफ बार–बार शोर मचा रहा है। ये लोन्स किसने दिये थे, ये कर्जा किसने दिया था, क्या हमने दिया था, जो डेढ़–दो साल में एन.पी.ए. हो गया डेढ़ साल पहले हमने कर्जा दिया और एक साल में कम्पनीज उठाकर भाग गई। ये आपके लोग थे। आप जानना चाहते हैं आपने क्या किया? आपने श्री कुलवंत राय नाम के एक गैर–कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की। आई. डी. बी. आई. बैंक, आई.सी.आई.आई. ऊषा ग्रुप आदि कहां–कहां पर डायरेक्टर अपाइंट किया उन्होंने कितना पैसा इकठ्ठा किया, उनके कितने एन.पी.ए. हुए। आपके माननीय वित्त मंत्री जी ने एक वित्तीय संस्था के निदेशक की नियुक्ति की। उन्होंने फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिये और लोन लेकर एन.पी.ए. हो गया, डिफॉल्टर हो गये। मैस्कोस ग्रुप को लोन किसने दिया? उस ग्रुप की एक कम्पनी नही छः कम्पनियों को लोन किसने दिया। और अब आप ही श्री यशवतं सिन्हा के खिलाफ शोर कर रहे हैं। पाप आप करो और उल्टा हमें कहों। हमारे मुम्बई की हिंदी में कहावत है– सौ चूहे खाये बिल्ली हज को चली। क्या आप और सुनना चाहते हैं। मैं आपको कितनी कंपनियों के नाम गिनाऊं। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर को प्रार्थना करने वाला हूं कि इन सरकारी वित्तीय संस्थाओं में इस समय कोई तालमेल या आर्थिक व्यवस्था नहीं हैं। एक जगह से एक कम्पनी लोन लेती है, उसी ग्रुप की दूसरी कम्पनी दूसरी जगह से कर्जा लेती है, तीसरी जगह से वर्किंग कैपिटल लेती है और चौथी जगह से इक्विटी पार्टीसिपेशन करवाती है। फिर इंटरेस्ट रीपेमेन्ट नहीं करती है। वह इंटरेस्ट भरने के लिए वहां पर दूसरे बैंक से लोन लेती है, फिर री–शेड्यूलिंग, फिर कॉस्ट ओवररन, यानी नया कर्जा और उसके बाद रीशेड्यूलिंग मैं आपको एक ग्रुप का नाम बताता हूं। इस ग्रुप की एक तेल कम्पनी है। इसी ग्रुप की एक पावर कम्पनी, एक शिपिंग कम्पनी और एक स्टील कम्पनी भी है। और ये चारों कम्पनियां कर्जा न चुकाने की दोषी हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको एल.आई.सी. का एग्जाम्पल देता हूं। एल.आई.सी. ने इस कम्पनी को लोन दिया। तेल कम्पनी को 198 करोड़ रुपए का सावधि ऋण; बिजली परियोजना के लिए 19.90 करोड़ रुपए का सावधि ऋण; शिपिंग कम्पनी को दी गई कुल धनराशि – 6.2 करोड़ रुपए; एल.आई.सी. को दी गई कुल राशि–186 करोड़ रुपए। इसके बाद फिर जी.आई.सी. ने इन्हीं सेम कम्पनीज, सेम ग्रुप को लोन दिया और जी.आई.सी. ने कितना दिया– पावर कम्पनी को 20 करोड़, आयॅल कम्पनी को

[श्री किरीट सोमैया]

47 करोड, शिपिंग को 43 करोड़, स्टील कम्पनी को 94 करोड़ दिया। मैं इसके आगे का किस्सा सुनाता हूं जो ज्यादा मजेदार है। इसमें सबसे ज्यादा मजे की बात क्या हैं। इन संस्थाओं ने ब्याज के लिए धन उपलब्ध कराया है और किश्तों के भुगतान के कार्यक्रम में बदलाव किया है। वह कौन सी कम्पनी का है, वह आयल कम्पनी का है। अब स्टीज कम्पनी को देखे। ये संस्थाएं लम्बी अवधि के ऋणों की संरचना में फेरबदल कर रही हैं। इसके आगे आप सुनिये।

अब एक बार फिर स्टील की बात की जाए, इन संस्थाओं ने ऋण की दरों में कटौती किए जाने और भुगतान कार्यक्रम की अवधि बढाए जाने का अनुरोध किया है। पावर कम्पनी में भी ब्याज की 6.18 करोड़ रुपए की राशि अतिदेय है और 2.78 करोड़ रुपए की मूल राशि अतिदेय है। कम्पनी ने ऋण की संरचना के पुनर्गठन, ब्याज दर में कटौती और भुगतान कार्यक्रम की अवधि बढ़ाए जाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क किया है। 20 करोड़ का लोन, उसमें से 9 करोड़ ओवरडयू हो गया एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। इस ग्रुप को कितना पैसा दिया था। आप क्या इस ग्रुप का नाम सुनना चाहेंगे और इसके लिए कृपया इस बारे में चर्चा न करें। और इस प्रकार के आरोप मत करिये। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार का सुधार करना होगा या संशोधन करना होगा। और इसके लिए क्योंकि अलग-अलग फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन से ये बिजनेस हाउसेज पैसा लेते हैं, रीपेमेन्ट नहीं करते हैं, इंटरस्ट पेमेन्ट के लिए फिर लोन लेते हैं, रीशैडयूलिंग करवाते हैं और दुःख की बात यह है कि वापस गवर्नमेंट के पास, दूसरी कंपनीज के लाइसेन्सेज के लिए आते हैं और गवर्नमेंट किसकी भी हो, उनको लाइसेन्स मिलता है, फिर लोन मिलता है। प्लेन खरीदते हैं, मजा करते हैं। हम एन.पी.ए की चर्चा कर रहे हैं।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सारा कर्जा माफ करवा लेते हैं।

श्री किरीट सोमैया : वह भी सही है। मैं आई.डी.बी.आई. का उदाहरण देता हूं जहां वर्ष 1999-2000 में 3,380 करोड़ रुपए के ऐसे ऋण थे जो 10 करोड़ रुपए से कम के थे और 22,969 करोड़ रुपए के ऐसे ऋण थे जो 10 करोड़ रुपए से अधिक के थे। और मैं आपको आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., सिड्बी हरेक का दे सकता हूं। दस करोड़ से कम लोन वाले मुश्किल से 15 प्रतिशत हैं। पचासी प्रतिशत ऋण बड़े व्यापारिक घरानों, बड़े उद्योगों आदि को दिए जाते हैं। कुछ बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, मैं उनकी चर्चा में नहीं जाता हूं। यह अच्छे हैं, उसके कारण देश का नाम बढ़ता है, लेकिन कुछ इस प्रकार के लोग हैं और जिनको आप इस प्रकार से मदद करते हैं। मैं एक बात अंत में यह भी कहना चाहूंगा कि हम आज जब चर्चा करते हैं, यह बात सही है कि चाइनीज गुड्ज की बात निकली है, मैं दासमुंशी जी की बात का समर्थन करता हूं कि चाइनीज गुड्ज और वाया नेपाल जो सामान आता है, उसके लिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। सार्क कंट्रीज़ के साथ हम फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे। कुछ दिन पहले दक्षिण के मित्र चर्चा कर रहे थे कि श्रीलंका से कोकोनट आ रहा है, कहीं से पामोलीन ऑइल आ रहा है। नेपाल के फोटो रोल, वनस्पति सिगरेट वगैरह की स्मगलिंग होती है, ऑफिशियल होती है, अनऑफिशियल होती है। हमें मुख्य कारणों का अध्ययन करके उन पर पुनर्विचार करना होगा और उनकी समीक्षा करनी होगी। कि अलग-अलग देशों के साथ हम ट्रीटी करते हैं। सार्क कंट्रीज़ के साथ हमने फ्री ज़ोन बना दिया। अगर आप बेसिक रॉ मैटीरियल इंपोर्ट करते हैं आपको अधिकतम 43 प्रतिशत ड्यूटी का भुगतान करना होगा। लेकिन यदि आप उसे नेपाल के रास्ते से थोड़ी सी पॉलिश करके यह वाया श्रीलंका या बंगलादेश होकर लाएं तो केवल 5 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यह हमने नहीं किया है। डब्ल्यू. टी. ओ. आपने साइन किया था। आप इसे भूल जाइए। हम सबने मिलकर देश चलाना है। इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कभी हमें इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र और दोहरी कराधान संधियों पर चाहे जिसने भी हस्ताक्षर किए हों, हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा। हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि वेश के हित में क्या हैं। देश के हित में अगर श्रीलंका के न्यूजपेपर श्रीलंका के ऐडवर्टाइजमेंट यहां दिल्ली और मुम्बई के इकोनॉमिक टाइम्स में आते हैं। इन विज्ञापनों के मुताबिक "अब हमने भारत सरकार के साथ मुक्त व्यापार संबंधी समझौता कर लिया है और इसलिए आप यहां उद्योग लगा सकते हैं और 5 प्रतिशत शुल्क की दर पर भारत को निर्यात कर सकते हैं।" पांच परसेंट ड्यूटी पर यानी हमें यह सोचने की आवश्यकता है और इसलिए मैं अंत में यही प्रार्थना करूंगा कि चाइनीज गुड्ज का विषय हो या दूसरा विषय हो, इसी प्रकार से जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज कॉसमैटिक्स पर लगती हैं, लिपस्टिक हो, कॉस्मैटिक आइटम्स हो, उस पर यहां की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले को एम.आर.पी. पर ड्यूटी लगानी पड़ती है और इंपोर्टेड आइटम्स पर कॉस्ट में ड्यूटी भरनी पड़ती है। उससे हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्री को नुकसान होता है। वह जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का सिस्टम है, उसमें आप बदलाव करेंगे तो यहां की इंडस्ट्री को फायदा होगा। मुझे पता है कि आपने चाइनीज गुड्ज को खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। आपने अनेक स्टैप्स सदन में भी घोषित किये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि आप इस प्रकार से इंडियन इंडस्ट्री की रक्षा करेंगे और अन्त में मैं वही प्रार्थना करूंगा जैसी प्रार्थना श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने अपना भाषण प्रारंभ करते हुए की कि वित्त मंत्री महोदय, स्माल इन्वैस्टर प्रोटैक्टर एक्ट लेकर जरूर आएंगे जिसके कारण उनका भला हो सके, उनका रक्षण हो सके और जो म्युचुअल, गवर्नमेंट म्युचुअल, प्राइवेट वित्तीय कंपनियां, वैनीशिंग कम्पनियां, नॉन बैंकिंग और बैंकिंग निजी कंपनिया तथा अन्य वित्तीय कंपनियां इनवैस्टर का पैसा लेकर भाग जाती हैं, उनसे इनवैस्टर का रक्षण हो सके। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे और मैं उनके द्वारा सदन में प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, अनुपूरक मांगों जिनमें 27 अनुदान और एक विनियोग विधेयक शामिल है, में 2,689.09 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत किया जाना है, जिसमें से 1,067.11 करोड़ रुपए का सकल अतिक्ति व्यय संबंधित मंत्रालयों की बचतों से वहन किया जाएगा। 1,571.79 करोड़ रुपए के इस कुल व्यय का एक बड़ा भाग एन. सी.सी.एफ. की कायिक निधि से संबंधित है। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अत्याधिक गंभीर स्वरूप की प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और चक्रवात, सूखे, भूकंप, आग, बाढ़, ओलावृष्टि आदि जैसी स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि की स्थापना की जाएगी।

जैसा कि आपको विदित है, इस सदन में कुछ राज्यों द्वारा लगातार मांग की जाती रही हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है जहां सितम्बर माह में अभूतपूर्व बाढ के कारण 1300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुमान के अनुसार, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों के विभिन्न अधिकारियों के दौरों के आधार पर कुल 5,660 करोड़ रुपए की क्षति हुई। राज्य सरकार ने अपनी क्षमता से अधिक व्यय करते हुए 560 करोड़ रुपए खर्च किए और केंद्र सरकार से कम से कम 1,487 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का अनुरोध किया। हालांकि देर से ही सही, अब इस कायिक निधि की स्थापना की जा रही है, और मैं इसका स्वागत करता हूं।

जैसाकि आप जानते हैं, हम यह मांग पहले से करते रहे हैं और दिल्ली में इस संबंध में धरना भी दिया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री भी इस धरने में शामिल हुए, और बंगाल बंद की भी घोषणा की गई थी। चूंकि, काफी समय बाद आखिर सरकार ने इस निधि की स्थापना की मांग को स्वीकार कर लिया, बंगाल बंद और हड़ताल की घोषणा वापस ले ली गई।

मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। मैं कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2000 का भी समर्थन कर रहा हूं जिस पर साथ-साथ चर्चा हो रही है तथा जिसमें घरेलू कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले आयकर पर एक प्रतिशत का प्रभार लगाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं तथा इस कदम का स्वागत करता हूं।

किन्तु कुछ संबंधित प्रस्तावों सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार करने से पहले यदि मैं देश में तेजी से बिगड़ती आर्थिक स्थिति का जिक्र न करूं तो मैं अपने कर्त्तव्यों से चूक जाऊंगा।

महोदय, औद्योगिक मंदी की स्थिति चल रही है तथा सरकार द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। यहां तक कि सी.आई. आई. एफ.आई.सी.सी.आई., तथा अन्य औद्योगिक घरानों ने भी इसे स्वीकार किया है। यह हम सभी के लिए गम्भीर बात है। खासतौर पर विनिर्माण क्षेत्र अत्यंत बदतर स्थिति से गुजर रहा है। संक्षेप में, वह अवस्फीति की स्थिति है। मैं नहीं जानता कि माननीय वित्त मंत्री मेरे विचार से सहमत होंगे अथवा नहीं। जहां एक तरफ गतिहीनता की स्थिति है वहीं दूसरी तरफ हम मुद्रास्फीति की स्थिति पाते हैं। आज मुद्रास्फीति की दर 7.45 प्रतिशत को पार कर गयी है। शीघ्र ही यह दो अंको में पहुंच जाएगी। यहां तक कि एक साल पहले यह तीन प्रतिशत के आस-पास या इससे भी कम रही थी।

महोदय, इस स्थिति के पीछे हालत यह है कि पूंजीगत सामान क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र को भी मांग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह कहा जा रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति का कारण है। मैं यह नहीं समझ पाता कि दोनों चीजें एक साथ कैसे घटित हो सकती हैं।

महोदय, डम्पिंग के बारे में जिक्र किया गया है। डम्पिंग के मामले में बहुत सारे मतभेद हैं। करीब 350 बिलियन डालर के हमारे कुल आयात में चीन से होने वाले आयात का हिस्सा बहुत ही कम है। हो सकता है नेपाल के साथ हुए कुछ समझौतों एवं इसी तरह की कुछ अन्य बातों के चलते तस्करी की स्थिति बनी हो। परन्तु इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। निस्संदेह सस्ते आयात के चलते कुछ उद्योगों को लाभ पहुंचा है।

[श्री रूपचन्द पाल]

महोदय, खेतान के सम्बन्ध जिक्र था। मैंने किसी आर्थिक पत्रिका में एक बहुत ही प्रतिष्ठित इलेक्ट्रीकल कम्पनी के बारे में पढ़ा। कम्पनी के प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष ने स्वीकार किया था कि वे अपनी सहायक ईकाइयों को काम देते रहे थे। किन्तु अंततः यह देखा गया कि ताइवान, मलेशिया और ऐसी अन्य जगहों से आयातित वस्तुएं काफी सस्ती हैं तथा इनका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अतएव उन्होंने अपने स्वयं के ब्रान्ड का नाम देना शुरू कर दिया और अपनी सहायक इकाइयों से उत्पादन बंद कर दिया। कम कीमत के इस्पात उत्पादों एवं पेन्सिल बैटरी के मामले में ऐसा ही घटित हो रहा हैं।

महोदय, अब चीन के विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जाने के बाद स्थिति एक नया मोड़ लेगी। इस सम्बंध में प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों ने सुझाव दिया है कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भारत चीन में बाजार क्यों नहीं तलाशता है। हमारे कुछ उत्पादों की चीन के बाजार में खपत होने की अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूंजी बाजार अनिश्चितता की स्थिति में है। कुछ विदेशी वित्तीय निवेशकों एवं सट्टेबाजों का इस पर नियंत्रण हो गया है। रुपये का तीव्र गति से अवमूल्यन हो रहा है और कुल मिलाकर इसकी तस्वीर धुंधली है।

महोदय, यद्यपि वित्त मंत्री राष्ट्र को यह आश्वासन देने का यत्न कर रहे हैं कि राजस्व घाटा मात्र 5.1 प्रतिशत तक ही रखा जाएगा और इससे अधिक नहीं होने दिया जाएगा, तथापि जिन अर्थशास्त्रियों ने विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लिया वे इसमें विश्वास नहीं करते। राजस्व घाटे के लिए कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं इस प्रकार के अन्य निकायों द्वारा इस तरह के नए मापदण्डों की बात की जा रही है। यदि पूंजीगत व्यय में हुई वृद्धि और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के कारण राजस्व घाटा हुआ है तो यह एक बात हुई और इस प्रकार से हुए राजस्व घाटे का हम विरोध नहीं कर सकते। इस संबंध में गम्भीर चिन्ता की बात यह है कि वेतन एवं इस प्रकार की अन्य चीजों जैसे गैर–योजनागत तथा फिजूल व्यय के कारण राजस्व घाटा हो रहा है। इस प्रकार की चीजों का उत्पादन एवं इस देश की अर्थव्यवस्था के विकास से कुछ लेना–देना नहीं है।

महोदय, अविवेकपूर्ण, दिशाहीन और दुस्साहसपूर्ण विनिवेश किसी भी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्थ में योग नहीं दे रहा है। दस हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं नहीं समझता कि यह किसलिए जुटाया जा रहा है। हो सकता है इसमें से अधिकांश भाग का उपयोग राजस्व घाटे को पूरा करने में किया जाए।

अपराह्न 5.00 बजे

इस बारे में कोई नीति नहीं है कि इसका उपयोग सार्वजनिक ऋण को चुकता करने में किस प्रकार किया जाएगा और इसका कितना भाग पुर्ननिर्माण संबंधी उद्देश्यों पर खर्च होगा। अब इस प्रकार की स्थिति बन गयी है।

मैं इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की गयी है। वहां क्या अनुभव रहा है ? उच्च श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मियों जैसे महाप्रबंधक, अन्य तथा कार्यकुशल एवं प्रतिभावान कर्मियों ने इस योजना का फायदा उठाया है तथा उन्होंने संगठन छोड़ दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, जहां तक इस योजना का लाभ उठाने का प्रश्न है कोई भी व्यक्ति किसी खास श्रेणी के कर्मियों के साथ भेदभाव नहीं बरत सकता। बैंक ऑफ इंडिया में यही स्थिति रही है। न्यू इंडिया एश्योरेन्स में भी ऐसा ही हुआ है। उच्च पदों पर कार्यरत तथा प्रतिभावान लोगों ने ही इन संगठनों को छोड़ा है। मैं इस बात का केवल उल्लेख ही कर सकता हूं कि दो औद्योगिक घराने एक स्टील कम्पनी तथा दूसरा एक निजी कम्पनी जिनकी गिनती संसार के सर्वाधिक लाभ कमानेवाली कम्पनियों में होती है, इस योजना से लाभान्वित हुए। न्यू इंडिया एश्योरेन्स के बहुत से प्रतिभावान कर्मियों ने इसे छोड़ दिया है। यही सब है जो हो रहा है। बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक पर बोलते समय भी मैंने इस का जिक्र किया था।

अभी स्थिति ऐसी है कि भारतीय स्टेट बैंक अपने यहां वी. आर.एस. लागू नहीं करना चाहता। आप जानते हैं क्यों ? यह इसलिए कि उनके पेंशन कोष का तन्त्र कुछ इस प्रकार है कि यदि वे अभी वी.आर.एस. लागू करते हैं तो इसी में उनका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि भारतीय स्टेट बैंक स्वयं वित्तीय कठिनाइयों में फंस जाएगा।

विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति अभूतपूर्व होने का दावा किया गया है। 36 से 37 बिलियन डालर के विदेशी मुद्रा भण्डार के साथ यह दावा किया गया है कि स्थिति इतनी अच्छी पहले कभी नहीं थी। तथापि, 31 मार्च से भी पहले भुगतान संतुलन की गम्भीर समस्या पैदा होने जा रही है। वे इन्डिया मिलेनियम डिपोजिट्स जारी करके इस परिस्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सालों के बाद क्या होगा। इंडिया रिसर्जेन्ट बांड्स के मामले में जो घटित हुआ वही होगा। यह धन एकत्रित करने का बहुत ही महंगा तरीका था। अस्थायी उपायों को अपनाकर हम देश के लिए परेशनियां बढ़ा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऐसा ही अस्पष्ट दृश्य है।

हमारा कृषि विकास भी रुक गया है। जनसंख्या वृद्धि दर और खाद्यान्न वृद्धि दर में कोई साम्य नहीं है। अस्सी के दशक में एक समय "हरित क्रांति" के परिणामस्वरूप हमारे खाद्यान्न उत्पादन ने जनसंख्या वृद्धि को पीछे छोड दिया था। फिर नब्बे के दशक में जबकि तथाकथित सुधारों की शुरूआत की गयी है, हमारी जनसंख्या वृद्धि हमारे खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में आगे बढ गयी है। हमारा खाद्यान उत्पादन अभी 19 करोड़ टन से 19.5 करोड टन के करीब रह रहा है। अगले एक या दो साल में खाद्यानों की हमारी मांग बढ़कर गेहूं और चावल दोनों मिलाकर कम से कम 23 करोड़ टन हो जाएगी।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं जैवप्रोद्योगिकी के क्षेत्र में 'राइस जेनोम सिक्वेंसिंग रिसर्च' के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। राइस जेनोम सिक्वेंसिंग रिसर्च की परियोजना का वित्तपोषण करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तथापि, आबंटित राशि और अधिक होनी चाहिए थी। हम उन दस देशों में से एक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राइस जेनोम रिसर्च में भाग ले रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं हमारा जैव प्रोद्यौगिकी विभाग और आई.सी.ए.आर. सम्मिलित रूप से 11 क्रोमोजोम्स के लिए जेनोम की पहचान का कार्य कर रहे हैं। इसी बीच जीव विज्ञान अनुसंधान के एक महत्वपूर्ण निकाय, मोनसेन्टो ने धान के सभी बारह क्रोमो जोम्स की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। हमारे जलवायु और हमारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए जैव–प्रोद्योगिकी और सूचना प्रौद्यागिकी ही ऐसे दो क्षेत्र हैं जो हमारे विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये दोनो क्षेत्र सम्मिलित रूप से हमारे देश के विकास का सबसे अच्छा इंजन साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। किन्तु मैं सोचता हूं कि अभी जो स्थिति है उससे और भी अच्छी होनी चाहिए थी।

मैं अपनी बात अनुपूरक अनुदानो में किए गए विशेष प्रस्तावों तक ही सीमित रखूगां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उल्लेख किया गया है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावहीन करने के लिए सरकार द्वारा गेहूं, चावल और चीनी के मूल्य जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं जिससे लोग और गरीब हो रहे हैं।

इस सरकार ने गेहूं, चावल और चीनी के मूल्य बढ़ाकर लोगों को और गरीब बना दिया है जिससे यह प्रणाली प्रभावहीन हो गयी है। प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि आर्थिक सुधारों का गरीब लोगों को लाभ नहीं मिला है। गरीबी उपशमन में गरीब लोगों पर ध्यान नहीं केन्द्रित किया जा रहा है। इससे धनी तबके के मुट्ठी भर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वे कितने धनी हैं ?

महोदय, इस वर्ष 4 दिसम्बर को 'हिन्दू' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था कि दिल्ली शहर में दो शादियां– एक सूती वस्त्र के बड़े व्यापारी के तथा दूसरी प्रसिद्ध उद्योगपति के घर पर हुई थी। इन शादियों में केवल एक निमंत्रण पत्र का मूल्य 5,000 रुपये था। वहां सभी आमंत्रित व्यक्ति, मेहमान चार्टर्ड विमान से आये। वे पांच सितारा होटलों में ठहरे। उन्हें नई पोशाक दी गई, नई कारें दी गईं। सभी ड्राइवरों तथा सोफरों को पेजर दिए गए। प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल टेलीफोन दिया गया। वहां कौन व्यक्ति उपस्थित थे? वे राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, आयकर कर्मी तथा अन्य लोग थे।

लेकिन जब लालू प्रसाद यादव एक पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रम में लगभग 4000 से 5000 व्यक्तियों को लिट्टी खिला रहे थे तो आयकर कर्मी उन्हें पकड़ने के लिए नई दिल्ली से पटना गए। दिल्ली में इतनी बड़ी बात हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रेस में यह सूचना दी गई कि दिल्ली में एक रात में सैकड़ों लाख रुपये खर्च किये गए। मैं उन उत्सवों में भाग लेने वाले मंत्रियों तथा आयकर कर्मियों के नाम बता सकता हूं।... *(व्यवधान)* यह राजधानी दिल्ली में हो रहा है।

महोदय, राजस्व वसूली में घरेलू खपत पर एक प्रतिशत अधिभार रखा गया है। विदेशी कंपनियां– मैं उनके नाम बता सकता हूं आयकर के रूप में एक भी पैसे का भुगतान नहीं कर रहीं है जबकि वे सबसे अधिक लाभ में कमाने वाली कंपनियां हैं।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : लालू जी की लड़की की शादी में क्या लिट्टी और चोखा ही चला था ?

श्री रूपचन्द पाल : बहुत कुछ खिलाया। उनको पकड़ा गया, जेल भेजा गया। लेकिन जो यहां दिल्ली में हो रहा है, टैक्समैन था, पोलिटिशियन्स थे, मिनिस्टर्स थे और लाखों–लाख करोड़ो रुपए चार्टर्ड प्लेन से आया, रशिया से आया था, मास्को से आया था, यूके से आया था, उनका क्या हुआ ?

श्री निखिल कुमार चौधरी : हम लोग लालू जी के यहां शादी में गए थे।

श्री रूपचन्द पाल : लालू जी को छोड़िए।

[अनुवाद]

अपराह्न 5.06 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

मैं केवल तुलना कर रहा हूं। महोदय, 58,000 करोड़ रुपये का कर बकाया है तथा वे व्यक्ति और कंपनियां जिन पर यह कर

[श्री रूपचन्द पाल]

बकाया है, इसको जमा नहीं कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? यह घरेलू खपत का एक प्रतिशत है। सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां कर का एकदम भुगतान नहीं कर रही हैं। हम अनेक अवसरों पर यह मुद्दा उठाते रहे हैं। अब वे सर्वाधिक न्यून विकल्प कर कंपनी हो गई हैं। मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं। मैं अत्यंत गंभीर मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं। मैंने माननीय वित्तमंत्री जी को एक पत्र लिखा है तथा अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया है। मैंने अल्प सूचना प्रश्न के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया है। यह स्वीकार नहीं किया गया। मुझे इसका उत्तर आज अतारांकित प्रश्न के रूप में मिला। मैं इस उत्तर के लिए उनका ऋणी हूं। मेरा प्रश्न था: "क्या वह सच है कुछ संपत्तियों पर बैंक द्वारा सावधि जमा पर ब्याज की कम दर तथा आयकर प्राधिकारियों द्वारा रिफंड पर उच्च ब्याज की दर के कारण अग्रिम कर भुगतान एक लाभदायक धंधा बन गया है?" प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा अग्रिम कर भुगतान की वापसी पर दिए जाने वाले संपूर्ण ब्याज को देखा जाए तो क्या हो रहा है। यदि किसी कर निर्धारिती को दो करोड़ रुपये देना है तो वह पांच करोड़ रुपये जमा कर रहा है क्योंकि तीन वर्ष बाद उसे तीन करोड़ पर बारह प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यह कैसे बढ़ रहा है? मेरे पास आंकड़ा है। मंत्रालय ने मुझे सारे आंकड़े नहीं उपलब्ध कराये हैं। मैंने आंकडे स्वयं जुटाये हैं। 1977–98 में वापस की गई धनराशि 878.87 करोड़ रुपये थी।

अगले वर्ष वित्तीय वर्ष 1998–99 में यह धनराशि 1727.12 करोड़ रुपये थी। इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यह अच्छा व्यापार है। यदि मेरा कर–निर्धारण दो करोड़ रुपये है तथा मैं दस करोड़ रुपये जमा करता हूं तो मुझे बारह प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा क्योंकि इसका भुगतान करने में अधिकारियों को तीन वर्ष से अधिक समय लगेगा। स्थिति इस प्रकार की है।

दोहरा कराधान अपवंचन संधि अत्यन्त पुराना मामला है। लगभग सभी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा बड़ी भारतीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण मारीशस में कराया है जो कि एक छोटा सा द्वीप है। उन्होंने वहां से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। मैं इस पर विवाद नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह मित्र देश है। लेकिन इसके कारण भारत सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इससे राजस्व कमाने की पर्याप्त संभावना है। हम राजस्व का घाटा उठा रहे हैं, कर अपवंचन हो रहा है; काला धन पैदा हो रहा है; और कर का बकाया भी है। वे सरकार को राजस्व से वंचित करने के लिए संदिग्ध तरीके अपना रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि घरेलू कंपनियों पर मात्र एक प्रतिशत अधिभार क्यों है ? हमने जब इस सभा में राष्ट्रीय आपदा पर बहस की तो माननीय सदस्यगण ने दलगत भावना से ऊपर उठकर यह कहा कि देश में किसी न किसी समय सूखा बाढ़ या भूकंप आते रहते हैं। हमने उड़ीसा में आए भयानक चक्रवात को देखा है। आज, मैं उड़ीसा के अपने सम्मानित साथियों से पूछता हूं कि उनमें से कितने लोग खुले आकाश में थे– चाहे आंकडा 50,000 का हो या एक लाख का। वे बताते हैं कि यह उससे भी अधिक था। उड़ीसा में भुखमरी से होने वाली मौतों का समाचार मिला है। यह मेरा पड़ोसी राज्य है। वहां हमारे कुछ मित्र है जिनसे हमने ये तथ्य जाने हैं। अतः इस अधिभार को केवल एक प्रतिशत क्यों रखा गया है? ग्यारहवें वित्त आयोग ने 500 करोड़ रुपये के कारपस निधि का सुझाव दिया है। इसकी भरपाई केन्द्रीय कर पर अधिभार या कर से संसाधन जुटाकर किया जाना है। यह एकदम सही है कि इसे एक प्रतिशत रखा जाए लेकिन आप स्थिति की भयंकरता तथा आवश्यकता के अनुरूप धन का बंटवारा कैसे करेंगे?

हम सभी लोग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्थिति से अवगत हैं। उस दिन जब हम राष्ट्रीय आपदा पर बहस कर रहे थे, दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रत्येक दल के सदस्यों ने कहा कि सरकार को ऐसी निधि की स्थापना करनी चाहिए जो कि प्रत्येक आवश्यकता में काम आ सके।

उड़ीसा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहा सैकड़ों एवं हजारों विद्यार्थी विद्यालय छोड़ रहे हैं जिससे कि वे कुछ भोजन का जुगाड़ करने के लिए कोई कार्य कर सकें। मध्याह्न भोजन योजना एक बहुत अच्छी योजना थी। अन्ततः सरकार ने भारतीय खाद्य निगम पर आर्थिक लागत लगा दी है। रखरखाव लागत, परिवहन तथा आर्थिक लागत में वृद्धि होती रही है। भारतीय खाद्य निगम प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। इसलिए अच्छी योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अब मैं कुछ चिन्ताजनक बातों पर प्रकाश डाल रहा हूं। सरकार ने रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग से इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड को सहायता देने का प्रस्ताव किया है। यह सहायता वेतन के लिए गैर योजना आबंटन के रूप में 48.67 करोड़ रुपये की है। सहायता केवल वेतन के लिए क्यों दी जा रही है? अनेक पुनः प्रवर्तित योजनाएं हैं जिन पर विचार किया जाना है। दूसरे दिन मंत्रालय को एक विज्ञापन सौंपा गया। मैंने देखा कि विभाग ने शीघ्र ही प्रधान मंत्री को नोट भेज रखा था जिसमें पुनःप्रवर्तित

पैकेज में शीघ्रता करने की बात थी। क्या हमें दवा की आवश्यकता नहीं है? हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर केवल दवा के लिए आश्रित कैसे रह सकते हैं। आई.डी.वी.एल., बंगाल इम्यूनिटीज लिमिटेड स्मिथ स्टानिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड सदृश सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने सस्ती तथा उचित दर पर अच्छी दवाएं बनाई हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को पुनः प्रवर्तन के बारे में न कि वेतन के लिए गैर योजना प्रावधान के बारे में सोचना चाहिए।

इलेक्ट्रानिक ट्रेड टेक्नोलाजी कारपोरेशन लिमिटेड (ई.टी.टी.सी), के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं...(*व्यवधान*) जी हां, मैंने आपका समर्थन किया और आपने मेरा समर्थन किया..... (*व्यवधान*) हम क्यों इसे बंद कर दें? इन कर्मचारियों को पुनः रोजगार मिलना चाहिए और उन्हें अपनी सेवा प्रदान करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा 8.42 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है। मैंने संबंधित मंत्री महोदय के पास यह मामला उठाया है, परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से भी इस संबंध में मदद की अपील करता हूं..(*व्यवधान*) सरकार ने इस इकाई को बंद कर दिया है। परन्तु उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना ही होगा.....(*व्यवधान*) मैं भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता। अब अनुदान की अनुपूरक मांगों पर, उन्होंने 1 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया है। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह मामला गंभीर है। जब नई दूर संचार नीति की घोषणा की थी, तब क्या कहा गया था? यह कहा गया था कि यह लोगों को विश्व टेलीकॉम सेवा प्रदान करेगी, और शीघ्र कार्रवाई करके बेहतर ग्रामीण सेवा इत्यादि देगी। उसके बाद निजी क्षेत्री मूल सेवा जैसे टेलिफोन, सेलूलर टेलिफोन इत्यादि प्रदान करेगा। अंततः ट्राई का गठन किया गया। उसके बाद क्या हुआ ? जैसा कि आप जानते हैं, सब कुछ रुक गया। ग्रामीण क्षेत्रों को तो छोडिए, कई शहरों और कस्बों के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड एक प्रस्ताव लेकर आया कि वह प्रति तीन मिनट के लिए 1.40 पैसे की दर से वायरलैस में लोकल लूप सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। इसका मोबाइल क्षेत्र सीमित होगा, जैसा कि कोर्डलैस में होता है, जहां इसकी सेवा का क्षेत्र 15 कि.मी. तक होता है। अब वे इसे लागू करने में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। ट्राई इसके लागू होने में बाधक है। दूरसंचार विभाग सस्ती टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। वायरलैस में लोकल लूप सर्विस सुदूर क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, अलग–थलग क्षेत्रों के लिए और उन शहरी लोगो के लिए जो इसे सीमित मोबिजिटी के सेलुलर फोन की तरह इस्तेमाल करने का खर्चा वहन कर सकते हैं, यह एक प्रासांगिक सेवा है। परन्तु निजी क्षेत्र इसके आड़े आ रहा है।

आर्थिक सुधारों की भाषा में, उपभोक्ता ही राजा होता है। परन्तु हम पाते हैं कि उपभोक्ता ही राजा नहीं है। उपभोक्ता ऐसी सेवायें चाहते हैं जिसका मूल्य वे आसानी से दे सकें। परन्तु निजी क्षेत्र कहता है कि सुधार का अर्थ है उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो और वह अधिक अमीर बनें, यह सेवा भारत के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नहीं हैं।

इस प्रकार इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों में सरकार ने जिन आर्थिक नीतियों को प्रतिफलित किया है उससे साफ लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। परन्तु फिर भी मैं इसकी दो तीन बातों का समर्थन करता हूं। इस समर्थन के साथ, मुझे आशा है कि सरकार जो भी गलत नीतियां अपना रही है उन पर पुनर्विचार करेगी।

श्री टी.टी.वी. दिनाकरन (पेरियाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, जब कि मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) पर बोलने के लिए खड़ा हूं, मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अपनी नेता और ए.आई.ए.डी.एम.के. की महासचिव, डा. पुराथाची थलावी के प्रति आभार व्यक्त करूं जिनकी उदारता से आज मैं यहां हूं।

महोदय, अब मैं एआईएडीएमके की ओर से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। नौवीं योजना की अवधि पूरी होने में एक साल बाकी है। नौवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। सरकार 7 प्रतिशत विकास दर का जो दावा कर रही है, वह हड़बड़ी में किया हुआ है। यहां तक कि योजना के अंत में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि भी कठिन लग रही है। इस वर्ष केवल तेल के आयात का बिल 7 से 8 खरब डालर होने वाला है। इस मामले को और जटिल बनाने के लिए सरकार के सहयोगी दल मूल्य और कुछ मौलिक सुधारों पर भिन्न मत व्यक्त कर रहे हैं। मुझे खेद है कि भारत ने वह आर्थिक सुधार अभी तक नहीं किए जिसका लाभ गरीबों को मिले।

मैं माननीय वित्त मंत्री से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या 1990 में 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर के परिणाम स्वरूप उनके पास कोई विश्वस्त आंकड़े हैं। जिससे पता चले कि सरकार ने रोजगार उपलब्ध करवाने और गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और क्या कोई आकलन किया गया है कि सुधारों से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा है। मैं चाहता हूं कि सरकार आर्थिक सुधारों की शुरुआत से इसका विस्तृत ब्यौरा देते हुए इस पर व्यापक वक्तव्य दे। इस सभा को ऐसी जानकारी का अधिकार है।

दूसरी तरफ वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। 1 अप्रैल, 2001 से मात्रा प्रतिबंध हटा दिये जायेंगे। अभी भी मात्रा संबंधी

[श्री टी.टी.वी. दिनाकरन]

जो प्रतिबंध हैं उससे घरेलू बाजार, उत्पादकों तथा व्यापारियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे किसान सर्वाधिक प्रभावित हुए है। अब जबकि इस प्रतिकूल स्थिति का निश्चित रूप से कृषि उत्पाद पर प्रभाव पड़ने वाला है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि इसरो अर्थव्यवस्था की वांछित वृद्धि का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

यहां कहा जाता है कि कृषि उत्पादों पर सर्वाधिक 35 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाता है। परन्तु चावल, चीनी जैसे उत्पादों के मामले में आयात शुल्क 60 से 100 प्रतिशत के बीच होता है। कृषि उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने पर भी हमारे किसानों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि, ये आयातित वस्तुएं यहां घरेलू मूल्य के एक–तिहाई और उससे भी कम मूल्य पर बेची जाती हैं। ऐसा हाल तक इलायची के साथ होता रहा है। इसलिए, आयात शुल्क निर्धारित करते समय, उस उत्पाद की घरेलू बाजार में कीमत और वह किस कीमत पर आयात के बाद भारत में उपलब्ध होगा, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां, मैं एक बात कहना चाहूंगा। चाय के आयात से छोटे व सीमान्त किसानों विशेषकर तमिलनाडु के किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। इसीलिए, मेरी नेता, डा. पुरात्राची थलावी ने सरकार के चाय के आयात पर लगाये गये मात्र 15 प्रतिशत के शुल्क का पुरजोर विरोध किया है। इस पुरजोर विरोध के बाद ही चाय पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया। मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि आर्थिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कृषि को हर हाल में संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

सरकार का 2002 तक राजसहायता चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्णय खतरे की घंटी है। यदि खाद, बीज, बिजली इत्यादि कृषि संबंधी वस्तुओं से राजसहायता चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गयी तो, अभी खाद्यानों में आत्मनिर्भर इस देश को देश–देश भीख का कटोरा लेकर घूमना होगा। परन्तु, दुर्भाग्यवश, सरकार ने इस तथ्य से आंख मूंद ली है। हमारी 200 मिलियन टन के खाद्य उत्पादन के दावे के बावजूद, हमारी एक तिहाई आबादी कुपोषित है। परन्तु हमारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट 25,000 करोड़ रु. है। यह बजट 10 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या के लिए है क्योंकि कम्प्यूटर बाकी लोगों की पहुंच के बाहर है। सबसे विचित्र बात यह है कि, हमारी 30 प्रतिशत जनसंख्या अनपढ़ है और करीब 40 लाख बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आर्थिक सुधारों का लाभ आम आदमी को पहुंचाया जा सके।

इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों में प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अंतर्गत 210 करोड़ रु. दिखाए गये हैं। हमें देश में 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करनी है। परन्तु, मुझे आशंका है कि, क्या सार्वजनिक धन को कतिपय लोगों के निहित स्वार्थ के एजेंडा की खातिर दुरुपयोग किया जा रहा है। हाल ही में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस उद्देश्य से कि सभी राज्यों के सभी कक्षाओं में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की जा सके स्कूली शिक्षा पर पाठ्यचर्या प्रारूप जारी किया है। यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि राजग सरकार शिक्षा के भारतीयकरण के नाम पर हिन्दुत्व एजेंडा लाने का प्रयत्न कर रही हैं।

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे स्वर्गीय नेता और तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, डा अन्नादुरई ने एक बार कहा था कि एकता और एकरूपता भारत जैसे बहुविध समाज वाले देश में संभव नहीं हो सकता। इसलिए, यदि हम एकता जो कि सर्वोपरि है को बनाए रखना चाहते हैं तो एक रूपता असंभव है। क्योंकि 'अनेकता में एकता' को स्वीकार किया गया है, इसलिए भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के हिन्दुत्व एजेंडा पर धन व्यय नहीं करना चाहिए।

अतत:, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में आम और अंगूर पैदा किए जाते हैं। परन्तु किसानों को खेती से अधिकतम लाभ नहीं मिलता क्योंकि ये चीजें शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं। वहां पर शीतागारों के निर्माण की तुरन्त आवश्यकता है। ताकि इन फलों को सुरक्षित करके इन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सके, पिछले बजट में देश में किसानों के शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादनों को संरक्षित करने में सहायता के लिए 100 शीतागारों के निर्माण का प्रस्ताव था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में किसी शीतागार का निर्माण किया गया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आम की जैली और आम का जूस आदि बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने की मांग की जा रही हैं। इन उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शीतागारों के निर्माण और आम तथा अंगूर से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र को धन का आबंटन किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. बी.बी रमैया (एलूरू) : सभापति महोदय जी, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

आरम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2000–01 के आम बजट के संदर्भ में आज अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की हैं तथा इसमें से निश्चित निधि के विनियोजन के भुगतान के लिए भी अधिकृत किया है। हमारे कुछ मित्रों ने उद्योग एवं दूसरी मदों, जैसे विभिन्न मदों का उल्लेख किया है। अनुपूरक मांगों में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण मदों के संबंध में मैं चाहता हूं कि किए गए वर्तमान आबंटनों में और वृद्धि को प्राथमिकता दी जाए।

जैसा कि श्री रूपचन्द पाल ने उल्लेख किया है, इसमें से बहुत बड़ी धनराशि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि में जा रही है। मैं समझता हूं कि हम लोगों में से हर कोई इस संबंध में बहुत प्रसन्न है। वस्तुतः पिछले बजट में भी इसका उल्लेख था। मैं समझता हूं कि कुछ और कराधान के लिए वह दूसरे प्रस्ताव ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके बाद वह प्रस्ताव आएगा तथा इसरा धनराशि में बढ़ोत्तरी होगी। मेरे मतानुसार, इससे हमें सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि अधिक महत्वपूर्ण है। हर कोई इससे उम्मीद कर रहा है।...*(व्यवधान)* आइए देखें कि इसके क्या प्रावधान हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है।

व्यय की दूसरा मद उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए है। खाद्यान्न सब्सिडी और दूसरी मदें इसमें सम्मिलित हैं। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहां मुझे एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना है। सूखा, बाढ़, चक्रवात और भूकम्प जैसी समस्याओं के बावजूद उस प्रयोजन के लिए हम चावल, गेहूं, चीनी, तम्बाकू एवं अन्य दूसरी वस्तुओं जैसी फसलें अतिरिक्त मात्रा में पैदा कर रहे हैं। हमें सचमुच किसानों को बधाई देनी चाहिए। वे सचमुच इसके पात्र हैं। कृषि भूमि पर 60 से 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति निर्भर हैं। इन लोगों का जीवन बचाने और उनकी संवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की सहायता बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ में यह भी कहता हूं कि 200 करोड़ रुपए का प्रावधान ही केवल एक मद नहीं हैं। भंडारण क्षमता में भी वृद्धि की जानी चाहिए। आज, वास्तव में खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके साथ–ही भंडारण सुविधा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भंडारण–सुविधा के अभाव में हम आज सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। इन दो तथ्यों का ध्यान रखना होगा। हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में और उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए यहां उपयुक्त भंडारण सुविधा होनी चाहिए। मुझे बताया गया कि माननीय वित्त मंत्री जी ने और भंडारण सुविधाओं के निर्माण के कुछ पैकेज दिए हैं। उन्होंने ऋण आदि के ब्याज पर कुछ रियायत और सब्सिडी प्रदान किया है। उन्होंने कुछ अवधि के लिए इसकी गारंटी भी दी हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय सदस्य ने अभी तुरंत शीत भंडारण सुविधा का उल्लेख किया हैं। यह सभी सामग्रियों के लिए बहुत अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 टन तक प्याज का भी भंडारण शुरू कर दिया है; वे मिर्च, इमली और दूसरी वस्तुओं का भी भंडारण कर रहे हैं। होता यह है कि जब उत्पादन बढ़ता है तो मूल्य कम हो जाता है। कुछ महीने के भीतर मूल्य पुनः बढ़ जाएगा तथा बाजार में उछाल आ जाता है। आम लोगों को कठिनाई होती हैं। इसलिए भंडारण अत्याधिक अनिवार्य है। माननीय वित्तमंत्री जी को सार्वजनिक वितरण और आम लोगों की सुविधा के बृहत्तर हित के पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए।

उनके द्वारा बताई गई खर्च की दूसरी मद गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण के संबंध में है। आज प्रातः ही हम लोग इस पहलू के बारे में बात कर रहे थे। आज नक्सलवाद और दूसरी चीजें एक गंभीर खतरा हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था एवं देश की वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राज्यों में शांति और सामंजस्य को सुदृढ़ करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एकदम अनिवार्य है। खुशी है कि उन्होंने इसके लिए प्रावधान किया है।

व्यय की दूसरी महत्वपूर्ण मद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए है। यह बच्चों के लिए आहार संबंधी सहायता के प्रयोजनार्थ है। यह एक बहुत ही अनूठी परियोजना है। आज हम बच्चों और उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा की कमी है। जहां कही भी शिक्षा अच्छी है विकास अच्छा होता है और वहां प्रगति अच्छी होती है। इसके लिए शत–प्रतिशत शिक्षा अनिवार्य है। निस्सन्देह, यह एक ऐसा साझा है जिसके लिए राज्यों और केन्द्र दोनों को निपटना है। शिक्षा के प्रयोजन से जो कुछ भी सहायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इन सबके अतिरिक्त अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कई दूसरी मदें भी हैं।

इन सभी के बावजूद यदि हम अधिक प्रतिस्पर्धी हैं, तो हम सचमुच परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। देश की प्रगति और समृद्धि

[डा. बी.बी. रमैया]

के लिए आधारभूत ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यह समस्या हमें प्रायः परेशान कर रही थी तथा हम इसके बारे में बार–बार कई अवसरों पर चर्चा करते रहे हैं। आधारभूत ढांचा अत्याधिक अनिवार्य होने जा रहा हैं।

निस्सन्देह, हमने एक बढ़िया काम किया है– केन्द्रीय सड़क निधि का गठन किया है। इस सडक निधि से हम पूरे देश में प्रमुख सड़क राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों का विकास कर सकते हैं। ग्रामीण सड़क और राजमार्ग दोनों महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक हैं। परिवहन लागत सबसे बडी समस्या है। इसी प्रकार ईंधन खपत, प्रदूषण आदि की भी समस्या है।

लंबे समय से हम विद्युत उत्पादन की बात कर रहे हैं। विद्युत उत्पादन को बढ़ाने में हम सफल नहीं रहे हैं। संभवतः वित्त मंत्री इन पहलुओं की ओर ध्यान देंगे तथा यह देखने का प्रयास करेंगे कि संकट के क्षेत्र कौन से है तथा विद्युत उत्पादन में सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं। विद्युत उत्पादन में वृद्धि के बिना हम औद्योगिक विकास, कृषि विकास और घरेलू अपेक्षाओं के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। विद्युत की कमी समस्याएं उत्पन्न कर रही है। मैं आश्वस्त हूं कि लंबे समय से इस मामले पर बार–बार विचार किया जा रहा है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। हमें इसे किसी भी प्रकार से करना है।

बंदरगाहों के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा आयात और निर्यात बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया में संचालन लागत एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है। हमें मितव्ययिता के स्तर पर सिंगापुर जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जहां वे लाखों टन सामग्रियों का संचालन तीव्र गति से कर रहे हैं। सुविधाओं और समुचित प्रौद्योगिकी आदि की कमी के कारण हमारे पास अनेक बंदरगाह नहीं हैं। आज हम कई प्रकार की सामग्रियों का निर्यात कर रहे हैं, यथा वस्त्र सामग्री। इनका निर्यात वायुमार्ग से करना होता है। हमें संचालन, हवाई अड्डों पर विलम्ब और वायुयान की उड़ानों में सुधार करना है।

पर्यटन कई देशों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। छोटे देश भी बड़ी मात्रा में धनराशि अर्जित कर रहे हैं। यह काफी मात्रा में रोजगार देता है और विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। चीन भी हमसे काफी आगे निकल गया है। चीन पर्यटन के क्षेत्र में जो कमाई कर रहा है उसका तिहाई भी हम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इतना अधिक विकास किया है तथा वे इतनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। पर्यटन के विकास के लिए बहुत अधिक पूंजी निवेश अपेक्षित नहीं है। परन्तु हमें आधारभूत सुविधाएं, प्रौद्योगिकी आदि हासिल करनी है।

एक दिन मैं माली द्वीपसमूह में था। मैं बड़े वायुयानों को उतरते और लोगों को लेकर उड़ान भरते हुए देखकर अचंभित था। उनका पर्यटन उद्योग फल–फूल रहा है और वे ऐसा कर रहे है क्योंकि उनके पास सुविधाएं अधिक हैं। वे प्रति बिस्तर 2000 डॉलर वसूलते है। हम भी पर्यटन का विकास कर सकते है। यदि हम अपने आप नहीं कर सकते है तो बेहतर होगा कि हम उनका पता लगाएं जो हमारे पर्यटन का विकास करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। पर्यटन हमारी समृद्धि में सहायक है। इन पर्यटक स्थलों पर जाने वाले कई पर्यटक यह कहते हैं कि उन्हें आधुनिक चीजें नहीं चाहिए, वे वहीं ऐतिहासिक चीजें चाहते हैं जो हजारों वर्ष पहले विद्यमान थीं। इस क्षेत्र में भारत काफी ऐतिहासिक स्थल है।

एक दिन, हम खजूराहो में थे जहां हमने सभी होटलों को भरा हुआ पाया। वे विदेशियों से भरे हुए थे। वे वहां यह देखने के लिए थे कि हजारों वर्ष पूर्व वहां क्या था, कि इन मंदिरों को किसने बनवाया कि इनका डिज़ाइन कैसे तैयार किया गया, उस समय किसी सुविधा के अभाव में इसका निर्माण कैसे किया गया। हमारे पास कई अवसर और अनुकूल परिस्थितियां हैं। मैं आश्वस्त हूं कि पर्यटन एक महत्वपूर्ण मद होगा जिसके विकास के लिए वित्त मंत्री और सुविधाओं का विस्तार करने पर विचार करेंगे।

मैंने कृषि क्षेत्र के बारे में पहले ही उल्लेख कर दिया है। समर्थन मूल्य देते रहना होगा। कई देश अधिक सब्सिडी आदि प्रदान कर रहे हैं। अब लोग विश्व व्यापार संगठन और दूसरे तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था में हमारा काफी हित है। हम इसमें शुल्कों का संरक्षण कर सकते हैं क्योंकि हम इसका विपणन करने में सक्षम हैं। मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयातों की अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि हम वह नहीं कर रहे हैं जो दूसरे देश कर रहे हैं।

इन दिनों कई देशों ने इन चीजों के लिए सब्सिडी दी हैं। तथा वे कृषि विकास को सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी कुछ अधिक सहायता देकर उन लोगों की तुलना में बेहतर कर सकते हैं। हम जानते है कि माननीय वित्तमंत्री जी जानते हैं कि जो अपेक्षित है वह ज्यादा नहीं है परन्तु केवल थोड़ी अधिक सहायता हो तो उसका वांछित परिणाम होगा। वह उर्वरकों, कीटनाशकों और जल आपूर्ति की आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं।

तत्पश्चात्, जल परियोजनाओं को हमारे देश में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे कई प्रकार की सहायता

मिलती है। यह बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम कर देगा तथा यह विद्युत उत्पादन और कृषि के विकास में भी सहायक होगा। आरम्भ में, इसकी लागत ज्यादा होगी, परन्तु आवर्ती लागत बहुत कम होगी तथा लाभ बहुत अधिक होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पहलू पर ध्यान देंगे और जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

महोदय, हमारी शक्ति क्या है? आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं तथा विश्व ने मान्यता दी कि भारतीय प्रोद्योगिकी और भारतीय वैज्ञानिक अच्छे हैं। परन्तु हमें अपनी तकनीकी शिक्षा को थोड़ी और सहायता देनी चाहिए। कई देश भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की मांग कर रहे हैं, विश्व के किसी भी भाग में जहां कहीं भी वे सेवा करते हैं, इससे हमारे देश को सहायता मिलेगी क्योंकि उनके साथ हमारा भी विकास होगा। इसलिए, हमारी तकनीकी शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है तथा हमारे सॉफ्टवेयर के जानकार लोग भविष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आज के परिदृश्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा हमें इसको और सहायता देनी चाहिए।

इसके बाद हम वाहन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा निष्पादन कर रहे हैं तथा हम दूसरे देशों को वाहन के पुर्जों तथा टेलीविजन का निर्यात कर रहे हैं। हमारे तकनीशियन विश्व के किसी भी तकनीशियन के समान ही उत्कृष्ट हैं। यदि हम उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, तो वे बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

[अनुवाद]

इसके साथ–साथ, हमें पुराने वाहनों और उनके कलपुर्जों को भी देश में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम, वाहनों के अच्छे पुर्जे बनाते हैं। यदि बहुत कम मूल्य पर बेचे जा रहे थे पुराने पुर्जे देश में लाने की अनुमति दे दी गई तो मेरे विचार से इसका हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, इस क्षेत्र में हमें पर्याप्त संरक्षण देने की आवश्यकता है।

लघु–उद्योगों और कृषि–आधारित उद्योगों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। ऐसे कई रास्ते हैं जिनसे हम उन्हें अधिक सहायता और संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा करने की संभावनायें हैं। विश्व व्यापार संगठन ऐसा नहीं कहता कि हम यह नहीं कर सकते। हमारे पास तरीके है और हम ऐसा कर सकते हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री से केवल यही अनुरोध है कि विदेश प्रत्यक्ष निवेश की ही तरह, उन्हें ऐसा एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिए जिसमें हम हर सप्ताह निर्णय लेते हैं। इस सैल से हम प्रत्येक सप्ताह या 10 दिनों में इन चीजों पर निगरानी रख सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को देखकर, तुरंत निर्णय लेकर हम उन्हें पर्याप्त सहायता दे सकते हैं। यदि निर्णय लेने में विलम्ब हुआ तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए हमें निर्णय लेने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।

महोदय, इस वर्ष हमने करीब 15 लाख टन चीनी का आयात किया है क्योंकि हम निर्णय तुरंत नहीं ले सके। यदि हमने आयात शुल्क बढ़ा दिया होता, जैसा हमने अभी किया है, तो यह हमारे देश में इतनी मात्रा में नहीं भेजा जाता। हमने 90 लाख टन अतिरिक्त चीनी का उत्पादन किया किंतु हमने इतनी मात्रा में आयात भी किया। हमें अब महसूस हुआ है कि हमें आयात को रोकना होगा और निर्यात भी करना हैं। इस तरह, सही समय पर उचित निर्णय लेना आवश्यक है। इसलिए, हमें एक 'सैल' की आवश्यकता है जो इन चीजों की लगातार निगरानी करेगा और शीघ्र निर्णय लेने में भी सहायता करेगा।

जहां तक विनिवेश का संबंध है तो यह 10 वर्षों से भी पहले प्रारंभ हो चुका है। उस समय भी हमने यही सोचा था कि हमें हर साल 10,000 करोड़ के लगभग विनिवेश करना चाहिए किंतु 10 वर्षों के पश्चात् भी आज तक कुल 18,000 करोड रुपये तक का विनिवेश ही किया गया है। इसका अर्थ है कि यह बहुत धीमी गति से हो रहा है और यह ठीक तरह से नहीं किया गया। संभवतः जैसा मैंने पहले कहा, इसके लिए एक विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता है जिसे विनिवेश का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव हो और जो उचित समय पर निर्णय ले सके। यह सच में एक बड़ी सहायता होगी, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में हम पहले ही 2,50,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। उसमें से 18,000 करोड़ काफी कम प्रतिशत है। दरअसल हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम लाभ अर्जित करने की स्थिति में हैं किन्तु उन्हें कुछ वित्तीय सहायता और बैंक गारटी की आवश्यकता है। हम ऐसी नीति तैयार कर रहे हैं जिसमें प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए उद्योगों को एक साथ जोड़ कर एक बड़ा संगठन बनाया जा सकेगा।

इसलिए, हमें छोटी इकाईयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी होगी ताकि वे स्पर्धा का सामना कर सकें। हम उन्हें अनुमति दे सकते हैं कि वे बार–बार अंतरविभागीय संबंध स्थापित कर सकें और देखें कि उत्पाद की कीमत और उसकी गुणवत्ता पर कोई समझौता किए बिना वे सहायता प्राप्त कर सकें क्योंकि दक्षता अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि श्री रूपचंद पाल कहते हैं, आम आदमी अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह, गुणवत्ता व कीमत भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं हमें काफी ध्यान देना होगा।

[डा. बी.बी. रमैया]

मैंने देखा कि उद्योगों में रुग्णता भी है आज बी.आई.एफ. आर. जो कर रहा है वह उसका बहुत कम प्रतिशत है। हमें कई और उद्योगों की आवश्यकता है जहां पुर्नगठन, समामेलन, विलयन इत्यादि किया जाना है। अन्यथा, हजारों करोड़ रुपये का निवेश बेकार पड़ा रहा जाएगा। उपकरण बेकार पड़े है और जन शक्ति एक समस्या बन चुकी है। केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि जापान और दूसरे विकसित देशों में भी काफी रुग्णता है। प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, आधुनिकीकरण और दूसरे कई कारणों से ऐसा हो रहा है किंतु उन्हें इन चीजों को लगातार गतिशील बनाना चाहिए और यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि इनका समामेलन कैसे हो, इन उद्योगों को बनाये रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और उपकरणों का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किया जाना चाहिए।

इसके साथ–साथ हम बैंक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा और उसके अस्तित्व के बने रहने को भी देख रहे हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दरें दो या तीन प्रतिशत हैं। फिर भी यहां हम सही दिशा में जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने यह किया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उन्होंने एक प्रतिशत की कटौती की है। वे इसमें और कटौती करने के इच्छुक हैं किन्तु स्पष्ट है, इससे कई दूसरी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जमा राशि में कटौती करते हैं तो दर अवश्य कम होगी। यदि आप ब्याज दर कम करेंगे तो भविष्य निधि वाले लोग इस पर आपत्ति करेंगें। जब तक जमा दर कम नहीं होंगी, तब तक ब्याज दर भी कम नहीं होगी। इसलिए इन चीजों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अभी भी हम लघु–उद्योगों, निर्यात और कृषि को विशेष ब्याज दरें प्रदान कर रहें हैं। इसीलिए, हमें इस बैंक व्यवस्था और दूसरी चीजों का समर्थन करना चाहिए।

अब हम, राज्यों की अधिक से अधिक हिस्सा देने पर विचार कर रहे हैं। हमने यह 29 प्रतिशत तक कर दिया किन्तु उन्हें कम से कम 33 प्रतिशत की आवश्यकता है। हमें उन्हें इससे कुछ अधिक देना होगा। मुझे विश्वास है कि यह उन मदों में से ही एक होगा जिनकीं हमें तलाश है।

यदि आप इस पर दृष्टि डालें, इन सभी चीजों के बावजूद हमारे आरक्षित जमा में वृद्धि हो रही है। हमारी मुद्रा स्फीति 7.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है और मेरे विचार से हम ऐसा करने की स्थिति में होंगे हमारी औद्योगिक वृद्धि दर में सुधार होना चाहिए मेरे विचार से इसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन चीजों पर हाल ही में ध्यान दिया है और इन पर कुछ विचार पर किया है। जब तक विकास दर आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तब तक संभवतः इन लोगों की आशाओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं जिसके लिए मुझे प्रारंभ में बोलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने संसद से अनुमति मांगी है कि उन्हें 2639.09 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय का प्राधिकार दिया जाए और इसमें से 1067.11 करोड़ रुपये संबंधित मंत्रालय और विभागों की बचतों या बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियां से पूरे किए जाने हैं।

माननीय मंत्री ने सरकारी खर्च से बचत या कटौती के द्वारा अच्छी शुरूआत की हैं क्योंकि हर जगह सरकार सबसे अधिक व्यय करती हैं। यदि आपको बचत करनी है तो आपको सरकार से ही प्रारंभ करना होगा और माननीय मंत्री जी ने यही किया, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं।

माननीय श्री रमैया पहले ही राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान का उल्लेख कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हर साल पूरा देश आपदा पर आपदा का सामना कर रहा है। माननीय मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री भी जानते हैं कि उड़ीसा जैसे राज्य की मांगों की पूर्ति कितनी कठिन हैं जो चक्रवात या सूखे इत्यादि के कारण हजारों करोड़ रुपये की हानि उठा चुका है। इसलिए मेरे विचार से, 500 करोड़ रुपये की यह राशि पर्याप्त नहीं है और जब भी हमें अवसर मिले, इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

दूसरा प्रश्न आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राज–सहायता उपलब्ध कराने का। यह अच्छी बात है क्योंकि गरीबों को राजसहायता साधारणतयाः प्रत्येक स्थान पर स्वीकार की जाती है। यह यह भी स्वीकार्य है। किन्तु मेरा प्रश्न हैः क्या यह लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचता है? आमतौर पर, ऐसा नहीं होता। मेरे जिले बालासोर में, जहां से मैं आया हूं, वहा का कलैक्टर मुझे कह रहा था कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग 73 प्रतिशत है। माननीय मंत्री ने हमें कई बार कहा है कि हर बार इसे कम किया जा रहा है। पिछले वर्ष समीक्षा जैसा ही कुछ था। आपकी रिपोर्ट कहती है कि भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 34 प्रतिशत हैं। एक नई सर्वेक्षण रिपोर्ट ने कहा है कि यह 27 प्रतिशत कर आ जाएगी किंतु मेरे जिले में जिसे उड़ीसा का एक समृद्ध जिला होना चाहिए, यह 73 प्रतिशत है। यहां तक कि एक ब्लॉक में यह 84 प्रतिशत हैं। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि हम विद्यालय के अध्यापकों को भेजते हैं। अध्यापक का कार्य मात्र विद्यार्थियों का अध्यापन ही नहीं है बल्कि उसका कार्य जनसंख्या, राशन कार्ड

बनाने, चुनाव करवाने और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची तैयार करना भी है। वे सभी की सूची बनाते हैं।

इसलिए मेरा, माननीय मंत्री जी के लिए सुझाव है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सूचीबद्ध करने का कार्य अध्यापकों को न दिया जाए। यह कार्य बाहरी लोगों, कुछ गैर सरकारी संगठनों या कुछ विश्वसनीय एजेंसियां को दिया जाना चाहिए जो हर जगह जाकर वास्तव में ऐसे लोगों का पता लगा सकें जो गरीब हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में, हम खाद्य पदार्थों के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपये की सहायता दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष सहायता देने के बजाए यदि हम वास्तव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों को सहायता राशि बांटना चाहते हैं और हर व्यक्ति को मनीआर्डर के माध्यम से सहायता राशि पहुंचाते हैं तो हर व्यक्ति को हर वर्ष 5,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। किंतु क्या उन्हें यह राशि प्राप्त होती है? इसलिए सहायता का स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, और माननीय वित्त मंत्री से मेरा यही निवेदन है।

राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हर देश में हर जगह, विशेष रूप से भारत में सभी यह जानते हैं कि राज्य पुलिस ही आतंकवादियों के खौफ से निपट सकती है। आप पंजाब का उदारण लीजिए। पंजाब में यह कार्य सेना या अर्द्ध सैनिक बल नहीं कर सके थे, वहां श्री के.पी.एस.गिल के नेतृत्व में पुलिस ने आतंकवादियों से लोहा लिया और आतंकवादियों को वहां से भागना पड़ा। इसलिए, यह राज्य पुलिस ही है जिसे आधुनिक किया जाना चाहिए, जिसे प्रशिक्षण देना चाहिए, जिन्हें बढ़िया हथियार देने चाहिए ताकि हम नक्सलवादियों, राष्ट्रीय जोंतिवाद, निजी सेनाओं इत्यादि से निपट सकें। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

तत्पश्चात् मैं मद संख्या 50 का उल्लेख करने जा रहा हूं जो कि प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से पोषाहार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पर अतिरिक्त व्यय से संबंधित है 210 करोड़ रु. दिए गए। मैं पुनः प्रश्न करता हूं: क्या यह राशि उनके पास पहुंचती है, वास्तव में जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मैंने देखा है कि मेरे क्षेत्र में जो कि तटवर्ती इलाका है तथा सामान्यतः समृद्ध है कोई बच्चा इसे नहीं खाता है। अतः यह वास्तविकता है कि गांव के लोग इसे काले–बाजार में बेच देते हैं। वे इससे धन प्राप्त करते हैं। वे धन का प्रयोग किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए कर लेते हैं। यह दिया जाना चाहिए। मैं इससे इन्कार नहीं करता। लेकिन इसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दिया जाना चाहिए। इसे प्रत्येक को क्यों दिया जाए, और उनको क्यों दिया जाए जो इसे खाते ही नहीं हैं ?

इस धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः मैं वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देता हूं कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह अत्यन्त गंभीर बात है। मेरे विचार में इस धन का अधिकांश भाग जालसाजी में चला जाता है। अतः उन्हें यह भी देखना तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निश्चित रूप से उन बच्चों के पास पहुंचे जिन्हें अपने घर पर खाना नहीं मिलता है तथा जो केवल स्कूल आते हैं अध्ययन नहीं कर पाते हैं।

विनिवेश का भी प्रावधान है। यहां भी इसका प्रावधान किया गया है। धन दिया गया है। अतिरिक्त मद संख्या 54 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कम पड़ रहे संसाधनों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता से संबंधित है। हम इस बारे में कुछ समय पहले बहस कर रहे थे। मैं सरकारी क्षेत्र के विनिवेश पर बहस नहीं करूंगा। मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा।

अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उदाहरण के तौर पर लें। शेयर बाजार की सूची में केवल 24 सरकारी उपक्रामों को शामिल किया गया है। अतः वह देखे कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्या किसी भारतीय ने शेयर खरीदे हैं। उसे गत 10 वर्षों में केवल 2.4 प्रतिशत का लाभ मिला होगा। केवल 2.4 प्रतिशत! और यदि उसने शेयर बाजार में 476 सूचीबद्ध निजी कंपनियों से शेयर खरीदे होते तो उसे कितना लाभ होता? उसे 10 गुना अधिक 24 प्रतिशत मिलता। भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें यह जानना चाहिए कि केवल कार्य करने वालों का क्या होगा।

यह उचित नहीं है कि केवल कुछ लाख व्यक्तियों के लिए 2,79,000 करोड़ सरकारी धन को फिजूल में खर्च किया जाए। इसे बाजार से 12; 13 प्रतिशत के ब्याज पर उधार लेकर तथा केवल 1.8 प्रतिशत के लाभ पर या घाटे पर बर्बाद नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाइं : मैंने केवल 10 मिनट बोला है। मुझे पांच मिनट और दीजिए।

अतः मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में विनिवेश पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मंदी की बात है। जी हां अर्थव्यवस्था में मंदी है। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। इसका कारण सामान्य से कम मानसून, पेट्रोलियम उत्पादों का अधिक मूल्य बुनियादी ढांचे एवं आयात की ऊंची कीमत और तेल का आयात है। और आयात की प्राप्ति के बारे में बात करें। मैं अब

[श्री खारबेल स्वाइं]

चीन के ऊपर आ रहा हूं क्योंकि चारों तरफ से शोर हो रहा है कि हमने विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए तथा इस देश के कितने अर्थशास्त्रियों तथा माननीय सदस्यों ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करके, गैट का सदस्य बनकर हम फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में यह सही नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन पर आम सहमति है। विश्व व्यापार संगठन एक अवसरवादिता है। इसमें सम्मिलित होने का मतलब मैं समझता हूं।

श्री ए.सी.जोस (त्रिचूर) : जब कांग्रेस विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुई तो आप लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। अब आप इससे सहमत हैं।

सभापति महोदय : अपनी बात जारी रखें।

श्री खारबेल स्वाइं : मैं सहमत हूं क्योंकि किसी देश की विदेश नीति तथा अर्थ नीति समय की आवश्यकता के अनुरूप होती है। जब मैं सांसद नहीं था अनेक बातों को नहीं समझ सका। जब मैं सांसद बन गया हूं सत्ता पक्ष का सांसद, तो मैंने देश के हित को समझने का प्रयास किया है। यदि आपने इसे समझ लिया है तो क्या मैं आपसे प्रति प्रश्न पूछ सकता हूं? संभवतः आपने इसे पहले समझ लिया था लेकिन अब इसे गलत समझने का प्रयास कर रहे हैं !

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाइं : मेरा मतलब है कि हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहें हैं जो कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। वह विश्व स्तर पर अपनी क्षमता दिखाना चाहता है। वह सदस्य बनना चाहता है क्योंकि संसार में उसकी अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है।

सायं 6.00 बजे

2010 तक वह अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे स्थान पर लाना चाहता है और 2025 तक वह अपनी अर्थव्यवस्था को पहले नम्बर पर लाना चाहता है ताकि वह अपना प्रभुत्व जमा सकें।

एशिया देश चीन के हुउए से डरे हुऐ हैं। वे चाहते हैं कि भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए क्योंकि केवल भारत ही उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। जब आशियन देश कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सुधारों को तेजी के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्हें बहुत कठिन निर्णय लेने चाहिए क्योंकि इससे देश को मदद मिलेगी। उन्हें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अधिकांशतः भारत व्यावहारिकता को नहीं अपनाता, सैद्धान्तिकता को ही अपनाता है। हमें देश के हित के लिए कोशिश करनी होगी। ऐसा करने से भारत महाशक्ति बन जाएगा। अतः वित्त मंत्री को चाहिए कि सुधारों की विनिवेश की, सरकार का आकार सही करने तथा खर्च में कटौती करने का कार्य शुरू करें। मेरे विचार में इस प्रकार हम भविष्य में चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभा की सहमति हो तो क्या सदन की कार्रवाई की अवधि काम समाप्त होने तक बढ़ाई जाए ?

बहुत से माननीय सदस्य : जी हां।

[अनुवाद]

श्री ए.सी.जोस : महोदय, अनुपूरक मांगों पर चर्चा होना सामान्य बात है। हम इसका निरानुमोदन नहीं कर सकते या हम कर नहीं कह सकते कि हम अनुपूरक मांगों को पारित नहीं होने देते हैं क्योंकि यह धनराशि सरकार द्वारा व्यय की जाती है। इस बहस का मात्र प्रतिपूरक पक्ष यह है कि इससे यह पता चलता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है।

सायं 6.02 बजे

(**श्री श्रीनिवास पाटील** *पीठासीन हुए*)

महोदय, अगले बजट के आने में दो या तीन महीने शेष हैं। बजट केवल हानि लाभ का लेखा–जोखा नहीं है, यह इस बात को भी दर्शाता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। यह सरकार को अर्थव्यवस्था को दिशा देने का अवसर प्रदान करता है। यदि आप देखें तो पायेंगे कि अनुपूरक मांगे मात्र सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि की होती हैं।

महोदय, मुझे यह जानकर कष्ट हो रहा है कि गत आठ या नौ माह में कहीं भी कोई आम बहस नहीं हुई कि देश को किस दिशा में जाना चाहिए। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति मि. जार्ज बुश जूनियर ने पदभार ग्रहण करने के पहले ही कहा कि उनका एक कार्य करों में कटौती करने का होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, 'मैं अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर राष्ट्रीय बहस कराना चाहता हूं।' हमारे देश की स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथा शोचनीय है जहां आम बहस इस बात पर होती है कि मंदिर कहां बनाया जाए और मस्जिद कहां तोड़ी जाए।

महोदय, मुझे यह कहने में अफसोस है कि इस देश के नेता हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जी ने धर्मान्तरण पर राष्ट्रीय बहस के लिए

कहा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि देश की गरीबी उन्मूलन या आर्थिक स्थिति पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए न कि एक धर्म से दूसरे में अन्तरण पर। वित्त मंत्री महोदय, क्या इस देश की आर्थिक स्थिति पर कोई बहस हो रही है ?

आप कांग्रेस दल पर प्रायः आरोप लगाते रहे हैं, उसके बारे में बुरी बातें कहते रहे हैं कि उसके समय में गलतियां हुईं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद बेरोजगारी को दूर करने के लिए या गरीबी उन्मूलन के लिए आपने कोई योजना शुरू की है? आपको इस देश की स्थिति का पता है।

मैं डा. सैलिग हैरिसन के एक भाषण से उद्धरण दे रहा हूं। उन्हें भारत का शुभचिन्तक समझा जाता है। उन्होंने पीटरसन (नई जरसी) में एक सेमिनार में, जो कि 'वैश्वीकरण तथा प्रजातन्त्र की चुनौती' विषय पर था, कहाः "भारत के प्रबल शुभचिन्तक सैलिग हैरिसन के अनुसार भारत के आर्थिक उदारीकारण कार्यक्रम से शहर के गरीबों को लाभ हुआ होगा लेकिन यह गांवों में गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर पाया है।

श्री हैरिसन जी ने जो कि वुड्रो विल्सन सेन्टर के नाम से प्रसिद्ध वाशिंगटन थिंक टैंक से सम्बद्ध हैं कहा है, भारत की सबसे बड़ी असफलता ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की समस्या का समाधान न करना है।

'वैश्वीकरण ताकि प्रजातन्त्र को चुनौती, विषयक सम्मेलन में मुख्य वक्ता श्री हैरिसन जी ने कहा कि भारत के विपरीत चीन में ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास की परिधि में लाया गया है।

भारत में सुधारों की शुरूआत के समय से ही गांवों में गरीबी बढी है।"

वह आगे भी अपनी बात जारी रखते हैं, और आप सभी कांग्रेस के ऊपर दोष लगा रहे हैं। वह कहते हैं :

"श्री हैरिसन नेहरू के आर्थिक विकास के तरीके के प्रशंसक थे जिसमें एकाधिकार को खत्म करने के लिए बुनियादी उद्योगों पर राज्य द्वारा नियंत्रण करने पर बल दिया जाता हैं। अपने कुछ नकारात्मक प्रभावों के बावजूद 'नेहरू काल' मे अपनाए गए तरीके से औद्योगिक विस्तार हुआ है जिसे हम आज भारत में देख रहे हैं।"

गरीबी हटाने के लिए प्रावधान करने के बजाए हमारी सरकार सोच रही है कि मंदिर कहां बनाया जाए तथा कहां मस्जिद को गिराया जाए।

मुझे प्रसन्नता होती यदि प्रधान मंत्री ने यह कहा होता कि देश में बेरोजगारी संबंधी कार्य अधूरा है। महोदय, आपको बेरोजगारी की स्थिति का पता है। बेरोजगारी दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। यह परेशानी तब और भी बढ़ जाती है जब प्रधान मंत्री जी यह कहते हैं कि दस प्रतिशत या उससे कुछ अधिक सरकारी कमर्चारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाने वाली है। वह सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी कम करना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो रोजगार इस समय है, वह और भी कम हो जायेगा।

यहां तक श्रम मंत्रालय ने अपने मूल्याकंन में इसका उल्लेख किया है :

"श्रम मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में रोजगार में तेजी से आई कमी के कारण वर्ष 1996–97 के दौरान संपूर्ण संगठित क्षेत्र के रोजगार में कुल और प्रतिशत की दृष्टि से 30,000 रोजगार अथवा 0.11 प्रतिशत की कमी आई है।

यह मंत्रालय भविष्य के बारे में भी आश्वस्त नहीं है। उसका कथन है कि देश में औद्योगिक उत्पादन के वर्तमान रूझान के चलते आने वाले महीनों के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार में तेजी से कमी आने की सभावना है।"

सरकार इस देश का सबसे बड़ा नियोजक है। जब तक सरकार निवेश नहीं करेगी, तब तक रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे। रोजगार के अद्यतन आंकड़े ये हैं कि बाजार में लगभग 40 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। चालीस मिलियन लोग बेरोजगार ! बेरोजगारी की समस्या एक विकट समस्या है जो पिछले कुछ सालों में और गंभीर हो गई है। इस चुनौती का सामना करने के लिए अनेक रोजगार योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के अलावा शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था के पुर्नगठन की अत्याधिक आवश्यकता है ताकि और अधिक निवेश रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकें। क्या शिक्षा में अधिक निवेश करने की सरकार की कोई योजना है। वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री जी और विनिवेश मंत्री महोदय हर समय विनिवेश की बात करते हैं, परन्तु वे इस धनराशि का क्या करेंगे? जब हमने विनिवेश की शुरूआत की, तो उस समय डा. मनमोहन सिंह ने बताया था कि वे इसे सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर खर्च करना चाहते हैं परन्तु सरकार का क्या उद्देश्य है? क्या वे यह 10,000 करोड़ रुपया सामाजिक कल्याण की योजनाओं अथवा शिक्षा पर खर्च करने जा रहें ? वे किस उद्देश्य के लिए निवेश करने जा रहे हैं ? यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति ने अनेक बार पूछा है, अतः मैं यह प्रश्न नहीं पूछूंगा।

[श्री ए.सी. जोस]

ये सभी योजनायें पूर्व सरकार ने बनाई थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना तथा प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम कांग्रेस सरकार ने आरंभ किये थे। इस सरकार ने केवल इन कार्यक्रमों में से कुछेक के नाम ही बदले किये हैं।

महोदय, मेरा सरकार से केवल इतना अनुरोध है कि क्या सरकार इन योजनाओं के कार्य निष्पादन का मूल्याकंन करने के लिए तैयार है अथवा नहीं इन योजनाओं से अब तक कितने रोजगारों का सृजन हुआ है? निःसंदेह इन योजनाओं का नियमित मूल्यांकन किया जा रहा है लेकिन आंकड़ों के अनुसार रोजगार सृजन प्रति वर्ष कम होता जा रहा है और अधिक से अधिक बेरोजगारी उभर कर सामने आ रही है। कम से कम इन ग्रामीण योजनाओं के मूल्यांकन की आवश्यकता है।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि संसद के सदस्यों को इन योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिये। हम सभी जानते हैं कि इन योजनाओं के लिए धनराशि राज्य सरकारों को दी जाती है। हम यह नहीं जानते कि उस धनराशि का क्या हो रहा है, उसे किन शीर्षों के अंतर्गत खर्च किया जा रहा है। परन्तु वंछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को इस पहलू पर बल देना चाहिये।

महोदय, राष्ट्रीय प्राथमिकतायें क्या है? मेरे विचार से दो प्राथमिकतायें हैं। 7वें दशक के दौरान गरीबी हटाओ का नारा छाया हुआ था। अब उसका अस्तित्व नहीं है। अब हम विनिवेश, मंदिरों, मस्जिदों और धर्म–परिवर्तनों के बारे में चर्चा करते हैं। परन्तु हम गरीबी हटाओ अथवा बेरोजगारी की समस्या अथवा अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आर्थिक महत्व के राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

महोदय, वित्त मंत्री महोदय प्रतिदिन हमारे सामने बड़ी अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाल ही में वित्त मंत्री महोदय फिक्की में कह रहे थे कि वह कर और निवेशक के अनुकूल बजट ला रहे हैं। वित्तीय घाटे के सम्बन्ध में आपके जो भी अनुमान रहे हों, इस वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान वर्ष 1995–96 के अंतिम तिमाही के 16.2 प्रतिशत की तुलना में, औद्योगिक विकास दर गिरकर 5.1 प्रतिशत ही रह गई। यह यही दर्शाता है कि नवम्बर, 1996 में जो मंदी का दौर शुरू हुआ था, वह इतनी लंबी अवधि के बाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयात के खतरों के साथ इसका मुख्य कारण सरकारी और निजी निवेश में समानान्तर गिरावट है।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है । कृषि क्षेत्र में क्या निवेश किया गया है। कल सारी सभा एक मुद्दे पर एकमत थी और वह मुद्दा था कृषकों का। हमारे किसान हर स्थान पर मुश्किल में हैं। अतः, सरकार को कम से कम अगले बजट में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार के सृजन की व्यवस्था करनी चाहिये।

महोदय, मैं एक कारण से इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और वह यह है कि वित्त मंत्री ने नारियल उत्पादकों को 44.85 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं और समुद्री तूफान से प्रभावित नारियल की खेती के लिए 5.5 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं और मंदी से निपटने के लिए 48.5 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।

सभापति महोदय, निःसंदेह इस मामले का सम्बन्ध सीधे–सीधे आपसे नहीं है। परन्तु हम, केरल के सांसद कृषि मंत्री महोदय से नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का अनुरोध करते हैं। 'केरलम' का तात्पर्य है 'केरा का भंडारगृह' और केरा का तात्पर्य है नारियल। अतः, नारियल हमारी रोजी–रोटी है। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में चावल और पंजाब में गेहूं है, उसी प्रकार नारियल हमारी रोजी–रोटी है। पूर्व में, हमें एक नारियल के छह रुपये प्राप्त हुआ करते थे और अब वह घटकर 1.50/– रुपये हो गया है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय ने इस गिरावट को नियंत्रित करने के लिए 44.85 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं परन्तु मुझे इस पर संदेह है कि इस मामले पर और अधिक विचार किया जायेगा अथवा नहीं और यह धनराशि पर्याप्त है अथवा नहीं।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि केरल राज्य अपने रबड़ के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। हमें रबड़ के लिए तीन वर्ष पहले 60 रुपये मिलते थे परन्तु अब 20 या 30 रुपये ही मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि रबड़ के आयात के विरुद्ध सरकार पर और अधिक दबाव डाला जा रहा है। मेंरा सरकार से रबड़ का आयात नियंत्रित करने का अनुरोध है। केरल और भारतीय कृषक के लिए रबड़ का आयात अहितकारी है।

मेरी अंतिम बात यह है कि केरल में 'फैक्ट' सभी उद्योंगों की जननी है। हमारे राज्य में अधिक उद्योग नहीं हैं। 'फैक्ट' बेहतरीन उर्वरक का उत्पादन करता है; इसके सभी मानदंड बहुत अच्छे हैं; इसकी उत्पादकता बहुत अच्छी है, और यह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। उसके बावजूद भी यह घाटे में चल रहा है।

ऐसा 'फैक्ट' के ऊपर ब्याज भार के कारण हो रहा है। मैं नहीं जानता कि उर्वरक मंत्री महोदय 'फैक्ट' के लिए एक बार राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में मांगें गये 200 करोड़ रुपये देने पर सहमत क्यों नहीं हुए हैं। उर्वरक मंत्री, श्री सुरेश प्रभु यहां बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : वह उर्वरक मंत्री थे। अब वह उर्वरक मंत्री नहीं हैं।

श्री ए.सी. जोस : यह बात ठीक है। वह अब विद्युत मंत्री हैं। मैं इस गलती के लिए क्षमाप्रार्थी हूं। परन्तु महोदय, उन्हें इस समस्या की जानकारी हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी उनके साथ कर रहा था।

मेरा अनुरोध है कि 'फैक्ट' को एक बार राहत प्रदान की जाये। मेरा प्रश्न अपने राज्य की महिला प्रधानों के संबंध में है। यह लघु बचत योजनाओं यथा इंदिरा विकास पत्र और अन्य योजनाओं के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने जैसा है। इसके लिए अब ब्याज की दर पांच प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी गई है। यह एक खतरनाक प्रयास है क्योंकि लघु बचतें इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ हैं। महिला प्रधानों को पांच प्रतिशत कमीशन मिला करता था, जो अब घटकर चार प्रतिशत हो गया है। मुझे यह बताया गया है कि सरकार इसे और कम करके ढाई प्रतिशत करने का विचार रखती है। यह एक बहुत बुरा कदम होगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से इन सभी बातों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की द्वितीय अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को नया वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2000 जिसे पुरःस्थापित नहीं बल्कि परिचालित किया गया है, लाने के लिए बधाई देता हूं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 292 और 293 में हमें सावधान किया है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा ऋण लेने की सीमा का प्रावधान किया है। पचास वर्षों के बाद, वित्त मंत्री इस विधान को लाने जा रहे है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। यदि आज किसी को सबसे अधिक याद किया जाना चाहिए तो वे हैं डा. बी.आर अम्बेडकर। उन्होंने कहा था, "यदि संसद ऋण की सीमा नहीं बांधती तो यह संसद की गलती है।" यहां संसद का अभिप्राय सत्तासीन सरकार से है।

माननीय वित्त मंत्री 31 मार्च, 2006 तक राजस्व घाटे को खत्म होने की उम्मीद रखते हैं। मैं समझता हूं यह असंभव है। यदि आप पिछले तीन वर्षों के आंकड़े देखें तो आप पायेंगे कि राजस्व घाटा बढता ही जा रहा है। वर्ष 1998–99 में राजस्व घाटा 67,909 करोड रुपये था। वर्ष 1999–2000 के संशोधित अनुमान में यह 73,532 करोड रुपये था। वर्ष 2000–01 के बजट अनुमान में यह 77,425 करोड रुपये है। इस प्रकार राजस्व घाटा कम होने के बजाय बढते जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसे कैसे रोका जा सकता है और कैसे 1978–79 से पहले की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। मैं इस प्रकार के दावे पर आश्चर्यचकित हूं।

वर्ष 1978–79 तक केन्द्रीय बजट ने राजस्व घाटे वाली बजट का कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा सिवाय वर्ष 1971–72 के जबकि बंगलादेश युद्ध का वित्तपोषण करना पड़ा था तथा देश में आए शरणार्थियों का ध्यान रखा जाना था।

पहले राजस्व खाते में कोई घाटा नहीं होता था। ऐसा नहीं है 1978–79 तक सारी बातें छुपी रहती थीं। बल्कि देश वित्त व्यवस्था ठीक–ठीक चलती थी। यदि देश अथवा सरकार की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो आर्थिक विकास कभी नहीं हो सकेगा।

इसलिए सर्वप्रथम वित्तीय व्यवस्था को सही रूप में पटरी पर लाना होगा। मैं वित्तीय व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। मैं वित्तीय/राजस्व घाटे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आर्थिक सुधारों, उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के पश्चात् हमारे आर्थिक मानदण्डों की प्रणाली में उत्पन्न यह एक नया लक्ष्यार्थ है। किन्तु राजस्व घाटा को कम किया जाना चाहिए और बजट में पूंजी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त राजस्व होना चाहिए। राज्य सरकारों को सुझाव दिया जाना चाहिए कि वे भी अनुच्छेद 293 के तहत् इसका अनुसरण करें।

मैं दूसरी बात के लिए भी माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2000–2001 के पहले छः महीनों में राजस्व प्राप्तियां, बहुत अच्छी तो नहीं पर अच्छी रहीं। चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों में कर राजस्व बजट अनुमान का 45 प्रतिशत रहा है। गत वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के लिए यह आंकड़ा बजट अनुमान का 41 प्रतिशत था। यह आंशिक वृद्धि है। पर यह वृद्धि है यद्यपि यह बहुत अच्छी उपलब्धि नहीं है फिर भी यह एक अच्छी उपलब्धि है।

इसी प्रकार, जहां तक गैर कर राजस्व के संग्रहण का सवाल है अक्टूबर 2000 तक बजट अनुमानों के अनुसार यह 56

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

प्रतिशत था जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 55 प्रतिशत था। यह गत वर्ष से थोड़ा सा अच्छा है। इस प्रकार, यह एक अच्छी बात है जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। आर्थिक सुधारों के रहते हुए भी हमारा बजट वृद्धिशील है। प्रत्येक साल पांच से लेकर दस प्रतिशत तक वृद्धि हो रही है। जहां तक व्यय एवं प्राप्तियों का संबंध है वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करने के मामले में हम प्रगति नहीं कर पाये हैं।

मुझे कुछ सुझाव देने हैं। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने सभ्यों के ऋण भार पर अपनी चिन्ता जतायी थी। राज्यों पर ऋण भार की स्थिति आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई है। मैं सिर्फ तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा का जिक्र करना चाहता हूं। जहां तक इन राज्यों के ऋण भार दर का संबंध है इन राज्यों के राजस्व में से 70 प्रतिशत ब्याज भुगतान और पूंजी की किश्त चुकाने में चला जाता है। उनका ऋण भार इतना अधिक बढ़ गया है। वे व्यय कर रहे हैं और उन्हें घाटा बढ रहा है। राजस्व घाटे को पूरा करने और चालू व्यय तथा गैर विकास व्यय को पूरा करने के लिए ये राज्य ऋण ले रहे हैं। इन राज्यों की यही स्थिति है। पूंजी की अदायगी पर ब्याज का भुगतान करने हेतु ये घाटा उठा रहे हैं। मैं पूंजी बजट में पूंजी की अदायगी को शामिल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा। हम जो भी पूंजी के रूप में ऋण लेते हैं वह राजस्व खपत में समा जा रहा है, हम उसका उपभोग किए जा रहे हैं। वह पूंजी सृजन अथवा पूंजी विकास के लिए नहीं होता।

इसलिए पूंजी की अदायगी और ब्याज भुगतान को एक साथ लिया जाना चाहिए। तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के लिए कुछ पुनर्गठन प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि ब्याज भुगतान और पूंजी की अदायगी पुर्नभुगतान उनके राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

यह सभा जब राज्य पुनर्गठन विधेयक पर विचार कर रही थी तक मैंने एक प्रश्न उठाया था। अब मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। वे विधेयक तीन पिछड़े राज्यों– उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के लिए थे। छः राज्यों में इनका पुनर्गठन हुआ किन्तु सभा मूल राज्यों और नये राज्यों के बीच परिसम्पतियों तथा देनदारियों के बंटवारे के सम्बन्ध अवगत नहीं हो सकी। सभा को इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए। जब तक इन राज्यों के ऋण भार की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक कुछ भी किया जाए वहां गरीबी खत्म नहीं होगी।

मैंने अनेक बार कोयले की रायल्टी में संशोधन किये जाने की बात उठाई है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने एक स्पष्ट सिफारिश की है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 292 के तहत ऋणों को सीमित करने हेतु यह नया विधेयक लाया गया है। इसी तरह वित्त आयोग ने पृष्ठ 29 पर निम्न टिप्पणी की हैं :

"कोयले के संबंध में अंतिम संशोधन अक्टूबर, 1994 में किया गया था और अलग–अलग ग्रेड के कोयले के लिए अलग–अलग दर निर्धारित की गई। कोयले की कीमत को अनेकों बार संशोधित किया गया है।"

इसका अभिप्राय यह है कि कोयले की कीमत में 60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है लेकिन रायल्टी का एक पैसा भी नहीं बढाया गया है। मैं यह समझ नहीं पाता कि आखिर बिहार और मध्य प्रदेश के माननीय संसद सदस्य इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। पश्चिम बंगाल के माननीय संसद सदस्य अन्यथा नहीं लेंगे क्योंकि उनका अपना स्थानीय दर है जिसे अनुच्छेद 372 के तहत संरक्षित किया गया है जिसके परिणास्वरूप उन्हें काफी कुछ मिल रहा है। किन्तु तीन राज्य–मध्य प्रदेश, उडीसा और बिहार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

वित्त आयोग ने निम्न सिफारिश की है :

"हम सिफारिश करते हैं कि खनिज पदार्थों पर रायल्टी दर नियमित रूप से (अर्थात तीन वर्ष में एक बार) संशोधित किए जाएं और रायल्टी दर के संशोधन संबंधी निर्णय संशोधन की नियत तिथि के पर्याप्त पहले ही ले लिया जाए ताकि कानून प्रदान की गयी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद इसे अधिसूचित किया जा सके। यदि नया संशोधन के लागू होने की तिथि तक संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो वह राज्य संबंधित क्षति पूर्ति प्राप्त करने का हकदार होना होगा।"

वर्ष 1997 से लेकर आज तक इन तीन वर्षों के लिए ऐसे राज्यों को जिनके पास कोयला है और जो इसका उत्पादन करते हैं, क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए।

वित्त आयोग की एक दूसरी सिफारिश भी है। रायल्टी की दर का निर्धारण संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। रायल्टी दरों के निर्धारण का कार्य एक स्वतंत्र निकाय को दिया जाना चाहिए ताकि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। वस्तुतः

खनिजों की रायल्टी में संशोधन किया गया है। लेकिन क्रोमाइट की रायल्टी में संशोधन क्यों नहीं किया गया है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज, देश में उपलब्ध क्रोमाइट में से 98 प्रतिशत उड़ीसा से आता है और यह एक कीमती अयस्क है। क्रोमाइट की रायल्टी दर में संशोधन नहीं किया गया है। इसे उसी स्तर पर रखा गया है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा इस प्रकार हैं। मैं इस मुद्दे के बारे में हमेशा कहता रहा हूं। यह केन्द्रीय बिक्री कर के बारे में है। इसे या तो समाप्त कर दिया जाए अथवा इसे विभाज्य निधि में डाला जाए। मैंने यह बात संविधान (संशोधन) विधेयक के समय भी उठाई थी। यह 1956 में संविधान के अनुच्छेद 269 का संशोधन कर किया गया है। यह पिछड़े राज्यों के लिए अहितकर और केवल विकसित राज्यों के लिए लाभप्रद था। इसलिए 1982 में उन पिछड़े राज्यों को खुश करने और शांत करने के लिए प्रेषण कर के जरिए एक दूसरा संशोधन किया गया। अनुच्छेद 269 में पुनः संशोधन किया गया। परन्तु यह कभी पता नहीं लग पाया है कि क्या इसका इस सभा द्वारा संशोधन किया गया है। निर्मित कच्ची सामग्रियों पर प्रेषण कर लगाया गया। इसलिए उन पर कुछ कर होगा।

एक दूसरी मांग भी थी। जब विद्युत उत्पादक राज्य दूसरे राज्यों को बिजली देते हैं तो कुछ कर होना चाहिए ताकि पिछडे राज्यों को कुछ धन लाभ हो सके।

मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं जिसे मैंने केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक के पारित होने के समय कहा था। अब एक लीटर पेट्रोल अथवा डीजल पर एक प्रतिशत अधिभार लगाया जाता है। इसके बजाए यह मूल्य के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, इसे एक प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए ताकि सड़क विकास के लिए अधिक निधि उपलब्ध हो सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक अखबार का रैफरैंस देते हुए अपने भाषण की शुरुआत की थी और कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी का वित्त मंत्रालय ठीक काम नहीं कर रहा है क्योंकि वे यहां समय नहीं दे रहे हैं, ज्यादा समय बिहार में देते हैं।..... *(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : कहां कहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अखबार में पढ़ कर कहा है।

श्री यशवन्त सिन्हा : उन्होंने यह कहा ही नहीं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये बिहार में कितना समय देते हैं, हमें जानकारी नहीं है।...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय पर हम बाद में बोलेंगे पहले बिहार की बात कहेंगे।...*(व्यवधान)* हम पचास सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे। बिहार की जो आर्थिक स्थिति भयावह होने वाली है, बंटवारे के बाद झारखंड प्लस पन्द्रह सौ करोड़ रुपये का रिवैन्यू फायदे में जाएगा और बिहार को माइनस 300 करोड़ रुपये का रिवैन्यू डैफीसिट होगा, मतलब वहां विकास का काम कुछ नहीं होने वाला और वेतन भी नहीं मिलेगा, अनुमान करने से ऐसा लगता है। इस सब बात के लिए पचास सांसदों ने मिल कर मीटिंग की और प्रधान मंत्री जी के यहां रिप्रैजैन्टेशन दी। जब प्रधान मंत्री जी के यहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जी से मुलाकात की है। हम नहीं जानते वह कागज वित्त मंत्री जी के यहां पहुंचा है या नहीं लेकिन उसमें कहा गया है कि बिहार पर जो 22,000 करोड़ रुपये का कर्जा बकाया है, जब तक वह माफ नहीं होगा, बिहार नहीं बचेगा। सारा आर्थिक विश्लेषण करने के बाद कहा गया है कि तब तक बिहार को स्पैशल कैटेगरी राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जनता बंटवारा करने वाले लोगों की खबर लेगी। किस हालत में लोगों को पहुंचा दिया है। पहले भी ठीक हालत में नहीं था, अब भी ठीक हालत में नहीं है। बंटवारे के बाद स्पैशल कैटेगरी दिए बिना और बकाया कर्जा माफ किए बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। प्रधान मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी पर बहुत भरोसा किया है। उन्होंने जिज्ञासा की है। वित्त मंत्री जी से मिले हैं या नहीं।

हम संसद में, सर्वोच्च पंचायत में वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त कर रहे हैं, ये बिहार को हमसे कम नहीं जानते हैं, ज्यादा ही जानते होंगे। सारा हिसाब इनको मालूम है, लेकिन जब से ये वित्त मंत्री बने हैं, बिहार के साथ न्याय तो नहीं ही हुआ है, दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है। सबूत के तौर पर 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के विषय में माननीय कानूनगो साहब पढ़ रहे थे। 11वें वित्त आयोग ने कहा था कि पंचायत के मद में 125 करोड़ रुपये सालाना करके 400–500 करोड़ रुपया हमारा केन्द्र पर बकाया है, नहीं मिला। कहा गया कि पंचायत के चुनाव नहीं हुए। अब वहां पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और...*(व्यवधान)* 23 साल से चुनाव नहीं हुआ। 1978 में हमारे ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तब वहां पर पंचायत का चुनाव हुआ था... *(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : भाजपा के श्री जगबन्धु अधिकारी वहां पंचायत मंत्री थे, इसके कारण चुनाव हुए, नहीं तो उस समय भी आप चुनाव नहीं होने देते।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब सुशील मोदी जी भाजपा के नेता और विपक्ष के नेता हैं, वे कहते हैं कि वहां पर कैसे चुनाव हो रहा है। वहां चुनाव का एलान हुआ, सारी प्रक्रिया शुरू हो गई तो उनका प्राण छूट रहा है। कहते हैं कि चुनाव कैसे हो रहा है।

संविधान में कहा था कि सभी पदों पर आरक्षण होगा, महिला, आदिवासी और अनुसूचित जाति का सभी पदों पर आरक्षण होगा और हाई कोर्ट ने कहा कि मुखिया, प्रमुख, जिला प्रमुख सिंगल पोस्ट है, उस पर आरक्षण नहीं होगा। राज्य सरकार के सामने संकट था कि हाई कोर्ट के मुताबिक जायें या संविधान के मुताबिक जायें। हाई कोर्ट ने कहा कि मुखिया पद पर, एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में आगे बढ़िये। अब वहां चुनाव हो रहा है बी.जे.पी. के लोग बाप-बाप कर रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंह : हाई कोर्ट ने कहा कि एकल पद पर नहीं होगा तो इन्होंने मुखिया के पद को भी एकल मान लिया, प्रमुख को भी एकल मान लिया, जबकि जिले में 20 प्रमुख होने वाले हैं, जिले में 400 मुखिया चुने जाते हैं। न्यायालय ने एकल पद की बात की है, मुखिया पद की बात नहीं की है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मुखिया और प्रमुख ब्लाक का एकल पद हैं।

सभापति महोदय : दोनों पक्षों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डिस्कशन सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर चल रहा है या पंचायत इलैक्शन पर चल रहा है। जरा इसको ध्यान में रखिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हाई कोर्ट ने सीधे कहा है कि एकल पद है, इस पर आरक्षण नहीं होगा, इसलिए आरक्षण नहीं हुआ। अब चुनाव हो रहा है, इसीलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो 500 करोड़ रुपया दसवें वित्त आयोग का बकाया है, वह दे दिया जाये, चूंकि इसमें बिहार का कसूर नहीं है, बिहार सरकार का कसूर नहीं है, बिहार की जनता का कसूर नहीं है। दूसरे जो 11वें वित्त आयोग ने पंचायत मद में फ्रैश अनुशंसा की है, उस रुपये का भी भुगतान किया जाये।

वहां हर साल नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के चलते बाढ़ से तबाही होती है। इस साल भी तबाही हुई है, 7-8 सौ करोड़ रुपये की बर्बादी हुई हैं। एक मैमोरेण्डम आ गया है, लेकिन एन. एन.सी.एफ. एक्ट इन्होंने नहीं बनाया, इसलिए कोई विशेष मदद नहीं दी गई है, इसलिए मदद देने की कृपा करें। वहां का किसान तबाही में हैं, लेकिन हमारा भारत सरकार पर आरोप है कि ये भेदभाव करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, मुंहदेखी करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं। जहां पर इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनके सपोर्टर हैं, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश में इनके सपोर्टर हैं, लेकिन चूंकि बिहार इनके खिलाफ है, इसीलिए बिहार के किसानों के साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया जा रहा है। सबूत के रूप में 1997-98 में 122 सैण्टर्स एफ.सी.आई. ने खोले थे और ये अभी 22-23 के बीच में झूल रहे हैं। उस समय धान का उत्पादन 22 हजार टन हुआ था, अब ये कहते हैं कि धान की कुटाई नहीं हुई। धान की कुटाई नहीं हुई तो क्या आप किसान की कुटाई करोगे। यह एफ.सी.आई की जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं धान की कुटाई की। यह सरकार बिहार को बर्बाद करने पर तुली हुई है, मुझे इसका अफसोस है। वहां पर धान कुटाई का काम इनका था, लेकिन ये किसान की कुटाई कर रहे हैं। ये कहते हैं कि राज्य की एजेंसी धान की प्रोक्योरमेंट करे। वह कहां से खरीदे, उसके पास पैसा ही नहीं है। 1997-98 में 122 सेंटर एफ.सी.आई. ने खोले थे, उसके बाद एक भी नहीं खोला। वहां किसान अपना धान जला रहा है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका सुधार किए बिना कोई उपाय नहीं है। बिहार जब भी उठ-उठ कर खड़ा होता है, तो दिल्ली हिल जाती है, दिल्ली डगमगा जाती है और गिर जाती है, यह इतिहास है।

पी.डी.एस. को इन्होंने खत्म कर दिया है। कोई भी हिम्मत करके यह बता दे कि पी.डी.एस. को रखा है, उसे तो खत्म कर दिया है। गांव के बाजार में गेहूं का भाव पांच रुपए किलो है और पी.डी.एस. में इन्होंने साढ़े आठ रुपए किलो रखा है। बी.पी.एल. के लिए बाजार में पांच रुपए किलो गेहूं को कोई पूछ नहीं रहा। इसलिए इनका 4 करोड़ 60 लाख टन अनाज पड़ा-पड़ा सड़ रहा है। आपने भाव घटा कर साढ़े छः रुपए किलो कर दिया, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा। पी.डी.एस. को आपने खत्म कर दिया है। आप बताएं कि 4 करोड़ 60 लाख टन अनाज का क्या होगा ?

यहां विद्युत मंत्री जी बैठे हैं। आर.इ.सी ने कहा कि बिहार में विद्युतीकरण 800 वर्ष में होगा। 1989 में 79 करोड़ रुपया आर. इ.सी. ने दिया। उसका सूद, दंड वर्गरह मिलाकर 421 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये कहते हैं कि पहले वह पैसा लौटाओ, फिर आगे देंगे। उस कर्जे को माफ करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। देश भर में 6200 करोड़ रुपए आर.इ.सी. के द्वारा दिए गए। बिहार को विगत दो वर्षों में एक पैसा भी नहीं मिला। उसका दसवां हिस्सा भी हमारा मान लिया जाए तो बिहार को 620 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। जब से इनका राज आया है, एक पैसा नहीं दिया। 1998-99 में और 1999-2000 में दो बरस में सिर्फ शून्य ही मिला है। जबकि तीन हजार करोड़ रुपए एक साल में और एक साल में दो हजार

करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसलिए कर्ज माफी के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं।

वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। बिहार में गरीब आदमी ने सी.डी. एस. के जरिए 37,000 करोड़ रुपए बैंको में जमा कराया, आप उसको इन्वैस्ट कराते। जब बंटवारा नहीं हुआ था तब 22 प्रतिशत था, अब बंटवारे के बाद 17 प्रतिशत है। हमारे 37,000 करोड़ रुपए को लेकर आप देश चलाते हो और बिहार को कंगाल करते हो, यह बर्दाश्त नहीं होने वाला है। इसलिए सी.डी. एस. के पैसे को वहां इन्वैस्ट करें।

एन.डी.ए. ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में कहा कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। इनके प्रधान मंत्री जी ने कहा कि दस प्रतिशत कर्मचारियों को हटाया जाए और ये हटाने का काम कर रहे हैं। ये क्या रोजगार देंगे, ये तो बेरोजगारी बढ़ाने वाले हैं। इनकी आर्थिक व्यवस्था चौपट है। 11वे वित्त आयोग ने जो कहा, मैं उसकी मांग कर रहा हूं कि बिहार को बकाया कर्ज माफ करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम 50 सांसद हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती। इनके यहां दस सांसदों के दल वालों की बात मान ली जाती है। यह सरकार बिहार सरकार को दुश्मन मानकर उसे बर्बाद कर रही है। बिहार सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन बिहार को बर्बाद जरूर किया, इसके लिए हमें अफसोस है। इतना बर्बाद किया कि उस राज्य का बंटवारा कर दिया। उसके बाद हिन्दुस्तान का वह भूभाग जो पहले से ही आर्थिक रूप से पिछडा था, बंटवारे के बाद और खराब हालत में आ गया। सारा कसूर केन्द्र का है। हमारे साथ न्याय नहीं, अन्याय नहीं, बल्कि दुश्मन वाला व्यवहार हो रहा है। अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि आप सरकार चला रहे हैं। लेकिन बिखराव के चलते न तो सहयोगी दल आपको अकल सिखाने के लिए तैयार है क्योंकि मिड टर्म पौल में जाने की स्थिति में वे नहीं है, इसीलिए यह सरकार चल रही है। लेकिन आगे जो समय आने वाला है, उसमें किसान के मुद्दे पर ही आपको राज से वे लोग बाहर करेंगे और उसके बाद जो सरकार किसानों और गरीबों को आगे बढ़ा सके, ऐसी सरकार बनेगी।

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : बिहार के बारे में बात करने के लिए बिहार की चीफ मिनिस्टर कब आ रही हैं?....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जब आप लोग समय दे दीजिएगा, मुख्य मंत्री हाजिर हो जाएंगी।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री जी की अनुपूरक अनुदानों में निहित प्रस्तावों तथा अनुपूरक मांगों के दूसरे समूह, जिसमें कुल 2639.09 करोड़ रुपए का 27 अनुदान और विनियोजन शामिल है, का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय पिछले दो वर्षों के दौरान देश के वित्त को जिस तरह से प्रशासित किया गया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। पिछले दशक के दौरान वित्तीय प्रशासन में कई विकृतियां आ गई हैं परन्तु धीरे–धीरे निश्चित और दृढ़ रूप से पहली बार इनमें से कुछ विकृतियों को दूर करने के लिए विधायी प्रक्रिया और अन्य प्रक्रिया के जरिए प्रयास किए गए हैं। वस्तुतः मैं उपभोग व्यय को रोकने में सरकार की विफलता के बारे में बोलने जा रहा था। लेकिन मैंने यह पाया कि उन्होंने बचत को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए इस समय मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु सामान्यतः वित्त के अच्छे प्रबंध की प्रशंसा करते हुए मैं चिंता के कुछ क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ कहना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं इस देश में किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त संकेत नहीं देखता हूं, जो पिछले कुछ दिनों से इस सभा को उत्तेजित कर रहा है। हर कोई जानता है कि किसानों के आगतों (निवेश) की लागत बढ़ गई है और इसलिए धान, चावल आदि का खरीद मूल्य बहुत अधिक है। गोदाम अतिरिक्त खाद्यानों से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। इसलिए बाजार मूल्य काफी गिर गया है। कई किसान अपने उपज को बेचने में सक्षम नहीं हैं। उनमें से कुछ आत्महत्या भी कर रहे हैं। यह कारूणिक गाथा है। एक तरफ उद्योग में उत्पादन बढ गया है, औद्योगिक वृद्धि हो रही है तथा सेवा क्षेत्र में अद्भुत वृद्धि हो रही है परन्तु दूसरी ओर वर्षों बाद कृषि में ढहराव के कुछ चिह्न दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरा मेरे मित्र, वित्त मंत्री से अनुरोध है कि कृषि में ठहराव की घटना को दूर करने के लिए इस ओर पर्याप्त ध्यान दें। एक बार पुनः मैं कहता हूं कि कृषि में ज्यामितीय अनुक्रम में दिन–दूनी रात–चौगुनी वृद्धि सुनिश्चित करें ताकि देश इस संकट को सचमुच पार कर सके।

इसी के साथ मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि बडे पैमाने पर खाद्यानों का वास्तविक निर्यात शुरू करने में क्या कठिनाई है। ताकि गोदाम खाली हो सके और एक बार पुनः खाद्य निगम खरीद कर सके। मैं अनुशंसा करता हूं कि सरकार खाद्यानों के निर्यात की नीति का बड़े पैमाने पर अनुसरण करें। मैं जानता हूं कि यह बिल्कुल ही परम्परा के विरुद्ध है परन्तु चूंकि हम वैश्वीकरण के युग में है तथा हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी है, मैं समझता हूं, हमें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना

[डा. नीतिश सेनगुप्ता]

चाहिए जिसमें जब कभी आवश्यक हो हम खाद्यानों का आयात और निर्यात करने में सक्षम हो।

चिंता का दूसरा पहलू यह है कि मांग को कैसे उत्पन्न किया जाए। पिछले कुछ दिनों से मांग कुछ–कुछ स्थिर रही है। मैं अपने मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी से सहमत नहीं हूं कि अर्थव्यवस्था अराजकता की स्थिति में है।

दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि आर्थिक तत्व बहुत ही सुदृढ़ है, परन्तु इसके भीतर कुछ गलत संकेत है। उनमें से एक यह है कि वास्तविक रूप से मंदन की स्थिति है। पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं नहीं बेची जा रही हैं तथा कई कम्पनियां कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इसके कारणों का पता लगाने पर हम एक कारण यह पाते है कि हम लोग आज दूसरे चीनी आक्रमण का सामना इस अर्थ में कर रहे हैं कि सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं चीन से बडी मात्रा में और बहुत कम मूल्य पर आ रही हैं। एक बार पुनः हमें अपने आप से पूछना है कि हम क्यों अपनी वस्तुएं बहुत मंहगी बनाते हैं तथा हम क्यों अपनी वस्तुएं चीनियों की भांति सस्ती नहीं बेच पाते हैं जबकि वे बहुत दूर से इसे भेजते हैं। यह एक समस्या है जिसका समाधान करना होगा।

मैं मुक्त आयात में विश्वास रखता हूं। परन्तु दूसरी तरफ मुझे अत्याधिक स्पष्ट रूप से कहने दें– कई क्षेत्रों में जहां विश्व व्यापार संगठन की शर्तें दो से तीन वर्ष बाद लागू होतीं, उन्हें समय से बहुत पहले लागू कर दिया गया और वह भी विश्व व्यापार संगठन शर्त में वास्तविक रूप से निर्धारित दरों से बहुत कम दरों पर ऐसा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आज हम विश्व के किसी भी भाग से लगभग किसी भी उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए हमारे लोग, हमारे लघु उद्योग धंधे और बड़े उद्योग भी बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को मध्य एशियाई गणराज्यों में आई मंदी गंभीर बना रही है तथा इसके कारण वे और दक्षिण–पूर्व एशियाई देश कई प्रकार की वस्तुओं का भारतीय बाजार में ढेर लगा (डम्पिंग) रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हमारी डम्पिंग–विरोधी व्यवस्था इस घटना का समाधान करने में वास्तव में सफल रही है। हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि हम कैसे और मांग बढ़ा सकते हैं।

जबकि इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें पुनः पुराने उद्योग और नए उद्योग, पुरानी अर्थव्यवस्था और नयी अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान करना होगा। सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित नई अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और पुरानी अर्थव्यवस्था अथवा पुराने उद्योग जैसे–तैसे अथवा किसी तरह ठहराव की स्थिति में हैं। यह चिन्तित होने का विषय नहीं हैं। किसी दिन मै यह सुझाव दूंगा कि इस विषय पर शोक व्यक्त करने से कोई फायदा नहीं है तथा कहूंगा कि पुरानी औद्योगिक इकाइयों को जिन्होंने अपना औचित्य खो दिया है, बाहरी सहायता से चलाया जाए। यह समाधान नहीं होना चाहिए। यदि हम अर्थव्यवस्था की समग्रता पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण अत्याधिक बदलाव आ रहा है। जबकि औपचारिक अर्थ में संगठित क्षेत्र में रोजगार घट रहा है, स्व. रोजगार, असंगठित आदि जैसे दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध हुए हैं। इसलिए यदि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि वे 10 प्रतिशत पद कम करेंगे मैं समझता हूं यह बहुत ही उत्साहजनक है क्योंकि 10 प्रतिशत पद कम करने से इन पर खर्च होने वाला धन नए उद्योगों पर खर्च किया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में नए रोजगार उत्पन्न करेगा।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : क्या आप इसका स्वागत कर रहे हैं ?

डा. नीतिश सेनगुप्ता : जी, हां मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु मैं यह नहीं कहता हूं कि लोगों को बाहर कर दिया जाए। उन्हें घर बैठे वेतन लेने की अनुमति दी जाए क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं हैं। सरकार के लिए उन्हें प्रतिदिन प्रातः 8.30 बजे अथवा प्रातः 9 बजे कार्यालय, फैक्टरी आदि आने देने के बजाए घर बैठने के लिए वेतन देना अधिक फायदेमंद है क्योंकि उन्हें कार्यालय आने देने में पुनः कई प्रकार के खर्च हैं।

महोदय, दो वर्ष पहले मुम्बई शहर में हिन्दुस्तान लीवर और इंडियन अल्यूमीनियम ने अपनी फैक्टरियां बंद की थी। परन्तु कोई शोरगुल नहीं हुआ।

जिस तरीके से प्रबंधन ने मजदूर संघों के साथ चर्चा की और उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया, इस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं उठाई और इसकी जानकारी किसी को नहीं हैं। यही मुख्य मुद्दा है और, यहां पुनः मेरा सरकार से यह निवेदन होगा कि किसी भी प्रकार की पुर्नगठन अथवा संगठन में मजदूर संघों को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। इस महत्वपूर्ण निर्णय में प्रबंधक, सरकार और कर्मकार सभी बराबर के सहभागी हैं। उन्हें एक साथ बैठकर ही इस समस्या का समाधान करना होगा।

इसलिए, मैं यह सिफारिश करूंगा कि 'न' कहने की कोई तुक नहीं हैं, जहां बड़े उद्योग में बहुत सारे अतिरिक्त कर्मकार हैं, उन अतिरिक्त मजदूरों को कार्यशाला में आने और कोई काम न करने के लिए तनख्वाह देनी चाहिए। बिल को बढ़ाने से अच्छा है

कि उन्हें घर बैठने और अपना वेतन वहीं लेने की अनुमति दे दी जाए जब तक कि वह नियमानुसार सेवानिवृत्त नहीं हो जाते।

महोदय, नए क्षेत्रों में बहुत–सी नयी नौकरियां सृजित की जा रही हैं। यहां मैं सिंगापुर सरकार का उदाहरण देना चाहूंगा जहां वे बहुत सारा धन तकनीकी कार्यकुशलता के विकास पर, ऐसी तकनीकी कुशलता जिसकी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता है खर्च किया जाता है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली और जिस प्रकार के अवसर और नौकरियां अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण पैदा की जा रही है दोनों में कोई तालमेल नहीं हैं। इनमें कहीं कोई तालमेल नहीं हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली स्नातक, स्नातकोत्तर और कई औपचारिक रूप से शिक्षित लोगों की फौज खड़ी कर रही है, परन्तु नई अर्थव्यवस्था में जो रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, उसमें उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। इसलिए, इस विसंगति को समाप्त किया जाना चाहिए।

मांग बढ़ाने के संबंध में, पुनः मैं कहना चाहूंगा कि आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात की खुशी है कि लंबे समय के बाद सड़क के विकास और अन्य बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि मूलतः हमें आधारभूत संरचना में तीव्र गति से और प्रभावशाली ढ़ग से सुधार करना हैं। यह देख कर दुःख होता है कि जो देश भारत से अभी तक बहुत पिछड़े हुए थे, उन्होंने भारत को आधारभूत संरचना के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है।

आज भारत आधारभूत संरचना के मामले में, चाहे व बिजली हो जल आपूर्ति हो या सड़क या अन्य बातें हो बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए आधारभूत संरचना पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इससे, बहुत सारे उद्योग जैसे सीमेंट, इस्पात और ऐसी ही अन्य उद्योगों की मांग बढ़ेगी।

जहां तक आयात का संबंध है, इस पर गंभीर विचार किए जाने की आवश्कता है कि क्या श्री सिन्हा के पूर्ववर्ती ने विश्व व्यापार संघ की आवश्यकताओं और अन्य बातों को लागू करने के लिए अनुचित रूप से जल्दबाजी नहीं की और क्या ऐसा कोई मार्ग है कि आप इन कदमों को जहां तक संभव हो सके पीछे खीच लें।

रुपये के अवमूल्यन का भी प्रश्न है। यह अभी तक रहस्य है कि ऐसा क्यों हुआ, परन्तु मेरे विचार से कुछ महीने पहले जब हमने नए मिलेनियम बांड जारी किए थे, यह आम अनुभव रहा कि भारतीय रुपये डालर में बदले गये, बाहर उपहार के रूप में भेजे गये और बंध पत्रों में निवेश किए गये, निःसंदेह यह हमारी विदेशी मुद्रा है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, परन्तु इससे बड़ी मजेदार स्थिति पैदा हुई। रुपये के अवमूल्यन का मामला ऐसा है कि इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

श्री दासमुंशी ने लफारजे का उदाहरण दिया। मेरे विचार से यह सही नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लफारजे बिना कोई विदेशी निवेश लिए ही आई। यह मेरा विचार नहीं है परन्तु यदि यह सच है तो इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी सीधे विदेशी निवेश हो, वे अपने साथ मजबूत विदेशी निधि लेकर आए, जो भारत सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा बन जाए।

अब अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह पूंजी बाजार के प्रश्न को लेकर है, सभापति महोदय, यहां मुझे लगता है कि हमने छोटे शेयर धारकों की स्थिति खराब कर दी है। पुनः इसके लिए वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं है क्योंकि यह स्थिति बहुत पहले ही उत्पन्न हो गई थी। सच तो यह है कि, इसे भारतीय पूंजी बाजार में मुक्त मूल्य निर्धारण की प्रणाली के आधार पर जारी किया गया था, जिसके लिए भारतीय पूंजी बाजार तैयार नहीं था यही इसके पिछड़ने का असली कारण है जिसकी शुरूआत 90 के दशक के आरंभ में हुई थी। भारतीय छोटे शेयर धारक और निवेशक लालची वाणिज्यिक बैंको और बेईमान कंपनी प्रवर्तकों का शिकार बन गये, और अपने पैसे गंवा बैठे। इससे शेयर बाजार लगभग सूना हो गया और छोटे शेयर निवेशकों का शेयर बाजार से मुंह मोड़ना ही आज की खराब स्थिति का मुख्य कारण है।

बाजार में सट्टेबाजी चल रही है। सट्टे में कोई बुराई नहीं है, परन्तु लार्ड केन के शब्दों में, 'उत्पादन की श्रृंखला में सट्टे की भूमिका एक बुलबुले के समान होनी चाहिए, परन्तु जब सट्टे की श्रृंखला बन जाती है और उत्पादन बुलबुलों के समान अनिश्चित हो जाता है तो देश का शेयर बाजार एक जुए के अड्डे जैसा हो जाता है, हमारा शेयर बाजार अभी तक तो जुए के अड्डे जैसा नहीं है परन्तु मूलतः यह एक बंद दुकान है जिसमें मुख्यतः विदेशी संस्थागत निवेशकों और भारतीय वित्तीय संस्थानों का बोल बाला रहता है छोटे और आम निवेशकों को, जो वास्तव में बाजार के सर्वेसर्वा थे उन्हें वहां से हटा दिया गया है। हमें उन्हें वापस लाना होगा। हमारे प्राइमरी इश्यू और तथाकथित पब्लिक इश्यू वास्तव में निजी निवेश की श्रृंखला बनते जा रहे हैं, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों और संस्थानों की भागीदारी होती है और आम निवेशकों का कहीं अता–पता ही नहीं होता। हमें पूंजी बाजार में आम निवेशकों को वापस लाने के लिए सभी प्रयत्न करने होंगे क्योंकि वह पूंजी बाजार के राजा हैं।

[श्री नीतिश सेनगुप्ता]

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए, बाढ से राहत के लिए निधि प्रदान करेंगे। इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपनी निधि का कतिपय मामलों में दुरुपयोग किया है और इस आरोप के बावजूद कि इसका दूसरे कामों में उपयोग किया गया है इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि लोगों को राहत सहायता की आवश्यकता है और बाढ़ पीडितों को यह राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार की गल्तियों की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए।

सायं 7.00 बजे

[हिन्दी]

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सप्लीमेंटरी डिमांड्स लाई गई हैं, मैं उनके संबंध में बोलने के लिये खडा हुआ हूं।

इसमें एक डिमांड कृषि के सबंध में है जो अच्छी व्यवस्था की गई है। जो राज्य साइक्लोन से प्रभावित हुये हैं, उन्हें कुछ रिलीफ दिये जाने की व्यवस्था की गई है। मंत्री जी को मालूम है कि बिहार में बाढ़ बराबर आती रहती है। मेरे झारखंड राज्य के साहिबगंज, देवघर और गिरिडीह जिलों में बाढ का प्रकोप इस बार रहा है, भारी वर्षा के कारण सडकें टूट गई हैं। किसान खरीफ की फसल नही लगा सके हैं और जो लगी है, वह भी बरबाद हो गई है। मेरा निवेदन है कि यदि इस संबंध में कुछ नहीं कर पाये हों तो कृपया उनके लिये कुछ करें ताकि उन किसानों को भी राहत मिल सके। जहां तक रबी फसल का सवाल है, बहुत कम मात्रा में लग पाई है और जो लगी है, वह बरबाद हो चुकी है। उन किसानों के लिये भी कुछ व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से जितनी योजनायें चल रही हैं, अच्छी हैं। कुछ योजनायें पूर्व की सरकारों द्वारा चालू की गई थीं और आज इस सरकार ने भी जारी रखी हुई हैं। उन योजनाओं को रिव्यु करने की आवश्यकता है। सरकार इस बात का पता करे कि जो यहां से स्कीम्स जा रही हैं, वे सही ढंग से चल पर रही हैं या नहीं ? मेरा तजुर्बा है कि ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिये जो बैंक हैं, वे को–आप्रेट नहीं कर रहे हैं। इससे स्वर्ण ग्रामीण योजना प्रभावित हो रही है। मेरे छोटा नागपुर क्षेत्र में इसकी एचीवमेंट कम हैं। मेरा निवेदन है कि इन बैंकों को इस बात के लिये हिदायत करें कि जो योजनायें नहीं चल पा रही है, उन्हें पूरा करें।

सभापति महोदय, ग्रामों में मिलियन वैल्स नाम की योजना चालू थी जिसे अब बंद कर दिया गया है। यह योजना झारखंड राज्य के कई जिलों के लिये लाभदायक रहेगी, इसे पुनः चालू किया जाये। पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली के लिये फंडस की व्यवस्था की गई है, यह अच्छी बात है लेकिन आप जानते हैं कि बिहार या झारखंड में बिजली की बुरी हालत है। 20–30 किलोमीटर पर ब्लाक पडते हैं, और एक गांव 4 किलोमीटर दूर पडता है। यह सब आदिवासी इलाका है। इनमें बिजली देने के लिये धन की व्यवस्था करें ताकि सुधार हो सकें।

सभापति महोदय, मध्यान्ह भोजन संबंधी अच्छी योजना है लेकिन शिक्षक बंटवारा करने में समय लगा देते हैं और संरक्षक भी चाहते हैं कि लडकों की संख्या बढे। इस बात की व्यवस्था की जायें कि बच्चों को ठीक ढंग से मध्यान्ह भोजन मिले तथा धन का उचित उपयोग किया जा सके।

सभापति महोदय, डिमांड में एम.पी.लैड्स के लिये अच्छी बात कही गई है लेकिन दो करोड़ रुपया बहुत कम है। विकास के नाम पर पैसा कम पड़ता है। सड़कों की बात की जाती है। मैं चाहता हूं कि एम. पी. के क्षेत्र में 30–40 किलोमीटर सड़कें के लिये धन उपलब्ध कराया जाये ताकि एम. पी. उनका सदुपयोग कर सकें।

सभापति जी, इस वित्तीय वर्ष के तीन महीने बाकी रह गये हैं। प्रधानमंत्री की रोड्स योजना में किस जगह का चयन कैसे करेंगे, अभी तक पता ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि समय की कमी को देखते हुये जल्दी ही इस योजना में सड़कों का चयन किया जाये ताकि तीन माह में बचे पैसे का उपयोग हो सके। अभी रघुवंश बाबू कह रहे थे कि बिहार और झारखंड की बहुत बातें की जाती रही हैं। इस संदर्भ में बिहार के लिये जो फंड्स देते हैं, उसके अंतर्गत ग्रामीण योजनायें पूरी नहीं करा पाये हैं। झारखंड नया राज्य बना है, उसे हिसाब–किताब की पूरी जानकारी देने में समय लगेगा। इसलिए इस राज्य को छूट दें कि जो हिसाब–किताब बिहार सरकार से आना है, यदि वह नहीं आये तो भी इस राज्य को फंड रिलीज कर दें। यह नया राज्य है, अभी उसे पैसे की बहुत जरूरत है, अभी उसे डेवलपमैंट के लिए पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस बारे में मैं आपसे अपील करता हूं और चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें कि किस तरह से झारखंड राज्य की सहायता की जाए। लोग कहते हैं कि वहां बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन वह सब मार्च माह के बाद की बात है। लेकिन मार्च तक क्या होगा, इस पर सोचने की जरूरत है।

सायं 7.06 बजे

(श्री पी. एच पांडियन *पीठासीन हुए)*

सभापति महोदय, अंत में कहना चाहता हूं कि आपने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि पुलिस व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए। यह बहुत अच्छी बात है और इसकी बहुत आवश्यकता भी है। झारखंड राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यह बहुत जरूरी है। हाल ही में झारखंड राज्य के बोकारो जिले के कुरपनिया में एक मिशन स्कूल में सामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया और एक कुक के साथ रेप किया। इससे वहां बहुत कोहराम मचा। इस घटना की पूरी जांच–पड़ताल होनी चाहिए और जो मेन कल्प्रिट हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न होने पायें और अपराधियों का मनोबल नीचा हो। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, मेरा पहला कहना है कि जो हालत आज से तीन साल पहले थी, वह एक बड़े ही अंधकार और धुंध में थी और ऐसा अंदाजा लग रहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय हो चुकी है, रुपये का मूल्य घट जायेगा, बल्कि तबाही मच जायेगी। उस समय इस ऊहापोह में जब सरकार बनी 13 दिन की और 13 महीने की और जो अभी चल रही है, उसके वित्त मंत्री ने देश की इस परेशानी को कम से कम मिटा दिया और लोग एक संतोष की सांस लेने लगे। जब कि लग रहा था कि देश का दीवाला निकल जायेगा। श्री बुसदेव आचार्य अभी हाथ हिला रहे थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कोई भी बता दे, चाहे विपक्ष बता दे या सरकार बता दे कि राज्यों को जो अधिकार दिये गये और राज्यों का जो दायित्व अपनी जनता के प्रति था, उसका निर्वाह कैसे हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज राज्य सरकार हर बात में केन्द्र से पैसा मांगने के लिए बनी है, पैसा दो, यहां दो, वहां दो। उनसे सही तरीके से पूछा जाए कि आप पैसे का क्या करोगे, आपकी आय कितनी है, आपके पास इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज क्या हैं। अगर उनसे इसका हिसाब मांगा जाए तो केन्द्र को अधिकार ही नहीं रह गया है। आप केन्द्र से पैसा ले जाए, लेकिन अगर केन्द्र चाहे कि उनसे हिसाब ले ले तो वह नहीं ले सकता। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में सोच–सोच कर परेशानी होती है और कई जगह पैसे का घोटाला हुआ और उन लोगों की केन्द्र सरकार जांच नहीं करवा सकी और लोक हित याचिका के माध्यम से उन्हें जूडिशिरी में जाना पड़ा और जब पोल खुली तो पता चला कि पैसे का दुरुपयोग होता है। कई राज्य जिन्हें करोडों, अरबों बल्कि खरबों रुपये दिये गये। उन राज्यों से पूछा जाए कि आपने इस पैसे का क्या किया, लेकिन केन्द्र पूछ नहीं सकता। वहां सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बने, स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने और न ही वहां की जनता में शांति रही। फिर यह पैसा कहां गया। लेकिन केन्द्र को अधिकार ही नहीं है कि वह पूछ सके कि राज्य क्या कर रहे हैं। राज्य की भूमिका कांस्टीट्यूशन में क्या है।

मैं कहता हूं कि सुरक्षा के लिए जितना पैसा दिया जा रहा है, वह कहां जा रहा है? लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जब सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो गांव स्तर पर जांच की जाए कि कई राज्यों की हालत कैसी है। दरोगा काम नहीं करता, एस.पी नहीं सुनता, डी.आई.जी. और आई.जी. नहीं सुनता, कलैक्टर नहीं सुनता, एम.पी. उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। कई राज्य ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन अगर मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो मुझे बोलने नही दिया जाएगा। मैं दो–तीन बार कुल मिलाकर बोला हूं लेकिन बीच में ही हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन अभी हमारे मित्र रघुवंश प्रसाद जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि इनको हटाया जाएगा गर्दनिया देकर। यह कौन सा संसदीय शब्द है गर्दनिया मारकर हटाना और निकालना? यह नौकर के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और संसद में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हानि ही हानि है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार जनता की नौकर होती है।...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : आपको मैंने नहीं टोका है। अगर टोकना शुरू करूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा नाम आपने लिया है।

श्री लाल मुनी चौबे : क्या नाम लिया है। रघुवंश तो किताब भी है, कालिदास की रचना है। ...*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं कह रहा था कि इन पैसों का क्या हो रहा है। जब यशवन्त सिन्हा जी आए, हमारे वित्त मंत्री जी तो कुछ धैर्य बना और ये जहां भी गए– अमेरिका में गए, वहां इन्होंने बयान दिया, कोई काट नहीं सका, यहां इन्होंने पचासों बयान दिये मगर कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुआ, सभा में बोलते हैं तो कंट्राडिक्शन नहीं हुआ। हम रघुवंश जी से पूछते हैं कि रुपया बिहार को मिला तो उसका क्या हुआ? बिहार की हालत क्या है आप हिसाब दे सकेंगे। इसी सदन में आपको याद होगा कि एक महिला ने प्रश्न किया कि किस आधार पर योजना आयोग राज्यों को पैसा देता है। मंत्री

[श्री लाल मुनी चौबे]

जी ने कहा कि जो भी रिपोर्ट दी है, कागज देखते हैं और पैसा देते हैं। महिला ने दूसरा सवाल किया कि क्या आप काम के बारे में जानते हैं कि उस पैसे का उपयोग हुआ या नहीं? तो मंत्री जी ने कहा कि यह मुझे नहीं देखना है, मैं नहीं देखता। इस पर ऐसा हंगामा हुआ, लगा कि पहाड़ टूट गया है। माफी मांगो की आवाजें आने लगी और छः लोग माफी मांगवा रहे थे जो बिहार के लोग थे। किसलिए माफी मांगो। आपने पैसा लिया, पैसा कहा उपयोग किया, पैसा कहा गया, काम हुआ या नहीं हुआ और कहा गया कि आप माफी मांगियें। क्यों? जब पैसा देते हैं कागज देखने पर तो पैसा दिया। अगर एक महिला ने पूछ लिया कि उस पैसे का क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, मैं केवल कागज के आधार पर पैसा देता हूं। देश को डूबाने के लिए यही काफी हो गया जिस समय केन्द्र ने राज्यों को अधिक अधिकार देना तय कर लिया और उस पर यह अधिकार हो गया कि आप पैसा दें, पैसे का हिसाब नहीं दें। यानी आप पैसे दीजिए और ये खाऐं। पैसा बिहार की नौ करोड़ जनता के लिए दिया जाता है, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं दिया जाता है। मैं कहूं तो रघुवंश जी ज्यादा तैश में खड़े हो जाएगें। इन लोगों को भोजन का पैसा नहीं था, ये लोग सब पैसा खा गये और कहा कि झारखंड बना रहे है। तो उसको कुछ पैकेज दीजिए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप लोग देश खा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह चर्चा अनुपूरक मांगो से संबंधित हैं। किसी को भी एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ अनुपूरक मांगों पर ही बोलिए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : देश तो आप खायें हैं और देश खायें नहीं हैं बेचे हैं और अब प्रयास करेंगे कि देश टूट जाए।..... *(व्यवधान)* इनकी सरकार के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं मेरा चार्ज है कि बिहार सरकार ने नेपाल से तस्करी का रास्ता खोला है और उसमें हिस्सा लेती है। इसलिए रघुवंश जी बोलने लायक नहीं हैं। अगर बोलने लायक होते तो आपके मुखिया और आपके अगुवा जेल में नहीं होते। दूसरे पर चार्ज लगते हैं कि जिसे जेल जाना चाहिए वह जेल नहीं जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : केन्द्र सरकार का एक भी मंत्री नहीं बचेगा। लूट कर रहें है।...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सबसे पहले आपकी सरकार जाएगी और आप जेल देखेगें, लेकिन यह तब होगा जब लोग स्वतन्त्र होगें और एनार्की आएगा, खुलापन आएगा, तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आप सबसे पहले जेल में जाएगें।

सभापति महोदय, यहां से पैसा जाता है और गरीबों के कल्याण के लिए, पुलिस के लिए, किसान के लिए, लेकिन वहां सब पैसा खा जाते हैं। और विकास तथा कल्याण के कार्यों पर खर्च नहीं होता।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप तो एफ.सी.आई के माध्यम से दुकान खुलवा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, इन लोगों ने वहां का सारा गोदाम खाली कर दिया और जितना भी गेहूं था सब सड़ा दिया और बेच दिया। मेरे पास इसका सुबूत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं हम चाहते हैं कि मांगो पर मतदान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, कम से कम आप तो मुझे मत टोकिए। मैं तो आपका ही अनुसरण कर रहा हूं। मुझे भी तो कुछ छूट मिलनी चाहिए। मैं आपका अनुयायी हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, अन्यथा मुझे इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालने का आदेश देना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, मैं आपकी परम्परा का पालन कर रहा हूं। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप मांगो पर चर्चा करते हैं, तब तक ठीक है, परन्तु आप अन्य विषय पर बात कर रहें हैं। कृपया

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपना स्थान ग्रहण करें। आपने बहुत बोल लिया। आप कल रेलवे की मांगो पर बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह यहां हल्ला करते हैं और प्रतिदिन बोलते हैं।

महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दिया जाए। मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, आपको केवल दो मिनट का समय दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ..... *

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, बिहार में सारा काम जेल से हो रहा है। वहां क्या–क्या पकड़ा गया है पूरे देश को पता है। हमारे माननीय सदस्य की ख्वाहिश थी कि उन्हें गैस्ट हाउस में रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ब्यूर जेल में रखा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसका मांगो से कोई संबंध नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय अब ये 'रिमांड' पर बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, जब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार की धान खरीदी के बारे में बोलते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं बताना चाहता हूं। कि प्रदेश के 70 प्रतिशत धान को खरीदने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है और केवल 30 प्रतिशत धान को खरीदने का जिम्मा केन्द्र सरकार का है।. ..*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं, बिलकुल असत्य। 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, बिहार के किसान को इन्होंने तबाह किया है। किसान को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दी, खाद नहीं दी,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आपके दो मिनट समाप्त हो गये हैं। आपने अपना भाषण समाप्त कर लिया है। ये बातें सिर्फ विधायिका में बोलनी चाहिए, न कि संसद में। आप बिहार को यहां क्यों घसीट रहे हैं? बिहार की मुख्य मंत्री यहां उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं हैं। राज्य के विषय को यहा मत घसीटिए। अब मैं श्री अखिलेख सिंह को बोलने के लिए आंमत्रित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि बिहार में जो 18,000 गांवों का विद्युतीकरण होना बताया है, उसमें सत्यता यह है कि उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है और उन गांवों को विद्युतीकृत होना रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। ये लोग विकास के कार्यों के लिए दिए गए सब पैसे को खा गए। सब खा गए, बिजली का पैसा खा गए, पानी का पैसा खा गए, अस्पताल का पैसा खा गए, थाने का पैसा खा गए, स्कूल का पैसा खा गए, अस्पताल का पैसा खा गए, और गरीबों का पैसा खाया, विधवाओं का पैसा खाया और इन्होंने पूरे बिहार को कंगाल कर दिया और यहां ये शेर जैसे बोलते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने दो मिनट मांगे थे, हमने आप को पांच मिनट दिए। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप किश्तों में नहीं बोल सकते। अब, श्री अखिलेश सिंह।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, जो दो मिनट का टाइम मैंने आपसे अपने बोलने के लिए मांगा था, वह तो डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने हल्ला मचाकर समाप्त कर दिया, वह मुझे नहीं मिला, वह भी उनके हक में चला गया।

मैं कहां बोला। मैंने दो मिनट बोलने के लिए कहा था।... *(व्यवधान)* मैं यह कह रहा था कि चौतरफा बिहार में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप दो माइक से नहीं बोल सकते। एक माइक बंद हो जाने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : यह सदन में हंगामा करते हैं। पांच लोग उठते हैं और पांच लोग उठकर प्रधान मंत्री जी को.....

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री लालमुनी चौबे]

(*व्यवधान*) एक दिन प्रधान मंत्री जी ने कहा कि बिहार के लोगों में बड़ा रोष है।...(*व्यवधान*) हम कहें कि प्रधान मंत्री जी के 54. ..(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री चौबे, यदि आप इसी प्रकार बोलते रहे तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं बिहार से संबंधित सभी बातों को कार्यवाही–वृत्तांत से निकालने के आदेश दूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : पांच लोग बिहार के हैं।...(*व्यवधान*) 54 लोग हैं इनके।...(*व्यवधान*) सारे एम.पी. एक तरफ हैं। लेकिन यह चिल्लाना जानते हैं। हम कहना चाहते हैं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अध्यापीठ के आदेशों का पालन कहने के लिए बाध्य हैं।

श्री लाल मुनी चौबे : .....*

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही–वृत्तांत को देखूंगा। आपकी बिहार से संबंधित टिप्पणी मेरे आदेश से कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दी गई है। मैं आपकी टिप्पणी को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल रहा हूं।

श्री लाल मुनी चौबे : .....*

सभापति महोदय : आप कार्यवाही–वृत्तांत से निकाले गये भाग पर मेज थपथपा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति जी, चौबे जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और यह बहुत अच्छा बोले सिवाय उस विषय पर नहीं बोले, जो विषय बोलने लायक है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी किस नियम के अंतर्गत आप खड़े हुए हैं? इसके लिए कुछ नियम होना चाहिए।

.....(*व्यवधान*)

श्री लाल मुनी चौबे : .....*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चौबे, आप अध्यक्षपीठ की पूर्व आज्ञा के बिना अचानक यूं खड़े नहीं हो सकते।

....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : इसलिए मैंने कहा कि चौबे जी की प्रशंसा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा।...(*व्यवधान*)

कुवंर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की। जब हमने सप्लीमैंट्री डिमांड्स की यह ग्रांट देखी तो मुझे लगा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस कृषि प्रधान देश के किसानों के लिए कुछ अनुपूरक मांगें लाने का काम करेंगे लेकिन जब इनकी पूरी अनुपूरक मांगों को हमने देखा तो हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मुझे यह लगा कि हमारी निराशा गलत है और जो इनकी सरकार का चरित्र है, उस चरित्र को इन्होंने अनुपूरक मांगों की अपनी इस डिमांड्स में उजागर किया है। इस सरकार का चरित्र किसान विरोधी है और इस अनुपूरक मांग में भी इनका यह चरित्र उजागर हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्यों को सबसिडी देने के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश को 135 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 65 करोड़ रुपये देने के लिए मांगे हैं। हम आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को अवगत करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो खाद्यान्न का बाजार भाव है, वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आप जो अनाज गरीबों को वितरित कर रहे हैं, उससे सस्ती दर पर वह अनाज आज बाजार में उपलब्ध है चाहे वह गेहूं हो या चावल हो। हम एक जिम्मेदार संसद सदस्य की हैसियत से आपसे कहना चाहते हैं कि आप चाहें तो एक संसदीय समिति को उत्तर प्रदेश में भेज दें ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो गेहूं और चावल आपके द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है। उससे बढ़िया चावल और अच्छा गेहूं आपको बाजार भाव में उस दर से कम दर पर प्राप्त हो जायेगा। यह 135 और 65 करोड़ रुपये किसके लिए हैं? अगर 135 करोड़ रुपये और 65 करोड़ रुपये आपने किसानों का धान खरीदने के लिए सबसिडी में दिया होता तो शायद किसान आपको साधुवाद देते और आपकी सरकार को बधाई देने का काम करते। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि इन पैसों का एफ.सी.आई सहित सभी नोडल एजेंसियां हडप करने का काम करेंगी जिनके माध्यम से आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने का काम कर रहे हैं।

अभी हमने देखा कि आपने पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय इलाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धन की मांग की है। यह जनजातीय लोगों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में जनजातीय लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भी जनजातीय लोग बसते हैं। मिर्जापुर में चले जाइये, वहां भी जनजातीय लोग हैं। हमारे महाराज गंज में चले जाइये, वहां भी जनजातीय लोग हैं। सिद्धार्थनगर के जनपद में चले जाइये, बलरामपुर जिले में चले जाइये, गोंडा और उत्तराखंड के इलाके में चले जाइये, वहां बड़ी संख्या में थारू जाति के लोग रहते हैं। देश के अंदर जितने भी जनजातीय लोग रहते हैं, उन सब जनजातीय बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए भी आपको धन की मांग करनी चाहिए। केवल देश के एक क्षेत्र विशेष के लिए आपके द्वारा धन की डिमांड करना मेरी समझ से न्यायोचित नहीं है और अन्य क्षेत्रों में बसे हुए जनजातीय लोगों के साथ भेदभाव का परिचायक है।

हमने अभी देखा, आपने एम.पी. लैड्स के लिए धन की मांग की है, ढाई सौ करोड़ रुपये एक जगह मांगे हैं और ढाई सौ करोड़ रुपये दूसरी जगह मांगे हैं। बतौर संसद सदस्य पता नहीं आपको अपने क्षेत्र के लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है या नहीं, आप बड़े नेता हैं, हो सकता है कि आपको अपने क्षेत्र में कम जाना पड़ रहा हो लेकिन हमको तो हर हफ्ते अपने क्षेत्र में जाना पड़ रहा है और विकास के प्रति जो लोगों के मन में हमारे प्रति लालसा है, हमारे प्रति उनकी जो सोच है, उस सोच पर हम बतौर संसद सदस्य खरे नहीं उत्तर रहे हैं। आप धन का रोना–रोने की बात कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि आप राज्य सरकारों को सुनिश्चित रोजगार योजना के माध्यम से काफी धन आबंटित कर रहे हैं। एक संसदीय समिति का गठन कर दीजिए। केवल बिहार ही नहीं, जहां उत्तर प्रदेश में आपके मुख्य मंत्री बैठे हैं श्री राजनाथ सिंह जो कल तक आपके बगल में बैठा करते थे, जरा उत्तर प्रदेश का ही मुआयना करवा लीजिए कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का क्या हश्र है, कितने प्रतिशत कार्य हो रहे है। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत जो कार्य कराया जा रहा है, भौतिक सत्यापन में 35 से 40 प्रतिशत भी कार्य आपको मौके पर नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहते हैं कि सुनिश्चित रोजगार योजना के पैसे को कट कीजिए और उसे एम.पी. लैड्स में जोड़ दें, उसी गाइडलाइन को एम.पी. लैड्स में लागू कर दें। जितना रुपया अतिरिक्त एम.पी. लेड्स में दे रहे हैं, उसी गाइडलाइन को हम फॉलो अप करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि रुपये का सही जगह पर सदुपयोग कीजिए, ऐसी जगह पर रुपया वितरित मत कीजिए जिसका दुरुपयोग हो। इसलिए हम आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि यदि धन की कमी है तो सुनिश्चित रोजगार योजना को समाप्त कीजिए और एम.पी. लैड्स में उस रुपये को जोड़ने का काम कीजिए। जहां तक रोजगार के सृजन का सवाल है, सांसद विकास निधि से भी जो कार्य होंगे, उनमे भी रोजगार का सृजन होगा।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उर्वरक संयंत्रों के लिए, कुछ कारखानों के लिए भी आपने धन की डिमांड की है। हम कहते हैं कि आप अन्य राज्यों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। गोरखपुर का खाद कारखाना वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, हम यह नहीं कहते कि आपकी सरकार के जमाने में बंद हो गया, बहुत पहले से बंद पड़ा है। लेकिन अगर किसी सरकार के समय में कोई गलती हुई है तो जरूरी नहीं है कि उसी गलती को आप भी दोहराते रहें या उस समस्या से आंख मूंद कर बैठे रहें। हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि गोरखपुर के बंद पड़े कारखाने को चालू करने के लिए आपको बजट में प्रावधान करना चाहिए।

हम मांग करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का अभाव है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी स्थिति देख लीजिए। आपकी जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जिस गति से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य है... *(व्यवधान)* हम विषय पर बोल रहे हैं और दो मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। जिस गति से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, जो बर्जिन विलेज हैं, उनके मानक को पूरा करने में 33 वर्ष लग जाएंगे और वास्तविक रूप से अगर पूरी जनसंख्या का विद्युतीकरण करना है तो सौ वर्ष लग जाएंगे, सौ वर्षों में भी विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि आप ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी कुछ प्रावधान करें। राज्य सरकारों के बस का नहीं है कि वे अपने वित्तीय संसाधनों से ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसा प्रावधान करें ऊर्जा मंत्री जी को अतिरिक्त बजट देने का काम करें और ऊर्जा मंत्री जी यहीं से गांवो को पैकेज देने का काम करें। संसद सदस्य यहां से अपनी सहमति दे दें, गांवों को चयनित कर लें, यहीं से पैकेज जाए और उनके क्षेत्रो में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कराया जाए।

आपने अनुपूरक मांगों के लिए जो प्रस्ताव सदन के समझ रखा है, आप कृपा करके किसानों के ऊपर दृष्टि डालिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और सम्पूर्ण देश में किसानों के धान की जो खरीद नहीं हो रही है, उस खरीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यदि भारत सरकार को अतिरिक्त सबसिडी देने की भी आवश्यकता हो तो वह भी देने का काम करें। पूरा उत्तर प्रदेश पिछले दिनों बाढ़

[कुंवर अखिलेश सिंह]

की विभीषिका से तबाह और बर्बाद हो चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सडकें, बौद्ध सर्किट की सड़कें आज भी आवागमन योग्य नहीं हुई हैं, वे आज भी टूटी–फूटी पड़ी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से निजात दिलाने के लिए हम चाहते हैं कि अतिरिक्त धन का प्रावधान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी की अनुपूरक मांगो का समर्थन करता हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों से हमें पता चल सकता है कि वित्त मंत्री महोदय की 500 करोड़ रुपये के अर्थोपाय, अन्तिम, 500 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के लिए, 210 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए और 300 करोड़ रुपये राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध कराने के लिए विवश किया गया था। इन निधियों से सहयोगी दल और अधिक संतुष्ट होंगे।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान असली वास्तविकता की ओर दिलाना चाहूंगा। वित्त मंत्री महोदय अगले वर्ष के बजट की तैयारी में जुटे होंगें। असली वास्तविकता क्या है? गरीब, आम आदमी और कृषक बहुत अधिक परेशान हैं। क्योंकि आई.आर.डी.पी, आर.एल.ई.जी.पी, एन.आर.ई.पी, एम.ए.पी.पी. और जीवनधारा जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है। ये कार्यक्रम आम आदमी, कृषकों और गरीबों की सीधे मदद कर रहे थे किन्तु इन्हें समाप्त कर दिया गया। अब बैंक लघु–उद्यमियों छोटे दुकानदारों और साइकिल विक्रेताओं की सहायता करने की स्थिति में नही हैं, इन लोगों को अब छोटे विशेष ब्याज दर (डी.आई.आर) पर ऋण या आई.आर.डी.पी के अंतर्गत ऋण प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बैंक इन लोगों की सहायता के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आई.आर.डी.पी कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया हैं।

गरीब लोगों में ऊपर उठने की इच्छा तो है किन्तु उन्हें सरकार या वित्तीय संस्थानों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। यही हाल किसानों का है। वे कृषि उत्पादन के सुधार करने के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं ताकि वे राष्ट्र की सहायता कर सकें किन्तु पानी उपलब्ध कराकर और कृषि से संबंधित व्यापक कार्यक्रमों को लागू कर उनकी सहायता नहीं की जा रही है। इसलिए, मैं मंत्री जी का ध्यान निगरानी तंत्र, आई.आर.डी.पी और डी.आई.आर कार्यक्रम की और दिलाना चाहूंगा कि इन कार्यक्रमों को सरकार के दायरे में फिर से रखना चाहिए ताकि व्यावसायिक बैंकों सहित बैंकों को निर्देश दिया जा सके कि वे अपनी निधियों में से एक निश्चित भाग गरीबों के उत्थान के लिए दें।

दूसरे लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग भी कठिनाई में हैं और ये बंद होने के कगार पर हैं। क्योंकि उनके बाजार ताइवान, कोरिया, और चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं। हमें नहीं पता कि ये कैसे आ रहे हैं। ये भूमि, समुद्र या वायुमार्ग से भी आ सकते हैं। यहां तक कि छोटो गांवो में भी हमें ताईवान, कोरिया और चीन के उत्पाद मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में उद्योग कैसे जीवित रह सकते हैं? इलेक्ट्रोनिक वस्तुऐं बनाने वाली लघु इकाईयां बंद हो रही हैं, उपभोक्ता वस्तुए बनाने वाली लघु–इकाईया भी बंद हो रही है, मध्यम दर्जे के उद्योग बंद हो रहे हैं। इन लघु उद्योगों से आजीविका अर्जित करने वाले आम आदमी को अब बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं हो रही है, बैंक उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी बैंक, छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों की सहायता के लिए तैयार नहीं हैं। भवन निर्माण और मशीनें खरीदनें के लिए इन लोगों ने ऋण लिया और अपने एककों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया लेकिन उनका कोई बाजार नहीं है।

मेरा तीसरा मुद्दा कपड़ा मिलें और उससे जुड़े दूसरे उद्योगों से संबंधित है। लगभग 70 प्रतिशत कपड़ा मिलों को बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया गया है। यह पुनरुद्धार जा जीर्णोद्धार के बजाए यह समापन का रास्ता है। बी.आई.एफ.आर. न्यायालय की ही तरह है जिसमें हर बार सुनवाई स्थगित की जा रही है और इसलिए संपूर्ण उद्योग और श्रमिक वर्ग परेशान हैं। इसलिए, रुग्ण उद्योगों के जीर्णोद्धार के लिए कोई नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

मेरा चौथा मुद्दा यह है कि इकाईयों के बंद होने से बेरोजगार युवकों और औद्योगिक कर्मचारी की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्हें नहीं पता कि कहां जाए; वे चौराहे पर हैं।

पांचवां मुद्दा यह है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान जन आंदोलनों की ओर दिलाना चाहूंगा। विभिन्न मांगों को लेकर आगे आने वाली जनता को कोई भी राज्य या केन्द्र सरकार संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए वे छोटे समूहों में संगठित हो रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों की ओर जा रहे हैं। वे चोरी और यौन व्यापार में संलिप्त हो रहे हैं। यदि आप एक साधारण समाचार पत्र देखें तो आपको ऐसे कई विज्ञापन नज़र आएंगे जिनमें यह कहा जाता है कि आप यौन वार्ता के लिए फोन करें। इस प्रकार, पाश्चात्य संस्कृति भारत में हावी होती जा रही है। कम कमाई वाले गरीब लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। जब माननीय मंत्री अपना बजट बनाएं तो लोगों की कुण्ठाओं पर भी ध्यान दें।

महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान एक और पहलू की ओर दिलाना चाहूंगा। आजकल, लोग तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं और इस पर काफी मात्रा में मानव संसाधन व्यर्थ होता है। तीर्थ यात्रा के लिए लोग मीलों चलते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें सरकार की किसी व्यवस्था का विश्वास ही नहीं है। आजकल, स्थिति इतनी अधिक खराब है कि न तो पिता अपने पुत्र पर आश्रित है और न ही पुत्र अपने पिता पर। रिश्तों का यह हाल है। लोग अंधविश्वासी हो गए हैं और तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं। इससे धार्मिक और जातिय संगठनों को बल मिला है। वित्त मंत्री महोदय लोगों की इन कुण्ठाओं को भी ध्यान में रखें। इन लोगों को संतुष्ट करना होगा अन्यथा हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें हमें विकास से अधिक पुलिस पर खर्च करना पड़ेगा।

महोदय, अंत में, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस सच्चाई की ओर दिलाना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी और कृषक समुदाय को संतुष्ट करने का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और उद्यमियों को धन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार के तीसरे स्तर अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं के लिए सीधे धन देने का प्रावधान होना चाहिए ताकि चोरी रोकी जा सके और निचले स्तर के लोगों को केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित लाभ मिल सकें।

महोदय मैं एक और मुद्दा उठाना चाहूंगा। यह मुद्दा प्रतिभा–पलायन के बारे में है। सभी योग्य इलैक्ट्रानिक और कम्प्यूटर प्रशिक्षित लोग देश छोड़कर, रोजगार की तलाश में अमरीका या अन्य पश्चिमी देशों में जा रहे हैं और हमें उनकी सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। वित्त मंत्री महोदय को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, हालांकि यह अनुदानों की अनुपूरक मांग हैं, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा। कि वे अपने साकारात्मक भाषण को जारी रखें। उनका भाषण अंधेरे में रोशनी और रेगिस्तान में झरने के समान होना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय से लोग बडे ही सकारात्मक नेतृत्व की आशा बांधे हुए हैं ताकि उनमें और साहस आए और हमारा विकास हो सके।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मुझे केवल दो ही बातें कहनी हैं। पहली बात लेखा और लेखापरीक्षा सेवा के कर्मचारियों के वेतन केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के बराबर करने के बारे में है। वित्त मंत्री जी इस समस्या से अवगत हैं। उनके वेतनमानों में समानता तो थी किन्तु तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद इनमें अंतर आ गया। अब मैं वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इन कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों में समान अधिक वेतनमान देने के बारे में विचार करें। यह पूर्व–तिथि के बजाए भविष्य मंजूर किया जा सकता है। इससे सरकार पर अधिक भार नहीं पड़ेगा।

महोदय मैं दूसरा मुद्दा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू) के कर्मचारियों और कामगारों की सांविधिक देय भुगतान न करने और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और कामगारों को वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में उठाना चाहता हूं। सेवानिवृत्त कमचारियों और कामगारों को भविष्य निधि और उपदान ग्रैचूअटी का भुगतान नहीं किया गया है। 2,500 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत कठिनाई हो रही हैं। उनमें से कई भूखों मर रहे हैं। हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कोरपोरेशन नैशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कोरपोरेशन जैसा और अन्य एककों जैसे कई केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को पांच माह से लेकर 20 माह तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इनमें से कई कर्मगार भूख से मर गए हैं। यह अबिलंबनीय मुद्दा है। तथापि मुझे अनुपूरक मांगों में, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन व सांविधिक देयों के भुगतान का प्रावधान नज़र नहीं आया हैं। इस संबंध में एक अधिनियम है जिसका भारत सरकार उल्लंघन कर रही है।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लेखा और लेखा परीक्षा कर्मचारियों के मामले में हाल ही में आई असमानता को दूर कर समानता लाई जाए। मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन व सांविधिक देयों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और अपने बेशकीमती सुझाव दिये हैं। समयाभाव और उठाये गये कुछ विशेष मुद्दों का सम्बन्ध अन्य मंत्रालयों से होने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक का उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उनके संबंध में मेरे पास तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस चर्चा के दौरान उठाये गये सामान्य मुद्दों पर मैं निश्चित रूप से चर्चा करूंगा।

सर्वप्रथम मैं सभा के समक्ष विचाराधीन अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर सरकार का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लोकसभा में मेरे द्वारा प्रस्तुत दूसरी अनुपूरक मांगे हैं। तीसरी अनुपूरक मांगे सभा में बजट के

[श्री यशवन्त सिन्हा]

समय पेश की जायेंगी, जैसाकि परंपरा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली अनुपूरक मांगों में, जो मैंने संसद के वर्षाकालीन सत्र के दौरान पेश की थी, कुल 632 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। इन मांगों में 1571 करोड़ रुपये का निवल व्यय है। दोनों को मिलाकर यह 2200 करोड़ रुपये से कुछ अधिक है, जो इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए उचित माना जायेगा और ऐसा माना भी जाना चाहिए कि हमने इस वर्ष के लगभग नौ महीने पूरे कर लिये हैं। इन अनुपूरक मांगों में बहुत सी ऐसी मांगों के लिए प्रावधान किया जा रहा है, जिनका बजट के समय पूर्वानुमान नहीं किया गया था।

अतिरिक्त व्यय की मुख्य मदें, जैसाकि माननीय सदस्यों ने ध्यान दिया है, इस प्रकार हैं: वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के लिए 500 करोड़ रुपये; विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अर्थोपाय सहायता हेतु 350 करोड़ रुपये संचय; पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को 300 करोड़ रुपये; संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए अतिरिक्त 250 करोड़ रुपये; मध्याह्न भोजन योजना के लिए 210 करोड़ रुपये, खाद्य राजसहायता के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये। इन अनुपूरक मांगों में अधिकांश आबंटन इन मदों से संबंधित है।

अब राजकोषीय घाटे का मुद्दा आता है। मैं वित्तीय स्थिति का उल्लेख करने और यह बताने के लिए कि हम शीघ्र ही वित्तीय उत्तरदायित्व विधान इस सभा में ला रहे हैं, श्री कानूनगो का विशेष रूप से आभारी हूं। मैं श्री रूपचन्द पाल को यह बताना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि वित्तीय घाटा कोई बुरी बात नहीं है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। मैं उनसे सहमत हूं। जब तक वित्तीय घाटे की राशि निवेश कार्यों के लिए प्रयुक्त होती रहे, तब तक यह घाटा कोई बुरी बात नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में अनेक वर्षों से वित्तीय घाटे की बहुत बड़ी राशि राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गई है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता भारत सरकार के राजस्व सचिव रहे हैं अतः वे इस बात को समझते होंगे कि यदि हमारा राजस्व घाटा होता है और इसका वित्त पोषण मौजूदा ब्याज दर पर बाजार से ऋण लेकर किया जाता है तो इसका कोई आर्थिक लाभ होगा! इस प्रकार हम अंतपीढ़ी असमानता उत्पन्न कर रहे हैं कि हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए समस्यायें उत्पन्न करने हेतु अपने लिए उधार ले रहे हैं। इस ने ही हमें सबसे पहले इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि हम वित्तीय घाटे पर नियंत्रण सुनिश्चित करें और दूसरे, पिछले पचास वर्षों में पहली बार सरकार ऐसा स्वार्थरहित विधान लाएगी, जिसमें उसका यह कहना है कि "हम अपने संसाधनों से अधिक खर्च नहीं करेंगे।"

महोदय, मुझे इस सभा को आपके माध्यम से यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चालू वर्ष के पहले छह महीनों के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि एक ओर तो हम प्राप्तियां विशेषतः राजस्व प्राप्तियां लगभग ठीक बनाए रख पाये हैं तो वहीं दूसरी ओर हम व्यय पर नियंत्रण रखने में भी सफल हो सके हैं, जिसके परिणामस्वरूप पहले छह महीनों के दौरान वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की संगत अवधि के 57.7 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमानों का केवल 45.7 प्रतिशत रहा है। इससे मुझे यह उम्मीद लगती है कि इस वर्ष हम जिस प्रकार के दृढ़ संकल्प का परिचय दे रहे हैं, उससे यह संभव लगता है कि अब से अगले वर्ष फरवरी तक जबकि मैं बजट पेश करूंगा, कोई अनहोनी घटना नहीं होती है, तो इस बजट सत्र के दौरान पुनः इस बात की सूचना इस सभा को देते हुए मुझे प्रसन्नता होगी कि कुछ समय के पश्चात्, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसमें कितने वर्ष लगेंगे, हम 5.1 प्रतिशत के बजटीय लक्ष्य के वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने में सफल हो पाये हैं। हमारा यह प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हमारा वित्तीय घाटा बजट लक्ष्य से अधिक न हो पाये।

अब मैं, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य, मुख्य सचेतक, जिन्होंने इस चर्चा का आरंभ किया, का उल्लेख करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से वह इस सभा में उपस्थित नहीं हैं। हो सकता है, उन्हें कोई और अधिक आवश्यक काम हो !

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उन्हें बुखार था, इसलिए वह चले गये।

श्री यशवन्त सिन्हा : अच्छा, उन्हें बुखार था। मैं यह नहीं चाहता कि किसी की अनुपस्थिति में, उसके बारे में कोई बात कही जाए।

लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये थे और यदि मैं उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों को स्पष्ट नहीं करता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं सरकार की ओर से, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असमर्थ हूं।

महोदय, उनका कहना है कि हम आमतौर पर किसानों, मजदूरों और लोगों का विश्वास खो चुके हैं। मुझे स्मरण है कि 12वीं लोक सभा के दौरान भी जब हम पर लोगों का विश्वास खोने का आरोप लगाया गया था, इसी प्रकार की बात की गई थी। हमें चुनाव करवाने के लिए मजबूर किया गया था। हमने

चुनाव करवाये और चुनाव परिणामों ने यही दर्शाया कि इस देश के लोगों का विश्वास किस में है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : लेकिन उनकी पार्टी के पक्ष में समर्थन का प्रतिशत गिरा है...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : इसलिए हमें अपने समाज के विभिन्न वर्गों के विश्वास की बात नहीं करनी चाहिए। वे पूर्ण रूप से सरकार के साथ हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह सरकार के साथ रहेंगे।

महोदय, मुझे इस बात का भी खेद है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का, जिन्होंने इस चर्चा का आरम्भ किया, मानसिक दिवालिया पन इस सीमा तक बढ़ गया कि उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी और यहां तक कि डा. मनमोहन सिंह को उद्धृत न करके डा. जे. दुबाशी को उद्धृत किया। डा. जे. दुबाशी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नहीं हैं।

निश्चित रूप से वह इस सरकार के समर्थक नहीं हैं और यदि श्री प्रियरंजन दासमुंशी यह विश्वास करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि डा. जय दुबाशी ऐसा कह रहे हैं, तो मैं भारतीय परिस्थितियों के बारे में उनकी समझ पर तरस खाता हूं।

उन्होंने अप्रयोज्य परिसंपत्तियों जैसे अन्य कई मुद्दे उठाए हैं। इस प्रकार की धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे कि ये परिसंपत्तियां ऐसी चीज हैं जिसका पता हमने सत्ता में आने के बाद किया हो। मैं श्री किरीट सोमैया के इस कथन के लिए उनका आभारी हूं कि हमने इस स्थिति को विरासत में प्राप्त किया है।

डा. नीतीश सेनगुप्ता (कोंटाई) : ऋण मेलाओं के लिए धन्यवाद।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं इसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री को देना चाहता हूं क्योंकि उस समय जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सबसे पहले डॉ. मनमोहन सिंह ने ही अप्रयोज्य परिसंपत्तियों संबंधी प्रश्न को समग्र रूप से लोगों के सामने रखने का निर्णय किया था। वर्ष 1993–94 से पहले बैंकों की अप्रयोज्य परिसंपत्तियों की गणना करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने यह तरीका देश के समक्ष प्रस्तुत किया !

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मई, 1996 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी, तो उस समय 31 मार्च, 1996 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 41,660 करोड़ रुपये की अप्रयोज्य परिसंपत्तियां थीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अब स्थिति क्या है?

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है; मैं किसी बात पर क्षमा प्रार्थी होने की आवश्यकता नहीं समझता। इसका सृजन यशवन्त सिन्हा या वाजपेयी सरकार ने नहीं किया है।

संयुक्त मोर्चे की सरकार के सत्ता से हटने के समय ये परिसंपत्तियां 45,652 करोड़ रुपये की थी। ये 41,660 करोड रुपये से बढ़कर 45,652 करोड़ रुपये हो गई थी। इनमें और वृद्धि हुई और 31 मार्च, 2000 को ये 53,294 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार यदि आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहें, तो शायद आप केवल 8,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के लिए ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन 45,000 करोड़ रुपये और 41,000 करोड़ रुपये के बारे में आपका क्या विचार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए क्या श्री यशवन्त सिन्हा जिम्मेदार हैं? जब हम सभा में बात करें, तो हमें जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिये। हर बार हम यही कहते हैं कि 'सरकार एक सतत् संगठन है, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं।'

श्री रूपचन्द पाल : परन्तु कुछ परिवर्तन तो होते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : सरकारें आती हैं और चली जाती हैं परन्तु वही समस्यायें बनी रहती हैं। आपकी बाहरी समर्थन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। आप पूर्णरूपेण सत्ता में नहीं हैं। आपका सहयोगी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार का संघटक था। आप इसे पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा, सृजनात्मक और हानिकारक तरीके से बाहर से समर्थन प्रदान कर रहे थे, जैसाकि हर समय किया करते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : परन्तु हम अपनी स्थिति परिवर्तित करके विपक्ष से सत्ता पक्ष में नहीं गये।

श्री यशवन्त सिन्हा : इस प्रकार, हमारी अप्रयोज्य परिसंपत्तियों की समस्या है। परन्तु हमें यह धारणा नहीं बनानी चाहिये कि सारी परिसंपत्तियों का सृजन हमारे समय में ही हुआ है और इन सभी अप्रयोज्य परिसंपत्तियों का संबंध बड़े कारोबार से है। मेरे पास यह दर्शाने के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं कि लगभग 44 प्रतिशत अप्रयोज्य परिसंपत्तियां जो 1 करोड़ रुपये तक हैं ऋण के कारण हैं। 44.49 प्रतिशत अप्रयोज्य परिसंपत्तियों जो एक करोड़ रुपये तक हैं, लेखे जोखे के कारण ऋण के रूप में हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप उनकी सूची प्रकाशित क्यों नहीं करते।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

श्री यशवन्त सिन्हा : हमने इस बात पर पहले भी चर्चा की है।

मैं सभा को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अप्रयोज्य परिसंपत्तियों का यथाशीघ्र परिसमापन किया जाये। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र जारी किया है जिसमें बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अप्रयोज्य परिसंपत्तियों निर्धारित करके बिना किसी भेदभाव और बिना स्वेच्छा के अप्रयोज्य परिसंपत्तियों का निपटारा करे।

श्री रूपचन्द पाल : परन्तु वित्तीय संस्थाओं जैसे आई.सी. आई.सी.आई. की अप्रयोज्य परिसंपत्तियां बढ रही हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्तियां कम हो रही हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : सही शब्दों में यह अधिक हो रही है। मैंने स्वयं कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार हो रहा है क्योंकि अप्रयोज्य परिसंपत्तियों में वृद्धि और निवल अप्रयोज्य परिसंपत्तियां, दोनों का प्रतिशत घट रहा है। हालात नियंत्रण से बाहर नहीं है किन्तु फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे अनुदेश जारी किए है। जिनके तहत भेदभाव या स्वेच्छा से कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था क्यों की गयी है? इसका स्पष्ट कारण यह है कि बैंक अथवा बैंक प्रबंधन इसके बारे में बहुत सशंकित थे कि यदि वे कुछ करेंगे तो सी.बी. आई या सी.बी.सी. अथवा कोई और उन्हें पकड लेगा।

इसलिए हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ विभिन्न बैंकों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलायी। हम सभी इस नतीजे पर पहुंचे। मैं इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार। अप्रैल से 30 सितम्बर तक बैंकों ने लगभग 3000 करोड़ रुपये की अप्रयोज्य परिसंपत्तियों की वसूली की है। हमने इस सभा में डी. आर.टी.ए विधेयक पारित कर दिया है। डी.आर.टी.ए. को सशस्त्र बनाया गया है, और अधिक संख्या में डी.आर.टी.ए. तथा अपीलीय न्यायधिकरणों का गठन किया गया है। मैंने बैंक अध्यक्षों से कहा है कि यदि कहीं भी 5 करोड़ और उससे अधिक रुपये की अप्रयोज्य परिसंपत्तियां पाई गईं तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं उन्हें जवाबदेह ठहरा रहा हूं। कुछ सप्ताह पहले मैंने एक बार फिर बैंक के अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। हमने स्थिति की समीक्षा की है। मैं प्रत्येक तिमाही में स्थिति की समीक्षा कर रहा हूं। हम पुनः जनवरी में बैठक करेगें। मैं अप्रयोज्य परिसम्पत्तियों को समाप्त करने की प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस संबंध में संकल्प कर लिया है कि भुगतान न करनेवालों विशेषकर जानबूझकर भुगतान न करनेवालों को भुगतान करने के लिए अन्त तक मजबूर किया जाएगा। उनसे किसी प्रकार भुगतान करवाया जायेगा। छोटे चूककर्त्ताओं की स्थिति में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि उनके खातों से भुगतान संभव हैं उनसे भुगतान कर लिया जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य : उस तरफ से चूककर्त्ताओं की संख्या कितनी है?

श्री यशवन्त सिन्हा : वे दोनों तरफ से हैं।

मुद्रास्फीति, विकास दर और अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति आदि का जिक्र अनेक माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है। श्री दासमुंशी के विचार से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है। क्योंकि इसका कारण यह है। कि गत वर्ष की तुलना में उत्पादन सूचकांक घटकर एक प्रतिशत अंक रह गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम सरकार के सत्ता में आने से ठीक पहले की स्थिति क्या थी। वर्ष 1997-98 में विकास दर क्या थी? यह सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत थी। मुझे वर्ष 1998-99 अच्छी तरह याद है। मैं इतनी जल्दी उस साल को नहीं भूल सकता। परमाणु परीक्षणों, परिणामस्वरूप प्रतिबन्धों, पूर्व चेतावनियों और विनाश की भविष्यवाणियों के कारण वर्ष 1998-99 में इस देश के वित्त मंत्री के रूप में मैंने जितना अपने को परेशानी में महसूस किया ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी थी। हम सहायता के लिए किसी के पास नहीं जा सकते थे! ऐसी परिस्थिति थी। वर्ष 1998-99 में क्या हुआ?

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका उल्लेख किया गया कि मैं हमेशा आवश्यकता से अधिक आशावादी रहता हूं तथा अर्थव्यवस्था के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करता हूं। मुझसे क्या आशा की जाती है? क्या मुझसे यही आशा की जाती है कि इस देश का वित्त मंत्री होने के नाते में मैं हिम्मत हार जाऊं और कह दूं कि यह देश बर्बाद हो रहा है? क्या यही मुझसे आशा की जाती है? इस देश के वित्त मंत्री के रूप में मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं इस देश का हौसला बढ़ाता रहूं। यही मेरा कर्त्तव्य है और मैं इसका पालन करता हूं।

बर्बादी की भविष्यवाणी करनेवालों को, जो मंदी तथा अन्य विभिन्न समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 में पिछले वर्ष की 5 प्रतिशत की विकास दर को हमने बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया।

अगले वर्ष 1999–2000 में ऐसी परेशानियां नहीं थी। इस वर्ष विकास दर 6.4 प्रतिशत रहा। जिन दो वर्षों में मैं वित्त मंत्री रहा उनमें औसत विकास दर 6.6 प्रतिशत रही।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : यह साठ, सत्तर तथा अस्सी के दशक की विकास दर से कहीं अधिक है।

श्री यशवन्त सिन्हा : बिल्कुल। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मुझे माफी मांगने की जरूरत हो। इस साल क्या चर्चा हो रही है? मंदी के बारे में बड़ी–बड़ी बातें हो रही हैं। इस मामलें में लम्बी–चौड़ी बात यह है कि हम लोग सात प्रतिशत विकास दर की आशा कर रहे थे। आज मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि वर्ष 2000–01 के लिए मैंने सात प्रतिशत विकास दर की बात कही थी जबकि यह दर करीब छः प्रतिशत ही हैं। बस यही आरोप है।

रात्रि 8.00 बजे

सात प्रतिशत विकास दर का अनुमान सिर्फ यशवन्त सिन्हा का ही नहीं था। भारतीय परिदृश्य के प्रत्येक प्रेक्षक का भी यही अनुमान था। यह उन सारे अनुसंधान संस्थानों का अनुमान था जो प्रायः इस संबंध में अनुमान लगाते हैं। किसी ने कहा कि विकास दर 7.2 प्रतिशत रहेगा तो किसी ने 7.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया। उस समय सभी अनुमान सात प्रतिशत के ऊपर थे। उसके बाद क्या हुआ? इन तथ्यों को सभी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं था। निस्संदेह मैं उस परिस्थिति से निपटने के लिए उत्तरदायी हूं। तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि हुई। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय बैठक मे भाग लेने के लिए विदेश गया तो वहां विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री मौजूद थे जिन्होंने यह बताया कि तेल के मूल्यों की वृद्धि विभिन्न अर्थ व्यवस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित करेगी।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जहां तक भारत का संबंध है, इसकी विकास दर में एक प्रतिशत तथा चीन के विकास दर में डेढ़ प्रतिशत की कमी आएगी। इसी प्रकार से उन्होंने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया। मैंने इस तरह के प्रमाण पत्रों की चिंता नहीं करता। किन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास दर में इस एक प्रतिशत की कमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से आज भारत की गिनती विश्व की द्रुतगामी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हो रही है जबकि परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं। इस वर्ष के अंत तक; तेल के मूल्यों में वृद्धि, सूखा, बाढ़ और कई अन्य समस्याओं के बावजूद हमारी रिकार्ड विकास दर होगी जिस पर हम गर्व महसूस कर सकेंगे। इसलिए हम इन मुद्दों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के उद्देश्यपूर्ण ढंग से यहां सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए नहीं हैं।

आज के 'दी पायोनियर' में मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू पढ़ रहा था। वे कहते हैं :

> "किन्तु मैं महसूस करता हूं कि राजनीतिक विरोधियों को अपने आप से पूछना चाहिए कि वे पश्चिम बंगाल की किस तरह की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं।"

क्या मैं यहां बैठे अपने मित्रों से पलटकर यही सवाल करूं कि जिस प्रकार के आरोप आप लगा रहे हैं। उसके माध्यम से आप विदेशों में किस तरह की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल : ये दोनों बातें अलग–अलग हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : नहीं, ऐसा नहीं है। यदि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को विपक्ष की बातों से चोट पहुंचती है तो लोक सभा में भी खासकर उनके दल के साथ विपक्ष की सही बात समान रूप से लागू होती है। मैं यही बात कह रहा हूं।

उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार मूल्यवृद्धि की दर 7.45 प्रतिशत है। जब हमने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की तब हमें पता था कि मुद्रास्फीति में इजाफा होगा। हम जानते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य निर्देशित मूल्यों में वृद्धि के परिणास्वरूप मुद्रा स्फीति का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में अधिकांश स्थितियों में मुद्रास्फीति की दर निर्देशित मूल्यों पर निर्भर करती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मुद्रास्फीति की दर से सीधा और व्यापक संबंध है। मूल मुद्रास्फीति क्या है। मूल मुद्रास्फीति की भी एक अवधारण है। यह मात्र 3 प्रतिशत है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति के बारे में कोई होहल्ला नहीं हो रहा है। क्योंकि मुद्रास्फीति का असर नहीं पड़ रहा है।

हम एक दूसरे प्रकार की समस्या का सामना कर रहें हैं जिसके बारे में इस पूरे सत्र के दौरान आप सभी ने उल्लेख किया हैं। यह गिरती हुई कीमतों और कृषि उत्पादों की कीमतों में आयी अचानक गिरावट की समस्या है। आज यही समस्या है। मुद्रास्फीति आज की समस्या नहीं है। वस्तुतः सितंबर माह तक औद्योगिकी श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.75 प्रतिशत था। यह तीन प्रतिशत से कम है। अतः मुद्रास्फीति कोई समस्या ही नहीं है।

इसके अतिरिक्त रोजगार का मुद्दा उठाया गया था। रोजगार एवं रोजगार के अवसरों के बारे में बात करना इस सभा के सदस्यों की वास्तविक चिन्ता है। यहां मेरे पास इस संबंध में एक

[श्री यशवन्त सिन्हा]

अध्ययन है। हमने रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। प्रधान मंत्री अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्यों लाए हैं ? जब हम इस देश में 13,000 कि.मी., सड़क बनायेंगे तो इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आधारभूत ढांचा उन्नत होगा। इससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जब हम भवनों का निर्माण करते हैं तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन को मैं देख रहा था जिसमें कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र पर होनेवाले व्यय में की गई किसी भी 10 प्रतिशत की वृद्धि के परिणास्वरूप 29.57 लाख कामगारों के लिए नये रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। यह एक तरह का रोजगार ही है।

मेरे पास भवन निर्माण संबंधी आकड़ें हैं। उठाया गया मुद्दा सचमुच कोई मुद्दा नहीं है। पर यदि भवनों का निर्माण हो रहा है तो मैं इस बात का श्रेय लूंगा कि मैंने अपने बजट में विनिर्माण उद्योग खासकर रिहायशी गृह निर्माण को एक के बाद एक भारी रियायतें दी हैं। इस सभा के समक्ष यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। कि वर्ष 1998–99 में हमने 26.15 लाख इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तपोषण किया। 1999–2000 में हमने 32.15 लाख यूनिटो के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया आंकड़ा यह है। इस वर्ष सितंबर तक हम 19.63 लाख रिहायशी इकाइयों के निर्माण का वित्तपोषण कर चुके हैं। राजग के एजेण्डे में 20,00,000 भवनों का निर्माण शामिल है। पहले साल 1998–99 में ही बीस लाख का यह आंकड़ा पार कर लिया गया। वर्ष 1999–2000 में यह आंकड़ा तीस लाख से भी ऊपर चला गया है। मुझे बहुत विश्वास है कि वर्ष 2000–01 में यह आकड़ा चालीस लाख के करीब, होगा। यदि इतने सारे भवनों व मकानों का निर्माण हो रहा है तो क्या इससे रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं? इससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं...(*व्यवधान*)

श्री रूपचन्द पाल : कितने गवां रहे हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : श्री रूपचंद पाल, मैं इस पर चर्चा करूंगा। क्योंकि यहां पर हमारे आपसे दार्शनिक, वैचारिक और आध्यत्मिक मतभेद हैं।...(*व्यवधान*)

अब मैं सूचना प्रौद्योगिकी का जिक्र करता हूं। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी पर आवश्यकता से अधिक बल दें रहे हैं। आई.टी. सॉफ्टवेयर, आई.टी.हार्डवेयर तथा आई.टी समर्थित सेवाएं इस देश में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मुहैय्या करा रहीं हैं। यदि कोई सूचना प्रौद्योगिकी में विश्वास नहीं रखता तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। किन्तु आप गुडगांव, नोएडा, बंगलौर तथा हैदराबाद जाएं और देखे कि वहां क्या हो रहा हैं।...(*व्यवधान*)

श्री रूपचन्द पाल : इसी अनुपात में विद्युत आपूर्ति तथा टेलीफोन सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : अब यह तो नहीं चल पायेगा यदि मैं इस तरह से मुझे रुकावटें डाली जायें।

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल, मैं यहा उपस्थित हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा : सूचना प्रौद्योगिकी रोजगार पैदा कर रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह के दल के मुखिया भी अब सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात करने लगे हैं। नहीं तो उन्होंने कहा था कि आई.टी, फाई.टी. क्या होता है? किन्तु अब वे आई.टी में विश्वास करने लगे हैं। मैं इस संबंध में आश्वस्त हूं कि जैसे–जैसे इस देश के अधिक से अधिक राज्य व क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते जाएंगे वैसे–वैसे रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होते जाएंगे...(*व्यवधान*)

एक प्रश्न उठाया गया था। मैं यह भी चाहता हूं कि यहां उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यगण इस बात से श्री दासमुंशी को अवश्य अवगत करायेगें क्योंकि उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया था। मेरे पास भी भावनाएं हैं। जब उन्होंने सिगरेट पर उत्पादन शुल्क के बारे में जिक्र किया तो मैं नहीं जानता मैं कौन सा पाप कर रहा था। वर्ष 1987 से सिगरेट पर उत्पादन शुल्क उसकी लम्बाई के आधार पर लगाया जाता रहा है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपने तीन बजटों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। वस्तुतः मैंने सिगरेट पर उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी की है। किन्तु जहां तक सिद्धान्त का सवाल है मैंने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मैं चकित था कि आखिर कुछ सिगरेट कम्पनियों द्वारा की गयी बेईमानी चालबाजी व अन्य संबंधित गलत कार्यों के लिए मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हैं। तब मैंने पाया कि वर्ष 1987 से सिगरेट पर उत्पादन शुल्क लगाने का आधार उनकी लम्बाई रही है। मैं नहीं जानता उनके मन क्या बात थी। किन्तु इस मुद्दे पर उनसे निश्चित रूप से बात करूंगा।

इससे उनके भ्रम का निवारण होगा...(*व्यवधान*)

श्री रूपचन्द पाल : आप उन लोगों के मामले मे पर्याप्त कार्यवाही कुछ नहीं कर रहे हैं जो करीब 800 करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क देने से बचते रहते हैं।...(*व्यवधान*) हो सकता है यह उनके समय में...(*व्यवधान*)

श्री यशवन्त सिन्हा : विनिवेश का मुद्दा उठाया गया है। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि नियम 193 के अधीन इस सभा में विनिवेश पर चर्चा हो रही है। उस चर्चा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर हमारी नीति संबंधी चर्चा का जवाब देने का सुअवसर मेरे सहयोगी विनिवेश मंत्री को मिलेगा। किन्तु मैं ग्रामीण सड़कों का जिक्र करूंगा जिसका मुद्दा श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह द्वारा उठाया गया था। इस वर्ष के बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है क्योंकि हम सभी ने इसका अनुभव किया और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य मेरे इस बात का समर्थन करेंगे कि गत वर्ष मानसून में जब हम चुनाव प्रचार हेतु चारों तरफ दौरा कर रहे थे तो हमने पाया कि देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। यही कारण है कि जब हम कार्यालय लौटे तो सरकारी तौर पर इस पर चर्चा की तथा यह तय किया कि ग्रामीण सड़कों हेतु हमें एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि इस 2,500 करोड़ रुपये को बर्बाद नहीं करना है। इस कीमती धनराशि में से हम एक पैसा भी बर्बाद नहीं होने देंगे। इसीलिए हम काफी कठोर शर्तें लगा रहे हैं। हम बहुत ही कठोर शर्तों के साथ इस धनराशि को राज्य सरकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे सहयोगी ग्रामीण विकास मंत्री यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्रामीण सड़कों के चुनाव में संसद सदस्यों का दखल हो। ऐसा होना है क्योंकि... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : जी हां।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना का अलग से पैसा है।

श्री यशवन्त सिन्हा : प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन प्रधान मंत्री जी 25 दिसम्बर को बैठकर ऑन लाइन देश के विभिन्न भागों में करने वाले हैं।

[अनुवाद]

तत्पश्चात् हम ग्रामीण सड़क निर्माण को युद्ध स्तर पर शुरु करने वाले हैं। यही हमार निर्णय है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : 2500 करोड़ रुपया ग्रामोदय योजना का अलग से है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : यह उसी में है, ग्रामोदय योजना में है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन रघुवंश जी ने बहुत जोर जोर से बिहार की बात उठाई है। बिहार की अक्सर चर्चा होती है। मै उनकी पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहता लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि हर बात पर रघुवंश बाबू के दल की ओर से रघुवंश जी ही क्यों बोलते हैं। उधर उनके साथ छः सदस्य हैं, कभी किसी और को भी मौका देना चाहिए। चाहे जुवेनाइल डेलिनक्वेन्सी पर बोलना हो तो रघुवंश बाबू बोलेंगे, सप्लीमेंटरी डिमांड्ज पर बोलना हो तो रघुवंश जी बोलेंगे, बर्थ कंट्रोल पर बोलना हो तो रघुवंश जी बोलेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : चोरी के खिलाफ बोलेंगे तो रघुवंश बोलेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : हर विषय के ऐक्सपर्ट हैं रघुवंश बाबू। हर मर्ज की दवा हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि दुश्मनी की नीयत से काम करते हैं। कोई दुश्मनी की नीयत नहीं है। बिहार, झारखंड और इस देश का हर प्रदेश हमारे लिए प्रिय है और इसलिए हम किसी प्रदेश के बारे में दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर चार्ज लगाते हैं कि मैं राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर राज्यों को देख रहा हूं और आप कह रहे थे कि एन.डी.ए के जो हमारे पार्टनर्स हैं, वह कहीं सरकार चला रहे हैं तो उनके लिए यह सुविधा, वह सुविधा उपलब्ध करा दी और बाकियों के लिए केयर नहीं की। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास 6.12.2000 की चिट्ठी है केरल के चीफ मिनिस्टर की। केरल में किसकी सरकार है? क्या हमारे एन.डी.ए की पार्टनर्स की सरकार है? नहीं है। नयनार साहब क्या लिखते हैं? श्री नयनार ने कहा था :

[अनुवाद]

> "केरल सरकार को जब कभी भी अर्थोपाय की समस्या हुई है उसे मदद पहुंचाने में भारत सरकार का रवैया काफी सहयोगपूर्ण रहा है। 'वस्तुतः केरल के वित्त मंत्री, श्री टी शिवदास मेनन इस वर्ष के प्रारंभ में आपसे मिलने गए थे तथा इस संबंध में आपके मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को समय से सहायता पहुंचाने के लिए हमारा आभार व्यक्त किया।"

इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध नहीं किया था। केरल के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पत्र को मेरे पास भेजा था।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

[हिन्दी]

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं और अंतिम बिन्दु सभापति महोदय मेरा पश्चिम बंगाल में फ्लड के बारे में है क्योंकि हम 500 करोड़ रुपए नैशनल कंटिनजेंसी कैलेमिटी फंड से दे रहे हैं। मुझे यहां यह कहना है कि जब रूप चन्द पाल जी यहां बोले, तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि पं. बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री दिल्ली आए और यहां आकर धरने पर बैठे और भाषण दिया। मेरा कहना यह है कि किसी के दुख का कृपया राजनीतिकरण मत कीजिए। जनता के दुःख का राजनीतिकरण मत कीजिए। आपने यही किया है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, हम राजनीतिकरण नहीं कर रहें हैं, बल्कि सरकार राजनीतिकरण कर रही है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : आपने टोटल राजनीतिकरण किया। मैं आपसे यह कहता हूं कि आपने वहां के लोगों की राहत के लिए कुछ नहीं किया। यदि प. बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने अपने वित्त मंत्री महोदय से बात कर ली होती, तो उनको सत्यता पता लग जाती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, श्री रूपचंद पाल, आप दोनों कृपया अपने–अपने स्थान जाएं।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जब आप बोल रहे थे तो मंत्री महोदय आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वे अब जवाब दे, रहे हैं। इसलिए कृपया उन्हें बाधित न करें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, यहां जो भाषण अब हो रहा है, वह राजनीतिक भाषण हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : राजनीतिकरण आप कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैंने बिलकुल प्रौफेशनल एप्रोच लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से दो–दो बार चर्चा की और मैंने उनसे कहा कि आपकी सरकार को क्या करना है। इनकी असेम्बली का एक डेलीगेशन मुझसे मिलने आया था, मैंने उनसे दो बातें कहीं और मैं इस बारे में दोहराना चाहता हूं और सदन में भी कहना चाहता हूं। कि फ्लड का राजनीतिकरण मत करो और दूसरी बात मैंने यह कही कि रुपए का, पैसे का कलर क्या है, यह मत देखिए। अभी तो तत्काल वहां के लोगों को राहत पहुंचानी है। एकाउंट तो बाद में सैटल करेंगे। जब हम राहत देने जाएंगे, तो लोग हमसे यह नहीं पूछेंगे कि यह पैसा किस हैड से दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आपने पैसा नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाएं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : इसे खर्च करना उनका कर्त्तव्य है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य आप अपनी बात पहले रख चुके हैं। अब कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है और उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए कर दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब कभी भी इस प्रकार की राष्ट्रीय आपदा आती हैं। केन्द्र सरकार अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाती है।...*(व्यवधान)* वे इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को जवाब देने दें। उन्हें रुकावट न डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं सहमत नहीं हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, वे सहमत नहीं हैं। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि हमने कोष की स्थापना से संबंधित मामले को संसद के समक्ष लाने में देरी की है। कोई देरी नहीं की गई है।..*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : कोई अध्यादेश क्यों नहीं प्रख्यापित किया गया ?

श्री यशवन्त सिन्हा : क्योंकि करों के लिए अध्यादेश प्रस्तावित नहीं किया जाता है। यही कारण है।..*(व्यवधान)* वे यह कार्य पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा केन्द्र में नहीं करेंगे।..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन आप बोल रहे हैं? श्री आचार्य जी मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री यशवन्त सिन्हा : हम अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए कुछ निश्चित प्रक्रिया है। कोई देरी नहीं हुई है। यह पहला अवसर है जबकि हमें एन.सी. सी.एफ के गठन के लिए संसद के पास आना पड़ा है। यह संसद में आया है, अनुपूरक मांगों के पारित हो जाने के बाद एन.सी.सी.एफ का गठन होगा और 500 करोड़ रुपये का कोष बन जाएगा। इसके बाद हम बैठकर यह तय करेंगे कि राज्य सरकारों की सहायता कहां और किस रूप में की जाए। हम निश्चय ही पश्चिम बंगाल को भी मदद देगें। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल की मदद नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : वित्त मंत्री जी, आप उनकी मदद कर रहे हैं परन्तु वह पैसा सी.पी.एम. के वर्कर्स को बांटने के लिए न जाये।..*(व्यवधान)* वह गवर्नमैंट की तरफ से जाये, इसको आप एश्योर करें।..*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : सभापति जी, हिसाब ठीक से दिया जाये।..*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति जी, वित्त मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए धन का प्रावधान राहत के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं ?.....*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, एमपीलैड का पैसा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कीजिए।. ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आठवले मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री यशवन्त सिन्हा : अन्य अनेक मुद्दे उठाए गए हैं जो कि अत्यन्त विशिष्ट प्रकृति के हैं। उनका संबंध अन्य मंत्रालयों से हैं। मैं संबद्ध मंत्रियों से कहूंगा कि वे माननीय सदस्यों को उत्तर दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूं तथा आशा करता हूं कि यह सभा प्रस्तुत अनुपूरक मांगो को पारित करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 5, 8, 12, 13, 28, 30, 33, 39, 40, 41, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 69, 75, 77, 81, 84, 85, 87, और 88 के सामने दिखाए गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले कुछ निश्चित खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति का दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.22 बजे

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2000 *

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2000–2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैं।

"कि वित्तीय वर्ष 2000–2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक ** पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 2 दिनांक 19.12.2000 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2000–2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2000–2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने का विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.26 बजे

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2000– जारी

सभापति महोदय : अब हम कराधान विधि (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि वित्त अधिनियम, 2000 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कि खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.27 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 20 दिसम्बर, 2000/29 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।